CCL

FUELLING SUSTAINABLE GROWTH

वार्षिक
प्रतिवेदन और लेखा
2023-24

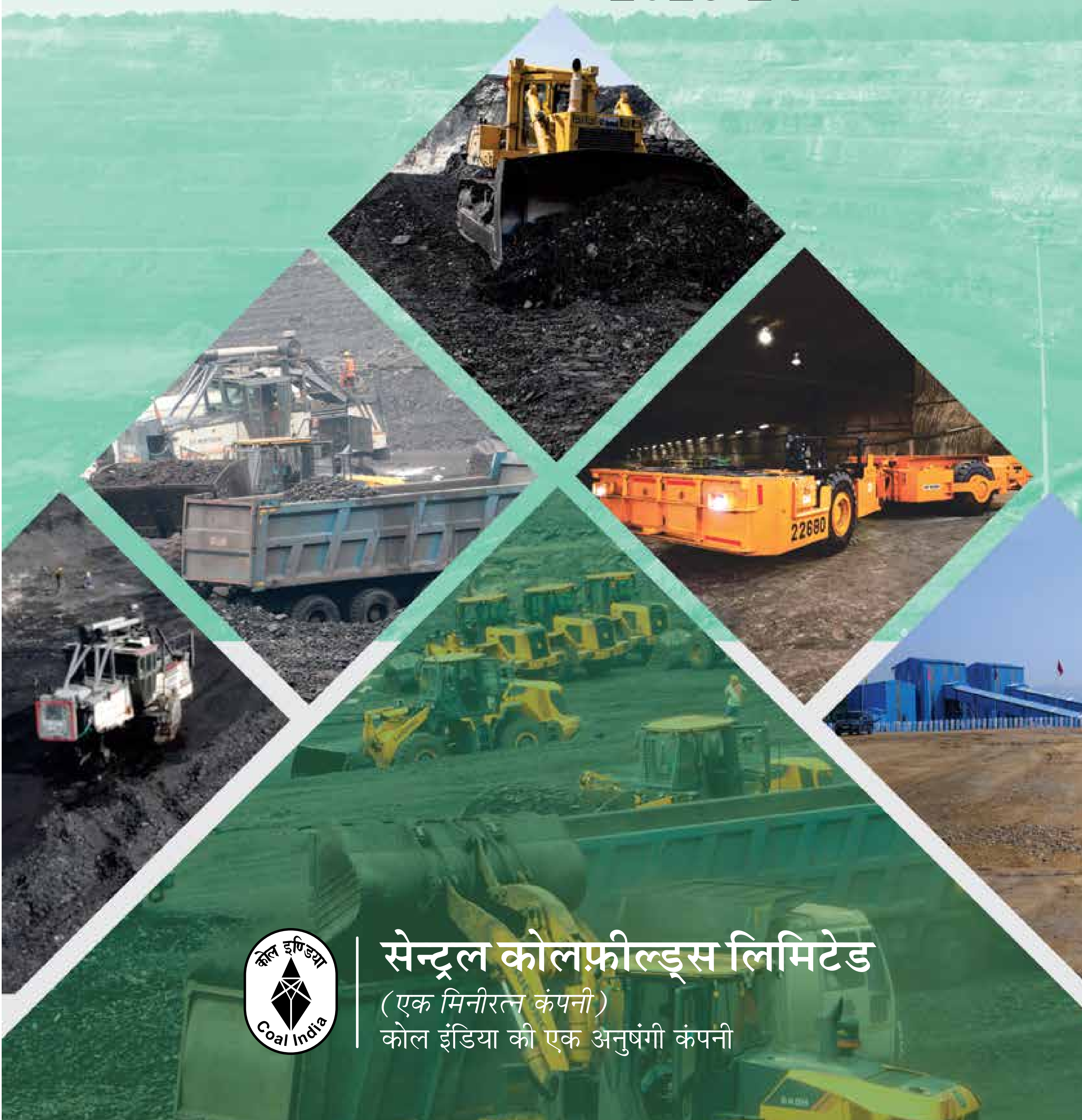

सेन्ट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)

कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी

CCL

FUELLING SUSTAINABLE GROWTH

वार्षिक
प्रतिवेदन एवं लेखा
2023-24

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

(CIN : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची - 834029 (झारखंड)

वेबसाईट : https://www.centralcoalfields.in

हमारा विज़न

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना।

हमारा मिशन

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

हमारा उद्देश्य

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के मुख्य लक्ष्य हैं :

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि, अपव्यय परावृत कर, इष्टतम आंतरिक संसाधनों का उत्पादन तथा निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में बाह्य संसाधन जुटाना।
2. सुरक्षा के उच्च मानकों का अनुरक्षण तथा दुर्घटना रहित कोयला खनन करना।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को प्रमुखता देना।
4. कोयले की भावी मांग की आपूर्ति हेतु विस्तृत गवेषणा तथा नई परियोजनाओं की योजना बनाना।
5. विद्यमान खदानों का आधुनिकीकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी व संगठनात्मक सक्षमता की अभिवृद्धि सहित कोयला सज्जीकरण का विकास करना तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ कोयले की अधिकतम निकासी हेतु वैज्ञानिक गवेषण से संबंधित विकास कार्य तथा व्यवहारिक शोध करना।
7. कर्मचारियों के जीवन-स्तर में सुधार करना तथा वृहत्तर समाज विशेषकर कोयलांचल के निकटवर्ती समुदाय के प्रति नैगमिक दायित्वों का निर्वहन करना।
8. परिचालन हेतु पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल वर्धन हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सीएसआर के क्रियाकलाप विशेषकर निकटवर्ती गांवों में आरोग्यता, स्वच्छता तथा पेयजल से संबंधित विषयों को गति देना।

विषय-सूची

1.	निदेशक मंडल	06
2.	बैंकर्स और लेखा परीक्षक	08
3.	वार्षिक आम बैठक सूचना	10
4.	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश	16
5.	परिचालन आंकड़े	22
6.	वित्तीय स्थिति	23
7.	निदेशकों की रिपोर्ट	30
8.	परिशिष्ट प्रत्यक्ष का हिस्सा	92
9.	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	154
10.	एकल वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन उत्तर (अनुबंध-1 सहित)	163
11.	समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन उत्तर (अनुबंध-1 सहित)	292
12.	फॉर्म एओसी-1	421

निदेशक मंडल

22 जुलाई 2024 को
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री निलेन्दु कुमार सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री विनय रंजन
निदेशक (का.एवं औ.स.) सीआईएल

सुश्री रूपिंदर बरार
अपर सचिव, कोयला मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री रमेश कुमार सोनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

कार्यकारी निदेशकगण

श्री पवन कुमार मिश्रा
निदेशक (वित्त)

श्री हर्ष नाथ मिश्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री हरीश दुहान
निदेशक
(तकनीकी/संचालन)

श्री सतीश झा
निदेशक
(तकनिकी/परियोजना एवं योजना)

कंपनी सचिव

श्री अमरेश प्रधान
कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.09.20 से 30.06.23 तक)
डॉ. बी. वीरा रेड्डी	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.07.2023 से)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री राम बाबू प्रसाद	:	निदेशक (तकनीकी/संचालन) (14.05.2022 से 29.02.2024 तक)
श्री पवन कुमार मिश्रा	:	निदेशक (वित्त) (10.06.2022 से)
श्री हर्ष नाथ मिश्र	:	निदेशक (कार्मिक) (24.08.2022 से)
श्री बी साईराम	:	निदेशक (तक./परि. एवं यो.) (26.10.2022 से 13.03.2024 तक)
श्री हरीश दुहान	:	निदेशक (तकनीकी/संचालन) (01.03.2024 से)
श्री सतीश झा	:	निदेशक (तक/परि. एवं यो.) (18.03.2024 से)

अंशकालिक निदेशकगण

श्री विनय रंजन	:	निदेशक (का. एवं औ. सं.), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता,(05.08.2021 से)
श्री अजितेश कुमार	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (22.02.2023 से 27.12.23 तक)
सुश्री रूपिंदर बरार	:	अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। (22.02.23 से 27.12.23 तक)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री रमेश कुमार सोनी	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (01.11.2021)

कंपनी सचिव

श्री अमरेश प्रधान	:	(31.08.2022 से)

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
इंडियन बैंक
बैंक आफ इंडिया
बैंक आफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक
बैंक आफ बड़ौदा
यूनियन बैंक आफ इंडिया

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एसपीएएन एंड एसोसिएट्स
द्वारा - श्री अमित कुमार चंदा, 140, ओल्ड एजी कॉलोनी, कडरू,
राँची - 834002, झारखंड

शाखा लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.के. केजरीवाल एंड कंपनी
11/2, जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स,
मेन रोड रांची-834001, झारखंड

मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स, 4 एच.बी. रोड,
तृतीय तल, रांची - 834001, झारखंड

मेसर्स सिन्हा एंड घेलानी
सूरज मार्केट, लालजी हीरजी रोड,
रांची-834001, झारखंड

मेसर्स जेएन अग्रवाल एंड कंपनी
6, आरआईटी भवन, भू-तल, कोर्ट कंपाउंड ,
रांची-834001, झारखंड

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स निरन एंड कंपनी
इसेन डेन, 475, ऐजीनिआ, आशियाना प्लाजा इंट्री, खंडगिरी,
भुवनेश्वर-768001, ओडिशा

शाखा लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स मनी एंड कंपनी
लागत लेखाकार
"अशोका" 111, साउथर्न एवेन्यू
कोलकाता-700029

मेसर्स डी.जी.एम. एंड एसोसिएट
64, बी. बी. गांगुली स्ट्रीट,
(द्वितीय तल), कोलकाता - 700012

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
ऑफिस नं. 603, समृद्धि स्क्वायर, 6ठा तल,
किशोरगंज चौक, रांची- 834001 (झारखंड)

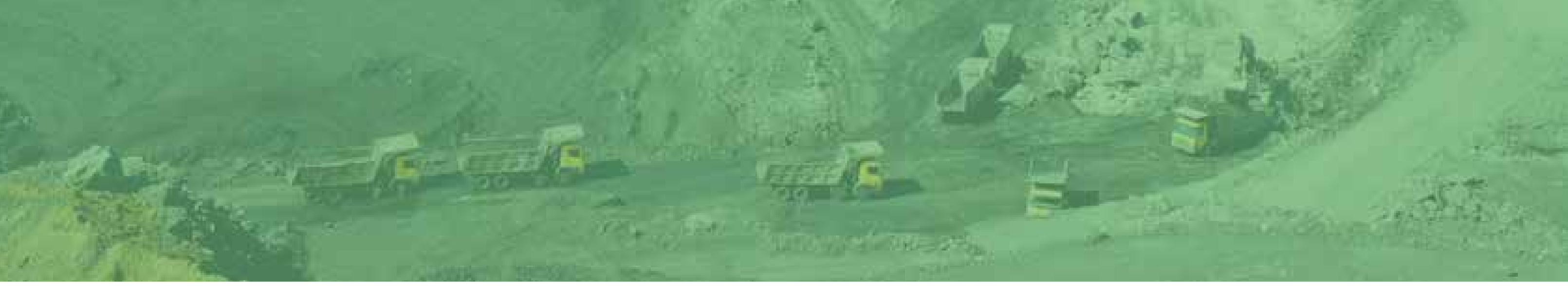

आतंरिक लेखाकार

मेसर्स गोयल पारुल एंड कंपनी
प्रथम तल, हरनाम कॉम्प्लेक्स, इलाहाबाद बैंक के निकट,
मेन रोड, रामगढ़ -829122

क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स बी.सी. दत्ता एंड कंपनी
द्वारा - सीए विकास कुमार पोद्दार,
राजगुरु कंपाउंड,
लेक रोड, रांची – 834001

मेसर्स मिलिंद न्याति एंड कंपनी
द्वितीय तल, लोहानी निवास, लाल कोठी,
बैंक मोड़, धनबाद – 826001

मेसर्स राव एंड कुमार
10-50-19/4, सौदामणि,
सिरिपुरम, विशाखापत्तनम – 530003

मेसर्स यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
1315 अंसल टावर, 38 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

मेसर्स ए.के. लेंका एंड कंपनी
द्वारा - शांति इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन,
प्रथम तल, अरोमा पैलेस,
फिरायालाल मेन रोड के पीछे, रांची – 834002

मेसर्स जे.एन. मित्तल एंड कंपनी
द्वितीय तल, नागछाया बिल्डिंग ,
मेन रोड, हिनू, रांची-834001

मेसर्स आर.एम. एसोसिएट्स
फ़ज़ल मेंशन, जामिया नगर,
कडरु, रांची -834002

मेसर्स पी.एस.डी. एंड एसोसिएट्स
408, चौथा तल, एस्टेट प्लाजा,
मंगल टॉवर के पीछे,
कांटाटोली चौक, रांची-834001

मेसर्स दिनेश के. यादव एंड एसोसिएट्स
द्वारा - श्री किरण कुमार बटाविया,
पुष्पक सोसाइटी, जैन मंदिर के पास,
गुजरात कॉलोनी, चास, बोकारो- 827013

मेसर्स एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
708, सूर्य किरण बिल्डिंग,
19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

मेसर्स एम.ए.पी.एस.एस. एंड कंपनी
117 बी, प्रथम तल, इंदिरा प्लेस,
हिनू, रांची-834002

मेसर्स एस.डी. एंड एसोसिएट्स
1ए, भू-तल , महाबीर टॉवर,
मेन रोड, रांची-834001

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची 834029 (झारखंड)

संदर्भ संख्या सचिव. सीएस/एजीएम/68/2024/ 181 दिनांक : 05.08.2024

सूचना

एतदद्वारा अल्पकालिक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची-834029, झारखंड में **06 अगस्त, 2024, दिन मंगलवार को पूर्वाह्न 9.45 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

क. सामान्य कार्य:

1. विचार तथा अंगीकार करने के लिए:

क. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण के साथ निदेशक मंडल का प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उस पर सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

2. श्री हर्ष नाथ मिश्रा (डीआईएन- 09732955) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) की शर्तों के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे तथा अहर्ता होने के कारण, उन्होने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

3. श्री हरीश दुहान (डीआईएन- 10511312) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) की शर्तों के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे तथा अहर्ता होने के कारण, उन्होने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

4. ₹1,000/- प्रति शेयर के 94,00,000 (चौरान्वे लाख) इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश ₹600.66 करोड़ (अर्थात ₹ 639 प्रति इक्विटी शेयर) के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने तथा बोर्ड द्वारा अनुशंसित प्रत्येक ₹1000/- के 1,88,00,000 (एक करोड़ अट्ठासी लक्ष) इक्विटी शेयरों पर ₹498.20 करोड़ (यानी ₹265/- प्रति इक्विटी शेयर) के अंतिम लाभांश के भुगतान की घोषणा हेतु।

5. वित्त वर्ष 2023-24 तथा आगामी वर्षों के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों/ शाखा लेखा परीक्षकों के लिए लेखा-परीक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए :

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन सहित या संशोधन के बिना संपुष्टि करने हेतु:

"संकल्प किया गया कि एतदद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के साथ पठित कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कैग (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 139 अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स एस.पी.ए.एन. एंड एसोसिएट्स तथा शाखा लेखापरीक्षक में मेसर्स सिन्हा एंड घेलानी,रांची, मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी, रांची, मेसर्स एन.के. केजरीवाल एंड कंपनी, रांची और मेसर्स जेएन अग्रवाल एंड कंपनी , रांची का पारिश्रमिक ₹29,36,250.00/- जोड़ लागू जीएसटी शुल्क अतिरिक्त तथा 7,33,900.00/- के जेब खर्च की प्रतिपूर्ति दिनांक 10-4-2024 को आयोजित 538वीं बोर्ड-बैठक में अनुमोदित की गयी थी तथा एतदद्वारा इसकी संपुष्टि की जाती है।''

ख. विशेष कार्य:

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक की संपुष्टि।

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन(नों) सहित या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतुः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 148(3) तथा कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षक) नियम**,** 2014 के नियम 14 तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों **मेसर्स निरन एंड कंपनी, प्रधान लागत लेखापरीक्षक, मेसर्स मणि एंड कंपनी तथा मेसर्स डी.जी.एम. एंड एसोसिएट्स** के पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) **₹**10**,**12**,**000/- एवं करों का भुगतान अतिरिक्त**,** जैसा कि 26-09-2022 को आयोजित 519 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा एतदद्वारा इसकी संपुष्टि की जाती है। "

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार पर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल
के आदेश से

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F-11264

दिनांक : 05.08.2024
स्थान : रांची

वार्षिक आम बैठक की तिथि : 06.08.2024
वार्षिक आम बैठक का समय : पूर्वाह्न 9.45 बजे
वार्षिक आम बैठक का स्थान : कॉन्फ्रेंस हॉल, तृतीय तल,
न्यू बिल्डिंग, दरभंगा हाउस
रांची 834029, (झारखंड)

टिप्पणी:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 को निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 तथा इस संबंध में निर्गत उत्तरवर्ती परिपत्रों, जिसमें दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को निर्गत 10/2022 नवीनतम परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के द्वारा एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है ।

   बैठक में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने हेतु कंपनी की अधिकृत ई-मेल आईडी द्वारा अग्रिम लिंक उपलब्ध कराया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम 15 मिनट पूर्व से उपलब्ध होगी तथा इसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक लिंक बंद नहीं किया जाएगा।

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित होने के और मतदान करने के हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आम बैठक (एजीएम) वीसी के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसार सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम द्वारा प्रतिभागिता एवं मतदान हेतु नियुक्त किया जा सकता है ।

4. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार एजीएम के कोरम के उद्देश्य से वीसी के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना की जाएगी।

5. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखापरीक्षक बैठक में भाग लेने और/अथवा मतदान करने के हकदार हैं और/अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/अथवा मतदान कर सकते हैं ताकि बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर केवल ऐसे चरण में अपनी सहमति अथवा असहमति gmcompsectt.ccl@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर व्यक्त की जा सके।

6. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के अनुसार अल्पावधि में आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के दौरान पंजिका को निरीक्षण हेतु खुला रखना आवश्यक है, ताकि बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपलब्ध रहे।

8. चूंकि आम बैठक (एजीएम) परिपत्रों के अनुसार वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं ।

9. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार पर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण "परिशिष्ट-क" के रूप में साथ संलग्न है ।

10. चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले तथा इस बैठक में पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण "परिशिष्ट-ख" में दर्शाया गया है ।

वितरण:

I. सदस्यगण

क. कोल इंडिया लिमिटेड, (द्वारा अध्यक्ष, सीआईएल), सदस्य सीसीएल, कोयला भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156

(सादर ध्यानाकर्षण : श्री बी.पी.दुबे, कंपनी सचिव, कोल भवन, परमाइस सं. 4, प्लॉट सं. एएफ़-III, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता – 700 156)

ख. श्री पी.एम. प्रसाद, अध्यक्ष, सीआईएल, सदस्य सीसीएल, कोयला भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156.

ग. श्री निलेन्दु कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,सीसीएल, सदस्य सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची-834029.

घ . श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सदस्य सीसीएल, सीआईएल, कोयला भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156.

II. लेखापरीक्षक

क. मेसर्स एस.पी.ए.एन. एंड एसोसिएट्स, रांची, सांविधिक लेखा अंकेक्षण ।.

ख. मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स, रांची, सचिवीय लेखापरीक्षक ।

ग. मेसर्स निरन एंड कंपनी, भुवनेश्वर, लागत लेखापरीक्षक।

III. निदेशकगण

क. श्री निलेन्दु कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,सीसीएल, सदस्य सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची-834029.

ख. सुश्री रुपिंदर बरार, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित निदेशक, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110115.

ग. श्री रमेश कुमार सोनी, स्वतंत्र निदेशक तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, सीसीएल, जगदलपुर, बस्तर-छत्तीसगढ़-494001.

घ. श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल, सरकार द्वारा नामित निदेशक, कोल भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156

ङ. श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक(वित्त), जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008.

च. श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक(का.), जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008

छ. श्री हरीश दुहान, निदेशक(तक./परि. एवं यो.), जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008

ज. श्री सतीश झा, निदेशक(तक./संचा.) दरभंगा हाउस, रांची – 834001

प्रतिलिपि :

1. कंपनी सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700156
2. महाप्रबंधक (वित्त), सीसीएल, रांची
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), सीसीएल, रांची-एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वार्षिक आम बैठक सूचना का परिशिष्ट

परिशिष्ट-क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत अपेक्षित, दिनांक 28.07.2023 की सूचना में संलग्न मद संख्या 5 के अंतर्गत निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण उल्लिखित व्यवसाय से संबन्धित सभी भौतिक तथ्यों का निर्धारण करता है।

5. **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक की सम्पुष्टि कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार -**

14. लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक - धारा 148 की उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ:

(क) उन कंपनियों में जहां एक लेखा परीक्षण समिति का गठन आवश्यक है-

I. लेखा परीक्षण समिति की अनुशंसा पर लागत लेखा-परीक्षक के रूप में बोर्ड ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो लागत लेखापरीक्षक हो, या लागत लेखा परीक्षकों का एक फर्म हो; के साथ-साथ उक्त लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की भी अनुशंसा करेगी;

II. लेखा परीक्षा समिति द्वारा (i) के अंतर्गत अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार उपरांत अनुमोदन दिया जाएगा तत्पश्चात शेयरधारकों द्वारा उक्त की संपुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन दिनांक 06.09.2023 को आयोजित अपनी 531वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 531.4(1) के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीसीएल मुख्यालय तथा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों की लागत लेखा परीक्षा हेतु लेखा समिति की संतुस्ति पर 10,12,000/- रुपये (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च तथा लागू कर को छोड़कर) के परिश्रमिक का अनुमोदन दिया गया:

लेखा परीक्षकों की सूची	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा-शुल्क की सूची
मेसर्स निरन एंड कंपनी	मुख्यालय, बरका सयाल, केन्द्रीय कर्मशाला, अरगडा, रजरप्पा क्षेत्र के लिए	4,40,000
मेसर्स मणि एंड कंपनी	कथारा, ढोरी (गिरिडीह सहित), बो. एवं कर. क्षेत्र के लिए	2,94,000
मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स	उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, रजहरा, मगध और संघमित्रा, आम्रपाली और चंद्रगुप्त, हज़ारीबाग़ और कुजू क्षेत्र के लिए	2,78,000
कुल		**9,19,000**

यात्रा और जेब खर्च क प्रतिपूर्ति की सीमा कुल खर्च का 50% तक है। लागू करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

कंपनी के निदेशकगण व प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके कुटुंब उक्त संकल्प रुचि या हित (वित्तीय या अन्यथा) नहीं रखते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने संकल्प को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन की अनुशंसा की है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से
ह./-
(अमरेश प्रधान)
(कंपनी सचिव)
सदस्यता सं. F-11264

परिशिष्ट-ख

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण-

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री हर्ष नाथ मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)	श्री हरीश दुहान,निदेशक (तक./संचा.),
डीआईएन	09732955	10511312
जन्म की तारीख	28.11.1966	22.03.1968
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	24.08.2022	01.03.2024
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें तथा मांगे गए पारिश्रमिक एवं अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित। पारिश्रमिक का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित। पारिश्रमिक का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।
योग्यता एवं अनुभव	पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफ़ेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट (IISWBM), कलकत्ता विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य एवं श्रम कल्याण में डिप्लोमा। इन प्रशास्तियों के साथ उन्हें विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त है। श्री मिश्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (एनआईपीएम) के आजीवन सदस्य होने के साथ-साथ रांची चैप्टर के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। श्री मिश्र ने वर्ष 1991 में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। सीआईएल में योगदान देने की पूर्व उन्होने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ दी हैं।	खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री तथा प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक अभियोग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, उनके पास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) भी है। सीसीएल में योगदान पूर्व उन्होंने महाप्रबंधक, निगाही क्षेत्र, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के पद पर अपनी सेवाएँ दी हैं। एनसीएल की विभिन्न ओपेन कास्ट खदानों तथा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग के महाप्रबंधक के पद उन्होने कार्यों का निष्पादन किया है। उनके पास खनन उद्योग के विभिन्न प्रक्षेत्रों में कार्यों के निष्पादन का 34 वर्षों से अधिक का वृहत अनुभव प्राप्त है।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं
वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	11	शून्य
अन्य कंपनियों में निदेशकीय पद पर नियुक्ति की सूची	शून्य	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
सीसीएल की अन्य समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता	एसडी एवं सीएसआर समिति सदस्य	आपदा प्रबंधन समिति सदस्य

कंपनी सिंहावलोकन

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकगण,

अपार हर्ष के साथ, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के निदेशक मंडल की ओर से, मैं, आप सभी का कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विकास और उपलब्धियों से परिपूर्ण इस असाधारण वर्ष में आप सभी को संबोधित करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इन उपलब्धियों के लिए मैं अपना हार्दिक आभार कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के साथ कंपनी प्रबंधन को भी देना चाहूंगा। निदेशकों का प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 का सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संयुक्त लेखापरीक्षित खाते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व समीक्षा आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है।

कंपनी ने सभी प्रक्षेत्रों क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय वित्तीय उपलब्धियाँ प्राप्त की है व नित नई ऊँचाइयों को छूकर प्रदर्शन के नए मानदंड स्थापित किए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कंपनी ने बीते वर्ष के दौरान उत्पादन, ऑफटेक, विद्युत क्षेत्र को प्रेषण के मामले में उल्लेखनीय सर्वकालिक उच्चतम स्तर हासिल किया है। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा की गयी पहलों व उल्लेखनीय कार्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूँगा।

मुद्रास्फीति दबाव तथा निर्यात बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने लोच प्रदर्शित कर तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते शहरीकरण के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में बिजली की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने उच्च विकास पथ पर अग्रसर है। बुनियादी संरचनाओं के निर्माण, वर्धित विनिर्माण गतिविधियों तथा

ई-मोबिलिटी परिवर्तन से अभिप्रेरित बिजली की मांग में वृद्धि स्वाभाविक है। बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 73% है। बेसलोड ईंधन के रूप में, कोयला भारतीय बिजली क्षेत्र का स्तंभ है और यह सीमेंट, उर्वरक, स्पंज आयरन, एल्युमीनियम आदि जैसे कई गैर-बिजली उद्योगों की आवश्यकताओं को भी निरंतर पूरा करता आ रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा मांग के अनुरूप, सीसीएल कोयला उत्पादन और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए प्रयासरत है, ताकि स्वच्छ कोयले की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और समाज एवं हितग्राहियों के सतत और समावेशी विकास के साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सके।

कंपनी का पार्श्वदृश्य:

अक्टूबर, 2007 से श्रेणी-I मिनीरत्न कंपनी - सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की शत-प्रतिशत अनुषंगी कंपनी है। आपकी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), अद्यतन:

- 36 उत्पादक खदानें: 03 भूमिगत और 33 ओपनकास्ट
- 5 वाशरियां: 4 कोकिंग कोल वाशरी (कथारा, रजरप्पा, केदला और स्वांग), 1 नॉन-कोकिंग कोल वाशरी (पिपरवार);
- 1 केन्द्रीय कर्मशाला (बरकाकाना) (आईएसओ:9001), 3 क्षेत्रीय कर्मशालाएँ (जारंगडीह, तापिन-उत्तरी तथा डकरा) (आईएसओ:9001) और 2 (गिरिडीह और भुरकुंडा)
- 9 कोयलांचल (पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिण कर्णपुरा, रामगढ़, गिरिडीह, हुटार, औरंगा और डाल्टनगंज) में कार्यों का परिचालन कर रही है।

प्रदर्शन:

भौतिक:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सीसीएल ने 86.054 मिलियन टन सार्वकालिक उच्चतम कोयला उत्पादन किया है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.099% अधिक है। इसी प्रकार, बीते वर्ष की तुलना में कंपनी ने 10.50% की वृद्धि के साथ 82.91 मिलियन टन सर्वकालिक उच्चतम कच्चे कोयले के ऑफटेक का आंकड़ा छूने में सफल रही है। आवश्यकतानुरूप, वित्त वर्ष 2023-24 में विद्युत प्रक्षेत्र को 69.62 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति कि गयी। विगत वर्ष 121.334 मिलियन घन मीटर ओवरबर्डन हटाने का लक्ष्य कंपनी ने प्राप्त किया है।

आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी ने कोयला उत्पादन को बढ़ाने की योजना का निर्माण किया है, जिसके अनुरूप वित्त वर्ष 2024-25 में कोल इंडिया के लक्ष्य 838.2 मिलियन टन को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2023-24 के उत्पादन स्तर 86.054 मिलियन टन को 2024-25 में बढ़ाकर 100 मिलियन किया गया है।

वित्तीय:

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक सकल बिक्री, शुद्ध बिक्री, पीबीटी और पीएटी को प्राप्त किया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के लिए सकल बिक्री ₹ 23,341.82 करोड़ थी, शुद्ध बिक्री क्रमशः 2.74% और 0.43% की वृद्धि के साथ 15,291.52 करोड़ थी। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 4,726.42 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 3,658.53 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष का कर पूर्व लाभ (पीबीटी पुनः राज्यित) 4601.04 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ (पीएटी पुनः राज्यित) क्रमशः 2.73% और 7.82% की वृद्धि के साथ 3393.30 करोड़ रुपये था।

कंपनी की कुल संपत्ति 31 मार्च 2024 को ₹13,585.15 करोड़ थी, जो गत वर्ष के ₹10,959.13 करोड़ (पुनर्लिखित) की तुलना में 23.96% की उल्लेखनीय वृद्धि थी।

कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को ₹1100 करोड़ से बढ़ाकर ₹4000 करोड़ करते हुए मौजूदा शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया है।

कैपेक्स:

वर्ष के दौरान, सीसीएल ने भूमि, भवन, रेलवे और खनन अवसंरचना, संयंत्र और मशीनरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹3400.77 करोड़ का पूंजी खर्च की, जो पिछले वर्ष के ₹2520.32 करोड़ से अधिक है।

लाभांश:

आपको यह बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने अंतरिम लाभांश के रूप में ₹600.66 करोड़ तथा कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित ₹498.00 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल लाभांश ₹1098.86 करोड़ अर्थात ₹1,000.00 प्रति शेयर के 1,88,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹584.50 प्रति शेयर का आहुगतान किया है (गत वर्ष ₹1023.66 करोड़ अर्थात ₹1,000.00 प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹1089.00 प्रति शेयर)।

एमओयू निष्पादन:

आपकी कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गयी है। समझौता ज्ञापन में निर्धारित वित्तीय प्रदर्शन और अन्य गैर-वित्तीय मानकों की प्राप्ति को देखते हुए आपके कंपनी का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 'उत्कृष्ट' रहा है।

नवीन तथा विस्तार परियोजनाएं/प्रौद्योगिकी अंगीकरण:

पिछले एक दशक में, डिजिटल प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से उद्भव हुआ जिससे खनन उद्योग सहित कई उद्योगों में बड़े बदलाव दृष्टिगत हुए हैं। नवीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से खनन संबद्ध कार्यों जैसे सुरक्षा व उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के लिए अवसरों पर प्रभाव हो सकता है। भूमिगत संचार व्यवस्थ, स्वचालन, खनिज व धातु का सुगम परिवहन व आपातकालीन प्रतिक्रियात्मक उपायों में नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से खनन परियोजनाओं में सुरक्षित कार्यपरिवेश का निर्माण किया जा सकता है। खनन में तकनीकी प्रगति भी कार्यों को अधिक उत्पादक बना रही है। इस परिप्रेक्ष्य में, आपकी कंपनी सदैव नवीन प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है तथा खनन के लिए वर्तमान व भावी विस्तार के प्रयोजन से डिजिटल अवसंरचनओं का निर्माण कर रही है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी ने सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी की अवसंरचना का विकास किया है जिससे नित नई तकनीकों का तेजी से अंगीकरण संभव हो पाया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, 199.27 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता की 24 ऑनगोइंग परियोजनाएं, 28.44 मिलियन टन की 21 पूर्ण परियोजनाएं, 3 मौजूदा परियोजनाएं, और 3 नई खनन परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं। वर्ष के दौरान, 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता युक्त 1 परियोजना - नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) परियोजना का उद्‌घाटन 1 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल 44.5 एमटीपीए क्षमता की 4 और परियोजनाएं एफ़एमसी-II और एफ़एमसी-III परियोजना के अंतर्गत पुरस्कृत की गयी हैं। इनके निर्माण का कार्य चल रहा हैं। इसके अतिरिक्त, सीसीएल द्वारा एफएमसी-III और एफएमसी-IV परियोजनाओं के तहत 129.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की सकल क्षमता युक्त 9 नए सीएचपीयों के निर्माण की योजना बनाई गयी है।

नई कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना के संबंध में उपलब्धि:

भारत सरकार के 'मिशन कोकिंग कोल' में योगदान करने हेतु, सीसीएल ने कुल 14.5 मिलियन टन क्षमता की पांच कोकिंग कोल वाशरियों के अधिष्ठापन के लिए निविदाएँ निकालीं हैं। इनमें न्यू रजरप्पा (3 मि.टन/वर्ष), ढोरी (3 मि.टन/वर्ष), न्यू स्वांग (1.5 मि.टन/वर्ष), बसंतपुर तापिन (4 मि.टन/वर्ष), और न्यू कथारा (3 मि.टन/वर्ष) शामिल है। उक्त में से न्यू कथारा और ढोरी वाशरी की निविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसके संदर्भ में लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) व सूचना-पत्र (एलओआई) दिया जा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 का दौरान बसंतपुर तापिन तथा न्यू स्वांग वाशरी नामक दो वाशरियों के लिए निविदाएं भी प्रकाशित की गई हैं।

रोड वेब्रिज :वित्त वर्ष के दौरान 100 मिलियन टन क्षमता वाले 16 रोड वेब्रिज स्थापित किए गए हैं।

हरित पहल :

(क) सौर परियोजनाओं के मोर्चे पर सीसीएल में 1.25 मेगावाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसके अलावा, 20 मेगावाट पिपरवार तथा 04 मेगावाट गिरिडीह परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है तथा डीवीसी ग्रिड से कनेक्टिविटी प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, सीसीएल ने विभिन्न स्थलों पर कुल 90 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के अधिष्ठापन के लिए भूमि चिन्हित की है जिसे दिसंबर 2024 तक आवंटित कर दिया जाएगा।

(ख) इलेक्ट्रिक वाहन: कंपनी में 33 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए गए हैं।

(ग) इको पार्क: 63 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 127 हेक्टेयर भूमि पर 9 इको पार्कों के विकास का कार्य चल रहा है।

(घ) वृक्षारोपण: वित्त वर्ष 2023-24 में 231 हेक्टेयर क्षेत्र में 6 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। गत वित्त वर्ष में 179 हेक्टेयर क्षेत्र में 3.75 लाख पौधे लगाए गए थे।

नैगमिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

अपने हितग्राहियों के विकास में महती भूमिका निभाने के लिए कंपनी दृढ़ संकल्पित है। अपने परिचालन क्षेत्रों और उसके निकट समाज के हाशिए पर जीवन-यापन करने वालों के जीवन-स्तर को अपने व्यापक सीएसआर पहलों के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए कंपनी निरंतर प्रयासरत है। सीएसआर अवधारणा कंपनी की कार्य-संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राथमिकता दे रही है। पहले कंपनी द्वारा अपने सामुदायिक विकास (सीडी) कार्यक्रमों के माध्यम से अपने परिचालन क्षेत्र में ग्रामीणों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा था। वर्ष 2014 में सीएसआर के प्रारंभ के साथ ही कंपनी ने अपने परिचालन क्षेत्र में सामाजिक-सामुदायिक सेवाओं का विस्तार किया है और झारखंड राज्य के अन्य हिस्सों तक भी अपनी पहुँच बनाई है।

रांची में राजकीय पुस्तकालय का निर्माण (₹65.25 करोड़) तथा रामगढ़ में 50,000 सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीकृत रसोईघर (₹22.09 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सीसीएल ने अनुसूची-VII में सूचीबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर पहलों पर ₹61.91 करोड़

खर्च किए हैं, जिनमें स्वास्थ्य और पोषण, कौशल-विकास, शिक्षा, खेल प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग की थीम 'स्वास्थ्य और पोषण' पर ₹27.54 करोड़ का खर्च किया गया है।

कोयला उत्पादन और लाभ में वृद्धि के साथ, सीसीएल अपने प्रभावी सीएसआर पहलों के माध्यम से अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कटिबद्ध है।

सुरक्षा:

सुरक्षा हमारे संगठन की नींव है। परिचालन जोखिमों से संपृक्त इस उद्योग में, प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा और हित के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ही हमारी सफलता की कुंजी है। हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं जहाँ सुरक्षा प्रथाएँ सिर्फ़ प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि हमारे संगठनात्मक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने लोगों, खदानों, और मशीनरी की सुरक्षा करके शून्य क्षति सुनिश्चित करें। हमें अपने सुरक्षा मानकों में हुई प्रगति पर गर्व है।

ग्राहक संतुष्टि/गुणवत्तापूर्ण कोयला आपूर्ति:

बेहतर गुणवत्ता युक्त कोयला आपूर्ति के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि प्राप्त प्रतिचयन एवं विश्लेषण परिणामों के अनुसार, ग्रेड अनुरूपता वित्त वर्ष 2022-23 के 69% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 87% हो गई है।

मानव संसाधन विकास:

सीसीएल का मानव संसाधन विकास विभाग एक स्थापित शिक्षण मंच है जहां कंपनी के विकास में अंतर्निहित कार्मिकों का कौशल का विकास, कौशल वर्धन तथा कौशल पुनर्वर्धन को केंद्र में रखकर पेशेवर सक्षमता, परिवर्तन अनुकूलता, उत्पादकता तथा दक्षता का संचार तकनीकी, कार्यात्मक, प्रबंधकीय और व्यवहारिक प्रशिक्षण आदि को अपनाकर अंतर संवर्गीय सहकार्य व सुव्यवस्थित प्रशिक्षण और विकास मॉड्यूलों के माध्यम से किया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन

हमारा विश्वास है पृथ्वी की संरक्षा का दायित्व तथा अवसर प्रत्येक व्यवसाय को प्राप्त है। पर्यावरण की संवहनीयता हमारा केन्द्रीय मूल्य है और हम अपने हर कार्य में संवहनीयता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं। कंपनी ने पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने तथा एक जीवनक्षम पृथ्वी के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया गया है जैसे जल-भंडारण और भूजल-पुनर्भरण के लिए कृत्रिम जल स्रोत का निर्माण, परित्यक्त खदानों में मत्स्य पालन, वर्षा जल संचयन तथा परिशोधन के उपरांत निकटवर्ती समुदायों के मध्य संवितरण, खदान क्षेत्र के अंदर वनीकरण/वृक्षारोपण, ओबी डंप का वैज्ञानिक नवीनीकरण, खान पर्यटन, त्रिस्तरीय वृक्षारोपण आदि से आपदा को अवसर में बदलने हेतु विशाल संसाधनों का उपयोग जीवनक्षम दुनिया का निर्माण किया जा सकता है।

निम्नलिखित अंश वर्ष 2023-2024 के अंत तक हमारे प्रदर्शन की छायामात्र है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार अपने व्यवसायिक परिचालनों से हुए पर्यावरणीय प्रभाव को न्यून करते हुए लोगों को अधिक संवहनीय जीवन यापन लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं:

संक्षिप्त विवरण:

1. 3 खदानों और एक कोकिंग कोल वॉशरी के लिए नई पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त हुई है, जिससे ईसी क्षमता में 12 एमटीपीए की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 तक, सीसीएल की इकाइयों के लिए 27 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन क्रय व अधिष्ठापित किए गए हैं, सीसीएल की परियोजनाओं के लिए 141 फिक्स्ड और मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर क्रियाशील हैं।
2. सीसीएल के कमान क्षेत्र में खदान-जल का उपयोग आसपास के 140 गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, जिससे लगभग 2,40,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही, सीसीएल खदानों में खदान खड्डों का उपयोग स्थानीय समुदायों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा मछली उत्पादन/मत्स्य पालन के लिए भी किया जा रहा है।
3. दिनांक 02.03.2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीसीएल के प्रथम एफएमसी – नॉर्थ उरीमारी सीएचपी का उदघाटन संपन्न हुआ जिससे संवहनीय खनन व ऑफटेक सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण का किया जा सकेगा। 7.5 एमटीपीए हैंडलिंग क्षमता युक्त परिचालन दक्ष नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट पूर्ण मशीनीकृत प्रणाली है।
4. ₹60 करोड़ की लागत से 100 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में 9 इको पार्कों का विकास किया जा रहा है जिनमें से 5 इको पार्क निर्माणाधीन है तथा शेष 4 का निर्माण वर्ष 2025-26 के दौरान किया जाएगा।
5. सीसीएल के कमान क्षेत्र में 14 पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) और 41 कंटीन्यूअस पीएम10 एनालाइजर स्थापित किए गए हैं, जिनका डेटा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के सर्वर से जोड़ा गया है।
6. वित्त वर्ष 2023-24 में, 231.35 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। सीसीएल में पहली बार, रजरप्पा क्षेत्र अंतर्गत 2 हेक्टेयर भूमि में मियावाकी वृक्षारोपण (~25,000 पौधे प्रति हेक्टेयर) आईएफपी (आईसीएफ़आरई), रांची द्वारा किया गया।

नैगमिक शासन

आपकी कंपनी में विभिन्न विधियों, बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए डीपीई द्वारा जारी नैगमिक शासन पर दिशानिर्देश के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु पर्याप्त प्रणाली स्थापित है।

कंपनी ने विभिन्न विधिक अनुपालनों के अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली स्थापित है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता, संदर्भ की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की कार्यप्रणाली और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना सुनिश्चित और अनुपालन की जाती है। सीसीएल बोर्ड में कंपनी संबद्ध जोखिमों के संसूचन तथा अनुश्रवण हेतु जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। निदेशकीय प्रतिवेदन में कारपोरेट शासन पर एक पृथक खंड जोड़ा गया है।

सर्वांगीण प्रदर्शन के साथ, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में अपना "उत्कृष्ट" एमओयू रेटिंग बरकरार रखी है।

पुरस्कार एवं प्रशस्ति:

वर्ष के दौरान, सीसीएल को निम्नलिखित प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- वित्त वर्ष 2022-23 हेतु 06.06.2024 को सुरक्षा पर ''कोल मिनिस्टर पुरस्कार'' (प्रथम पुरस्कार)
- सीआईएल के 49वें स्थापना दिवस (1 नवंबर, 2023) पर "सुरक्षा पर कारपोरेट पुरस्कार" (प्रथम पुरस्कार)
- 2023-24 में 'कोयला गुणवत्ता प्रदर्शन' पर 'कोल मिनिस्टर पुरस्कार' का प्रथम पुरस्कार।
- अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में सीसीएल ने समग्र द्वितीय रनर-अप पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें असाधारण व्यक्तिगत योगदान को भी सराहा गया।
- 06 जून 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए " कोल मिनिस्टर पुरस्कार" (संवहनीयता पर तृतीय पुरस्कार) ।
- सीआईएल के स्थापना दिवस (01.11.2023) पर "पर्यावरण प्रबंधन पर कारपोरेट पुरस्कार" (प्रथम पुरस्कार)।

आभार

मैं, हमारे शेयरधारकों, कोल इंडिया लिमिटेड व कोल इंडिया प्रबंधन, भारत सरकार विशेषकर अपने प्रशासनिक मंत्रालय - कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य केंद्रीय प्राधिकारणों, झारखंड सरकार (विशेषकर खान मंत्रालय, गृह विभाग तथा स्थानीय जिला प्रशासन), लेखा परीक्षक, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय गावों, स्थानीय निकायों, ट्रेड यूनियनों, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और मीडिया के प्रति उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए हृदयतल से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं।

कंपनी के विकास के प्रति बहुमूल्य योगदान के लिए, मैं, बोर्ड के सभी सहकर्मियों तथा सभी कार्मिकों की सराहना करता हूं।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी कंपनी ने जिस प्रकार संसाधनों व क्षमता का निर्माण किया है, वह निश्चय ही भविष्य में सफलता के नए आयाम गढ़ते हुए राष्ट्र की अपेक्षाओं के सहित हमारे अनान्य शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करती रहेगी। आपकी कंपनी आपके भरोसे तथा विश्वास को महत्व देती है तथा इसे आगे लेकर जाने के लिए लिए कटिबद्ध प्रयास करती रहेगी।

ह./-

नीलेन्दु कुमार सिंह

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन- 09847503

कच्चा कोयला
उत्पादन एवं उठाव

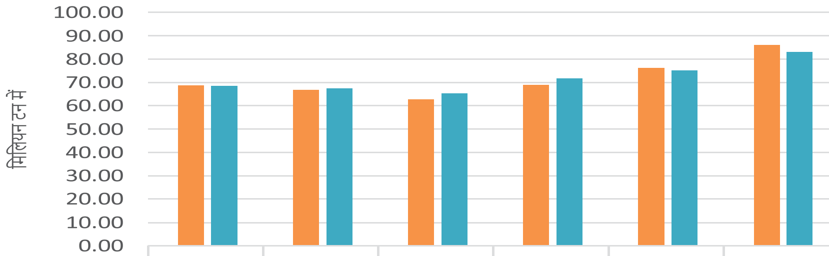

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
उत्पादन	68.72	66.89	62.59	68.85	76.09	86.05
उठाव	68.45	67.33	65.40	71.81	75.03	82.91

बिक्री

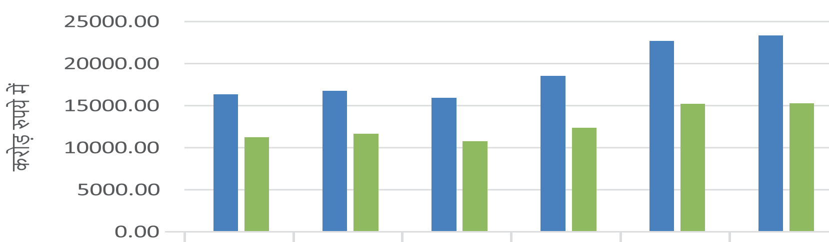

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल विक्रय (कोयला)	16343.9	16768.3	15900.5	18585.2	22720.1	23341.8
निबल विक्रय	11273.9	11642.6	10774.3	12352.1	15226.2	15291.5

लाभ

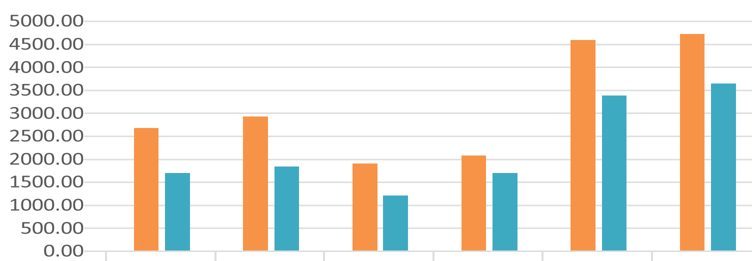

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Restated)	2023-24
कर पूर्व लाभ	2692.20	2932.72	1913.18	2094.73	4601.04	4726.42
कर पश्चात लाभ	1704.47	1847.75	1221.28	1696.92	3393.30	3658.53

निवल मालियत

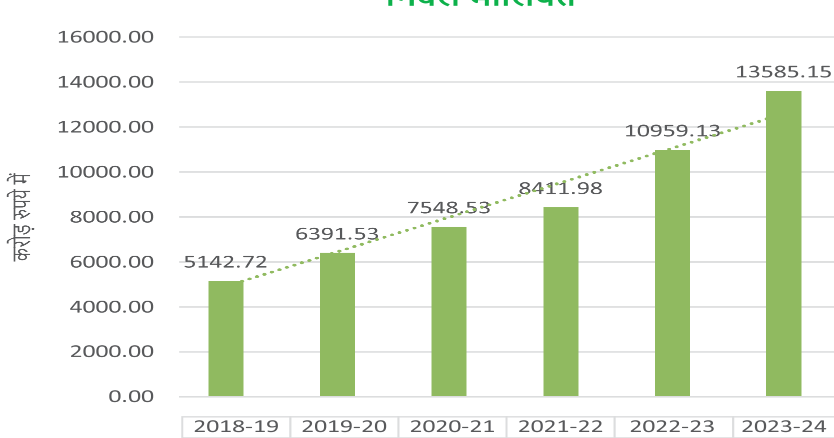

परिचालन आंकड़े

31 मार्च को समाप्त वर्ष			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.	(क)	कच्चे कोयले का उत्पादन : (मि. टन)										
		भूमिगत	0.781	0.863	0.755	0.424	0.703	0.315	0.405	0.74	0.85	0.84
		खुली खदान	85.273	75.225	68.091	62.166	66.186	68.407	63,000	66.31	60.47	54.81
		योग	**86.054**	**76.088**	**68.846**	**62.589**	**66.889**	**68.722**	**63.405**	**67.05**	**61.32**	**55.65**
	(ख)	मलबा (ओबी) निष्कासन: (मिलियन घन मीटर.)	121.334	106.581	100.066	103.577	103.356	100.490	95.622	102.63	106.78	97.38
2.	**ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)**											
	स्टील		0.07	0.00	0.00	0.053	0.039	0.00	0.00	0.03	0.34	0.65
	बिजली		65.57	60.89	54.82	47.407	46.648	45.37	42.22	37.24	33.52	33.41
	सीमेंट		0.00	0.00	0.009	0.053	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उर्वरक		0.12	0.11	0.115	0.13	0.143	0.09	0.15	0.22	0.24	0.24
	अन्य		11.03	8.34	10.948	10.63	11.732	13.80	15.73	10.83	12.40	10.23
	कोयला आपूर्ति : वाशरी		6.05	5.36	5.51	7.04	8.770	9.19	9.41	12.61	13.09	10.81
	योग		**82.91**	**75.03**	**71.81**	**65.40**	**67.332**	**68.45**	**67.51**	**60.93**	**59.59**	**55.34**
3.	**औसत श्रमशक्ति**		**34483**	**35418**	**36289**	**37444**	**38695**	**39919**	**41467**	**42919**	**44346**	**45849**
4.	**उत्पादकता:**											
	(क)	प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (टन)	2495.55	2148.28	1897.16	1671.54	1728.62	1721.54	1529.05	1562.25	1382.76	1213.81
	(ख)	**प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस)**										
	(i)	भूमिगत (टन)	2.03	2.13	1.17	0.44	0.540	0.214	0.194	0.29	0.32	0.29
	(ii)	खुली खदान (टन)	12.62	10.68	10.16	9.57	10.060	9.740	9.372	9.81	8.91	7.56
	(iii)	समग्र (टन)	8.98	10.22	9.37	8.39	8.490	8.093	7.195	7.23	6.51	5.46
5.	**लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना**											
	(i)	प्रति मानव पाली अर्जन (रु)	6363.33	6252.92	4814.08	4185.94	4003.35	3794.70	3344.68	2985.56	2651.86	2507.87
	(ii)	निबल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्य (₹प्रति टन)	1258.51	1500.87	1385.72	1343.69	1249.82	1125.09	1285.33	1048.85	1045.84	1099.43
	(iii)	निबल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (₹प्रति टन)	1744.10	1827.91	1608.20	1456.20	1547.08	1497.68	1369.23	1414.25	1490.72	1435.90

वित्तीय स्थिति (एकल)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(रु करोड़ में)

क्र.		विवरण	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18	2016-17	2015-16
अ.		**गैर-चालू परिसंपत्तियां**									
	क.	संपत्ति, उपकरण एवं संयंत्र	7056.86	6,419.87	5,866.12	5,532.00	4,670.11	2,496.09	2,421.09	2,426.40	2,541.98
	ख.	प्रगतिशील पूंजी कार्य	1845.55	1,313.51	900.83	907.26	736.75	2,355.18	1,640.62	1,141.23	303.40
	ग.	आस्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण	629.23	683.95	573.69	499.79	448.45	405.43	260.67	237.16	201.14
	घ.	अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	24.50	26.80	19.93	10.93	4.37	5.74	2.16	3.59	5.25
	ङ.	**वित्तीय परिसंपत्तियां**									
		i. निवेश	345.53	345.53	345.63	64.63	32.00	32.00	32.00	32.00	-
		ii. ऋण	8.69	5.10	2.06	0.49	0.55	0.66	0.47	0.59	0.92
		iii. अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1838.79	1,642.99	1,371.51	1,250.53	1,787.15	1,467.73	1,534.00	723.05	1,533.01
	च.	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	235.72	289.16	679.47	674.14	843.44	1,039.09	1047.58	771.88	725.03
	छ.	अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	4719.23	3,056.25	2,287.17	1,436.20	620.07	1,123.94	1,679.39	1,269.85	119.38
		कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)	**16,703.70**	**13,783.16**	**12,046.31**	**10,375.97**	**9,142.89**	**8,925.86**	**8,617.98**	**6,605.75**	**5,430.11**
ब.		**चालू परिसंपत्तियां**									
	क.	भंडारसूची	1316.97	1,144.30	1,031.34	1,288.67	1,233.36	1,353.66	1,349.23	2,096.26	1,491.26
	ख.	वित्तीय परिसंपत्ति									
		i. निवेश	308.72	718.59	64.72	—	0.48	52.56	-	-	-
		ii. व्यापार प्राप्य	1716.73	3,001.17	2,149.65	3,402.53	2,492.11	1,095.13	1,121.00	1,673.79	1,359.93
		iii. नकद एवं नकद समतुल्य	405.15	850.64	664.91	226.69	117.94	244.55	161.98	325.07	1,968.58
		iv. अन्य बैंक शेष	2038.48	2,533.87	1,413.04	986.69	490.85	841.51	1,194.23	1,349.08	2090.19
		v. ऋण	1.01	0.71	—	—	—	—	—	—	—
		vi. अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	126.92	158.87	97.84	256.70	591.44	628.38	537.60	367.89	383.26
	ग.	चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	526.87	67.41	154.36	151.68	62.42	—			
	घ.	अन्य चालू परिसंपत्ति	2951.73	3,408.40	3,217.69	2,711.04	2,399.05	2,575.01	2,093.56	1,525.93	1,258.73
		कुल चालू परिसंपत्ति (बी)	**9,392.58**	**11,883.96**	**8,793.55**	**9,024.00**	**7,387.65**	**6,790.80**	**6,457.60**	**7,338.02**	**8,551.95**
		कुल परिसंपत्ति (ए + बी)	**26,096.28**	**25,667.12**	**20,839.86**	**19,399.97**	**16,530.54**	**15,716.66**	**15,075.58**	**13,943.77**	**13,982.06**
		इक्विटी और देयता									
अ.		इक्विटी									
	1.	निर्गत, अभिदत्त एवं पेड-अप इक्विटी शेयर पूजी	1880	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	2.	पूंजी प्रतिदान शेष	-	—	—	—	—	—	—	—	—
		प्रारंभिक शेष									
		इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	-	—	—	—	—	—	—	—	—
		जारी बोनस शेयर	-	—	—	—	—	—	—	—	—
		अंतिम शेष	-	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.	पूंजीगत संचय	-	—	—	—	—	—	—	—	—
	4.	सामान्य संचय									
		प्रारंभिक शेष	2529.58	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2,068.48	2,029.00	1,958.94	1,863.20
		सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	-	137.58	84.85	61.06	92.39	85.22	39.48	70.06	95.74
		इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	-	—	—	—	—	—	—	—	—
		जारी बोनस शेयर	(940.00)	—	—	—	—	—	—	—	—
		अंतिम शेष	1589.58	2,529.58	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2,068.48	2,029.00	1,958.94

कंपनी सिंहावलोकन

वित्तीय स्थिति (एकल)
भारतीय लेखा मानक के बाद (जारी...)

(रु करोड़ में)

क्र.			विवरण	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18	2016-17	2015-16
	5.		**प्रतिधारित उपार्जन**									
			प्रारंभिक शेष	7537.43	5,305.45	4,475.46	3,315.24	1,914.58	653.43	215.71	3,272.50	3,505.07
			समायोजन	-	(0.08)	—	—	—	—	308.64	—	—
			वर्ष के लिए लाभ	3658.53	3393.30	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
			विनियोजन									
			सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	-	(137.58)	(84.85)	(61.06)	(92.39)	(85.22)	(39.48)	(70.06)	(95.74)
			अन्य संचयों में स्थानान्तरण	-	—	—	—	—	—	—	—	—
			अंतरिम लाभांश	(600.66)	(600.66)	(404.20)	—	(294.22)	(297.04)	(531.10)	(3,634.04)	(1,711.74)
			अंतिम लाभांश	(423.00)	(423.00)	(377.88)	—	—	—	—	—	—
			निगमित लाभांश कर	-	—	—	—	(60.48)	(61.06)	(108.12)	(739.80)	(348.47)
			वापसी खरीद पर कर	-	—	—	—	—	—	—	—	—
			जारी बोनस शेयर	-	—	—	—	—	—	—	—	—
			अंतिम शेष	**10,172.30**	**7537.43**	**5,305.45**	**4,475.46**	**3,315.24**	**1,914.58**	**653.43**	**215.71**	**3,272.50**
	6.		**अन्य विस्तृत आय**									
			पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	(47.88)	(225.47)	(174.08)	(109.80)	134.44	154.13	52.39	40.66	—
			परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निबल कर)	(8.85)	177.59	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
			अंतिम शेष	**(56.73)**	**(47.88)**	**(225.47)**	**(174.08)**	**(109.80)**	**134.44**	**154.13**	**52.39**	**40.66**
	7.		**अन्य इक्विटी**	**11,705.15**	**10019.13**	**7,471.98**	**6,608.53**	**5,451.53**	**4,202.72**	**2,876.04**	**2,297.10**	**5,272.10**
	8.		**कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी**	**13,585.15**	**10,959.13**	**8,411.98**	**7,548.53**	**6,391.53**	**5,142.72**	**3,816.04**	**3,237.10**	**6,212.10**
	9.		**गैर-नियंत्रित ब्याज**	-	—	—	—	—	—	—	—	—
	10.		**कुल इक्विटी (ए)**	**13,585.15**	**10,959.13**	**8,411.98**	**7,548.53**	**6,391.53**	**5,142.72**	**3,816.04**	**3,237.10**	**6,212.10**
ब.	**देयता**											
			गैर-चालू देयताएं									
	क.		वित्तीय देयताएं									
		i.	उधारी	-	—	—	—	—	—	—	1200.00	—
		ii.	व्यापार देयताएं	-	—	—	—	—	—	—	—	—
		iii.	अन्य वित्तीय देयताएं	148.02	232.21	124.13	84.40	81.21	70.61	60.09	60.20	49.05
	ख.		प्रावधान	5335.39	4851.61	5,247.16	4,876.36	4,116.22	3,411.37	3,324.05	2,305.81	2334.82
	ग.		आस्थगित कर देयताएं (निबल)	-	—	—	—	—	—			
	घ.		अन्य गैर-चालू देयताएं	372.82	412.85	497.13	537.33	578.07	540.84	438.46	183.83	165.43
			कुल गैर-चालू देयताएं (बी)	**5,856.23**	**5496.67**	**5,868.42**	**5,498.09**	**4,775.50**	**4,022.82**	**3,822.60**	**3,749.84**	**2,559.30**
स.			**चालू देयताएं**									
	क.		वित्तीय देयताएं									
		i.	उधारी	—	—	—	—	—	—	150.00	1,103.78	929.00
		ii.	व्यापार देयताएं	1035.41	1,315.11	1,555.34	1,561.25	1,404.78	484.15	487.01	416.34	507.68
		iii.	अन्य वित्तीय देयताएं	1862.76	1,656.08	1,048.38	1,268.08	439.21	502.75	367.64	834.99	173.50
	ख.		अन्य चालू देयताएं	2965.78	4,065.67	3,116.14	2,889.75	2,577.22	4,556.45	4,903.02	2,722.84	2,132.51
	ग.		प्रावधान	790.95	2,174.46	833.75	834.70	942.30	1,007.77	1,529.27	1,878.88	1467.97
			कुल चालू देयताएं (सी)	**6,654.90**	**9,211.32**	**6,559.46**	**6,353.35**	**5,363.51**	**6,551.12**	**7,436.94**	**6,956.83**	**5,210.66**
			कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए+बी+सी)	**26,096.28**	**25,667.12**	**20,839.86**	**19,399.97**	**16,530.54**	**15,716.66**	**15,075.58**	**13,943.77**	**13,982.06**

आय एवं व्यय का विवरण (एकल)
भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.			विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए								
				2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17	2015-16
अ.			से आय									
	1.		सकल विषय (कोयला)	23341.82	22,720.19	18,585.25	15,900.51	16,768.33	16343.92	15,728.80	14,899.71	13,658.81
			घटाव: उत्पाद शुल्क एवं अन्य लेवी	8050.30	7,493.98	6,233.12	5,126.19	5,125.69	5069.93	4,910.91	4,470.83	3,106.59
	2.		निबल विक्रय	15291.52	15,226.21	12,352.13	10,774.32	11,642.64	11,273.99	10,817.89	10,428.88	10,552.22
	3.	i.	कोयला आयात हेतु सुकरीकरण चार्ज		—	—	—	—	—	—	—	—
		ii.	बालू भराई एवं सख्ती कार्य हेतु सब्सिडी		—	—	—	—	—	1.05	1.42	0.49
		iii.	परिवहन ओर लदाई लागत की वसूली (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	773.15	700.04	725.62	664.23	597.39	562.51	428.62	344.52	280.65
		iv.	निकासी सुकरीकरण चार्ज (लेवियों का निबल)	501.05	452.95	408.67	326.34	340.69	343.40	102.55		
		v.	सेवाओं से आमदनी (लेवियों का निबल)		—	—	—	—	—	—	—	—
	3.		अन्य संचालन आय (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	1274.20	1,152.99	1,134.29	990.57	938.08	905.91	532.22	345.94	281.14
	4.	i.	निवेश एवं जमा का ब्याज	314.41	226.59	93.99	78.65	143.44	115.29	264.81	258.78	332.00
		ii.	म्युचुअल फंडों से लाभांश		—	—	0.01	3.15	4.92	10.59	23.25	31.38
		iii.	अन्य गैर-संचालन आय	777.62	691.64	239.70	229.24	458.86	192.82	233.56	279.44	101.71
	4.		अन्य आय	1092.03	918.23	333.69	307.90	605.45	313.03	508.96	561.47	465.09
			कुल (अ)	**17657.75**	**17,297.43**	**13,820.11**	**12,072.79**	**13,186.17**	**12,492.93**	**11,859.07**	**11,336.29**	**11,298.45**
ब.			**के लिए प्रदत्त/प्रावधानित**									
	1.	i.	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	5240.02	5,557.91	4,247.07	3,863.35	3,866.92	3,755.20	3,754.14	3,442.45	3,133.76
		ii.	पीएफ तथा अन्य फंड में योगदान.	746.85	686.23	681.91	666.24	673.03	699.23	448.80	383.91	376.39
		iii.	ग्रेच्युटी	141.51	181.81	100.75	216.68	144.50	246.45	1,014.03	161.84	158.84
		iv.	अवकाश नकदीकरण	308.82	359.50	78.79	227.63	201.70	193.60	66.38	202.39	106.23
		v.	अन्य	425.6	437.25	367.10	298.23	374.15	234.38	195.20	211.14	234.70
	1.		कर्मचारी लाभ व्यय	6862.80	7,222.70	5,475.62	5,272.13	5,260.30	5,128.86	5,478.55	4,401.73	4,009.92
	2.		उपभुक्त सामान की लागत	971.85	1,170.83	855.15	730.39	762.94	796.28	715.02	799.50	807.63
	3.		तैयार माल भंडार में बदलाव/प्रगतिशील कार्य और व्यापारगत भंडार	(181.50)	(81.81)	278.86	(57.43)	126.37	(23.44)	512.66	(612.61)	(135.99)
	4.		बिजली एवं ईंधन	277.07	265.88	261.55	236.64	226.86	231.02	277.35	290.92	294.40
	5.		सामाजिक निगमित उत्तरादायित्व में व्यय	52.03	43.39	53.14	46.46	52.89	41.14	37.90	30.29	212.90
	6.		मरम्मति	284.00	243.10	273.20	287.91	347.09	374.57	326.69	205.39	233.38
	7.		संविदात्मक व्यय	2159.50	1,944.87	1,867.10	1,638.11	1,604.04	1,322.13	1,294.38	1,320.99	1,158.07
			वित्त लागत									
	8.		छूट का अनवाईनडिंग	76.33	75.44	81.77	78.91	75.09	69.53	67.21	68.11	64.88
			अन्य वित्तीय लागत		—	—	5.33	0.53	5.72	103.60	3.77	12.38
	9.		मूल्यह्रास/अमूर्तिकरण/क्षति	763.42	705.65	647.55	553.59	490.39	344.28	351.52	372.63	400.58
	10.		स्ट्रिपिंग कार्य समायोजन	87.93	(227.94)	725.21	365.87	180.41	347.60	284.51	91.03	(225.83)

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए								
		2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17	2015-16
11.	प्रावधान एवं राइट ऑफ	133.99	284.03	3.44	13.60	35.52	93.95	1.73	471.50	280.72
12.	अन्य व्यय	1443.91	1,050.25	1,202.79	988.10	1,091.02	1,069.09	1,020.46	1,521.74	1,082.82
	कुल (ब)	**12931.33**	**12,696.39**	**11,725.38**	**10,159.61**	**10,253.45**	**9,800.73**	**10,471.58**	**8,964.99**	**8,195.86**
13.	कर एवं अपवादात्मक वस्तु के पूर्व लाभ (ए-बी)	4726.42	4601.04	2,094.73	1,913.18	2,932.72	2,692.20	1,387.49	2,371.30	3,102.59
14.	अपवादात्मक वस्तु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	कर पूर्व लाभ	4726.42	4601.04	2,094.73	1,913.18	2,932.72	2,692.20	1,387.49	2,371.30	3,102.59
16.	घटाव: कर व्यय	1067.89	1207.74	397.81	691.90	1,084.97	987.73	579.71	984.19	1,179.21
17.	वर्ष के लिए चालू ऑपरेशनों से लाभ	3658.53	3393.30	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
18.	समाप्त संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के लाभ/(हानि) में अंश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	वर्ष के लिए लाभ	3658.53	3393.30	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
21.	अन्य विस्तृत आय									
	क. i. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	(11.82)	237.32	(68.68)	(85.90)	(326.38)	(30.27)	155.59	20.05	65.49
	ii. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	(2.97)	59.73	(17.29)	(21.62)	(82.14)	(10.58)	53.85	8.32	24.83
	ख. i. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ii. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	अन्य कुल विस्तृत आय	(8.85)	177.59	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय (लाभ/(हानि) एवं वर्ष के अन्य विस्तृत आय सहित)	3649.68	3570.89	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04
23.	आरोप्य लाभ:									
	कंपनी के स्वामी	3658.53	3393.30	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3658.53	3393.30	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1,387.11	1,923.38
24.	अन्य आरोप्य विस्तृत आय:									
	कंपनी के स्वामी	(8.85)	177.59	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(8.85)	177.59	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74	11.73	40.66
25.	कुल आरोप्य विस्तृत आय:									
	कंपनी के स्वामी	3649.68	3570.89	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3649.68	3570.89	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1,684.78	909.52	1,398.84	1,964.04

महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचना (एकल)
भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए								
		2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17	2015-16
अ.	**परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित**									
1.	i. रू. 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या.	18800000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000
	ii. शेयरधारकों की निधि									
	ए. इक्विटी शेयर पूंजी	1880.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	बी. आरक्षित (सामान्य एवं सांविधिक)	1,589.58	2,529.58	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2068.48	2029.00	1958.94
	सी. संचित लाभ/हानि	10,115.57	7,489.55	5,079.98	4,301.38	3,205.44	2,049.02	807.56	268.10	3313.16
	निबल संपत्ति	13585.15	10,959.13	8,411.98	7548.53	6391.53	5,142.72	3816.04	3237.10	6212.10
	डी. पूंजीगत शेष	—	—	—	—	—	—	—		
	शेयरधारकों की निधि	13585.15	10,959.13	8,411.98	7548.53	6391.53	5,142.72	3816.04	3237.10	6212.10
2.	i. चालू परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधारी	—	—	—	—	—	—	—	1500.00	
	ii. चालू परिपक्वता दीर्घकालिक उधारी छोड़ण	—	—	—	—	—	—	—	1200.00	
3.	i. सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	11,083.20	9854.12	8,731.31	7,838.14	6,568.64	3,960.35	3531.70	3190.10	2940.32
	ii. संचित मूल्यह्रास/क्षति	4,026.34	3,434.25	2,865.19	2,306.14	1,898.53	1,464.26	1110.61	763.70	398.34
	iii. निबल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7,056.86	6,419.87	5866.12	5,532.00	4,670.11	2,496.09	2421.09	2426.40	2541.98
4.	i. चालू परिसंपत्ति	9,392.58	11,883.96	8,793.55	9,024.00	7,387.65	6,790.80	6457.60	7338.02	8551.95
	ii. चालू देयताएं	6,654.90	9,211.32	6,559.46	6,488.21	5,363.51	6,551.12	7436.94	6956.83	5210.66
	iii. निबल चालू परिसंपत्तिया/कार्यशील पूंजी	2737.68	2672.64	2,234.09	2535.79	2,024.14	239.68	(979.34)	381.19	3341.29
5.	i. नियोजित पूंजी [3 (iii) + 4 (iii)]	9794.54	9092.51	8100.21	8067.79	6,694.25	2,735.77	1441.75	2807.59	5883.27
	ii. निबल पूंजीगत डब्ल्यूआईपी एवं विकास अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	2,499.28	2,024.26	1,494.45	1,417.98	1,189.57	2,766.35	1903.45	1381.98	509.79
	iii. सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूंजी [5 (i) + 5 (ii)]	12293.82	11116.77	9594.66	9485.77	7,883.82	5,502.12	3345.20	4189.57	6393.06
6.	i. व्यापार प्राप्य	1,716.73	3,001.17	2,149.65	3,402.53	2,492.11	1,095.13	1121.00	1673.79	1359.93
	ii. नकद एवं नकद समतुल्य	405.15	850.64	664.91	226.69	117.94	244.55	161.98	325.07	1968.58
	iii. अन्य बैंक शेष	2,038.48	2,533.87	1,413.04	986.69	490.85	841.51	1194.23	1349.08	2090.19
7.	i. कोयले का अंत स्टॉक (निबल)	1147.85	965.24	881.21	1163.03	1,103.27	1,229.85	1206.37	1925.17	1313.62
	ii. भंडार एवं कलपुर्जों का अंत स्टॉक (निबल)	170.22	179.06	150.13	125.64	130.09	123.81	142.86	171.09	177.64
ब.	**लाभ/हानि संबंद्ध**									
1.	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	5,566.17	5,382.13	2,824.05	2,551.33	3,498.73	3,111.73	1909.82	2815.81	3580.43
	ii. सकल लाभ (पीबीडीआईटी)	4,802.75	4,676.48	2,176.50	1,997.07	3,008.34	2,767.45	1558.30	2443.18	3179.85
	iii. कर पूर्व लाभ	4,726.42	4,601.04	2,094.73	1,913.18	2,932.72	2,692.20	1387.49	2371.30	3102.59
	iv. वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ	3,658.53	3,393.30	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78	1387.11	1923.38
	v. निबल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	2,634.87	2,369.64	914.84	1,221.28	1,553.53	1,407.43	276.68	(2246.93)	211.64
	vi. कुल विस्तृत आय	3,649.68	3,570.89	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1,684.78	909.52	1398.84	1964.04
2.	i. कोयले का सकल विक्रय	23,341.82	22,720.19	18,585.25	15,900.51	16,768.33	16,343.92	15728.80	14899.71	13658.81
	ii. निबल विक्रय	15,291.52	15,226.21	12,352.13	10,774.32	11,642.64	11,273.99	10817.89	10428.88	10552.22

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए								
		2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17	2015-16
	iii. उत्पादन का विक्रय मूल्य	15,473.02	15,308.02	12,073.27	10,831.75	11,516.27	11,297.43	10305.23	11041.49	10688.21
3.	बेचे गए सामान का विक्रय मूल्य (निबल विक्रय-पीबीटी)	10565.10	10625.17	10,257.40	8861.14	8,709.92	8,581.79	9430.40	8057.58	7449.63
4.	कुल व्यय	12,931.33	12,696.39	11,725.38	10159.61	10,253.45	9,800.73	10471.58	8964.99	8195.86
	i. कर्मचारी लाभ व्यय	6,862.80	7,222.70	5,475.62	5,272.13	5,260.30	5,128.86	5478.55	4401.73	4009.92
	ii. उपयुक्त सामग्री की लागत	971.85	1,170.83	855.15	730.39	762.94	796.28	715.02	799.50	807.63
	iii. बिजली एवं ईंधन	277.07	265.88	261.55	236.64	226.86	231.02	277.35	290.92	294.40
	iv. वित्तीय व्यय एवं मूल्य ह्रास	839.75	781.09	729.32	637.83	566.01	419.53	522.33	444.51	477.84
5.	प्रतिमाह भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत	80.99	97.57	71.26	60.87	63.58	66.36	59.59	66.63	67.30
6.	i. वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	34483	35,418	36,313.5	37444	38,989.5	40000	41467	42919	44346.00
	ii. सीएसआर व्यय	52.03	43.39	53.14	46.46	52.89	41.14	37.90	30.29	212.90
	iii. प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय (रु'0000)	15.09	12.25	14.63	12.41	13.57	10.29	9.14	7.06	48.01
7.	अभिवृद्धित मूल्य	14224.10	13,871.31	10,956.57	9,864.72	10,526.47	10270.13	9312.86	9951.07	9586.18
	i. प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (रु'0000)	4125.02	3,916.46	3,017.22	2,634.53	2,699.82	2567.56	2245.88	2318.60	2161.68

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्षिक अनुपात (एकल)
भारतीय लेखा मानक के बाद

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17	2015-16
क.										
1.	**प्रतिशत के रूप मे निबल विक्रय**									
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	36.40	35.35	22.86	23.68	30.05	27.60	17.65	27.00	33.93
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	31.41	30.71	17.62	18.54	25.84	24.55	14.40	23.43	30.13
	iii. कर पूर्व लाभ	30.91	30.22	16.96	17.76	25.19	23.88	12.83	22.74	29.40
2.	**प्रतिशत के रूप में कुल व्यय**									
	i. कर्मचारी लाभ व्यय	53.07	56.89	46.70	51.89	51.30	52.33	52.32	49.10	48.93
	ii. उपभुक्त सामान की लागत	7.52	9.22	7.29	7.19	7.44	8.12	6.83	8.92	9.85
	iii. बिजली एवं ईंधन	2.14	2.09	2.23	2.23	2.21	2.36	2.65	3.25	3.59
3.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी छोड़)**									
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	56.83	59.19	34.86	31.62	52.26	113.74	132.47	100.29	60.86
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	49.03	51.43	26.87	24.35	44.94	101.16	108.08	87.02	54.05
	iii. कर पूर्व लाभ	48.26	50.60	25.86	23.32	43.81	98.41	96.24	84.46	52.74
4.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी सहित)**									
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	45.28	48.41	29.43	26.89	44.38	56.56	57.09	67.21	56.00
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	39.07	42.07	22.68	20.76	38.16	50.30	46.58	58.32	49.74
	iii. कर पूर्व लाभ	38.45	41.39	21.83	20.17	37.20	48.93	41.48	56.60	48.53

क्र.	विवरण	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)	2016-17	2015-16
5.	**कार्य संचालन अनुपात (निबल विक्रय - पीबीटी/निबल विक्रय)**	**0.69**	**0.70**	**0.83**	**0.82**	**0.75**	**0.76**	**0.87**	**0.77**	**0.71**
ख.	**तरलता अनुपात**									
	1. चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं)	1.41	1.29	1.35	1.42	1.38	1.04	0.87	1.05	1.64
	2. त्वरित अनुपात (त्वरित परिसंपत्तियां /चालू देयताएं)	1.21	1.17	1.18	1.19	1.15	0.83	0.69	0.75	1.36
ग.	**टर्नओवर अनुपात**									
	1. पूँजीगत टर्नओवर अनुपात									
	i. निबल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी छोड़ निवेशित पूंजी)	1.56	1.67	1.52	1.34	1.74	4.12	7.50	3.71	1.79
	ii. निबल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी सहित निवेशित पूंजी)	1.24	1.37	1.29	1.14	1.48	2.05	3.23	2.49	1.65
	2. महीनों की संख्या में व्यवसाय प्राप्य (निबल)									
	i. सकल विक्रय	0.88	1.59	1.39	2.57	1.78	0.80	0.86	1.35	1.19
	ii. निबल विक्रय	1.35	2.37	2.09	3.79	2.57	1.17	1.24	1.93	1.55
	3. निबल विक्रय के अनुपात के रूप में									
	i. व्यापार प्राप्य	0.11	0.20	0.17	0.32	0.21	0.10	0.10	0.16	0.13
	ii. कोयले का भंडार	0.08	0.06	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.18	0.12
	4. कोयले का भंडार									
	i. माह की संख्या अनुसार उत्पादन मूल्य	0.89	0.76	0.08	1.29	1.15	1.31	1.40	2.09	1.47
	ii. माह की संख्या अनुसार बेचे गए सामान का मूल्य	1.30	1.09	1.03	1.58	1.52	1.72	1.54	2.87	2.12
	iii. माह की संख्या अनुसार निबल विक्रय	0.90	0.76	0.86	1.30	1.14	1.31	1.34	2.22	1.49
घ.	**संरचनात्मक अनुपात**									
	1. दीर्घकालिक ऋण: इक्विटीगत शेयर पूंजी	-	—	—	—	—	—	—	1.28	
	2. दीर्घकालिक ऋण: निबल संपत्ति	-	—	—	—	—	—	—	0.37	
	3. निबल संपत्ति: इक्विटी	7.23	11.66	8.95	8.03	6.80	5.47	4.06	3.44	6.61
	4. निबल अचल संपत्ति : निबल संपत्ति	0.52	0.59	0.70	0.73	0.73	0.49	0.63	0.75	0.41
ङ.	**शेयरधारकों का ब्याज**									
	1. शेयर का अंकित मूल्य (रु.) (निबल संपत्ति/इक्विटी की संख्या)	7226.14	11658.65	8,948.91	8,030.35	6,799.49	5470.98	4059.62	3443.72	6608.62
	2. प्रति शेयर लाभांश (रु.)	584.50*	1,089.00	880.00	402.00	313.00	316.00	565.00	3866.00	1821.00

*1.88 करोड़ (पिछले वर्ष 0.94 करोड़) इक्विटी शेयरों के आधार पर जिनका मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति,
शेयरधारकगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों सहित कंपनी के 68वें वार्षिक प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उक्त के सापेक्ष प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ तथा लेखा-परीक्षित लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

कंपनी का प्रदर्शन

i. वित्त वर्ष 2023-24 में सीसीएल ने सर्वकालिक उच्चतम कोयला उत्पादन 86.054 मिलियन टन का कीर्तिमान स्थापित किया जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 13.099% अधिक है। इसी प्रकार मलबा (ओवरबर्डन) हटाने में गत वर्ष की अपेक्षा 13.84% की वृद्धि प्राप्त करते हुए कंपनी द्वारा 121.334 मिलियन घन. मी. मलबा निकाला है।

ii. कच्चे कोयले के उठाव के संबंध में, सीसीएल ने, सर्वकालिक उच्चतम 82.91 मिलियन टन कोयले के उठाव के आंकड़े को प्राप्त किया है जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 10.50% अधिक है। साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 में ऊर्जा प्रक्षेत्र को आवश्यकतानुरूप 83.51 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया गया था।

iii. सीसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वकालिक उच्चतम सकल बिक्री, शुद्ध बिक्री, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) प्राप्त किया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सकल बिक्री ₹23,341.82 करोड़, शुद्ध बिक्री ₹15,291.52 करोड़ रही, जिसमें क्रमशः 2.74% और 0.43% की वृद्धि दृष्टिगत होती हुई। गत वर्ष कर पूर्व लाभ (पीबीटी पुनर्लिखित) ₹4601.04 करोड़ तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी पुनर्लिखित) ₹3393.30 करोड़ थी जो इस वर्ष क्रमशः 2.73% और 7.82% की वृद्धि के साथ कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹4,726.42 करोड़ तथा कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹3,658.53 करोड़ रही।

iv. कंपनी की कुल संपत्ति 31 मार्च 2024 को ₹13,585.15 करोड़ थी, जो गत वर्ष के ₹10,959.13 करोड़ (पुनर्लिखित) की तुलना में 23.96% की उल्लेखनीय वृद्धि थी।

v. कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को ₹1100 करोड़ से बढ़ाकर ₹4000 करोड़ करते हुए मौजूदा शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी की एकल वित्तीय परिणाम निम्नांकित है :

(₹करोड़ में)

क्रम.	विवरण	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)
i.	संचालन से राजस्व	16565.72	16379.20
ii.	अन्य आय	1092.03	918.23
iii.	सकल राजस्व	17657.75	17297.43
iv.	मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर को छोड़कर व्यय	12091.58	11915.30
v.	मूल्यह्रास, ब्याज पूर्व लाभ	5566.17	5382.13
vi.	मूल्यह्रास/ परिशोधन/ हानि	763.42	705.65
vii.	ब्याज	76.33	75.44
viii.	कर पूर्व लाभ	4726.42	4601.04
ix.	कर व्यय	1067.89	1207.74

x.	कर पश्चात निबल लाभ	3658.53	3393.30
xi.	अन्य व्यापक आय	(11.82)	237.32
xii.	अन्य व्यापक आय पर कर	(2.97)	59.73
xiii.	कंपनी के मालिकों के लिए लाभ	3658.53	3393.30

- परिचालन से राजस्व में 1.14% की वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 हेतु कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 2.73% की वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 हेतु कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 7.82% की वृद्धि हुई है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष तथा 1 अप्रैल 2022 तक पुनर्लेखन:

वर्ष के दौरान, कंपनी की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) की सुझाव के आधार पर, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के परिशिष्ट ब "सतही खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत" के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति लागू की गई है। 31 मार्च 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के नोट 3.1 के तहत 01.04.2022 तक स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के रूप में माना गया है।

1.2 लाभांश

- भारत सरकार का लोक उद्यम नाते, आपकी कंपनी निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लाभांश का भुगतान करती है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने अंतरिम लाभांश के रूप में ₹600.66 करोड़ का भुगतान किया है (गत वर्ष ₹600.66) तथा कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन ₹498.20 करोड़ (गत वर्ष ₹423.00 करोड़) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल लाभांश ₹1098.86 करोड़ अर्थात ₹1,000.00 प्रति शेयर के 1,88,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹584.50 प्रति शेयर (गत वर्ष ₹1023.66 करोड़ अर्थात ₹1,000.00 प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹1089.00 प्रति शेयर)।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹423 करोड़ का अंतिम लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया गया तथा इसे शेयरधारकों को भुगतान कर दिया गया था।

1.3 ऋण

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी सरकार या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है।

2. परिचालन प्रदर्शन

वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण	2023-24		2022-23	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (मि.टन)	83.250	85.273	75.225	13.358
भूमिगत खदान से (मि.टन)	0.750	0.781	0.863	-9.511
कुल (मि.टन)	**84,000**	**86.054**	**76.087**	**13.099**
ओबीआर (एमएम3)	**127.000**	**121.334**	**106.581**	**13.842**
धुला कोयला (कोकिंग)				
उत्पादन (मि.टन)	0.965	0.796	0.722	10.320
प्रेषण (मि.टन)	0.965	0.747	0.709	5.295
धुला कोयला (नॉन-कोकिंग)				
उत्पादन (मि.टन)	5.700	3.748	3.665	2.278
प्रेषण (मि.टन)	5.700	3.754	3.691	1.727
धुला कोयला से बिजली (कोकिंग)				

उत्पादन(मि.टन)	1.377	1.166	0.732	59.307
प्रेषण(मि.टन)	1.377	1.164	0.798	45.902
उत्पादकता (ओएमएस-टीई)				
खुली खदान	12.67	12.62	10.68	
भूमिगत खदान	1.74	2.03	2.13	
कुल	**8.83**	**8.98**	**10.22**	

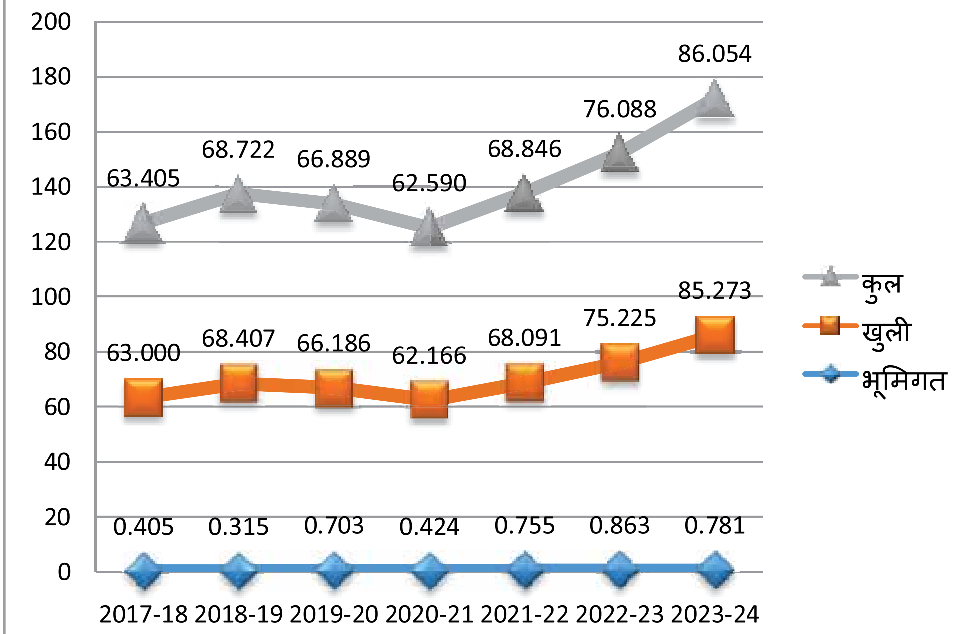

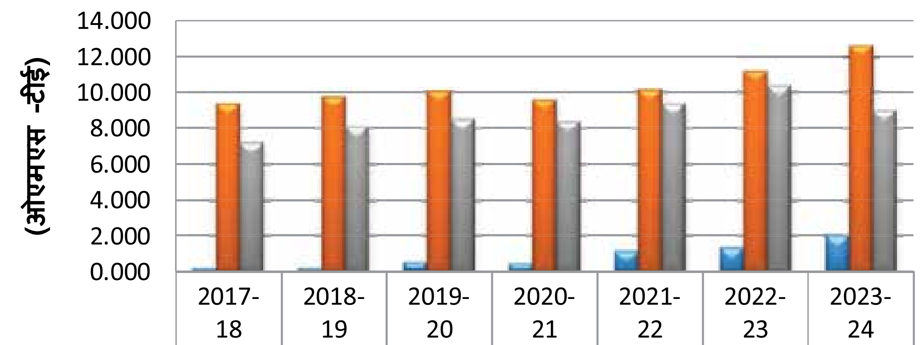

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
यूजी	0.194	0.214	0.540	0.440	1.170	1.340	2.030
ओसी	9.372	9.740	10.060	9.570	10.160	11.230	12.620
कुल	7.195	8.091	8.490	8.390	9.370	10.360	8.980

3. पूंजीगत व्यय

क. गत वर्ष में ₹2520.32 करोड़ (पुनर्लिखित) की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान एकल पूंजीगत व्यय ₹3400.77 करोड़ रहा। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय का शीर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹करोड़ में)

क्रम.	व्यय शीर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)
i.	भूमि	286.70	329.15
ii.	भवन	277.85	140.12
iii.	संयंत्र एवं मशीनरी	471.56	335.28
iv.	फर्नीचर एवं साज सज्जा	7.01	6.75
v.	कार्यालय उपकरण	18.15	17.92
vi.	रेल कॉरिडोर एवं रेलवे साइडिंग	657.30	565.67
vii.	वाहन	5.61	5.86
viii.	अन्य खनन अवसंरचना	373.27	579.98
ix.	सॉफ़्टवेयर	2.19	11.34
	कुल	**2099.64**	**1992.07**

नोट- उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा पूंजीगत व्यय के मद में ₹1301.13 करोड़ (निबल वृद्धि) का अग्रिम भुगतान किया गया है (गत वर्ष ₹528.25 करोड़)। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत अग्रिम सहित कुल पूंजीगत व्यय ₹3400.77 करोड़ है (गत वर्ष ₹2520.32 करोड़ पुनर्लिखित)।

ख. गत वर्ष में ₹2,711.44 करोड़ (पुनर्लिखित) के मुकाबले वर्ष 2023-24 के दौरान समेकित पूंजीगत व्यय ₹3,758.12 करोड़ रहा। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय का शीर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में)

क्रम.	व्यय शीर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्लिखित)
i.	भूमि	286.70	329.15
ii.	भवन	277.85	140.12
iii.	संयंत्र एवं मशीनरी	471.56	335.28
iv.	फर्नीचर एवं साज-सज्जा	7.01	6.80
v.	कार्यालय उपकरण	18.16	18.00
vi.	रेल कॉरिडोर एवं रेलवे साइडिंग	1015.08	734.30
vii.	वाहन	5.61	5.86
viii.	अन्य खनन अवसंरचना	373.27	579.98
ix.	सॉफ़्टवेयर	2.19	11.34
	कुल	**2457.43**	**2160.83**

नोट- उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने पूंजीगत व्यय (निबल वृद्धि) हेतु ₹1,300.69 करोड़ (गत वर्ष ₹550.61 करोड़) का अग्रिम भुगतान जमा किया है। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पूंजीगत अग्रिम सहित कुल पूंजीगत व्यय ₹3,758.12 करोड़ रहा (गत वर्ष ₹2,711.44 करोड़ पुनर्लिखित)।

4. राजकोष में अंशदान

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य/केन्द्रीय राजकोष में अंशदान का विवरण नीचे है:

क्रम.	मद	2023-24	2022-23
i.	कोयले पर रॉयल्टी	2,120.22	2,102.58
ii.	एनएमईटी (केन्द्रीय निधि)	45.24	45.31
iii.	डीएमएफ (राज्य निधि)	637.18	625.03
iv.	बिक्री कर/वैट	66.60	-
v.	आयकर	1,358.81	761.27
vi.	सेवा कर	0.02	0.14
vii.	माल और सेवा कर		
	आईजीएसटी	0.03	0.02
	सीजीएसटी	315.37	316.13
	एसजीएसटी	315.37	316.13
	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	3,319.02	3,011.06
Viii	ट्रांज़िट शुल्क	482.85	414.14
ix.	कोविड सेस	79.82	71.66
x.	अन्य	24.66	24.73
कुल		**8,765.19**	**7,688.20**

5. पूंजीगत संरचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अधिकृत शेयरपूंजी मौजूदा ₹1100,00,00,000 (एक हजार एक सौ करोड़ रुपये मात्र), जो ₹1000/-प्रत्येक के 1,10,000 (एक करोड़ दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है, से बढ़ाकर ₹4000,00,00,000 (चार हजार करोड़ रुपये) कर दी है, जो ₹1000/-प्रत्येक के 4,00,00,000 (चार करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने मार्च 2024 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं, अर्थात एक शेयर के साथ एक बोनस शेयर। परिणामस्वरूप, कंपनी की भुगतान शेयर पूंजी ₹940,00,00,000 (नौ सौ चालीस करोड़) से बढ़कर ₹1880,00,00,000 (एक हजार आठ सौ अस्सी करोड़) हो गई, जिसे 1,88,00,000 (एक करोड़ अठासी लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है जिसमें प्रत्येक शेयर का मूल्य ₹1000/-है। बोनस शेयर सिर्फ डीमैट रूप में जारी गए।

31 मार्च, 2024 को कंपनी की एकल निबल संपत्ति ₹13585.15 करोड़ है, जो कि 31 मार्च, 2023 को ₹10959.13 करोड़ (पुनर्लिखित) थी।

6. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

क. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कंपनी की क्रमशः एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर अनक्वालीफाइड रिपोर्ट (निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट) दिया है। "महत्वपूर्ण मामलों" के तहत मुद्दों को वित्तीय विवरणी के उनके संबंधित नोट्स/पाद-टिप्पणी में विस्तार रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा, पूरी कंपनी के आंतरिक व्यावसायिक लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए कोल नेट से सैप-ईआरपी में माइग्रेशन के संबंध में "अन्य मामलों" के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी माइग्रेशन लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

ख. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) [और धारा 129(4)] के तहत किए गए पूरक लेखापरीक्षा पर वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक (कैग) कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ प्रबंधन का स्पष्टीकरण के साथ संलग्न हैं।

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जाती है और कंपनी की गतिविधियाँ संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाती हैं, आंतरिक नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा कैग की लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा में डिज़ाइन या संचालन में सूचन योग्य किसी प्रकार की मेटेरियल कमज़ोरी नहीं दृष्टिगत हुई।

8. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण सहित संविदा अथवा व्यवस्थादि का विवरण

संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण बैलेंस शीट के नोट्स का अंग है।

9. लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार लागत लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक्सबीआरएल के तहत दाखिल करने की नियत तिथि के भीतर दाखिल की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्य या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दाखिल करने की निर्धारित तिथि के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण व मेटेरियल आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे कंपनी की वर्तमान गोइंग कन्सर्न प्रस्थिति तथा कंपनी के भावी परिचालन पर कोई प्रभाव पड़ता हो, तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया, न ही कोई कार्यवाही लंबित थी।

11. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा राशि:

कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 अथवा अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधान व उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

12. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले मेटेरियल परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो।

13. वाशरी का प्रदर्शन:

कच्चे कोयले के उत्पादन और विपणन के अलावा, सीसीएल कोकिंग कोयले और गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई/परिष्करण के व्यवसाय में भी है। कंपनी में चार कोकिंग कोल वाशरी तथा गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई/परिष्करण के लिए एक वाशरी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीसीएल वाशरियों का समग्र लाभ में योगदान ₹468.81 करोड़ (अनंतिम) का रहा।

वित्त वर्ष 2023-24 में कोकिंग कोल वाशरियों का परिचालन प्रदर्शन:

1. कोकिंग कोल वाशरियों में कच्चे कोयले की फीड 22.64 लाख टन है जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 36.5% अधिक है।
2. कोकिंग कोल वाशरियों से धुले कोयले का उत्पादन 7.96 लाख टन है जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 10% अधिक है।
3. कोकिंग कोल वाशरियों से धुले कोकिंग कोल का प्रेषण 7.47 लाख टन है जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 5% अधिक है।

नई कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना के संबंध में उपलब्धियां:

भारत सरकार के 'मिशन कोकिंग कोल' में योगदान करने हेतु, सीसीएल ने कुल 14.5 मिलियन टन क्षमता की पांच कोकिंग कोल वाशरियों के अधिष्ठापन के लिए निविदाएँ निकालीं हैं। इनमें न्यू रजरप्पा (3 मि.टन/वर्ष), ढोरी (3 मि.टन/वर्ष), न्यू स्वांग (1.5 मि.टन/वर्ष), बसंतपुर तापिन (4 मि.टन/वर्ष), और न्यू कथारा (3 मि.टन/वर्ष) शामिल है। उक्त में से न्यू कथारा और ढोरी वाशरी की निविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसके संदर्भ में लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) व सूचना-पत्र (एलओआई) दिया जा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 का दौरान बसंतपुर तापिन तथा न्यू स्वांग वाशरी नामक दो वाशरियों के लिए निविदाएं भी प्रकाशित की गई हैं। ढोरी वाशरी हेतु निविदा शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।

14. उठाव

वर्ष 2023-24 में कच्चे कोयले का सकल प्रेषण 82.910 मिलियन टन था। गत वर्ष की तुलना में साधनवार उठाव निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

साधन	2023-24	2022-23	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	48.382	43.920	10.16%
सड़क	28.480	25.750	10.60%
वाशरी फीड	6.048	5.360	12.84%
कुल प्रेषण	**82.910**	**75.030**	**10.50%**

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्रेषण 83.514 मिलियन टन रहा। वर्ष 2023-24 में कोयले एवं इसके विभिन्न उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	कच्चा कोयला	साफ कोयला	धुला कोयलाऊर्जा	गैर-कोकिंगधुला कोयला	स्लरी	रिजेक्ट्स	कुल
ऊर्जा	65.569	0.000	0.307	3.747	0.000	0.000	69.623
स्टील	0.065	0.747	0.000	0.000	0.000	0.000	0.812
स्टील (स्टीलसीपीपी सहित)	0.077	0.00	0.857	0.000	0.000	0.000	0.934
उर्वरक	0.123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.123
अन्य*	11.030	0.000	0.000	0.007	0.268	0.717	12.022
कुल	**76.864**	**0.747**	**1.164**	**3.754**	**0.268**	**0.717**	**83.514**

* अन्य के अंतर्गत स्पॉट ई-ऑक्शन, स्पंज लोहा, सी.पी.पी., एवं राज्य एजेंसियां तथा सीपीएसयू इत्यादि।

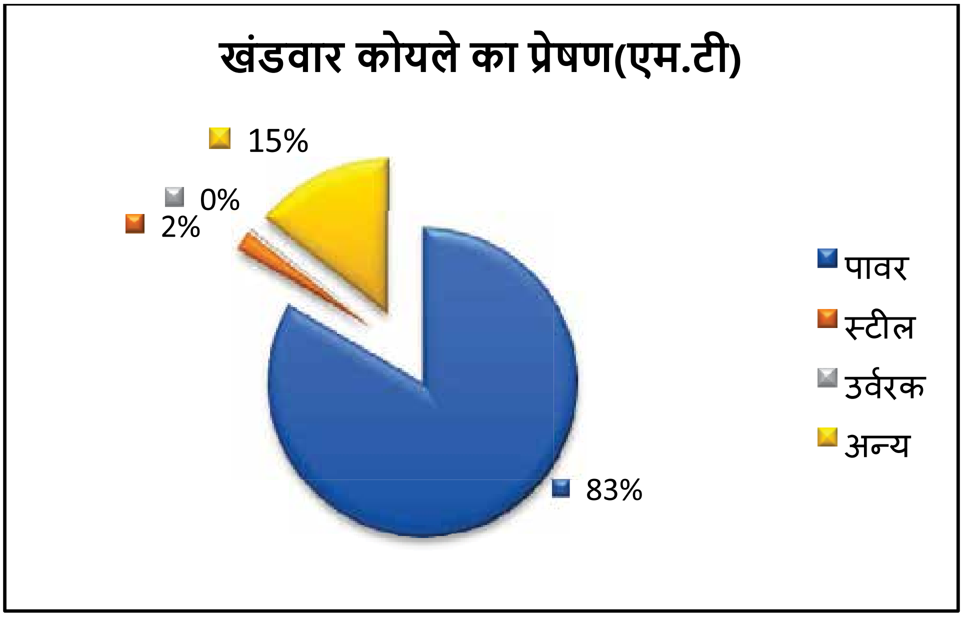

15. कोयला भंडार

दिनांक 31.03.2023 को 8.585 मिलियन टन कोयला* - भंडार की तुलना में 31 मार्च 2024 को अपरिष्कृत कोयले का भंडार 11.729 मिलियन टन था।

(* सभी उत्पादन इकाइयों, कोयला वाशरियों एवं कोक संयंत्रों में कच्चे कोयला-भंडार सहित)

16. टर्नओवर तथा विक्रय-प्राप्ति

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी का सकल विक्रय ₹24,679.73 करोड़ रहा तथा नकद विक्रय-प्राप्ति ₹23,375.80 करोड़ रही (सभी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि सहित) तथा भूमि मुआवजे के मद में देय ₹1,036.27 करोड़ का समायोजन किया गया, अतः कुल राशि ₹24,412.07 करोड़ रही। 31 मार्च 2024 तक क्षेत्रवार कर्जदारों (सकल) की सूची नीचे दी गई है:

(आंकड़े करोड़ ₹में)

क्षेत्र	31.03.2024 को	31.03.2023 को
ऊर्जा	1729.17	2,865.97
स्टील	598.47	652.78
अन्य	40.33	40.33
कुल	**2367.97**	**3559.08**

17. एचईएमएम की संख्या तथा उपलब्धियां :

सीसीएल की मशीनीकृत खुली खदानों में 31.03.2023 की तुलना में 31.03.2024 तक एचईएमएम की संख्या निम्नवत है:

ईएमएम	निम्न तिथि पर संख्या					
	31.03.2024			31.03.2023		
	जिनका सर्वे-ऑफ नहीं किया गया	अस्थायी रूप से सर्वे-ऑफ	कुल	जिनका सर्वे-ऑफ नहीं किया गया	अस्थायी रूप से सर्वे-ऑफ	कुल
शॉवेल	67	38	105	65	34	99
डम्पर	256	87	343	231	106	337
डॉज़र	171	3	174	176	02	178
ड्रिल	93	11	104	95	13	108
कुल	**587**	**139**	**726**	**567**	**155**	**722**

एचईएमएम	उपलब्धता %			उपयोग %		
	मानदंड	वास्तविक		मानदंड	वास्तविक	
		23-24	22-23		23-24	22-23
शॉवेल	80	82.3	83.3	58	48.8	50.2
डम्पर	67	81.5	80.6	50	44.3	41.1
डॉज़र	70	76.3	81.3	45	15.6	15.0
ड्रिल	78	89.4	90.1	40	21.4	21.2

18. प्रणाली क्षमता का उपयोग :

वर्ष 2023-24 के लिए 01.04.23 को परिकलित कुल प्रणाली क्षमता (एमएम 3)	खुली खदानों द्वारा उत्पादन (2023-24)			क्षमता उपयोग %	
	कोयला (मि.टन)	ओबी हटाना (एमएम 3)	सम्मिलित (एमएम 3)	2023-24	2022-23
190.68	85.273	121.334	175.648	92.1	81.4

निदेशकों की रिपोर्ट और अनुलग्नक

19. कोयला विपणन

19.1 वार्षिक कार्य योजना (एएपी) अनुसार मांग की आपूर्ति

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	मांग (एएपी)	प्रेषण	% संतुष्टि	मांग (एएपी)	प्रेषण	% संतुष्टि	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि %
	2023-24	2023-24	2023-24	2022-23	2022-23	2022-23	
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	1.50	1.75	116.67%	1.5	1.77	118.00%	-1.13%
ऊर्जा	83.36	69.62	83.52%	77.08	64.56	83.76%	7.84%
उर्वरक	0.21	0.12	58.57%	0.21	0.11	52.38%	11.82%
अन्य	15.93	12.02	75.44%	16.35	9.05	55.35%	32.80%
कुल	**101**	**83.52**	**82.69%**	**95.14**	**75.49**	**79.35%**	**10.63%**

19.2 वैगन लोडिंग

वर्ष 2023-24 और 2022-23 के लिए कोलफील्डवार वैगन लोडिंग की वस्तुस्थिति निम्न सारणी में दी गई है:

(रेक/दिन)

रेलवे क्षेत्र	2023-24	2022-23	गत वर्ष पर वृद्धि %
उत्तरी कर्णपुरा	29.51	25.99	13.54%
दक्षिणी कर्णपुरा	3.40	3.23	5.07%
पश्चिमी बोकारो	2.86	2.48	14.96%
पूर्वी बोकारो	6.22	6.68	-6.92%
रामगढ़	0.53	0.66	-19.50%
गिरिडीह	0.28	0.06	390.48%
सीसीएल कुल	42.80	39.11	9.43%

19.3 कोयले की ई-नीलामी

वि.व.2023-24 के दौरान स्पॉट ई-नीलामी का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

अवधि	स्पॉट ई-नीलामी योजना	पेश मात्रा (मिलियन टन)	दर्ज मात्रा (मिलियन टन)	अधिसूचित कीमत पर % लाभ
2023-24	रेल	0.69	0.47	93.11%
	सड़क	9.52	8.72	88.72%
	स्लरी	0.36	0.32	49.90%
	रिजेक्ट्स	1.15	1.15	107.80%
	कुल	**11.72**	**10.66**	**88.05%**

20. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

31.03.2024 तक, सीसीएल में 227.71 मिलियन टन की स्वीकृत क्षमता के साथ 24 ऑनगोइंग और 21 पूरी हो चुकी चालू खनन परियोजनाएँ हैं। सीसीएल की चालू ऑनगोइंग परियोजनाओं की स्वीकृत पूंजी और स्वीकृत क्षमता क्रमशः ₹28385.42 करोड़ और 199.27 मिलियन टन है। सीसीएल की पूरी हो चुकी परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वीकृत पूंजी और स्वीकृत क्षमता क्रमशः ₹1620.35 करोड़ और 28.44 मिलियन टन है।

सीसीएल की पूरी हो चुकी कुल 21 चालू खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)
₹150 करोड़ से ऊपर	4	954.66	11.75
₹150 करोड़ से ₹50 करोड़ के बीच	5	460.37	9.15
₹50 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच	2	56.52	1.45
₹20 करोड़ से ₹2 करोड़ के बीच	10	148.794	6.09
कुल	**21**	**1620.35**	**28.44**

सीसीएल की चल रही (ऑनगोइंग) 24 खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाएं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)
₹150 करोड़ ₹से ऊपर	20	28252.98	196.21
₹150 करोड़ से ₹50 करोड़ के बीच	शून्य	शून्य	शून्य
₹50 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच	2	95.31	1.8
₹20 करोड़ से ₹2 करोड़ के बीच	3	37.13	1.26
कुल	**24**	**28385.42**	**199.27**

चल रही (ऑनगोइंग) 24 परियोजनाओं में से, 18 परियोजनाएं अपने नियत समय पर चल रही हैं और अन्य 6 परियोजनाओं में उन समस्याओं के कारण विलंब हो रहा है जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. भूमि का प्रमाणीकरण
2. वानिकी स्वीकृति
3. पर्यावरणीय स्वीकृति
4. कोयला निकासी समस्या
5. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे
6. सुरक्षा कारण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ:

क्रम सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	अनुमोदन की तिथि
1	संघमित्रा खुली खदान परियोजना	20	2660.20 (सीसीएल) 2925.99 (एमडीओ)	532वीं सीसीएल बोर्ड तथा 26.03.2024 को आयोजित सीआईएल की 460वीं बोर्ड द्वारा अनुमोदित।
2	अरगड़ा खुली खदान परियोजना	4	970.81	22.01.2024 को आयोजित 536वीं सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित पश्चात सीआईएल बोर्ड के समक्ष अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
3	जीवनधारा खुली खदान परियोजना	2.5	774.33	दिनांक 04.12.2023 को आयोजित 534वीं सीसीएल बोर्ड पश्चात सीआईएल बोर्ड के समक्ष अंतिम अनुमोदन हेतु अनुशंसित।
4	गोविंदपुर फेज -II खुली खदान परियोजना	2.5	349.94	27.06.2023 को आयोजित सीसीएल की 529वीं बोर्ड द्वारा अनुमोदित
5	अंगवाली खुली खदान परियोजना	0.4	72.29	22.01.2024 को आयोजित सीसीएल बोर्ड की 536वीं बोर्ड द्वारा अनुमोदित

वित्त वर्ष 2023-24 में पूर्ण/प्रारम्भ परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (मि.ट/वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	पूरा होने की तिथि
शून्य				

वित्त वर्ष 2023-24 में हमारी कंपनी का उत्पादन स्तर निम्नानुसार है:

समूह	2023-24 मिलियन टन/वर्ष
मौजूदा खदानें और पूर्ण परियोजनाएं	15.17
चल रही (ऑनगोइंग) परियोजनाएं	70.88
कुल	**86.05**

21. कोयला प्रेषण की रणनीति (रेलवे अवसंरचना)

क. टोरी-शिवपुर रेल खंड का तिहरीकरण - ₹2692 करोड़ की लागत से दोहरी रेल लाइन चालू होने के बाद, ₹894 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर पू.म.रेलवे द्वारा तीसरी रेल लाइन का काम करवाया जा रहा है। शिवपुर से बिराटोली तक तीसरी रेल लाइन का कार्य 01.03.2024 को पूरा हो गया है। इसके अलावा, बिराटोली से चौथी लाइन-टोरी स्टेशन से जुड़ने वाली सीआईसी लाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा तथा सीसीएल की अधिसूचित साइडिंग अर्थात शिवपुर, फुलबसिया , बुकरू एवं बालूमाथ में यार्ड रीमॉडिफिकेशन का कार्य पूरा होने वाला है। इस रेल लाइन में सीसीएल द्वारा निवेशित पूंजीनिवेश की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे द्वारा वर्धित माइलेज @70% का अनुमोदन दिया गया है। सीसीएल को ₹114.95 करोड़ की दो किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं।

ख. शिवपुर – कठोटिया नई बीजी सिंगल रेल लाइन- (अनुमानित लागत-₹1799.64 करोड़)

शिवपुर -कठोटिया नई बीजी रेल लाइन का कार्य मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सीसीएल, इरकॉन तथा झारखंड सरकार की संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)" के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसका इक्विटी/ऋण अनुपात 30:70 है।

जेसीआरएल द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त किया जा चुका है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व में 4 बैंकों के कन्सोर्टियम द्वारा जेसीआरएल को बैंक ऋण दिया जा रहा

है। कार्य प्रगति पर है और पूरा होने की समय-सीमा जून 2025 है। भौतिक प्रगति लगभग 50% है।

ग. उत्तरी उरीमारी रेलवे साइडिंग का निर्माण- व्हार्फ वाल साइडिंग के निर्माण का कार्य 06.11.2023 को पूरा हो गया है। मई 2024 तक पूरी रेल लाइन चालू होने की संभावना है।

घ. मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण (प्रथम चरण)- मेसर्स राइट्स लिमिटेड को ₹391.01 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा रेलवे भूमि तथा अन्य सीसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। चूंकि, वन विभाग की मंजूरी का इंतजार है इसलिए वर्तमान स्थिति में निर्माण-कार्य रुका हुआ है।

ङ. आम्रपाली रेलवे साइडिंग का निर्माण (प्रथम चरण)-

मेसर्स राइट्स लिमिटेड को ₹413.48 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण की वन मंजूरी मिल गई है तथा अस्थायी कार्य की अनुमति का इंतजार है।

च. केडीएच रेलवे साइडिंग का निर्माण –

मेसर्स राइट्स लिमिटेड को ₹239.60 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। कार्य प्रगति पर है।

छ. कारो रेलवे साइडिंग का निर्माण -

मेसर्स आईपीआरसीएल को ₹160.97 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। कार्य प्रगति पर है।

ज. कोनार रेलवे साइडिंग का निर्माण –

मेसर्स आईपीआरसीएल को ₹72.37 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। कार्य प्रगति पर है।

झ. निम्नलिखित रेल लाइनों के निर्माण के लिए पीएमसी कार्य दिया गया –

1. अशोक रेलवे साइडिंग
2. संघमित्रा रेलवे साइडिंग
3. मगध रेलवे साइडिंग (द्वितीय चरण)
4. आम्रपाली रेलवे साइडिंग (द्वितीय चरण)
5. दानिया-केदला रेलवे साइडिंग

ञ. पू.म.रेलवे से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन -

1. सीसीएल के रोहिणी-करकट्टा रेलवे साइडिंग का निर्माण।
2. आगामी नए रजरप्पा वाशरी के मद्देनजर रजरप्पा वाशरी साइडिंग पर नई लाइनों का निर्माण/ मौजूदा रेल लाइनों में बदलाव।

22. कोयले का चूर्णण

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, ग्राहकों को सिर्फ -100 मि.मी.चूर्ण कोयला प्रेषित किया जाना चाहिए। खनित कोयले को वांछित आकार में चूर्ण करने के लिए सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 24 क्रशर स्थापित किए गए हैं तथा वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 51.199 लाख टन कोयले की क्रशिंग की गई है। इसके अतिरिक्त, कोयले के आकार को -100 मि.मी.में चूर्ण करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार मोबाइल क्रशर किराए पर लिए जाते हैं। साथ ही, सीसीएल में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से खदान से रेल वैगन तक -100 मि.मी.के कोयले के परिवहन हेतु विभिन्न कोल हैंडलिंग संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रणाली पर्यावरण के लिए अनुकूल है जो ट्रकों/टिप्परों के माध्यम से कोयले के परिवहन की आवश्यकता को दूर करेगा।

उत्तरी उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र (7.5 मि.टन/वर्ष) 31.12.2023 को चालू हो गया है तथा 01.03.2024 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

निम्नलिखित कोल हैंडलिंग संयंत्र निर्माणाधीन हैं:

i. कोनार कोल हैंडलिंग संयंत्र (5 मि.टन/वर्ष) को एलओए/ कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (वि.&यां.)/सीएचपी (कोनार)/22/658 दिनांक 17.03.2022 द्वारा मेसर्स हैमटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ₹250,15,52,800.00 मात्र (जीएसटी सहित) की संविदा राशि निर्गत की गयी।

ii. केडीएच-पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग संयंत्र (7.5 मि.टन/वर्ष), को एलओए/कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (वि.&यां.)/ सीएचपी कार्य आदेश/23/1402-15(एच) दिनांक 31.03.2023 द्वारा मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ₹442,73,06,429 मात्र (जीएसटी सहित) की संविदा राशि निर्गत की गयी।

iii. आम्रपाली कोल हैंडलिंग संयंत्र (25 मि.टन/वर्ष), को एलओए/ कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (वि.&यां.)/ एलओए/24/615-26(एच) दिनांक 07.02.2024 द्वारा मेसर्स एस.के.सामंता एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ₹592,36,00,000/-मात्र (जीएसटी सहित) की संविदा राशि निर्गत की गयी।

iv. कारो कोल हैंडलिंग संयंत्र (7 मि.टन/वर्ष), को एलओए/ कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (वि.&यां.)/ कारो सीएचपी/24/566 (एच) दिनांक 05.02.2024 द्वारा मेसर्स एशियन इंडवेल ज्वाइंट वेंचर को ₹250,08,83,550.02/-

मात्र (जीएसटी सहित) है की संविदा राशि निर्गत की गयी।

सीसीएल के तहत निम्नलिखित कोल हैंडलिंग संयंत्रों का अनुमोदन/निविदा प्रक्रियाधीन है तथा निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य आदेश जारी होने की संभावना है:

क. मगध सीएचपी (51 मि.टन/वर्ष)
ख. अशोक पिपरवार सीएचपी (20 मि.टन/वर्ष)
ग. चंद्रगुप्त सीएचपी (15 मि.टन/वर्ष)
घ. संघमित्रा सीएचपी (20 मि.टन/वर्ष)
ङ. रोहिणी-करकट्टा सीएचपी (10 मि.टन/वर्ष)
च. कोटरे बसंतपुर पंचमो सीएचपी (5 मि.टन/वर्ष)
छ. पुंडी विस्तार खुली खदान सीएचपी (5 मि.टन/वर्ष)
ज. स्वांग पिपराडीह खुली खदान सीएचपी (2 मि.टन/वर्ष)
झ. जारंगडीह खुली खदान सीएचपी (1.5 मि.टन/वर्ष)

23. सौर परियोजनाओं के क्रियान्वयन से ऊर्जा का संरक्षण:

कोल इंडिया लिमिटेड तथा सहायक कंपनियों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में क्रमण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास व अंगीकरण तथा अपने विभिन्न व्यवसायों में ऊर्जा संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप CO2 उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीसीएल में सौर ऊर्जा उत्पादन/सौर परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

वित्त वर्ष 2023-24 में सीसीएल की सौर परियोजनाओं/सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति:

क्रम सं.	विवरण	
1.	मार्च 2024 तक रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता (एमडबल्यूपी) में	1.25 मेगावाट
2.	स्थापना कार्य वित्त वर्ष 23-24 में पूरा हो गया है और डीजीएमएस से वैधानिक अनुमोदन और डीवीसी से कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा है 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, पिपरवार 04 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, गिरिडीह क्षेत्र	24 मेगावाट
3.	2023-24 के दौरान अन्य पुरस्कृत सौर ऊर्जा परियोजनाएँ: 05 मेगावाट बलकुदरा, बरका-सयाल क्षेत्र सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 1.02 मेगावाट + 1.03 मेगावाट छत/भूमि	7.05 मेगावाट
4.	अनुमानित/व्यवहार्यता रिपोर्ट की स्वीकृत कर ली गयी है साथ ही निविदा की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है (बो.एवं क.– 8.5 मेगावाट, एन.के.– 13 मेगावाट)	21.5 मेगावाट
5	अनुमानित/व्यवहार्यता रिपोर्ट स्वीकृत कर निविदा के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। (कथारा -6.25 मेगावाट, पिपरवार -10 मेगावाट)	16.25 मेगावाट
6	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रूफटॉप सौर संयंत्रों से उत्पन्न सौर ऊर्जा	6,09,747 किलोवाट घंटा

1. ऊर्जा उपभोग

(क) सीसीएल के क्षेत्रों को डीवीसी तथा जेबीवीएनएल के विभिन्न आपूर्ति बिंदुओं से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वर्ष 2022-23 में कुल विद्युत उपभोग 663.99 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे रहा था। समीक्षाधीन वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः डीवीसी तथा जेबीवीएनएल से 645.77 मि.यूनिट तथा 26.87 मि.यूनिट बिजली की खपत हुई। इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल 672.64 मिलियन किलोवाट/घंटे ऊर्जा की खपत हुई। अतः वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में ऊर्जा-उपभोग में 1.3% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण कोयले उत्पादन तथा ओबी हटाने में गत वर्ष की तुलना में लगभग 13% की वृद्धि है।

कोयला उत्पादन में 9.96 मिलियन टन, 13.095% की वृद्धि हुई है, (वित्त वर्ष 22-23 में 76.09 मिलियन टन; वित्त वर्ष 23-24 में बढ़कर 86.054 मिलियन टन) तथा ओबी 13.842% की वृद्धि के साथ 14.753 मिलियन घन.मी. निकाला गया (वित्त वर्ष 22-23 में 106.581 मि.घन.मी. .; वित्त वर्ष 23-24 में यह बढ़कर 121.334 मि.घन.मी.)।

(ख) 2023-24 में, सीसीएल को लोड फैक्टर छूट के रूप में ₹4.54 करोड़ और त्वरित भुगतान छूट के रूप में ₹6.90 करोड़, कुल ₹11.44 करोड़ प्राप्त हुआ।

2. प्रभाव

निम्न उपाय किए गए:

(क) विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) वर्ष-दर-वर्ष कम की जा रही है। वित्त वर्ष 22-23 में यह खपत 4.76 केवीएएच/घन.मी. थी; जो वित्त वर्ष 22-23 में 1.03% घटकर 4.27 केवीएएच/घन.मी. रही।

(ख) वर्ष 2023-24 में मेसर्स सीसीएल को प्राप्त कुल छूट (अर्थात लोड फैक्टर तथा त्वरित भुगतान के कारण) वर्ष 2022-23 में दी गयी छूट के मुक़ाबले ₹1.65 करोड़ अधिक रही है।

24. ग्राहक संतुष्टि

गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति: सैंपलिंग और प्राप्त विश्लेषण परिणामों के आधार पर बेहतर गुणवत्ता युक्त कोयले की आपूर्ति के मद में वित्त वर्ष 2022-23 में 69% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2023-24 में 87% की वृद्धि दर्ज की गयी। नई दिल्ली में आयोजित वित्त वर्ष 2023-24 के 'कोयला गुणवत्ता प्रदर्शन' के तहत सीसीएल को कोयला मंत्री द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

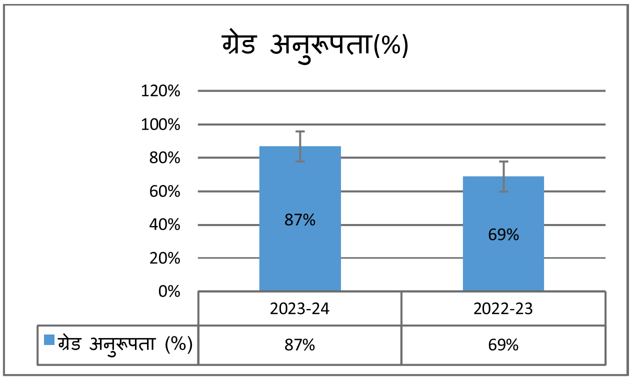

चित्र (ए): 2023-24 की तुलना में 2022-23 हेतु सीसीएल की कोयला ग्रेड अनुरूपता

वर्तमान में, सीसीएल के सभी ग्राहकों के पास स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सैंपलिंग एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति की गुणवत्ता का मूल्यांकन कराने का विकल्प उपलब्ध है।

ग्राहक संतुष्टि का ध्येय रखकर ग्राहकों को उत्तम गुणवत्ता तथा चूर्णित कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावोत्पादक कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में व्यवहृत उपाय निम्नवत है :

- सीसीएल में प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारियों से युक्त क्षेत्र व मुख्यालय स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन विभाग उपलब्ध है।
- सीसीएल द्वारा प्रेषित कोयले की सैंपलिंग तथा कोयले के विश्लेषण हेतु कुल 11 सुसज्जित प्रयोगशालाएँ है। सीसीएल मुख्यालय स्थित केंद्रीय कोयला परीक्षण प्रयोगशाला को एनएबीएल द्वारा अगस्त 23 में मान्यता दी गई। क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता प्रक्रियाधीन है। प्रयोगशालाओं में सज्जित सभी उपकरणों की वैध ट्रेसिबिलिटी उपलब्ध है।
- ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पावर फ़ाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा मानकीकृत एजेंसियों जैसे मे. क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया प्रा. लिमिटेड, मे. केसीएस क्वालिटी आदि के साथ तृतीय पक्ष के सैंपलिंग तथा विश्लेषण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किए गए हैं। मे. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा भी पीएफसी द्वारा मानकीकृत एजेंसियों के समान दर पर तृतीय पक्ष के सैंपलिंग और विश्लेषण किया जा रहा है।
- कोयला गुणवत्ता प्रबंधन पर वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कोयला गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पादन और प्रेषण में लगे मानवबल के लिए किया गया था। गुणवत्ता हमारे व्यवसाय का एक प्रमुख पहलू है और कोयला गुणवत्ता निगरानी, उत्पादन, प्रेषण आदि में तैनात मानवबल को संवेदनशील बनाया जाता है ताकि वांछित गुणवत्ता और आकार का कोयला उपभोक्ताओं को दिया जा सके।
- ग्राहकों के शिकायत हेतु एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गयी है। जिसमें ग्राहकों के शिकायतों की जांच की जाती है तथा इनके निवारण हेतु प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाती है।
- 2023-24 में निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (मानक संचालन प्रक्रिया) अपनाई गई है: -

(क) विद्युत क्षेत्र के ग्राहकों को (-) 100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

(ख) प्रेषित किए गए कोयले की गुणवत्ता/ग्रेड बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

(ग) क्रेडिट/डेबिट नोट जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

सीसीएल की वेबसाइट पर सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। सक्रिय भागीदारी हेतु ग्राहकों के लिए सीसीएल की रेलवे साइडिंगों पर फीडबैक रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर उपलब्ध हैं। ग्राहकों को कोयले की लोडिंग देखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

25. कोल कंडीशनिंग और मॉनिटरिंग सेल (सीसीएमसी) की उपलब्धियां

1. वित्त वर्ष 2023-24 में सीसीएल की 27 खुली खदान परियोजनाओं तथा सभी स्थानों में विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग की गई एवं ईंधन संरक्षण हेतु अनुशंसा समस्त संबंधित क्षेत्रों में परिचालित किए गए।
2. वित्त वर्ष 2023-24 में दर्ज की गयी एसडीसी 1.32 लीटर/क्यूबिक मीटर है, जो सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित मानदंड 1.33 लीटर/क्यूबिक मीटर की तुलना में से 0.62% कम है।
3. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 0.047 लीटर/क्यूबिक मीटर विशिष्ट तेल की खपत की गई, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 0.048 लीटर/क्यूबिक मीटर थी। इस प्रकार, गत वर्ष की तुलना में 2.08% का सुधार हुआ।

4. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीसीएल में कुल बिजली की खपत 672.64.96 मि.किलोवाट/घंटा थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 663.99 मि.किलोवाट/घंटा थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.30% की वृद्धि दर्शाती है।
5. वित्त वर्ष 2023-24 हेतु ऊर्जा बचत में सुधार के उपायों के लिए सीएमपीडीआईएल के समन्वय से उन 5 खानों का इलेक्ट्रिकल लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग किया गया, जहां ऊर्जा की खपत अधिक थी।
6. ओएमसी द्वारा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
7. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डीजल प्रबंधन के स्वचालन को अपनाने के लिए ओएमसी द्वारा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 17 मैकेनिकल डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट्स (डीडीयू) को इलेक्ट्रॉनिक डीडीयू से प्रतिस्थापित किया गया।

26. इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार

कोयले की मांग में वृद्धि के साथ फ्लीट नियंत्रण, वजन, सुरक्षा और डेटा प्रोसेसिंग जैसे विविध परिचालन संबंधी पक्षों का पारंपरिक रीति से निर्वाह कठिन है। अतः उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटीक्षम सेवा अनुप्रयोगों को अंगीकार करने का निर्णय लिया ताकि संचालन में मानवीय हस्तक्षेप को न्यून कर श्रमशक्ति का बेहतर उपयोग तथा समस्त परिचालन गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा सके। ई-निगरानी, डेटा संचार के लिए समर्पित नेटवर्क आदि के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर वास्तविक आधार पर कंपनी की समग्र परिचालन दक्षता में सुधार के लिए इले. एवं दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित आईटी संबंधित अनुप्रयोगों का सफल निष्पादन किया है:

1. सीसीएल के कमान क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाला एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वाइड एरिया नेटवर्क

सीसीएल के परिचालन का विस्तार रांची स्थित मुख्यालय सहित 14 क्षेत्रों तथा विभिन्न केंद्रीयकृत इकाइयों - गांधीनगर अस्पताल,रांची, केंद्रीय अस्पताल,रामगढ़, खान बचाव केंद्र,रामगढ़, बरकाकाना स्थित केंद्रीय भंडार तथा केंद्रीय कर्मशाला तक है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय भंडार, परियोजना कार्यालय, खनन इकाइयाँ, यूनिट स्टोर, वेब्रिज, पत्रिकाएँ, डीजल संवितरण इकाइयाँ, औषधालय आदि अवस्थित हैं। इन सभी स्थानों में दो अलग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 2 डब्लूएएन (वैन) द्वारा दोहरी कनेक्टिविटी (रिडनडेंसी सहित) उपलब्ध कराई गई है:

(i) **रेलटेल वैन (ईआरपी के लिए एमपीएलएस-वीपीएन आधारित प्राथमिक डब्ल्यूएएन नेटवर्क):**

हाईस्पीड एमपीएलएस - वीपीएन बैंडविड्थ कनेक्टिविटी (2 स्थानों में 500 एमबीपीएस लिंक, 1 स्थान पर 100 एमबीपीएस लिंक, 18 में 40 एमबीपीएस लिंक, 50 में 10 एमबीपीएस लिंक, 40 में 4 एमबीपीएस लिंक तथा 336 स्थानों पर 2 एमबीपीएस लिंक) उपलब्ध कराया गया है। कुल 447 स्थलों से 398 स्थल मेसर्स रेलटेल को दिये गए। सभी स्थानों पर रेलटेल वैन कार्यान्वित है। उक्त नेटवर्क ईआरपी के लिए मुख्य कनेक्टिविटी रूप में क्रियान्वित है।

(ii) **बीएसएनएल वैन (डब्लूएएन) (ईआरपी के लिए अतिरिक्त वैन (डब्लूएएन) नेटवर्क):** बीएसएनएल प्रदत्त वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) सीसीएल के ईआरपी सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त नेटवर्क है। यह नेटवर्क, जो 5 वर्षों के लिए किराए पर लिया गया है, शुरू में 279 लिंक से युक्त था और बाद में इसमें 168 अतिरिक्त लिंक जोड़े गए। इसकी बैंडविड्थ क्षमता इस प्रकार है - डीसी और डीआरसी के लिए 500 एमबीपीएस, मुख्यालय के लिए 100 एमबीपीएस, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 40 एमबीपीएस, परियोजना कार्यालयों के लिए 10 एमबीपीएस तथा वेब्रिज, रेलवे साइडिंग आदि के लिए 2 एमबीपीएस की गति उपलब्ध करायी गयी थी। कुल 447 स्थलों में से 434 स्थलों पर यह नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया है, जो सीसीएल के विभिन्न विभागों और स्थानों के बीच तेज और विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करता है।

2. सीसीएल के सभी क्षेत्रों में केंद्रीकृत इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) तथा लोकल एरिया नेटवर्क की सुविधा

सीसीएल के समस्त क्षेत्रों तथा मुख्यालय में केंद्रीकृत इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) तथा लोकल एरिया नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। सर्वपथम न्यूनतम 128 सार्वजनिक आईपी सहित 1 जीबीपीएस गति (1:1 असंपीडित) का आईएलएल बीएसएनएल एमपीएलएस वीपीएन बिंदुओं पर लैन संविरण तथा मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज के जीपीएस/ जीपीआरएस एवं आरएफआईडी सर्वर के लिए उपलब्ध कराया है। आगे, 5 वर्ष की अवधि हेतु केंद्रीकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सीसीएल के रेलटेल एमपीएलएस-वीपीएन स्थानों पर न्यूनतम 128 सार्वजनिक आईपी में 1 जीबीपीएस अनकंप्रेस्ड (1:1) आईएलएल के वितरण हेतु मेसर्स रेलटेल को कार्य आदेश निर्गत किया गया है। इस परियोजना को दिनांक 26.05.2023 से चालू किया गया है तथा इसने पूरे सीसीएल कमान क्षेत्र में केंद्रीकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी की

सुविधा प्रदान की है जिसका उपयोग इंटरनेट आधारित वेबसाइटों/अनुप्रयोगों के साथ-साथ जीपीएस/जीपीआरएस-आरएफआईडी सर्वर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए किया जा रहा है।

सीसीएल के सभी क्षेत्रों में लोकल एरिया नेटवर्क सभी महाप्रबंधक कार्यालय, परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, लेखा कार्यालयों, क्षेत्रीय भंडार, केंद्रीय भंडार, रिपेयर शॉप, खान बचाव केंद्र तथा सीसीएल के अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सभी संबंधित सहायक उपकरणों के साथ कुल 2338 लैन बिंदुओं का प्रावधान है, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता को एमपीएलएस के साथ-साथ इंटरनेट से जोड़ा गया है।

3. अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए नेटवर्किंग संरचना

सीसीएल के चार केंद्रीय अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए नेटवर्किंग उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग रांची स्थित गांधीनगर अस्पताल तथा रामगढ़, ढोरी व उत्तरी कर्णपुरा स्थित 04 केंद्रीय अस्पतालों में की गयी है तथा क्रियान्वित है। इस नेटवर्क द्वारा सीसीएल के केंद्रीय अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) का कार्यान्वयन सक्षम हुआ है।

4. मगध और आम्रपाली की परियोजनाओं के लिए डिजिटल वॉकी टॉकी, ट्रांसीवर और रिपीटर सेट

डिजिटल वॉकी-टॉकी (100 संख्या), ट्रांसीवर्स (18 संख्या) और रिपीटर सेट (4) का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि ब्लास्टिंग, सीआईएसएफ के परिचालन कार्य, सुरक्षा, कोल वाशरी संचालन तथा मगध और आम्रपाली , सीसीएल की मेगा परियोजनाओं में अन्य संयंत्र और रख-रखाव कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, एनालॉग वॉकी-टॉकी (747 संख्या), वीएचएफ सेट (60 संख्या), एवं रिपीटर स्टेशन (8 संख्या) का उपयोग सीसीएल के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

5. वीसी प्रणाली

सीसीएल ने एक व्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली स्थापित की है जो कंपनी के सभी प्रमुख स्थानों जैसे कि सभी क्षेत्रों, केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना और सीसीएल मुख्यालय, रांची में उपलब्ध है। इस प्रणाली के केंद्र में सीसीएल मुख्यालय में स्थित एक मास्टर कंट्रोल यूनिट (एमसीयू) है जो सेंट्रल स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग सुविधा प्रदान करती है। प्रत्येक दूरस्थ कार्यालय में एक वीडियो एंडपॉइंट स्थापित किया गया है जो सार्वजनिक आईपी, यूपीएस और एक डिस्प्ले यूनिट से लैस है। यह प्रणाली इंटरनेट के साथ-साथ वैकल्पिक नेटवर्क (वैन) पर भी काम करती है। इसके अलावा, सीआईएल कोलकाता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के एमसीयू और अन्य वीसी प्रणालियों से जुड़ने की भी सुविधा है। वीसी सुविधाएं सभी कार्यकारी निदेशक कार्यालयों, सीवीओ कक्ष, अप्रनि के आवासीय कार्यालयों और गांधीनगर अस्पताल में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विभाग द्वारा ऐप/वेब आधारित वीसी सुविधा भी प्रदान की जाती है जो लिंक के माध्यम से उपलब्ध है।

इस वीसी प्रणाली के माध्यम से कोयला मंत्रालय, सीआईएल मुख्यालय, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इससे प्रशासनिक और प्रबंधकीय निर्णय लेने में आसानी हुई है और डीपीसी में साक्षात्कारों के संचालन में भी मदद मिली है। इस प्रणाली ने विभिन्न स्थानों के बीच निर्बाध समन्वय को सुनिश्चित किया है। इस वीसी प्रणाली के कारण कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने की आवश्यकता कम हुई है, जिससे कंपनी को काफी धन की बचत हुई है।

6. सीसीएल कमान क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी

कोयले की चोरी से बचाव हेतु कोयला मंत्रालय तथा सीवीओ, सीआईएल के निर्देशानुसार सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी है। भंडार-गृह, विस्फोटक मैगजीन, प्रवेश-निकास के बिंदुओं, रेल वेब्रिज, साइडिंग, कोल हीप और अन्य संवेदनशील स्थानों की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है।

सीसीएल कमान क्षेत्र के सबभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगभग 1725 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 1358 कैमरे एनवीआर/ क्षेत्र नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिनकी केंद्रीकृत निगरानी क्षेत्रीय मुख्यालय, सीसीएल मुख्यालय और सीआईएल मुख्यालय में भी की जाती है।

7. वेब्रिज का परिचालन तथा रखरखाव

इले. एवं दूर. विभाग द्वारा एफओआईएस अनुपालन के लिए रेल वेब्रिज की एएमसी, सॉफ्टवेयर स्थापना और रेल वेब्रिज का उन्नयन किया गया है। फोइस (एफओआईएस) अनुपालन हेतु रेल वेब्रिज उन्नयन और एफओआईएस सर्वरों में डेटा अंतरण के लिए रेल वेब्रिज की कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। सीसीएल के 23 रेल वेब्रिज के लिए एफओआईएस एकीकरण पूरा हो चुका है। वेब्रिज डेटा ट्रांसफर और एसएपी के साथ इसका एकीकरण भी विभाग द्वारा पूरा किया गया है।

8. सीसीएल कमान क्षेत्रों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली और आरएफआईडी के साथ सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली

सीसीएल ने मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के सहयोग से एक अत्याधुनिक एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली के माध्यम से कंपनी 112 रोड वेब्रिजों पर कोयला परिवहन में लगे ट्रकों, डम्परों और निजी टिप्परों पर लगातार नजर रखती है। सीसीटीवी कैमरों और आरएफआईडी तकनीक का उपयोग करके इन वाहनों के वजन को नियंत्रित किया जाता है। इसके साथ ही, कंपनी ने 52 परियोजना कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया है और 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। सीसीएल मुख्यालय, रांची में एक केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।

इस प्रणाली के कार्यान्वयन से ट्रक चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप लापरवाही से वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और वाहनों को ओवरलोड करने जैसी घटनाओं में कमी आई है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हुई है।

मगध और आम्रपाली परियोजनाओं में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली भी लागू की गई है। इस प्रणाली में वर्तमान में 955 जीपीएस उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

9. फ़ेस व पाम पहचान आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण:

सीसीएल में बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फ़ेस व पाम पहचान आधारित 900 बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली क्रय किए गए हैं। सीसीएल मुख्यालय में यह स्पर्श रहित उपस्थिति प्रणाली लगायी गयी है जो सुचारू ढंग से काम कर रही है।

27. सुरक्षा

सीसीएल में, सर्वोपरि ध्येय खान-सुरक्षा है। अतः हमारी समस्त गतिविधियों का केंद्रबिंदु संसाधनों की 'शून्य क्षति' सुनिश्चित करना है। कंपनी का आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) खानों की सुरक्षा का संधारण करता है। महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) के नेतृत्व में पर्याप्त अनुभवी, तकनीकी रूप से दक्ष बहू-संवर्गीय टीम संरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन कर रही है।

उपलब्धियां:

1. सीसीएल ने सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त कीं –

क. दिनांक 06.06.2023 को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सुरक्षा पर "कोयला मंत्री पुरस्कार" का प्रथम पुरस्कार।

ख. सीआईएल के 49वें स्थापना दिवस (01.11.2023) के अवसर पर वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए "सुरक्षा पर कॉर्पोरेट पुरस्कार" (प्रथम पुरस्कार)।

ग. वर्ष 2021 के लिए (वर्ष 2023 में प्रदत्त) उरीमारी ओसीपी (बरका-सयाल क्षेत्र) को प्रति मिलियन घन.मी. उत्पादन में न्यूनतम क्षति आवृत्ति दर (एलआईएफ़आर) हेतु "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार" का रनर पुरस्कार।

घ. दिसम्बर 2023 को सिंगरेनी कोलियरी में आयोजित अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता 2023 (एआईएमआरसी-23) में सीसीएल ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं -

- कुल मिलाकर दूसरा रनर-अप पुरस्कार
- श्री हिमांशु कुमार को सर्वश्रेष्ठ सदस्य घोषित किया गया
- एचईएमएम के ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने हेतु 10 अप्रैल 2023 को सीईटीआई, बरकाकाना में बहु-आयामी एचईएमएम सिम्युलेटर का उद्घाटन किया गया।

सुरक्षा प्रबंधन योजना:

i. डीजीएमएस अधिकारियों, प्रत्येक गतिविधि से जुड़े खदान कर्मियों और आईएसओ से प्रशिक्षित सिमटार्स (SIMTARS) विशेषज्ञों के ठोस प्रयासों से सभी गतिविधियों और प्रत्येक गतिविधि से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए सभी खुली खदान और भूमिगत खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) तैयार की गई है। सुरक्षा संचालन प्रक्रिया बनाकर संबंधित कर्मियों को वितरित कर दी गई है।

ii. कार्य जोखिम विश्लेषण के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (मानक संचालन प्रक्रिया) का निर्माण और अनुपालन।

iii. एसएमपी की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा यह नियमित प्रक्रिया है।

सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सुरक्षा अभियान और कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

(i) संविदा श्रमिकों की सुरक्षा, सब-स्टेशन रख-रखाव, एचईएमएम रख-रखाव, परिवहन प्रबंधन योजना पर सुरक्षा अभियान चलाया गया।

(ii) मा.सं.वि., सीसीएल रांची में 63 इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षकों के लिए 19.06.2023 से 20.06.2023 तक "शटडाउन प्रक्रिया और लोटो के कार्यान्वयन" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(iii) सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में "सुरक्षा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन" हेतु श्री एस.के.दत्ता, पूर्व.डीडीजी (खनन) द्वारा 10.07.2023 से 15.07.2023 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 178 प्रबंधकों, सुरक्षा अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

(iv) "इंस्टीट्यूट फॉर माइनर्स एंड मेटल वर्कर्स एडुकेशन" द्वारा दिनांक 10/07/2023 से 22/07/2023 तथा 31/07/2023 से 12/08/2023 तक "कर्मियों के निरीक्षकों के लिए ओरिएंटशन प्रशिक्षण" का आयोजन दो बैचों में होटल मिलेनियम बैंक मोड़, कतरास रोड, धनबाद में किया गया।

(v) विद्युत सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आईएसओ द्वारा दिनांक 17.08.2023 को डीएमएस (विद्युत) तथा उनकी टीम के समन्वय से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी परियोजना अधिकारियों तथा विद्युत सुरक्षा के अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय महाप्रबंधकों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया।

(vi) सीआईएल द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एसएमपी/ पीएचएमपी समीक्षा पद्धति के विषय पर दिनांक 21.08.2023, 28.08.2023, 16.09.2023, 19.09.2023, 28.09.2023 एवं 29.09.2023 को ऑनलाइन सत्र का आयोजन श्री ई.कार्तिकेयन द्वारा किया गया। इस सत्र में सभी खान प्रबंधकों के साथ-साथ उनकी टीम ने भी भाग लिया।

(vii) श्री रत्नाकर सुन्की डीएमएस (यांत्रिकी) एवं श्री रवींद्र बोंथा डीडीएमएस (यांत्रिकी) द्वारा मा.सं.वि., विभाग सीसीएल में एचईएमएम सुरक्षा पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 24.08.2023 को किया गया। प्रतिभागियों में नामित परियोजना अधिकार, खान प्रबंधक तथा एएसओ शामिल थे।

(viii) श्री आफताब अहमद, डीएमएस (खनन) रांची द्वारा मा.सं.वि., विभाग सीसीएल में दिनांक 29.08.2023 को "व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड" पर एक सत्र आयोजित किया गया।

(ix) श्री विकास मेश्रम, डीएमएस (विद्युत) तथा श्री विनीत चौरसिया, डीडीएमएस (विद्युत) द्वारा सीसीएल के मा.सं. वि., विभाग में "खदानों में विद्युत सुरक्षा" पर आधारित 13.9.23 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें परियोजना अभियंता (वि.एवं यां.) के साथ-साथ विद्युत सुरक्षा अधिकारीगण शामिल हुए।

(x) जनवरी 2024 में, जीएमएमसीओ इंजीनियर द्वारा सीईटीआई, बरकाकाना में "एचईएमएम की सुरक्षा सुविधा के परिचालन भाग" हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

सुरक्षा समिति का सुदृढ़ीकरण :

सुरक्षा समिति की बैठक खानों में आयोजित की जाती हैं, जिनमें क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, सीसीएल सुरक्षा बोर्ड के सदस्य और आईएसओ अधिकारी भी शामिल होते हैं। जिन स्थानों पर ठेकेदार खनन कार्यों में लगे हुए हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी सुरक्षा मामलों पर जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सुरक्षा समिति की भूमिका को मजबूत करने के लिए अप्रनि, सीसीएल और निदेशक तकनीकी (संचालन), सीसीएल ने भी कुछ बैठकों में सम्मिलित हुए है।

यह सांविधिक और सबसे प्रभावी मंच है जहाँ प्रतिभागी जमीनी स्तर पर अपने बहुमूल्य सुझाव देते हैं। सुरक्षा समिति के सदस्यों के पुनरोद्धार के लिए आईएसओ अधिकारी नियमित रूप से बैठक में भाग लेते हैं ताकि इसे और अधिक सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके।

क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक:

सीसीएल की सभी खदानों की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक महीने क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। बैठक की अध्यक्षता निदेशक तकनीकी (संचालन), सीसीएल द्वारा की जाती है और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और आईएसओ अधिकारी शामिल होते हैं। यह मुख्यालय और क्षेत्रों के बीच दो-तरफा संचार प्रणाली स्थापित करता है और सुरक्षा मुद्दों को हल करने में मदद करता है।

खान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यवहृत पहल:

सीसीएल ने हाल के वर्षों में सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा चल रही सुरक्षा संबंधी पहलों के साथ-साथ कई उपायों का पालन किया है।

1) विभिन्न गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना तथा मानक संचालन प्रक्रिया (सुरक्षित संचालन प्रक्रिया) तैयार कर क्रियान्वित किया गया है।

2) किसी भी खदान आपदा को रोकने के लिए प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाएं (पीएचएमपी) तैयार की जाती हैं तथा नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं।

3) क्षेत्रों में आयोजित होने वाले ग्रुप वीटीसी में विभागीय और संविदा कर्मचारियों को बुनियादी व रेफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एचईएमएम संबंधी विशेष प्रशिक्षण हेतु बरकाकाना में केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई) अवस्थित है। एचईएमएम ऑपरेटरों को सीईटीआई, बरकाकाना में स्थापित सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

4) सीसीएल की बड़ी खुली खदानों में पिट और डंप विफलता से होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने तथा डंप और पिट ढलान के निरंतर निगरानी हेतु 3 डी-लेजर स्कैनर लगाए गए हैं। अन्य खदानों में डंप और पिट ढलान की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) का उपयोग किया जाता है।

5) सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा खदानों का मासिक निरीक्षण किया जाता है तथा सुरक्षा समिति की बैठकों में क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। कुछ बैठकों में अप्रनि तथा निदेशक तक.(संचालन) सीसीएल ने व्यक्तिगत रूप से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिती दर्ज कराई है। पीएससी की बैठकों में आईएसओ के अधिकारीगण भी शामिल होते हैं।

6) सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने हेतु मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर नियमित रूप से त्रिपक्षीय व द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा बैठक में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन भी किया जाता है।

7) हितधारकों के मध्य सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु खदानों में खान सुरक्षा पर आधारित ' नुक्कड़ नाटक ' आयोजित किए जाते हैं।

8) सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए शिफ्ट-पूर्व सुरक्षा वार्ता, टूल बॉक्स सुरक्षा वार्ता, व्यक्तिगत सुरक्षा परामर्श, परिवार परामर्श आदि जैसी सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं।

9) संविदा श्रमिकों सहित हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु, सभी वास्तविक घटनाओं पर आधारित सुरक्षा वीडियो क्लिप दिखाए व साझा किए जाते हैं, ताकि जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम सुरक्षा संस्कृति विकसित की जा सके।

10) सीसीएल के खुली खदानों में नियंत्रित विस्फोट हेतु इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का उपयोग किया जा रहा है, ताकि गांवों और कस्बों के समीप उचित विखंडन और न्यूनतम भूमि कंपन सुनिश्चित किया जा सके।

11) आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्रों के अलावा एचईएमएम में एएफडीएसएस भी उपलब्ध कराया जाता है। कार्यशालाओं, सब-स्टेशन, डीजल वितरण इकाइयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में एबीसी, डीसीपी और CO_2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।

12) भूमिगत खदानों में खदान पर्यावरण की निगरानी हेतु आरआरआरटी चुरी में गैस क्रोमैटोग्राफ स्थापित किया गया है।

13) निकट घटनाओं को रिकॉर्ड कर उनका विश्लेषण किया जाता है तत्पश्चात इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रयास किए जाते हैं। पीएससी बैठकों तथा सुरक्षा वार्ता के दौरान भी इन विषयों पर चर्चा की जाती है।

14) पूर्णतः विस्फोट मुक्त पर्यावरण अनुकूल खनन एवं कोयले के उत्पादन हेतु खुली खदानों में 15 सतही खनिकों तथा चूरी भूमिगत खदान में सतत खनिकों को तैनात किया गया है।

15) सुरक्षा हेलमेट, खनन जूते, गम बूट, फ्लोरोसेंट जैकेट, लाइफ फ्लोटेशन जैकेट, सुरक्षा बेल्ट, डिस्चार्ज रॉड, संपर्क रहित लाइन वोल्टेज डिटेक्टर, धूल मास्क, सुरक्षा चश्मा, हाथ के दस्ताने आदि जैसे पीपीई का उपयोग किया जा रहा है।

16) नये डम्परों में फेटीग सेंसर लगाए गए हैं।

17) सभी खदानों में विद्युत सुरक्षा के लिए लोटो (लॉक आउट-टैग आउट) प्रणाली लागू की गई है।

आईटी अवसंरचना का विकास:

सीसीएल में खान सर्वेक्षण एवं निगरानी हेतु इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन तथा -3डी लेजर स्कैनर जैसे आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, कोयला के परिवहन हेतु जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ-साथ आरएफआईडी सिस्टम, बूम-बैरियर, स्नैपशॉट के लिए सीसीटीवी कैमरा तथा मौजूदा वेब्रिज सिस्टम के साथ एकीकरण किया जाता है। एक व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी क्रियान्वित की जा रही है। ईआरपी तथा ई-ऑफिस पहले से ही लागू हैं।

मॉक रिहर्सल:

2023-24 में खुली खदानों और भूमिगत खानों में विभिन्न आकस्मिक स्थितियों जैसे एचईएमएम में आग लगने, काम करने वाले व्यक्ति के डूबने, भूमिगत पम्पिंग स्टेशन के पास CO_2 का उत्सर्जन, आदि से निपटने के लिए 133 मॉक रिहर्सल आयोजित किए गए।

केंद्रीकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) पोर्टल:

सीएसआईएस पोर्टल को उन स्थानों पर संचालित किया गया है जहाँ सभी रिपोर्ट, आंकड़े और डेटा, जैसे सांविधिक श्रमशक्ति, सांविधिक दस्तावेज, प्रशिक्षण, ई-लेखापरीक्षा, ई-निरीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटना/घटनाएँ आदि खान प्रबंधक द्वारा अपलोड किए जाते हैं। इसे अद्यतन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाए रखने के लिए आईएसओ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।

सांविधिक श्रमशक्ति:

01.04.2024 तक सांविधिक श्रमशक्ति की स्थिति-

पदनाम	मांग	उपलब्ध	कमी/अधिशेष
ओवरमैन	740	696	-44
माइनिंग सरदार	828	702	-126
एलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर	580	486	-94
इलेक्ट्रीशियन	726	504	-222
सर्वेक्षक	169	154	-15

निम्नलिखित सांविधिक कार्मिकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है -

क. माइनिंग सरदार -77

ख. उप-सर्वेक्षक-20

ग. इलेक्ट्रीशियन (गैर-उत्खनन) श्रेणी-IV -126

घ. सहायक फोरमैन (विद्युत) तक.एवं पर्य.ग्रेड-सी – 107

दुर्घटना के आंकड़े:

विवरण	अप्रैल 2022-मार्च 23	अप्रैल 23-मार्च 24
संघातक दुर्घटना	1	4
मृत्यु	1	4
गंभीर दुर्घटना	2	0
गंभीर चोटें	2	0
मृत्यु दर प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर समग्र (ओबी + कोयला)	0.01	0.02
(भूमिगत+खुली खदान परियोजना)		
मृत्यु दर प्रति 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.04	0.17
गंभीर चोट दर प्रति मिलियन M3	0.01	0
गंभीर चोटों की दर प्रति 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.08	0

28. कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

28.1 कार्मिक प्रबंधन

वर्ग	31.03.2024	31.03.2023
अधिकारी	2161	2333
पर्यवेक्षी	3281	3203
अत्यधिक कुशल/कुशल	10382	10740
कुशल/अकुशल(टीआर)	14556	14440
अर्ध कुशल/अकुशल (पीआर)	0	199
अनुसचिवीय कर्मचारी	3610	3694
अन्य		366
कुल	**33990**	**34975**

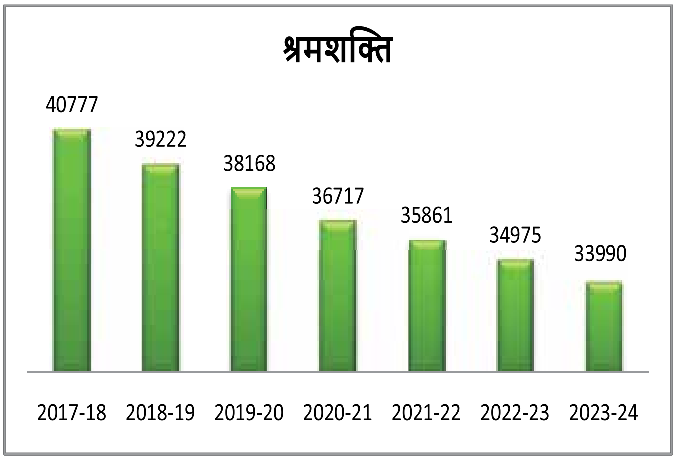

कटौती	कर्मचारियों की संख्या
श्रमशक्ति में कटौती	31.03.2024
सेवानिवृत्ति	1183
मृत्यु	308
अंतर कंपनी स्थानांतरण	158
इस्तीफा	25
निष्कासन/बर्खास्तगी	12
वी.आर.एस.(जीएनएच)	2
चिकित्सकीय अयोग्यता	0
अन्य	0
कुल कटौती	**1688**

बढ़ोत्तरी	
	कर्मचारियों की संख्या
श्रमशक्ति में बढ़ोत्तरी	31.03.2024
9.3.0 के तहत नियुक्ति	390
भू-विस्थापन के अंतर्गत नियुक्ति	159
मृतक अधिकारियों के आश्रितों की नियुक्ति	0
9.4.0 के अंतर्गत नियुक्ति	0
अंतर कंपनी स्थानांतरण	81
नई भर्ती	73
पुनर्नियुक्ति	0
अवार्ड केस	0
अन्य(एसएफवीआरएस)	0
कुल	**703**

28.2 आ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी/ बेंचमार्क दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

सीसीएल में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों की श्रमशक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देशों को अक्षरश: लागू किया गया है। गत 03 वर्षों में सीसीएल की कुल श्रमशक्ति तथा संविदा श्रमिकों में अ.जा./ अ.ज.जा./ओ.बी.सी.कर्मचारियों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. स्थायी कर्मचारी

तिथि को	कुल श्रमशक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		बेंचमार्क दिव्यांग	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
01.01.2022	36191	7263	20.06%	6055	16.73%	9354	25.84%	83	0.22%
01.01.2023	35239	7043	19.98%	5857	16.62%	9069	25.73%	75	0.21%
01.01.2024	34230	6711	19.60%	5640	16.47%	8838	25.81%	72	0.21%

2. संविदा कर्मी

तिथि को	कुल श्रमशक्ति	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	संख्या
01.01.2022	4861	846	17.40%	548	11.27%	1371	28.20%
01.01.2023	7394	958	12.95%	1637	22.13%	1500	20.28%
01.01.2024	7592	1452	19.12%	1889	24.88%	1961	25.23%

गत 03 वर्षों में नियुक्त अ.जा./ अ.ज.जा./ओ.बी.सी.कर्मचारियों का वर्णन नीचे दिया गया है:

तिथि को	कुल नियुक्तियाँ	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
01.04.2022	62	3	4.83%**	43	69.35%**	3	4.83%**
01.04.2023	07 (06 प्रतीक्षारत+ 01 न्यायालय निदेश के अनुपालन में)	शून्य	शून्य	5	71.42%**	शून्य	शून्य
01.04.2024	192 (विशेष भर्ती अभियान)**	59	30.72%	118	61.45	15	7.81%

** वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 192 नियुक्ति प्रस्ताव निर्गत

28.3 भर्ती विभाग

1. 4 पदों पर 330 सांविधिक रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 28.03.2024 के विज्ञापन संख्या 63 द्वारा विशेष भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गयी :

पदनाम	ओ.बी.सी.-एनसीएल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
सहायक फोरमैन (विद्युत)	7	23	77	107
इलेक्ट्रिशियन (गैर-उत्खनन)/तकनीशियन	3	29	94	126
माइनिंग सिरदार	5	14	58	77
उप-सर्वेयर	-	-	20	20
कुल	**15**	**66**	**249**	**330**

2. उपर्युक्त विज्ञापन के विरुद्ध 192 नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए हैं।

पदनाम	ओ.बी.सी.-एनसीएल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
सहायक फोरमैन (विद्युत)	7	21	18	46
इलेक्ट्रिशियन (गैर-उत्खनन)/तकनीशियन	3	26	42	71
माइनिंग सिरदार	5	12	56	73
उप-पर्यवेक्षक	-	-	2	2
कुल	**15**	**59**	**118**	**192**

सूचना क्रमांक 37/2024 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से 64 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ (ई4), चिकित्सा विशेषज्ञ (ई3), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ई3) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) (ई3) शामिल हैं। कुल 967 आवेदन प्राप्त हुए है। इन आवेदनों की जांच और भर्ती से संबंधित अन्य सभी गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

29. मानव संसाधन विकास

राष्ट्र में ऊर्जा की बढ़ती मांग की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिबद्ध कोयला उद्योग के विकास में प्रशिक्षण तथा विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल एक स्थापित शिक्षण संस्थान है, जहां कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्य रूप से उनके कौशल विकास, कौशल वर्धन तथा पुनर्वधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

यह विभाग पेशेवर सक्षमता, परिवर्तन अनुकूलनशीलता, उत्पादकता में वृद्धि तथा कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि जैसे विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रहा है। यह अंतर संवर्गीय सहकार्य, बेहतर प्रशिक्षण तथा तकनीकी, कार्यात्मक, प्रबंधकीय तथा व्यवहारिक पहलुओं वाले विकास मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है।

निम्नदर्शित रिपोर्ट 2023-24 के दौरान सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्य व निष्पादन द्वारा कौशल, ज्ञान और सक्षमता संवर्धन संबंधित हमारे संगठन की प्रतिबद्धता का विशद दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है:

प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (एमटीसी), रांची:

एमटीसी, रांची सीसीएल मा.सं.वि. विभाग का प्रमुख संस्थानगत प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) के आधार पर कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से वर्षपर्यंत विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध कराता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमटीसी, सीसीएल में मा.सं.वि. विभाग द्वारा कुल 82 (बयासी) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 2,826 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया, इन प्रशिक्षण की कुल अवधि 219 दिन व कुल समय 1314 घंटे दर्ज की गयी।

वित्त वर्ष 2023-24 में एमटीसी, मानव संसाधन विकास (मुख्यालय) के प्रशिक्षण कार्यक्रम का तिमाही-वार विवरणी नीचे सारणीबद्ध है,

निदेशकों की रिपोर्ट और अनुलग्नक

क्रम सं.	तिमाही	प्रशिक्षण-कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षण घंटे	प्रतिभागियों की कुल संख्याप्रत्येक माह
1	तिमाही1 अप्रैल-जून 2023	23	90	540	543
2	तिमाही2 जुलाई-सितंबर 2023	29	80	480	907
3	तिमाही3 अक्टूबर-दिसंबर 2023	17	31	186	844
4	तिमाही4 जनवरी-मार्च 2024	13	18	108	532
कुल	**12**	**82**	**219**	**1314**	**2,826**

तालिका 1: एमटीसी, मा.सं.वि., सीसीएल (मुख्यालय) में प्रशिक्षण कार्यक्रम का तिमाही-वार विवरण

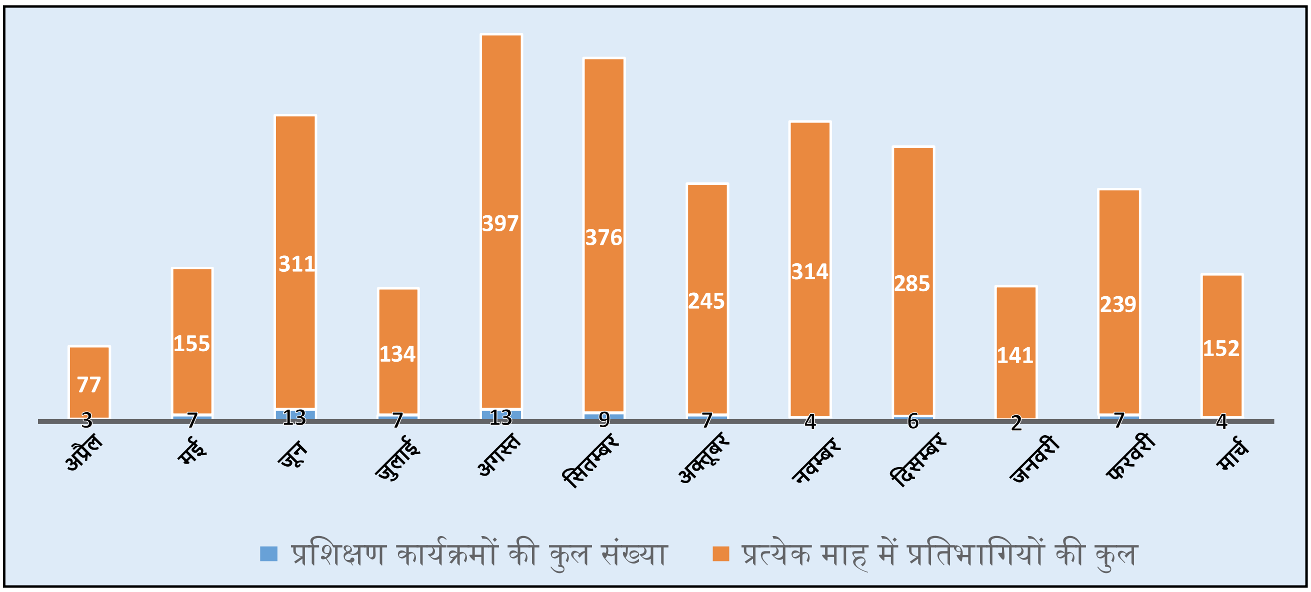

तालिका 2: सीसीएल (मुख्यालय) में प्रशिक्षण कार्यक्रम का माहवार विवरण

बाह्य प्रशिक्षण:

सीसीएल के विभिन्न श्रेणी एवं विषयों के अधिकारियों को राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित आवश्यकता-आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए उपयोगकर्ता विभागों के माध्यम से पूरे वर्ष नामांकित किया जाता है। 2023-24 के दौरान बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से सीसीएल के कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ग	दिये गए प्रशिक्षण	उपस्थिति	प्रशिक्षण दिये गए कर्मियों का %
अधिकारी	882	2171*	41%

*सीआईएल वेबसाइट पर उपलब्ध अनुषंगीवार श्रमशक्ति रिपोर्ट अनुसार (01/02/24)

भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) के माध्यम से प्रशिक्षण

आईआईसीएम, रांची को सीआईएल के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो समय-समय पर प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से अपने सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कैलेंडर एवं विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से सभी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2023-24 के दौरान आईआईसीएम के माध्यम से सीसीएल के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ग	दिये गए प्रशिक्षण	उपस्थिति	प्रशिक्षण दिये गए कर्मियों का %
अधिकारी	553	2171*	26%

*सीआईएल वेबसाइट पर उपलब्ध अनुषंगीवार श्रमशक्ति रिपोर्ट अनुसार (01/02/24)

केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई), बरकाकाना:

सीईटीआई इस क्षेत्र का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान व बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता है, जहां कार्यरत सीसीएल कर्मियों को एचईएमएम ऑपरेटरों सैद्धांतिक बुनियादी उत्खनन प्रशिक्षण देने की तकनीकी विशेषज्ञता है। जनवरी 2023 से जारी इस दो बहुआयामी सिमुलेटर में बीईएमएल निर्मित 100 टी डम्पर, एचईसी निर्मित 5 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवल, बीईएमएल निर्मित 410 एचपी क्रॉलर डी 355 डोजर जैसे तीन कंसोल होते हैं, जो एचईएमएम हेतु सिम्युलेटेड प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। बरकाकाना के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है:

चित्र- सीईटीआई में बीईएमएल मेक सिम्युलेटर।

वि. व. 2023-24 के दौरान सीईटीआई ने सीसीएल के कर्मचारियों को उत्खनन प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अत्यधिक कुशल एचईएमएम ऑपरेटरों के रूप में तैयार किया है, ताकि उनकी तैनाती सीसीएल की परियोजनाओं में की जा सके। 2023-24 के दौरान सीईटीआई, बरकाकाना के माध्यम से प्रदान किए गए प्रशिक्षण का प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार है:

सिमुलेटर द्वारा प्रशिक्षण:

अवधि	डम्पर	डोजर	शॉवल	कुल
बुनियादी	34	17	19	70
रिफ्रेशर	69	34	44	147
कुल	103	51	63	217

कुल बुनियादी ऑपरेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

डम्पर	शॉवल	डोजर	ड्रिल	पे-लोडर	क्रेन	ग्रेडर	कुल
34	19	17	03	02	04	02	81

बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता -

1. मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी-02.
2. वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक-01
3. वाहनों की यांत्रिक मरम्मत एवं रख-रखाव-02.

भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, भुरकुंडा (बीटीटीआई)

बीटीटीआई, भुरकुंडा इस क्षेत्र का एक प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। इसे प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) को विभिन्न क्षेत्रों में आईटीआई पाठ्यक्रमों के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है।वर्तमान में, आईटीआई के प्रशिक्षण में केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा संस्थान द्वारा भविष्य में टर्नर, मशीनिस्ट, लेथ, वायरमैन आदि जैसे अन्य आईटीआई विषयों पर भी प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। 2023-24 के दौरान, बीटीटीआई ने अन्य कार्यक्रमों के संचालन करने के साथ- साथ लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। 2023-24 के दौरान बीटीटीआई, भुरकुंडा के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	प्रशिक्षण दिया गया
आईटीआई इलेक्ट्रिकल्स	38
शॉट-फायरर, वायरमैन, सर्वेयर तथा स्विच बोर्ड अटेंडेंट (एसबीए)	11
विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रम (एसडीपी)	416
कुल	**465**

शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा शिक्षुता नियम, 1992: शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा शिक्षुता नियम 1992 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण :

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार 30 से अधिक उपस्थिति वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। इसे निम्नलिखित दो अन्य योजनाओं के तहत भी लागू किया जाता है:

(i) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और डिप्लोमा/डिग्री के लिए

(ii) आईटीआई उत्तीर्ण, स्नातक/डिप्लोमा धारक, स्नातक/डिप्लोमा प्राप्त करने वालों तथा नए शिक्षुओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

उद्देश्य: योजना के विभिन्न उद्देश्य नीचे दिए गए हैं,

क. कौशल विकास

ख. कार्यस्थल एकीकरण

ग. उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण

घ. रोजगार क्षमता में वृद्धि

ङ. उद्योग सहयोग

सीसीएल ने वर्ष 2018-19 से इन योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है तथा पांच वर्षों की अवधि में चिकित्सा, वित्त और इंजीनियरिंग सहित 25 ट्रेडों में 8000 से अधिक शिक्षुओं को नियुक्त किया है।

सीसीएल को न केवल बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी), पूर्वी क्षेत्र द्वारा 'वर्ष 2021 के संस्थान" से सम्मानित किया गया है, बल्कि कोविड-19 की अवधि के दौरान बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर (बीटीपी) के तहत नए शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में सीआईएल की सहायक कंपनियों में प्रथम वहीं झारखंड राज्य में द्वितीय स्थान मिला है।

सीसीएल के पास कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के 04 पंजीकृत बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता (बीटीपी) की इकाइयां हैं।

1. गांधीनगर अस्पताल – चिकित्सा ट्रेड्स
2. एमटीसी म.सं.वि., सीसीएल – कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
3. बीटीटीआई, भुरकुंडा – खनन एवं विद्युत इंजीनियरिंग
4. सीईटीआई, बरकाकाना – मैकेनिकल इंजीनियरिंग

वर्ष 23-24 के दौरान शिक्षुता प्रशिक्षण में मानव संसाधन विकास विभाग की उपलब्धियां निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2023-24 में शिक्षुता की नियुक्ति:

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्ति	उपलब्धि प्रतिशत	नियामक निकाय
एनएपीएस	610	610	100%	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)
एनएटीएस	570	570	100%	शिक्षा मंत्रालय
कुल	**1180**	**1180**	**100%**	

सामूहिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी):

जीवीटीसी, परियोजनाओं/क्षेत्रों में कंपनी के कर्मचारियों तथा संविदा कर्मियों को खानों की सुरक्षा, व्यावसायिक खतरों, खान अधिनियम व नियमों आदि जैसे विषयों पर बुनियादी, पुनश्चर्या तथा विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का मुख्य केंद्र है। जीवीटीसी अरगड़ा, जीवीटीसी बरका-सयाल, जीवीटीसी एन.के. तथा जीवीटीसी कथारा को गैस-चैंबर संचालित कर खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा मान्यता प्राप्त गैस परीक्षण प्रमाण-पत्र निर्गम करने हेतु अधिकृत किया गया है।

क्षमता विनिर्माण प्रशिक्षण:

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), नई दिल्ली तथा सीवीओ, सीसीएल के निर्देशानुसार, कंपनी द्वारा जारी किए गए नवीनतम नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मैनुअल एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (मानक संचालन प्रक्रिया) की जानकारी के बारे में क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को सूचना व प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षमता विनिर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा योग्यता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिससे अनेक कर्मचारी लाभान्वित हुए है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्षमता विनिर्माण कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षण दिये गए विभाग का नाम	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	
		अधिकारी	**कर्मचारी**
07	मा.सं./प्रणाली/सा.प्र./प्र.स./सिविल	527	20

सीसीएल कर्मियों के बच्चों के लिए प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम :

सीसीएल, लंबे समय से अपने सामाजिक दायित्व के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे सीसीएल कर्मियों के बच्चों तथा शैक्षणिक संस्थानों के स्थानीय छात्रों सहित हितधारकों के बच्चों को विभिन्न विषयों में व्यावहारिक अनुभव हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो उनके भविष्य के कैरियर और संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए लाभदायक साबित हुआ है। वर्ष 2023-24 के दौरान सीसीएल द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण/ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग का प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार है:

विभाग	छात्रों की संख्या
प्रणाली	243
वित्त	280
का.एवं औ.सं.	186
खदान	571
अन्य (विधि, सीएसआर, सिविल, जनसम्पर्क, चिकित्सा आदि)	638
कुल	**1918**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

वर्ष 2023-24 के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार विभिन्न विषयों पर विभिन्न विभागों द्वारा तैयार नवीनतम नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, नियमावली तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं पर आधारित क्षमता विनिर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
2. सीसीएल में कार्यरत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को अनुकूल औद्योगिक संबंध बनाए रखने तथा सीसीएल में श्रमिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

भविष्य की पहल:

वर्ष 2024-25 हेतु निम्नलिखित पहल पर योजना बनाई गई है:

क. सीआईएल की उच्च स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में बीटीटीआई, भुरकुंडा तथा सीईटीआई, बरकाकाना जैसे तकनीकी एवं उत्खनन प्रशिक्षण केन्द्रों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु पहल आरंभ की जाएगी।

ख. बीटीटीआई, भुरकुंडा तथा सीईटीआई, बरकाकाना के बुनियादी ढांचे का विकास कर उन्हें अपने क्षेत्र के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में पुनर्निर्मित, सुसज्जित एवं विकसित करने का कार्य किया गया है ताकि, इससे न केवल सीसीएल के कर्मियों को तकनीकी व उत्खनन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हो अपितु आउटसोर्सिंग ठेकेदारों, ओईएम, पीएपी, स्थानीय समुदाय के कर्मियों को भी स्व-रोजगार तथा स्थिरता हेतु प्रशिक्षित किया जा सके।

ग. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड, रोबोटिक्स, डेटा विज्ञान तथा एनालिटिक्स जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई, भारत सरकार और नैसकॉम) द्वारा प्रमाणन अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विस्तारित डोमेन में कौशल प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई, भारत सरकार और नैसकॉम) तथा फ्यूचरस्किल्स प्राइम के मध्य एक समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया गया।

घ. प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पर आधारित 30.08.23 को नई दिल्ली में आयोजित सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के सीवीओ के साथ सचिव (कोयला) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए परियोजनाओं, क्षेत्रों तथा मुख्यालय स्तर पर तीन स्तरीय सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

30. कल्याण

उत्पादन तथा कल्याण की अवधारणा को समेकित करते हुए सीसीएल ने सदैव सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, खेल, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता जैसे लोकोपकारक बहुविषयी दृष्टिकोण अंगीकार किया है।

यदि 'कल्याण' का निरूपण करना हो तो यह अवधारणा कंपनी के कमान क्षेत्र के निकट अथवा अंतर्गत उन सेवाओं, सुविधाओं को उपलब्ध करना तथा सुख-साधन का विनिर्माण है जिससे कंपनी के कार्मिक उत्तम स्वास्थ्य व उच्च मनोबल के साथ स्वस्थ व सौहर्द्रपूर्ण परिवेश में अपने कार्यों का निष्पादन कर पाने में सक्षम हों। इनका उद्देश्य कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाना, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा मनोबल बढ़ाना है। कल्याण विभाग कर्मचारी हितकार के लिए नित नवीन दृष्टिकोणों एवं पद्धतियों के साथ सौंपित कार्यों को पूर्णदक्षता के साथ पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

उद्देश्य:

- बेहतर जीवन-शैली तथा स्वास्थ्य।
- कर्मचारियों को प्रसन्न तथा संतुष्ट रखना।
- लोगों की बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा जीवन परिस्थितियों में सुधार।

1. शिक्षा:

सीसीएल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ परिचालित इकाइयों के आस-पास निवास वाले समुदायों को उत्कृष्ट शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सीसीएल द्वारा विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की सहायता की जा रही है, जिनमें केन्द्रीय विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल तथा निजी प्रबंधित विद्यालयों/स्कूलों (पीएमएस) को वित्तीय अनुदान के साथ अन्य बुनियादी सहायताएं भी उपलब्ध कराईं जा रही हैं। इस प्रकार, सीसीएल शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने और अपने कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदायों के बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है।

विद्यालय का नाम	2023-2024 हेतु कुल राशि
डीएवी	₹ 102074216
केन्द्रीय विद्यालय	₹ 40259745
निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल (25 स्कूल)	₹ 7563000

डीएवी स्कूल:-

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले डीएवी स्कूलों की सूची:

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	सभी विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या (2023-24)
1	डीएवी, आरा, कुजू	15044
2	डीएवी, रजरप्पा	
3	डीएवी, ढोरी	
4	डीएवी, बरकाकाना	
5	डीएवी, सवांग	
6	डीएवी, कथारा	
7	डीएवी, गिरिडीह	

डीएवी पब्लिक स्कूल : बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने वाले डीएवी स्कूलों की सूची:

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	सभी विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या (2023-24)
1	डीएवी, गांधी नगर	6598
2	डीएवी, केदला नगर	
3	डीएवी, बचरा	
4	डीएवी, तापिन नॉर्थ	
5	डीएवी, उरीमारी	
6	डीएवी, गिद्दी	
7	डीएवी, तोपा	

केन्द्रीय विद्यालय :

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	कुल छात्रों की संख्या(2023-24)
1	केन्द्रीय विद्यालय, राजेंद्र नगर	514

छात्रवृत्ति:

सीसीएल द्वारा सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति देता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 133 पात्र छात्रों (कर्मचारियों के बच्चों) को ₹ 2.88 लाख की राशि संवितरित की गई।

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति:

रा.को.वे.स XI के तहत सीसीएल अपने कर्मचारियों के बच्चों के प्रतिभा का विकास एवं सहायता करने हेतु सरकारी इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नामांकित मेधावी छात्रों के शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। कृत व्यय तथा लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

	वर्ष- 2023-2024
व्यय	₹ 6272693
छात्रों की संख्या	35 संख्या

2. क्रेच:

सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में क्रेच सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में चार क्रेच संचालित किया जा रहे हैं।

3. खेल एवं कल्याण

कर्मचारियों तथा उनके कुटुंब, ग्रामीणों तथा परियोजना प्रभावित लोगों के सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सीसीएल खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को महत्व देता है। गतिविधियों के आयोजन के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीआईएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार खिलड़ियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के अतिरिक्त कोचिंग कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं।

खेल कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:

क्र. सं.	गतिविधि	तिथि	कार्यक्रम का स्थान
1	बच्चों के लिए क्रिकेट और वॉलीबॉल का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर	30.05.2023 से 11.06.2023 तक	गांधी नगर मैदान
2	अंतर विभागीय शतरंज	07.09.2023 से 08.09.2023	मुख्यालय
3	अंतर विभागीय कैरम	07.09.2023 से 08.09.2023	मुख्यालय
4	अंतर क्षेत्रीय शतरंज टूर्नामेंट	12.09.2023 से 13.09.2023 तक	अरगडा
5	अंतर क्षेत्रीय कैरम टूर्नामेंट	12.09.2023 से 13.09.2023 तक	अरगडा
6	अंतर क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट	21.09.2023 से 26.09.2023 तक	कुजू
7	अंतर क्षेत्रीय कबड्डी टूर्नामेंट	10.10.2023 से 11.10.2023 तक	पिपरवार
8	अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट	30.10.2023 से 08.11.2023 तक	एन.के.
9	अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन	14.11.2023 से 16.11.2023 तक	मुख्यालय

4. सीसीईबीएफएस

इस योजना को "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एम्प्लॉईस बेनेवोलेंट फ़ंड सोसाइटी" कहा जाता है। यह झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित सीसीएल के मुख्यालय सहित सभी कोलियरियों, वाशरियों और अन्य प्रतिष्ठानों पर सोसाइटी के सदस्य कर्मचारियों पर लागू होती है।

➢ सीसीईबीएफएस के लाभ

- मृत्यु उपरांत राहत
- छात्रवृत्ति
- बीमारी
- चाँदी का सिक्का/सेलम स्टील डिनर सेट (सेवानिवर्तन भेंट)

क्रम संख्या	लाभ योजनाएँ	वर्ष 2023-2024	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख में)
1	मृत्यु उपरांत राहत	305	248.08
2	छात्रवृत्ति	आवेदनों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन	
3	बीमारी	0	0.00
4	चाँदी का सिक्का/सेलम स्टील डिनर सेट (सेवानिवर्तन भेंट)	284 621	14.20 44.55

5. कल्याण बोर्ड की बैठकें:

कंपनी के कर्मचारियों को प्रदत्त कल्याण की उपलब्धता की समीक्षा तथा उपयुक्त कल्याणकारी उपायों की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन की समय पर निगरानी करने तथा इसके संवर्धन के लिए कंपनी स्तर पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को सम्मलित करते हुए कल्याण बोर्ड क्रियान्वित है।

कल्याण से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से मिलकर कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है।

6. अन्य कल्याण संबंधी गतिविधियाँ:

क. सम्मान समारोह:

सीसीएल परिवार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने "कॉर्पोरेट विदाई" समारोह का आयोजन किया जाता है। उन्हें शॉल, श्रीफल, सम्मान-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र, धन्यवाद-पत्र, मेडिकल कार्ड, फलों के बीज और स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। ग्रीन इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए विदाई उपहार स्वरूप पौधा भी दिया जाता है।

ख. बैंकिंग सुविधा:

कंपनी के कर्मचारियों की सुविधा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

ग. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन :

कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि पर कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) अभ्यास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीसीएल मुख्यालय तथा सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कई योग गतिविधियां आयोजित की गईं।

घ. मेरी माटी, मेरा देश अभियान:

वर्ष 2023-2024 में सीसीएल में 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 'मेरी माटी, मेरी देश' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत रामगढ़, बोकारो, चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिलों के अंतर्गत सीसीएल के सभी कमान क्षेत्रों (कोयला मंत्रालय द्वारा दिये गए दायित्व अनुसार) में 'अमृत कलश यात्रा' का आयोजन किया गया। उपर्युक्त जिलों के ब्लॉकों और गांवों को आच्छादित करतीं हुईं कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार 'अमृत कलश' में मिट्टी तथा चावल से भरा कलश संबंधित जिला/ब्लॉक के अधिकारियों को सौंपा गया।

ड. फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन:

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार सीसीएल में 12 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक 'फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 अभियान के तहत झारखंड की दो अंतरराष्ट्रीय एथलीट सुश्री फ्लोरेंस बारला और सुश्री आशा किरण बारला, जिन्होंने क्रमशः 400 और 800 मीटर की दौड़ की श्रेणी में भाग लिया, को 21.10.2023 को सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) द्वारा सम्मानित किया गया। एक स्वच्छ और फिट भारत के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए इस दौड़ ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने व्यक्तियों को स्वस्थ आदतें अपनाने, अपने समुदायों में स्वच्छता में योगदान देने और अंततः राष्ट्र की भलाई में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संबंध में कोयला मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट नीचे संलग्न है:

च. कोल इंडिया मैराथन - 2024 का आयोजन सीसीएल द्वारा 11.02.2024 को रांची में किया गया। इस मेगा इवेंट में 8000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कोल इंडिया मैराथन - 2024 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत किया गया और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस (एम्स) द्वारा प्रमाणित किया गया। फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर दौड़ के पुरुष और महिला वर्ग में 7 शीर्ष फिनिशरों के बीच कुल 33.12 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

इस मैराथन में श्री उदय कुमार, जिन्हें वन लेग्ड उदय के नाम से जाना जाता है, ने भी हाफ मैराथन में भाग लिया।

इस अवसर पर माननीय सांसद एवं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुश्री पी.टी. उषा, के साथ सी.आई.एल. के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, झारखंड सरकार एवं कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी भी उपस्थित थे।

मैराथन में पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता सुश्री सुनीता गोदरा ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें विभिन्न व्यायामों का प्रदर्शन करके तैयार किया तथा मैराथन से पहले आहार के बारे में भी सलाह दी।

छ. दिनांक 12.01.2024 को गांधी नगर मैदान में सीसीएल और मीडिया के बीच मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन। सीएमडी, सीसीएल सहित कार्यकारी निदेशकों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी ने भी उक्त मैत्री फुटबॉल मैच का हिस्सा रहे।

ज. सुश्री अमीषा केरकेट्टा जो आईबीए विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं, को, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।

झ. सीआईएल अंतर कंपनी पावरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन डब्ल्यूसीएल, नागपुर द्वारा किया गया था, में सीसीएल के दो कर्मचारियों ने विभिन्न बॉडीबिल्डिंग वजन श्रेणियों में कांस्य पदक जीता।

ञ. आवास

आवास रिक्तता की वस्तुस्थिति (2023-2024)

अनुषंगी	सीआईएल कर्मचारियों को आवंटित	आधिकारिक तौर पर दूसरों को आवंटित
सीसीएल	28690	2003

ट. पेयजल स्थिति

जल की मांग (एमजीडी में)	डब्ल्यूटीपी/आईडब्ल्यूएसएस			मौजूदा जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) का नवीनीकरण एवं उन्नयन			नए जल उपचार संयंत्रों का निर्माण			डब्ल्यूटीपी द्वारा उत्पादन
	संख्या	क्षमता (एमजीडी में)	वास्तविक उत्पादन (एमजीडी में)	संख्या	क्षमता (एमजीडी में)	अपेक्षित उत्पादन (एमजीडी में)	संख्या	क्षमता (एमजीडी में)	अपेक्षित उत्पादन (एमजीडी में	डब्ल्यूटीपी द्वारा उत्पादन (एमजीडी में)
20.72	17	21.664	9.799	10	22.65	18.12	6	6.00	4.80	23.69

ठ. चिकित्सकीय सुविधाएं

कंपनी	औषधालय	बेड	चिकित्सक	एम्बुलेंस	अस्पताल
सीसीएल	34	664	194	69	13

31. नैगमिक सामाजिक दायित्व

देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड पहाड़ों, जंगल और झरनों से समृद्ध राज्य है। प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों के अलावा, राज्य में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें कोयला सबसे प्रमुख संसाधन है। कोल इंडिया लिमिटेड की मिनीरत्न सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड राज्य की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी है तथा सर्वाधिक राजकोषीय योगदानकर्ता कंपनियों में से एक है। हमारी कंपनी देश की ऊर्जागत आकांक्षाओं की पूर्ति करने के साथ-साथ कमान क्षेत्र में लोगों के जीवन को समग्र रूप से बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीसीएल झारखंड राज्य के 8 जिलों यथा रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो में परिचालित हैं। सीसीएल के खनन क्षेत्र तथा प्रतिष्ठान इन जिलों में दूरदराज क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जहां की आबादी का अधिकांश भाग हाशिये पर जीवन-यापन कर रहा है। सीसीएल में सीएसआर का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीसीएल सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी सीएसआर नियम 2014 व उत्तरवर्ती संशोधन, डीपीई के निर्देशों, नीति आयोग तथा अन्य सरकारी नियमों के आधार पर किया जाता है।

सीसीएल, सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप सीएसआर की योजनाओं के लिए रूपरेखा तैयार करती है। यह नीति सीएसआर पर विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसतन शुद्ध लाभ का 2% अथवा विगत वर्ष के कोयला उत्पादन के ₹2.00 प्रति टन में से न्यूनतम व्यय की परिकल्पना करती है। तदनुसार, 2023-24 में सीएसआर परिव्यय ₹52.61 करोड़ निर्धारित किया गया था।

सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर व्यय का लगभग 80% सीसीएल की परिचालित इकाइयों के 25 किलोमीटर के अंदर तथा शेष 20% का व्यय झारखंड के अन्य स्थानों में किया जाना प्रस्तावित है।

सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशानुसार, वर्ष 2023-24 हेतु डीपीई द्वारा निर्धारित वार्षिक थीम 'स्वास्थ्य एवं पोषण' के अनुसरण में आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए सीएसआर का लगभग 60% व्यय किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023-24 में कुल सीएसआर व्यय ₹61.91 करोड़ है।

वित्त वर्ष 2023-24 में निर्धारित सीएसआर व्यय ₹61.91 करोड़ से वार्षिक थीम के मद में 27.54 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्र	व्यय (करोड़ रूपये में)
भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	0.86
शिक्षा (विशेष शिक्षा)और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	11.82
पर्यावरणीय स्थिरता	3.20
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	0.08
सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिक, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	0.23
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पारालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	7.99
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	0.12
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	7.81
पेय जल	9.75
स्वास्थ्य देखभाल	12.17
स्वच्छता	3.61
दिव्यांगों का कल्याण	0.98
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.15
अन्य	3.13
कुल	**61.91**

सीसीएल द्वारा 2023-24 की क्षेत्रवार सीएसआर गतिविधियों का सार इस प्रकार है:

1. स्वास्थ्य एवं पोषण

इस क्षेत्र में सीसीएल द्वारा निष्पादित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:

1.1. एमडीएम हेतु रामगढ़ में सामुदायिक रसोई का निर्माण

"स्वास्थ्य और पोषण" पर केंद्रित डीपीई थीम के अनुरूप, रामगढ़ जिले में सीसीएल द्वारा अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ 22.09 करोड़ रुपये लागत वाले एक केंद्रीकृत रसोई स्थापित करना शामिल है। इस परियोजना से जिले के 538

सरकारी विद्यालयों के 50000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ और अभी प्रगति पर है।

1.2. एम्बुलेंस का प्रावधान

समुदायों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और आपातकालीन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सीसीएल ने चतरा जिला प्रशासन को 2 और ढोरी माता समारितन सेवा केंद्र और भारत सेवाश्रम को एक-एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान किया है।

इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं और नियमित स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करना है।

1.3. सीएसआर डिस्पेंसरी तथा विशेष स्वास्थ्य शिविरों का नियमित आयोजन

केन्द्रीय अस्पताल, राँची में स्थित जन आरोग्य केंद्र तथा क्षेत्रों में संचालित कंपनी अस्पतालों के सीएसआर डिस्पेंसरियों के माध्यम से सीसीएल अपने कमान क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है। तत्पश्चात, ग्रामीणों के बीच पहुँचकर कंपनी ने गावों तथा विद्धयलयों में पूरे वर्ष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 684 शिविर आयोजित किया गया जिसमें 2,07,035 लोग लाभान्वित हुए।

ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर

मल्टी-स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर, रोग विशिष्ट शिविर (मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप की जांच), तथा मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का भी आयोजन किया है। जिन रोगियों को उच्चतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है उनका कंपनी के केंद्रीय अस्पताल में रेफर उपरांत निःशुल्क इलाज किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, सावन के दौरान तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीसीएल द्वारा दुम्मा, देवघर में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

1.4. टीबी सेनेटोरियम, टुपुदाना में चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति

कंपनी ने राम कृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम को टूबेर्क्लोसिस (क्षय रोग) और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए डिजिटल एक्स-रे, वेंटिलेटर, बेड और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं।

1.5. मध्याह्न भोजन वितरण के लिए वाहनों तथा पात्रों का प्रावधान

हजारीबाग जिले के स्कूलों में लगभग 50,000 छात्रों तक केंद्रीयकृत रसोई में तैयार स्वच्छ मध्याह्न भोजन पहुंचाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को 6 वाहन उपलब्ध कराए हैं।

1.6. ग्रेस (GRACE) (जेरिएट्रिक रेजिडेंशियल असिस्टेंट सर्टिफिकेशन एंड एंग्जेमेंट) का विकास

GRACE के विकास पर प्रशिक्षण

वृद्ध आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीसीएल ने बोकारो में वृद्ध व्यक्तियों के लिए घर पर ही प्रभावी वृद्ध चिकित्सा देखभाल के लिए 30 युवाओं को GRACE (जेरिएट्रिक रेजिडेंशियल असिस्टेंट सर्टिफिकेशन एंड इंगेजमेंट) में प्रशिक्षण देने हेतु एक योजना लागू की है।

1.7 मोबाइल कुपोषण उपचार वैन

राजकुमारी फाउंडेशन के माध्यम से ' नैवेद्यम कार्यक्रम' के अंतर्गत, कुपोषण से निदान पाने के लिए रांची जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों की जांच करने और कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था करने हेतु एक कुपोषण उपचार वैन को खरीद कर, संशोधित कर उसे भोजन पकाने के पात्रों, बर्तनों तथा अंथ्रोपोमेट्रिक उपकरणों से संसाधित किया गया है।

मोबाइल कुपोषण उपचार वैन

1.8 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मोटर चालित ट्राइसाइकिल का प्रावधान

कंपनी ने अपने संचालन क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल,

सहायक उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि प्रदान करके योगदान दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को, उनकी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद, विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

इसके अलावा, सीसीएल ने चतरा और गिरिडीह जिलों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-लाभकारी संगठनों, प्रवाह और स्कूल (सोसाइटी ऑफ कम्यूनिटी हैल्थ ओरिएंटेड ऑपरेसनल लिंक्स) के साथ साझेदारी करके अन्य प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाएँ शुरू की हैं। यह विशेष रूप से महिलाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरी लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है।

व्हील चेयर का वितरण

2. शिक्षा

सीसीएल ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कमान क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर के तहत सी.सी.एल. द्वारा की गई प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:

2.1 रांची विश्वविद्यालय, राजकीय पुस्तकालय रांची

सीसीएल ने शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार से 65.25 करोड़ की लागत के साथ रांची विश्वविद्यालय, रांची में 5000 सीटों वाले राज्य पुस्तकालय की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हैं। इस पुस्तकालय में झारखंड के छात्रों के अध्ययन, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रीडिंग हॉल, ई-रिसोर्स और जर्नल सेक्शन, कॉन्फ्रेंस रूम, ध्यान केंद्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ और अभी प्रगति पर है।

2.2 सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली

सीसीएल में वर्ष 2012 से चल रहा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली, मेहनती और मेधावी विध्यार्थियों को भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष, 40 छात्रों (20 लड़कियां और 20 लड़के) का चयन योग्यता के आधार पर किया गया। जेईई मेन्स/एडवांस/ अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए सीसीएल के आईआईटीयन अधिकारियों द्वारा निशुल्क आवासीय कोचिंग एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। पूर्व छात्र देश के प्रमुख कॉरपोरेट्स में कार्यरत हैं और गांव के अन्य बच्चों को प्रेरणा देने वाली कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

सीसीएल के लाल/सीसीएल की लाडली

2021-23 बैच का परिणाम: 35 में से 4 छात्रों ने सीबीएसई कक्षा XII बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, 12 ने 80% से अधिक और 6 ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। इंजीनियरिंग प्रवेश में, 2021-23 बैच के 13 छात्र और 2020-22 बैच के 14 छात्र जेईई मेन्स के लिए क्वालीफाई हुए और उनमें से 3 ने जेईई एडवांस क्लियर किया।

2.3 सीसीएल कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना

कोविड के कारण अपने माता-पिता या परिवार के प्राथमिक अन्नदाता के स्वर्गवास के उपरांत भी बच्चो की निर्बाध एवं नियमित पढ़ाई के लिए, सीसीएल द्वारा वर्ष 2022 में कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सीसीएल कमान क्षेत्रों से संबद्ध जिलों में कक्षा एक से स्नातक तक की पढ़ाई कर रहे 179 छात्रों को दो वर्षों तक 20,000 से 50,000 की वार्षिक छात्रवृति दी जाती है।

2.4 झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बस व्यवस्था

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूरदराज के स्थानों से आने वाले वंचित छात्रों की सुविधा के लिए, सीसीएल ने झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 2 बसों के लिए वित्त सहायता दी है।

2.5 शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम

- सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विद्यालयों में कक्षाओं के निर्माण, दीवार, पेयजल, डेस्क, बेंच आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं प्रदान की है।
- अनाथ और अन्य वंचित छात्रों को स्थानीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आवासीय शिक्षा के लिए शैक्षणिक सहायता
- छात्रों को पुस्तकें, बैग, स्टेशनरी, विद्यालय की फीस, विद्यालय-ड्रेस आदि प्रदान किए गए।

- ग्रामीण छात्रों के विद्यालय आने-जाने हेतु विद्यालय बस किराए पर लिया गया।
- कक्षाएँ एवं सामुदायिक पुस्तकालय

3. खेल प्रोत्साहन

3.1 खेल अकादमी, खेलगांव, झारखंड का संचालन/अनुरक्षण

सितंबर 2015 में झारखंड सरकार के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत, खेलगांव, होटवार, रांची में 34वें राष्ट्रीय खेलों के बुनियादी ढांचे के भीतर एक खेल अकादमी स्थापित की गई। अकादमी के परिचालन खर्च को सीसीएल और राज्य सरकार के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। अकादमी का प्रबंधन झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (जेएसएसपीएस) द्वारा किया जाता है, जिसकी देखरेख एक स्थानीय प्रबंधन समिति (एलएमसी) करती है जिसमें सीसीएल कर्मचारी शामिल होते हैं।

वर्तमान में, अकादमी में 380 खेल कैडेट (195 लड़के और 185 लड़कियां) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं, जिन्हें राज्यव्यापी कठिन प्रतिभा पहचान के माध्यम से चुना गए, लगभग 96% कैडेट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों/वर्गों से संबंध रखते हैं।

अकादमी निःशुल्क व्यापक सुविधाएँ प्रदान करती है, जिनमें विश्वस्तरीय अवसंरचना में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा कोचिंग, खेल किट, छात्रावास आवास, भोजन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएँ और चिकित्सा तथा दुर्घटना व्यय के लिए 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज शामिल है। कैडेटों को प्रति माह 500 रुपये का छात्रवृत्ति और विभिन्न टूर्नामेंटों में भाग लेने के अवसर भी मिलते हैं।

अकादमी का प्राथमिक लक्ष्य प्रतिभा को पोषित करना और एथलीटों को ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करना है। इसकी स्थापना के बाद से, खेल कैडेटों ने जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सामूहिक रूप से 1156 पदक जीते हैं।

खेल अकादमी होटवार में प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीसीएल ने अकादमी पर 9.21 करोड़ रुपये खर्च किए।

3.2 ग्रामीणों के लिए खेल सामग्री

खेल को एक उपयुक्त माध्यम मानते हुए तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन देने हेतु सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के माध्य तीरंदाजी किट, फुटबॉल, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, नेट आदि का वितरण किया है।

4. सुरक्षित पेयजल का प्रावधान

स्वच्छ पेयजल समाज की बुनियादी ज़रूरत है, फिर भी झारखंड के कई दूरदराज के गाँवों, खासकर खनन क्षेत्रों के नज़दीक बसे गाँवों को इस संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने कमान क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सीसीएल द्वारा बोरवेल/सोलर डीप बोरेल, हैंडपंप, कुएँ और वाटर फ़िल्टर आदि सुविधायें उपलब्ध कराई गयी है।

सौर ऊर्जा चालित गहरी बोरिंग

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विकसित पेयजल स्रोतों का विवरण इस प्रकार है:

गतिविधियाँ	संख्या	व्यय (लाख में)
हैंड पंप	139	138.59
कूप	19	101.62
गहरे बोरवेल	126	218.54
सौर सबमर्सिबल पंप सहित गहरा बोरवेल	65	376.83
जल प्रशोधक	42	91.39
सौर ऊर्जा से संचालित पानी की टंकी	1	7.83

5. पर्यावरण और सतत विकास

5.1 ट्री एम्बुलेंस

इस अनूठी पहल के अंतर्गत सीसीएल ने अपने परिचालन क्षेत्र के समीपवर्ती जंगलों में संक्रमित पेड़ों के उपचार तथा उनकी दीर्घ आयु, रख-रखाव हेतु ट्री एम्बुलेंस के लीये वित्तीय सहायता दी है। 51.09 लाख की लागत से इस परियोजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों की अवधि हेतु रकेडीएफ विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

निदेशकों की रिपोर्ट और अनुलग्नक

वृक्ष एम्बुलेंस का संचालन

5.2 तालाबों का निर्माण

सामान्य प्रयोजन के लिए पानी की उपलब्धता सुविधाजनक बनाने हेतु, सीसीएल द्वारा अपने कमान क्षेत्रों में स्थित गांवों तथा आसपास के क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.72 करोड़ की लागत से 11 तालाबों का निर्माण/ जीर्णोद्धार कराया गया।

तालाब का जीर्णोद्धार

5.3. हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना

हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए, सीसीएल द्वारा पारंपरिक ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु सौररूफ टॉप पैनल, सौर स्ट्रीट लाइट और घरेलू सौर लाइट की स्थापना जैसी पहल की है।

सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना

6. कौशल विकास (संवर्धन) और आजीविका

सीसीएल स्वरोजगार और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है, जिससे इसके कमान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं उतपन्न हो सकें।

6.1 सीआईपीईटी से प्लास्टिक इंजीनियरिंग (मशीन ऑपरेटर-प्लास्टिक प्रसंस्करण/इंजेक्शन मोल्डिंग) पर प्रशिक्षण

पिछले वर्षों में सीआईपीईटी के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता को देखने और कमान क्षेत्रों के युवाओं के बीच पाठ्यक्रम की मांग को देखते हुए, सीसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में प्लास्टिक प्रसंस्करण/ इंजेक्शन मोल्डिंग में 180 अन्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा लिया है। 180 उम्मीदवारों में से 85% उम्मीदवारों को देश भर के प्रतिष्ठित संगठनों में नौकरी मिल गई है।

6.2 जनजातीय महिलाओं के लिए हैंडलूम (हथकरघा) क्लस्टर विकास

हथकरघा बुनाई (हैंडलूम) में काम करने वाली संथाल आदिवासी महिलाओं की मार्सल प्रथमिक बुनकर सहयोग समिति के सहयोग से, सीसीएल ने तापिन, हजारीबाग में 25 नए करघे स्थापित करने और 75 स्थानीय संथाल आदिवासी महिलाओं को हथकरघा (हैंडलूम) और प्राकृतिक रंगोन से रंगाई पर प्रशिक्षण देने के लिए सहायता की है। तैयार उत्पाद को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक रंगाई का उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आदिवासी महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है।

हथकरघा क्लस्टर विकास

6.3 लोडर ऑपरेटर (खनन) प्रशिक्षण

चतरा में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए लोडर ऑपरेटर (खनन) पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद को नियुक्त किया है। 94.73 लाख की लागत से 2 बैचों में कुल 60 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस में कम से कम 70% उम्मीदवारों के प्लेसमेंट के साथ-साथ 3.5 महीने का आवासीय प्रशिक्षण और 3 महीने का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल है।

उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, महिलाओं और युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के किए सीसीएल

ने अपने कमान क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए हैं, जैसे सोहराय पेंटिंग, मशरूम की खेती, फैशन डिजाइनिंग, सिलाई, हैंडलूम (हथकरघा), एप्लिक बुनकर, पर्यावरण अनुकूल झाड़ू बनाना, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प आदि।

सिलाई प्रशिक्षण

7. स्वच्छता

7.1 शौचालयों का निर्माण

सीसीएल ने खुले में शौच को कम करने के लिए अपने कमान क्षेत्रों में स्थित स्कूलों/गांवों में शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण हुआ है।

7.2 स्वच्छता अभियान

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, सीसीएल द्वारा 2023-24 में पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किए गए।

सीसीएल में वृक्षारोपण, स्कूलों और अस्पतालों की सफाई, कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों की सफाई, स्टेशनरी वस्तुओं के सदुपयोग हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने, पुनः प्राप्त भूमि पर ठोस कूड़ा कचरा को खाद में बदलने, वर्षा के जल का संचयन तथा जल पुनर्चक्रण, मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन आदि समग्रियों के वितरण जैसे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

स्वच्छता अभियान के तहत पौधारोपण अभियान

8. ग्रामीण विकास परियोजनाएं

ग्रामीणों के अनुरोध पर 2023-24 के दौरान सामुदायिक हॉल, सड़कों, दीवार का निर्माण/नवीनीकरण, हाई मास्ट लाइटों की स्थापना आदि जैसी पहल की गई हैं।

32. समाधान योजना - शिकायत निवारण तंत्र

सीसीएल में कार्यरत या सेवानिवृत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, संवेदकों, उपभोक्ताओं या सीसीएल से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत के निवारण हेतु 27.04.2012 को एक शिकायत केंद्र की स्थापना की गयी थी।

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में, अथवा सीसीएल वेबसाइट पर शिकायत डेस्क के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन समाधान पोर्टल (https://www.centralcoalfields.in/ccl_cmplnt/mobileauth1.php) पर दर्ज कर सकते हैं तथा उन्हें टोल फ्री नंबर 18003456501 पर हर संभव सहायता भी प्रदान की जाती है। पोर्टल पर दर्ज शिकायत होने के उपरांत ऑनलाइन जनित पावती संख्या शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। शिकायत की स्थिति/प्रतिपुष्टि ऑनलाइन उपलब्ध रहती है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

मुख्यालय में शिकायत की समीक्षा करने के उपरांत, इसे संबंधित क्षेत्र/विभाग को अग्रेषित किया जाता है, जो शिकायत से संबंधित इकाई को ऑनलाइन अग्रेषित की जाती है। सभी स्तरों पर संबद्ध इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय के विभागों के संबंधित नोडल अधिकारियों की सूचना के लिए एसएमएस सुविधा अंतर्निहित है।

नए मामले की सूचना संबंधित इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय के संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्थिति बताने के लिए अनंतर अग्रेषित की जाती है।

दर्ज शिकायतों की दैनिक अनुवर्ती कार्रवाई फोन के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से की जाती है।

संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा 7 दिनों के भीतर अनुपालन न करने की स्थिति में, मामला संबंधित महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष/ स्टाफ अधिकारी (का. एवं प्र.) के सम्मुख रखा जाता है और उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है।

यदि संबंधित महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष/ स्टाफ अधिकारी (का. एवं प्र.) द्वारा 14 दिनों के अन्दर शिकायत का निवारण न करने की स्थिति में, मामला महाप्रबंधक (समाधान) और निदेशक (कार्मिक) के तक. सचिव के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है तथा उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है।

कुछ तकनीकी कारणों या किसी अन्य कारण से यदि शिकायत लंबित हो जाती है तो इस स्थिति में, व्यक्तिगत रूप से शिकायत को निदेशक (कार्मिक) के संज्ञान में लाया जाता है और उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है।

संबंधित क्षेत्र/विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर की समीक्षा की जाती है और यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो मामले को पुनः समीक्षा तथा यथोचित उत्तर के लिए संबंधित क्षेत्र/विभाग को भेजा जाता है और यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो उत्तर शिकायतकर्ता को शिकायत प्रस्तुत करने प्रकार्य अनुसार पत्र/ईमेल अथवा ऑनलाइन के माध्यम से अग्रेषित कर दिया जाता है।

वर्ष 2023-24 में समाधान सेल कि उपलब्धियां.

सीपी-ग्राम पोर्टल पर कुल 332 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा ऑनलाइन समाधान पोर्टल पर 209 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 541 शिकायतों का निष्पादन किया गया फलस्वरूप उपलब्धि प्रतिशतता 100 % रही है।

33. पर्यावरण एवं वन

क. पर्यावरणीय स्वीकृतियां :

1. प्रबंधन प्रणाली मानक:

31 मार्च 2024 तक, सीसीएल की 22 इकाइयां एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं। (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएएस 18001:2017)

2. प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तथा उनका प्रभाव:

क. वायु प्रदूषण नियंत्रण:

ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और कोयला परिवहन के कारण उत्पन्न धूल को नियंत्रित तथा न्यूनीकरण हेतु, सीसीएल द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में दिये गए विभिन्न पहलों को अपनी परियोजनाओं में लागू किया है। कोयला खनन के कारण पर्यावरण व अवस्थित वन पर होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान देते हुए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के अध्ययन पश्चात ईएमपी बनायी गयी है।

1. सीसीएल द्वारा सड़क मार्ग द्वारा कोयले की ढुलाई कम करने के प्रयोजन से नॉर्थ उरीमारी ओसीपी (7.5 मि.टन प्रतिवर्ष) में प्रथम फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजना प्रारंभ की गई।
2. सीसीएल की प्रत्येक परियोजना को मिस्ट टाइप वाटर स्प्रिंकलर सहित 141 मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण जगहों पर फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलर स्थापित किए गए हैं।
3. 31.03.24 तक सीसीएल की विभिन इकाइयों के लिए 27 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन क्रय तथा स्थापित किये गये।
4. कोयला परिवहन मार्ग के किनारे तथा ओवरबर्डन के ऊपर घास और वृक्षारोपण तथा हरित पट्टी का विकास।
5. केवल आच्छादित ट्रकों से कोयले का परिवहन।
6. कोयला परिवहन सड़कों की ब्लैकटॉपिंग एवं मरम्मत तथा परिवहन (ढुलाई) सड़कों का सुदृढ़ीकरण।
7. रेलवे साइडिंग और खदानों के खास जगहों पर विंड ब्रेकिंग प्रणाली एवं पानी के छिड़काव की व्यवस्था का विकास।

ख. खान जल प्रबंधन:

1. अतिरिक्त 174 लाख किलोलीटर खदान-जल का उपयोग आसपास के 140 गांवों में सामुदाय के उपयोग तथा सिंचाई पूर्ति हेतु किया जा रहा है जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
2. पीज़ोमीटर नेटवर्क के माध्यम से भूजल गुणवत्ता और जलस्तर के साथ-साथ अन्य बोर/कूपों तथा सतही जल और बहिःस्रावित जल की नियमित निगरानी की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची द्वारा सीसीएल के खदान-जल का मात्रात्मक तथा गुणात्मक मूल्यांकन किया गया।
3. वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे), रांची द्वारा दक्षिण कर्णपुरा कोलफील्ड्स, दामोदर नदी बेसिन के निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र में खनन संचालन के प्रभाव के आकलन पर एक अध्ययन किया गया।
4. सतही जल का खान संप तक प्रवाह के लिए टो वॉल, कैच ड्रेन, गारलैंड ड्रेन और सिल्टेशन तालाबों का निर्माण किया गया।
5. इसके अलावा, सीसीएल के खदान खड्डों में जमा पानी का सदुपयोग पिंजड़ाबंद मत्स्य उत्पादन के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में, लगभग 135 पिंजड़े स्थापित हैं।

ग. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण : ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा रहें हैं, जिसमें उपकरणों का उचित रखरखाव, खदान और आवासीय क्षेत्र के आसपास हरित पट्टी का विकास, दिन के समय विस्फोट करना तथा शोर वाले क्षेत्रों में ईयर मफ/ईयर प्लग का उपयोग करना शामिल है।

घ. भूमि-उद्धार :

(i) सीसीएल द्वारा अभी तक अपने कमान क्षेत्रों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 5,300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में 95 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में किए गए वृक्षारोपण की तालिका नीचे प्रस्तुत है:

वृक्षारोपण का लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि%
220 हेक्टेयर	231.35 हेक्टेयर	105%

(ii) एक नई पहल के रूप में, सीसीएल ने 2023 में आईसीएफरई (वन उत्पादकता संस्थान, रांची) के सहयोग से रजरप्पा क्षेत्र में मियावाकी वृक्षारोपण भी किया। यह एक जापानी तकनीक है जिसमें घने वन विकास के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 से अधिक क्षेत्रीय (देशी) पौधे लगाए जाते हैं।

3. पर्यावरणीय अनुश्रवण:

1. वर्ष 2023-24 में, सीएमपीडीआई की एनएबीएल-प्रमाणित प्रयोगशाला द्वारा सीसीएल की सभी इकाइयों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण स्तर का नियमित मापन किया गया है।
2. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के सर्वर से जुड़े डेटा के साथ जुड़े 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) एवं 41 कांटीन्यूअस पीएम 10 एनलाइजर पहले से क्रियान्वित हैं।
3. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआई के माध्यम से सैटेलाइट के अकड़ों तथा रिमोट सेंसिंग के आधार पर सीसीएल की 22 खुली खदानों की भूमि-उद्धार का अनुश्रवण किया जा रहा है।

4. सीसीएल की परियोजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त वर्धित पर्यावरणीय स्वीकृतियां:

वित्त वर्ष 2023-24 में अवस्थित खदानों के लिए 12.30 मि.टन/वर्ष और कोकिंग कोल वाशरी के लिए 3 मि.टन/वर्ष वर्धित पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है।

क्र सं	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन/वर्ष में)	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की तिथि
नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति			
1	सिरका ओ.सी.पी.	1.00	14.07.2023
2	कोटरे बसंतपुर पचमो ओ.सी.पी.	5.00	18.09.2023
3	केदला ओ.सी.पी.	1.35	15.12.2023
4	रजरप्पा कोल वाशरी	3.00	05.02.2024
पर्यावरणीय स्वीकृति की क्षमता में विस्तार/वृद्धि			
1	जरंगडीह ओसीपी	1.50	30.11.2023
2	आम्रपाली ओसीपी	24.19	05.02.2024
3	उत्तरी उरीमारी ओसीपी	4.50	15.03.2024 को ईसी (EC) अनुशंसा
पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि/विस्तार			
1	आम्रपाली ओसीपी	20.16	12.05.2023
2	उत्तरी उरीमारी ओसीपी	4.20	09.11.2023

5. अन्य पर्यावरण संबंधी समारोह/जागरूकता गतिविधियाँ:

क. सीसीएल के सभी क्षेत्रों और परियोजनाओं में 05.06.2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया ताकि सतत खनन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करने की पहल को प्रोत्साहित किया जा सके। इस अवसर पर, सीसीएल के कमान क्षेत्रों में पौधरोपण के साथ-साथ पौधों का वितरण, प्रश्नोत्तरी, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

ख. सीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 23-24 में किए गए पर्यावरण हितैषी कार्यों पर प्रकाश डालने वाली "नेचर्स वॉयस" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गयी। इस पुस्तिका की सराहना कोयला सचिव ने भी की है। उक्त पुस्तिका सीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://www.centralcoalfields.in/sutbs/pdf/03_08_2023_magazine_2023.pdf

ग. दिनांक 06.06.23 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह “कोल मिनिस्टर पुरस्कार 22-23” अंतर्गत सस्टेनेबिलिटी श्रेणी में सीसीएल को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की झलकियां एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका

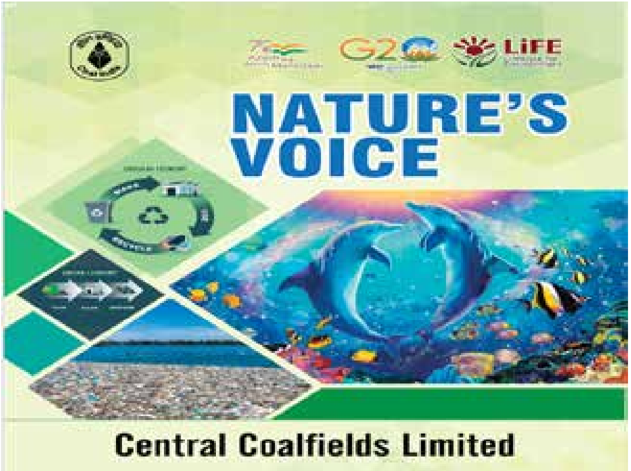

01 नवंबर, 2023 को कोल इंडिया के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, सीसीएल को वर्ष 2022-23 के लिए "सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रबंधन" श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड द्वारा अपने अधिकारियों के लिए पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर आधारित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 12 मार्च, 2024 को किया गया। एक सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यावरण, खनन और सीपी संवर्ग के कुल 40 अधिकारियों ने दो समूहों में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन फरवरी-मार्च, 2024 में किया गया था।

वर्ष 2023-24 में पर्यावरण प्रबंधन और सस्टेनेबिलिटी के लिए सीसीएल को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र ।

ख. वन मंजूरी:

1. चरण I वानिकी स्वीकृति: 563.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 3 प्रस्ताव

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	चरण I की तिथि
1	उत्तरी उरीमारी रेलवे साइडिंग	11.11	12.07.2023
2	आम्रपाली ओसीपी	431.59	21.12.2023
3	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	120.61	17.01.2024
कुल		**563.31**	

ii. चरण II वानिकी स्वीकृति: 898.35 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 3 प्रस्ताव

सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	चरण I की तिथि
1	उरीमारी ओसीपी	34.64	10.07.2023
2	कोटरे बसंतपुर और पचमो	855.17	14.03.2024
3	मगध कोल ब्लॉक में कोयला पाइप कन्वेयर	8.54	18.03.2024
कुल		**898.35**	

iii. वन भूमि का हस्तांतरण: 77.30 हेक्टेयर के लिए 1 प्रस्ताव

सं	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर	साइट हैंडओवर की तिथि
1	तोपा ओसीपी	77.30	09.08.2023
कुल	77.30		

iv 19.10.2023 को उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग की 11.11 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एक वर्ष के लिए कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।

v. झारखंड सरकार द्वारा एमओईएफ़सीसी/आइरओ- एमओईएफ़सीसी को अनुशंसित प्रस्ताव

सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अग्रेषण की तिथि	टिप्पणी
1	परेज पूर्वी ओसीपी	101	27.06.2023	चरण-I के लीये
2	परेज पूर्वी ओसीपी (नवीनीकरण)	43.52	02.08.2023	चरण-I के लीये
3	केदला यूजीपी	29.19	07.08.2023	चरण-II के लीये से आरओ रांची
4	आम्रपाली ओसीपी	431.59	20.10.2023.	चरण-I के लीये
5	केदला ओ.सी.पी.	168.50	20.09.2023	चरण-I I के लीये
6	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	120.61	07.11.2023	चरण-I के लीये से आरओ रांची
7	मगध पूर्वी ओ.सी.	192.36	12.02.2024	चरण-I के लीये
8	कोटरे बसंतपुर पचमो ओसीपी	855.17	09.11.2023 & 13.02.2024	चरण-II के लीये
9	उरीमारी ओसीपी नवीकरण	49.97	26.02.2024	चरण-II के लीये
10	चंद्रगुप्त ओ.सी.पी.	699.38	22.08.2023 & 23.02.2024	चरण-I के लीये
11	बसंतपुर-तापिन वाशरी रोड	2.12	26.02.2024	चरण-I के लीये से आरओ रांची
12	कारो ओ.सी.पी.	226.67	21.07.2023 & 29.02.2024	चरण-II के लीये
13	उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग	11.11	07.07.2023 & 29.02.2024	चरण-II के लीये से आरओ रांची
14	राजरप्पा ओसीपी	277.15	03.08.2023 & 06.03.2024	चरण-II के लीये
	कुल	**3208.34**		

vi वन मंजूरी आवेदन का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण/संशोधन

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हे में)	आवेदन/संशोधन की तिथि
1	केदला दानई रेलवे साइडिंग	30.20	07.07.2023
2	रजरप्पा वाशरी	15.85	20.02.2024
3	पिपरवार भूमि उपयोग में परिवर्तन	85.47	17.07.2023
4	पिपरवार भूमि उपयोग में परिवर्तन	12.82	18.07.2023
5	पिपरवार भूमि उपयोग में परिवर्तन	2.82	18.07.2023
कुल		**147.16**	

vii. भुगतान: एफसी प्रस्तावों के संबंध में 'वन भूमि' शीर्ष के अंतर्गत 244.25 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय किया गया।

viii. 115.92 हेक्टेयर जीएमजेजे भूमि के लिए 3 प्रस्तावों का एनओसी जारी किया गया

क्र सं	प्रस्ताव का नाम	जीएमजेजे भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	जारी करने की तिथि
1	तापिन दक्षिण विस्तार ओ.सी.पी.	59.99	21.07.2023
2	उत्तर उरीमारी ओसीपी	50.80	21.07.2023
3	मगध रेलवे साइडिंग	5.13	10.11.2023
कुल		**115.92**	

ix. 743.8 हेक्टेयर वन भूमि के लिए 3 प्रस्तावों के लिए एफआरए जारी किया गया

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	जीएमजेजे भूमि का क्षेत्रफल	जारी करने की तिथि
1	पुंडी ओसीपी	493.8	19.10.2023
2	उत्तर उरीमारी ओसीपी	133	14.07.2023
3	तापिन साउथ ओसीपी	117	14.07.2023
कुल		**743.8**	

x. 3385 हेक्टेयर भूमि के 4 प्रस्ताव के लिए चिन्हित प्रतिपूरक वनीकरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	सी ए भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पहचान की तिथि
1	अशोक विस्तार खुली खदान	1856	06.04.2023
2	पुंडी ओसीपी	988	19.10.2023
3	गिद्दी ए ओसीपी	465	09.12.2023
4	पिपरवार यूजीपी	76	03.11.2023
कुल		**3385**	

xi. विभिन्न योजनाओं का निर्माण व अनुमोदन

क्र.सं.	प्रस्ताव	योजना	अनुमोदन तिथि
1	मगध ओसीपी	वन्यजीव प्रबंधन योजना	29.11.2023
2	कोटरे बसंतपुर पचमो ओसीपी	वन्यजीव प्रबंधन योजना	27.12.2023
3	केडीएच ओसीपी	वन्यजीव प्रबंधन योजना	30.01.2024
4	उरीमारी ओसीपी	वन्यजीव प्रबंधन योजना	31.01.2024
		मृदा एवं नमी संरक्षण योजना	15.03.2024
5	आम्रपाली ओसीपी	वन्यजीव प्रबंधन योजना	22.03.2024
6	पुरनाडीह ओसीपी	वन्यजीव प्रबंधन योजना	22.03.2024

xii. 3485 हेक्टेयर भूमि का 5 प्रस्तावों का डीजीपीएस और केएमएल की निर्माण:

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हे. में)
1	पिपरवार यूजीपी	76
2	पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र में वृक्षारोपण	100
3	पुंडी ओसीपी	988
4	अशोक विस्तार ओ.सी.पी.	1856
5	गिद्दी ए ओसीपी	465
कुल		**3485**

xiii. 1583.2 हेक्टेयर भूमि का 6 प्रस्तावों का डीजीपीएस और केएमएल की निर्माण:

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हे. में)
1	पिपरवार ओसीपी भूमि उपयोग में परिवर्तन	13.11
2	परेज ईस्ट ओसीपी	107
3	चैनपुर ओसीपी	308
4	पिपरवार ओसीपी भूमि उपयोग में परिवर्तन	28.22
5	पिपरवार ओसीपी भूमि उपयोग में परिवर्तन	101.87
6	रोहिणी केरकट्टा ओसीपी	1025
कुल		**1583.2**

34. भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास

- **नियोजन**

परियोजना प्रभावित परिवारों के 182 आश्रितों/नामांकित व्यक्तियों को भूमि के बदले रोजगार स्वीकृत किया गया तथा इनमें से 159 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, तत्पश्चात 318 एकड़ से अधिक भूमि पर अधिग्रहण किया गया।

- **भू मुआवजा**

344 एकड़ की भूमि के लिए भू-मालिकों को 27.12 करोड़ रुपये स्वीकृत/भुगतान किए गए तथा 1037.76 एकड़ सरकारी भूमि के लिए झारखंड सरकार को 597.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन**

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के तहत कुल 147 परियोजना प्रभावित परिवारों को लाभ प्रदान किया गया, जिनमें से 33 ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना साइट पर भूखंड का विकल्प चुना और 114 ने एकमुश्त भुगतान लिया। इसके अतिरिक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना लाभ, 748 घरों के लिए गृह मुआवज़ा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्थल के विकाश की गतिविधियों के लिए कुल 62.87 करोड़ स्वीकृत किये गए तथा वितरण प्रक्रिया में हैं।

- **अधिग्रहण**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकाश) अधिनियम,1957 के अंतर्गत कुल 11 अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनका विवरण निमन्वत है:-

I. पिपरवार रेलवे साइडिंग के लिए धारा 4(1) देखें एसओ संख्या 4296 (ई) दिनांक 03.10.2023, 1.09 हेक्टेयर

II. संघमित्रा खुली खदान परियोजना के लिए धारा 7(1) देखें एसओ संख्या 2246(ई) दिनांक 23.05.2023, 482. 87 हेक्टेयर

III. हेंदेगीर खुली खदान परियोजना के लिए धारा 07 (1) देखें एसओ संख्या 2247 (ई) दिनांक 23.05.2023 ,541.71 हेक्टेयर

IV. रोहिणी केरकेट्टा के लिए धारा 07(1) देखें एसओ संख्या 4295 (ई) दिनांक 03.10.2023 , 863.29 हेक्टेयर

V. मगध विस्तार के लिए धारा 7(1) देखें एसओ-सं:-4979(ई) दिनांक 17.11.2023 ,23.03 हेक्टेयर

VI. सिरका खुली खदान परियोजना के लिए धारा 7(1), देखें एसओ संख्या 357 (ई) दिनांक 29.01.2024 , 92.91 हेक्टेयर के लिए

VII. चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना के लिए धारा 09(1) देखें एसओ संख्या 2390 (ई) दिनांक 01.06.2023, 170.72 हेक्टेयर

VIII. झारखंड लाईयो के लिए धारा 9(1) देखें एसओ संख्या 54404 (ई) दिनांक 12.12.2023, 108.10 हेक्टेयर

IX. चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना के लिए धारा 11(1) देखें एसओ संख्या 4943 (ई) दिनांक 14.11.2023 , 170.72 हेक्टेयर

X. गिद्दी सी के लिए धारा 9(1), देखें एसओ संख्या 387(ई) के तहत 31.01.2024 , 42.88 हेक्टेयर

XI. होन्हे-शिवपुर रोड (एसी एरिया) के लिए धारा 9(1) देखें एसओ ओ. 996(ई) 01.03.2024

- **अन्य उपलब्धियां**

I. कांके में प्रस्तावित 5.50 हेक्टेयर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण हेतु झारखंड सरकार और सीसीएल के मध्य एक समझौता किया गया।

II. सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 11(1) के तहत जारी निहित आदेश में संशोधन के संबंध में आदेश की प्रति, ताकि प्रस्तावित तापिन वसंतपुर वाशरी, कठारा, स्वंग, न्यू धोरी और राजरप्पा का संचालन करने के लिए सफल बोलीदाता/एजेंसी को भूमि पट्टे पर दी जा सके।

III. रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि, जो बाद में एनसीडीसी और फिर सीसीएल के स्वामित्व में आई, से प्रभावित मुस्लिम अंसारी से संबन्धित रोजगार और उचित मुआवजे की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार की गयी है।

IV. कोयला मंत्रालय द्वारा मार्च 2024 में सात (7) पार्ट टाइम ट्रिब्यूनल (अंशकालिक न्यायाधिकरण) की स्थापना की गई, जिसकी मदद से जिला स्तर पर ही भूमि मुआवजे के मुद्दों का शीघ्र निवारण करने में मदद मिलेगी।

V. अधिग्रहित/निहित भूमि का डिजिटलीकरण: सीसीएल में विभिन्न तरीकों से लगभग 73000 हेक्टेयर अधिग्रहित/ निहित भूमि का डिजिटलीकरण पूर्ण कर इसे पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जबकि भूखंडवार डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

35. भूगर्भ विज्ञान विभाग

1. भूगर्भीय सेवाएँ

भूगर्भ विज्ञान विभाग की उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं, जिनमें अधिकांश क्षे.सं.आर I- III, सीएमपीडीआई तथा सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में उत्पादन सहायक खनन सेवाओं के अन्वेषण कार्यों से संबंधित हैं।

1. क्षेत्रीय निदेशक और विभागाध्यक्ष (अन्वेषण), क्षे.सं. आर I -III, सीएमपीडीआई, रांची के साथ परिचालित ब्लॉकों के वार्षिक कार्य योजना 2023-24 के संबंध में पारस्परिक विमर्श जहां सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में विभागीय और आउटसोर्सिंग माध्यम से अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

2. क्षे.सं. आर I - III, सीएमपीडीआई, रांची द्वारा सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में विभागीय सहित आउटसोर्सिंग माध्यम किए गए भूगर्भीय (कोरिंग और नॉन-कोरिंग ड्रिलिंग), भूभौतिकीय (भूभौतिकीय लॉगिंग, प्रतिरोधकता और वीईएस सर्वेक्षण) अन्वेषण कार्य का अनुश्रवण।

3. वित्त वर्ष 2023-24 तक सीएमपीडीआई [विभागीय (45938 मीटर) + आउटसोर्स (24535 मीटर)] के माध्यम से सीसीएल कमान क्षेत्र में कुल 70473 मीटर अन्वेषण कार्य किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भूगर्भ विज्ञान विभाग, सीसीएल का प्रदर्शन निम्न प्रदर्शित है :

(आर I-III, सीएमपीडीआई के माध्यम से)

	वित्त वर्ष 2023-24		उपलब्धि (%)
	लक्ष्य	उपलब्धियों	
विभागीय (मीटरेज)	46600	45938	98.57%
आउटसोर्स्ड (मीटरेज)	26000	24535	94.36%
कुल मीटरेज	72600	70473	97.07%
पूंजीगत व्यय (करोड़ में)	79.38	68.32	86.06%
भूगर्भीय रिपोर्ट (जीआर)	2	2	100%

- देवनद- III ब्लॉक के पश्चिमी भाग में 3-डी सिस्मिक (भूकंपीय) और प्रतिरोधकता सर्वे के लिए 12.14 करोड़ आवंटित किए गए परंतु वित्त वर्ष 2023-24 में उपरोक्त ब्लॉक में कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण कार्य बाधित रहा।

4. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में 139 ड्रिल किए गए बोरहोल का संयुक्त मापन।

5. आउटसोर्सिंग प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए तकनीकी समिति की 44 बैठकों का आयोजन।

6. क्षे.सं. आर I - III, सीएमपीडीआई, रांची द्वारा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट निम्नलिखित हैं : -

क. अशोक करकट्टा पश्चिम चरण II (उत्तरी भाग), उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र।

ख. कोयद किशनपुर दक्षिणी ब्लॉक, उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र।

7. सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभागीय और आउटसोर्सिंग द्वारा किए गए कोयला परीक्षण, भूभौतिकीय सर्वेक्षण और अन्य अन्वेषण कार्यों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा प्रस्तुत 80 बिलों का प्रसंस्करण किया गया।

8. सीसीएल कमान क्षेत्र में 01.04.2023 तक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कोयला भंडार का संकलन। सीसीएल कमान क्षेत्र (सीआईएल और गैर-सीआईएल दोनों ब्लॉक) में कुल 47013.89 एमटी कोयला भंडार है। दिनांक 1.04.2023 तक भारत में कुल कोयला इन्वेंटरी 378207.28 एमटी है।

9. भूमिगत विभाग ,योजना एवं परियोजना विभाग, सी.एम. पी.डी.आई. संचालन विभाग, सीसीएल तथा क्षेत्रीय संस्थान आर I-III, सीएमपीडीआई के साथ परस्पर विमर्श।

10. क्षेत्रों द्वारा मांगी गयी आवश्यकता अनुसार ड्रिलिंग सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तोपा (295.50 मीटर) और लपंगा (9258.0 मीटर) ड्रिलिंग शिविर द्वारा कुल 9553.50 मीटर की ड्रिलिंग की गई है।

11. राँची विश्वविद्यालय के तीन (03) छात्रों को भूगर्भ विज्ञान विभाग, सीसीएल में प्रशिक्षण दिया गया।

2. कोयला भंडार

- दिनांक 01.04.2023 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत (सीआईएल ब्लॉक तथा नॉन- सीआईएल ब्लॉक) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संकलित एवं परिकलित सिद्ध, सूचित एवं अनुमानित कोयला का सकल भूगर्भीय भंडार 47.01 बिलियन टन है (1200 मीटर की गहराई तक)। सीसीएल कमान क्षेत्र में कोयला भंडार का विवरण नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े बिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	सिद्ध	सूचित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	8.979	8.925	1.542	19.446
गैर कोकिंग	18.302	6.485	2.778	27.565
कुल	**27.281**	**15.410**	**4.320**	**47.011**

- दिनांक 01.04.2023 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय संस्थान आर । -III, सीएमपीडीआई द्वारा संकलित एवं परिकलित सिद्ध, सूचित एवं अनुमानित कोयला का सकल भूगर्भीय भंडार 24.15 बिलियन टन है (1200 मीटर की गहराई तक) । सीसीएल कमान क्षेत्र में कोयला भंडार का विवरण नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े बिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	सिद्ध	सूचित	अनुमानित	कुल
कोकिंग	7.35	2.34	0.01	9.70
गैर कोकिंग	11.64	2.44	0.37	14.45
कुल	**18.99**	**4.78**	**0.38**	**24.15**

36. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

हितधारक संतुष्टिकरण के प्रयोजन से पारदर्शिता वर्धन तथा संसाधनों के इष्टम उपयोग हेतु सीसीएल द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 में इस दिशा में उठाये गए कदम निम्नानुसार है:

1. सीसीएल में व्यवसायिक प्रक्रियाओं के एकीकरण हेतु विश्वविख्यात ईआरपी समाधान 'सैप' अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। इसके 7 मॉड्यूल यथा पी.पी. (प्रोडक्शन प्लानिंग), पी.एस.(प्रोजेक्ट सिस्टम), पी.एम. (संयंत्र मेंटेनेंस), एच.सी.एम.(ह्मन कैपिटल मैनेजमेंट), एफ.आई.सी.ओ (फाइनेंस & कण्ट्रोल), एम.एम.(मटेरियल मैनेजमेंट) एवं एस.डी.(सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन) में सभी अनुषंगीयों में उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

   डेटा संग्रहण, गणना और भुगतान जैसे विभिन्न चरणों को अनुकूलित करके सहायक कंपनी में पेरोल प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे मैन्युअल प्रयास और संभावित त्रुटियों में उल्लेखनीय कमी आई है, तथा कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। सीसीएल, जुलाई 2023 में डीएमई (डेटा मीडियम एक्सचेंज) इंटरफेस भुगतान को लागू करने वाली सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में से पहली सहायक कंपनी है।
2. सीसीएल के सभी 4 केंद्रीकृत अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर स्मार्ट मेडिकल कार्ड जारी किए जा रहे हैं ताकि चिकित्सीय सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
3. सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके चिकित्सा दावों के समय पर निवारण के लिए एसएमएस अलर्ट सक्षम सीपीआरएमएस बिल ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है। 01.07.2023 को इसके लॉन्च के साथ ही यह सीपीआरएमएस लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जिसमें वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने चिकित्सा बिलों की वर्तमान स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इस पोर्टल से न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता आई है अपितु सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की अदायगी की प्रक्रिया में भी तेजी आई है।
4. विभिन्न चरणों में विचारधीन मुकदमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी में एक टाइमलाइन अलर्ट आधारित विधि प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर याचिकाकर्ता से याचिका/मामले की प्राप्ति उपरांत सीसीएल में व्यवहृत विभिन्न चरणों की विस्तृत कैपचरिंग करता तथा तदनुसार प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति व लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। किसी भी चरण में विलंब होने पर सॉफ्टवेयर एसएमएस के रूप में एक अलर्ट विधि विभाग तथा संबंधित विभाग के अधिकारी को भेजता है।
5. रोजगार आवेदन ट्रैकिंग सिस्टम: (9.3.0) एनसीडबल्यूए-XI की कंडिका 9.3.0 अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए आवेदन की लाइव स्थिति को ट्रैक करने हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। आवेदक ओटीपी सत्यापित लॉगिन तंत्र के माध्यम से आवेदन की लाइव स्थिति को ट्रैक कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विकसित किया गया है।
6. कोल इंडिया मैराथन के लिए पंजीकरण पोर्टल को स्तरोन्नत किया गया। बधारहित एवं प्रतिभागियों के सुरक्षित पंजीकरण हेतु सुरक्षित भुगतान गेटवे के साथ पोर्टल को संयोजित किया गया।
7. सीसीएल की कारपोरेट वेबसाइट https://www.centralcoalfields.in के साथ-साथ विकसित सभी आंतरिक सॉफ्टवेयरों को सुरक्षित, स्केलेबल और मजबूत एडबल्यूएस (अमेज़ॅन वेब सर्विसेज) क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सफलतापूर्वक अंतरित कर दिया गया है।
8. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, साइबर अपराध के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने हेतु सीसीएल के मानव संसाधन विकास केंद्र में 'साइबर हाइजीन' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी हितधारकों के मध्य साइबर सुरक्षा संबद्ध उद्धरण सीसीएल की कारपोरेट

वेबसाइट। व्हाट्सएप समूहों जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाई गई है।

9. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कार्यरत सभी कांटाघरों (रोड सेल और आंतरिक परिवहन) में नेटवर्क की उपलब्धता हेतु फ़ेलसेफ तंत्र के साथ निर्बाध डाटा अंतरण केंद्रीय सैप सर्वर से किया जा रहा है।

10. सीआईएल के केंद्रीय सेवा प्रदाता के सौजन्य से कोयले की ई-नीलामी एवं वस्तुओं और सेवाओं का ई-क्रय किया जा रहा है। उपलब्धता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के ई-क्रय के लिए जीईएम पोर्टल का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है। आईटी पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आरंभ वेंडरों एवं कर्मचारियों को ई-भुगतान एवं शिकायकतों के निवारण हेतु ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई है।

11. संपूर्ण सीसीएल में संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में उन्नयन हेतु एनआईसी के सौजन्य से ई-ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है जिसका उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन में गुणात्मक सुधार कर उत्पादन और उत्पादकता मे वृद्धि एवं पारदर्शिता लाना है।

12. विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के उत्पादकता और दक्षता में प्रभावी सुधार करने की दिशा में एवं सैप (ईरपी) क्रियान्वयन हेतु सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल तथा कमान क्षेत्रों में लैन सहित सैप(ईरपी) के प्रभावी क्रियावयन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) को फ़ेलसेफ रिडनडेंट मोड के साथ चालू किया गया है ।

13. सीसीएल के सभी अधिकारियों को सीआईएल द्वारा जारी किए गए कारपोरेट ई-मेल मैसेज सिस्टम को अंतर विभागीय पत्राचार के लिए क्रियान्वित किया गया है।

14. सीसीएल के सभी अधिकारियों की वार्षिक कार्यक्षमता का मूल्यांकन, सतर्कता सूचना एवं वार्षिक संपत्ति विवरण सीआईएल द्वारा संचालित केंद्रीय वेब प्रणाली पर किया जाता है ।

37. सुरक्षा प्रबंधन

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का सुरक्षा विभाग कंपनी की संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोयले की चोरी, अवैध खनन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग 24x7 कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए मोबाइल आधारित ऐप " खनन प्रहरी " का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा विभाग ने विभिन्न खदानों/परियोजनाओं और इकाइयों में चल रही विभिन्न गतिविधियों की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। 01.04.2024 तक सीसीएल के विभिन्न सुरक्षा बलों की कुल संख्या निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	सुरक्षा बल का प्रकार	मौजूदा ताकत (संख्या)
1	विभागीय सुरक्षा	1551
2	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	1846
3	राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ), झारखंड सरकार	246
4	होम गार्ड्स, झारखंड सरकार	2114
	कुल	**5757**

वर्तमान में, सीआईएसएफ़ चार क्षेत्रों में तैनात है , अर्थात् 1. बी एंड के (करगली) 2. ढोरी 3. उत्तरी कर्णपुरा और 4. पिपरवार। मगध और आम्रपाली (झारखंड) के लिए 1676 सीआईएसएफ़ पदों के सृजन को गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है, और मगध-संघमित्रा और आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्रों के लिए 1676 सीआईएसएफ़ कर्मियों की भर्ती के लिए प्रारंभिक औपचारिकताएँ अंतिम चरण में हैं।

कोयला चोरी/चोरी और अवैध खनन के संबंध में सीसीएल के 14 क्षेत्रों के वर्ष 2023-24 का सार निम्नानुसार है:

- **कोयला चोरी**

बरामद मात्रा (टन में)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	छापों की संख्या	स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत	एफआईआर	गिरफ्तारी
847.818	22.82	305	35	20	10

- **अवैध खनन**

बरामद मात्रा (टन में)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	छापों की संख्या	स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत	एफआईआर	गिरफ्तारी	रैट होल की संख्या
26.58	2.12	218	44	3	2	2444

(अ

(वैध रैट होल के आसपास की तस्वीरें)

कोयले की चोरी की रोकथाम के लिए सीसीएल के कमान क्षेत्रों में आईटी पहल लागू की गई है। इले. एवं दूरसंचार विभाग ने 24x7 निगरानी के लिए क्षेत्रों के साथ-साथ आवासीय कॉलोनियों और कार्यालय परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और कंपनी की संपत्ति और परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान कर ने के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थापित आईवीटी नियंत्रण कक्ष के साथ इसे जोड़ा गया है।

कारपोरेट स्तर पर, पिछले एक वर्ष में, सुरक्षा विभाग, सीसीएल ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सराहनीय और सराहनीय प्रयासों को देखते हुए , सुरक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान सीसीएल राजभाषा पुरस्कार- 2023 से सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगातार तीन तिमाहियों के लिए गैर-तकनीकी समूह में राजभाषा "रनिंग अवार्ड" जीता ।

कार्यान्वन की गहन योजना, निरंतर निगरानी तथा यथोचित लाईजनिंग/ट्रैफिक कर्मियों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप 11/02/2024 को कोल इंडिया मैराथन, सीआईएल 2024 का सफल आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सीआईएल अधिकारियों, समाज के प्रमुख व्यक्तियों सहित लगभग 9000 प्रतिभागी मौजूद थे। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के आसपास लगभग 3000 वाहनों पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एक मिनट के लिए भी यातायात अवरुद्ध नहीं हुआ।

38. राजभाषा कार्यान्वयन 2023-24

राजभाषा विभाग: गतिविधि एवं उपलब्धियां

1. सीसीएल में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड भाषायी वर्गीकरण के आधार पर 'क' क्षेत्र में अवस्थित है। भारत सरकार के अधीन मिनिरत्न कंपनी के रूप में स्थापित सीसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा वैधानिक अनुपालनों के अतिरिक्त कंपनी के हितधारकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने तथा सर्वोत्तम सेवाओं को सुनिश्चित कर ने हेतु एक साधन के रूप में हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने और उपयोग करने की पहल की है। राजभाषा विभाग द्वारा नियमित अनुश्रवण तथा विभिन्न स्तरों पर नियमित प्रयासों से कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन सुगम हुआ है तथा कंपनी अपने वार्षिक कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है।

2. संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण :

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 15.07.2023 को सीसीएल का राजभाषा संबंधी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में निदेशक (कार्मिक) महोदय ने सीसीएल की ओर से प्रतिनिधित्व किया। माननीय संसदीय समिति के द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर समिति को सीसीएल द्वारा दिए गए आश्वासनों पर की गई कृत कार्रवाई से मंत्रालय को अवगत कराया गया।

3. कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.12.2023 को पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा विभागाध्यक्ष (राजभाषा) ने सीसीएल का प्रतिनिधित्व किया।

4. कारपोरेट स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट स्तर पर मुख्यालय में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है। आयोजित बैठकों में राजभाषा के कार्यान्वयन से सबंधित सम्यक चर्चा की जाती है।

साथ ही, समीक्षाधीन वर्ष में समस्त विभागों/क्षेत्रों से प्राप्त राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की गयी तथा संबन्धित विभागों से राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु वरीय तथा राजभाषा नोडल अधिकारियों से चर्चा की गयी।

5. राजभाषा प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं :

सीसीएल में राजभाषा क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु पांच एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गयी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाएं :

इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी में उपलब्ध सैद्धान्तिक व प्रयोगकीय तकनीकी सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी आशुलिपि तथा टंकण की कार्यशाला में अँग्रेजी आशुलिपिकों तथा टंककों को यूनिकोड समर्थित हिंदी टंकण, बोलकर टंकण कर ने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। राजभाषा के नोडल अधिकारियों के दैनिक कार्यालयीन कार्यों को सुगम बनाने के प्रयोजन से सी-डैक, पुणे द्वारा विकसित मशीन अनुवाद प्रणाली कंठस्थ 2.0 का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के विभिन्न विभागों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा विकसित भाषिणी एप्प, अनुवादिनी पोर्टल के प्रयोग से संबंधित डेस्क-प्रशिक्षण दिया गया।

6. सीसीएल के प्रकाशन :

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। राजभाषा विभाग के सहयोग से कंपनी की गृह पत्रिका 'उत्कर्ष' का प्रकाशन जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। 'उत्कर्ष' पत्रिका के साथ-साथ सीसीएल में प्रति माह सीसीएल समाचार की एक ई-पत्रिका 'अपनी बात' प्रकाशित की जाती है।

7. नराकास (उपक्रम), रांची के तत्वावधान में आयोजित गतिविधियां :

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), रांची के तत्वावधान में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिसमें सीसीएल की सक्रिय भूमिका तथा प्रतिभागिता रहती है। नराकास की बैठकों में सीसीएल को दिये गए दायित्वों का सजग अनुपालन किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष की दूसरी छमाही में सीसीएल द्वारा नराकास (उपक्रम) के तत्वावधान में दिनांक 24.11.2023 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

साथ ही, नराकास (उपक्रम), रांची के बैनर के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सीसीएल की सक्रिय प्रतिभागिता रहती है। राजभाषा विभाग द्वारा प्रतियोगिता अनुरूप प्रतिभागियों का चयन किया गया तथा उपक्रम स्तरीय सभी प्रतियोगिताओं में सीसीएल के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है।

8. राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण:

समय-समय पर सीसीएल के क्षेत्रों, केंद्रीकृत इकाइयों एवं मुख्यालय के विभागों में राजभाषा संबद्ध प्रगति का अनुश्रवण किया गया और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित सलाह दी गयी। वर्ष के दौरान सीसीएल मुख्यालय के 14 विभागों तथा सीसीएल के 06 क्षेत्रों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में कार्यालय तथा मुख्यालय के बाहर स्थित 25 प्रतिशत कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है जिसे वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत प्राप्त किया गया।

9. तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे :

दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया। इस सम्मेलन में सीसीएल की ओर से विभागाध्यक्ष (राजभाषा) सहित दो वरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

10. सीसीएल में राजभाषा पखवाड़ा -2023 का आयोजन :

वित्त वर्ष 2023-24 में सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया जिसमें सीसीएल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार तथा माननीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के संदेश का परिचालन सभी महाप्रबंधकों/विभागाध्यक्षों/स्टाफ अधिकारियों तथा विभिन्न व्हाट्स एप्प समूहों के मध्य किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (कार्मिक) का संदेश का वृहत प्रसार विभाग द्वारा किया गया। साथ ही, सीसीएल के सभी सोशल मीडिया हैंडल से भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर संदेश भी प्रसारित किया गया।

राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं का विवरण :

क्र.स.	प्रतियोगिता का विवरण	आयोजन की तिथि	आयोजन स्थल
1	हिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	19.09.2023	मा.सं.वि. विभाग
2	हिंदीतर भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	19.09.2023	मा.सं.वि. विभाग
3	टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	20.09.2023	मा.सं.वि. विभाग
4	राजभाषा ज्ञान-सह-प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	21.09.2023	मा.सं.वि. विभाग
5	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	22.09.2023	मा.सं.वि. विभाग
6	स्वरचित काव्यपाठ प्रतियोगिता	23.09.2023	मा.सं.वि. विभाग

दिनांक 30.09.2023 को राजभाषा पखवाड़ा का समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह निदेशक (तकनीकी/संचालन), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), मुख्य सतर्कता की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन कर ने वाले तीन क्षेत्रों तथा मुख्यालय के दो विभागों को सीसीएल राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया। समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह में 30 प्रतिभागियों को स्मृति-चिन्ह, प्रमाण-पत्र सहित कोल इंडिया द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया। साथ ही, 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 100 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।

राजभाषा पखवाड़ा के समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्कार, रंगकर्मी डॉ. कमल कुमार बोस को सीसीएल राजभाषा भास्कर सम्मान – 2023 से सम्मानित किया गया।

11. प्रोत्साहन हेतु अन्य गतिविधियां :

- राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास कर ने के उद्देश्य से तिमाही के दौरान राजभाषा का सर्वोत्तम क्रियान्वयन कर ने वाले विभागों/क्षेत्रों को राजभाषा चल-शील्ड प्रदान किया गया।
- सीसीएल की वेबसाइट पर राजभाषा टैब अंतर्गत विविध तकनीकी तथा प्रशासनिक शब्दकोश उपलब्ध है।
- सीसीएल की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रतिदिन 'आज का शब्द' अद्यतन किया जा रहा है।
- कार्मिकों को दैनिक कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा संबंधी सहायता के लिए 'राजभाषा सहायिका' तथा कार्यालय के विभिन्न विभागों में प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले कठिन शब्दों का संकलन 'कार्यालय सहायिका' कंपनी की वेबसाइट पर राजभाषा टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।
- कंपनी में कंप्यूटर पर काम कर ने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल कार्यालयीन कार्य हिंदी में प्रारंभ कर ने के उद्देश्य से यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रणाली का प्रशिक्षण उनके कार्यस्थल पर ही दिया जाता है साथ ही उन्हे विभिन्न अनुवाद प्रणाली व राजभाषा हिंदी से संबन्धित अद्यतन ई-टूल्स आदि की भी जानकारी दी जाती है।

39. सतर्कता विभाग

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में सतर्कता विभाग स्थापित है। विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद निदेशक स्तरीय पद है, जिनके अधीन विभिन्न संवर्गों के अधिकारी कार्यों का निष्पादन करते हैं। सतर्कता विभाग के दैनिक कार्यकलापों के निष्पादन में महाप्रबंधक(सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं।

प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या तथा उक्त पर कृत कार्रवाई:

प्राप्त शिकायतें	वर्ष 2023-24
1 अप्रील, 2023 को लंबित शिकायतें	87
1 अप्रील, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	462
दायर बेनामी/छद्मनामी/दर्ज शिकायतों की संख्या	120
1 अप्रील, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक जांच/सत्यापन हेतु शिकायतों की संख्या	282
आवश्यक कारवाई हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को अग्रसारित शिकायतों की संख्या	94

क. नियमित अनुसंधान के अधीन मामले (आरडीए)

अनुसंधान के मामले	वर्ष 2023-24
1 अप्रील, 2023 को लंबित मामले	9
अप्रील, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक अनुसंधान के मामले	21
1 अप्रील, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक समाप्त अनुसंधान	24
31 मार्च, 2024 तक लंबित मामले	6

ख. अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) मामलों की संख्या:

अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) के मामलों की संख्या	मामले	वर्ष 2023-24	
		व्यक्तियों की संख्या	
		मेजर पीपी	माइनर पीपी
मेजर	6	12	1
माइनर	2	-	4

ग. विभागीय जांच

समाप्त विभागीय अनुसंधान	वर्ष 2023-24	
	मामलों	व्यक्तियों की संख्या
समाप्त	6	18
आंशिक कार्रवाई	1	10

घ. वैसे मामलों की संख्या जिनमें दंड लगाया गया :

मामले जिनमें दंड लगाया गया :	वर्ष 2023-24	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
मेजर		
समाप्त	5	10
आंशिक कार्रवाई	2	10
माइनर		
समाप्त	2	4
आंशिक कार्रवाई	0	0

ङ. वर्ष 2023-24 के दौरान कृत औचक निरीक्षण:

वर्ष	कृत औचक निरीक्षण	नियमित जांच में परिवर्तित
वर्ष 2023-24 (1 अप्रील, 2023 से 31 मार्च, 2024)	44	02

च. गहन जांच के अंतर्गत मामले (आईटीई मामले):

वर्ष	आईटीई/सीटीई जांच	नियमित जांच में परिवर्तित
वर्ष2023-24	8	00

छ. अधिकारियों के संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा

वर्ष 2023-24	संवीक्षित रिटर्न
वर्ष 2023-24 (1 अप्रील, 2023 से 31 मार्च, 2024)	605

ज. प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में अग्रीड सूची/ओडीआई सूची तैयार की जाती है।

निवारक सतर्कता

झ. शिकायतों की जांच तथा सतर्कता विभाग द्वारा औचक जांच के दौरान प्रचलित प्रणाली में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्रणालीगत सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी को निवारक उपायों की सिफारिश की जाती है।

भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुशंसित प्रणाली सुधार:

(i) सेवानिवर्तन उपरांत सेवानिवृत्त कार्मिकों को आवंटित आवास को रिक्त करने हेतु प्रणालीगत सुधार।

(ii) भूमि सम्बद्ध अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु प्रणालीगत सुधार।

(iii) सीसीटीवी प्रणाली तथा सड़क/रेल आदि कार्यप्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक उपाय।

(iv) उत्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली में प्रणालीगत सुधार।

(v) 2.00 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत के कार्यों हेतु मैनुअल निविदा जारी करने की प्रणाली में सुधार।

(vi) भूमिगत खदानों में श्रमिक नियोजन प्रणाली में सुधार।

(vii) कार्यों और सेवाओं संबंधी संविदाओं हेतु सैप में पीओ बनाने की प्रणाली में सुधार।

(viii) साइडिंग में विभिन्न ग्रेड के कोयले के रखरखाव की प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव।

(ix) कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिपूर्ति दावों के ससमय निपटान की प्रणाली में सुधार।

(x) सिविल इंजीनियरिंग कार्य मैनुअल एमसीईडब्ल्यू 2023 के प्रावधानों के अनुसार दर-अनुसूची (एसओआर) को अपनाने के संबंध में प्रणालीगत सुधार

(xi) बिड की वैध अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप देने पर प्रणालीगत सुधार के उपाय।

(xii) सीसीएल में कबाड़ निस्तारण हेतु प्रणालीगत सुधार।

(xiii) सैप-ईआरपी के मानव संपदा प्रबंधन (एचसीएम) मॉड्यूल में प्रणालीगत सुधार।

(xiv) सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में लिपिक वर्ग-III तथा भंडार निर्गम लिपिक वर्ग - III के पद पर चयन के संबंध में प्रणालीगत सुधार।

(xv) सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में धूलि शामक रसायन के क्रय, आपूर्ति और प्रयोग के संबंध में प्रणालीगत सुधार।

(xvi) इन-मोशन रेल वेब्रिज को क्लाउड सर्वर से एकीकरण के संबंध में प्रणालीगत सुधार।

(xvii) विशिष्ट डीजल खपत (एसडीसी) के संबंध में व्यवस्थित सुधारात्मक उपाय।

(xviii) कोयला वाशरियों में कोयला स्टॉक के रखरखाव में प्रणालीगत सुधार के उपाय।

(xix) पूर्व-वजनीकृत ट्रक लोडिंग सिस्टम (PWTLS) के अधिष्ठापन व क्रियाशील करने से ट्रकों को तीव्र गति से लदान तथा वजन करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के उपाय।

(xx) सीसीएल में आवास निर्माण अग्रिम के वितरण और निपटान की प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार।

(xxi) सीसीएल आवासीय परिसर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधार के उपाय।

ञ. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 9 विभागों की 18 गतिविधियों से संबद्ध मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विभाग	संशोधित/समीक्षित एसओपी का नाम
1	सिविल	सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की एसओपी
2	विक्रय एवं विपणन	सड़क बिक्री दिशानिर्देश, 2023 की एसओपी
3	औद्योगिक आभियंत्रिकी	श्रमशक्ति बजट
		उत्पादकता सुधार योजना
4	कल्याण	इस संबंध में सीआईएल के विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों और स्पष्टीकरण पत्रों द्वारा विनियमित निजी समिति प्रबंधित विद्यालयों को घाटा अनुदान प्रदान करना।
		केंद्रीय विद्यालय संगठन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है, के साथ संपन्न समझौते के अनुरूप केंद्रीय विद्यालय को घाटा अनुदान प्रदान करना, जिसे सीसीएल द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था।
		खेलकूद गतिविधियां
		कैंटीन संचालन
		सरकारी इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस/छात्रावास फीस की प्रतिपूर्ति
		सीआईएल के परिपत्र के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड छात्रवृत्ति (सभी कर्मचारियों के लिए लागू)
		सीसीएल कर्मचारी कल्याणकारी निधि समाज (सीसीएल के सभी कर्मचारियों के लिए) इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार संचालन
		संगम अनुच्छेद के अनुरूप 07 डीएवी पब्लिक स्कूलों को घाटा अनुदान प्रदान करना तथा सभी 14 डीएवी पब्लिक स्कूलों में बुनियादी अवसंरचनाओं का निर्माण।
5	वाशरी संचालन	सीसीएल वाशरियों के संबंध में केंद्रीकृत पुर्जों और 'संयंत्र एंव मशीनरी' वस्तुओं की खरीद।
6	योजनाएवं परियोजना	सीएमपीडीआई रिपोर्ट तैयार करना - परियोजना रिपोर्ट, अद्यतनीकृत लागत प्राक्कलन, संशोधित लागत प्राक्कलन, वार्षिक पूंजी बजट।
7	सामाग्री प्रबंधन	मॉडल डिपो समझौते का परिचालन-आरसी
8	विद्युत एवं यांत्रिकी	विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग से संबद्ध पुर्जों/उपकरणों की खरीद, मरम्मत और खरीद के प्राक्कलन का निर्माण
9	गुणवाता प्रबंधन	उचित कोयला गुणवत्ता का अनुश्रवन व आपूर्ति सुनिश्चित करने से संबद्ध

ट. निवारक सतर्क उपायों के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सतर्क चेतावनी निर्गत की गई ताकि सीसीएल के क्षेत्रों को परिहार्य कमियों के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।

क. जाली नियुक्ति पत्रों के उपयोग के माध्यम से धोखाधड़ी पूर्ण नियुक्तियों की रोकथाम हेतु निवारक उपाय।

ख. स्टॉक के मापन और अनुश्रवण हेतु निवारक कदम।

ग. कार्य निविदाओ के निपटान संबंधित निवारक कदम।

घ. कर्मचारियों के स्थानांतरण के आवेदन में अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी निवारक उपाय।

ङ. विशिष्ट डीजल खपत पर सतर्क चेतावनी।

च. रेल/सड़क वेब्रिज के जांच-बिंदुओं के संबंध में सतर्क चेतावनी।

छ. स्टॉक माप के निवारक उपाय

ज. निविदा प्रक्रिया में सीआईएल/सीसीएल द्वारा जारी दिशानिर्देशों से विचलन के मामले में सतर्क चेतावनी

झ. सीसीएल में रेल वेब्रिज के संचालन तथा रखरखाव हेतु सतर्क चेतावनी

ञ. सीसीएल के सभी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता/मेडिकल बिलों की लेखापरीक्षा तथा भुगतान में एकरूपता हेतु सतर्क चेतावनी

ट. सीसीएल क्वार्टर परिसर में अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए सतर्क चेतावनी

ठ. सीसीएल में जीपीएस आधारित वीटीएस में उत्पन्न चेतावनी का संसूचन, विश्लेषण और प्रतिक्रिया हेतु चेतावनी निवारण तंत्र।

ठ. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सक्षमता निर्माण हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

राज्य का नाम	महानगर/ शहर/गाँव का नाम	सेमिनार/ आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	आयोजित गतिविधियों का विवरण तथा तिथि		
			दिनांक	गतिविधि का ब्योरा	प्रतिभागियों की संख्या
झारखंड	रांची	1	24.01.2024	"रोड सेल दिशानिर्देश, 2023" विषय पर कार्यशाला	120
झारखंड	रांची	1	15.02.2024	"सिविल इंजीनियरिंग गतिविधियों की नई मानक संचालन प्रक्रिया" पर कार्यशाला	60
झारखंड	बोकारो	1	01.03.2024	मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीआईएल की उपस्थिति में ढोरी, कथारा तथा बोकारो एवं करगली क्षेत्र के अधिकारियों हेतु सीसीएल के ढोरी क्षेत्र में "रोड सेल गाइडलाइन्स,2023" विषय पर कार्यशाला का आयोजन	60

ड. विभिन्न सहायक कंपनियों में अंगीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए सतर्कता विभाग में विभिन्न टीमें गठित की गई हैं। यह प्रथाएं हमारी कंपनी में लागू हैं अथवा प्रक्रियाधीन है। विभिन्न सहायक कंपनियों के दौरे का विवरण नीचे दिया गया है।

ढ. सीसीएल के 19 क्षेत्रों/स्थापनाओं के लिए सतर्कता विभाग द्वारा 12 क्षेत्रीय नोडल अधिकारी नामित किए हैं। नोडल अधिकारियों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(i) मानक संचालन प्रक्रिया तथा दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण

(ii) दौरे में सहभागी सतर्कता पर ध्यान दिया जाता है, इसके लिए मध्य/कनीय प्रबंधन के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाते हैं।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि एसओपी और दिशानिर्देश की पहुँच अंतिम उपयोगकर्ताओं तक हो।

(iv) मापित कोयला स्टॉक की जाँच।

(v) ग्रेड अनुपालन के लिए कोयले की गुणवत्ता का निरीक्षण।

(vi) कार्यस्थल की औचक जांच।

मासिक दौरों के प्रारंभ होने के बाद परिलक्षित परिणाम निम्नानुसार हैं:

(i) क्षेत्रीय प्रबंधन के साथ बेहतर समन्वय

(ii) कोयला स्टॉक रखरखाव में अनुशासन।

(iii) नियमों और दिशानिर्देशों की बेहतर समझ

(iv) प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार।

(v) कम मूल्य वाली निविदाओं की संख्या में कमी।

(vi) क्षेत्रीय गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की परिस्थिति में सुधार।

(vii) मुखबिर आगे आ रहे हैं

ण. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, सतर्कता विभाग द्वारा प्रति सप्ताह औचक निरीक्षण प्रारंभ किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में, विभाग की चार टीमों ने कुल 44 औचक निरीक्षण किए हैं। इन निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) वेब ब्रिज का संचालन और रखरखाव

(ii) आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर का संचालन और रखरखाव।

(iii) जीपीएस आधारित वीटीएस का संचालन और रखरखाव।

(iv) सीसीटीवी कैमरों का संचालन और रखरखाव।

(v) डीजल चोरी।

(vi) टेंडर फाइल की संवीक्षा।

सहभागी सतर्कता

त. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 का आयोजन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में, कोल इंडिया लिमिटेड (सी.सी.एल.) की सभी इकाइयों, क्षेत्रों और मुख्यालयों में दिनांक 16 अगस्त, 2023 से सतर्कता जागरूकता अभियान-2023 बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस तीन महीने के जागरूकता अभियान के दौरान, बैनर प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता ग्राम सभा जैसी जन जागरूकता गतिविधियाँ, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम सामान्य से पहले शुरू हो गए। खरीद, नैतिकता और शासन, संगठनात्मक प्रणाली तथा प्रक्रियाएँ, साइबर

सुरक्षा और अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनुसंधानकर्ता अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका जैसे विभिन्न विषयों पर सक्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया। अभियान के दौरान आयोजित अंतर-संगठन कार्यशाला में, निवारक सतर्कता गतिविधियों के माध्यम से अनियमितताओं को रोकने के लिए अन्य संगठनों द्वारा अपनाए गए तरीकों पर चर्चा की गई।

(i) शपथ:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का शुभारंभ सीसीएल (मुख्यालय), रांची के साथ-साथ सीसीएल के सभी क्षेत्रों और परियोजनाओं/इकाइयों में सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ हुआ। 30 अक्टूबर, 2023 को सीसीएल (मुख्यालय) में सीएमडी, सीसीएल, सीवीओ, सीसीएल और अन्य कार्यकारी निदेशकों ने कार्मिकों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में संदेशों को सीसीएल के सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा पढ़ा गया।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध रण में सभी कर्मचारियों एवं हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 से पहले ही सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण अभियान शुरू कर दिया गया था। यह अभियान केवल मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मंदिरों, पूजा पंडालों, पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों आदि विभिन्न स्थानों पर भी यह शपथ दिलाई गई।

(ii) ई-प्रतिज्ञा:

कर्मचारियों, ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को ई-प्रतिज्ञा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने का व्यापक प्रयास किया गया। इस उद्देश्य से, सीसीएल वेबसाइट पर "ईमानदारी-प्रतिज्ञा" के लिए www.cvc.nic.in का एक हाइपरलिंक सक्रिय किया गया। साथ ही, 30 अक्टूबर, 2023 से सीसीएल (मुख्यालय) में एक "ई-प्रतिज्ञा बूथ" स्थापित किया गया ताकि अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक, विक्रेता, ठेकेदार, संविदा कर्मचारी आदि आसानी से ई-प्रतिज्ञा ले सकें।

हालांकि अधिकांश कर्मचारियों ने पिछले सतर्कता जागरूकता सप्ताह में ई-प्रतिज्ञा ले ली थी, इस वर्ष भी अधिकारियों, गैर- अधिकारियों कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि ने बड़ी संख्या में ई-प्रतिज्ञा ग्रहण की।

(iii) सतर्कता जागरूकता रथ:

30 अक्टूबर, 2023 को सीसीएल मुख्यालय से 'सतर्कता जागरूकता रथ' को रवाना किया गया। इस रथ को सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और अन्य कार्यकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों और नारों से सजे इस रथ ने रांची के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसके बाद, इस रथ को सीसीएल के 12 क्षेत्रों में भेजा गया, जो रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में फैले हुए हैं। इस तरह, लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया।

(iv) सतर्कता जागरूकता रैली:

रथ की रवानगी पश्चात, भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारण और खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सीसीएल (मुख्यालय), रांची में सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जो अपने हाथों में भ्रष्टाचार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। मार्च को सीसीएल के अप्रनि डॉ. बी. वीरा रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मार्च में अप्रनि, सीसीएल, सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ सीसीएल के सीवीओ ने भी भाग लिया। यह अभियान सीसीएल के सभी 12 क्षेत्रों में भी आयोजित किया गया। इसके अलावा, विभिन्न स्कूलों के छात्रों को भी इस अभियान से जोड़ा गया। इन स्कूलों में रैलियों के साथ-साथ सुबह की 'प्रभात फेरी' का भी आयोजन किया गया।

(v) मुख्यालय और क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक:

सतर्कता जागरूकता अभियान, 2023 के दौरान, सीसीएल मुख्यालय और रांची के आठ अन्य प्रमुख स्थानों पर पेशेवर कलाकारों द्वारा "भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य नए भारत के निर्माण की आधारशिला हैं। इसके अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान सीसीएल के सभी क्षेत्रों में स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के समूहों द्वारा भी नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए।

(vi) सीसीएल (मुख्यालय), रांची और रांची के विभिन्न स्कूलों/संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम:

2 नवंबर, 2023 को सीसीएल (मुख्यालय) में अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस

कार्यक्रम का विषय था 'भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें'। कार्यक्रम में निबंध, नारा और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और उन्हें इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, रांची के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला, रंगोली, स्किट, निबंध लेखन और नारा लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त, 4 नवंबर, 2023 को सीसीएल की 'लाल और लाडली' परियोजना के तहत गोद लिए गए बच्चों के बीच निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन बच्चों को आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त शिक्षा और कोचिंग दी जाती है।

(vii) सीसीएल के 14 विभिन्न क्षेत्रों और 5 स्वतंत्र इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन:

सीसीएल ने 30 अक्टूबर, 2023 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस सप्ताह का उद्देश्य कर्मचारियों और आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना था। सप्ताह का शुभारंभ सभी क्षेत्रों में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ। इस समारोह में क्षेत्रीय महाप्रबंधकों या वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ दिलाई। इसके अलावा, सभी इकाइयों में विचारोत्तेजक नारे वाले बैनर और पोस्टर लगाए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर विभिन्न रैलियां जैसे पैदल मार्च, साइकिल रैली और मोटरसाइकिल रैली निकाली गईं। साथ ही, एक मानव श्रृंखला बनाकर सकारात्मक संदेश दिया गया।

स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला, नाटक और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, 6 स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लब भी गठित किए गए।

(viii) सतर्कता महोत्सव:

सीसीएल ने 1 नवंबर, 2023 से तीन दिवसीय सतर्कता महोत्सव का आयोजन कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान को मजबूत किया। इस महोत्सव का उद्देश्य भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को उजागर करना और सतर्कता जागरूकता सप्ताह को और अधिक सार्थक बनाना था। महोत्सव के दौरान, पेशेवर कलाकारों और कर्मचारियों ने मिलकर कैनवास पेंटिंग, स्ट्रीट पेंटिंग, गीत-नृत्य, फेस पेंटिंग, पॉट पेंटिंग, रंगोली, नुक्कड़ नाटक और बैंड प्रतियोगिता जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3 नवंबर को हुए समापन समारोह में सीसीएल के अपर निदेशक डॉ. बी. वीरा रेड्डी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस समारोह में प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

(ix) सीसीएल (मुख्यालय) सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशाला/सेमिनार:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित की गईं:

सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान सीसीएल मुख्यालय में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिसमें मुख्य प्रशिक्षकों को खरीद, नैतिकता और शासन, संगठन की प्रणाली और प्रक्रियाएँ, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनुसंधान अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

03.11.2023 को नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं तथा सहायक प्रबंधकों के लिए "नैतिकता शासन और सामान्य अनियमितताएँ" विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से निविदा प्रक्रिया, सीडीए नियम, मानक संचालन प्रक्रियाओं और सीएसओ के कार्यान्वयन पर कार्यशाला और सेमिनार भी आयोजित किए गए।

(x) चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर:

अभियान के दौरान, सीसीएल ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में 11 चिकित्सा शिविरों और 2 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर एक नई पहल का शुभारंभ किया। यह अनूठी पहल सीसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अभिप्रेरणा से प्रारम्भ की गयी। इन शिविरों के माध्यम से सीसीएल के सभी हितधारकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

(xi) सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह:

14 नवंबर, 2023 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पूरे अभियान के दौरान जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही, स्लोगन, निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी

पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर "रोड सेल", "सिविल वर्क्स" और "ई-एमबी" के लिए अद्यतन मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी शुभारंभ किया गया। तीन महीने तक चले इस सफल जागरूकता अभियान के समापन समारोह में एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

(xii) जागरूकता ग्राम सभाएं:

सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में मुखिया, सरपंच, ग्रामीण और छात्रों ने भाग लिया। सभाओं के दौरान ग्रामीणों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के खिलाफ शपथ दिलाई गई और इस विषय पर व्यापक जागरूकता फैलाई गई।

(xiii) सीयूजी मोबाइल और सोशल मीडिया (ट्विटर) पर संदेशों के माध्यम से जागरूकता:

सीसीएल सतर्कता विभाग ने इस सप्ताह जागरूकता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और सीसीएल के अधिकारियों को और अधिक जागरूक बनाने के लिए कुछ नए और रचनात्मक तरीके अपनाए:

(i) सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी गतिविधियों को फोटो सहित अपलोड किया गया।

(ii) इस दिशा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अधिकारियों के सीयूजी मोबाइल पर पीआईडीपीआई से संबंधित प्रेरणात्मक संदेश एवं जागरूकता संदेश भेजे गए।

(iii) प्रमुख कार्यक्रमों की तस्वीरें और थीम भी सीसीएल के आधिकारिक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की गईं।

(iv) वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन और स्थानीय एफएम चैनलों पर भी प्रेरणादायक संदेश प्रसारित किए गए।

(v) राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक कवरेज किया गया।

त. सतर्कता हस्तक्षेप के परिणाम

1. गुणवत्ता

(i) क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रमाणन अंतिम चरण में है।

(ii) स्टॉकयार्ड और साइडिंग में विभिन्न ग्रेडों के कोयले का उचित सीमांकन किया गया है।

(iii) स्वतंत्र पक्ष के परिणामों के आधार पर ग्रेड मटेरियलाइजेशन में 25% की वृद्धि। (67% से 84% तक वृद्धि हुई है)

स्वतंत्र पक्ष परिणाम (2023-24 बनाम 2022-23) के आधार पर ग्रेड भौतिकीकरण (%) निम्नानुसार है:

ग्रेड मटेरियलाइजेशन (%)	जनवरी 23	जनवरी 24	% वृद्धि	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 22-23 जनवरी तक	% वृद्धि
	74%	97%	32%	67%	84%	25%

(iv) कोयला गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में एसओपी सीसीएल मुख्यालय से जारी कर दिया गया है।

2. कम मूल्य की निविदा

i) कम मूल्य की निविदाएं एक गंभीर चिंता का विषय रही हैं और लगातार शिकायतों का कारण बनी हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की निविदाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

अनुमानित मूल्य	निविदाओ की संख्या	प्रतिशत	मूल्य (करोड़ में)	प्रतिशतता
< 2 लाख	9974	67.68%	108.75	6.10%
> 2 लाख	4764	32.32%	1675.23	93.90%

(ii) वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कम मूल्य की निविदाओं (मूल्य करोड़ में) में 51.35% की कमी हुई है:

मूल्य	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		% कमी	
	संख्या	मूल्य (करोड़ में)	संख्या	मूल्य (करोड़ में)	संख्या	मूल्य (करोड़ में)
<2 लाख	9974	108.75	4544	52.90	54.44	51.35

(iii) कम मूल्य की निविदाओं में कमी लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने हेतु सभी विभागों के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया विचाराधीन है तथा इसे यथाशीघ्र ही जारी किया जाएगा।

3. सीपीआरएमएसई - एनई पोर्टल

(i) प्रायः यह देखा गया है कि लगभग 50% चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति बिल 6 महीने अथवा उससे अधिक समय में पारित किए गए। ऑनलाइन पोर्टल शुरू पूर्व जुलाई, 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लंबित बिल की स्थिति निमन्वत है:

जुलाई, 2022 तक लंबित बिलों अवधि							
		6-12 महीने		1-2वर्ष		2-3 वर्ष	
बिलों की संख्या	कुल प्राप्त बिलों का %	बिलों की संख्या	कुल प्राप्त बिलों का %	बिलों की संख्या	कुल प्राप्त बिलों का %	बिलों की संख्या	कुल प्राप्त बिलों का %
1517	50.01	1454	48.02	55	1.82	02	0.07

(ii) बिल ट्रैकिंग के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद 4835 बिल प्राप्त हुए हैं तथा पोर्टल में दर्ज 4212 बिलों का निपटान किया गया है।

(iii) बिलों के निपटान के लिए औसत समय को न्यूनतम 3 महीने से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

4. सड़क विक्रय दिशानिर्देश, 2023

(i) सतर्कता विभाग से प्राप्त इनपुट के आधार पर विक्रय एवं विपणन विभाग द्वारा नवीन सड़क विक्रय दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन के लिए सड़क विक्रय दिशानिर्देशों के लिए एसओपी भी विकसित किया गया है।

(ii) सक्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों से इनपुट प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभाग सभी इनपुट की समीक्षा करने के बाद शीघ्र ही एसओपी को संशोधित करेगा।

5. डिजिटल पहल

(i) डिजिटल पहलों पर निरंतर नज़र रखने से क्षेत्र में सीसीएल द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने में मदद मिली है।

(ii) वेब्रिज, सीसीटीवी, आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर और जीपीएस आधारित वीटीएस जैसी तकनीकों के संचालन और रखरखाव में सुधार हुआ है। हालांकि संगठन में इस प्रकार के डिजिटल पहलों को संस्थागत करने हेतु अधिक इनपुट की आवश्यकता है।

(iii) सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। नए कैमरे लगाए गए हैं तथा कम से कम 30 दिनों का फीड उपलब्ध कराया जा रहा है।

(iv) सीसीएल में वीटीएस और आरएफआईडी बहुत पहले लगाए गए थे। हालांकि, इसका संचालन संतोषजनक नहीं था। सतर्कता विभाग के निरंतर प्रयास से पिछले छह महीनों में संचालन में सुधार हुआ है।

(v) सीसीएल में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया है।

(vi) एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्रों, वीटीएस और आरएफआईडी की कमीशनिंग के लिए नई निविदाएं जारी की गई हैं।

(vii) रेलवे वजन पुल के सॉफ्टवेयर और डेटा को क्लाउड से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(viii) सीसीएल के 14 में से 11 क्षेत्रों में दोनों छोर पर वजन किया जा रहा है। शेष क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

40. सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित आवेदनों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या : 873

(ii) निपटाए गए आवेदनों की संख्या : 570

(iii) प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या : 32

(iv) आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत डीम्ड पीआईओ को के तहत स्थानांतरित आवेदनों की संख्या : 271

(v) आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील : 168

(vi) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पादित अपीलों की संख्या : 168

(vii) सीआईसी, नई दिल्ली द्वारा सुनी गई द्वितीय अपीलों की संख्या : 03

(viii) सीआईसी नई दिल्ली द्वारा निष्पादित द्वितीय अपीलों की संख्या : 03

(ix) सीआईसी, नई दिल्ली द्वारा गैर-अनुपालन हेतु लगाया गया जुर्माना (संख्या), यदि कोई हो : शून्य

41. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत जानकारी

सीसीएल में कार्यरत आंतरिक समिति, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गई है। समिति के गठन संबंधी आदेश सीसीएल वेबसाइट के महिला सशक्तिकरण पोर्टल पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी इस प्रकार है:

प्राप्त शिकायतें	निपटाए गए मामले	कार्रवाई की
शून्य	शून्य	ना

इसके अतिरिक्त, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीएल ने लैंगिक बजट सेल का गठन किया है। यह सेल सीआईएल की लैंगिक बजट नीति के अनुरूप कार्य करता है।

42. वित्त वर्ष, 2022-23 के लिए सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया था। जेसीआरएल का शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है:

प्रमोटर का नाम हकदार है	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

जेसीआरएल की अधिकृत शेयर पूंजी ₹500.00 करोड़ है। झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का गठन 31.08.2015 को शिवपुर-कठौतिया नई बड़ी गेज की विद्युतीकृत रेल लाइन 49.085 किलोमीटर (1799.64 करोड़) की परियोजना शुरू करने के लिए किया गया था। जेसीआरएल की विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-XIII में दी गई है।

43. समझौता ज्ञापन मानदंडों के सापेक्ष प्रदर्शन

केंद्रीय लोक उद्यमों की रेटिंग के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अप्रनि, सीसीएल तथा अध्यक्ष, सीआईएल के मध्य समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों ही तरह के सभी मापदंडों के सापेक्ष वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर, सीसीएल का एमओयू समग्र "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ 93.30% रहा तथा वित्त वर्ष 2023-24 का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

44. कारपोरेट शासन

कारपोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुरूप, कारपोरेट शासन प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन का भाग है, जिसे परिशिष्ट-I में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणन परिशिष्ट-II रखा गया है।

45. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-XIII के रूप में दिया गया है।

46. शेयरधारकों के निरीक्षण हेतु मुख्यालय में वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा की उपलब्धता

सीसीएल की वार्षिक लेखा तथा संबंधित विस्तृत जानकारियां नियंत्रक तथा सहायक कंपनियों के शेयरधारकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध होती हैं। सीसीएल की वार्षिक लेखा मुख्यालय में शेयरधारकों की जांच हेतु भी रखी गयी है। भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 दिनांक 8 फरवरी, 2011 तथा अनुवर्ती पत्र संख्या सीआईएल: XI (डी):04032:, 2011: 2255, दिनांक 8 मार्च, 2011 के अनुरूप सीसीएल की लेखा रांची स्थित मुख्यालय में रखे गए हैं। सीआईएल के शेयरधारकों को मांग पर उन्हें यह जानकारी दी जाती है।

47. निदेशकगण तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक लोक उपक्रम है। कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक तकनीकी (संचालन), निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना), मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) होते हैं हैं। 31 मार्च, 2024 को आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित थे:

कार्यकारी निदेशक:

1. डॉ. बी. वीरा रेड्डी, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक , सीसीएल (अतिरिक्त प्रभार)
2. श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल
3. श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल
4. श्री हरीश दुहान, निदेशक (तक/संचा), सीसीएल
5. श्री सतीश झा, निदेशक (तकनीकी/परि. एवं यो.), सीसीएल

आधिकारिक अंशकालिक निदेशक: (सरकार द्वारा नामित)

1. सुश्री रूपिंदर बरार, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
2. श्री विनय रंजन, निदेशक (का एवं औ.सं.), कोल इंडिया लिमिटेड

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक: (स्वतंत्र)

1. श्री रमेश कुमार सोनी

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

1. श्री पवन कुमार मिश्रा, मुख्य वित्त अधिकारी
2. श्री अमरेश प्रधान, कंपनी सचिव

ख. रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पद पर नियुक्त किया गया था।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डॉ. बी. वीरा रेड्डी: अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.07.2023 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री हरीश दुहान : निदेशक (तकनीकी/संचालन) (01.03.2024 से)
श्री सतीश झा : निदेशक (तकनीकी/ परि. एवं यो.) (18.03.2024 से)

अंशकालिक निदेशक

सुश्री रूपिंदर बरार : अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली। (22.02.23 से 27.12.23 तक)

ग. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पद का त्यजन किया गया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी.एम. प्रसाद : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.09.20 से 30.06.23 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री राम बाबू प्रसाद : निदेशक (तकनीकी/संचालन) (14.05.2022 से 29.02.2024 तक)
श्री बी. साईराम : निदेशक (तकनीकी/ परि. एवं यो.) (26.10.2022 से 13.03.2024 तक)

अंशकालिक निदेशक

श्री अजितेश कुमार : निदेशक, कोयला मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली। (22.02.23 से 27.12.23 तक)

48. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा:

आपकी कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों की पूर्ति करते हैं।

49. बोर्ड की बैठकें: वर्ष के दौरान

11 (ग्यारह) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कारपोरेट गवर्नेंस (परिशिष्ट-I) पर रिपोर्ट में उपलब्ध है।

50. बोर्ड की विभिन्न उप-समितियाँ:

बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों (जैसे लेखा परीक्षा समिति, एसडी और सीएसआर समिति) का विवरण, उनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और आयोजित बैठकों की जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (परिशिष्ट-I) में विस्तार से दिया गया है।

51. बोर्ड, समिति और निदेशकों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन

आपकी कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी है और किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(p) के तहत हमारे निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हमारी कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के पास है, इसलिए हमारे निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

52. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के शर्तों के अनुरूप व पठित नोट-2 में उपलब्ध सामग्री लेखांकन नीति और नोट-16 में खातों पर अतिरिक्त नोट्स सीसीएल की एकल लेखा का अंश है तथा नोट-2 में उपलब्ध सामग्री लेखांकन नीति और नोट-16 में अतिरिक्त नोट्स सीसीएल की समेकित लेखा का भाग है। यह पुष्टि की जाती है कि:

1. कंपनी ने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में सभी लागू भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया है और इन मानकों से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।
2. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण करने के लिए सभी लेखांकन नीतियों का एकरूप से उपयोग किया है। सभी निर्णय और अनुमान उचित आधार पर लिए गए हैं, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और वर्ष के लाभ-हानि का सही आकलन संभव हुआ है।
3. कंपनी ने इस अधिनियम के अनुसार सभी आवश्यक लेखा रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। कंपनी ने धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती हैं, जिससे कंपनी की संपत्ति सुरक्षित रही है।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण चालू वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया गया है।
5. कंपनी ने एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रभावी रूप से कार्यरत थी और पर्याप्त थी।
6. सभी लागू कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणालियां विकसित की गई हैं।

53. कंपनी के लेखापरीक्षक:

क. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण हेतु निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को नियुक्त किया है:

मेसर्स स्पैन एंड एसोसिएट्स (मुख्य लेखापरीक्षक)

द्वारा – श्री अमित कुमार चंदा, 140, ओल्ड एजी कॉलोनी, कडरू रांची – 834002, झारखंड।

शाखा लेखापरीक्षक : 4

1	2	3	4
मेसर्स एन के केजरीवाल एंड कंपनी, 11/2, जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, रांची-834001, झारखंड	**मेसर्स लोढ़ा पटेल वाधवा एंड कंपनी** 304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स, 4 एच.बी. रोड, तीसरी मंजिल, रांची-834001, झारखंड	**मेसर्स जे एन अग्रवाल एंड कंपनी** 6,आर.आई.टी. बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कोर्ट कंपाउंड, रांची-834001, झारखंड	**मेसर्स सिन्हा एवं घेलानी** सूरज मार्केट, लालजी हिरजी रोड, रांची-834001, झारखंड

ख. आंतरिक लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुरूप, कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य हेतु मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में गोयल पारुल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मे. बीसी दत्ता एंड कंपनी, मे. मिलिंद न्याती एंड कंपनी, मे. पीएसडी एंड एसोसिएट्स, मे. राव एंड कुमार, मे. दिनेश के यादव एंड एसोसिएट्स, मे. यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, मे. एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी, मे. एके लेंका एंड कंपनी, मे. एमएपीपीएसएस एंड कंपनी, मे. जेएन मित्तल एंड कंपनी, मे. एस डी एंड एसोसिएट्स को आंतरिक शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है तथा आंतरिक लेखापरीक्षण हेतु सभी लेखापरीक्षण फ़र्म स्वतंत्र लेखाकार हैं।

54. डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश/नियम/प्रक्रियाएं का अनुपालन प्रत्येक सीपीएसई द्वारा किया जाएगा तथा वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरांत अनुपालन/गैर-अनुपालन का प्रमाण-पत्र कारण स्पष्ट करते हुए आगामी वर्ष की 30 अप्रील तक कोयला मंत्रालय को भेजा जाएगा।

उपर्युक्त के समानुरूप, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोयला मंत्रालय को अनुपालन/गैर-अनुपालन का प्रमाण-पत्र भेजा गया है।

55. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट को तैयार करने की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला परिवर्तन अथवा कोई नई प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है।

56. सचिवीय मानक

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

57. वार्षिक रिटर्न

धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक रिटर्न कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92(1) के अनुसार तैयार की गयी है तथा इसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.centralcoalfields.in/ccl_admin/dept_circular_upload/file/24.pdf पर उपलब्ध है।

58. धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।

59. महत्वपूर्ण वेबलिंक

कंपनी की निम्नलिखित नीतियां आपकी कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं:

(i) सीएसआर समिति, सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं। वेब-लिंक: https://www.centralcoalfields.in/sutbs/sdcsr.php

(ii) सतर्कता तंत्र: https://www.centralcoalfields.in/vglnc/pdf/21_02_2020_whistle_blower_policy.pdf

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड के नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने की आचार संहिता: https://centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/21_02_2020_code_of_conduct.pdf

(iv) संबंधित पक्ष लेनदेन नीति: https://www.centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/related_party_policy.pdf

(v) सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत भौतिकता के निर्धारण पर नीति : https://centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/Policy_on_determination_of%20_Materiality_under_SEBI_LODR_%20Regulations_2015__03042017.pdf

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसरण में धारा 149 की उपधारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक की घोषणा https://centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/Policy_on_determination_of%20_Materiality_under_SEBI_LODR_%20Regulations_2015__03042017.pdf

60. आभार:

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेषकर कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन संस्थाओं का बहुमूल्य मार्गदर्शन और अमूल्य सहयोग हमें सदैव प्रेरित करता रहा है। झारखंड सरकार और अन्य राज्य सरकारों का भी हमारी कंपनी को दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार। कंपनी के सभी कर्मचारियों का पूरे दिल से धन्यवाद जो अपने कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ कंपनी के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी कंपनी के सभी श्रेणी के कार्मिक कंपनी के प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही, हम सांविधिक लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और बिहार एवं झारखंड के कंपनी रजिस्ट्रार का भी आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य रहा है।

61. परिशिष्ट:

आपके विचारार्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट:

(i) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कारपोरेट प्रशासन **परिशिष्ट-I**

(ii) कारपोरेट प्रशासन के अनुपालन पर प्रमाणपत्र **परिशिष्ट - II**

(iii) मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट III**

(iv) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का पक्ष। **परिशिष्ट IV**

(v) सीईओ और सीएफओ प्रमाणन **परिशिष्ट V**

(vi) प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार जानकारी **परिशिष्ट VI**

(vii) ऊर्जा संरक्षण पर जानकारी, कंपनी की अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बारे में विवरण और धारा 134 (3एम) के अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय का विवरण - **परिशिष्ट VII-IX**

(viii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट - **परिशिष्ट X**

(ix) कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण (एओसी-2) **परिशिष्ट XI**

(x) प्रत्येक सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट - **परिशिष्ट XII**

(xi) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट - **परिशिष्ट XIII**

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से
ह./-
(निलेन्दु कुमार सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर - 09847503
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

तिथि : 22.07.2024
स्थान : राँची

परिशिष्ट –I

नैगमिक शासन पर रिपोर्ट

1. दर्शन

नैगमिक शासन एक नैतिक ढांचा है जो कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करता है। यह नियमों, विनियमों और नीतियों का एक समुच्चय है जिसका उद्देश्य कंपनी को स्थायी रूप से मूल्यों और नैतिक व्यवहार के अनुरूप संचालित करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साथ शेयरधारकों का उच्चतम मूल्यवर्धन है। इन हितधारकों में शेयरधारक, निवेशक, ग्राहक, विक्रेता, नियामक, समुदाय और सरकार शामिल हैं। कंपनी, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, डीपीई द्वारा 14 मई, 2010 को जारी पत्र संख्या 18(8)/2005-जीएम के माध्यम से जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक शासन के दिशानिर्देशों का पालन करती है। ये दिशानिर्देश पारदर्शिता, सूचना का पूर्ण प्रकटीकरण, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी हितधारकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार पर जोर देते हैं। कंपनी समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीसीएल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर नैगमिक शासन प्रणालीके अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है। यह हमारी कार्य-संस्कृति, नीतियों और हितधारकों के साथ संबंधों को दर्शाता है।

कंपनी का नैगमिक शासन दर्शन व्यावसायिक रणनीतियों को निर्देशित करता है और सुनिश्चित करता है कि कंपनी न केवल वित्तीय रूप से अनुशासित हो, बल्कि नैतिक रूप से भी कार्य व्यवहार करे। यह सभी हितधारकों - कर्मचारियों, निवेशकों, ग्राहकों, नियामकों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के साथ निष्पक्षता को प्राथमिकता देता है। मजबूत नेतृत्व और प्रभावी नैगमिक शासन प्रथाएं हमेशा से कंपनी की पहचान रही हैं।

कंपनी ने व्यवसाय आचार एवं नैतिकता संहिता ("संहिता") अपनायी है, जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सभी भारतीय सहायक कंपनियों, जिनमें सीसीएल भी शामिल है, के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (सामूहिक रूप से "कवर्ड पक्ष" से संदर्भित) पर लागू होती है। इस संहिता का उद्देश्य (क) नैतिक जोखिमों की पहचान करना, (ख) नैतिक और कानूनी व्यवहार के लिए मानक स्थापित करना, (ग) निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को नैतिक मुद्दों को पहचानने और उनसे निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, (घ) ज्ञात या संदिग्ध अनैतिक आचरण या कानून का उल्लंघन होने पर रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना, और (ङ) ईमानदारी और जवाबदेही कीसंस्कृति को बढ़ावा देना है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

इस रिपोर्ट में सीसीएल बोर्ड की संरचना और विभिन्न समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित अन्य सभी आवश्यक खुलासे भी शामिल किए गए हैं।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र संचालन का शीर्ष निकाय है। यह कंपनी को रणनीतिक दिशा प्रदान करता है, नेतृत्व करता है तथा मार्गदर्शक की भूमिका में कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करता है ताकि सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित किया जा सके।

सीसीएल, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स/ नियमों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। कंपनी के नियमों के अनुसार, बोर्ड में निदेशकों की संख्या दो से कम या पंद्रह से अधिक नहीं हो सकती। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और पांच कार्यकारी निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं जो कंपनी के दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। रणनीतिक निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन के अधीन हैं, जिसमें सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

कोयला मंत्रालय ने दिनांक 6 जून 2008 के पत्र संख्या 21/35/2005-एएसओ (iv) द्वारा सीसीएल बोर्ड की स्वीकृत सदस्य संख्या के संबंध में राष्ट्रपति जी अनुमोदन निम्नानुसार सूचित किया है:

कार्यकारी निदेशकगण - पाँच (5)

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीसीएल - पूर्णकालिक
2. निदेशक (कार्मिक), सीसीएल - पूर्णकालिक
3. निदेशक (तकनीकी), सीसीएल - पूर्णकालिक

4. निदेशक (तकनीकी), सीसीएल - पूर्णकालिक
5. निदेशक (वित्त), सीसीएल - पूर्णकालिक

सरकार द्वारा नामित निदेशकगण – दो (2)

1. कोयला मंत्रालय के एक प्रतिनिधि - अंशकालिक
2. कोल इंडिया लिमिटेड के एक प्रतिनिधि - अंशकालिक

पाँच अप्रशासकीय निदेशक

पाँच - अंशकालिक (स्वतंत्र)

31 मार्च, 2024 को, कंपनी के निदेशक मंडल में आठ निदेशक थे जिनमें पांच पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक (कोयला मंत्रालय/सीआईएल के प्रतिनिधि) और एक स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। हालांकि कार्यकारी निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के नैगमिक प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुरूप थी, लेकिन बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण निदेशक मंडल की संरचना पूर्ण रूप से इन मानकों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के नैगमिक प्रशासन दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

31 मार्च,2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल ग्यारह (11) बैठकें हुई यथा 27.04.2023, 03.06.2023, 27.06.2023, 26.07.2023, 06.09.2023, 06.10.2023, 20.10.2023, 04.12.2023, 02.01.2024, 22.01.2024 तथा 28.02.2024। इस प्रकार निदेशक मंडल की इन बैठकों के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

निदेशकगणों की आयुसीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्षसह प्रबंधनिदेशकतथाअन्यपूर्णकालिककार्यकारीनिदेशकोंकीआयुसीमा60 वर्षहै। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशासकीय नामित निदेशक, कोयला मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी घटना पहले घटित हो, बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार द्वारा नामित निदेशक, कोयला मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी घटना पहले घटित हो, बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकगण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में विहित स्वतंत्रता सम्बद्ध शर्तों को पूरा करते हैं।

निदेशक मंडल के गठन, निदेशक मंडल की बैठक, आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

क्रम.	नाम और पदनाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकें (समिति की बैठकों का पृथक उल्लेख किया गया है)		धारित अन्य निदेशकीय पद
			कार्यकाल दौरान आयोजित	उपस्थिति	
1.	श्री पी.एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक[1]	कार्यकारी निदेशक	3	3	शून्य
2.	डॉ. बी. वीरा रेड्डीअध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक[2]	कार्यकारी निदेशक	8	8	• कोल इंडिया लिमिटेड • साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. • सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट • कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्रा. लि. • सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड • सीआईएल नवकरणीय उर्जा लिमिटेड
3.	श्री अजितेश कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय , भारत सरकार[3]	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	8	8	शून्य
4.	सुश्री रूपिंदर बरार , अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार [4]	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	3	3	शून्य
5.	श्री विनय रंजन , निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	11	10	• कोल इंडिया • नॉर्थन कोलफील्ड्स लि. • सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड • सीआईएल नवकरणीय उर्जा लिमिटेड
6.	श्री रमेश कुमार सोनी चार्टर्ड अकाउंटेंट	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	11	11	शून्य
7.	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल	कार्यकारी निदेशक	11	11	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
8.	श्री राम बाबू प्रसाद, निदेशक (तकनीकी/ संचालन), सीसीएल[5]	कार्यकारी निदेशक	11	10	शून्य
9.	श्री बी. साईराम , निदेशक (तकनीकी/परि. & यो.), सीसीएल[6]	कार्यकारी निदेशक	11	11	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
10.	श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल	कार्यकारी निदेशक	11	11	शून्य
11.	श्री हरीश दुहान निदेशक (तकनीकी/ संचालन), सीसीएल[7]	कार्यकारी निदेशक	0	0	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
12.	श्री सतीश झा निदेशक (तकनीकी/परि. & यो.), सीसीएल[8]	कार्यकारी निदेशक	0	0	• सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट

1. श्री पी.एम.प्रसाद ने 30.06.2023 को सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पद से कार्यभार छोड़ा।
2. डॉ. बी. वीरा रेड्डीने दिनांक 01.07.2023 को सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
3. श्री अजितेश कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय ने 27.12.2023 को अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक का कार्यभार छोड़ा
4. सुश्री रूपिंदर बरार, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 27.12.2023 को अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक का कार्यभारग्रहणकिया

5. श्री राम बाबू प्रसाद ने 29.02.2024 को सीसीएल के निदेशक (तकनीकी/परिचालन) पद से कार्यभार छोड़ा।
6. श्री बी. साईराम ने 13.03.2024 को सीसीएल के निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) पद से कार्यभार छोड़ा।
7. श्री हरीश दुहान ने 01.03.2024 से सीसीएल के निदेशक (तकनीकी/परिचालन) के रूप में कार्यभार संभाला।
8. श्री सतीश झा ने 18.03.2024 से सीसीएल के निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला।

वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकवअन्यनिदेशकों की पारिश्रमिकअनुसूची

क. कार्यकारी निदेशकगण

नाम	अन्य निदेशक के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध	वर्ष 2023-24 का पारिश्रमिक (रु .)									
			बकाया सहित वेतन व भत्ते	पीआरपी	अनुलब्धि	मकान किराया भत्ता	अवकाश नकदीकरण	सीएमपीएफ में योगदान	चिकित्सा व्यय	एनपीएस में योगदान	अनुग्रह राशि	कुल
श्री पी.एम. प्रसाद	नहीं	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1240590.45	2417100.00	0.00	0.00	0.00	118701.00	0.00	68979.00	0.00	3845370.45
श्री राम बाबू प्रसाद	नहीं	निदेशक (तकनीकी/सं)	4635330.27	1848504.00	562159.67	0.00	2466562.40	428265.00	5396.91	281597.00	2000000.00	12227815.25
श्री हर्ष नाथ मिश्र	नहीं	निदेशक (कार्मिक)	4878265.50	0.00	449473.88	0.00	650036.40	469030.00	0.00	271193.00	0.00	6717998.78
श्री पवन कुमार मिश्रा	नहीं	निदेशक (वित्त)	3463487.52	0.00	219999.64	0.00	0.00	333022.00	734.00	192452.00	0.00	4209695.16
श्री बी.साईराम	नहीं	निदेशक (तकनीकी/परि. एवं यो.)	4651166.91	1799502.90	381556.29	8901.36	299401.20	447175.00	674.00	254807.00	0.00	7843184.66
कुल योग			**18868840.65**	**6065106.90**	**1613189.48**	**8901.36**	**3416000.00**	**1796193.00**	**6804.91**	**1069028.00**	**2000000.00**	**34844064.30**

कंपनी सचिव :

नाम	कंपनी के साथ व्यवसायिक संबंध	वर्ष 2023-24 का पारिश्रमिक (रु .)									
		बकाया सचित वेतन व भत्ते	पीआरपी	अनुलब्धि	मकान किराया भत्ता	अवकाश नकदीकरण	सीएमपीएफ में योगदान	चिकित्सा व्यय	एनपीएस में योगदान	अनुग्रह राशि	कुल
श्री अमरेश प्रधान	कंपनी सचिव	2159056.44	00	159480.29	0.00	0.00	194078.00	0.00	119850.00	0.00	2632464.73

सेवा अनुबंध

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के संघ लेखों के अनुसार किया जाता है।

ख. अंशकालीन निदेशकगण

किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक

क्रम.	पारिश्रमिक का विवरण		कुल राशि (रु .)
1.	स्वतंत्र निदेशक:	श्री रमेश कुमार सोनी	
	बोर्ड/समिति बैठक की सिटिंग फीस	6,40,000	6,40,000
	कुल (1)	**6,40,000**	**6,40,000**

3. बोर्ड समिति

i. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

सीसीएल बोर्ड ने अपनी 411वीं बैठक में, जो 04.11.2014 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) के प्रावधानों के अनुसार सीसीएल की लेखा समिति के कार्यक्षेत्र को अनुमोदित किया।

लेखा समिति का कार्यक्षेत्र

लेखा समिति के कार्यों की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. लेखा परीक्षकों के साथ समय-समय पर निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना:

o आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन और पर्याप्तता।

- o लेखा परीक्षा का दायरा, जिसमें लेखा परीक्षकों के अवलोकन भी शामिल हैं।
- o बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।

2. निम्न कार्यों का निष्पादन:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और अपनी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करने की प्रणाली की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्वप्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, विशेषकर से निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामलों, लेखा नीतियों में किए गए किसी भी परिवर्तन, प्रमुख लेखा प्रविष्टियों, किए गए महत्वपूर्ण समायोजनों, संबंधित पक्ष लेनदेनों के प्रकटीकरण तथा ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी योग्यतायुक्तता के संदर्भ में समीक्षा।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षण समिति की 11 (ग्यारह) बैठकों का आयोजन दिनांक 27.04.2023, 21.06.2023, 20.07.2023, 26.07.2023, 05.09.2023, 06.10.2023, 20.10.2023, 04.12.2023, 02.01.2023, 12.01.2023 वं 22.01.2023को किया गया। कंपनी सचिव लेखा-परीक्षण समिति के भी सचिव हैं। समिति की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री रमेश कुमार सोनी	अध्यक्ष	11	11
2	श्री विनय रंजन	सदस्य	11	11
3	श्री अजितेश कुमार	सदस्य	8	8
4	सुश्री रूपिंदर बरार	सदस्य	2	2

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षकों को आवश्यकतानुसार वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ii. सतत विकास एवं नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा का.ज्ञा. सं. डीपीई 3(9)/2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शन जारी की गयी है:

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु:

- सतत विकास योजना तैयार की जाएगी।
- सतत विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- सतत विकास योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख-रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर समिति का गठन कम से कम 3 निदेशकों के साथ करना आवश्यक है, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। एसडीएंडसीएसआर समिति के कार्यक्षेत्र और अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, डीपीई दिशानिर्देशों और समय-समय पर सीसीएल बोर्ड द्वारा निर्णय के अनुसार होंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सतत विकास और नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति (एसडी&सीएसआर) की उपर्युक्त संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निदेशकों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 07 (सात) बैठकों का आयोजन दिनांक 27.04.2023,27.06.2023,26.07.2023, 05.09.2023, 02.01.2024,22.01.2024और 28.02.2024को किया गया। समिति की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री रमेश कुमार सोनी	अध्यक्ष	7	7
2	श्री विनय रंजन	सदस्य	7	6
3	श्री पवन कुमार मिश्रा	सदस्य	7	7
4	श्री हर्ष नाथ मिश्र	सदस्य	7	7

iii. जोखिम प्रबंधन समिति

दिनांक 25.3.2023 को आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की 11वीं बैठक में की गयी अनुशंसा तथा जोखिम प्रबंधन नीति के अध्याय 6 की धारा 'बी' की आवश्यकताओं के अनुपालन में महाप्रबंधक (वित्त) को जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। (अर्थात जोखिम प्रबंधन समिति में 5 सदस्य होंगे जिनमें न्यूनतम एक वित्त संवर्ग के होंगे) महाप्रबंधक (वित्त) को दिनांक 27.6.23 को आयोजित 529वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप मे शामिल किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित निदेशकों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक - अध्यक्ष
2. श्रीरामबाबू प्रसाद,
   निदेशक (तकनीकी/संचालन), सीसीएल -सदस्य
3. श्री बी. साईराम,
   निदेशक (तकनीकी/परि. एवं यो.), सीसीएल -सदस्य
4. महाप्रबंधक (संचालन) - मुख्य जोखिम अधिकारी
5. महाप्रबंधक (वित्त) - सदस्य

जोखिम प्रबंधन समिति का कार्यक्षेत्र

जोखिम प्रबंधन चार्टर के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति सीसीएल बोर्ड के अंतर्गत एक उप-समिति है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे की तैनाती की देखरेख का कार्य बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति को सौंपा गया है, जो संपूर्ण दिशा-निदेश तथा इस प्रबंधकीय ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए उत्तरदेय है।

जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य हैं -

(i) जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के संचालन का निर्देशन व मूल्यांकन करना,

(ii) कार्यकारी प्रबंधन द्वारा तैयार जोखिम आकलन एवं शमन रणनीति की तिमाहीवार तथा वार्षिक समीक्षा करना,

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समग्र प्रभावशीलता तथा दक्षता की समीक्षा करना एवं स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 1 (एक) बैठक का आयोजन दिनांक 28.02.2024 को किया गया। निम्नलिखित निदेशकों ने समिति की बैठकों में भाग लिया:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री रमेश कुमार सोनी	अध्यक्ष	1	1
2	श्री राम बाबू प्रसाद	सदस्य	1	1
3	श्री बी साईराम	सदस्य	1	1
4	महाप्रबंधक (संचालन)	सदस्य	1	1
5	महाप्रबंधक (वित्त)	सदस्य	1	1

iv. मानव संसाधन समिति

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मानव संसाधन समिति की उपरोक्त संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, मानव संसाधन समिति की 02 (दो) बैठकें 27.06.2023 और 20.07.2023 को आयोजित की गई थीं।

मानव संसाधन समिति का कार्यक्षेत्र

कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है-

1. प्रबंधकीय कार्मिकों की भर्ती, अभिप्रेरण तथा प्रतिधारण। कर्मचारियों की पारिश्रमिक नीतियों तथा संरचना की समीक्षा एवं अनुशंसा द्वारा बोर्ड को सहायता उपलब्ध कराना।
2. श्रमशक्ति बजट, मानव संपदा दर्शन, मानव संपदा तथा लोकोन्मुखी नीतियों तथा मानव संपदा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का अनुश्रवणजिनमें नेतृत्व क्षमता का विकास, पुरस्कार एवं प्रशस्ति, प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार योजना शामिल हैं।

   बोर्ड द्वारा अनुमोदित खुली, भूमिगत खान और वाशरी की उत्पादकता सुधार योजना [पीआईएस] का क्रियान्वयन एवं प्रशासन, योजना से संबंधित नियम और विनियम स्थापित करना, संशोधित करना और निरस्त करना, तथा योजना के संबंध में कोई अन्य निर्णय लेना जो आवश्यक या वांछनीय समझा जाए।

   समिति की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री रमेश कुमार सोनी	अध्यक्ष	2	2
2	श्री विनय रंजन	सदस्य	2	2
3	श्री बी साइराम	सदस्य	2	2
4	श्री हर्ष नाथ मिश्र	सदस्य	2	2

4. असाधारण/ वार्षिक आम बैठक:

विगत तीन वर्षों में शेयर धारकों की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है :

वर्ष	तिथि एवं समय	स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि हो
एजीएम 2021-22	12 अगस्त 2021 पूर्वाह्न 10:00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची।	1. श्री पी.एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष। 2. श्री प्रमोद अग्रवाल, सदस्य 3. श्री विनय दयाल, सदस्य 4. श्री एम. विश्वनाथन, सीआईएल के प्रतिनिधि	नहीं
एजीएम 2022-23	4 अगस्त 2022 दोपहर 12:00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची।	1. श्री पी.एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष। 2. श्री विनय रंजन, सदस्य 3. श्री एम. विश्वनाथन, सीआईएल के प्रतिनिधि	नहीं
एजीएम 2023-24	02.08.2023 अपराह्न 03:00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची।	1. श्री पी.एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री विनय रंजन, सदस्य 3. श्री बी.पी. दुबे, सी.आई.एल. प्रतिनिधि	नहीं
ईजीएम 2023-24	20.03.2024 पूर्वाह्न 10:00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची।	1. श्री पी.एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री विनय रंजन, सदस्य 3. श्री बी.पी. दुबे, सी.आई.एल. प्रतिनिधि	नहीं

नोट: विगत तीन वर्षों में सम्पन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

5. प्रकटीकरण

5.1 नैगमिक प्रशासन ग्रेडिंग

डीपीई द्वारा जारी नैगमिक प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग निम्नानुसार है:

क्रं सं	मापदण्ड	समझौता ज्ञापन 2023- 24 उत्कृष्ट रेटिंग का लक्ष्य	समझौता ज्ञापन 2023-24 वास्तविक उपलब्धि
1	डीपीई द्वारा जारी नैगमिक प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग	85 या उससे अधिक	92.22

5.2 संबंधित पक्ष लेनदेन

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ जो कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित रूप से विरोध करता हो।

5.3 निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनियों, जिसमें सीसीएल भी शामिल है, के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों (सामूहिक रूप से "आवृत पक्ष" के रूप में संदर्भित) पर व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता ("संहिता") लागू होती है। इस संहिता को सीसीएल की वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर अपलोड किया गया है। उक्त संहिता के अनुपालन में, सभी निदेशकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर कंपनी के अनुपालन अधिकारी को वार्षिक अनुपालन की पुष्टि प्रस्तुत करनी होगी। मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, संहिता की प्राप्ति और उसके अनुपालन की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है।

5.4 सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 12(1) के अनुसरण में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता।

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर संशोधित सीआईएल की अंदरूनी व्यापार नीति पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। सीसीएल द्वारा भी इसी नीति को अपनाया गया है और कंपनी के निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी कार्यकारी निदेशकों, सभी मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) और महाप्रबंधकों (जीएम) तथा नामित विभागों के सभी अधिकारियों को सूचित किया गया है। सेबी के अधिसूचनाओं के अनुसार सीआईएल इस नीति का समय-समय पर अद्यतन करती रहती है।

5.5 शक्तियों का प्रत्यायोजन:

सीसीएल की शक्तियों के प्रत्यायोज नको 15 नवम्बर 2022 को आयोजित 34वीं ईसीएफ़डी बैठक के अनुमोदन से संशोधित किया गया था तथा उक्त को 17.11.2022 सेसीसीएल में लागू किया गया था।

5.6 लेखा संव्यवहार:

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुतीकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कंपनी में लागू बाध्यकारी लेखा मापदंडों के अनुरूप ही वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

5.7 जोखिम प्रबंधन:

व्यवसायिक रणनीति के तहत जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य-संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरूद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

5.8 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

6. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

वर्ष के दौरान सभी स्वतंत्र निदेशकों ने "स्वतंत्र निदेशक" का पद धारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है एवं धारा 149(7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं।

7. संचार माध्यम :

वार्षिक वित्तीय विवरण, नई विज्ञप्तियाँ, निविदाएँ और कैरियर के अवसर आदि कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाते हैं। वेबसाइट एक उपयोगकर्ता के अनुकूल साइट है, जिसमें सभी नवीनतम विकास शामिल हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य के साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों और समीक्षा पर प्रबंधन के उत्तर शामिल हैं, सभी सदस्यों और अन्य पात्र के बीच प्रसारित की जाती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित है।

8. लेखाकरण युक्तता:

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के भाग के 143(6)(बी) के अन्तर्गत सीसीएल की वित्तीय विवरणी पर भारत के सीएजी के टिप्पणी को भी संलग्न किया गया है।

9. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

विशेषज्ञता एवं अनुभव आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यात्मक क्षेत्र के प्रमुख होते हैं तथा कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अंशकालीन निदेशकगण, कंपनी के व्यापार मॉडल की पूर्ण जानकारी रखते हैं। कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड सदस्यों को समय-समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है।

10. अंशकालिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्र:

कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशकगणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। आम तौर पर नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है।

11. व्हीसिल ब्लोअर नीति:

दिनांक 13 अगस्त 2019 को आयोजित अपने 390वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल द्वारा अनुमोदित कोल इंडिया की व्हीसिल ब्लोअर नीति, 2019 अपने सभी सहायक कंपनियों के लिए लागू है।

इसके अलावा पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड सीएजी और सतर्कता/सीबीआई के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है।

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता कमीशन के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है तथा मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर देता है।

12. सत्यनिष्ठा संधि:

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया के बीच सत्यनिष्ठा के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 23/08/2008 को संपन्न बोर्ड की 350वीं बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन-समझौता को प्रस्तुत किया गया।

13. कंपनी द्वारा अनुपालन:

कारपोरेट शासन प्रणाली पर जारी दिशानिर्देशों केअनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभाग तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है

निदेशकों का पार्श्वदृश्य

दिनांक 31.03.2023 तक सीसीएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (तक./परि एवं यो.), निदेशक (कार्मिक), निदेशक(तक/सं.) तथा सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामित दो निदेशक, एक अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक शामिल हैं।

निदेशकगणों का संक्षिप्त परिचय, शैक्षणिक योग्यता, कार्यक्षेत्र, अनुभव एवं विशेषज्ञता, व्यावसायिक संस्थाओं में उनकी सदस्यता, अन्य कंपनियों में अध्यक्षकीय/निदेशकीय पद का धारण आदि नीचे दिया गया है:

कार्यकारी निदेशकगण:

डॉ. बी. वीरा रेड्डी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डॉ. बी. वीरा रेड्डी, [डीआईएन: 08679590], निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 1 जुलाई 2023 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह 01.01.2020 से 31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के निदेशक(तकनीकी/संचालन) के पद कार्यरत थे।
वर्ष 1986 में उन्हें कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स, ओस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, वर्ष 1990 में डीजीएमएस द्वारा उन्हें प्रथम श्रेणी प्रबंधक अभियोग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। वर्ष 2000 में कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स, ओस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्होने माइन प्लानिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पूरी की। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है।
डॉ. रेड्डी वर्ष वर्ष 1987 में एससीसीएल से जुड़े। डॉ. रेड्डी को खनन, योजना निर्माण, क्रय तथा संचालन में 33 वर्षों से अधिक का वृहत अनुभव है। उन्होंने मशीनीकृत भूमिगत तथा खुली खदानों तथा कारपोरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यों का निष्पादन किया है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक(तकनीकी/संचालन) का प्रभार ग्रहण करने से पूर्व, वह सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के एड्रियाला लॉन्गवॉल प्रोजेक्ट क्षेत्र में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।
उन्होने 24.02.2022 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) और 12.05.2022 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के बोर्ड में आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

श्री पवन कुमार मिश्रा
निदेशक (वित्त)

श्री पवन कुमार मिश्रा जून, 2022 से कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में निदेशक(वित्त) के पद पर कार्यरत हैं। श्री मिश्रा को वाणिज्य विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त है तथा वह चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य भी हैं। साथ ही, वह झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

सीसीएल में नियुक्ति से पहले उन्होंने डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएनएचपीडीसीएल), विद्युत संवितरण इकाई तथा विद्युत उत्पादक कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) के पद पर कार्यों का संपादन किया है। उनके पास लेखांकन, वित्त और कराधान के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है। श्री मिश्रा को

ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कारपोरेट लेखांकन और कराधान, कारपोरेट वित्तपोषण सहित पुनर्गठन, वाणिज्यिक/परियोजना मूल्यांकन सहित समझौता वार्ता एवं उक्त का प्रलेखन, बजट तथा बजटीय नियंत्रण, लेखा परीक्षकों के साथ कार्य-व्यवहार, वाणिज्यिक अनुपालन सहित टैरिफ निर्धारण तथा अंतिम रूप देने, विद्युत क्रय करार तथा अन्य नियामक अनुपालन का वृहत एवं व्यापक अनुभव है।

अपने पूर्ववर्ती व्यवसायिक कार्यावधि में, प्रलेखन के साथ प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा विद्युत संवितरण कंपनी के निजीकरण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है जो स्वयं एक अभूतपूर्व प्रक्रिया थी। उक्त निजीकरण के दौरान हस्तांतरण तथा हैंड होल्डिंग प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नियामक सुधारों के माध्यम से वितरण उपयोगिता कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, एकीकृत व्यापार समाधान एवं स्वचालित व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, वित्त नियमावली एवं आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली का निर्माण, नवीन लेखा नीतियों और रिपोर्टिंग संरचना को अंतिम रूप देने सहित नए लेखा मानकों (इंडएएस) के कार्यान्वयन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री हर्ष नाथ मिश्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री हर्ष नाथ मिश्र, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत हैं। श्री मिश्र ने अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा वर्ष 1991 से प्रारंभ की थी। सीआईएल में योगदान देने से पूर्व उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ दी थीं।

श्री मिश्र ने पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट (आईआईएसडबल्यूबीएम), कलकत्ता विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य एवं श्रम कल्याण में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उक्त शास्तियों सहित उन्हें विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त है। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (एनआईपी.एम.) के आजीवन सदस्य हैं और अद्यतन रांची चैप्टर के अध्यक्ष हैं।

उन्हें मानव संपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है। श्री मिश्र अपनी दूरदर्शी दृष्टिकोण और बहुआयामी निर्णय क्षमता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। वह प्रक्रिया सरलीकरण हेतु परिवर्तनकारी एवं अभिनव कार्यप्रणालियों को कार्यान्वित करने में विश्वास करते हैं। अल्पावधि में ही उन्होंने सीसीएल तथा बीसीसीएल में हितधारकों के सुखद अनुभव के संवर्धन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों में अनुकरणीय सुधार किया है। वह मृदुभाषी, सुधीर श्रोता तथा कर्मचारी हितैषी अधिकारी हैं। उन्हें औद्योगिक संबंधों का विशेषज्ञ माना जाता है।

वह एक सुधि पाठक हैं तथा उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अनान्य सम्मेलनों एवं सेमिनारों में भाग लिया है।

श्री हरीश दुहान
निदेशक (तकनीकी/संचालन)

श्री हरीश दुहान [डीआईएन: 10511312] ने 1 मार्च, 2024 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के निदेशक (तकनीकी/संचालन) का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले, श्री दुहान नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के निगाही क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। उन्हें प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक अभियोग्यता प्रमाण-पत्र के साथ खनन अभियांत्रिकी में स्नातक तथा प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) की डिग्री प्राप्त है।

उनके पास खनन उद्योग में विभिन्न प्रक्षेत्रों में 34 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है।

उन्होंने एनसीएल की खुली खदान परियोजनाओं में महाप्रबंधक के पद पर अपनी सेवाएँ दी हैं तथा एनसीएल की कारपोरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग में विभिन्न भूमिकाएं निभायीं हैं। प्रारंभ से ही श्री दुहान एक परिपक्व टीम खिलाड़ी रहे हैं तथा सभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों

के अनुकूल हैं। उनका सबसे मजबूत गुण उनके डेटा और विस्तार-उन्मुख दिमाग के साथ उनकी उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक दृष्टि है। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निमन्वत हैं:

क. निगाही क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में विशेष उपलब्धियाँ:

1. कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर अपर सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खुली खदान का पुरस्कार।
2. माननीय कोयला मंत्री जी द्वारा 5 सितारा खान का प्रथम पुरस्कार।
3. एनसीएल की प्रथम 50 मेगावाट पिट हेड सोलर पावर परियोजना का अधिष्ठापन अंतिम चरण में है। 10.01.2024 को 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है और फरवरी 24 तक 40 मेगावाट से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही निगाही परियोजना कोल इंडिया में पहली नेट जीरो ऊर्जा खान बन जाएगी।

ख. अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां:

1. एनसीएल में ब्लॉक-बी परियोजना के लिए 112.97 हेक्टेयर रैयती तथा सरकारी भूमि का सर्वकालिक तेज़ अधिग्रहण।
2. डीजीएमएस, एसपीसीबी और जिला प्रशासन के समन्वय से एनसीएल की प्रथम फ्लाई-ऐश परियोजना का प्रारंभ।
3. कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस पर कोयला मंत्रालय के अपर सचिव (कोयला) द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खुली खदान का पुरस्कार।
4. माननीय कोयला मंत्री जी द्वारा 5 सितारा खान का प्रथम पुरस्कार।
5. कोल इंडिया लिमिटेड के डिजिकोल परियोजना के तहत निगाही ओसीपी में डिजिटलीकरण का सफल कार्यान्वयन।
6. सिंगरौली कोलफील्ड्स के लिए आईआईएफएम, भोपाल से वन्यजीव प्रबंधन योजना का निर्माण।

उनके मार्गदर्शन में, कंपनी नयी ऊंचाइयों तथा सफलता के नए आयाम गढ़ने करने के लिए तैयार है।

श्री सतीश झा
निदेशक(तकनीकी/ परियोजना & योजना)

श्री सतीश झा (डीआईएन 10299809) ने 1990 में नागपुर विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री और 1998 में आईएसएम, धनबाद से औद्योगिक इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है। श्री झा आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी से माइन प्लानिंग में पीएचडी भी कर रहे हैं।

श्री झा ने 1990 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षु के रूप में अपने करियर शुरूआत की थी। श्री झा ने अधिकांश कोयला उत्पादक कंपनियों में विभिन्न पदों पर काम किया है, जैसे की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न भूमिगत तथा खुली खदानों में खान प्रबंधक से लेकर महाप्रबंधक (कारपोरेट प्लानिंग) तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधक के पद पर कार्यों का सफल निष्पादन किया है।

निम्नदर्शित उपलब्धियों में श्री झा की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं:

1) वर्ष 1996 में झरिया कोलफील्ड व्यापक जल प्रबंधन योजना।
2) लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल परिचालन का प्रबंधन।
3) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ड्रैगलाइन खदानें।
4) एनसीएल की अमलोरी परियोजना में "ओबी टू एम-सैंड प्लांट" की स्थापना और कमीशनिंग।

श्री झा को लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल संचालन के सफल प्रबंधन हेतु वर्ष 2003 में "एसईसीएल सम्मान" पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। श्री झा ने आधिकारिक रूप से जापान और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है।

श्री झा को भूमिगत तथा खुली खदानों दोनों में 33 वर्षों के विशद अनुभव से न केवल सीसीएल बल्कि सम्पूर्ण कोयला उद्योग को लाभ मिलने की आशा है। वर्तमान में श्री झा 01.09.2023 से वह सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 18.03.2024 से उन्हें सीसीएल बोर्ड में निदेशक (तकनीकी/परि. एवं यो.) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अंशकालिक/नामित निदेशकगण

श्री विनय रंजन
निदेशक(का. एवं औ.),
सीआईएल के द्वारा नामित निदेशक

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.), कोल इंडिया लिमिटेड ने 05.08.2021 को सीसीएल बोर्ड ने सीआईएल नामित निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। श्री रंजन प्रदर्शन-केन्द्रित, लोकोन्मुखी कार्यकारी हैं जिन्हें मानव संसाधन के सभी क्षेत्रों में विशद व वृहत कार्यानुभव प्राप्त है जिसमें वृहत पैमाने पर लेटरल/कैंपस चयन, प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन, नियोक्ता की ब्रांडिंग, प्रतिपूर्ति प्रबंधन और बेंच-मार्किंग, चेंज मैनेजमेंट, संस्कृति निर्माण, कार्मिक नियोजन, कार्मिक संबंध, एचआरआईएस, कर्मचारी उत्पादकता तथा अधिगम एवं विकास आदि क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

उन्होंने सफलतापूर्वक विदेशी व्यापारिक संस्थाओं में मानव संपदा से संबधित अपना सहयोग दिया है। वह सैप-एचआर कार्यान्वयन के दो पूर्ण जीवन-चक्र का हिस्सा रह चुके है। उन्होने टाटा कम्युनिकेशन (पूर्व में वीएसएनएल) में सैप-एचआर कार्यान्वयन के पूर्ण जीवन चक्र की टीम का नेतृत्व किया हैं। वहाँ उन्होंने आठ (8) सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें सम्पूर्ण सैप एचसीएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वीएसएनएल एचआर और टीसीएस शामिल थी। वीएसएनएल से प्रतिनियुक्त पर श्री रंजन टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) की सैप क्रियान्वयन कार्यान्वयन टीम का भी हिस्सा भी रहे हैं।

वह प्रभावोत्पादक नेतृत्व कौशल युक्त कुशल व उत्पादक कार्यबल विकसित करने की क्षमता रखते हैं। वह हितधारक प्रबंधन का कौशल रखते हैं तथा विगत 5 वर्षो से वह प्रमोटरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। वह उच्च स्तरीय सेवा-निष्पादन के साथ-साथ अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है। श्री रंजन अपने कुशल अंतर्वैयक्तिक संवाद कौशल एवं संव्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं।

29 जुलाई 2016 को फ्रांस के फॉनटेनब्लियू परिसर में पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरांत आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह वह इनसियाड के पूर्ववर्ती छात्र बनें।

दैनिक भास्कर समूह ने जब विस्तार कर यूएस 2 बिलियन डॉलर के निवेश से दो वृहत ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण का निर्णय लिया तब श्री विनय रंजन डीबी पावर लिमिटेड (दैनिक भास्कर समूह की कंपनी) के कारपोरेट प्रमुख-मानव संसाधन का कार्यभार संभाल रहे थे।

सुश्री रुपिंदर बरार
अपर सचिव, कोयला मंत्रालय , भारत सरकार

सुश्री रूपिंदर बरार, [डीआईएन:08584254] भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) की 1990 बैच की आयकर अधिकारी हैं। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर से लोक प्रशासन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है और वह हिंदू कॉलेज, दिल्ली की पूर्व छात्रा भी हैं। कोयला मंत्रालय (कोयला मंत्रालय) में अपनी नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने अगस्त 2022 से अक्टूबर 2023 तक मुंबई में मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्य किया है, तथा आयकर आयुक्त और विवाद समाधान पैनल के सदस्य के रूप में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कर मुद्दों को भी संभाला है। उन्होंने जुलाई 2019 से जून 2022 तक पर्यटन मंत्रालय में एडीजी पर्यटन के रूप में भी कार्य किया है तथा अक्टूबर 2019 से जून 2022 तक उन्हे भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) और इसकी सहायक कंपनी दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

वर्तमान में सुश्री बरार कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर भी कार्यरत हैं।

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्री रमेश कुमार सोनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य, श्री रमेश कुमार सोनी का जन्म वर्ष 1962 में हुआ।

उन्होंने अपने स्नातक की उपाधि रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त की है।

वर्तमान में वह जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) में चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्य संभाल रहे हैं।

श्री सोनी आरंभ से ही विभिन्न निजी लिमिटेड कंपनियों, बैंक-शाखाओं, औद्योगिक-इकाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र की इकाइयों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं के सलाहकार व सांविधिक लेखा परीक्षक रहे हैं। वह विभिन्न लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों से जुड़े रहे हैं तथा उनके व्यवसाय को स्थापित करने व सुधार करने में सहायता की है।

उन्हें सांविधिक लेखा, समवर्ती लेखा, भंडार लेखा, वित्त प्रबंधन, प्रत्यक्ष कर, निवेश संबंधी परामर्श जैसे विविध प्रक्षेत्रों में दक्षता प्राप्त है।

उन्होंने अपने व्यावसायिक विशेषज्ञता से संबधित व्याख्यान विभिन्न जिला औद्योगिक केंद्र, चैंबर ऑफ कॉमर्स, चैंबर ऑफ स्कूल एवं विभिन्न गैर-लाभकारी संस्थाओं दिया है।

श्री सोनी द्वारा विभिन्न विद्यालयों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं में आयोजित गोष्ठियों में वाणिज्य-क्षेत्र में कैरियर मार्ग दर्शन, शिक्षा एवं व्यावसायिक अवसरों आदि पर व्याख्यान दिया गया है।

परिशिष्ट-II

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा कारपोरेट शासन पर प्रमाण-पत्र

सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

सेवा में

सदस्यगण,

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची

1. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी द्वारा नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की, यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद-49 कंपनी में लागू नहीं होता है। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है जो कि सूचीबद्ध है।
2. नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबधंन की है। नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जांच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जांच तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षण और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है।
3. हमारे विचार मेंतथा हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट शासन पर विभाग के सार्वजनिक उद्यम दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक संख्या में गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हमारा आगे यह व्यक्त करते है कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सतीश कुमार & एसोसिएट्स की ओर से

ह./-

(सतीश कुमार)

कंपनी सचिव

सचिव एफ़सीएस सं. : 8423

सीपी सं. 9788

स्थान : रांची

दिनांक : 20 जुलाई, 2024

यूडीआईएन : F008423F000790028

वित्तीय विवरण समेकित

परिशिष्ट-III

प्रपत्र सं. एमआर -3
सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुरूप]

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची

हमनें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुसंगत कारपोरेट प्रथाओं के अनुपालन में सचिवीयलेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कारपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

अप्रैल,2023 से मार्च,2024 तक कीलेखा अवधि के दौरान कंपनी लेखा बहियों, कागजात, मिनट बुक्स, फॉर्म और दाखिल रिटर्न व कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों तथा कंपनी, कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, निम्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त के अधीन बनाए गए नियम;
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (केवल प्रयोज्यता की सीमा तक)
4. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देश।
6. कोयला मंत्रालय के पत्र संख्या 21/35/2005-एएसओ (iv) दिनांक 6 जून, 2008 में विनिर्दिष्ट कंपनी के निदेशक मंडल का गठन।
7. **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी)** पर लागू विशिष्ट कानूनों का अनुपालन की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। विस्तृत विवरण **"अनुबंध-ख1"** में दिया गया है।

हमारे मत में, हमारे द्वारा की गयी परीक्षा के आधार पर, कंपनी तथा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा हमें प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के अनुसार,कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का,विशेषकर यहां उल्लिखित प्रावधानों अनुपालन किया है; तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र एक सीमा तक, प्रकार्य से तथा रिपोर्टिंग व प्रेक्षण के अनुरूप है **(अनुबंध-क,ख तथा ख1 में देखें) :**

1. भाग I के तहत निर्धारित तुलन-पत्र का फॉर्म, भाग II के तहत विहित लाभ और हानि का विवरण तथा इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित है।
2. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के उनके ओएम सं 18(8)/2005-जीएम द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल के पास कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक का पर्याप्त संतुलन नहीं है।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधान (कंपनी

निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ और कोयला मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के संबंध में जारी किए गए निर्देश ।

3. पंजीकृत कार्यालय तथा कंपनी के नाम का प्रकाशन।
4. झारखंड कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना। (परिशिष्ट– ख में सूचीबद्ध अवलोकन के अध्यधीन)
5. निदेशक मंडलों और उसकी समितियों की बैठकें बुलाना और आयोजित करना ।
6. 02 अगस्त, 2023 बुधवार, को सदस्यों की 67वीं वार्षिक आम बैठकें बुलाना और आयोजित करना ।
7. वार्षिक आम बैठक, असाधारण बैठक, बोर्ड बैठक और बोर्ड की समितियों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का खुले पृष्ठ प्रपत्र में व्यवस्थित रूप अभिलेखन, जिसे नियमित रूप से सजिल्द पुस्तक के रूप में बनाया जा रहा है।
8. निदेशकों को पारिश्रमिक भुगतान।
9. सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
10. लेखा परीक्षण समिति तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं विचारार्थ विषय।(परिशिष्ट – ख में सूचीबद्ध अवलोकन के अध्यधीन)
11. कंपनी के सदस्यों और लेखा परीक्षकों पर कंपनी द्वारा दस्तावेजों की सर्विस ।

हम आगे प्रतिवेदित करे हैं कि

1. निदेशकों ने यथा आवश्यकतानुसार अन्य कंपनियों में अपनी शेयरधारिता और निदेशकीय पदतथा अन्य संस्थाओं में अपने सरोकार को प्रकटकिया है और उनके सरोकारों को बोर्ड द्वारा नोट और दर्ज किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, उनके स्वतंत्र होने और निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण कीआवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, अपने किसी निदेशक तथा अधिकारी पर अभियोग,जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया।
4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र के आधार पर कंपनी का किसी भी प्रकार का कोई अनुपालन लंबित नहीं है, लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है । (परिशिष्ट-ख और ख1 में सूचीबद्ध अवलोकन के अध्यधीन)
5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी केपास किसी प्रकार की विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाईयां थी जिसका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव हो।

कृते सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स

ह./-

(सतीश कुमार)

कंपनी सचिव

एफ़सीएस सं.: 8423

सीपी सं.: 9788

स्थान : रांची

तिथि : 20 जुलाई, 2024

यूडीआईएन: F008423F000789962

टिप्पणी : - "परिशिष्ट-क", "परिशिष्ट-ख" और "परिशिष्ट-ख1" इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं।

परिशिष्ट-क

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची

समतिथि को हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेख के रख-रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के लेखा परीक्षा के उपलब्ध दस्तावेजों और सूचनाओं के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है ।
2. हमने सचिवीय और अन्य अभिलेखों की सटीकता का यथोचित आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, हमने इन अभिलेखों में दर्शाए गए तथ्यों की सत्यता का नमूना आधार पर सत्यापन किया है। हम मानते हैं कि हमारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती हैं।
3. कंपनी के शासन के प्रावधानों और लागू सभी कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा का दायरा प्रक्रियाओं का नमूना प्रतिचयन आधार पर सत्यापन तक सीमित था और यह लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और सूचना पर निर्भर था।
4. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है ।
5. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया है; और इसलिए यह भाग अप्रकाशित है ।
6. रिपोर्ट में कंपनी की अनुपालन स्थिति पहले ही बताई जा चुकी है। हालाँकि, वैधानिक अनुपालन से संबंधित टिप्पणियाँ ऑडिट प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित हैं, जैसा कि "अनुबंध-ख और ख-1" में विस्तृत रूप से निर्दिष्ट है।

कृते सतीश कुमार एन्ड एसोसिएट्स

ह./-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफ़सीएस सं.: 8423
सीपी सं.: 9788

स्थान : रांची
तिथि : 20 जुलाई, 2024
यूडीआईएन: F008423F000789962

परिशिष्ट – ख

सचिवीय लेखा के अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार मेसेर्स सतीश कुमार एवं एसोसिएट्स को मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के सचिवीय लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार एवं एसोसिएट्स द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखा प्रतिवेदन के प्रेक्षण के संदर्भ में प्रबंधन का उत्तर एतदद्वारा संलग्न है:

क्र. सं.	अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1	नियम 3 (कंपनियों के निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के द्वितीय परंतुक, बोर्ड पर महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं कर रही है।	कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या 21/3/2011-ASO/BA/Estt दिनांक 22 फरवरी, 2023 अनुसार, सीसीएल के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित महिला निदेशक के पद पर सुश्री संतोष के स्थान पर कोई अन्य महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 22 फरवरी, 2023 से महिला निदेशक का पद रिक्त हो गया था। चूंकि कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक लोक उद्यम है, अतः यहां निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पास निहित है। फिर भी, कंपनी ने बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया था। तद्पश्चात, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या 21/3/2011-बीए, दिनांक 27 दिसंबर, 2023 के माध्यम से कोयला मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री रुपिंदर बरार, को 27.12.2023 की तिथि से कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, इस प्रकार कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधान का अनुपालन किया गया है।
2	कंपनी के निदेशक मंडल का गठन लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है। इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का उचित अनुपात निर्धारित किया गया है। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, जबकि इन दिशानिर्देशों के अनुसार पांच स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक लोक उद्यम है और कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण नियंत्रणाधीन अनुषंगी कंपनी है। कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। 6 जून, 2008 को प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देश (पत्र संख्या 21/35/2005-ASO(iv)) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन निम्न प्रकार/ निम्नानुसार है: **पाँच (5) कार्यकारी निदेशक :** 1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीसीएल - पूर्णकालिक 2. निदेशक (कार्मिक), सीसीएल - पूर्णकालिक 3. निदेशक (तकनीकी), सीसीएल - पूर्णकालिक 4. निदेशक (तकनीकी), सीसीएल - पूर्णकालिक 5. निदेशक (वित्त), सीसीएल - पूर्णकालिक **सरकार द्वारा नामित दो (2) निदेशक:** 1. कोयला मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - अंशकालिक 2. कोल इंडिया लिमिटेड का एक प्रतिनिधि - अंशकालिक **पांच (5) अप्रशासकीय निदेशक:** पाँच-अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र) कंपनी में बोर्ड का आवश्यक संयोजन है, सिवाय चार स्वतंत्र अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के। कंपनी के बोर्ड में अप्रशासकीय अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

वित्तीय विवरण समेकित

3	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117(3)(सी) के अनुसार, किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति के नवीनीकरण या नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी बोर्ड प्रस्ताव या समझौता, ऐसे प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-फॉर्म एमजीटी-14 में दाखिल किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, हमारे संज्ञान में यह आया है कि कंपनी ने उपरोक्त मामले में यह में ई-फॉर्म एमजीटी-14 दाखिल नहीं किया है।	सीसीएल कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक "सरकारी कंपनी" है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त/नामांकित करने का अधिकार भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास निहित है। यह नियुक्ति डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के नियम और शर्तें प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसी नियुक्तियों को बोर्ड द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में दर्ज/नोट किया जाता है (अनुमोदित नहीं किया जाता)। तदनुसार, इस व्याख्या अनुरूप ई-फॉर्म 14 एमसीए को फाइल नहीं की जाती है।
4	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट शासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार कंपनी में लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है।	बिंदु संख्या-2 में दिए गए उत्तरके संदर्भ में, जब प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कि जाएगी, तो डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

"परिशिष्ट -ख 1"

निम्नदर्शित अनुपालनों पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनुपाल नप्रमाण-पत्रों को सत्य माना जा सकता है:

1. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970.
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
3. वेतन भुगतान अधिनियम।
4. वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956;
5. अवितरित मजदूरी का भुगतान (खान) नियम, 1989;
6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए अन्य पर्यावरण कानून एवं नियम।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013
8. खान अधिनियम, 1952;
9. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884;
10. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004;
11. कोयला खान विनियम, 2017;
12. कोयला खान पेंशन योजना, 1998;
13. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974;
14. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966;
15. खान क्रेच नियम, 1961;
16. खान बचाव नियम, 1985;
17. कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946;
18. प्रसूति प्रसुविधा नियम (खान एवं सर्कस), 1963;
19. विस्फोटक नियम, 2008;
20. खान रियायत नियम, 1960;
21. कोयला खान भविष्यनिधि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1948;
22. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
23. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियमावली, 1956;
24. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके तहत बनाए गए

परिशिष्ट-IV

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने 31 मई, 2024 को जारी अपने संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह राय व्यक्त की है, जो 25 अप्रैल, 2024 को जारी उनके पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निरस्त करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा कराई है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित रही है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

क. प्रकटन पर टिप्पणी

क.1 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट (नोट- 16)

भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 118 यह निर्धारित करता है कि किसी इकाई के लिए अपने वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए मापन आधारों का खुलासा करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को काफी प्रभावित करता है।

झारखंड सरकार ने (26.10.2021) राज्य की किसी भी सड़क या उसके किसी भाग के उपयोग या खनन क्षेत्रों में आवागमन के लिए देय कंपोजिशन यूजर फीस (सीयूएफ) लगाने की अधिसूचना जारी की है।इस प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) ग्राहकों से सीयूएफ वसूल रहा है और इसे अन्य वित्तीय देयता (वर्तमान) के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसकी राशि ₹765.37 करोड़ (31 मार्च 2024 तक) है।ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर याचिकाओं के कारण सीयूएफ लगाने का मामला झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एकत्र की गई सीयूएफ की राशि सीसीएल के बैंक खाते में जमा है और इस तरह की संचित राशि पर ब्याज अर्जित कर रही है।सीसीएल ने उपर्युक्त सीयूएफ पर मार्च 2024 तक अर्जित ब्याज के विरुद्ध कोई देयता नहीं बनाई है, जो कि ₹78.14 करोड़ है और इसे अपनी आय मान रही है।उपर्युक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है जो कि भारतीय लेखा मानक- 01 का उल्लंघन है।

इस प्रकार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट (नोट संख्या 16) की नोट संख्या 3.5 उपर्युक्त सीमा तक अपर्याप्त है।

क.2 सामग्री लेखांकन नीतियाँ (नोट 2)

स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20)

सीसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इसका उल्लेख किया गया है कि"हटाए गए अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) की वास्तविक मात्रा अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) से अधिक हटाए गए अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के पूरे जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन के अनुसरण में, अनुपातिक विचलन संचय के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवथित रूप से उलट दिया गया है, तथा केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिपरिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है। सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया।लेखांकन नीति में इस परिवर्तनके कारण, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति (एसएए) को 01.04.2022 से संपत्ति,

संयंत्र और उपकरण (नोट 03) के अंतर्गत परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगातार दिखाया जा रहा है, जबकि 2022-23 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता वाली ऐसी परिसंपत्तिके आंकड़ों को समायोजित करने की मौजूदा नीतिका पालन किया जाता था।लेखांकन नीति में उपर्युक्त परिवर्तन के आधार पर वाक्य 'स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवन पर परिशोधित किया जाता है' भी शामिल किया गया है।

आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात, लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और एसएए। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, सीसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे।हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन का खुलासा सामग्री लेखांकन नीति में नहीं किया गया है।इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के 'संपूर्ण' जीवन काल में किया जाएगा या खदान के 'शेष' जीवन काल में।

भारतीय लेखा मानक 08 का अनुच्छेद 29 : लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां बताती हैं कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पिछली अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए; (ख) कारण कि नई लेखांकन नीति लागू करने से विश्वसनीय औरअधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 01: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अनुच्छेद 121 में बताया गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण एक लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है।

चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण तथा इसके कारण बताना आवश्यक था, ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सूचित निर्णय लिए जा सकें, जो संयोगवश, ऐसी नीति में नहीं था।

इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

क.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) - ₹7056.86 करोड़

अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ (नोट8.4)-₹ 1862.98 करोड़

प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिपरिसंपत्तियों पर भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुच्छेद-16 में बताया गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या किसी पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को जन्म दिया है।दुर्लभ मामलों में यह विवादित हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ है।ऐसे मामले में, इकाई विशेषज्ञों की राय सहित सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करती है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है अथवा नहीं।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक-01 के अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि किसी इकाई के लिए वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त वर्तमान आधार या आधारों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने (2021) वैधानिक लेखा परीक्षक (मेसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय भी प्राप्त की, जहां राय दी गयी कि पीडीएफ2 को देय अनुमानित राशि के संबंध में, विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तिथि पर दायित्व को निपटाने हेतु आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए, चाहे अन्य शर्तें पूरी हुई हों अथवा नहीं।

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत सीसीएल द्वारा सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोयला अधिनियम (सीबीए) 1957 के अंतर्गतभूमि अधिगृहीत की गयी तथा उपर्युक्त अधिसूचित भूमि के प्रभावित पक्षों/परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया गया। सीसीएल द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे को कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध बहीकृत किया जाता है।

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के पास एक राय होने के बावजूद, उन्होंने 'भूमि अधिग्रहण' क्या है, भूमि का पूंजीकरण कब किया जाना चाहिए और मुआवजे के भुगतान के लिए देयता कब बनाई जानी चाहिए, इस बारे में कोई एकसमान लेखांकन नीति या प्रकटीकरण नहीं बनाया है। परिणस्वरूप, समूह की सहायक कंपनियों ने वित्तीय विवरणों में देयता का मान्यताकरण और भूमि के लेखांकन करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण

अपनाए हैं। इस प्रकार, समूह की सहायक कंपनियों के बीच इन मामलों में असंगति है।

सीसीएल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत ₹2724.78 करोड़ के बदले भूमि/मकान मुआवजे के लिए ₹2634.82 करोड़ जारी किए। भूमि अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचना और अंतिम मुआवजे के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन भी दिया गया। ₹89.96 करोड़ की शेष देय राशि का न तो लेखा-जोखा किया गया और न ही वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया गया, जो कि IND AS 01 और 37 के प्रावधानों के विपरीत है, इस तर्क पर कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है।

अतः, मुआवजे के लेखांकन के संबंध में लेखा नीति और प्रकटीकरण उपर्युक्त सीमा तक अपर्याप्त हैं।

क.4 चालू परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य (नोट -4.3)- ₹ 1716.73 करोड़

अन्य व्यय प्रावधान –(नोट -13.8.1)- ₹52.43 करोड़

भारतीय लेखा मानक 01 के अनुच्छेद 125 के अनुसार, एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में की गई अपनी धारणाओं और अन्य प्रमुख अनुमानों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। इन धारणाओं और अनुमानों में ऐसी अनिश्चितताएं भी शामिल हैं जिनके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के लेखा मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।"उन परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के संदर्भ में, नोट में उनकी प्रकृति और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनका लेखा मूल्य शामिल होगा।अनुच्छेद 129 में यह दर्शाया गया है कि किसी अनिश्चितता के संभावित समाधान और अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावित परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के लेखा मूल्य में होने वाले संभावित बदलावों की सीमा के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

सीसीएल ने झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) की इकाई पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) को कोयला आपूर्ति समझौते (सीएसए) के अंतर्गत कोयला आपूर्ति की। यह समझौता 2013 में सीसीएल और जेएसईबी के बीच हुआ था।

पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) की मौजूदा क्षमता के प्रदर्शन में सुधार और क्षमता विस्तार के उद्देश्य से जुलाई 2015 में एनटीपीसी, झारखंड सरकार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) का गठन किया गया था।तदनुसार, पीटीपीएस की सभी इकाइयों को 1 अप्रैल 2016 को संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को हस्तांतरित कर दिया गया तद्पश्चात 24 जनवरी 2017 से इनका परिचालन बंद कर दिया गया है।सीसीएल ने कोयले की आपूर्ति भी बंद कर दी।जेवीसी समझौते के प्रावधानों में बताया गया है कि न तो जेवीसी और न ही एनटीपीसी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से पहले की किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी संयुक्त उद्यम भागीदार की कोई देनदारी वहन करते हैं।जेवीसी समझौते के प्रावधानों के अनुसार, जेवीसी या एनटीपीसी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से पहले अर्जित किसी भी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम के किसी भी भागीदार की देनदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

हालाँकि, 31 मार्च 2024 तक जेएसईबी/पीटीपीएस के विरुद्ध 21.58 करोड़ रुपये का कोयला बकाया अभी भी बही में व्यापार प्राप्य के अंतर्गत दिखाया जा रहा है।

चूंकि पीटीपीएस/जेएसईबी अस्तित्व में नहीं है, जेवीसी ने अपने समझौते में किसी भी पूर्व देयता को वहन करने से इनकार कर दिया है और पिछले छह वर्षों में उपर्युक्त बकाया राशि के संबंध में कोई कार्रवाई/पत्राचार या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली अनिश्चित है। सीसीएल ने विचार-विमर्श किया कि वर्ष 2024-25 के दौरान यह राशि वसूल की जाएगी। हालाँकि, सीसीएल ने न तो संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान बनाया है और न ही लेखा पुस्तकों में इस अनिश्चित तथ्य का खुलासा किया है।

अनिश्चित परिपरिसंपत्तियों की प्रकृति, उनकी वर्तमान मूल्य और अनिश्चितता के संभावित समाधान के साथ-साथ अगले वित्तीय वर्ष में इन परिपरिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाले संभावित बदलावों की सीमा का खुलासा न करना, भारतीय लेखा मानक-01 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं में कमी आई है।

क.5 अन्य – गैर चालू वित्तीय परिसंपातियाँ (नोट 4.6)- ₹1838.79 करोड़

अन्य प्रावधान – स्थलिक बहाली/ खान बंदीकरण (नोट 9.1 3) - ₹1008.57 करोड़.

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक-01 के अनुच्छेद 112(सी) में बताया गया है कि किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए

प्रासंगिक है। अनुच्छेद 15 में आगे बताया गया है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो, तो वित्तीय विवरण में परिणामित होने के लिए माना जाता है जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से खदान बंद करने की दर (एमसीआर) में वृद्धि की गई। खुली खदानों के लिए एमसीआर 6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 9 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया, जबकि भूमिगत खदानों के लिए यह दर 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई।इसके बाद, कोयला नियंत्रक संगठन ने सितंबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कोयला मंत्रालय द्वारा मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खदान-वार वार्षिक समापन लागत अनुसूची को संशोधित करें और संशोधित एस्क्रो समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें।

तदनुसार, नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीएल ने 31 मार्च 2024 तक के कुल 67 एस्क्रो समझौतों में से 33 को संशोधित किया।हालांकि, 31 मार्च 2024 तक शेष 34 एस्क्रो समझौतों को संशोधित नहीं किया जा सका।उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण न करने के कारण सूचित निर्णय लेने में कठिनाई हुई है, जिससे प्रकटीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

ह./-

(बिभूदत्त बसंतिया)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला) कोलकाता

स्थान: कोलकाता
तिथि : 01 जुलाई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने 31 मई, 2024 को जारी अपने संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह राय व्यक्त की है, जो 25 अप्रैल, 2024 को जारी उनके पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निरस्त करता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा कराई है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित रही है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

क. प्रकटन पर टिप्पणी

क.1 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट (नोट- 16)

भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 118 यह निर्धारित करता है कि किसी इकाई के लिए अपने वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए मापन आधारों का खुलासा करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को काफी प्रभावित करता है।

झारखंड सरकार ने (26.10.2021) राज्य की किसी भी सड़क या उसके किसी भाग के उपयोग या खनन क्षेत्रों में आवागमन के लिए देय कंपोजिशन यूजर फीस (सीयूएफ) लगाने की अधिसूचना जारी की है।इस प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) ग्राहकों से सीयूएफ वसूल रहा है और इसे अन्य वित्तीय देयता (वर्तमान) के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसकी राशि ₹765.37 करोड़ (31 मार्च 2024 तक) है।ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर याचिकाओं के कारण सीयूएफ लगाने का मामला झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एकत्र की गई सीयूएफ की राशि सीसीएल के बैंक खाते में जमा है और इस तरह की संचित राशि पर ब्याज अर्जित कर रही है।सीसीएल ने उपर्युक्त सीयूएफ पर मार्च 2024 तक अर्जित ब्याज के विरुद्ध कोई देयता नहीं बनाई है, जो कि ₹78.14 करोड़ है और इसे अपनी आय मान रही है।उपर्युक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है जो कि भारतीय लेखा मानक- 01 का उल्लंघन है।

इस प्रकार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट (नोट संख्या 16) की नोट संख्या 3.5 उपर्युक्त सीमा तक अपर्याप्त है।

क.2 सामग्री लेखांकन नीतियाँ (नोट 2) स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20)

सीसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इसका उल्लेख किया गया है कि"हटाए गए अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) की वास्तविक मात्रा अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) से अधिक हटाए गए अतिरिक्तभार (ओवरबर्डन) के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के पूरे जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन के अनुसरण में, अनुपातिक विचलन संचय के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवथित रूप से उलट दिया गया है, तथा केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिपरिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है। सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया।लेखांकन नीति में इस परिवर्तनके कारण, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति (एसएए) को 01.04.2022 से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 03) के अंतर्गत परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगातार दिखाया जा रहा है, जबकि 2022-23 तक ऐसीस्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता वाली ऐसी परिसंपत्तिके आंकड़ों को समायोजित करने की मौजूदा नीतिका पालन किया जाता था।लेखांकन नीति में उपर्युक्त परिवर्तन के आधार पर वाक्य 'स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवन पर परिशोधित किया जाता है' भी शामिल किया गया है।

आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात, लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और एसएए। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, सीसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे।हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन का खुलासा सामग्री लेखांकन

नीति में नहीं किया गया है।इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के 'संपूर्ण' जीवन काल में किया जाएगा या खदान के 'शेष' जीवन काल में।

भारतीय लेखा मानक 08 का अनुच्छेद 29 : लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां बताती हैं कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पिछली अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (ए) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए; (b) कारण कि नई लेखांकन नीति लागू करने से विश्वसनीय औरअधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 01: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अनुच्छेद 121 में बताया गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण एक लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है।

चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण तथा इसके कारण बताना आवश्यक था, ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सूचित निर्णय लिए जा सकें, जो संयोगवश, ऐसी नीति में नहीं था।

इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

क.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) - ₹7056.86 करोड़

अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ (नोट8.4)-₹ 1862.98 करोड़

प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिपरिसंपत्तियों पर भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुच्छेद-16 में बताया गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या किसी पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को जन्म दिया है।दुर्लभ मामलों में यह विवादित हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ है।ऐसे मामले में, इकाई विशेषज्ञों की राय सहित सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करती है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है अथवा नहीं।

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक-01 के अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि किसी इकाई के लिए वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त वर्तमान आधार या आधारों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने (2021) वैधानिक लेखा परीक्षक (मेसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय भी प्राप्त की, जहां राय दी गयी कि पीडीएफ2 को देय अनुमानित राशि के संबंध में, विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तिथि पर दायित्व को निपटाने हेतु आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए, चाहे अन्य शर्तें पूरी हुई हों अथवा नहीं।

सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत सीसीएल द्वारा सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोयला अधिनियम (सीबीए) 1957 के अंतर्गतभूमि अधिगृहीत की गयी तथा उपर्युक्त अधिसूचित भूमि के प्रभावित पक्षों/परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया गया। सीसीएल द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे को कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध बहीकृत किया जाता है।सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के पास एक राय होने के बावजूद, उन्होंने 'भूमि अधिग्रहण' क्या है, भूमि का पूंजीकरण कब किया जाना चाहिए और मुआवजे के भुगतान के लिए देयता कब बनाई जानी चाहिए, इस बारे में कोई एकसमान लेखांकन नीति या प्रकटीकरण नहीं बनाया है। परिणस्वरूप, समूह की सहायक कंपनियों ने वित्तीय विवरणों में देयता का मान्यताकरण और भूमि के लेखांकन करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। इस प्रकार, समूह की सहायक कंपनियों के बीच इन मामलों में असंगति है।

सीसीएल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत ₹2724.78 करोड़ के मुकाबले भूमि/मकान मुआवजे के लिए ₹2634.82 करोड़ जारी किए। भूमि अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचना और अंतिम मुआवजे के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन भी दिया गया। ₹89.96 करोड़ की शेष देय राशि का न तो लेखा-जोखा किया गया और न ही वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया गया, जो कि IND AS 01 और 37 के प्रावधानों के विपरीत है, इस तर्क पर कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है।

अतः, मुआवजे के लेखांकन के संबंध में लेखा नीति और प्रकटीकरण उपर्युक्त सीमा तक अपर्याप्त हैं।

क.4 चालू परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य (नोट -4.3)- ₹ 1716.73 करोड़

अन्य व्यय प्रावधान –(नोट -13.8.1)- ₹52.43 करोड़

भारतीय लेखा मानक 01 के अनुच्छेद 125 के अनुसार, एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में की गई अपनी धारणाओं और अन्य प्रमुख अनुमानों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। इन धारणाओं और अनुमानों में ऐसी अनिश्चितताएं भी शामिल हैं जिनके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के लेखा मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।"

उन परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के संदर्भ में, नोट में उनकी प्रकृति और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनका लेखा मूल्य शामिल होगा।अनुच्छेद 129 में यह दर्शाया गया है कि किसी अनिश्चितता के संभावित समाधान और अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावित परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के लेखा मूल्य में होने वाले संभावित बदलावों की सीमा के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

सीसीएल ने झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) की इकाई पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) को कोयला आपूर्ति समझौते (सीएसए) के अंतर्गत कोयला आपूर्ति की। यह समझौता 2013 में सीसीएल और जेएसईबी के बीच हुआ था।

पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) की मौजूदा क्षमता के प्रदर्शन में सुधार और क्षमता विस्तार के उद्देश्य से जुलाई 2015 में एनटीपीसी, झारखंड सरकार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) का गठन किया गया था।तदनुसार, पीटीपीएस की सभी इकाइयों को 1 अप्रैल 2016 को संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को हस्तांतरित कर दिया गया तद्पश्चात 24 जनवरी 2017 से इनका परिचालन बंद कर दिया गया है।सीसीएल ने कोयले की आपूर्ति भी बंद कर दी।जेवीसी समझौते के प्रावधानों में बताया गया है कि न तो जेवीसी और न ही एनटीपीसी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से पहले की किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी संयुक्त उद्यम भागीदार की कोई देनदारी वहन करते हैं।जेवीसी समझौते के प्रावधानों के अनुसार, जेवीसी या एनटीपीसी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से पहले अर्जित किसी भी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम के किसी भी भागीदार की देनदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। हालाँकि, 31 मार्च 2024 तक जेएसईबी/पीटीपीएस के विरुद्ध 21.58 करोड़ रुपये का कोयला बकाया अभी भी बही में व्यापार प्राप्य के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। चूंकि पीटीपीएस/जेएसईबी अस्तित्व में नहीं है, जेवीसी ने अपने समझौते में किसी भी पूर्व देयता को वहन करने से इनकार कर दिया है और पिछले छह वर्षों में उपर्युक्त बकाया राशि के संबंध में कोई कार्रवाई/पत्राचार या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली अनिश्चित है। सीसीएल ने विचार-विमर्श किया कि वर्ष 2024-25 के दौरान यह राशि वसूल की जाएगी। हालाँकि, सीसीएल ने न तो संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान बनाया है और न ही लेखा पुस्तकों में इस अनिश्चित तथ्य का खुलासा किया है।

क.5 अन्य – गैर चालू वित्तीय परिसंपातियाँ (नोट 4.6)- ₹1838.79 करोड़

अन्य प्रावधान – स्थलिक बहाली/ खान बंदीकरण (नोट 9.1 3) - ₹1008.57 करोड़.

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक-01 के अनुच्छेद 112(सी) में बताया गया है कि किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है। अनुच्छेद 15 में आगे बताया गया है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो, तो वित्तीय विवरण में परिणामित होने के लिए माना जाता है जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

भारतीय लेखा मानक-1 (भारतीय लेखा मानक-1) के अनुच्छेद 112(सी) के अनुसार, किसी कंपनी को ऐसी जानकारी भी देनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और नहीं दी गई हो, लेकिन वित्तीय विवरणों को समझने के लिए ज़रूरी हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब ज़रूरत हो, तो अतिरिक्त जानकारी देकर वित्तीय विवरणों को और अधिक सटीक और स्पष्ट बनाया जा सकता है।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से खदान बंद करने की दर (एमसीआर) में वृद्धि की गई। खुली खदानों के लिए एमसीआर 6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 9 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया, जबकि भूमिगत खदानों के लिए यह दर 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई।इसके बाद, कोयला नियंत्रक संगठन ने सितंबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कोयला मंत्रालय द्वारा मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खदान-वार वार्षिक समापन लागत अनुसूची को संशोधित करें और संशोधित एस्क्रो समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें।

तदनुसार, नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीएल ने 31 मार्च 2024 तक के कुल 67 एस्क्रो समझौतों में से 33 को संशोधित किया।हालांकि, 31 मार्च 2024 तक शेष 34 एस्क्रो समझौतों को संशोधित नहीं किया जा सका।उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण न करने के कारण सूचित निर्णय लेने में कठिनाई हुई है, जिससे प्रकटीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./-

(बिभूदत्त बसंतिया)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला) कोलकाता

स्थान: कोलकाता

तिथि : 01 जुलाई 2024

परिशिष्ट – क

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षककी टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

एकल और समेकित

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क. प्रकटन पर टिप्पणी **क.1 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट (नोट- 16)**	
भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 118 यह निर्धारित करता है कि किसी इकाई के लिए अपने वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए मापन आधारों का खुलासा करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को काफी प्रभावित करता है। झारखंड सरकार ने (26.10.2021) राज्य की किसी भी सड़क या उसके किसी भाग के उपयोग या खनन क्षेत्रों में आवागमन के लिए देय कंपोजिशन यूजर फीस (सीयूएफ) लगाने की अधिसूचना जारी की है।इस प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) ग्राहकों से सीयूएफ वसूल रहा है और इसे अन्य वित्तीय देयता (वर्तमान) के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसकी राशि ₹765.37 करोड़ (31 मार्च 2024 तक) है।ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर याचिकाओं के कारण सीयूएफ लगाने का मामला झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एकत्र की गई सीयूएफ की राशि सीसीएल के बैंक खाते में जमा है और इस तरह की संचित राशि पर ब्याज अर्जित कर रही है।सीसीएल ने उपर्युक्त सीयूएफ पर मार्च 2024 तक अर्जित ब्याज के विरुद्ध कोई देयता नहीं बनाई है, जो कि ₹78.14 करोड़ है और इसे अपनी आय मान रही है।उपर्युक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है जो कि भारतीय लेखा मानक- 01 का उल्लंघन है। इस प्रकार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट (नोट संख्या 16) की नोट संख्या 3.5 उपर्युक्त सीमा तक अपर्याप्त है।	झारखंड राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचना दिनांक 26/10/2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और सीयूएफ (रचना उपयोगकर्ता शुल्क) का भुगतान करने का दायित्व वाहन के परिवहनकर्ता/मालिक पर है जो राज्य की सड़कों, पुलों सहित इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आरओबी/आरयूबी, बाईपास और खनन क्षेत्र में सुरंगों का उपयोग कर रहा है। सीसीएल में कोयले की बिक्री के तीन तरीके हैं अर्थात नीलामी बिक्री, आरसीआर और रेल मोड। (i) नीलामी बिक्री में, हीप से कोयले की ढुलाई द्वितीय पक्ष के निजी साधन से की जा रही है। (ii) आरसीआर मोड में, हीप से कोयला द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के साधनों को तैनात करके ले जाया जा रहा है। (iii) तीसरे मामले में यानी रेल बिक्री मोड में, सीसीएल हीप/खानों से कोयला रेलवे साइडिंग तक ले जा रहा है, जो उक्त उद्देश्य के लिए लगे ट्रांसपोर्टरों से वाहन किराए पर लेकर ढुलाई की जा रही है। तदनुसार, पहले और द्वितीय मामले में सीसीएल पर सीयूएफ शुल्क का भुगतान करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है क्योंकि कंपनी कहीं भी राज्य सड़कों, पुलों सहित इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आरओबी/आरयूबी, बाईपास और खनन क्षेत्र में सुरंगों का उपयोग नहीं कर रही है। हालांकि, तीसरे मामले में यानी सीसीएल द्वारा दिए गए परिवहन अनुबंध में, टोल कर, पार्किंग शुल्क और अन्य इसी प्रकार के व्यय आदि, यह अनुबंधीय दायित्व का मामला है और यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा दावा किया जाता है तो ट्रांसपोर्टर को प्रतिपूर्ति की जानी है। तदनुसार, सीसीएल ने अपनी मूल्य निर्धारण की समीक्षा की है और अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से, सीसीएल ने अपने ग्राहक से ₹ 60 प्रति टन के हिसाब से उक्त शुल्क का बिलिंग और संग्रह शुरू कर दिया है, जिसे ट्रांसपोर्टरों को प्रतिपूर्ति की जानी है। मूल्य निर्धारण पद्धति के तहत, उत्पादन और बिक्री के सभी लागू शुल्क (यानी सामग्री, श्रम और अन्य ओवरहेड्स आदि) सहित अप्रत्यक्ष कर कानून पर उत्पन्न होने वाले कर निहितार्थ को ग्राहक को उत्पाद के मूल्य के हिस्से के रूप में बिल / चार्ज किया जाता है।

	मूल्य के हिस्से के रूप में एकत्र की गई किसी भी राशि को अलग बैंक खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। निवेश का समय और निवेश का तरीका सहित अधिशेष प्राप्ति का निवेश विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक निर्णय है और इस प्रकार सीसीएल को अपने व्यावसायिक हित के सर्वोत्तम के लिए इसे तय करने का पूरा अधिकार है। मूल्य निर्धारण पद्धति के तहत, उत्पादन और बिक्री के सभी लागू शुल्क (यानी सामग्री, श्रम और अन्य ओवरहेड्स आदि) सहित अप्रत्यक्ष कर कानून पर उत्पन्न होने वाले कर निहितार्थ को ग्राहक को उत्पाद के मूल्य के हिस्से के रूप में बिल / चार्ज किया जाता है। मूल्य के हिस्से के रूप में एकत्र की गई किसी भी राशि को अलग बैंक खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। निवेश का समय और निवेश का तरीका सहित अधिशेष प्राप्ति का निवेश विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक निर्णय है और इस प्रकार सीसीएल को अपने व्यावसायिक हित के सर्वोत्तम के लिए इसे तय करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में कोई कर दायित्व नहीं है। उक्त संग्रह को अलग से पार्क करने के लिए कोई कर या कानूनी आवश्यकता नहीं है। सीसीएल का दायित्व अपने ट्रांसपोर्टर ठेकेदारों द्वारा दिए गए अनुबंध के अनुसार दावा किए गए सीयूएफ शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुबंधीय दायित्व तक सीमित है। हालांकि, टिप्पणी में बताए गए प्रकटीकरण की चिंता को नोट किया गया है और इसे वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया जाएगा।
क.2 सामग्री लेखांकन नीतियाँ (नोट 2) **स्ट्रिपिंग गतिविधि (नोट 2.20)** सीसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इसका उल्लेख किया गया है कि "हटाए गए अतिरिक्त भार (ओवरबर्डन) की वास्तविक मात्रा अतिरिक्त भार (ओवरबर्डन) हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित अतिरिक्त भार (ओवरबर्डन) से अधिक हटाए गए अतिरिक्त भार (ओवरबर्डन) के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के पूरे जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन के अनुसरण में, अनुपातिक विचलन संचय के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवथित रूप से उलट दिया गया है, तथा केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिपरिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है। सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया।	भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, प्लांट एवं उपकरणके परिशिष्ट बी के पैरा 15 के अनुसार, स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियों को खनन के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज भंडार के पहचाने गए घटक की अपेक्षित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर मूल्यह्रास या विलुप्तीकरण किया जाना चाहिए। कंपनी की लेखा नीति बताती है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियों को खदान के जीवनकाल में विलुप्तीकरण किया जाता है। यह निहित है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियों को खनिज भंडार के पहचाने गए घटक की अपेक्षित उपयोगी जीवन पर विलुप्तीकरण किया जाएगा जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है। इसके अलावा, संपत्ति, प्लांट और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के मूल्यह्रास/विलुप्तीकरण विभिन्न नीतियों द्वारा कवर किए जाते हैं।

लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति (एसएए) को 01.04.2022 से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 03) के अंतर्गत परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगातार दिखाया जा रहा है, जबकि 2022-23 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अनुपात भिन्नता वाली ऐसी परिसंपत्तिके आंकड़ों को समायोजित करने की मौजूदा नीतिका पालन किया जाता था। लेखांकन नीति में उपर्युक्त परिवर्तन के आधार पर वाक्य 'स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवन पर परिशोधित किया जाता है' भी शामिल किया गया है। आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात, लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और एसएए। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, सीसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे। हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन का खुलासा सामग्री लेखांकन नीति में नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी मौन है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के 'संपूर्ण' जीवन काल में किया जाएगा या खदान के 'शेष' जीवन काल में। भारतीय लेखा मानक 08 का अनुच्छेद 29 : लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां बताती हैं कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पिछली अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए; (ख) कारण कि नई लेखांकन नीति लागू करने से विश्वसनीय औरअधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 01: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अनुच्छेद 121 में बताया गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण एक लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण तथा इसके कारण बताना आवश्यक था, ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सूचित निर्णय लिए जा सकें, जो संयोगवश, ऐसी नीति में नहीं था।	चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति (एसएए) के मूल्यांकन का विषय भी भारतीय लेखा मानक - 2 'इन्वेंटरी' का विषय है, इसलिए एसएए का मूल्यांकन अधिक उपयुक्त तरीके से वार्षिक आधार पर किया जाएगा और इसके अलावा, एसएए का लाभ आम तौर पर अगले वर्ष से प्राप्त किया जाता है। इसलिए, कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति को अगले वर्ष से विलुप्तीकरण करने के लिए एकरूप प्रक्रिया नोट जारी किए जाते हैं। हालांकि, टिप्पणी में बताई गई प्रकटीकरण की चिंता नोट की गई है और इसे वित्तीय विवरणों के साथ प्रकट किया जाएगा। इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.20 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।
क.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) -₹7056.86 करोड़ अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ (नोट 8.4)-₹ 1862.98 करोड़ प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिपरिसंपत्तियों पर भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुच्छेद-16 में बताया गया है कि लगभग सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या किसी पिछली घटना ने वर्तमान दायित्व को जन्म दिया है।दुर्लभ मामलों में यह विवादित हो सकता है कि क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं या क्या उन घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ है।ऐसे मामले में, इकाई	भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण औरभारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियांके तहत भूमि के पूंजीकरण के संबंध में कंपनी ने लगातार एकरूप सामग्री लेखा नीति लागू की है, जो कोयला वहन अधिनियम (सीबीए) 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए है। लेखा नीति स्पष्ट

विशेषज्ञों की राय सहित सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करती है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है अथवा नहीं। वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर भारतीय लेखा मानक-01 के अनुच्छेद 118 में बताया गया है कि किसी इकाई के लिए वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त वर्तमान आधार या आधारों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस आधार पर कोई इकाई वित्तीय विवरण तैयार करती है, वह उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने (2021) वैधानिक लेखा परीक्षक (मेसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ की राय भी प्राप्त की, जहां राय दी गयी कि पीडीएफ2 को देय अनुमानित राशि के संबंध में, विभिन्न शर्तों की पूर्ति के बावजूद ऐसे पीडीएफ से भूमि अधिग्रहण की तिथि पर दायित्व को निपटाने हेतु आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए, चाहे अन्य शर्तें पूरी हुई हों अथवा नहीं। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत सीसीएल द्वारा सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कोयला अधिनियम (सीबीए) 1957 के अंतर्गतभूमि अधिगृहीत की गयी तथा उपर्युक्त अधिसूचित भूमि के प्रभावित पक्षों/परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया गया। सीसीएल द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे को कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध बहीकृत किया जाता है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के पास एक राय होने के बावजूद, उन्होंने 'भूमि अधिग्रहण' क्या है, भूमि का पूंजीकरण कब किया जाना चाहिए और मुआवजे के भुगतान के लिए देयता कब बनाई जानी चाहिए, इस बारे में कोई एकसमान लेखांकन नीति या प्रकटीकरण नहीं बनाया है। परिणस्वरूप, समूह की सहायक कंपनियों ने वित्तीय विवरणों में देयता का मान्यताकरण और भूमि के लेखांकन करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। इस प्रकार, समूह की सहायक कंपनियों के बीच इन मामलों में असंगति है। सीसीएल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत ₹2724.78 करोड़ के बदले भूमि/मकान मुआवजे के लिए ₹2634.82 करोड़ जारी किए। भूमि अधिग्रहण के लिए सीबीए अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचना और अंतिम मुआवजे के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन भी दिया गया था। ₹89.96 करोड़ की शेष देय राशि का न तो लेखा-जोखा किया गया और न ही वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया गया, जो कि IND AS 01 और 37 के प्रावधानों के विपरीत है, इस तर्क पर कि भूमि को 'अधिग्रहण प्रक्रिया' पूरी होने के बाद ही परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जा सकता है। **अत:, मुआवजे के लेखांकन के संबंध में लेखा नीति और प्रकटीकरण उपर्युक्त सीमा तक अपर्याप्त हैं।**	रूप से इंगित करती है कि भूमि की लागत में खर्च शामिल हैं जो सीधे भूमि के अधिग्रहण के लिए आरोप्य हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि। लागत का एक तत्व आमतौर पर मापा और लेखांकित किया जाता है, जब संपत्ति से संबंधित जोखिम और पुरस्कार प्राप्त होता है और प्राप्तकर्ता भी ज्ञात होता है। वर्तमान मामले में, जब प्राप्तकर्ता की पहचान की जाती है और वितरण में कोई अनिश्चितता नहीं होती है, तो लागत को लेखा पुस्तकों में लेखांकित किया जाता है। हालांकि, टिप्पणी में बताई गई प्रकटीकरण की चिंता नोट की गई है और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों से संबंधित एकरूप मुद्दे के रूप में इसे बेहतर प्रस्तुति और सुधार के लिए सीआईएल के साथ आगे चर्चा की जाएगी।

क.4 चालू परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य (नोट -4.3)- ₹ 1716.73 करोड़

अन्य व्यय प्रावधान –(नोट -13.8.1)- ₹52.43 करोड़

भारतीय लेखा मानक 01 के अनुच्छेद 125 के अनुसार, एक इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के बारे में की गई अपनी धारणाओं और अन्य प्रमुख अनुमानों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। इन धारणाओं और अनुमानों में ऐसी अनिश्चितताएं भी शामिल हैं जिनके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के लेखा मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।"उन परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के संदर्भ में, नोट में उनकी प्रकृति और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनका लेखा मूल्य शामिल होगा।अनुच्छेद 129 में यह दर्शाया गया है कि किसी अनिश्चितता के संभावित समाधान और अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावित परिपरिसंपत्तियों और देनदारियों के लेखा मूल्य में होने वाले संभावित बदलावों की सीमा के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

सीसीएल ने झारखंड राज्य fo|qr बोर्ड (जेएसईबी) की इकाई पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) को कोयला आपूर्ति समझौते (सीएसए) के अंतर्गत कोयला आपूर्ति की। यह समझौता 2013 में सीसीएल और जेएसईबी के बीच हुआ था।

पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) की मौजूदा क्षमता के प्रदर्शन में सुधार और क्षमता विस्तार के उद्देश्य से जुलाई 2015 में एनटीपीसी, झारखंड सरकार, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) पतरातू fo|qr उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) का गठन किया गया था।

तदनुसार, पीटीपीएस की सभी इकाइयों को 1 अप्रैल 2016 को संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को हस्तांतरित कर दिया गया तद्पश्चात 24 जनवरी 2017 से इनका परिचालन बंद कर दिया गया है।

सीसीएल ने कोयले की आपूर्ति भी बंद कर दी।

जेवीसी समझौते के प्रावधानों में बताया गया है कि न तो जेवीसी और न ही एनटीपीसी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से पहले की किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी संयुक्त उद्यम भागीदार की कोई देनदारी वहन करते हैं।जेवीसी समझौते के प्रावधानों के अनुसार, जेवीसी या एनटीपीसी संपत्ति हस्तांतरण की तारीख से पहले अर्जित किसी भी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम के किसी भी भागीदार की देनदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।हालाँकि, 31 मार्च 2024 तक जेएसईबी/पीटीपीएस के विरुद्ध 21.58 करोड़ रुपये का कोयला बकाया अभी भी बही में व्यापार प्राप्य के अंतर्गत दिखाया जा रहा है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि किसी संस्था के क्रेडिट हानि के अपने स्वयं के अनुमानों को दर्शाती है। हालांकि, अपेक्षित क्रेडिट हानि का अनुमान लगाने में उपलब्ध सभी उचित और समर्थनीय जानकारी पर विचार करते समय, एक संस्था को भी विशेष वित्तीय उपकरण या समान वित्तीय उपकरणों के क्रेडिट जोखिम के बारे में अवलोकनीय बाजार जानकारी पर विचार करना चाहिए।

उल्लिखित मामले में, कंपनी बकाया राशि के प्राप्त होने के लिए ग्राहक के साथ लगातार संपर्क में है। इस संबंध में, म.प्र.- विपणन एवं विक्रय,सीसीएल ने मार्च 2024 के महीने में पीवीयूएनएल (अब एनटीपीसी और जेएसईबी का संयुक्त उद्यम) के सीईओ के साथ एक बैठक की थी जिसमें पीवीयूएनएल के सीईओ ने सीसीएलके बकायों को स्वीकार किया और भुगतान का भी आश्वासन दिया। तदनुसार, वर्तमान स्थितियों, वसूली के संबंध में भविष्य की अपेक्षा और बकाया राशि जो कि लगभग 0.90% (महत्वपूर्ण / भौतिक राशि नहीं) है, के आधार पर, कंपनी ने जेवीबीएनएल/पीवीयूएनएलके खिलाफ ₹ 21.58 करोड़ की अपेक्षित क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया।

हालांकि, टिप्पणी में बताई गई प्रकटीकरण की चिंता नोट की गई है और इसे वित्तीय विवरणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

चूंकि पीटीपीएस/जेएसईबी अस्तित्व में नहीं है,जेवीसी ने अपने समझौते में किसी भी पूर्व देयता को वहन करने से इनकार कर दिया है और पिछले छह वर्षों में उपर्युक्त बकाया राशि के संबंध में कोई कार्रवाई/पत्राचार या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली अनिश्चित है। सीसीएल ने विचार-विमर्श किया कि वर्ष 2024-25 के दौरान यह राशि वसूल की जाएगी। हालाँकि, सीसीएल ने न तो संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान बनाया है और न ही लेखा पुस्तकों में इस अनिश्चित तथ्य का खुलासा किया है। अनिश्चित परिपरिसंपत्तियों की प्रकृति, उनकी वर्तमान मूल्य और अनिश्चितता के संभावित समाधान के साथ-साथ अगले वित्तीय वर्ष में इन परिपरिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाले संभावित बदलावों की सीमा का खुलासा न करना, भारतीय लेखा मानक-01 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं में कमी आई है।	
क.5 अन्य – गैर चालू वित्तीय परिसंपातियाँ (नोट 4.6)- ₹1838.79 करोड़ **अन्य प्रावधान – स्थलिक बहाली/ खान बंदीकरण (नोट 9.1 3) - ₹1008.57 करोड़.** वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक-01 के अनुच्छेद 112(सी) में बताया गया है कि किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है। अनुच्छेद 15 में आगे बताया गया है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो, तो वित्तीय विवरण में परिणामित होने के लिए माना जाता है जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से खदान बंद करने की दर (एमसीआर) में वृद्धि की गई। खुली खदानों के लिए एमसीआर 6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 9 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया, जबकि भूमिगत खदानों के लिए यह दर 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई।इसके बाद, कोयला नियंत्रक संगठन ने सितंबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कोयला मंत्रालय द्वारा मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खदान-वार वार्षिक समापन लागत अनुसूची को संशोधित करें और संशोधित एस्क्रो समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें। तदनुसार, नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीएल ने 31 मार्च 2024 तक के कुल 67 एस्क्रो समझौतों में से 33 को संशोधित किया।हालांकि, 31 मार्च 2024 तक शेष 34 एस्क्रो समझौतों को संशोधित नहीं किया जा सका।उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।	सीसीओ (कोल नियंत्रक संगठन) द्वारा एफ. नं. सीसीओ-एमसीपीएस/3/2022-एमसीपीएस दिनांक 07.09.2022 और संशोधित 13 एस्क्रो समझौतों के साथ-साथ 3 नए एस्क्रो समझौतों के निष्पादन के साथ जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कंपनी आगे बढ़ी। हालांकि, 5 वर्ष से कम या उसके बराबर के शेष जीवन के साथ खदान बंद करने की योजनाएं सीसीओ द्वारा अंतिम खदान बंद करने की योजना प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस कर दी गईं। इन परियोजनाओं में पर्याप्त आरक्षित है और ईसी मुद्दों के कारण आगे भी प्रगतिशील आधार पर परिचालन जारी रहता है, इसलिए, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना तैयार की गई थी। इस संबंध में आगे सीसीओ के साथ मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए उठाया गया है। तदनुसार, इन खदानों के लिए संशोधित एस्क्रो समझौते की आवश्यकता 31.03.2024 तक पूरी नहीं की जा सकी। साथ ही, इस घटना का वित्तीय विवरण पर ऐसा कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि, टिप्पणी में बताई गई प्रकटीकरण की चिंता नोट की गई है और इसे वित्तीय विवरणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

परिशिष्ट -V

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

दिनांक: 25/04/2024

प्रति,
निदेशक मंडल
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

वित्तीय कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होने के नाते हम, डॉ. बी. वीरा रेड्डी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची और पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त),सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची दोनों यह प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुरूप 31 मार्च,2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी तथा 31 मार्च,2024 कोसमाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणीकी समीक्षा लेखांकन नीतियों तथा उसपर अतिरिक्त नोट के साथ की है।

(i) इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे विवरण समाहित हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) उक्तविवरण संयुक्त रूप से कंपनी के मामलों का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों यानी भारतीय लेखा मानक, लागू क़ानूनों तथा विनियमों के अनुपालन में है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में 31 मार्च,2024 को समाप्त वर्षके दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता के विरुद्ध लेनदेनदर्जनहींकिया गयाहै।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और उक्त आंतरिक नियंत्रणों या संचालन में कमियों को, यदि कोई हो, तो लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है, जिनसे वह अवगत हैं तथा उक्त कमियों को दूर करने के लिए जिन क्रियाओं का चयन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को बताया है कि:

(i) संदर्भाधीन वर्षके दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iii) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग परआंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधनया किसी कार्मिक का किसी महत्वपूर्ण वंचना में संलिप्तता हमारी जानकारी में नहीं आयी है।

निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
डीआईएन-(09665365)	डीआईएन- 08073913

परिशिष्ट– VI

अध्याय XII के अनुसरण में नियम-5 प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के अंतर्गत सूचना

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1.02 करोड़ (एक करोड़ दो लाख रुपये) या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वालेकार्मिकों की सूची

क्रम	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (₹)	नियोजन प्रकृति स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कार्मिक जिन्हें वर्ष 2023-24 के किसी समय ₹8.50* लाख (आठ लाख पचास हजार) प्रतिमाह से कम कुल पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया हो।

क्रम	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (₹)	नियोजन प्रकृति स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट -VII

कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 134(3एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 की उप-कंडिका 3(ए) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

ऊर्जा संरक्षण

I. वर्ष 2023-24 में ऊर्जा संरक्षण के सोपान अथवा प्रभाव;

अ. विद्युत ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय :

सीसीएल में विभिन्न ऊर्जाक्षम उपकरणों तथा उनकी संस्थापना के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	मद विवरण	वित्त वर्ष 23-24 के लिए क्षेत्र/इकाई का लक्ष्य	27/03/2024 तक उपलब्धि (सुपुर्द)	आपूर्ति आदेश (सुपुर्द नहीं किया गया)	मूल्यांकन अंतर्गत निविदाएं (खोली गई निविदाएं)	विचारार्थ प्रस्तावित मात्रा
1	एल.ई.डी. लाइट	3000	14036	640	312	3950
2	ऊर्जाक्षम एसी	150	316	0	25	163
3	सुपर फैन	748	3293	30	46	660
4	ई-वाहन	84	36	2	4	16
5	ऊर्जाक्षमवॉटर हीटर	19	51	0	0	120
6	ऊर्जाक्षम मोटर	2	3	0	0	0
7	ऑटो टाइमर	80	144	0	0	215
8	कैपेसिटर बैंक (केवीएआर)	10000 केवीएआर	0	6860	0	0

ब. प्रभाव

क. एलईडी लाइटों के लगने से प्रदीपन मानकों में सुधार सहित विद्युत उपभोग में ह्रास हुआ है।

ख. सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में ई-वाहनों की तैनाती की गयी है, जिससे कम ईंधन लागत कम हुई है,पर्यावरण संरक्षण तथा ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है।

ग. शेष ऊर्जाक्षम उपकरणों के उपयोग से विद्युत उपभोग में कमी हुई है।

II. कंपनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए व्यवहृत उपाय:

वित्त वर्ष 2023-24में सौरऊर्जा के आंकड़े :

क्रम.	विवरण	
1.	मार्च 2024 तक रूफटॉप सौरऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता (मेगावाट पावर में)	1.25 मेगावाट
2.	पिपरवार - वित्त वर्ष 23-24 में संस्थापन कार्य सम्पन्न। डीजीएमएस से वैधानिक स्वीकृति तथा डीवीसीके 20 मेगावाट सौरऊर्जा संयंत्र से जुड़ाव प्रतीक्षित गिरिडीह क्षेत्र - सौर ऊर्जा संयंत्र - 04 मेगावाट	24 मेगावाट
3.	वित्त वर्ष 2023-24 में पुरस्कृत अन्य सौर ऊर्जापरियोजनाएँ: बलकुदरा, बरकासयाल क्षेत्र- 05 मेगावाट सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 1.02 मेगावाट + 1.03 मेगावाट रूफटॉप/भू सौर ऊर्जा संयंत्र	7.05 मेगावाट
4.	प्राक्कलन/व्यवहार्यता प्रतिवेदन अनुमोदित, निविदा की जा चुकी है तथा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। (बोकरो एवं करगली - 8.5 मेगावाट, उत्तरी कर्णपुरा - 13 मेगावाट)	21.5 मेगावाट
5.	प्राक्कलन/व्यवहार्यता प्रतिवेदन अनुमोदित, निविदा प्रतीक्षित (कथारा -6.25 मेगावाट, पिपरवार - 10 मेगावाट)	16.25 मेगावाट
6.	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रूफ टॉपसौर संयंत्रों से उत्पन्न सौर ऊर्जा	6,09,747 किलोवाट प्रति घंटा

III. ऊर्जा संरक्षी उपकरणों पर पूंजी निवेश;

वित्त वर्ष 2023-24 में ऊर्जा संरक्षी उपकरणों परfo|qr एवं यांत्रिकी विभाग, सीसीएल द्वारा कुल पूंजीनिवेश 127.50 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट -VIII

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 134 (3एम) के अंतर्गत सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की उप-कंडिका 3(बी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाये

समावेशन के संबंध में मदों का प्रकटन

अनुसंधान एवं विकास (आर&डी)

1.	विशिष्ट प्रक्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य की निजी व्यवस्था नहीं है।
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	लागू नहीं
3.	भावी कार्य योजना	लागू नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च:	
	क. पूँजी	शून्य
	ख. आवर्ती	शून्य
	ग. योग	शून्य

कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास पर किया गया कार्य

परिशिष्ट–IX

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 134 (3एम) के अंतर्गत सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की उप-कंडिका 3(सी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाये

विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

i.	निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार, सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं का विकास।	कंपनी द्वारा निर्यात संबंधित गतिविधियां नहीं की जातीं हैं।
ii.	अर्जित/उपयोगित कुल विदेशी विनियम (मुद्रा)	

(रु . करोड़ में)

क्रम	विवरण	2023-24	2022-23
क.	उपयोगित विदेशी विनियम		
	1. ब्याज	0.00	0.00
	2. एजेंसी कमीशन	0.00	0.00
	3. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**

अर्जित विदेशी विनिमय : कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गई है।

परिशिष्ट -X

1 अप्रैल 2024 को आरंभ वित्त वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (वि.व. 2023-24)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सतत विकास के लिए नैगमिकसामाजिक दायित्व (सीएसआर) को एक महत्वपूर्ण रणनैतिक उपकरण के रूप में अपनाया किया है। सीएसआर के औपचारिक रूप से लागू होने से पहले ही, सीसीएल अपनी परियोजना स्थलों के 8 किलोमीटर के दायरे में सामुदायिक विकास के नाम से सामाजिक विकास कार्यों में संलग्न था।

सीसीएल की सीएसआर गतिविधियां कंपनी की सीएसआर नीति द्वारा नियंत्रित होती हैं। सितंबर 2021 तक, सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सीएसआर नीति का अनुपालन करती थी। 8 अप्रैल, 2021 की प्रभावी तिथि से सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति को सीसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात, बोर्ड स्तरीय सतत विकास एवं सीएसआर समिति द्वारा तैयार 'सीसीएल सीएसआर नीति' को सीसीएल बोर्ड ने 11 नवंबर, 2021 को अनुमोदित किया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों को सूचित किया गया।

सीएसआर निधियों का आवंटन तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन का 2.00 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है।

यह नीति किसी विशेष वर्ष में खर्च न किए गए या अधिक खर्च किए गए सीएसआर धन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है। यदि सीसीएल किसी वर्ष में निर्धारित सीएसआर लक्ष्य से अधिक धन खर्च करता है, तो अतिरिक्त धनराशि को अगले वर्षों में खर्च किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि सीसीएल किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीएसआर राशि खर्च करने में असफल रहता है, तो इस अधूरे धन को या तो 'अव्ययित सीएसआर खाते' में जमा किया जाएगा (यदि यह किसी चल रही परियोजना से संबंधित है), या फिर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट अन्य निधियों में जमा किया जाएगा।

सीसीएल सीएसआर नीति के अनुसार आबंटित सीएसआर निधियों का लगभग 80% परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना अपेक्षित है जबकि शेष 20% झारखंड राज्य के भीतर खर्च किया जा सकता है।

सीएसआर कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित विषयों तथा डीपीई या एमओसी या सरकार के लागू अधिनियम/नियम/आदेश/दिशानिर्देशों के निदेशों के अनुसार किया जा सकता है। वर्ष 2018 के बाद से, लोक उद्यम विभाग ने प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित विषयों पर व्यय के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंपनियों को अपने कुल सीएसआर खर्च का लगभग 60% हिस्सा इन विशेष विषयों पर खर्च करना चाहिए। साथ ही, इन परियोजनाओं को देश के उन जिलों में चलाने को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें 'आकांक्षी जिले' घोषित किया गया है।

सीसीएल सीएसआर नीति अधीन परिकल्पित सीएसआर परियोजनाओं का अनुमोदन निम्नवर्णित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप किया जाता है:

प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियाँ
निदेशक मंडल	एसडी और सीएसआर समिति की अनुशंसा पर 1.00 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाएं।
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	सीएसआर उप-समिति की अनुशंसा पर ₹40 लाख से 1.00 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं।
निदेशक (कार्मिक)	सीएसआर उप-समिति की अनुशंसा पर मुख्यालय में ₹40.00 लाख तक की तथा क्षेत्रों में ₹5.00 लाख से ₹ 40.00 लाख तक की परियोजनाएं।
क्षेत्र के महाप्रबंधक	क्षेत्र स्तरीय सीएसआर उपसमिति की अनुशंसा पर ₹ 5 लाख रुपये तक की परियोजनाएं।

सीएसआर नीति में सीएसआर परियोजनाओं का चयन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, प्रभावकारिता मूल्यांकन तथा प्रलेखन हेतु दिशा-निर्देश दिये गए हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकीय पद का नाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग लिए सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री रमेश कुमार सोनी	अध्यक्ष, अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	7	7
2	श्री विनय रंजन	निदेशक (का. एवं औ. सं), सीआईएल	7	6
3	श्री पवन कुमार मिश्रा	सदस्य, निदेशक (वित्त), सीसीएल	7	7
4	श्री हर्ष नाथ मिश्र	सदस्य, निदेशक (कार्मिक),सीसीएल	7	7

3. कंपनीकीवेबसाइटका वेबलिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को प्रकट किया गया है : https://www.centralcoalfields.in/sutbs/pdf/board_mem_19_11_2022.pdf

4. कंपनी नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के आधिकारिक सारांश का वेबलिंक उपलब्ध कराएं,यदि लागू हो।

   वित्त वर्ष 2023-24 की 5 सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावकारिता के मूल्यांकन का आधिकारिक सारांश परिशिष्ट-क में संलग्न है। सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन रिपोर्ट का वेबलिंक: https://www.centralcoalfields.in/sutbs/pdf/2nd_impact.pdf

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: 25,83,83,71,268.40 रुपये

   (ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: 51,67,67,425.37 रुपये

   (ग) विगत वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेषः 93,05,401.00 रुपये

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि : शून्य

   (ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) - (घ)] :52,60,72,826.37रुपये

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना तथा इस के अलावा दोनों): 59,02,59,568.62 रुपये

   (ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि:2,88,86,640.35 रुपये

   (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)] : 61,91,46,208.97रुपये

   (ङ) वित्तीय वर्ष में व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष हेतु व्ययित कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा135(5) के द्वितीय परंतुक अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी अन्य निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
619146208.97	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) सभंजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र.	विशिष्ट	राशि)₹ में(
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	51,67,67,425.37
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	61,91,46,208.97
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	10,23,78,783.60
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	93,05,404.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारित करने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	9,30,73,382.60

नोट: कंपनी ने 9.31 करोड़ रुपये में से ₹8.95 करोड़ मात्र अग्रेनीत करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024-25 में अग्रेनीत राशि का शत-प्रतिशत सभंजन वित्त सीएसआर मद में किया जाएगा।»

7. पिछलेतीनवित्तीयवर्षोंकेलिएअव्ययितनैगमिक सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

क्र.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।		आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹)	अंतरण की तिथि		
1	2020-21	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
2	2021-22	152966397.04	115541995.09	28019100.47	लागू नहीं	लागू नहीं	87522894.62	शून्य
3	2022-23	121468139.91	121468139.91	69189463.20	लागू नहीं	लागू नहीं	52278676.71	
	कुल	**274434536.95**	**237010135.00**	**97208563.67**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**139801571.33**	**शून्य**

8. **क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई नैगमिक सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: जी, हां**

   यदि हां, तो सृजित/अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें : 184

   वित्तीय वर्ष में खर्च की गई नैगमिक सामाजिक दायित्व राशि बनाई गई संपत्तियों का विवरण परिशिष्ट-ख के रूप में संलग्न है।

9. **यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण स्पष्ट करें।**

   लागू नहीं

ह./-	ह./-	ह./-
(मुख्य कार्यकारी या (प्रबंध निदेशक निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (i) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति)

परिशिष्ट-क

आधिकारिक सारांश:

प्रभाव आकलन संगठनकी गतिविधियों की प्रभावशीलता को मापने और इन गतिविधियों से होने वाले परिवर्तनों के महत्व का अंकलन करने की एक प्रक्रिया है। प्रभाव आकलन करने और उसे अभिव्यक्त करने में सक्षम होना आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रभाव को सकारात्मक और नकारात्मक, इच्छित या अनपेक्षित दीर्घकालिक परिणामों के रूप में देखा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। प्रभाव को समग्र लक्ष्य के लिए हस्तक्षेप के योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। यह रिपोर्ट 1 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 5 सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अध्ययन में परियोजनाओं के लक्षित लाभार्थियों के जीवन पर पड़े दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन किया गया है। 2014 में अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधान के आवेदन के बाद से, कॉर्पोरेट इंडिया द्वारा सीएसआर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी,सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), जिसे 2007 से श्रेणी-I मिनी रत्न के रूप में मान्यता प्राप्त है, अपने मुख्य संचालन में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को शामिल करती है। सीसीएल आर्थिक विकास को पर्यावरण की देखभाल और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। कंपनी के सामाजिक दायित्व के तहत, भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप, गरीब और वंचित समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन करती है।इन परियोजनाओं में स्थायित्व का महत्व है, जो दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। सीसीएल ने सीएसआर प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, 2020 से 2022 तक कार्यान्वित की गई पाँच प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) को नियुक्त किया है। इसका उदेश्य लक्षित समूहों के वास्तविक लाभ को समझ कर भविष्य की रणनीतियों को आकार दिया जा सके।

कंपनी के सीएसआर पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा, खेल, कौशल विकास, आजीविका और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

1. रांची जिले (झारखंड) में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या – 150
2. लातेहार जिला (झारखंड) में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या – 167
3. खेल अकादमी, रांची- सीसीएल-झारखंड राज्य सरकार की एक संयुक्त पहल।
4. सीआईपीईटी, रांची द्वारा आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण।
5. रांची जिले के सीएचसी में समर्पित कोविड देखभाल इकाइयों के लिए 200 एलपीएम पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली के साथ मैनिफोल्ड का अधिष्ठापन।

परियोजनाओं को मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में बांटा गया है: बुनियादी ढांचा, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और इसकी अनुसूची VII विषयों के अनुरूप, प्रत्येक परियोजना का अलग-अलग मूल्यांकन किया गया। इसमें यह देखा गया कि इन परियोजनाओं के कारण लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। इन बदलावों को दोनों तरह से मापा गया है - गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक बदलावों में लोगों के जीवन में आए भावनात्मक, सामाजिक और अन्य तरह के बदलाव शामिल होते हैं, जबकि मात्रात्मक बदलावों में संख्यात्मक आंकड़े जैसे कि आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि शामिल होते हैं। साथ ही, यह भी देखा गया कि इन परियोजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं और इनमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है।इस कार्य के लिए दृष्टिकोण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों शोध विधियों का उपयोग किया। टेरीने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, जैसे कि समझौता ज्ञापन, परियोजना रिपोर्ट आदि का गहराई से अध्ययन किया। इसके अलावा, टेरीने इन परियोजनाओं को लागू करने वाले लोगों से भी बात की। इस अध्ययन में ओईसीडी डीएसी मानदंडों का उपयोग करके परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। ये मानदंड परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड हैं।टीम ने स्थायी लाभ के लिए अपने लक्ष्यों, प्रभावों और रणनीतियों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को लागू करने वाले कुछ भागीदारों के साथ भी काम किया। टीईआरआई ने प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए ओईसीडी डीएसी मानदंड लागू किया और प्रत्येक परियोजना के लिए प्रभावकारिता मानचित्र बनाया गया है।

प्रभाव आकलन संबंधित ओईसीडी-डीएसीके मानदंडों में प्रासंगिकता, प्रभावशीलन, दक्षता, प्रभाव और संवहनीयता शामिल हैं।ये पैरामीटर यह मूल्यांकन करते हैं कि विकास हस्तक्षेप किस प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उनकी लागत के सापेक्ष लाभ, दीर्घकालिक प्रभाव और क्या वे समयसाह्य हैं।

हमारी डेस्क समीक्षाओं, प्राथमिक क्षेत्र डेटा संग्रहण और विश्लेषण के आधार पर, प्रत्येक परियोजना के प्रदर्शन को मैप किया गया और ओईसीडी-डीएसीमापदंडों पर टिप्पणी की गई। टेरीटीम ने आवश्यकता आधारित प्राथमिक सर्वेक्षण/इंटरैक्शन/चर्चाएं आयोजित कीं और प्राप्त आंकड़ों का निर्माण तथा विधिमान्यकरण किया है। 5 परियोजनाओं में से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1 : चयनित 5 परियोजनाओं का प्रभाव आकलन का सार :

क्र. सं.	परियोजना के नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	लाभार्थियों की संख्या और प्रतिदर्श आमाप	परियोजना परिसमापन कालक्रम	मूल्यांकन मापदंड
1	रांची, झारखंड में आँगनवाड़ी केंद्रों का मॉडल आँगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नयन 150 -	रांची के कांके और मांडर ब्लॉक में, 2020-21 में 150 आँगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्रों में स्तरोन्नत किया गया, जिसकी परियोजना लागत 2.25 करोड़ रुपये थी।	समिष्ट लाभार्थियों की संख्या - 20,000 प्रतिदर्श आमाप - 1157	19.02.2020 से 16.04.2021 तक 19 फरवरी, 2020 से 16 अप्रैल, 2021 तक	**प्रासंगिकता:** यह परियोजना रांची में आँगनवाड़ी केंद्रों को बढ़ाकर महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं को लक्षित करती है, जो स्थानीय विकास लक्ष्यों और सीसीएल की सीएसआर नीति के अनुरूप है। **प्रभावशीलता:** उन्नत सुविधाओं ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा परिणामों और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। **दक्षता:**मौजूदा संरचनाओं और संसाधनों का उपयोगअधिकतम पहुंच और लाभ के साथ साथ लागत-प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। **प्रभाव:**अपेक्षित दीर्घकालिक लाभों में बेहतर बाल विकास और पोषण शामिल हैं, जो समुदाय के समग्र कल्याण में योगदान देते हैं। **संवहनीयता:** स्थानीय हितधारकों के साथ सहभागिता और सरकारी पहलों के साथ समन्वय, प्रारंभिक वित्तपोषण से परे निरन्तर समर्थन और सफलता सुनिश्चित करता है।
2	लातेहार, झारखंड में आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में स्तरोन्नयन - 167।	लातेहार बालूमाथ, गारू, महुआटांड, मनिका और लातेहार प्रखंड में 2020-21 में 167 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्रों में उन्नयन किया गया, जिसकी परियोजना लागत 2.50 करोड़ रुपये है	समिष्ट लाभार्थियों की संख्या - 18,000 लाभार्थी प्रतिदर्श आमाप - 990	11.08.2020 से 08.12.2021 तक	**प्रासंगिकता:** सीसीएल की सीएसआर नीति और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों को बढ़ाकर महत्वपूर्ण बाल देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित किया गया **प्रभावशीलता**167 : केंद्रों का सफलतापूर्वक उन्नयन किया गया, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई। **दक्षता:** परियोजना पूर्ण होने में दो महीने का विलंब हुआ, जो संभावित संसाधन आवंटन संबंधी समस्याओं का संकेत है। **प्रभाव:** सामुदायिक बाल देखभाल को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बेहतर सुविधाएं स्थायित्व: उन्नयन केंद्रों से दीर्घकालिक रूप से सेवा देने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय विवरण समेकित

3	खेल अकादमी, होटवार (झारखंड सरकार के साथ 50:50 के आधार पर समझौता ज्ञापन के तहत)	होटवार रांची स्थित स्पोर्ट्स अकादमी, जो अप्रैल 2016 में स्थापित की गई थी, सीसीएल और झारखंड राज्य सरकार द्वारा 50:50 के संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बच्चों के बीच खेल और शिक्षा को बढ़ावा देकर कोयला खानों के आसपास सामुदायिक कल्याण में सुधार करना है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं की खोज करना, वंचित बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के अवसरों के साथ स्थायी खेल करियर सुनिश्चित करना है।	समिष्ट लाभार्थियों की संख्या - 380 लाभार्थी प्रतिदर्श आमाप - 51	सितंबर, 2015 से अप्रैल 2016 तक	**प्रासंगिकता :** परियोजना सीसीएल के सीएसआर, राष्ट्रीय विकास और एसडीजी 3, 4, 8 के अनुरूप है। अतः प्रासंगिक है। **प्रभावशीलता:** 95% से अधिक उत्तरदाताओं ने खेल प्रदर्शन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां और सुधार देखे हैं, दूरदराज के क्षेत्रों से प्रतिभा का पता लगाया गया है, जो सीएसआर पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है। **दक्षता:** 2015 में शुरू की गई, परियोजना प्रभावी रूप से संचालित होती है, दिशानिर्देशों का पालन करती है और गतिविधियों का समयबद्ध निष्पादन प्राप्त करती है, जो उच्च दक्षता प्रदर्शित करती है। **प्रभाव:** कैडेट्स ने खेलों में अधिक हासिल किया है, कल्याण को बढ़ाया है और एक बेहतर खेल वातावरण बनाया है। **संवहनीयता:** दीर्घकालिक एथलीट विकास और कैरियर समर्थन, जो प्रारंभिक वित्त पोषण अवधि से परे सामुदायिक कल्याण और खेल उत्कृष्टता में निरंतर योगदान सुनिश्चित करता है।
4	सीआईपीईटी, रांची के विशेषज्ञों द्वारा 320 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पैप) को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण	320परियोजना प्रभावित व्यक्तियोंको मशीन ऑपरेशन (प्लास्टिक प्रोसेसिंग/इंजेक्शन मोल्डिंग) में कौशल प्रशिक्षण, प्लास्टिक प्रोसेसिंग में कौशल और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।	समिष्ट लाभार्थियों की संख्या -320 प्रतिदर्श आमाप - -33	29 सितंबर, 2020 से 8 अगस्त, 2022 तक	**प्रासंगिकता:**परियोजना सीसीएल की सीएसआर नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अनुरूप है और एसडीजी 4, 8, 9 का समर्थन करती है, जिससे यह एक प्रासंगिक सीएसआर पहल बनती है। **प्रभावशीलता:** प्लेसमेंट रिकॉर्ड के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 83% को रखा गया था और सर्वेक्षण के अनुसार 82% उत्तरदाताओं को रखा गया था, जिससे प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है। **दक्षता:** 320 उम्मीदवारों का 100% प्रशिक्षण प्राप्त किया; प्रशिक्षण के बाद 82% रखा गया, कुछ ने व्यक्तिगत कारणों से कुछ महीनों बाद इस्तीफा दे दिया; हालांकि दक्षता पूरी हुई। **प्रभाव:** परियोजना ने प्रशिक्षण और प्रारंभिक नौकरियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला; हालांकि, स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। **संवहनीयता:** हितधारक समर्थन और रणनीतिक लक्ष्य परियोजना की संवहनीयता को मजबूत करते हैं, फिर भी स्थायी लाभार्थी लाभों के लिए और अधिक काम की आवश्यकता है।

5	रांची जिले के 2 सीएचसी में समर्पित कोविड केयर यूनिट्स के लिए 200 लीटर प्रति मिनट पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली के साथ मैनिफोल्ड की स्थापना	रांची जिले के ओरमान्झी और सोनाहटू ब्लॉक में ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन की स्थापना, जिला प्रशासन को धन हस्तांतरण के माध्यम से	समिष्ट लाभार्थियों की संख्या- 2,00,000 प्रतिदर्श आमाप - 200	200 14 अगस्त, 2021 से 25 मार्च, 2022 तक	**प्रासंगिकता :** कोविड-19 स्वास्थ्य आवश्यकताओं और रांची जिले के सीएचसी के समर्थन के साथ संरेखण। **प्रभावशीलता:** ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए; महामारी का चरम बिंदु बीत गया, प्रासंगिकता कम हो गई। वर्तमान में, ऑपरेटर केवल कॉल पर उपलब्ध है। लाभदायक उपयोग के लिए वैकल्पिक योजना की आवश्यकता है। **दक्षता:** बजट के भीतर समय पर पूरा होना। **प्रभाव:** परियोजना ने बुनियादी ढांचा बनाया, हालांकि। वर्तमान में, ऑपरेटर केवल कॉल पर उपलब्ध है। लाभदायक उपयोग के लिए वैकल्पिक योजना की आवश्यकता है। **संवहनीयता:** परियोजना को मौजूदा स्वास्थ्य चुनौतियों के अनुरूप फिर से डिजाइन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-ख

क्रम सं.	क्षेत्र	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर में व्यय की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
						सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	ए-सी	परियोजना प्रभावित सरकारी भवनों में शौचालयों का निर्माण, बहता पानी, जल शोधक, चारदीवारी, कक्षा कक्ष और खेल के मैदान का समतलीकरण उपलब्ध कराना। स्कूल आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825321	825321	13.07.2023	11708788.05	लागू नहीं	विद्यालय प्रबंधन समिति 1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गरिल्लांग, ग्राम- गरिल्लाउंग पंचायत-गरिल्लाउंग 2. उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरेनदाग, ग्राम-सेरेनदाग, पंचायत-पोकला उर्फ कसियाडीह 3. उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाण्डू, ग्राम-हाण्डू, पंचायत-मिसरौल 4. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय शिवपुर, ग्राम-शिवपुर, पंचायत-मिश्रौल पंचायत। 5. उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्राम-होन्हे पंचायत-कोयड़	ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825321
2	ए-सी	ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825321ब्लॉक सिमरिया, जिला- के अंतर्गत आने वाले परियोजना प्रभावित स्कूलों के लिए इनबिल्ट कूलर आरओ+ यूवी के साथ 20 पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली और आयरन रिमूवल फिल्टर के 20 संख्या की खरीद। चतरा, झारखंड, पिन-825103 ब्लॉक-केरेडारी, जिला-हजारीबाग, झारखंड-825311	825321 825311 825103	13.10.2023	3590559.94	लागू नहीं	स्कूल/कॉलेज का प्रबंधन 02 (दो) संख्या। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गारिलौंग, ग्राम-गारिलौंग पंचायत-गारिलौंग 02(दो) नं. एसएस हाई स्कूल टंडवा, ग्राम-टंडवा, पंचायत-टंडवा.01(एक) नं. वनांचल महाविद्यालय टंडवा, ग्राम-टंडवा, पंचायत-टंडवा 01(एक) नं. प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल टंडवा, ग्राम-टंडवा, पंचायत-टंडवा 01 (एक) नं. उत्क्रमित मध्य कुमरंग कला, ग्राम-कुमरांग कला, पंचायत-पोकला-उर्फ-कसियाडीह 01(एक) नं. बिंगलाट हाई स्कूल, ग्राम-बिंगलाट, पंचायत-पोकला-उर्फ-कसियाडीह 01(एक) नं. उच्च विद्यालय सेरेनदाग, ग्राम-सेरेनदाग, पंचायत -पोकला-उर्फ-कसियाडीह 01(एक) नं. उत्क्रमित मध्य विद्यालय होन्हे, ग्राम-होन्हे, पंचायत-कोयड़ 01(एक) नं. उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयड़, ग्राम-कोयड, पंचायत-पोकला-उर्फ-कसियाडीह, 01(एक) नं. यूएचएस मिसरौल, ग्राम-मिसरौल, पंचायत-मिसरौल 01(एक) नं. यूएमएस खरिका, ग्राम-खरिका, पंचायत-धनगड्डा 01(एक) नं. यूएमएस सराधु, ग्राम-सराधु, पंचायत-सराधु01(एक) नं. सिमरिया डिग्री कॉलेज, पंचायत-बनसारी, 01(एक) नं. प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल सिमरिया, पंचायत- बनासारी 01(एक) नं. यूएचएस पगार, ग्राम-पगार, पंचायत-चट्टीबरियातु01(एक) नं. यूएमएस पेटो, ग्राम-पेटो, पंचायत-बरियातु01(एक) नं. यूएमएस पचड़ा, ग्राम-पचड़ा, पंचायत-पचड़ा01(एक) नं. यूएमएस जोर्डाग, ग्राम-जोर्डाग, पंचायत-पचड़ा	ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825321 ब्लॉक सिमरिया, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825103ब्लॉक-केरेडारी, जिला-हजारीबाग, झारखंड-825311

3	ए-सी	43 (तैंतालीस) संख्या की खरीद (आपूर्ति, स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग)। एसी क्षेत्र पंचायत पचड़ा, ब्लॉक केरेडारी, जिला-हजारीबाग पंचायत पेटो, ब्लॉक-केरेडारी, जिला-हजारीबागपंचायत-चट्टीबरियातू, ब्लॉक-केरेडारी, जिला-हजारीबागपंचायत पोकला उर्फ कसियाडीह, ब्लॉक-टंडवा, जिला के परियोजना प्रभावित गांव के लिए हाई मास्ट सोलर लाइट की सुविधा -चतरापंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरापंचायत-मिसरौल, ब्लॉक टंडवा, जिला-चतरापंचायत-धनगड्डा, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरापंचायत-बनसारी, ब्लॉक-सिमरिया, चतरापंचायत-सेरेनदाग, ब्लॉक-सिमरिया, जिला-चतरा	825321 825311 825103	30.09.2023	5093048.59	लागू नहीं	मुखिया पचड़ा, पेटो, चट्टी बरियातू, पोकला, कोयद, मिसरौल, धनगड्डा, बनासारी, सेरेंगदाग	पंचायत पचड़ा, ब्लॉक केरेडारी, जिला-हजारीबाग पंचायत पेटो, ब्लॉक-केरेडारी, जिला हजारीबाग पंचायत-चट्टीबरियातू, ब्लॉक-केरेडारी, जिला-हजारीबागपंचायत पोकला उर्फ कसियाडीह, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरापंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरापंचायत-मिसरौल, ब्लॉक टंडवा, जिला-चतरापंचायत-धनगड्डा, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरापंचायत-बनसारी, ब्लॉक-सिमरिया, चतरापंचायत-सेरेनदाग, ब्लॉक-सिमरिया, जिला-चतरा
4	ए-सी	एसी एरिया, सीसीएल की सीएसआर योजना 2023-24 के तहत कोयाद गांव में एनएडब्ल्यूए बांध से शोभा साव के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	825311	09.03.2024	2155090.54	लागू नहीं	कोयद पंचायत के मुखिया	ग्राम-कोयद, पंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311
5	ए-सी	सेरेंदाग गांव में कुआं निर्माण	825311	31.03.2024	1159809.54	लागू नहीं	पोकला उर्फ कसियाडीह पंचायत के मुखिया	ग्राम-सेरेंदाग, पंचायत-पोकला उर्फ कसियाडीह, जिला-चतरा झारखंड, पिन-825311
6	ए-सी	होनहे (बासा) में भंडारण सुविधाओं के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	15.02.2024	405586.65	लागू नहीं	कोयद पंचायत के मुखिया	ग्राम-होन्हे(बासा), पंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311
7	ए-सी	खरिका में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	15.02.2024	907685.96	लागू नहीं	खरिका पंचायत के मुखिया	ग्राम-खरिका, पंचायत-धनगड्डा, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन825311
8	ए-सी	कुरहा पात्रा में भंडारण सुविधाओं और पुनर्भरण गड्ढे के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	15.02.2024	404613.67	लागू नहीं	कोयद पंचायत के मुखिया	ग्राम- कुरहा पतरा, पंचायत-कोयद, प्रखंड-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311
9	ए-सी	कसियाडीह गांव में कूप निर्माण	825311	08.01.2024	1233672.17	लागू नहीं	पोकला उर्फ कसियाडीह पंचायत के मुखिया	ग्राम-कसियाडीह, पंचायत-पोकला उर्फ कसियाडीह, जिला-चतरा
10	ए-सी	सोपाराम पोखरा गांव में कूप निर्माण	825311	10.01.2024	501282.75	लागू नहीं	कोयद पंचायत के मुखिया	ग्राम- सोपाराम (पोखरा), पंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311
11	ए-सी	सोपाराम थाला गांव में कुआं निर्माण	825311	23.03.2024	1439736.11	लागू नहीं	कोयद पंचायत के मुखिया	ग्राम-सोपाराम थाला, पंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311

12	ए-सी	प्रसन गांव में कुआं निर्माण	825311	11.01.2024	1011018.33	लागू नहीं	पोकला उर्फ कसियाडीह पंचायत के मुखिया	ग्राम-पोकला(परसन), पंचायत-पोकला उर्फ कसियाडीह, जिला-चतरा
13	ए-सी	एसी एरिया के आम्रपाली ओसीपी अंतर्गत टंडवा में बस स्टॉप की तैयारी	825311	19.02.2024	1543893.12	लागू नहीं	टंडवा और गरिलौंग में बस स्टॉप के लाभार्थी	ग्राम-टंडवा और गारिलौंग, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311
14	ए-सी	वनांचल इंटर कॉलेज में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पिट के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	04.03.2024	923950.12	लागू नहीं	वनांचल इंटर कॉलेज टंडवा का प्रबंधन	ग्राम - टंडवा, पंचायत-टंडवा, ब्लॉक-टंडवा चतरा, झारखंड-825311
15	ए-सी	कुमरंग खुर्द में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	12.03.2024	931444.81	लागू नहीं	कोयद पंचायत के मुखिया	ग्राम- कुमनारंग खुर्द, पंचायत-कोयद, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड, पिन-825311
16	ए-सी	राणा टोली में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	12.03.2024	986547.72	लागू नहीं	राणा टोली के लाभार्थी	पंचायत-कबरा, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड-825311
17	ए-सी	कबरा मिया टोला में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	12.03.2024	922518.35	लागू नहीं	मिया टोला के लाभार्थी	पंचायत-कबरा, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड-825311
18	ए-सी	हरगरवा यादव टोला में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	12.03.2024	836944.00	लागू नहीं	हरगरवा यादव टोला के लाभार्थी	ग्राम-कुमरंग कला, पंचायत-पोकला उर्फ कसियाडीह, ब्लॉक-टंडवा, चतरा, झारखंड-825311
19	ए-सी	शिवपुर चौराहा में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825311	31.03.2024	878199.04	लागू नहीं	मिरौल पंचायत के मुखिया	ग्राम- शिवपुर चौराहा, पंचायत-मिरौल, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड-825311
20	ए-सी	फुलवरिया आदिवासी टोला में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल का निर्माण	825311	31.03.2024	937399.30	लागू नहीं	मिरौल पंचायत के मुखिया	ग्राम- फुलवरिया आदिवासी टोला, पंचायत-मिसरौल, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड-825311
21	ए-सी	उर्सु उरांव टोला में भंडारण सुविधाओं और रिचार्ज पीआईटी के साथ सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल का निर्माण	825311	31.03.2024	906517.26	लागू नहीं	उर्सु उराँव टोला के लाभुक	ग्राम-उरसु, पंचायत-पोकला उर्फ कसियाडीह, ब्लॉक-टंडवा, जिला-चतरा, झारखंड-825311
22	अरगडा	काली मंडप, मेन गेट और गिदी का, गिदी ए, अरगडा क्षेत्र में सौर पैनल की स्थापना के साथ-साथ 03 गहरे बोरवेल की सुविधा प्रदान करना	829108		871200.00	लागू नहीं	गिदी का पंचायत के निवासियों की संपत्ति मुखिया को सौंपी गयी, गिदी का पंचायत	पंचायत भवन, गिदी का पंचायत, हज़ारीबाग़, झारखंड- 829108
23	अरगडा	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, टोंगी, अरगडा क्षेत्र में चहारदीवारी तार बाड़ की स्थापना	829101	9/19/2023	165500.00	लागू नहीं	उत्क्रमित उच्च विद्यालय टोंगी के स्कूल जाने वाले छात्र, संपत्ति टोंगी पंचायत के मुखिया को सौंपी गई	पंचायत भवन, टोंगी पंचायत, हज़ारीबाग़, झारखंड-829101
24	अरगडा	जीएम यूनिट, अरगडा क्षेत्र के अंतर्गत बेदिया टोला, बुध बाजार और सिरका नीम टोला में सौर पैनल की स्थापना के साथ-साथ 03 डीप बोरवेल का प्रावधान	829101		956475.00	लागू नहीं	वार्ड क्रमांक 15 के निवासियों की संपत्ति पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड क्रमांक 15 को सौंपी गई	

25	अरगडा	गिडी-सी, अरगडा क्षेत्र के काकनी गांव, तेहरा टांड और मंडा टांड में सौर पैनल की स्थापना के साथ-साथ 3 डीप बोरवेल का प्रावधान	829108, 829109	10.08.2023	1885393.83	लागू नहीं	कांकी और गिदी गा पंचायत के निवासियों ने संपत्ति मुखिया कांकी और गिदी गा पंचायत को सौंप दी	पंचायत भवन, कांकी पंचायत, हज़ारीबाग, झारखंड -829109, पंचायत भवन, गिदी गा पंचायत, हज़ारीबाग, झारखंड-829108
26	अरगडा	सिरका, अरगडा क्षेत्र के कहुआबेड़ा गांव, आंगनवाड़ी और सिरका कब्रिस्तान में सौर पैनल की स्थापना के साथ-साथ 3 डीपबोरवेल का प्रावधान।	829101	16.08.2023	1788158.52	लागू नहीं	वार्ड क्रमांक 17 के निवासियों की संपत्ति पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड क्रमांक 17 को सौंपी गई	
27	अरगडा	टोंगी के उत्क्रमित हाई स्कूल में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	829101	27.10.2023	685886.04	लागू नहीं	उत्क्रमित उच्च विद्यालय टोंगी के स्कूल जाने वाले छात्र, संपत्ति टोंगी पंचायत के मुखिया को सौंपी गई	पंचायत भवन, टोंगी पंचायत, हज़ारीबाग, झारखंड-829101
28	अरगाडा	जीएम यूनिट के अंतर्गत ग्राम रिकीवा परगुटा टोला, रेलिगरा मनाली टोला, गिडी दुतल्ला, कृष्णा मजदूर-उच्च विद्यालय गिडी-सी (आरओ फिल्टर के साथ) और सतकारिया गांव में सौर पैनल की स्थापना के साथ-साथ 05 गहरे बोरवेल का प्रावधान	829129, 829108, 829109		3170886.19	लागू नहीं	मिश्रायिन मोड़ा, रेलिगरा पूर्वी, गिदी खा और दाड़ी पंचायत के निवासियों ने संपत्ति मुखिया मिश्रायिन मोड़ा, रेलिगरा पूर्वी, गिदी खा और दाड़ी पंचायत को सौंप दी	पंचायत भवन, मिश्रयिन मोड़ा पंचायत, हज़ारीबाग़, झारखण्ड -829129, पंचायत भवन, रेलिगरा पश्चिमी पंचायत, हज़ारीबाग़, झारखण्ड-829129, पंचायत भवन, गिदी खा पंचायत, हज़ारीबाग़, झारखण्ड-829108, पंचायत भवन, दारी पंचायत, हज़ारीबाग़, झारखण्ड-829109
29	अरगडा	गंधोनिया कुंड में महिलाओं के लिए 2 शौचालय, चारदीवारी और चेंजिंग रूमका निर्माण	829109		232064.36	लागू नहीं	कांकी पंचायत के निवासियों की संपत्ति कांकी पंचायत के मुखिया को सौंपी गई	पंचायत भवन, कांकी पंचायत, हज़ारीबाग, झारखण्ड-829109
30	बी&के	सामुदायिक भवन का निर्माण, बेरमो पुराना उत्खनन स्थल, बेरमो दक्षिण	829114	11.11.2023	1864413.72	लागू नहीं	मुखिया, बेरमो दक्षिण	पंचायत भवन, बेरमो दक्षिण
31	बी&के	विवाह मंडप, उत्कल नगर, बेरमो साउथ का सुदृढ़ीकरण	829114	29.06.2023	241103.22	लागू नहीं	मुखिया, बेरमो दक्षिण	पंचायत भवन, बेरमो दक्षिण
32	बी&के	बीएंडके क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत गोडो नाला के पास जरीडीह पूर्वी पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण ।	829114	09.05.2023	902853.10	लागू नहीं	मुखिया, जरीडीह पूर्व	पंचायत भवन, जरीडीह पूर्वी
33	बी&के	कदमडीह बस्ती में 02 हैंडपंप की स्थापना	829104	20.01.2024	145597.94	लागू नहीं	स्थानीय प्रतिनिधि, कदमाडीह	कदमडीह, बोकारो
34	बी&के	जरीडीह पश्चिम में दामोदर नदी के पास 02 हैंडपंप की स्थापना।	829114	08.06.2023	141707.38	लागू नहीं	मुखिया, जरीडीह पश्चिम	पंचायत भवन, जरीडीह पश्चिमी
35	बी&के	अटल ब्रिज के पास हैंडपंप की स्थापना, आईडब्ल्यूएसपी करगली साइड, करगली	829104	18.01.2024	56401.46	लागू नहीं	स्थानीय प्रतिनिधि, करगली	करगली, बोकारो
36	बरका सयाल	वाल्मीकि नगर, संकुल बस्ती, संकुल पंचायत में पुल के दोनों ओर गार्ड वॉल का निर्माण	829119	22.02.2024	258346.91	लागू नहीं	सांकुल पंचायत के निवासियों ने संकुल पंचायत की संपत्ति मुखिया को सुपुर्द की गई	पंचायत भवन, संकुल पंचायत, रामगढ़, झारखंड-829119
37	बरका सयाल	ग्राम कुरसे का सरना स्थल सुंदरीकरण	829106	09.08.2023	396861.00	लागू नहीं	कुर्से पंचायत के निवासियों ने कुर्से पंचायत के मुखिया को संपत्तिसुपुर्द की गई	पंचायत भवन, कुर्से पंचायत, रामगढ़, झारखंड- 829106
38	बरका सयाल	हुरूमगढ़ा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	829106	15.07.2023	710804.37	लागू नहीं	जवाहरनगर पंचायत के निवासियों ने कुर्से पंचायत के मुखिया को संपत्तिसुपुर्द की गई	पंचायत भवन, जवाहर नगर पंचायत, रामगढ़, झारखंड-829106
39	बरका सयाल	छापर पंचायत के हेंदेगीर गांव में देवी मंडप एवं चहारदीवारी का निर्माण	835214	10.01.2024	365453.68	लागू नहीं	छापर पंचायत के निवासियों नेछापर पंचायतके मुखिया को संपत्तिसुपुर्द की गई	पंचायत भवन, छापर पंचायत, जिला-रांची, झारखंड-835214

40	बरका सयाल	पालु पंचायत में यात्री शेड का निर्माण	829119	15.01.2024	399741.36	लागू नहीं	पालू पंचायत के निवासियों की संपत्ति पालू पंचायत केमुखिया को सुपुर्द की गई	पंचायत भवन, पालू पंचायत, जिला-रामगढ़, झारखण्ड-835214
41	बरका सयाल	उरीमारी में पीसीसी सड़क का निर्माण	829125	16.02.2024	829125.00	लागू नहीं	शांति निकेतन विद्यालय, उरीमारी के स्कूल जाने वाले छात्रों की संपत्ति उरीमारी पंचायत के मुखिया को सुपुर्द की गई	पंचायत भवन, उरीमारी पंचायत, जिला-हजारीबाग, झारखण्ड-829125
42	बरका सयाल	सयाल पंचायत में फिटनेस के लिए ओपन जिम उपकरण की स्थापना (सर्फ बोर्ड, एयर वॉकर और चेस्ट प्रेस)	829125	25.03.2024	90105.86	लागू नहीं	सयाल पंचायत के निवासियों की संपत्ति मुखिया सयाल पंचायत को सुपुर्द की गई	पंचायत भवन, सयाल पंचायत, जिला-रामगढ़, झारखण्ड-829125
43	बरका सयाल	कैनरी हिल्स हजारीबाग में विकास कार्य	825301	30.03.2024	4952620.00	लागू नहीं	कैनरी हिल्स में प्रतिदिन 5000 से अधिक पर्यटक आते हैं, वन भूमि पर स्थित संपत्ति डीएफओ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अधीन है	डीएफओ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, जिला -हजारीबाग, पिन-825301
44	बरका सयाल	पतरातू के बुच्चाबांध में शेड का निर्माण	829118	09.03.2024	167867.96	लागू नहीं	पतरातू के बुच्चा बांध पहुंचे पर्यटक, संपत्ति बाबा बुच्चा बांध प्रबंध समिति को सुपुर्द की गई	बाबा बुच्चा बैंड, प्रबंध समिति, जिला-रामगढ़, पिन-829118
45	बरका सयाल	उरीमारी पंचायत में फिटनेस के लिए ओपन जिम उपकरण की स्थापना (चेस्ट प्रेस, सर्फ बोर्ड)	829125	30.03.2024	49442.00	लागू नहीं	डीएवी उरीमारी के स्कूल जाने वाले छात्रों की संपत्ति प्राचार्य डीएवी उरीमारी को सुपुर्द की गई	डीएवी उरीमारी, जिला-हजारीबाग, पिन-829125
46	बरका सयाल	कुरसे गांव के पास घाट का निर्माण	829106	18.01.2024	369088.93	लागू नहीं	कुरसे पंचायत के निवासियों ने संपत्ति कुरसे पंचायत के मुखिया को सुपुर्द की गई	पंचायत भवन, कुर्से पंचायत, रामगढ़, झारखंड- 829106
47	बरका सयाल	बरका-सयाल क्षेत्र के कमांड एरिया में सोलर स्ट्रीट लाइट का वितरण।	829125, 825311 एवं 829133	15.07.2023	1286398.40	लागू नहीं	उरीमारी, पोटंगा और सौंदा बस्ती पंचायत के निवासियों ने मुखिया उरीमारी, पोटंगा पंचायत और पार्षद पतरातू को सुपुर्द की गई	पंचायत भवन, उरीमारी पंचायत, जिला-हजारीबाग झारखंड-829125 एवं पंचायत भवन, पोटंगा पंचायत, जिला-हजारीबाग, झारखंड-825311, पंचायत भवन सौंदा बस्ती पंचायत, जिला-रामगढ़, पिन-829133
48	सीआरएस बरकाकाना	दुर्गी गांव में सिंचाई हेतु कुआं की खुदाई	829101	20.04.2023	462108.06	लागू नहीं	मोकिम आलम (मुखिया दुर्गी पंचायत)	दुर्गी गांव, रामगढ़, झारखंड
49	सीआरएस बरकाकाना	वार्ड 21 क्रमांक 3 अंतर्गत घुटुवा में कुआं निर्माण	829103	09.02.2024	362330.00	लागू नहीं	गीता देवी (वार्ड पार्षद)	वार्ड-21, घुटुवा, रामगढ़ झारखण्ड
50	सीआरएस बरकाकाना	यूएमएस कोरी में चारदीवारी का निर्माण	829105	20.06.2023	922870.00	लागू नहीं	विद्यालय प्राचार्य	यूएमएस, कोरी, पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ झारखंड
51	सीआरएस बरकाकाना	विभिन्न स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को कुर्सियां, स्टूल, दरी और अन्य वस्तुओं का वितरण	829103	29.02.2024	478849.48	लागू नहीं	सीएलएफ- पिरी (एसएचजी)	पीरी, रामगढ़, झारखंड
52	सीआरएस बरकाकाना	मथुरा बेदिया के घर से एनपीएस लालकीधसना तक पीसीसी सड़क का निर्माण	829102	11.06.2023	482930.03	लागू नहीं	नीलम देवी (मुखिया पीरी पंचायत)	पीरी, रामगढ़, झारखंड
53	सीआरएस बरकाकाना	आर्य बाल स्कूल और अन्य सरकारी स्कूलों में आयरन रिमूवर के साथ पानी का वितरण/स्थापना	829103	30.03.2024	766009.98	लागू नहीं	विद्यालय प्राचार्य	1) आर्य बाल हाई स्कूल, एनटीएस बरकाकाना 2) सीसीएल हाई स्कूल, एनटीएस बरकाकाना, 3) हाई स्कूल, सेउर, 4) मिडिल स्कूल सांकी, 5) मिडिल स्कूल, बरकाकाना।
54	सीआरएस बरकाकाना	आर्य बाल विद्यालय हाई स्कूल के नवनिर्मित चार कक्षाओं में विद्तीकरण कार्य (जिसमें वायरिंग, पंखे, लाइट आदि लगाना शामिल है) पूर्ण करना	829103	02.03.2024	295035.40	लागू नहीं	विद्यालय प्राचार्य	आर्य बाल हाई स्कूल, रामगढ़, झारखंड

55	ढोरी	1.सरस्वती शिशु मंदिर तुपकाडीह 2.सदाफल बाल मंदिर मकोली 3.सरस्वती शिशु मंदिर मुंगो में तीन शौचालय परिसर का निर्माण।	827010, 829144, 829132	23.12.2023	1500175.87	लागू नहीं	विद्यालय के प्रधानाचार्य	1. सरस्वती शिशु मंदिर तुपकाडीह ,बोकारो । 2. सदाफल बाल मंदिर मकोली 3. सरस्वती शिशु मंदिर मुंगो, बोकारो ।
56	ढोरी	सीएसआर के तहत गायत्री पीठ चपरी/भलमारा में सामुदायिक भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, गायत्री पीठ पिछरी में सामुदायिक भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण एवं गायत्री पीठ पिछरी का जीर्णोद्धार	829144, 828403	14.03.2024	1887979.55	लागू नहीं	मुखिया, भलमारा पंचायत और मुखिया पिचरी (एन) पंचायत।	शांतिवन भलमारा एवं पिछरी कन्या विद्यालय पिछरी के पास।
57	ढोरी	विवाह मंडप टुरियो के चारों ओर 800 मीटर की चारदीवारी और बच्चों के पार्क का निर्माण।	819132	30.03.2024	5078601.42	लागू नहीं	मुखिया तुरियो पंचायत	टूरियो के ऊपर मैरिज हॉल के पास, बोकारो ।
58	ढोरी	ढोरी क्षेत्र के मदनपुर चंद्रपुरा स्थित राजेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज में 01 पुस्तकालय कक्ष का निर्माण	828403	30.03.2024	1420955.65	लागू नहीं	आरपीएस डिग्री कॉलेज मदनपुर चंद्रपुरा के प्राचार्य	आरपीएस डिग्री कॉलेज मदनपुर चंद्रपुरा,बोकारो
59	ढोरी	दामोदर नदी के किनारे राजाबेरा फुसरो में घाट का निर्माण	829144	29.03.2024	458520.72	लागू नहीं	वार्ड आयुक्त-26 फुसरो नगर परिषद	वार्ड आयुक्त-26 फुसरो नगर परिषद,बोकारो
60	हजारीबाग	शमशान शेड, चरही	825336	30.09.2023	346453.42	लागू नहीं	मुखिया, चरही	पंचायत भवन, चरही-825336
61	हजारीबाग	बसंतपुर में पीसीसी सड़क का निर्माण	825325	29.09.2023	2487227.41	लागू नहीं	मुखिया, बसंतपुर	पंचायत भवन, बसंतपुर-825325
62	हजारीबाग	सामुदायिक भवन, पचंडा	825325	30.03.2024	215813.09	लागू नहीं	मुखिया, बसंतपुर	पंचायत भवन, बसंतपुर-825325
63	हजारीबाग	शमशान शेड, प्रतीक्षालय सहित, मंडूडीह	825316	31.03.2024	942399.28	लागू नहीं	मुखिया, मंडूडीह	पंचायत भवन, मांडूडीह-825316
64	हजारीबाग	शमशान शेड, तितरमरवा	825325	31.03.2024	429000.00	लागू नहीं	मुखिया, लइयो	पंचायत भवन, लइयो साउथ-825325
65	मुख्यालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में उपयोग हेतु बोलेरो (B6BS6.2) वाहन की खरीद	835204	16.12.2023	1118231.00	सीएसआर 00000812	भारत सेवाश्रम संघ	211, राशबिहारी एवेन्यू, कोलकाता, 700019, पश्चिम बंगाल
66	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत रामगढ़ जिले में 7 स्थानों पर ओपन जिम की स्थापना	825101, 829133, 829125, 829118, 825316	23.09.2023	7280000.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन रामगढ़	रामगढ़, झारखंड
67	मुख्यालय	आरके मिशन टीबी सेनेटोरियम, तुपुदाना, रांची में आईसीयू वेंटिलेटर, ओटी टेबल, डेंटल चेयर, बेड, साइड टेबल आदि की स्थापना	835221	14.12.2023	3503641.97	सीएसआर 00006101	आरके मिशन टीबी सेनेटोरियम	रामकृष्ण मिशन मुख्यालय, मुख्यालय भवन, पोस्ट ऑफिस बेलूर, पीएस बल्ली, डब्ल्यूबी 07, डब्ल्यूबी, 711202
68	मुख्यालय	सर्किट हाउस चतरा के समीप सामुदायिक जिम की स्थापना	825401	27.07.2023	6826310.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन चतरा	चतरा, झारखंड 825401
69	मुख्यालय	सेंट माइकल्स स्कूल फॉर द ब्लाइंड में 32 स्मार्ट ब्रेल उपकरणों की स्थापना	834001	21.09.2023	2976000.00	लागू नहीं	एसएमसी, सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल	ओल्ड एचबी रोड, बहु बाजार, गुंड=गुटोली, कांका, रांची, झारखंड
70	मुख्यालय	स्नेहाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने धोरी माता समरिटन सेवा केंद्र के लिए 1 टाइप बी एम्बुलेंस की खरीद की	825102	19.09.2023	1477892.00	सीएसआर 00024009	स्नेहाराम चैरिटेबल ट्रस्ट	स्नेहराम प्रांतीय सदन, गुड सेमेरिटन कॉन्वेंट, नामकुम, रांची, जेएच18, जेएच, 834010

71	मुख्यालय	जलछाजन भवन (ताइक्कांडो केंद्र), चतरा में सामुदायिक जिम के लिए जिम उपकरणों की व्यवस्था	825401	27.07.2023	2500060.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन चतरा	चौपारण-चतरा रोड, चतरा, झारखंड 825401
72	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत रांची हवाई अड्डे पर भगवान बिरसा मुंडा की धातु स्क्रैप प्रतिमा का निर्माण और स्थापना तथा महत्वाकांक्षी धातु स्क्रैप कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।	834002	21.08.2023	767573.00	लागू नहीं	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण	हिनू, रांची
73	मुख्यालय	भद्रकाली कॉलेज में कंप्यूटर और अन्य सामान का प्रावधान	825408	12.10.2023	724700.00		अपना भारत विकास संस्था	60 नं लेनिन सरानी, प्रथम तल, पोस्ट ऑफिस
74	मुख्यालय	जी.बी. मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जनरेटर की व्यवस्था	834006	17.10.2023	650000.00	सीएसआर 00045425	राम चंद्र बैठा चैरिटेबल ट्रस्ट	साहेबगंज, कुर्नोवल, मुजफ्फरपुर, बीआर 22, बीआर, 843125
75	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत सामुदायिक भवन, ओरमांझी, रांची में 30 केवीए जेनरेटर सेट की स्थापना के लिए समाधान को वित्तीय योगदान	835219	27.02.2024	549545.00	सीएसआर 00060058	समाधान	हरचनंदा, 185, कुचू रोड, रांची, दाहू, ओरमांझी, रांची, जेएच18, जेएच, 835219
76	मुख्यालय	राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सुश्री दीप्ति कुमारी को तीरंदाजी उपकरण का प्रावधान	834002	30.08.2023	487500.00	लागू नहीं	दीप्ति कुमारी	अरगोड़ा, रांची-834002
77	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के अंतर्गत माहेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय, अशोक नगर, रांची, झारखंड में कक्षा I से V तक के लिए 79 बेंचों और 39 फाइबर बेंचों की खरीद।	834002	25.08.2023	459019.40	सीएसआर 00042556	माहेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट	डी-81, अशोक नगर, रोड नंबर 1, रांची 834002
78	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत निटकॉन सोशल फाउंडेशन के माध्यम से लातेहार, झारखंड के 5 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित बोरवेल, जल भंडारण प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुविधा की स्थापना	829206	20.09.2023	5609999.88	सीएसआर 00017035	निटकॉन	निटकॉन सोशल फाउंडेशन, यूनिट नंबर 501, इंटरफेस 11, न्यू लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई, मुंबई सिटी, महाराष्ट्र, 400064
79	मुख्यालय	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कुल्ही को कंप्यूटर उपलब्ध कराना	835219	06.01.2024	306950.00	सीएसआर 00007932	वनांचल शिक्षा समिति	शुक्ला कॉलोनी, हिनू, रांची, 834002
80	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत झारखंड के रांची जिले के राजाउलातु (सिदरौल) और हेहल में समशान घाट का विकास	834010, 834005	16.09.2023	5418730.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन रांची	सिदरौल, राजाउलातू और हेहल, नामकुम, रांची
81	मुख्यालय	सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवार के लिए 6 सीटर वाले 4 और 8 सीटर वाले 2 ई-कार्ट की खरीद	825317	03.06.2023	2286000.00	लागू नहीं	बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल	बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, गैंडी झारखंड 825317
82	मुख्यालय	खादी उत्पादों के विपणन, बिक्री एवं निगरानी में सुधार के लिए वाहन, कंप्यूटर, जेनरेटर एवं वाटर कूलर की खरीद।	834006	17.02.2024	2841713.00	सीएसआर 00051317	खादी ग्रामोद्योग संस्थान	खादी इंडिया 1 वृंदावन कॉलोनी, चिरुआंडी, बोरेया, रांची-834006
83	मुख्यालय	रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के लेम और बारीडीह गांव में फ्लाई ऐश इंटरलॉकिंग यूनिट(02) में विदुत कार्य।	829106, 829101	31.03.2024	721936.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन रामगढ़	लेम एवं बारीडीह, पतरातू प्रखंड, रामगढ़।

84	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र, आरके मिशन आश्रम, मोरहाबादी रांची में 93.96 किलोवाट ऑन ग्रिड सौर रूफ टॉप सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग।	834008	28.03.2024	5414000.00	सीएसआर 00006101	आरके मिशन आश्रम	रामकृष्ण मिशन मुख्यालय, मुख्यालय भवन, पोस्ट ऑफिस बेलूर, पीएस बल्ली, डब्ल्यूबी07, डब्ल्यूबी, 711202
85	मुख्यालय	उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लातेहार, रांची और चतरा जिलों की 51 आदिवासी महिलाओं और लड़कियों को पर्सनल कंप्यूटर/ सिलाई मशीन का प्रावधान	829206	21.02.2024	1488552.00	सीएसआर 00001499	विकास भारती	बिशुनपुर, गुमला, जेएच10, जेएच, 835331
86	मुख्यालय	गांव- कुच्चू, ब्लॉक-ओरमांझी, रांची, झारखंड में 12 हाई मास्ट लाइट की स्थापना	835219	27.01.2024	2351700.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, रांची	कुच्चू, ब्लॉक-ओरमांझी, रांची, झारखंड
87	मुख्यालय	चतरा जिला प्रशासन को 2 नग एम्बुलेंस की खरीद।	825401	31.03.2024	5809656.25	लागू नहीं	जिला प्रशासन, चतरा	चतरा, झारखंड 825401
88	मुख्यालय	हिनू रांची में स्थानीय युवाओं के लिए व्यायामशाला की स्थापना	834002	23.02.2024	1107062.00	सीएसआर 00061059	अविष्कार फाउंडेशन	रंभावती एन्क्लेव, दूसरी मंजिल 2सी, रातू रोड, बाबा अस्पताल के पास सुखदेव नगर, रांची सदर, जेएच18, 834001
89	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत गुमला जिले में 2 स्थानों पर ओपन जिम की स्थापना	835207, 835227, 835229, 835206	31.03.2024	4994000.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन गुमला	दुंदुरिया, कामडारा, बसिया, चैनपुर, गुमला, झारखंड
90	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत झारखंड के हजारीबाग जिले में रहने वाली संथाली महिलाओं के लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और हथकरघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम	825326	23.03.2024	2959434.00	सीएसआर 00042457	मार्शल प्राथमिक बुनकर समिति	मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, ग्राम काजरी, पोस्ट तापिन, चुरचू, हज़ारीबाग़, जेएच11, जेएच,825326
91	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत राजकुमारी फाउंडेशन के माध्यम से रांची जिले के कांके और सदर ब्लॉक में मोबाइल कुपोषण उपचार वैन के माध्यम से एसएएम बच्चों की जांच और पोषण सहायता के प्रावधान के लिए परियोजना 'नैवेद्यम'	834006	15.02.2024	3929657.00	सीएसआर 00002302	राजकुमारी फाउंडेशन	राज कुमारी फाउंडेशन, गोटीघर, साहेबगंज,, कुर्नौल, मुजफ्फरपुर,,843125
92	मुख्यालय	सीसीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत लुईस एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी (लीड्स) के माध्यम से स्टार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों के लिए ग्राउंड उपकरणों के साथ साइकिल, स्वयं सक्षम स्मार्ट बोर्ड और उन्नत तीरंदाजी किट प्रदान करना।	835303	19.02.2024	1477840.00	सीएसआर 00039826	लुईस शैक्षिक और सामाजिक विकास सोसायटी (LEADS)	ए/26, पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद, पटना, BR25, BR, 800002
93	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के अंतर्गत झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 2 (40+डी) सीटर बसें और 1 टाइप बी एम्बुलेंस	835222	31.03.2024	8042407.80	सीएसआर 00066023	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	ग्राम-चेरी-मनातू, पीओ-कामरे, पीएस-कांके,रांची-835222
94	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के तहत टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) के माध्यम से रामगढ़ जिले के चितरपुर सिलाई क्लस्टर में सौर पीवी के विस्तार के लिए वित्तीय योगदान	829110	27.03.2024	1092000.00	सीएसआर 00002051	ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी)	ऊर्जा और संसाधन संस्थान, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबिटेट प्लेस, लोधी रोड, न्यू

95	मुख्यालय	सीसीएल के सीएसआर के अंतर्गत हजारीबाग के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में केंद्रीयकृत रसोई हजारीबाग से मध्याह्न भोजन पहुंचाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को 6 खाद्य वितरण वाहनों का प्रावधान	825301	29.02.2024	4598589.00	सीएसआर 00000286	अक्षय पात्र फाउंडेशन	अक्षय पात्र फाउंडेशन, हरे कृष्णा हिल, कॉर्ड रोड, राजाजीनगर, बेंगलुरु, KA06,KA,560010
96	कथारा	सैनिटरी नैपकिन निर्माण मशीन	829116	25.08.2023	625000.00	लागू नहीं	पंचायत	बोड़िया उत्तरी, बेरमो, बोकारो
97	कथारा	सेनेटरी नैपकिन निर्माण मशीन	829128	25.08.2023	625000.00	लागू नहीं	पंचायत	सवांग दक्षिणी, गोमिया, बोकारो
98	कथारा	शौचालय निर्माण, गोविंदपुर ए पंचायत के सामुदायिक भवन के पास,	829107	30.07.2023	431250.87	लागू नहीं	पंचायत	गोविंपुर ए, बेरमो, बोकारो
99	कथारा	गोविंदपुर ई पंचायत में कूप निर्माण	829107	30.07.2023	433926.43	लागू नहीं	पंचायत	गोविंपुर ई, बेरमो, बोकारो
100	कथारा	कंजकिरो पंचायत के पिलपिलो गांव में हैंडपंप	829107	26.06.2023	73148.47	लागू नहीं	पंचायत	कंजकिरो, नावाडीह, बोकारो
101	कथारा	अरगुआ पंचायत के गागा गांव में हैंडपंप	829121	15.10.2023	64156.07	लागू नहीं	पंचायत	अरगुआ, पेटरवार, बोकारो
102	कथारा	सरहचिया पंचायत में कूप निर्माण	829111	25.11.2023	409218.60	लागू नहीं	पंचायत	सरहचिया, गोमिया, बोकारो
103	कथारा	हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ डीप बोरवेल का निर्माण। भामा शाह धर्मशाला, पलिहारी गुरुडीह में	829112	22.12.2023	667472.44	लागू नहीं	पंचायत	पलिहारी गुरुडीह, गोमिया, बोकारो
104	कथारा	शिव मंदिर, खेतको के पास कवर शेड के साथ चबूतरा का निर्माण	829113	20.10.2023	266746.07	लागू नहीं	पंचायत	खेतको, पेटरवार, बोकारो
105	कथारा	मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में शौचालय का निर्माण	829116	06.02.2024	419954.50	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बोकारो
106	कथारा	तुरी टोला एवं यादव टोला में सुरजाडी तालाब के पास शेड का निर्माण	829116	20.03.2024	1057248.50	लागू नहीं	पंचायत	गोमिया, बोकारो
107	कथारा	सरस्वती शिशु मंदिर, गोमिया में शौचालय का निर्माण	829112	21.02.2024	358988.56	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बोकारो
108	कथारा	यूएमएस, सरहचिया में शौचालय का निर्माण	829111	08.03.2024	411036.89	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बोकारो
109	कथारा	गोमिया प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय एवं कैरियर विकास केन्द्र की स्थापना	829112	22.03.2024	596250.00	लागू नहीं	पंचायत	पलिहारी गुरुडीह, गोमिया, बोकारो
110	कथारा	बेरमो प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय एवं कैरियर विकास केन्द्र की स्थापना	829113	22.03.2024	596021.00	लागू नहीं	पंचायत	जारंगडीह, बेरमो, बोकारो
111	कथारा	कथारा क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूहों को सहयोग देने के लिए कुर्सियां, प्लास्टिक स्टूल और दरी का प्रावधान	829116	28.03.2024	225880.00	लागू नहीं	स्वयं सहायता समूह	बोकारो
112	कुजू	जय भारत विद्या केन्द्र, बड़गांव में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष का निर्माण	829134	09.10.2023	379212.00	लागू नहीं	प्राचार्य, जय भारत विद्या केन्द्र	जय भारत विद्या केन्द्र, बड़गांव, झारखण्ड-829134

113	कुजू	समुज्ज्वला शिशु मंदिर, कुजू कोलियरी में बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण	825316	31.07.2023	458000.00	लागू नहीं	प्राचार्य, समुझवला शिशु मंदिर	सम्मुजवाला शिशु मंदिर, कुजू कोलियरी, मांडू, रामगढ़, झारखंड- 825316
114	कुजू	समुज्ज्वला शिशु मंदिर, कुजू कोलियरी में 03 कक्षा कक्ष का निर्माण	825316	10.10.2023	676000.00	लागू नहीं	प्राचार्य, समुझवला शिशु मंदिर	सम्मुजवाला शिशु मंदिर, कुजू कोलियरी, मांडू, रामगढ़, झारखंड- 825316
115	कुजू	आरा बघाटा बस्ती में चारदीवारी (दुर्गा मंडप) एवं सामुदायिक भवन का निर्माण	829134	29.09.2023	398944.00	लागू नहीं	मुखिया, आरा उत्तरी	दुर्गा मंडप, आरा बघाटा बस्ती, आरा उत्तर, झारखंड- 829134
116	कुजू	राजकीय मध्य विद्यालय, सरुबेड़ा में डीप बोरिंग सुविधा के साथ 6 शौचालय	829134	16.08.2022	678169.82	लागू नहीं	प्राचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय	राजकीय मध्य विद्यालय, सरुबेरा कॉलोनी, रामगढ़, झारखंड- 825316
117	कुजू	हाई स्कूल, कर्मा में पुस्तकालय कक्ष एवं चारदीवारी का निर्माण	829117	01.02.2024	672000.00	लागू नहीं	प्राचार्य, कर्मा हाई स्कूल	कर्मा हाई स्कूल, कर्मा, झारखंड-829117
118	कुजू	कुजू क्षेत्र की 24 विभिन्न पंचायतों को 24 कंप्यूटर सौंपे गए	825316	09.11.2023	956640.00	लागू नहीं	मुखिया (मांडू चट्टी, मांडू डीह, पुंडी, हेसागढ़ा, आरा उत्तर, आरा दक्षिण, कुजू दक्षिण, कुजू पूर्व, तोपा, कुजू पश्चिम, ओरला, सोनडीहा, सारूबेरा, बरगांव, नवाडीह, करमा उत्तर, करमा दक्षिण, छोटकी डुंडी, रबोध, हुवाग, बलसगरा, मंझला चुंबा, बड़का चुंबा, रतवे)	पंचायत भवन (मांडू चट्टी, मांडू डीह, पुंडी, हेसागढ़ा, आरा उत्तर, आरा दक्षिण, कुजू दक्षिण, कुजू पूर्व, तोपा, कुजू पश्चिम, ओरला, सोनडीहा, सारुबेड़ा, बरगांव, नवाडीह, करमा उत्तर, करमा दक्षिण, छोटकी दुंदी, रबोध), हुवाग, बलसगरा, मंझला चुम्बा, बड़का चुम्बा, रतवे)
119	कुजू	कुजू क्षेत्र के 8 विभिन्न पंचायतों में 45 सोलर लाइट की स्थापना	825316	19.07.2023	539000.00	लागू नहीं	मुखिया (हेसागढ़ा, आरा उत्तरी, तोपा, ओरला, सोनडीहा, छोटकी डुंडी, रबोध, हुवाग)	पंचायत (हेसागढ़ा, आरा उत्तरी, टोपा, ओरला, सोनडीहा, छोटकी डुंडी, रबोध, हुवाग)
120	कुजू	बाल विकास मंदिर, आरा में 30 बेंच डेस्क और 2 अलमीरा	825316	09.09.2023	115000.00	लागू नहीं	प्रधानाचार्य, बाल विकास मंदिर	बाल विकास मंदिर, आरा 96 नं. कॉलोनी, बैरक, पांडेपोखर, सरुबेरा, रामगढ़, झारखंड-825316
121	एमएस	ग्राम सराधु, पंचायत- सराधु, प्रखंड- टंडवा, जिला- चतरा में तालाब निर्माण	825321	20.3.2024	2903353.99	लागू नहीं	सीता देवी (मुखिया),	सराधु पंचायत, प्रखण्ड-टंडवा, जिला-चतरा
122	एमएस	फुलबसिया गांव, पंचायत-गणेशपुर, प्रखंड-बालूमाथ, जिला-लातेहार में ग्राम हाट का निर्माण	829202	18.03.2024	1468520.44	लागू नहीं	सुशीला देवी (मुखिया), अमरवाडीह पंचायत	चेडरा गांव, पंचायत-अमरवाडीह, प्रखंड-बरियातू, जिला-लातेहार
123	एमएस	ग्राम चेडरा, पंचायत-अमरवाडीह, प्रखंड-बरियातू, जिला-लातेहार में 300 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण	829202	25.03.2024	2516348.24	लागू नहीं	सुशीला देवी (मुखिया), अमरवाडीह पंचायत	चेडरा गांव, पंचायत-अमरवाडीह, प्रखंड-बरियातू, जिला-लातेहार
124	एमएस	सोपाराम मध्य विद्यालय, पंचायत- कोयद, प्रखंड- टंडवा, जिला- लातेहार में चहारदीवारी, ग्रिल एवं गेट का निर्माण	825321	21.03.2024	1427988.06	लागू नहीं	किशुन राम (मुखिया), कोयद पंचायत	पंचायत- कोयद, प्रखंड-टंडवा, जिला- लातेहार
125	एमएस	लातेहार जिले के 5 विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 15 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, जिनमें झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय (ब्लॉक-बरियातु), प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल (ब्लॉक-बरियातु), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (ब्लॉक-बालूमाथ), एसएस हाई स्कूल (ब्लॉक-बालूमाथ), हाई स्कूल गणेशपुर (ब्लॉक-बालूमाथ) शामिल हैं।	829202, 829206	10.02.2024	4292940.30	लागू नहीं	झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय (प्रखंड-बरियातू), प्रोजेक्ट+2 हाई स्कूल (प्रखंड-बरियातू), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (प्रखंड-बालूमाथ), एसएस हाई स्कूल (प्रखंड-बालूमाथ), हाई स्कूल गणेशपुर (प्रखंड-बालूमाथ) के प्राचार्य	झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय (प्रखंड-बरियातू), प्रोजेक्ट+2 हाई स्कूल (प्रखंड-बरियातू), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (प्रखंड-बालूमाथ), एसएस हाई स्कूल (प्रखंड-बालूमाथ), हाई स्कूल गणेशपुर (प्रखंड-बालूमाथ)

126	एन.के	खैर, चुरी दक्षिण पंचायत	829205	23.08.2023	352254.38	लागू नहीं	मुखिया, चुरी दक्षिणी पंचायत	होयर बस्ती (चुरी दक्षिण पंचायत) खलारी, रांची, जेएच
127	एन.के	खैर, नया धौड़ा, बुकबुका पंचायत	829205	08.04.2023	390427.46	लागू नहीं	मुखिया, बुकबुका पंचायत	महावीर नगर (बुकबुका पंचायत), खलारी, रांची, जेएच
128	एन.के	शौचालय परिसर, एसएसवीएम स्कूल, धमधमिया	829208	23.04.2023	342932.90	लागू नहीं	मुखिया, तुमांग पंचायत	धमधमिया (तुमांग पंचायत), खलारी, रांची, जेएच
129	एन.के	शौचालय परिसर, झारखंड पब्लिक स्कूल, मोहन नगर, डकरा	829209	02.09.2023	454306.96	लागू नहीं	मुखिया, चुरी मध्य पंचायत	मोहन नगर (चुरी सेंट्रल पंचायत), खलारी, रांची, जेएच
130	एन.के	सौर ऊर्जा चालित डीप बोरिंग, करकट्टा बस्ती, तुमांग पंचायत	829208	13.02.2024	707450.01	लागू नहीं	मुखिया, तुमांग पंचायत	प्रीम गेल (तुमांग पंचायत), खलारी, रांची, जेएच
131	एन.के	वेल, चुरी उत्तरी पंचायत	829205	18.02.2024	48481.40	लागू नहीं	मुखिया, चुरी उत्तरी पंचायत	सरना क्लब (चुरी उत्तरी पंचायत), खलारी, रांची, जेएच
132	पिपरवार	बहेरा पंचायत के कारो गांव में 2कुआं की खुदाई	825321	01.11.2022	512303.94	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
133	पिपरवार	कल्याणपुर पंचायत के उच्च विद्यालय कल्याणपुर में जल आपूर्ति व्यवस्था के साथ बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय बनाना	825321	03.09.2022	1462609.11	लागू नहीं	महेश मुंडा, मुखिया कल्याणपुर पंचायत	ग्राम- नैपारम, कल्याणपुर, थाना- टंडवा, ब्लॉक- टंडवा, चतरा
134	पिपरवार	ग्राम-कारो, पंचायत बहेरा में सामुदायिक भवन का निर्माण	825321	30.11.2022	912875.45	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
135	पिपरवार	गांव- होसुर और गांव- पडरिया, बचरा उत्तर पंचायत में 2 गहरी बोरिंग	829201	15.04.2023	909159.49	लागू नहीं	गुंजन कुमारी, मुखिया बचरा उत्तरी पंचायत	ग्राम- बचरा, काली मंदिर के पास, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
136	पिपरवार	किचटो पंचायत के पैसराटांढ़ गाँव में2 हैंडपंप	825321	09.04.2023	214091.28	लागू नहीं	संगीता देवी, मुखिया किचटो पंचायत	ग्राम- बन्हे, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
137	पिपरवार	ग्राम कारो, बहेरा पंचायत में 2हैंडपंप	825321	21.04.2023	217892.06	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
138	पिपरवार	ग्राम हेसाबार एवं होसिर, बचरा उत्तरी पंचायत में 2हैंडपंप	829201	02.05.2023	220159.46	लागू नहीं	गुंजन कुमारी, मुखिया बचरा उत्तरी पंचायत	ग्राम- बचरा, काली मंदिर के पास, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
139	पिपरवार	बहेरा पंचायत के गांव सिदालू में सामुदायिक भवन का निर्माण	825321	01.09.2022	532530.72	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
140	पिपरवार	बहेरा पंचायत के कारो गांव में 1 तालाब	825321	02.09.2022	783528.41	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
141	पिपरवार	टाना भगत नगर, कल्याणपुर में डीप बोरिंग	825321	20.04.2023	443923.47	लागू नहीं	महेश मुंडा, मुखिया कल्याणपुर पंचायत	ग्राम- नैपारम, कल्याणपुर, थाना- टंडवा, ब्लॉक- टंडवा, चतरा
142	पिपरवार	कारो गांव में सबमर्सिबल पंप के साथ 2 गहरी बोरिंग,	825321	30.08.2022	1076391.81	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
143	पिपरवार	पाताल गांव में तालाब का निर्माण	825311	11.06.2022	691873.91	लागू नहीं	नेहा लकड़ा, मुखिया पाताल पंचायत	ग्राम- कोले, पोस्ट- हेंदागीर, ब्लॉक- केरेडारी, हज़ारीबाग़
144	पिपरवार	कुंदरी, पाताल में 2 नंबर हैंडपंप	825311	11.04.2023	161197.50	लागू नहीं	नेहा लकड़ा, मुखिया पाताल पंचायत	ग्राम- कोले, पोस्ट- हेंदागीर, ब्लॉक- केरेडारी, हज़ारीबाग़
145	पिपरवार	बुंडू में देवी मंडप के पास डीप बोरिंग	829201	13.04.2023	420524.74	लागू नहीं	तुलसी तुरी, मुखिया बुंडू पंचायत	ग्राम- बुंडू, केरेडारी, हज़ारीबाग़
146	पिपरवार	महुआदह एवं बामने में 2 नंबर डीप बोरिंग	829209	15.04.2023	1519809.95	लागू नहीं	शिवनाथ मुंडा, मुखिया बामने पंचायत	ग्राम- डुंडू, पोस्ट- रे, थाना- खलारी, रांची
147	पिपरवार	पड़रीटांड़ व लोहरसा में 2 नंबर डीप बोरिंग	825311	06.05.2023	774696.92	लागू नहीं	नेहा लकड़ा, मुखिया पाताल पंचायत	ग्राम- कोले, पोस्ट- हेंदागीर, ब्लॉक- केरेडारी, हज़ारीबाग़
148	पिपरवार	बहेरा पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण	825321	29.09.2022	1539453.87	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा

149	पिपरवार	डमरू पाताल पंचायत में कुआं निर्माण	825311	27.07.2023	449359.35	लागू नहीं	नेहा लकड़ा, मुखिया पाताल पंचायत	ग्राम- कोले, पोस्ट- हेंदागीर, ब्लॉक- केरेडारी, हज़ारीबाग़
150	पिपरवार	हेमनदाग बचरा उत्तरी पंचायत में तालाब निर्माण	829201	02.07.2023	895941.95	लागू नहीं	गुंजन कुमारी, मुखिया बचरा उत्तरी पंचायत	ग्राम- बचरा, काली मंदिर के पास, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
151	पिपरवार	पाताल पंचायत के डमरू में तालाब निर्माण	825311	01.05.2023	613603.39	लागू नहीं	नेहा लकड़ा, मुखिया पाताल पंचायत	ग्राम-कोले, पोस्ट-हेंदागीर, ब्लॉक-केरेडारी, हज़ारीबाग़
152	पिपरवार	ग्राम- न्यू बिजैन, बहेरा पंचायत में 02 डीप बोरिंग	825321	19.04.2023	900880.05	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
153	पिपरवार	बहेरा पंचायत के ग्राम कारो में सरना स्थल के पास सौर ऊर्जा चलित जल मिनार का निर्माण	825321	01.06.2023	782574.86	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
154	पिपरवार	गांव- होसुर, बचरा उत्तर पंचायत में कुएं का निर्माण	829201	22.07.2023	556014.29	लागू नहीं	गुंजन कुमारी, मुखिया बचरा उत्तरी पंचायत	ग्राम- बचरा, काली मंदिर के पास, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
155	पिपरवार	ग्राम- न्यू मंगरदाहा में न्यू मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3 क्लास रूम, 1 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण	825321	16.11.2023	2149068.65	लागू नहीं	सरिता देवी, मुखिया बेंती पंचायत	ग्राम- बेंती, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
156	पिपरवार	ग्राम चुरी पूर्वी पंचायत में तालाब निर्माण	829201	08.04.2023	900403.40	लागू नहीं	सेवा उराँव, मुखिया चूरी पूर्वी पंचायत	गांव- चुरी पूर्व, पोस्ट- रे, थाना- खलारी, रांची
157	पिपरवार	बामने पंचायत में 02 हैण्डपम्प	829209	23.07.2023	218307.58	लागू नहीं	शिवनाथ मुंडा, मुखिया बामने पंचायत	ग्राम- डुंडू, पोस्ट- रे, थाना- खलारी, रांची
158	पिपरवार	ग्राम हेसालौंग, लपरा पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण	829205	12.05.2023	1617612.82	लागू नहीं	पुतुल देवी, मुखिया लपरा पंचायत	ग्राम- लपरा, थाना- खलारी, रांची
159	पिपरवार	किचटो पंचायत के चौरा एवं हफुआ में 02 अदद डीप बोरिंग	825321	07.06.2023	859180.70	लागू नहीं	संगीता देवी, मुखिया किचटो पंचायत	ग्राम- बन्हे, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
160	पिपरवार	बेंती पंचायत के हरगड़ी एवं पाहनटोंगरी में 2 कुओं का निर्माण	825321	05.12.2023	367479.29	लागू नहीं	सरिता देवी, मुखिया बेंती पंचायत	ग्राम- बेंती, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
161	पिपरवार	ग्राम-होसिर में सुदी मुंडा अखरा के पास हैंडपंप उपलब्ध कराना	825321	06.03.2024	107309.79	लागू नहीं	संगीता देवी, मुखिया किचटो पंचायत	ग्राम- बन्हे, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
162	पिपरवार	नया ठेणा के पुर्नवासस्थल में डीप बोरिंग	825321	07.07.2023	482741.75	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
163	पिपरवार	सीपी/सीपीपी, बचरा के पास पिपरवार महाविद्यालय के 4 कक्षाओं और बालिका शौचालय का निर्माण और पुराने भवन की मरम्मत	825321	14.12.2023	1959130.29	लागू नहीं	रेखा कुमारी, मुखिया बहेरा पंचायत	ग्राम- कारो, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
164	पिपरवार	होसुर में दीपक मुंडा के घर के पास हैंडपंप की स्थापना	825321	15.03.2024	107168.25	लागू नहीं	संगीता देवी, मुखिया किचटो पंचायत	ग्राम- बन्हे, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
165	पिपरवार	बेंती गांव में पंचायत भवन के पास खेल के मैदान में शौचालय सहित एक कमरे का प्रावधान	825321	23.11.2023	426212.37	लागू नहीं	सरिता देवी, मुखिया बेंती पंचायत	ग्राम- बेंती, पोस्ट- बहेरा, थाना- पिपरवार, टंडवा, चतरा
166	पिपरवार	बुंडू में देवी मंडप के पास डीप बोरिंग	829201	13.04.2023	27771.50	लागू नहीं	तुलसी तुरी, मुखिया बुंडू पंचायत	ग्राम- बुंडू, केरेडारी, हज़ारीबाग़
167	पिपरवार	खपिया गांव में नागेश्वर तुरी घर के पास डीप बोरिंग	829201	31.03.2024	834311.73	लागू नहीं	तुलसी तुरी, मुखिया बुंडू पंचायत	ग्राम- बुंडू, केरेडारी, हज़ारीबाग़
168	राजहरा	बेलवाडीह में गार्डवाल का निर्माण	829202	17.12.2023	320981.74	लागू नहीं	मुखिया, बसिया पंचायत	बसिया, बालूमाथ, पीएस- बालूमाथ, लातेहार- 829202

169	राजहरा	टीटीके ओसीपी के पास स्कूल के लिए बेंच और डेस्क का प्रावधान	829202	25.09.2023	642213.92	लागू नहीं	प्राचार्य, यूएमवी बसिया; प्राचार्य, यूपीएस, बेलवाडीह; प्राचार्य, यूएमवी, पिंडारकोम; प्राचार्य, यूपीएस, सुईयाटोला; प्राचार्य, इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय	बसिया, बालूमाथ, लारतेहार; बेलवाडीह, बैस्या पंचायत, बालूमाथ, लातेहार; पिंडारकोम, बालूमाथ, लातेहार; सुइयाटोला, बालूमाथ, लातेहार; बालूमाथ, लातेहार.
170	राजहरा	टीटीके ओसीपी के निकटवर्ती गांवों में 6 हैंडपंपों की स्थापना	829202	16.04.2024	591480.49	लागू नहीं	मुखिया, बसिया पंचायत	मुखिया, बसिया पंचायत
171	राजहरा	बसिया पंचायत में 2 डीप बोरिंग का निर्माण	829202	16.04.2024	691411.12	लागू नहीं	मुखिया, बसिया पंचायत	बसिया, बालूमाथ, पीएस-बालूमाथ, लातेहार- 829202
172	राजहरा	टीटीके ओसीपी के पास एक सरकारी स्कूल के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण	829202	30.01.2024	1110492.00	लागू नहीं	प्राचार्य, यूपीएस, बेलवाडीह	बेकवाडीह, बालूमाथ, लातेहार
173	राजहरा	राजहरा के कमांड क्षेत्र के आसपास सौर ऊर्जा से 4 गहरे बोरहोल की ड्रिलिंग	829202	06.11.2023	4306060.54	लागू नहीं	मुखिया, बसिया पंचायत	बसिया, बालूमाथ, पीएस-बालूमाथ, लातेहार- 829202
174	राजहरा	व्हील चेयर का प्रावधान (5)	829202	29.03.2024	34750.00	लागू नहीं	मुखिया, बसिया पंचायत	बसिया, बालूमाथ, पीएस-बालूमाथ, लातेहार- 829202
175	राजहरा	डाल्टनगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में टाइल्स की स्थापना	822101	15.01.2024	53926.16	लागू नहीं	डॉ. सत्यजीत गुप्ता, सचिव, रेड क्रॉस पलामू	सदर अस्पताल, मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, पलामू
176	राजहरा	बसिया पंचायत में 14 चापाकल का अधिष्ठापन	829202	08.06.2023	1040702.34	लागू नहीं	मुखिया, बसिया पंचायत	मुखिया, बसिया पंचायत
177	रजरप्पा	01 लैपटॉप, 01 प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ, 01 पोर्टेबल पीए सिस्टम	825101	30.03.2024	86400.00	लागू नहीं	मुस्कुराहटें	एसबीआई के पास, चितरपुर, जिला-रामगढ़, झारखंड-825101
178	रजरप्पा	क्लासरूम कुर्सियां-30, एग्जीक्यूटिव टेबल-01, बॉस कुर्सी-01, विजिटर कुर्सी-01, क्लासरूम टेबल-01, आरओ कम वाटर कूलर-01, एसएस अलमारी-01, प्लास्टिक कुर्सी-30, सीलिंग फैन-10, प्रोजेक्टर-01	829150	20.03.2023	286540.00	लागू नहीं	बहुउद्देशीय कौशल एवं आजीविका केंद्र	सेवई उत्तरी पंचायत, ब्लॉक-चितरपुर, जिला-रामगढ़, झारखंड-829150
179	रजरप्पा	लैपटॉप- संख्या 02	825101	20.03.2024	70658.00	लागू नहीं	माउंट एवरेस्ट लर्निंग फाउंडेशन	साबा मार्केट, गुया तालाब के पास, एनएच 23 मेन रोड रजरप्पा चितरपुर रामगढ़
180	रजरप्पा	बुकशेल्फ़-20 संख्या, टेबल-04 संख्या, कुर्सी-30 संख्या, रिसेप्शन टेबल-01 संख्या, घूमने वाली कुर्सी-01 संख्या, मैगजीन स्टैंड-01, रीडिंग स्टैंड-01, डेस्कटॉप कंप्यूटर-01	829150	20.03.2024	295610.00	लागू नहीं	राज बल्लभ (+2) हाई स्कूल	ग्राम-सांडी, पंचायत-भुचुंगडीह, ब्लॉक-चितरपुर, जिला-रामगढ़, झारखंड-829150
181	रजरप्पा	बैटरी चालित ट्राइसाइकिल-संख्या 04, मोटर चालित व्हील चेयर- संख्या 01	829122	23.12.2023	344910.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, रामगढ़	रामगढ़
182	रजरप्पा	एसएस अलमारी-संख्या 16, नॉन रिवॉल्विंग चेयर-50 संख्या, क्लासरूम टेबल-50 संख्या।	825101	30.03.2024	475050.00	लागू नहीं	उत्क्रमित उच्च विद्यालय बांदा, आरबी उच्च विद्यालय सांडी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय रजरप्पा परियोजना, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुकरीगरहा	जिला-रामगढ़, झारखंड के चितरपुर और गोला ब्लॉक
183	रजरप्पा	मनोरंजक उपकरण- 16 संख्या	829150	25.03.2024	407200.00	लागू नहीं	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर	सेवई दक्षिणी पंचायत, चितरपुर, रामगढ़
184	रजरप्पा	ध्वज मस्तूल-01, योग प्रतिमा-12, ओपन जिम सेट-01, आउटडोर खेल उपकरण-01 सेट, सीसीटीवी कैमरा सेट-01, सजावटी बोलार्ड लाइट- संख्या 10, 1.4 मीटर बोलार्ड लाइट-संख्या 120, 3 मीटर डबल आर्म लाइट -10 संख्या	829122	05.02.2024	13013394.00	लागू नहीं	मॉडल सामुदायिक पार्क	विपक्ष- डीसी कार्यालय, छतरमांडू, रामगढ़, झारखंड

परिशिष्ट– XI

फॉर्म संख्या एओसी- 2

(कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) तथा अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3)की कंडिका (एच) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के साथ उक्त के तृतीय परंतुक में विहित कतिपय निष्पक्ष लेनदेन के लिए प्रकटीकरण प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सभी संबंधित पक्षों के साथ सीसीएल द्वारा किए गए सभी लेनदेन निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए थे।

कोयला ड्रिल मशीन

परिशिष्ट – XII

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की वर्ष 2023-24 के वितीय प्रदर्शन एवं प्रस्थिति पर रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा134(3)(क्यू) के अनुसरण में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाए)

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जे.सी.आर.एल.) नामक संयुक्त उद्यम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार का संयुक्त उद्यम है। इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

प्रवर्तक का नाम	शेयरहोल्डिंग पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500.00 करोड़ है।

जेसीआरएल का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

1. परिचय

झारखंड सेंट्रल रेलवे दिनांक 31.08.2015 को निगमित की गयी। तदनुसार, निम्नलिखित परियोजनाएं जेसीआरएल को सौंपी गईं ।

शिवपुर-कठोटिया नई बड़ी गेज विद्‌तीकृत रेल लाइन परियोजना- 49.085 किमी (1799.64 करोड़ रुपये)।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार पर हस्ताक्षर किया था।रेलवे बोर्ड ने संयुक्त उद्यम जेसीआरएल द्वारा शुरू की जाने वाली शिवपुर-कठौटिया नई लाइन परियोजना के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।कठौतिया (चेनेज 0.00) से शिवपुर (चेनेज 49.085) तक की कुल लंबाई 49.085 किलोमीटर है।रेल मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मंजूरी दी है।रेल मंत्रालय ने 13 जून 2018 को 49.085 किमी की चार्जेबल दूरी पर 60% के बढ़े हुए माइलेज को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है।जेसीआरएल और पू.म. रेलवे के बीच 04-12-2018 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।

भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है तथा चरण-। वानिकी मंजूरी प्राप्त होने तथा एनपीवी, सीए तथा वन्य जीवन योजना डब्ल्यूएमपी राशि जमा करने के उपरांत वन भूमि पर कार्य करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है।गैर मजरूआ/गैर-मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि की 83.45 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर सभी सरकारी और निजी भूमि जेसीआरएल को सौंप दी गई है।चरण-॥वानिकी मंजूरी हेतु आवेदन दिया जा चुका है तथा वर्तमान में यह प्रक्रिया प्रगति पर है।

जेसीआरएल का वित्तीय समापन 05 मई, 2022 को हुआ। कंपनी ने पीएनबी के नेतृत्व में बैंकों के समूह से ₹1259.75 करोड़ का ऋण लिया है तथा मार्च 2024 तक कुल ₹478.38 करोड़ का संवितरण हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹353.26 करोड़ का संवितरण किया गया।

परियोजना पूर्ण होने को है तथा दिनांक 04 जून,2025 तक पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है। 31.03.2024 तक परियोजना की कुल सीडब्ल्यूआईपी ₹787.32 करोड़ है। जीएसटी सहित यह राशि ₹872.94 करोड़ है, जो ₹1799.64 करोड़ की कुल परियोजना लागत का 48.50% है।31.03.2024 तक एस्केलेशन सहित सिविल निर्माण कार्य के अंतर्गत निष्पादित प्रगतिशील कार्य की जीएसटी रहित कुल लागत ₹435.46 करोड़ है।

इस कार्य को 10 पैकेजों के माध्यम से निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। दिनांक 31.03.2024 तक आठ पैकेज प्रदान किए गए हैं और स्थल पर कार्य की प्रगति नीचे दी गई है।

क्र. सं.	पैकेज सं.	पुरस्कृत लागत (करोड़ में)	संशोधित संविदा मूल्य (करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (करोड़ में)	वित्तीय प्रगति (%)
1.	पैकेज-I	109.38	182.77	180.37	98.68
2.	पैकेज -II	114.21	142.56	50.21	43.96
3.	पैकेज -III	110.75	110.75	52.22	47.15
4.	पैकेज -IV	128.64	135.54	54.42	40.15
5.	पैकेज -V	109.24	139.48	91.85	79.80
6.	पैकेज -VI	173.75	183.07	82.87	45.26
7.	पैकेज -VII	24.09	24.09	0.45	1.86
8.	पैकेज -VIIIA	81.32	81.32	4.33	5.32
9.	पैकेज -VIIIB	80.90	80.90	-	-
कुल		**932.28**	**1080.48**	**516.76**	**47.82%**

2. परियोजना का वित्तपोषण:

स्वीकृत डीपीआर के अनुसार, झारखंड कोल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेसीआरएल) की शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत ₹1799.64 करोड़ है। इस परियोजना का प्रस्तावित वित्तपोषण इक्विटी और ऋण के बीच 30:70 के अनुपात से किया जाएगा, जैसा संबंधित मंत्रालयों तथा झारखंड सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन में उल्लेखित है। 70% ऋण के सापेक्ष कुल ऋण राशि ₹1259.75 करोड़ है।

सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 10 के अनुसार, इस परियोजना पर काम तभी शुरू किया जाएगा जब भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय/वन मंजूरी पूरी हो जाए और वित्तीय बंदोबस्त हो जाए। इसके अलावा, यदि किसी खंड के लिए सर्वेक्षण और संरेखण पूरा हो चुका है, तो उस खंड पर काम चरणों में किया जा सकता है।

कंपनी को ₹1259.75 करोड़ के ऋण के लिए वित्तीय बंदोबस्त 05.05.2022 को प्राप्त हुआ था। पहली किस्त ₹125.12 करोड़ 31.03.2023 को प्राप्त हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹353.26 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई, जिससे 31.03.2024 तक कुल ₹478.38 करोड़ का भुगतान हो चुका है।

3. भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

भूमि के प्रकार	मांग (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित/ सुपुर्द (हेक्टेयर)	अधिग्रहण/सुपुर्दगी हेतु शेष (हेक्टेयर)	टिप्पणी
जंगल	368.72	285.27	गैर मजरुआ जंगल -झाड़ भूमि - 83.45 हेक्टेयर	चरण-II वन स्वीकृति हेतु आवेदन दिया जा चुका है तथा यह प्रक्रियाधीन है।
सरकारी/जीएम भूमि	20.34	20.34	0	सभी सरकारी भूमि रेलवे को हस्तांतरित कर दी गईहै।
निजी	151.00	151.00	0	सभी गैर-सरकारी)निजी(भूमि रेलवे को सौंप दी गईहै।
कुल	**540.06**	**443.818**	**83.45**	

वित्तीय विवरण समेकित

4. वित्तीय प्रस्थिति:

क. वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की अधिकृत पूंजी रु 500.0 करोड़थी।

शेयरहोल्डर का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य-₹10 प्रतिशेयर)	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य-₹10प्रतिशेयर)	कुल शेयरों का %
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,46,31,232	64.00	6,46,31,232	64.00
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.	2,62,56,438	26.00	2,62,56,438	26.00
झारखंड सरकार	1,00,98,630	10.00	1,00,98,630	10.00
कुल	**10,09,86,300**	**100.00**	**10,09,86,300**	**100.00**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, झारखंड सरकार ने 27.12.2023 को जेसीआरएल को 5.00 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है।

ख. तुलन-पत्र का सार:

विवरण	31.03.2024 तक (लाख रुपये में)	31.03.2023 तक (लाख रुपये में)
इक्विटी और देनदारियाँ		
इक्विटि		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,098.63	10,098.63
इक्विटी स्वरूप में पूर्ण साधन	43,851.36	43,351.36
अन्य इक्विटी	1,306.47	1,054.74
कंपनी के इक्विटी धारकों पर आरोप्य इक्विटी	55,256.46	54,504.73
गैर-नियंत्रित ब्याज	—	—
कुल इक्विटी	55,256.46	54,504.73
देयताएं		
गैर वर्तमान देनदारियां	—	—
वित्तीय देनदारियों		
(i) उधार	47,838.44	12,512.00
(ii) पट्टा देयताएं	—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	—	—
प्रावधान		
आस्थगित कर देयताएं (निबल)	0.03	0.83
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	—	—
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	47,838.47	12,512.83
वर्तमान देनदारियां		
वित्तीय देयताएं		
(i) उधार	—	2.96
(ii) पट्टा देयताएं	—	—
(iii) व्यापार देयताएं	—	—
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकायाराशि	—	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया	139.69	—
(iv)अन्य वित्तीय देयताएं	20.41	39.05
अन्य वर्तमान देयताएं	67.43	66.70

प्रावधानों	—	—
वर्तमान कर देयताएं (निबल)	—	—
कुल वर्तमान देयताएं	**219.53**	**108.71**
कुल इक्विटि और देयताएं	**1,03,314.46**	**67,126.27**
परिसंपत्ति		
गैर वर्तमान परिसंपत्ति		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10.62	13.02
पूंजीगत कार्य - प्रगति परहै	—	—
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति	—	—
अमूर्त परिसंपत्ति	0.22	0.40
विकासके तहत अमूर्त परिसंपत्ति	78,732.13	42,953.64
वित्तीय परिसंपत्तियां		
(i) निवेश	—	—
(ii) ऋण	—	—
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,836.81	5,400.50
आस्थगित कर आस्तियां (निबल)	—	—
गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निबल)	—	—
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां	2,803.86	2,848.47
कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	87,383.64	51,216.03
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
सूची	—	—
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ		
(i) निवेश	—	—
(ii) व्यापार प्राप्य	—	—
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	7,013.46	12,980.67
(iv) अन्य बैंक बैलेंस	195.00	—
(v) ऋण	—	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	65.32	276.61
(सी) वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ (निबल)	69.82	22.78
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	8,587.22	2630.18
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	**15,930.82**	**15,910.24**
कुल परिसम्पत्तियाँ	**1,03,314.46**	**67,126.27**

वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के अंत तक, पूंजी संरचना इस प्रकार है:

जारी, सदस्यता ली गई और अदा की गई शेयर पूंजी

शेयरहोल्डर	शेयरों की संख्या	दर	राशि ₹ में
सीसीएल	6,46,31,232	रु . 10/- प्रति शेयर	64,63,12,320/-
इरकॉन	2,62,56,438	रु . 10/- प्रति शेयर	26,25,64,380/-
झारखंड सरकार	1,00,98,630	रु . 10/- प्रति शेयर	10,09,86,300/-
कुल प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी			1,00,98,63,000/-

वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के अंत तक, जेसीआरएल ने ₹251.73 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि वित्तीय वर्ष 31.03.2023 के अंत तक ₹540.35 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

परिशिष्ट-XIII

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगवालोकन

इस रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के प्रबंधन के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। इसमें बाह्य परिवेश, कोयला क्षेत्र और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कंपनी के रूप में सीसीएल की भूमिका, साथ ही कंपनी की रणनीति, संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, महत्वपूर्ण विकास, जोखिम, अवसर और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं। इस रिपोर्ट को कंपनी के वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए। कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक अवस्फीति के बावजूद आर्थिक गतिविधियां आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रही। 2022 के मध्य में मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर से नीचे आने के बाद भी, आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखी गई, जिसने वैश्विक मंदी और उच्च मुद्रास्फीति के संयोजन की आशंकाओं को खारिज कर दिया। सरकारी खर्च और घरेलू खपत में अपेक्षा से अधिक वृद्धि सहित, मांग में वृद्धि के कारण रोजगार और आय में लगातार वृद्धि हुई। इसके साथ ही श्रम बल में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आपूर्ति पक्ष में भी विस्तार हुआ। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और कई देशों के केंद्रीय बैंक लचीली मौद्रिक नीति अपना रहे हैं। उच्च सरकारी ऋण को कम करने के लिए सरकारों द्वारा कठोर नीतिगत उपाय जैसे करों में वृद्धि और खर्च में कटौती की जा सकती हैं। इन उपायों के कारण आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।

वैश्विक वृद्धि दर 2023 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, तथा वर्ष 2024 और 2025 में भी इसकी गति समान बनी रहने की संभावना है। 2024 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जनवरी 2024 के विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन से 0.1 प्रतिशत और अक्टूबर 2023 के विश्व आर्थिक परिदृश्य के मुकाबले 0.3 प्रतिशत बढ़ाकर संशोधित किया गया है।ऐतिहासिक मानकों के अनुसार विस्तार की गति धीमी हुई है। अल्पकालिक पार्श्व कारणों में स्थिर-उच्च ऋण लागत तथा राजकोषीय सहायताओं का वापस लिया जाना आदि तथा कोविड-19 महामारी तथा रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण; उत्पादकता में क्षीण वृद्धि; और भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि के दीर्घकालिक प्रभाव शामिल हैं।वर्ष 2023 में वैश्विक मुद्रास्फीति का वार्षिक औसतन 6.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024 में 5.9 प्रतिशत तथा वर्ष 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की संभावना है, साथ ही विकसित देशों की तुलना में उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। अधिक उत्पादकता और ऋण स्थिरता को बनाए रखने तथा उच्च आय वाले देशों के स्तर तक पहुंचने के लिए संतुलित ढंग से संरचनात्मक सुधार करना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और हरित ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऋण संकट के समाधान के लिए, 2023 में हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP28) के सम्मेलन के अनुसार, सभी देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

स्रोत : विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रील 2024, आईएमएफ़

भारतीय अर्थव्यवस्था:

भारत में वर्ष 2024 में 6.8 प्रतिशत तथा 2025 में 6.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग में निरंतर बढ़ोतरी और बढ़ती कामकाजी आबादी के कारण संभव हो रही है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के मध्य, भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक और भू-राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरा वर्ष 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, जब देश ने पहली बार जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में 7.0% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान है। भारत ने वर्ष 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दिया है। वास्तविक सकल मूल्य वर्धित में वित्त वर्ष 2024 में 7.2% की वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में 6.7% थी। वित्त वर्ष 2024 में, जीवीए वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में हुई 9.9% की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2023 में -2.2% की गिरावट के बाद एक बड़ा बदलाव है। इसके अलावा, खनन क्षेत्र में भी वित्त वर्ष 2023 में

1.9% की तुलना में 7.1% की वृद्धि देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के अनुरूप लाने के उद्देश्य से लगातार सख्त मौद्रिक नीति अपनाया हुआ है। आरबीआई के अनुसार, रबी की बुआई में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर लाभप्रदता, तथा सेवाओं के अंतर्निहित लोच वित्त वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। इसने वित्त वर्ष 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.0% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीती अनुमानित 5.5% तथा वित्त वर्ष 2023 में दर्ज 6.7% की तुलना में 4.5% तक कम होने की उम्मीद है। यद्यपि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऋण और प्रौद्योगिकी व्यवधानों से उत्पन्न जोखिमों की पृष्ठभूमि के साथ दृष्टिकोण सकारात्मक है, हालांकि मुद्रास्फीति थोड़ी नीचे है, जो की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य से ऊपर रहती है। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति और वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा भारत के निर्यात और विदेशी निवेश के लिए चुनौती बन रहा है। लगातार व्यापक नीतिगत परिवर्तन और समावेशी विकास पर केंद्रित संरचनात्मक सुधार, खपत में सुधार और नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के तेजी से अपनाने के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक समृद्ध भविष्य का संकेत है। निकट भविष्य/आगामी अवधि में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है।

स्रोत : एनएसओ

क. उद्योग की संरचना एवं विकास

(i) कोयला- ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला देश का प्रमुख देशीय ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। देश की ऊर्जा सुरक्षा और इसकी समृद्धि इस प्रचुर, किफायती और निर्भर ईंधन, कोयले के कुशल और प्रभावी उपयोग से जुड़ी हुई है। कोयले पर हमारी निर्भरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में स्थापित कुल बिजली की क्षमता का लगभग 49.3% अभी भी कोयले पर ही आधारित है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 79% उत्पादन अकेले सीआईएल द्वारा किया जाता है तथा यह अकेले ही अपने 40% योगदान के साथ प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चूंकि, भारत ने आगामी वर्षों में अपनी बिजली के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें कोयले का अवदान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। "भारत में कोयले की मांग: 2030 और उससे आगे" पर ड्राफ्ट नीति आयोग रिपोर्ट (नवंबर'21) के अनुसार, भारत में बिजली उत्पादन में कोयले की मांग यथास्थिति रहेगी एवं निकट भविष्य में भी यह निरंतर बढ़ती रहेगी। प्रतिशत के संदर्भ में, कुल ऊर्जा मिश्रण में हरित नवीकरणीय ऊर्जा शामिल होने के कारण ऊर्जा सम्मिश्रण में कोयले की भागेदारी जो वर्तमान स्थिति में 72% है, घटकर 2030 तक 52%, 2035 तक 43% तथा 2040 तक 34% हो जाने की संभावना है। उपलब्धता की दृष्टि से, कोयला भारत में उपलब्ध सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। दिनांक 01.04.23 तक भारत में कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधन की मात्रा 378.207 बिलियन टन से अधिक हैं। उत्पादन की वर्तमान दर अनुरूप, मांग की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध है।

देश के सभी नागरिकों को स्वच्छ, सस्ती एवं नियमित बिजली उपलब्ध कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में गैर-कोयला स्रोतों, विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोतों का अनुपात बढ़ा है, इसके बावजूद निकट भविष्य में भी कोयला भारत में बिजली उत्पादन का एक प्रमुख ईंधन स्रोत माना जा रहा है। वर्तमान में भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जिसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 997.25 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। भारत के कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने नियंत्रणाधीन सात कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों तथा माइन प्लानिंग तथा कंसल्टेंसी कंपनी की सहायता से कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 773.64 मिलियन टन (यह भारत में उत्पादित कुल कोयले का लगभग 77.53% है) के कुल उत्पादन किया है, जिसके साथ ही सीआईएल विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में स्थापित हुई है।

वित्त वर्ष 2022-23 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं उसकी सहायक कंपनियों का उत्पादन 703.21 मिलियन टन था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10% बढ़कर 773.64 मिलियन टन हो गया।

ii. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड - कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी।

01.04.2023 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सीआईएल ब्लॉकों का भूगर्भीय कोयले का भंडार

(मि. टन में)

	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
कुल कोयला भंडार	18.99	4.78	0.38	24.15

दिनांक 01.04.2023 तक भारत में अनुमानित 378.20 बि.टन भूगर्भीय कोयले के भंडार में से, सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सीआईएल ब्लॉकों में 24.15 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जो भारत के कुल भंडार का 6.38% है।

iii. कोयले की मांग:

वर्ष 2024-25 में कोयले की मांग की जांकररी निम्न सारणी में दर्शाई गयी है। प्रक्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन)

प्रक्षेत्र	2024-25
स्टील (कोकिंग)	समझौते के अनुसार
विद्युत (यु)	98.03
विद्युत (स्वपयोगी)	3.26
उर्वरक	0.21
सीमेंट	0.10
स्टील सीपीपी तथा सीपीएसयू Steel CPP & CPSUs	1.43
अन्य	3.93
कुल	**106.96**

iv. कोयला प्रेषण

(आंकड़े मिलियन टन)

प्रक्षेत्र	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक
विद्युत	49.589	52.378	53.134	52.896	59.17	64.56	69.62
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	2.027	1.600	1.961	1.236	1.477	1.76	1.74
उर्वरक	0.148	0.087	0.143	0.13	0.115	0.11	0.12
अन्य*	17.080	14.611	12.883	11.006	11.28	9.06	12.02
कुल	**68.844**	**68.677**	**68.121**	**65.268**	**72.04**	**75.49**	**83.52**

* अन्य के अंतर्गत ई- नीलामी, पूर्व गैर- उपभोगता, स्पंज आयरन तथा राज्य एजेंसियां शामिल है।

v. कोयले की उपलब्धता

वर्ष 2023-24 में सीसीएल दवास्तविक कोयला उत्पादन, ड्राफ्ट वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुरूप विद्यमान खदानों, पूर्ण परियोजनाएं, चालू परियोजनाओं एवं भावी परियोजनाओं से वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

समूह	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 (एएपी)
विद्यमान खदानें	0.367	0.4789	0.18	0.146	0.13	0.137	0.12
पूर्ण परियोजनाएं	42.107	36.0946	31.89	11.269	13.42	15.036	20.13
चालू परियोजनाएं	26.247	30.315	30.52	57.436	62.54	70.881	79.75
भावी परियोजनाएं	-	-	-	-	0		
कुल	**68.72**	**66.889**	**62.59**	**68.850**	**76.09**	**86.054**	**100.0**

* **नोट:** यदि कोई चालू परियोजना पूर्ण परियोजना में तथा भावी परियोजना चालू परियोजना में परिणत हो जाती है तो समूहवार उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो सकता है।

vi. उत्पादकता:

सीसीएल की प्रति मैनशिफ्ट उत्पादकता (ओएमएस) की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक
भूमिगत	0.194	0.214	0.54	0.44	1.17	2.13	2.03
खुली खदान	9.372	9.740	10.06	9.57	10.16	10.68	12.62
समग्र	7.195	8.093	8.49	8.39	9.37	10.22	8.98

vii. ताकत एवं कमजोरियां, अवसर एवं खतरे (SWOT ANALYSIS)

ताकत	कमजोरी
➢ अकूत कोयला भंडार तथा वृहत उत्पादन की संभावना। कोयला भंडार में गैर-कोकिंग कोल (बिजली संयंत्रों में प्रयुक्त) के साथ-साथ कोकिंग कोल (इस्पात संयंत्रों में प्रयुक्त) भी शामिल है। ➢ लगभग सभी कोल ब्लॉकों में बुनियादी संरचनाओं की उपलब्धता: सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में व्यवस्थित रेल व सड़क नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है। अतः लोगों एवं मशीनरी के सुगम आवागमन सहित परियोजनाओं की योजना का निर्माण तथा कार्यान्वयन सुगम हो जाता है। इन रेल और सड़कों के नेटवर्क द्वारा कोयले की ढुलाई उपभोक्ताओं तक तीव्र गति से की जा रही है। ➢ अनुभवी कुशल श्रमशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता: सीसीएल 45 वर्षों से अधिक समय से कोयला खनन के व्यवसाय में है। दिनांक 31.03.2023 तक श्रमशक्ति की कुल संख्या 33,990 है। यहाँ कुशल एचईएमएम ऑपरेटर के साथ-साथ विभिन्न ट्रेडों में निपुण कार्यबल उपलब्ध है। ➢ सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग: खनन क्षेत्रों की सुदूर अवस्थिति व व्यवस्थित बुनियादी नेटवर्क की कमी के कारण प्रारंभिक दिनों में आईटी का कार्यान्वयन व परिचालन एक गंभीर चुनौती थी। हालाँकि, गत 10 वर्षों के दौरान, अनान्य महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं तथा दिनांक 31.03.2023 तक समस्त क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी तथा केंद्रीकृत इंटरनेट लीज्ड लाइन की सेवाएँ उपलब्ध करायी गईं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी में दो प्रमुख प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) अधिष्ठापित किया गया है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त ईआरपी और ई-ऑफिस में काम करने के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को स्ट्रक्चर्ड लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) की सुविधा प्रदान की गयी, जिससे सूचना के आदान-प्रदान के साथ डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में तेजी आई है। ➢ न्यून कर्मचारी क्षरण दर: सीसीएल में कार्मिकों का वेतन तथा मजदूरी कोयला खनन उद्योग में सर्वोत्तम हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्मिकों का न्यून क्षरण हुआ है। अधिकारियों के लिए वित्त वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ प्रदर्शन आधारित वेतन और कर्मचारियों के वेतन संशोधन से कार्मिकों मनोबल बढ़ा है। ➢ विकास और वित्तीय प्रदर्शन का मजबूत और निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड।	➢ अधिकांश नए कोल ब्लॉक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए वन मंजूरी, एफआरए तथा वाइल्ड लाइफ आदि जैसी वैधानिक मंजूरी की आवश्यकताएं होती हैं। यह मंजूरी जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं साथ ही इनमें काफी समय भी लगता है। ➢ सीसीएल के कमान क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण परियोजनाओं के प्रारंभ में विलंब होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में बेहतर पुनर्वास गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ➢ गैर-मजरुआ, जंगल-झाड भूमि, फॉर्म-एच, सीएस/आरएस, संदिग्ध स्वामित्व, ओवरलैपिंग आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण सीसीएल में भूमि–अर्जन का कार्य कठिन है। इन सभी मुद्दों के कारण परियोजनाओं के प्रारंभ होने में विलंब होता है। ➢ कठिन भू-खनन परिस्थितियां यथा पुराने खनन क्षेत्र, आग तथा अवस्खलन, उच्च डिप स्थित भंडार, विविध सीमों आदि। ➢ महाद्वीपीय अपवाह से निर्माण के कारण भारत भारतीय कोयले की गुणवत्ता अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्नतर है। ➢ कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की लगातार बढ़ती मांग से लागत घटकों पर अधिक बोझ है, जिसके कारण लाभप्रदता कम हो सकती है।

viii. ताकत एवं कमजोरियां, अवसर एवं खतरे (SWOT ANALYSIS)

अवसर	खतरे
➢ भारत में तीव्र आर्थिक विकास के कारण कोयले की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा अनुमानित है कि भविष्य में कोयले की मांग-आपूर्ति का अंतर और बढ़ेगा, जिस कारण भविष्य में बाजार का विस्तारीकरण होगा और नई अवसरों का सृजन होगा। ➢ उत्पादन प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग : सीसीएल ओबीआर हटाने और कोयला उत्पादन के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा ले सकता है, जहां विभागीय क्षमता का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है या विभागीय उपकरणों का उपयोग आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। मार्जिनल डिपोसिट्स और थिन सीम ऑपरशन को भी आउटसोर्सिंग के जरिए किया जा सकता है, जो विभागीय संसाधनों की तुलना में किफायती होगा। ➢ कोयला उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए कोयला उद्योग में विभिन्न अवसर : कोयले को विभिन्न आकारों में विभाजित करना, साफ कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाना और तरल ईंधन या गैस में बदलकर ऊर्जा के नए स्रोतों का निर्माण शामिल है। धुले कोकिंग कोयले की कीमत कच्चे कोकिंग कोयले की तुलना में 3-4 गुना अधिक होती है। कंपनी की विभिन्न वाशरीज़ इस मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता का अधिक दोहन करती है। ➢ कोयले के वैकल्पिक उपयोग जैसे कोयले से तरल, कोयले से गैस प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कम कार्बन उत्सर्जन किया जा सकता है एंव इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ हैं। ➢ चूंकि तेजी से विकसित हो रही नवीकरणीय ऊर्जा को कोयला क्षेत्र के लिए खतरा माना जा रहा है, इसलिए इसे (सौर विविधीकरण) को एक अवसर के रूप में उल्लेख करना उचित नहीं होगा। अतः इस वाक्य को पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है - 'सीसीएल के पास पुनरुद्धार भूमि का एक विशाल क्षेत्र उपलब्ध है जिनका उपयोग इको-पार्क, पर्यटन, औद्योगिक/व्यावसायिक केंद्र, पंप हाइड्रो, सौर- ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक कार्यों (निबल की शून्य लक्ष्य प्राप्ति) हेतु किया जा सकता है।	➢ जलवायु परिवर्तन के विषय पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को नियंत्रण लाने के लिए पेरिस समझौते और ग्लासगो में आयोजित COP26 का अनुपालन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का दबाव है, जिनका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को वर्ष 2070 तक शून्य करना है। ➢ ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से हो रहे वैश्विक शोध से हाइड्रोजन ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूजन, भू-तापीय ऊर्जा जैसी तकनीकों का तीव्र विकास हो रहा है। ये तकनीकें सस्ती और पर्यावरण अनुकूल है, जिससे कोयले की मांग में भविष्य में तेजी से गिरावट आ सकती है। ➢ अक्षय ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा ससाधनों (सौर, हाइडल विंड आदि) का तेजी से विस्तार खनन उद्योग के लिए एक खतरा है। ➢ भारत में कोयले में कैप्टिव खनन की अनुमति अब प्राप्त हो चुकी है, साथ ही कई निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवटिंत किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में मांग कम हो सकती है। ➢ आगामी निजी कंपनियां बेहतर वेतन, भत्तों व अन्य सुविधाओ के माध्यम से कंपनी के अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं।

ख. कार्य निष्पादन:

वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकडे की तुलना मे वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां है:

विवरण	2023-24		2022-23	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (मि.ट.)	83.250	85.273	75.225	13.358
भूमिगत खदान से (मि.ट.)	0.750	0.781	0.863	-9.511
कुल (मि.ट.)	84.000	86.054	76.087	13.099
ओबीआर (क्यू.मी.)	127.000	121.334	106.581	13.842
धुली कोयला (कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन(मि.ट.)	0.965	0.796	0.722	10.320
प्रेषण (मि.ट.)	0.965	0.747	0.709	5.295
धुली कोयला (गैर-कोकिंग)				
उत्पादन(मि.ट.)	5.700	3.748	3.665	2.278
प्रेषण (मि.ट.)	5.700	3.754	3.691	1.727
परिष्कृत कोयला पॉवर (कोकिंग)				
उत्पादन(मि.ट.)	1.377	1.166	0.732	59.307
प्रेषण (मि.ट.)	1.377	1.164	0.798	45.902
उत्पादकता (ओएमएस- टीई)				
खुली खदान	12.67	12.62	10.68	
भूमिगत खदान	1.74	2.03	2.13	
समग्र	8.83	8.98	10.22	

वर्ष 2023-24 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 82.91 मि. टन है। विगत वर्ष की तुलना में खंडवार कोयले का उठाव इस प्रकार है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

साधन	2023-24	2022-23	विगत वर्ष पर वृद्धि
रेल	48.38	43.92	10.16%
रोड	28.48	25.75	10.60%
वाशरी फीड	6.05	5.36	12.84%
कुल निकासी	**82.91**	**75.03**	**10.50%**

सीसीएल की विभिन्न वाशरियों का विस्तृत विवरण (कोकिंग+ नॉन कोकिंग)

सभी आंकड़े लाख टन में

वाशरी	2022-23		2023-24		कारण
कोकिंग	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	
कथारा (3.0 मि. टन/ वर्ष)	4.58	2.91	5.17	5.21	वाशरी 1969 में स्थापित की गई थी और यह 55 साल पुरानी है। वाशरी में विभिन्न परिचालन समस्याओं के बावजूद भी कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। कच्चे कोयले की आपूर्ति में 79% की वृद्धि हुई है।
स्वांग, (0.75 मि.टन/वर्ष)	2.12	2.01	2.59	2.68	वाशरी 1970 में स्थापित की गई थी और यह 54 साल पुरानी है। कच्चे कोयले की आपूर्ति में 33% की वृद्धि हुई है। कथारा ओसीपी से कोयला आपूर्ति आरंभ होने के बाद उत्पादक% में वृद्धि संभावित है।
रजरप्पा, (3.0 मि. टन/ वर्ष)	4.62	2.33	4.62	4.54	वाशरी 1987 में चालू की गई और यह वाशरी 37 वर्ष पुरानी है। नवीकरण कार्य के बाद कच्चे कोयले की आपूर्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 95% की वृद्धि हुई है।
केदला (2.6 मि. टन/ वर्ष)	9.36	9.32	10.26	10.21	वाशरी 1997 में स्थापित की गई थी और यह 27 साल पुरानी है। केदला वाशरी ने पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे कोयले की आपूर्ति में 9% वृद्धि हासिल की है।
कुल	**20.71**	**16.584**	**22.64**	**22.64**	सभी वाशरीज़ में कच्चे कोयले की आपूर्ति में 36% की वृद्धि हुई है। सभी वाशरीज़ अपनी तकनीकी आयु (यानी 18 वर्ष) से अधिक हो चुकी हैं। सीसीएल की वाशरीज़ की औसत आयु लगभग 46 वर्ष है।

गैर- कोकिंग	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	
पिपरवार (6.5 मि. टन/वर्ष)	36.18	37.01	37.85	37.85	वाशरी को 1997 में चालू किया गया था। यह 27 साल पुरानी है। वाशरी फीड में 2% की वृद्धि हुई है।
कुल	**36.18**	**37.01**	**37.85**	**37.85**	

ग. दृष्टिकोण

वर्ष 2024-25 में कोल इंडिया 838 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का योगदान 100 मिलियन टन का होगा। आपकी कंपनी की प्रमुख परियोजनाएं - मगध ईपीआर ओसीपी (51 मि.ट/वर्ष), आम्रपाली ईपीआर ओसीपी (25 मि.ट./वर्ष), अशोक इपीआर ओसीपी (20 मि.ट/वर्ष), संघमित्रा ओसीपी (20 मि.ट/ वर्ष), चन्द्रगप्त ओसीपी (15 मि.ट/वर्ष), कारो ईपीआर ओसीपी (11 मि.ट/वर्ष), रोहिणी करकट्टा ओसीपी (10 मि.ट/वर्ष), कोनार ईपीआर ओसीपी (8 मि.ट/वर्ष), उत्तरी उरीमारी ओसीपी (7.5 मि.ट/वर्ष), पुंडी आरओ ओसीपी (5 मि.ट/वर्ष) एवं कोटरे बसंतपुर पचमो ओसीपी (5 मि.ट./वर्ष) से महत्वपूर्ण योगदान की प्रत्याशा है।

घ. जोखिम और चिंताएँ:

- वानिकी एवं पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विलंब।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- भूमि विस्थापितों द्वारा निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग के परिणामस्वरूप अक्सर कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तथा खनन और कोयला परिवहन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।
- एचईएमएम और अन्य ईएंडएम वस्तुओं की खरीद में लंबा समय लगता है।

ङ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

कंपनी द्वारा आकार व व्यवसाय प्रकृति अनरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। सांविधिक सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाह्य चार्टर्ड/लागत लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा "लेन-देन लेखा परीक्षा" की प्रणाली पूरे वर्ष चल रही है। आंतरिक लेखा परीक्षण कार्यों के लिए संगठन परिचालन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, सीआईएल निर्मित व विनियमित सुपरिभाषित प्रणाली उपलब्ध है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और सांविधिक प्रावधान को पूरा करने के लिए, बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा वार्षिक आधार पर स्टोर/ पुर्जों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

सीएजी की निरीक्षण रिपोर्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के हमारे उपायों का हिस्सा है। सीएजी की टिप्पणियों का नियमित आधार पर जवाब दिया जाता है। यथाआवश्यक, उपचारात्मक उपायों के लिए टिप्पणियों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

च. संचालन कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

छ. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास, जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ज. पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरण उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनियम संरक्षण

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

झ. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

ञ गोइग कंसर्न

वित्तीय वक्तव्यों की निर्माण में गोइग कंसर्न का पूर्वानमान बुनियादी सिद्धांत है। गोइंग कंसर्न पूर्वानमान के अतंर्गत, एक निकाय को समान्यतः प्रत्याशित भविष्य मे व्यवसाय में बने रहने की क्षमता के रूप में देखा जाता है, जिसमे न तो तरलीकरण की इच्छा या आवश्यकता, व्यापार बंद करना या विधि या परिनियमों के अनुसार लेनदारों से सुरक्षा की मांग करना है।

जब एक निकाय की परिचालन लाभप्रदता तथा प्रचुर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होती है, तब बगैर किसी विस्तृत विश्लेषण के एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि गोइंग कंसर्न के आधार पर लेखाकरण की उपयुक्त मानी जा सकती है।

प्रबंधन ने भविष्य में प्रदर्शन पर संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों का मूल्यांकन किया है। एक सतत संचालन इकाई (गोइंग कंसर्न) के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करते हुए, प्रबंधन ने वर्तमान घटनाओं और परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और उन महत्वपूर्ण मान्यताओं पर विशेष ध्यान दिया है जो बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं या ऐतिहासिक रुझानों से भिन्न हैं। यह निर्णय उचित मान्यताओं और आंतरिक तथा बाहरी परिवर्तनों के आर्थिक प्रभाव पर प्रबंधन की समझ पर आधारित है।

ऐतिहासिक वित्तीय परिणामों और वर्तमान आर्थिक और बाजार की परिस्थितियों और संकेतकों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि सीसीएल का परिचालन भविष्य में लाभदायक बना रहेगा तथा संगठन के गोइग कंसर्न पर कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है।

ट. सचेतक विवरण

प्रबधन परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदशकीय प्रतिवेदन में नियत कंपनी का उद्देश्य, प्रक्षेपण एवं प्राक्कलन, प्रत्याशा और भविष्यकथन आदि विवरण "लागू नियमों और विनियमों के अनसार अग्रिम एवं प्रगतिशील विवरणी हैं। यहा प्रदत्त अग्रिम विवरणी जोखिम और अनिश्चितता के अध्याधीन है जिसके कारण वास्तविक भौतिक परिणाम अग्रिम विवरणी में प्रदत्त विवरण से भिन्न हो सकते है। यहा व्यक्त या निहित परिणाम आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर करते हैं तथा वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सीसीएल परियोजनाओं का उद्घाटन

रांची एयरपोर्ट पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण

राजभाषा पखवाड़ा में पुरस्कारों का वितरण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान नुक्कड़ नाटक

कौशल विकास प्रशिक्षण की झलकियाँ

सीसीएल की लाल और लाली क्लास

कोल इंडिया मैराथन

वित्तीय विवरण

₹ 23,341.82 करोड़
कुल बिक्री

₹ 15,291.52 करोड़
शुद्ध बिक्री

₹ 13585.15 करोड़
कुल संपत्ति

₹ 4726.42 करोड़
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)

₹ 3658.52 करोड़
कर पश्चात लाभ (पीएटी)

86.054 मिलियन टन
कोयला उत्पादन

121.334 मिलियन घन.मी.
ओवरबर्डन निष्कासन

82.91 मिलियन टन
उठाव

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
एकल लेखा मानक वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

राय

हमने **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** ("कंपनी") एवं एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), विवेच्य वर्ष के अंत तक नगदी-प्रवाह विवरणी और इक्विटी परिवर्तन विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक के एकल विवरणी पर नोट सम्मिलित है (आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)। इस वित्तीय विवरण में उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक रिटर्न भी शामिल है, जिसका लेखा परीक्षण कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, मगध एवं संघमित्रा, आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त, रजहरा, चरही क्षेत्रों के लिए कंपनी के शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है तथा शेष पांच (5) क्षेत्रों के लिए हमारे द्वारा किया गया है।

हमारी राय में, तथा हमारे द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, एवं अन्य लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विचार करने के उपरांत, उपरोक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, समेकित लाभ/हानि सहित अन्य व्यापक आय, समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, जिसमें भारतीय लेखा मानक भी शामिल हैं, के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमारी जिम्मेदारियां हमारे प्रतिवेदन के 'एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके नियमों के अंतर्गत एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामलों पर बल :

1. नोट 6.2.5 द्रष्टव्य: अन्य चालू संपत्तियों के तहत 1575.57 करोड़ रुपये की संचित जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उल्टे शुल्क संरचना के एक मामले से संबंधित है। 13 सितंबर, 2021 को उल्टे शुल्क संरचना के तहत रिफंड के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस राशि की वसूली या समायोजन अनिश्चित है।
2. क. नोट 3.1 और नोट 16(7) द्रष्टव्य: कंपनी की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(ICAI) के लेखा मानक बोर्ड (ASB) की राय के आधार पर, कंपनी ने इंड एएस 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट-ख (खुली खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत) के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति लागू की है। 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को नोट 3.1 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत 1 अप्रैल, 2022 से स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियों के रूप में माना गया है, जैसा कि पुनर्स्थापित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 1 अप्रैल, 2022 को अपनी बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर आय के समाधान को पूर्वव्यापी रूप से पुनर्स्थापित किया है।

ख. आय पर करों के कारण कटौती की स्वीकार्यता अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकों में वर्ष के लिए वास्तविक प्रभार से जुड़ी होनी चाहिए। हालांकि, प्राप्त विशेषज्ञ की राय के अनुसार, सीसीएल ने वित्त वर्ष 24-23 के दौरान स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट (एसएए) के तहत पूंजीकृत राशि के पूर्ण मूल्य यानी 558.15 करोड़ रुपये की कटौती की है, जबकि कर योग्य आय की गणना और वित्त वर्ष 24-23 के लिए कर व्यय का प्रावधान किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मुख्य लेखा परीक्षण मामले

हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले मुख्य लेखा परीक्षण मामले हैं। इन मामलों पर समग्र रूप से हमारे लेखा परीक्षण के संदर्भ में विचार किया गया है, और इस आधार पर हमने अपना राय तैयार किया है। हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए मुख्य लेखा परीक्षण मामले के रूप में निर्धारित किया है:

मुख्य लेखा परीक्षण मामले	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
भारतीय लेखा मानक 115: ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व एकल भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में, राजस्व की मान्यता की सटीकता और कोयले की गुणवत्ता में अंतर के कारण होने वाले समायोजन महत्वपूर्ण अनुमानों पर निर्भर करते हैं। कंपनी द्वारा किसी विशेष अनुबंध में मान्यता दिया गया राजस्व संबंधित ग्राहक के लिए ई-नीलामी में विक्रय समझौते/आवंटन पर निर्भर करता है। हस्तांतरित कोयले की ग्रेड में असमानता/कमी के कारण लेनदेन मूल्य में बाद में समायोजन किए जाते हैं। यदि अनुबंध के पक्षकारों के बीच अनुबंध मूल्य में अंतर को आपसी रूप से निपटाया नहीं जाता है, तो इसे तीसरे पक्ष के	**मुख्य लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं:** हमने कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान करने और इस प्रक्रिया में किए गए अनुमानित समायोजनों की उचितता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया है। हमने लेनदेन का चयन यादृच्छिक आधार पर किया और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड में असमानता या कमी से संबंधित विवादों वाले अनुबंधों की पहचान की।

मुख्य लेखा परीक्षण मामले	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के निपटान के लंबित रहते हुए राजस्व मान्यता के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में ऐसे समायोजन ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 12.1 देखें।	इसके अलावा, हमने प्रदर्शन दायित्व की पूर्ति का मूल्यांकन किया और लेनदेन मूल्य में परिवर्तन के कारण राजस्व में किए गए समायोजनों की जाँच की। हमने यह भी जांचा कि कंपनी द्वारा किए गए अनुमानों का आधार क्या है और क्या ये अनुमान कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। **लेखा परीक्षण का निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद नहीं पाया गया।

अन्य सूचनाएँ जो एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के दायरे में नहीं आती हैं

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इन अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (परिशिष्ट सहित), व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक सूचना शामिल हैं। हालांकि, इनमें एकल भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है।

एकल भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करता है और हम इन पर कोई और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और यह जांचना है कि क्या ये सूचनाएं समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती हैं।

एकल भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में दी गयी आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ये विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, समग्र आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा सिद्धांतों और धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) तथा संबंधित नियमों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, समुपयुक्त लेखा नीतियों का चयन, कार्यान्वयन और रखरखाव, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है। ये नियंत्रण लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हैं। इसका उद्देश्य एकल भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जो एक सत्य व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण गलती से रहित हों।

एकल भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन यह आकलन करने के लिए उत्तरदायी होता है कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न के रूप में आगे बढ़ सकती है अथवा नहीं और यदि कंपनी के पास लेखाकरण के आधार पर गोइंग कंसर्न के समापन या परिचालन बंद करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तो प्रबंधन को इस से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, प्रकट करना चाहिए। साथ ही, निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किए गए संपूर्ण वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी महत्वपूर्ण गलती से रहित हों तथा इसके लिए एक लेखा परीक्षण रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा राय भी शामिल होता है। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं होगी कि लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण से हमेशा मटेरियल गलतियों का पता चलेगा, यदि हो तो। वित्तीय विवरणों में गलतियाँ धोखाधड़ी या मानवीय त्रुटि के कारण हो सकती हैं तथा ये गलतियाँ तब महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जब वे उन लोगों के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं जो इन वित्तीय विवरणों पर निर्भर करते हैं।

लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किए जाने वाले लेखा परीक्षण में, हम अपनी पेशेवर समझ का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा और संदेहपूर्णता के साथ कार्य करते हैं। हम : ......

– एकल भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जोखिमों की पहचान व आकलन, उन जोखिमों की प्रतिक्रिया में लेखा प्रक्रियाओं की योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करते हैं तथा वैसे लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और सही हो। धोखाधड़ी के कारण हुई मटेरियल गलतियों होने का जोखिम त्रुटिजनित उत्पन्न अशुद्धियों से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गयी गलती, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।

- लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखाकरण के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना राय व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या यह प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

- प्रयोग में लायी गई लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा परीक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।

- प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था धारणा के आधार पर किए गए लेखा परीक्षण की उचितता का मूल्यांकन करते हैं। साथ ही, प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसी कोई घटना या परिस्थिति है जिससे कंपनी के भविष्य के अस्तित्व पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो। यदि ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में संबंधित जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा। यदि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो हमें अपनी राय में बदलाव करना होगा।

- हमारा निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है।

एकल भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना है, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है। साथ ही, यह भी जांचना है कि क्या उक्त वित्तीय विवरण कंपनी के लेन-देन और घटनाओं को उचित रूप से दर्शा रहे हैं। महत्वपूर्णता (मटेरियलिटी) का अर्थ है वित्तीय विवरणों में ऐसी त्रुटियां जो व्यक्तिगत रूप से या सम्मिलित रूप से वित्तीय विवरणों का उपयोग करने वाले किसी जानकार व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। (i) हम अपने लेखा परीक्षण की सीमा की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; (ii) एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में चिन्हित अशुद्धियों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी के प्रशासन-प्रभारी व्यक्तियों के साथ लेखा परीक्षण की योजना, समय सीमा, महत्वपूर्ण निष्कर्षों और आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन-प्रभारी व्यक्तियों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक सभी नैतिक मानकों का पालन

किया है। इसमें उन सभी संबंधों और स्थितियों को शामिल किया जाता है जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं। हमने इन सभी मामलों के बारे में प्रशासन-प्रभारी व्यक्तियों को सूचित किया है और जहां आवश्यक हो, हमने इन संभावित प्रभावों को कम करने के लिए उपाय किए हैं

प्रशासन-प्रभारी के साथ हुए संवाद के आधार पर, हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करते हैं और इसलिए वह मुख्य लेखा परीक्षण मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां विधि अथवा विनियम इसके सार्वजनिक प्रकटन पर निषेध करता हो अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के सार्वजनिक संसूचन का नुकसान जनहित से अधिक होगा।

अन्य मामले :

1. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मगध एवं संघमित्रा क्षेत्र की रेलवे साइडिंग के पूंजीकृत मूल्य के एक भाग की वापसी के कारण रु. 220.61 करोड़ मूल्यह्रास की राशि पर लगने वाले कर का निर्धारण शेष है।
2. कंपनी में सभी व्यावसायिक लेन-देनों को रिकॉर्ड करने के लिए कोल नेट से सैप-ईआरपी प्रणाली में अंतरण किया जा रहा है। इस बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से एक लेखाकरण के माध्यम से जांचा जाना चाहिए। इस लेखाकरण में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नई प्रणाली में सभी डेटा सही तरीके से स्थानांतरित हो गया है।

उपरोक्त "अन्य मामलों" के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश अनुसार लेखा परीक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं एकल की लेखा एवं वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हमनें "परिशिष्ट-क" में दिया गया है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) के अनुच्छेद 3 और 4 में बताए गए सभी विषयों पर हमारा बयान परिशिष्ट-ख में दिया गया है।
3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि:

क. हमने सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, एकल वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त "मामलों की प्रमुखता" के साथ पढ़ा जाए।

ख. हमारी राय में, एकल भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही-खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही-खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।

ग. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नियंत्रक कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर, जो अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा/क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों या अनुषंगी कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किए गए थे, प्राप्त प्रतिवेदन हमारे पास भेजे गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इन प्रतिवेदनों का उचित रूप से अध्ययन किया है।

घ. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण सहित शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखाकरण की गई शाखाओं/क्षेत्रों के विवरण लेखा पुस्तको के अनुरूप हैं।

ङ. हमारी राय में, हमारे पास ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

च. हमारी राय में, एकल वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों एवं साथ जारी प्रासंगिक नियमों का अनुपालन करते हैं।

छ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

ज. हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के संदर्भ में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

झ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "परिशिष्ट-ग" में हमारे अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अशोधित राय व्यक्त करती है।

ञ. कंपनी (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर:

i. कंपनी ने अपने एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट 16.1(a) में लंबित मुकदमों के बारे में जानकारी दी है। इन मुकदमों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो इनके अंतिम निर्णय के बाद ही वित्तीय विवरणों में समाहित किया जाएगा।

ii. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी संभावित पूर्वभासी भौतिक नुकसान के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए हैं तथा कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं थे।

iii. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्था "मध्यस्थ" शामिल है) को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की है, चाहे वह ऋण प्राप्त धनराशि से हो, शेयर प्रीमियम से हो या किसी अन्य स्रोत से। यह समझ के साथ किया गया हो या नहीं कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह का कोई अन्य लाभ प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति, निकाय अथवा विदेशी निकाय ("फंडिंग पार्टियां"), से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या नहीं, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी ।

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(ग) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में वर्णित है, में कोई भौतिक गलत बयान है।

v. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई है।

vi. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान में दिए गए अपवाद के अनुसार, लेखाकरण ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा वाले एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बही रखने का नियम 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू हुआ है। कंपनी अपने लेखा कार्य सैप (SAP) सॉफ्टवेयर पर करती है। सैप के लेखा मॉड्यूल में लेखाकरण ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा है जिसे पूरे साल सैप में दर्ज सभी लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेखाकरण ट्रेल को किसी भी तरह से बदला नहीं गया है और कंपनी ने इसे कानून के अनुसार सुरक्षित रखा है।

कृते **एसपीएएन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 302192E

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

सीए के. चक्रवर्ती
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर: 015363
यू डी आई एन: 24015363BKFJNB3683

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित परिशिष्ट 'क' के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि;

मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों पर वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट

भाग–I

क्र.	निर्देश	उत्तर
i.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें।	सैप प्रणाली के माध्यम से लेखा संबंधी समस्त लेनदेन को संसाधित करने हेतु प्रणाली स्थापित है। प्रदर्शन इन्सेंटिव, अंतिम स्टॉक मूल्यांकन तथा ओबीआर का लेखांकन दूसरे आईटी प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा अंतिम परिणाम को मुख्य लेखांकन प्रणाली में डाला जाता है।
ii.	क्या कंपनी की ऋण अदायगी में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ब्याज/या अन्य देनदारियों पर छूट दी गई है? यदि हां, तो इसका वित्तीय प्रभाव क्या रहा है? क्या ऐसे मामलों का लेखाकरण सही ढंग से किया गया है? (विशेषकर यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लेनदेनों का लेखाकरण नियमों के अनुसार किया गया है।	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई भी मामला नहीं है।
iii.	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं ? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें।	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विचलन सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला नहीं है।

वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट।

भाग-II

क्र.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया गया था? क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया जाता है। भौतिक स्टॉक का मापन सीआईएल की वार्षिक कोयला स्टॉक मापन के दिशानिर्देशानुसार, माप रिपोर्ट के साथ संलग्न समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी नए हीप के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।
2.	क्या कम्पनी ने किसी भी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनः संरचना के समय परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था? यदि ऐसा है तो, क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई भी मामला नहीं है।
3.	यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख-रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 67 खदानों का एस्क्रो खाता बनाया गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खदान बंद करने की गतिविधियों के लिए कोई राशि (विगत वर्ष- 5.50 करोड़ रुपये) प्राप्त नहीं हुई है। पिंडरा खुली खान तथा दक्षिणी तापिन खुली खदान के संबंध में, स्वीकृत पीआर एंड एमसीपी के अभाव में एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है।

क्र.	निर्देश	उत्तर
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार तथा लेखांकित किया गया है?	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखण्ड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 13568.50 करोड़ की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के खिलाफ, सीसीएल ने माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मांग के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के मांग नोटिस में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अपने दिनांक 21/12/2021 के आदेश के तहत, उक्त मांग को न तो ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और न ही इसे एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। नोट 16 के तहत उक्त मामले का प्रकट किया गया है।
5.	क्या कोलनेट पोर्टल से सैप में डाटा अंतरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कोल नेट पोर्टल से सैप में डाटा अंतरण की प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन अभी किया जाना शेष है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित परिशिष्ट 'ख' के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि;

(i) (क) अ. हमारे लेखाकरण के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ब. क्षेत्रों ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखा है।

(ख) हमें प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने सर्वेयेड ऑफ परिसम्पत्तियों के अलावे अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है जिनका मूल्य 1.00 लाख रूपये एवं अधिक है, और विगत तीन वर्षों के दौरान किये गए परिवर्धन के मामले में मूल्य के बावजूद प्रत्येक परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल पर किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई है।

(ग) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में कोयला खदानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत पूर्ववर्ती कोयला कंपनियों से हस्तांतरित भूमि को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड में सांविधिक आदेश संख्या जीएसआर/345 ई, दिनांक 9 जुलाई, 1973, नई दिल्ली द्वारा निहित की गई थी। इन भूमियों के संबंधित दस्तावेज़ भूमि एवं राजस्व विभाग में सुरक्षित रखे गए हैं और सीसीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत अधिग्रहित भूमियों के संबंध में सांविधिक आदेश सहित सभी दस्तावेज़ सीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। भूमि के विस्थापित व्यक्तियों को अंतिम मुआवज़ा भुगतान किए जाने के बाद, मूल भूमि दस्तावेज़ सीसीएल के भूमि एवं राजस्व विभाग में सुरक्षित रखे जाते हैं। शेष सभी मामलों में, भूमि के स्वामित्व विलेख सीसीएल के संबंधित विभागों में सुरक्षित रखे जाते हैं।

पिपरवार, आम्रपाली चंद्रगुप्त, कुजू, मगध-संघमित्रा, रजहरा, उत्तरी कर्णपुरा, बरका सयाल और बरकाकाना सीआरएस की क्षेत्रों के शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया कि आगे के सत्यापन के लिए उन्हें भूमि के स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या दोनों की अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 के 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा या लंबित है।

(ii) (क) कंपनी की नीतियों के अनुसार, अंतर-क्षेत्र माप दल द्वारा प्रत्येक खदानों में विभिन्न स्थानों के समोच्च मानचित्र के संदर्भ में वॉल्यूमेट्रिक माप के माध्यम से कोयला, कोक आदि का भौतिक सत्यापन किया गया है। अंतर-क्षेत्र माप दल ने उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। कंपनी इस संबंध में लेखा परीक्षण नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है यदि बुक स्टॉक और मापा स्टॉक के बीच +/- 5% तक भिन्नता है, तो बुक स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन के लिए माना जाता है, यदि कोई निर्धारित सीमा के भीतर विचलन,

यदि कोई हो, तो उसे नजरअंदाज किया जाता है।

भंडार एवं पुर्जों के भौतिक सत्यापन के संबंध में, हमें यह सूचित किया गया है कि लेखाकरण प्रक्रियाधीन है।

(ख) वर्ष के दौरान, किसी भी समय, किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थानों से कंपनी को कोई नई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, निम्नलिखित के अलावा प्रदान नहीं किया है :

(क) होल्डिंग कंपनी के साथ एक चालू खाता ।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त ऋण/अग्रिम आदि कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने द्वारा प्रदान किए गए ऋण और निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का विचार है कि व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त राशि जैसे बकाया राशि, जमा राशि, सुरक्षा जमा और ग्राहकों / अन्य से अग्रिम जमा के रूप में, ये जमा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के दायरे में नहीं आते हैं ।

(vi) हमने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते एवं रिकॉर्ड बनाए एवं रखे गए हैं। हालांकि, हमने सटीकता या पूर्णता निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है।

जैसा कि हमें सूचित किया गया है, हमारे लेखाकरण की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखाकरण प्रक्रियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख के हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष निर्विवाद वैधानिक देयताएं सहित बही खाते में वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं से सम्बद्ध देयताएँ कंपनी द्वारा नियमित रूप से जमा की गई है।

हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया राशि 31 मार्च 2024 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) उप-खंड (क) में संदर्भित वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इसमें शामिल राशि और जिस फोरम में यह विवाद लंबित है, उसका उल्लेख "अनुबंध-1" है।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण के तहत कर अधिकारियों द्वारा किसी भी लेन-देन की पहचान या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में जमा या प्रकट करने की आवश्यकता है।

(ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त किया गया था, उसके लिए सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया गया था।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं जुटाया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक आधार में किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनी में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बही-खातों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अगला सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3 (x) अनुछेद (ए) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बहि एवं अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (x) पैरा (बी) लागू नहीं होता है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) व्हिसल ब्लोअर नीति (18.10.2019 को आयोजित अपने 478वें बोर्ड में सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) के अनुसार, सीसीएल के पास व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को उचित और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एक प्रणाली है, हालांकि, हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जहां लागू है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन के विवरण का प्रकट लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है;

(ख) हाँ, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया था;

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद

लेनदेन में नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-Iए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(घ) कंपनी एक बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है और न ही इसमें एक से अधिक सीआईसी हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में, तथा वित्तीय अनुपात के आधार पर,वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान,वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है;

(xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे नियम के साथ; में निर्दिष्ट निधि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अनुपालन में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक अव्ययित राशि का कोई शेष नहीं था।

(ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में अव्ययित सीएसआर राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है।वित्त वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने अतिरिक्त सीएसआर व्यय किया है और इसे 8.95 करोड़ रुपये के लिए सीएसआर अतिरिक्त व्यय के तहत एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(xxi) हम एकल वित्तीय विवरणों के तहत रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

कृते **एसपीएएन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: **302192E**
सीए के. चक्रवर्ती
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर : **015363**
यू डी आई एन: 24015363BKFJNB3683

स्थान : रांची
दिनांक : 25th अप्रैल, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 3(g) में उल्लिखित परिशिष्ट 'ग' के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि;

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च,2024 तक 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड' ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण के साथ उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदेय है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक, इन जिम्मेदारियों के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा चिन्हित करने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के ससमय निर्माण सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनानी और निष्पादित करनी होती है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हुए हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, भौतिक कमजोरियों के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। हमने जो प्रक्रियाएं चुनी हैं, वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें एकल वित्तीय विवरणों में भौतिक गलतियों के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षण साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो

(1) अभिलेख के रख-रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप

में, कंपनी की परिसम्पत्तियों के सटीक एवं उचित लेन-देन और निपटान को दर्शाते है,

(2 उचित आश्वासन देते है कि लेन-देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप एकल वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और

(3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं के कारण, मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का उल्लंघन होने की संभावना रहती है। इससे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वित्तीय विवरणों में गंभीर गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता भी नहीं चल पाता है। इसके अलावा, भविष्य में आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में कोई भी अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण ये नियंत्रण कमजोर हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और 31 मार्च, 2024 को यह प्रणाली सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी। यह राय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों पर आधारित है।

कृते **एसपीएएन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: **302192E**

स्थान : रांची
दिनांक : 25th अप्रैल, 2024

सीए के. चक्रवर्ती
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर: **015363**
यू डी आई एन: 24015363BKFJNB3683

अनुबंध – "1" 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के “अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” पैराग्राफ 2 के उल्लिखित परिशिष्ट 'ख' के अनुच्छेद (vii) के संदर्भ में

31.03.2024 तक विवादित वैधानिक देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ रुपए में)

कर का प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान
रॉयल्टी मामले	60	प्रमाणपत्र कार्यालय - धनबाद, रांची, बोकारो, हज़ारीबाग़/ डीएमओ / डीडी (एम)	84-85, 86-87, 90-91 से 95-96, 98-99 से 20-21	936.55	17.47
रॉयल्टी मामले	3	उप. आयुक्त-हजारीबाग, रामगढ़	96-97, 08-09 एवं 14-15	1.92	0.91
रॉयल्टी मामले	4	आयुक्त-हजारीबाग	05-06, 08-09	4.72	1.26
रॉयल्टी मामले	32	उच्च न्यायालय, झारखंड	87-88,90-91 से 96-97, 98-99, 02-03, 04-05, 05-06 से 20-21	1,103.14	18.73
रॉयल्टी मामले	4	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	91-92, 99-00 और 08-09	47.40	14.12
	103			**2,093.73**	**52.49**
बिक्री कर मामले	0	वाणिज्य कर अधिकारी - रांची, रामगढ़, हाज, तेनुघाट		-	-
बिक्री कर मामले	13	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	15-16 से 17-18	161.15	1.23
बिक्री कर मामले	2	जेसीसीटी (ए), रांची	15-16, 16-17	0.29	1.52
बिक्री कर मामले	1	सीसीटी/डीसीसीटी, रांची	14-15	-	0.92
बिक्री कर मामले	16	सीसीटी/डीसीसीटी- हजारीबाग, रामगढ़, तेनुघाट (फुसरो)	06-07, 13-14 से 17-18	11.15	8.37
बिक्री कर मामले	0	न्यायाधिकरण, रांची		-	-
बिक्री कर मामले	0	उच्च न्यायालय, झारखंड		-	-
माडा	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	05-06 से 22-23	364.53	0.01
	33			**537.12**	**12.05**
बिजली शुल्क मामले	0	डीसीसीटी		-	-
बिजली शुल्क मामले	8	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	13-14 से 17-18	1.73	0.20
बिजली शुल्क मामले	0	सीसीटी, रांची		-	-
बिजली शुल्क मामले	1	न्यायाधिकरण, रांची	14-15	0.34	-
बिजली शुल्क मामले	0	उच्च न्यायालय, झारखंड		-	-
	9			**2.07**	**0.20**
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	7	आयुक्त, रांची	14-15 से 17-18	18.89	0.68
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	26	सीईएसटीएटी, कोलकाता	10-11 से 17-18	156.47	3.33
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	0	उच्च न्यायालय, झारखंड		-	-
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	0	अन्य		-	-
	33			**175.36**	**4.01**
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	17-18	470.83	-
	1			**470.83**	**-**
वस्तु एवं सेवा कर	1	अपीलीय प्राधिकरण	17-18 से 19-20	49.35	4.49
	1			**49.35**	**4.49**
आयकर मामले	1	डीसीआईटी, रांची	04-05	1.94	1.94
आयकर मामले	1	सीआईटी (ए), रांची	22-23	104.13	189.01
आयकर मामले	12	आईटीएटी	06-07 से 16-17 और 20-21	507.27	463.65
आयकर मामले	0	अन्य		-	-
	14			**613.34**	**654.60**
			कुल	**3,941.80**	**727.84**

वित्तीय विवरण एकल

दिनांक 31.03.2024 को परिसंपत्तियों तथा देयताओं का एकल विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2024 को (लेखा परीक्षित)	31.03.2023 को (लेखा परीक्षित एवं पुनर्लिखित)
	इक्विटी एवं देयताएं		
1	शेयरधारक निधि		
	क. इक्विटी शेयर पूंजी	1,880.00	940.00
	ख. अन्य इक्विटी	11,705.15	10,019.13
	ग. शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	-	-
	उप - कुल - शेयरधारक का निधि	**13,585.15**	**10,959.13**
2	**शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन**	-	-
3	**गैर-नियंत्रण ब्याज**	-	-
4	**अन्य चालू देयताएं**		
	क) वित्तीय देयताएं	148.02	232.21
	ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-
	ग) अन्य अन्य चालू देयता	372.82	412.85
	घ) प्रावधान	5,335.39	4,851.61
	उप - कुल - अन्य चालू देयताएं	**5,856.23**	**5,496.67**
5	**चालू देयताएं**		
	क) वित्तीय देयताएं	2,898.17	2,971.19
	ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-
	ग) अन्य चालू देयताएं	2,965.78	4,065.67
	घ) प्रावधान	790.95	2,174.46
	उप - कुल - चालू देयताएं	**6,654.90**	**9,211.32**
	कुल-इक्विटी एवं देयताएं	**26,096.28**	**25,667.12**
ख.	**परिसंपत्तियां**		
1	**अन्य चालू परिसंपतियां**		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	9,556.14	8,444.13
	(ख) विलय पर सद्भावना	-	-
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	235.32	289.16
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	2,193.01	1,993.62
	(ङ.) अन्य अन्य चालू परिसंपत्तियां	4,719.23	3,056.25

क्र.	विवरण	31.03.2024 को (लेखा परीक्षित)	31.03.2023 को (लेखा परीक्षित एवं पुनर्लिखित)
	उप-कुल- अन्य चालू परिसंपतियां	**16,703.70**	**13,783.16**
2	**चालू परिसंपत्ति**		
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	4,597.01	7,263.85
	(ख) इंवेंटरी	1,316.97	1,144.30
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,951.73	3,408.40
	(घ) चालू कर परिसंपतियां (निवल)	526.87	67.41
	उप - कुल- चालू परिसंपति	**9,392.58**	**11,883.96**
	कुल – परिसंपत्ति	**26,096.28**	**25,667.12**

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एसपीएएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या **302192E)**

बोर्ड की ओर से

ह./–
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08679590

ह./–
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./–
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं..-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

दिनांक 31.03.2024 को परिसंपत्तियों तथा देयताओं का एकल विवरण

(₹ करोड़ में, शेयर और ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.		विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
			31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्लिखित)	31.12.2023 (पुनर्लिखित)	31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्लिखित)
			लेखा परीक्षित		अन लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	
1	**संचालन से आय**						
		सकल विक्रय	6,168.81	6,401.67	5,482.77	23,341.82	22,720.19
		कमी: अन्य लेवी	2,213.20	2,136.06	1,891.51	8,050.30	7,493.98
	(क)	निवल विक्रय /संचालन से आय (लेवी का निवल)	3,955.61	4,265.61	3,591.26	15,291.52	15,226.21
	(ख)	अन्य संचालित आय	348.94	316.77	297.31	1,274.20	1,152.99
	संचालन से कुल आय (निवल) (क+ख)		**4,304.55**	**4,582.38**	**3,888.57**	**16,565.72**	**16,379.20**
2	**व्यय**						
	(क)	उपभोग किए गए सामान का लागत	269.39	335.78	230.99	971.85	1,170.83
	(ख)	तैयार वस्तुओं की इंवेंटरी में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(555.36)	(470.53)	(105.73)	(181.50)	(81.81)
	(ग)	कर्मचारी लाभ व्यय	1,862.38	2,557.75	1,673.40	6,862.80	7,222.70
	(घ)	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	244.44	219.66	178.91	763.42	705.65
	(ई)	ठेका व्यय	644.85	477.64	503.73	2,159.50	1,944.87
	(च)	अन्य व्यय	1,065.62	801.83	391.41	2,191.00	1,886.65
	(छ)	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	154.89	20.38	35.62	87.93	-227.94
	कुल व्यय (क से छ तक)		**3,686.21**	**3,942.51**	**2,908.33**	**12,855.00**	**12,620.95**
3	**अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ /हानि (1-2)**		**618.34**	**639.87**	**980.24**	**3,710.72**	**3,758.25**
4	अन्य आय		265.93	356.09	294.63	1,092.03	918.23
5	**वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ / (हानि) (3+4)**		**884.27**	**995.96**	**1,274.87**	**4,802.75**	**4,676.48**
6	वित्तीय व्यय		18.60	16.09	19.27	76.33	75.44
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ /हानि (5-6)**		**865.67**	**979.87**	**1,255.60**	**4,726.42**	**4,601.04**
8	असाधारण मद		-	-	-	-	-
9	**कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ / (हानि) (7-8)**		**865.67**	**979.87**	**1,255.60**	**4,726.42**	**4,601.04**

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्लिखित)	31.12.2023 (पुनर्लिखित)	31.03.2024	31.03.2023 (पुनर्लिखित)
		लेखा परीक्षित		अन लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	
10	**कर व्यय**	**61.46**	**281.41**	**380.36**	**1,067.89**	**1,207.74**
11	**वर्ष में निवल लाभ / (हानि) (9-10) [अ]**	**804.21**	**698.46**	**875.24**	**3,658.53**	**3,393.30**
12	असाधारण मद (कर व्यय का निवल)	-	-	-	-	-
13	**सहयोगियों एवं अल्प हितों का निवल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परंतु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11 + 12)**	**804.21**	**698.46**	**875.24**	**3,658.53**	**3,393.30**
14	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-	-	-	-
15	अल्प हित	-	-	-	-	-
16	**वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (13 + 14 + 15)**	**804.21**	**698.46**	**875.24**	**3,658.53**	**3,393.30**
17	**अन्य विस्तृत आय/(हानि)(निवल कर) [ब]**	**(55.14)**	**84.08**	**43.42**	**(8.85)**	**177.59**
18	**कुल विस्तृत आय/(हानि) [अ+ब]**	**749.07**	**782.54**	**918.66**	**3,649.68**	**3,570.89**
19	**प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति)**	**1,880.00**	**940.00**	**940.00**	**1,880.00**	**940.00**
20	**प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येकशेयर का फेस वैल्यू ₹ 1000 /-प्रत्येक) (वार्षिक नहीं किया गया)**					
	(क) बेसिक (₹)	**427.77**	**371.52**	**465.55**	**1,946.03**	**1,804.95**
	(ख) डायलुटेड (₹)	**427.77**	**371.52**	**465.55**	**1,946.03**	**1,804.95**

कंपनी ने वर्ष के दौरान मार्च 2024 में 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं।

पिछले वर्ष के बकाया शेयरों की संख्या को ईपीएस (प्रति शेयर आय) की गणना के लिए भारतीय लेखा मानक 33 की अनुच्छेद 28 की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया गया है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या **302192E)**

ह./–
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08679590

ह./–
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./–
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं..-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को एकल तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	नोट नं.	के रूप में 31.03.2024	के रूप में 31.03.2023 (पुनर्लिखित)	के रूप में 01.04.2022 (पुनर्लिखित)
परिसंपत्तियां				
अन्य चालू परिसंपत्तियां				
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3.1	7,056.86	6,419.87	5,866.12
कार्यशील पूंजी	3.2	1,845.55	1,313.51	900.83
गन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	3.3	629.23	683.95	573.69
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	3.4	24.50	26.80	8.66
विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	3.5	-	-	11.27
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	4.1	345.53	345.53	345.53
(ii) ऋण	4.2	8.69	5.10	2.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	1,838.79	1,642.99	1,371.51
आस्थगित कर संपति (निवल)	11.2	235.32	289.16	679.47
अन्य चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	11.1	-	-	
अन्य अन्य चालू परिसंपत्तियां	6.1	4,719.23	3,056.25	2,287.17
कुल अन्य चालू परिसंपत्ति		**16,703.70**	**13,783.16**	**12,046.31**
चालू परिसंपत्ति				
इंवेंटरी	5.1	1,316.97	1,144.30	1,031.34
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	4.1	308.72	718.59	64.72
(ii) व्यापार प्राप्य	4.3	1,716.73	3,001.17	2,149.65
(iii) नकद और नकदी समकक्ष	4.4	405.15	850.64	664.91
(iv) अन्य बैंक शेष	4.5	2,038.48	2,533.87	1,413.04
(v) ऋण	4.2	1.01	0.71	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.6	126.92	158.87	97.84
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11.1	526.87	67.41	154.36
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6.2	2,951.73	3,408.40	3,217.69
कुल चालू परिसंपत्तियां		**9,392.58**	**11,883.96**	**8,793.55**
कुल परिसंपत्तियां		**26,096.28**	**25,667.12**	**20,839.86**

31 मार्च 2024 को एकल तुलन-पत्र (जारी....)

(₹ करोड़ में)

			31.03.2024 को	31.03.2023 को (पुनर्लिखित)	01.04.2022 को (पुनर्लिखित)
	इक्विटी एवं देयताएं				
	इक्विटी				
	इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	1,880.00	940.00	940.00
	अन्य इक्विटी	7.2	11,705.15	10,019.13	7,471.98
	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी		13,585.15	10,959.13	8,411.98
	गैर-अनियंत्रित ब्याज	7.3	-	-	-
	कुल इक्विटी		13,585.15	10,959.13	8,411.98
	देयताएं				
	अन्य चालू देयताएं				
	वित्तीय देयताएं				
	(i) ऋण	8.1	-	-	-
	(ii) पट्टे की देयताएं	8.2	-	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	148.02	232.21	124.13
	प्रावधान	9.1	5,335.39	4,851.61	5,247.16
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11.2	-	-	-
	अन्य अन्य चालू देयताएं	10.1	372.82	412.85	497.13
	कुल अन्य चालू देयताएं		5,856.23	5,496.67	5,868.42
	चालू देयताएं				
(क)	वित्तीय देयताएं				
	(i) ऋण	8.1	-	-	-
	(ii) पट्टे की देयताएं	8.2	-	-	-
	(iii) व्यापार देयताएं	8.3	-	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		11.78	9.88	6.98
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		1,023.63	1,305.23	1,554.27
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	1,862.76	1,656.08	1,048.32

		31.03.2024 को		31.03.2023 को (पुनर्लिखित)	01.04.2022 को (पुनर्लिखित)
(ख)	अन्य अन्य चालू देयताएं	10.2	2,965.78	4,065.67	3,116.14
(ग)	प्रावधान	9.1	790.95	2,174.46	833.75
(घ)	चालू कर देयताएं (निवल)	11.1	-	-	-
	कुल चालू देयताएँ		6,654.90	9,211.32	6,559.46
	कुल इक्विटी और देयताएँ		26,096.28	25,667.12	20,839.86

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या **302192E)**

ह./–
(डॉ. ब. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08679590

ह./–
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./–
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं..-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का एकल विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणियां	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
	संचालन से राजस्व	12.1		
अ.	विक्रय (लेवियों का निवल)		15,291.52	15,226.21
ब.	अन्य संचालन से राजस्व (लेवियों का निवल)		1,274.20	1,152.99
(I)	**संचालन से राजस्व [अ+ब]**		**16,565.72**	**16,379.20**
(II)	अन्य आय	12.2	1,092.03	918.23
(III)	कुल आय (I+II)		**17,657.75**	**17,297.43**
(IV)	व्यय			
	उपभोगित सामग्री लागत	13.1	971.85	1,170.83
	तैयार उत्पाद की इनवेंटरी/प्रगतिधीन कार्य तथा स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	13.2	(181.50)	(81.81)
	कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	6,862.80	7,222.70
	वित्तीय लागतें	13.4	76.33	75.44
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	13.5	763.42	705.65
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	87.93	(227.94)
	संवेदकीय व्यय	13.7	2,159.50	1,944.87
	अन्य व्यय	13.8	2,191.00	1,886.65
	कुल व्यय (IV)		**12,931.33**	**12,696.39**
(V)	**असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**4,726.42**	**4,601.04**
(VI)	संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) भाग		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**4,726.42**	**4,601.04**
(VIII)	कर व्यय	14.1		
	चालू कर		1,014.05	817.43
	आस्थगित कर		53.84	390.31
(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**		**3,658.53**	**3,393.30**
	अन्य व्यापक आय	15.1		
	मदें जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		(11.82)	237.32
	घटाएँ : मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		(2.97)	59.73
	मदें जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएंगी		-	-
	घटाएँ : मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएंगी		-	-

		टिप्पणियां	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(8.85)**	**177.59**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)**		**3,649.68**	**3,570.89**
	आरोपित लाभ :			
	कंपनी के मालिक को		3,658.53	3,393.30
	गैर-नियंत्रित ब्याज को		-	-
			3,658.53	**3,393.30**
	अन्य आरोपित व्यापक आय :			
	कंपनी के मालिक को		(8.85)	177.59
	गैर-नियंत्रित ब्याज को		-	-
			(8.85)	**177.59**
	कुल आरोपित व्यापक आय :			
	कंपनी के मालिक को		3,649.68	3,570.89
	गैर-नियंत्रित ब्याज को		-	-
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक):**			
	(1) बेसिक (₹)		1,946.03	1,804.95
	(2) डाइल्यूटेड (₹)		1,946.03	1,804.95

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या **302192E)**

ह./–
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08679590

ह./–
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./–
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं..-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

			31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
	संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
	कर पूर्व लाभ		4,726.42	4,601.04
	समायोजन :			
	संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		763.42	705.65
	ब्याज और लाभांश आय		(354.55)	(254.90)
	वित्तीय लागत		76.33	75.44
	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण की विक्रय पर (लाभ)/हानि		4.13	0.02
	भत्ते और प्रावधान		52.43	92.13
	बट्टा		(168.17)	-
	प्रावधान वापसी		0.81	2.07
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		87.93	(227.94)
	विदेशी विनिमय दर भिन्नता		-	-
	संचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह (चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले)		**5,188.75**	**4,993.51**
	व्यापार प्राप्य		1,403.03	(943.65)
	इंवेंटरी		(344.47)	(115.72)
	ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		40.24	(174.50)
	अन्य चालू/अन्य चालू परिसंपत्ति		263.80	(428.78)
	व्यापार देय		(279.70)	(246.14)
	अन्य वित्तीय देयतायें		181.31	696.51
	अन्य चालू एवं अन्य चालू देयतायें		(1,139.92)	865.25
	प्रावधानों		(1,076.62)	1,332.91
	संचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी		**4,236.42**	**5,979.39**
	आयकर भुगतान/वापसी		(1,470.54)	(790.21)
	संचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(अ)**	**2,765.88**	**5,189.18**
	निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह			
	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(3,194.22)	(2,177.58)
	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरणों की विक्रय से आय		13.65	2.62
	गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(58.94)	(123.19)
	बैंक जमा की प्राप्ति/बैंक जमा		300.69	(1,282.66)
	म्यूचुअल फंड, शेयर्स आदि से प्राप्ति		450.01	(625.56)
	सहायक कंपनी में निवेश		-	-
	निवेश से ब्याज		301.10	226.58
	ब्याज एवं लाभांश आय		-	-
	निवेश गतिविधियों से प्राप्त निवल राशि	**(ब)**	**(2,187.71)**	**(3,979.79)**
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
	अन्य चालू ऋणों से प्राप्तियां/(वापस)		-	-
	चालू ऋण से प्राप्तियां /(वापस)		-	-

			31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
	लीज देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		-	-
	ब्याज भुगतान		-	-
	इक्विटी शेयरों पर दिया गया लाभांश		(1,023.66)	(1,023.66)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर		-	-
	इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
	इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी	**(स)**	**(1,023.66)**	**(1,023.66)**
	नकदी एवं बैंक बैलेंस में कुल वृद्धि / (कमी) (अ+ब+स)		**(445.49)**	**185.73**
	अवधि के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष		**850.64**	**664.91**
	अवधि के अंत में नकद और नकदी समकक्ष		**405.15**	**850.64**
	नकद और नकद समकक्षों के घटक			
	बैंकों के साथ शेष			
	जमा खातों में		15.25	12.31
	चालू खातों में		389.76	738.15
	भारत के बाहर बैंक में जमा		-	-
	प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी		-	100.00
	चेक, ड्राफ्ट और टिकट		-	0.01
	नकद		-	-
	भारत के बाहर नकद		-	-
	अन्य		0.14	0.17
	कुल (नकद एवं नकद इक्विटि के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें।		405.15	850.64

2 नकदी प्रवाह के उपरोक्त बयान के रूप में भा.ले.मा. 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है - 'नकदी प्रवाह का विवरण।

3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर पैसे का बहिर्गमन ₹ 47.18 करोड़ (गत वर्ष ₹ 27.86 करोड़) है।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एसपीएएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या **302192E)**

ह./–
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08679590

ह./–
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं..-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 को पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 को शेष
₹1000/- प्रत्येक के 18800000 इक्विटी शेयर	940.00	-	940.00	940.00	1,880.00

31.03.2023 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2022 को पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को शेष
9400000 प्रत्येक ₹1000/- के इक्विटी शेयर	940.00	-	940.00	-	940.00

ब. अन्य इक्विटी

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि की लंबित आवंटन	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2023 को शेष	-	2,529.58	6,895.79	(47.88)	9,377.49
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	857.43	-	857.43
01.04.2023 को पुनर्लिखित शेष	-	2,529.58	7,537.43	(47.88)	10,019.13
कुल व्यापक लाभ	-	-	3,658.53	(8.85)	3,649.68
अंतरिम लाभांश	-	-	(600.66)	-	(600.66)
अंतिम लाभांश	-	-	(423.00)	-	(423.00)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-	-
वापसी पर टैक्स	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	(940.00)	-	-	(940.00)
31.03.2024 तक शेष	**-**	**1,589.58**	**10,172.30**	**(56.73)**	**11,705.15**

31.03.2023 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन लंबित पैसा आवंटन	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2022 को शेष	**-**	**2,392.00**	**5,305.45**	**(225.47)**	**7,471.98**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-
01.04.2022 को पुनः उल्लिखित शेष	-	2,392.00	5,305.45	(225.47)	7,471.98
वर्ष के लिए लाभ (पुनर्स्थापित)	**-**	**-**	**3,393.30**	**177.59**	**3,570.89**
अंतरिम लाभांश	-	-	(600.66)	-	(600.66)
अंतिम लाभांश	-	-	(423.00)	-	(423.00)
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.08)	-	(0.08)
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	137.58	(137.58)	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-	-
वापसी पर टैक्स	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-
31-03-2023 तक शेष (पुनर्लिखित)	**-**	**2,529.58**	**7,537.43**	**(47.88)**	**10,019.13**

लाभांश तथा आरक्षित निधि और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एसपीएएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या **302192E)**

ह./–
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08679590

ह./–
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं..-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

वित्तीय विवरण के लिए नोट्स (एकल)

नोट 1 (क): कारपोरेट जानकारी

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), एक मिनीरत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड - 834029 में स्थित है।

कंपनी मुख्यतः कोयले का खनन और उत्पादन करती है, साथ ही कोयला वाशरी का भी परिचालन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे आदि शामिल हैं।

सीसीएल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार भी शामिल हैं। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण माने गए रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। इसका उपयोग माल ढुलाई और यात्री सेवाओं दोनों के लिए किया जाएगा, और इसमें रेलवे लाइनों के निर्माण सहित सभी आवश्यक रेल बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है।

नोट 1 (ख): अनुपालन का विवरण

इन एकल वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (जिसे आगे "इंड एएस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किया गया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, उन इंड एएस पर विचार किया गया है जो निर्गत, अधिसूचित और वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक प्रभावी हैं।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां किसी नए लेखांकन मानक को आरंभिक रूप से अंगीकार किया गया हो अथवा किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के कारण अब तक अपनाई जा रहीं लेखांकन नीति में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

नोट 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

एकल वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में मापा जाता है।

मूल लागत आधार आम तौर पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया गया है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 सहायक कंपनियां

i. सहायक कंपनियां वह निकाय हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है और नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह को निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न प्राप्त होता है या उसके पास अधिकार होते हैं और उसके पास निम्नलिखित के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है:

   क. निवेशिती पर अधिकार;

   ख. निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का जोखिम या अधिकार;

   ग. निवेशक पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता।

सहायक कंपनियों का समेकन उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि को उन पर नियंत्रण प्राप्त होता है, और यह समेकन उस तिथि को समाप्त होता है जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है।

ii. समूह, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-बाय-लाइन समेकन के आधार पर जोड़ता है, जिसमें संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार

परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की समान मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़ा जाता है। समूह के भीतर के आंतरिक बैलेंस, लेनदेन, और आंतरिक लेनदेन से उत्पन्न स्टॉक पर अवास्तविक लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान भौतिक लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा कहीं और निर्दिष्ट न हो।

iv. सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण के समय उनकी शुद्ध परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में, मामले के अनुसार, सद्भावना (गुडविल) या पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। इस सद्भावना का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इसका ह्रास (इम्पेयरमेंट) परीक्षण किया जाता है, और यदि कोई हानि होती है, तो उसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

v. सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रक हित का हिस्सा वर्ष के लिए पहचाना जाता है और समूह के राजस्व से समायोजित किया जाता है ताकि होल्डिंग कंपनी के मालिकों को देय शुद्ध राजस्व प्राप्त हो सके। वर्ष के दौरान गैर-नियंत्रक हित पर हानि की अधिकता को मालिकों के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रक हित का हिस्सा पहचाना जाता है और इसे समेकित बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

vii. यदि किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन होता है और इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है, तो इसे इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।

viii. यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो वह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रक हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अनुवाद अंतर को मान्यता नहीं देता है। पूर्व सहायक कंपनी में बनाए गए किसी भी हित को नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

व्यापार संयोजन और सद्भावना

समूह, सामान्य नियंत्रण वाली समूह इकाइयों के संयोजन को छोड़कर, व्यवसाय संयोजनों के लिए अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा दिया गया प्रतिफल, हस्तांतरित परिसंपत्तियों, वहन की गई देनदारियों और समूह द्वारा जारी किए गए स्वामित्व हिस्सों के अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों के योग के बराबर होता है। इसमें आकस्मिक भुगतान व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य भी शामिल होता है। अधिग्रहण लागतों को व्यय के रूप में दिखाया जाता है। अधिग्रहित परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को आम तौर पर उनके अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रण वाली इकाइयों के संयोजन में, व्यवसाय संयोजन को ब्याज पूलिंग पद्धति के तहत लेखाकृत किया जाता है। इस पद्धति में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके कैरीइंग वैल्यू पर संयोजित किया जाता है और उनके उचित मूल्यों को दर्शाने या किसी नई परिसंपत्ति या देयता को मान्यता देने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, अधिग्रहण मूल्य अधिकता को लागत में से किसी भी संचित हानि को घटाकर मापा जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित अधिग्रहण मूल्य अधिकता को संयोजन तिथि से, समूह की प्रत्येक नकद प्रवाह उत्पन्न करने वाली इकाई को आवंटित किया जाता है, जिसके संयोजन से लाभ मिलने की उम्मीद है, भले ही अधिग्रहण की अन्य परिसंपत्तियाँ या देयताएँ उन इकाइयों को सौंपी गई हों या नहीं।

2.2.2 सहयोगी

सहयोगी/संबद्ध कंपनियां वे सभी तत्व हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उसका कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। आमतौर पर, कंपनी के पास संबद्ध कंपनियों में 20% से 50% तक मतदान अधिकार होते हैं।
संबद्ध कंपनियों में निवेश को, प्रारंभ में लागत पर मान्यता दिए जाने के बाद, इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखाकृत किया जाता है। हालाँकि, यदि निवेश या उसका कोई भाग बिक्री के लिए रखा गया है, तो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार उसका लेखांकन किया जाता है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संबद्ध कंपनियों में अपने निवेश में परिवर्तन करता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएं वे व्यवस्थाएं हैं जहां समूह का एक या एक से अधिक अन्य पक्षों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत बंटवारा है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त अभियान

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों पर अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है ।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या व्यय की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय में अपने हिस्से को मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर या अन्यथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके उनका लेखा-जोखा किया जाता है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेशों को, प्रारम्भ में लागत पर मान्यता दिए जाने के पश्चात, इक्विटी लेखांकन पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखांकित किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, ऐसी स्थिति में उसका लेखांकण भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

iii) समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को कम कर देता है, जब संयुक्त उद्यम में समूह की हानि का हिस्सा इकाई में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल हैं, तो समूह तब तक और अधिक हानि को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन न किया हो या भुगतान न किया हो।

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक नुकसान भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि लेन-देन में हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का सबूत न हो। जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह की नीतियों से भिन्न हैं, वहां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी कम होने, किन्तु संयुक्त नियंत्रण अभी भी बरकरार रहने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति बन जाता है, तो समूह प्रतिधारित हित को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य प्रतिधारित हित को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक वहन राशि बन

जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी राशि लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के परिवर्तनों के लिए समायोजित किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के मुनाफे में समूह का हिस्सा निवेशिती के लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय को समूह के लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय विवरण में शामिल किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की अग्रणीत राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब इक्विटी-लेखा निवेश में समूह का घाटा हिस्सा इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हैं, तो समूह तब तक आगे घाटे को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से दायित्व नहीं लिया हो या भुगतान नहीं किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रक हितों के साथ लेनदेन को समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में मानता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है। स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाने के लिए नियंत्रण और गैर-नियंत्रक हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रक हितों के लिए समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त किए गए प्रतिफल के किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर इक्विटी के भीतर मान्यता प्राप्त है।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या इक्विटी खाता बंद कर देता है, तो इकाई में किसी भी बरकरार हित को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में बरकरार हित के लिए बाद में लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का लेखा इस तरह किया जाता है मानो समूह ने संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किया हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हित कम हो जाता है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों का केवल आनुपातिक हिस्सा, जहां उपयुक्त हो, लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन –पत्र में वर्तमान /गैर-वर्तमान वर्गीकरण केआधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है । कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब -

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बचेने या इनका उपयोग करने की इक्षा रखती हो,

(ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रुप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने केअंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेाक्षा रखती हो, अथवा

(घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला- बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर- वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो

(ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

(ग) निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना; अथवा

(घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती है, इक्विटी लिखित जारी कर के इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समूह द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समूह ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने परिचालन चक्र को बारह महीने का निर्धारित किया है।

2.4 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसका समूह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करता है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं।

समूह के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई लंबी अवधि के अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग प्रदर्शन दायित्व है। इसलिए, ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रत्यक्षतः हमारे द्वारा अभी तक किए गए कार्य के अनुरूप होता है।

2.5 सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक प्रायप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा प्रायप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/ सहायता स्वीकार कि जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है, जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान) यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान (को ' अन्य आय' शीष के अंतगत लाभ-हानि विवरण के एक हिस्सा के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल व्यय में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही व्यय हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहंचाने के लिए दिये जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त है जिसके लिए वे प्राप्य होते है ।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे "कैपिटल रिजर्व" में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

2.6 पट्टे

एक अनुबंध तब एक पट्टा है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयावधि के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रिण का अधिकार प्रदान करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में समूह

समूह यह आकलन करता है कि अनुबंध के आरंभ में अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, समूह यह आकलन करता है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) समूह के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) समूह के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा पट्टा देयता को पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता देनी होगी, जो उस तिथि को सभी पट्टों के लिए नहीं चुकाए गए हैं, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके मापा जाता है, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम किया जाता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतान पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके। यदि समूह अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करता है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और ROU परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में शामिल किया जाता है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में ।

वित्त पट्टे: एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन – पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में समूह के शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, पत्ता अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो ।

परिचालन पट्टे: परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतानों को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जबतक कि कोई अन्य सुव्यवस्थित आधार उस ढंग (पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतनिर्हित परिसंपत्तिय के प्रयोग से लाभ कम होता है ।

2.7 बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियाँ

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रुप से लगातार उपयोग

करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवयक कार्यवाईयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसक संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गिकरण के तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रुप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर- वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेत एक कारगर कार्यक्रम की पहल कीगई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष केअंदर संपूरित बिक्री के रुप में मान्यता हेत बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतर पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है। भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्येक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल है –

(क) इसकी खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

(ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेत सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

(ग) सामानों के पुर्जे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अविध के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अविध के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

(घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

'मरमत और रख-रखाव' के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उस पर व्यय किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति केअनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी महत्वपूर्ण पुर्जे को बदला जाता है, और यदि यह उम्मीद की जाती है कि यह संपत्ति कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ देगी तथा इसकी लागत का सही आकलन किया जा सकता है, तो प्रतिस्थापन की लागत को संपत्ति के कैरीइंग वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। बदले गए पुर्जे के कैरीइंग वैल्यू को अवमूल्यन नीति के अनुसार कम कर दिया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का बड़ा निरीक्षण किया जाता है, तो निरीक्षण की लागत को संपत्ति के प्रतिस्थापन लागत के रूप में माना जाता है, यदि यह संभावना है कि संपत्ति से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ होगा तथा इसकी लागत का सही आकलन किया जा सकता है। पिछले निरीक्षण की शेष कैरीइंग वैल्यू को कम कर दिया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का उपयोग समाप्त कर दिया जाता है या जब इससे भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती है, तो इसे अवमूल्यित कर दिया जाता है। इस तरह के अवमूल्यन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के आकलन प्राक्कलित जीवन अवधि के आधार पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। मूल्यह्रास की अवधि प्रत्येक संपत्ति के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है:

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो।
भवन (सड़कें सहित)	:	3 से 60 वर्ष
दूरसंचार उपकरण	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	:	1 से 40 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 5 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अिधिनयम, 2013 के अनुसूची-II के भाग "ग" में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अपशिष्ट मूल्य सम्पत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, वैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेजरस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रुप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास के

योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि'के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एंड डेवलपमेंट) (सीबीए) अधिनयम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अिधिनयम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे

परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिरशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियाँ, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे ऑफ परिसंपत्तियों के रुप में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है।

समूह द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या समूह की किसी भी मौजूदा परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों) के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए)।

2.9 खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं बंदीकरण दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद व्यय के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए व्यय के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरुप परिसंपत्ति का रिकॉर्ड रखती है। दायित्व एवं समरुप परिसंपत्ति की पहचान उसी अविध में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई में एक अलग मद के रुप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उपरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट मे कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप मे मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष -दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगितशील खदान बंद करने के व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेन्सी की सहमित के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.10 गवेषण और मूल्यांकक परिसंपत्तियाँ

गवेषण और मूल्यांकक परिसंपतियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-

- गवेषण करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति
- शोध और ऐतिहासिक गवेषण डाटा का विश्लेषण;
- स्थालाकृतिक , भू-रासायिनक एव भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए गवेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईधंन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष लागतों का कुल अनुमानित मूल्य भविष्य में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष लागतों की तुलना में अनुपातहीन होता है, इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ मिलाकर गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होने की पुष्टि होने तक परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है और खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रुप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चों को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्य आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

(1) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का %25 वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(2) कोयला तक पहुँचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(3) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रुप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षो या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

2.12 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहित की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। अधिग्रहण की तिथि पर अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति की लागत उसका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी लागत में से संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान सीधी रेखा पद्धति से परिकलित) और संचित हानिकरण क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

अगर यह संभावना है कि भविष्य में इस व्यय से कंपनी को लाभ होगा और इस लागत का सटीक आकलन किया जा सकता है, तो इस व्यय को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आंतरिक रूप से विकसित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों (विकास लागत को छोड़कर) को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है। इसके बजाय, इस व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है जिसमें यह व्यय हुआ है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन सीमित या असीमित हो सकता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित किया जाता है और जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है, लेकिन हर रिपोर्टिंग अवधि में यह जांचा जाता है कि इसका मूल्य कम हुआ है या नहीं।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

शोध पर किए गए व्यय को उस वित्तीय वर्ष के व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें यह व्यय हुआ है। विकास पर किए गए व्यय को तभी पूंजीगत संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है जब इस व्यय का सटीक आकलन किया जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में इस परियोजना से संगठन को लाभ होगा, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और इसे बाजार में बेचने की संभावना है तथा संगठन के पास इस परियोजना को पूरा करने और उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

2.13 परिसंपत्तियों का ह्रास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रेपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासिनक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

2.15 वित्तीय दस्तावेज

एक वित्तीय दस्तावेज कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार है, के जरीए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकॉर्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्याकता पड़ती है, को ट्रेडकी तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.15.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज़।
- अन्य सधन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई) के जरिए
- लाभ या हानि के जरिए से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज़, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज़ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई)

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज़

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण दस्तावेज़ ' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(1) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ्ने देती हैं जो बकाये मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तिय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर **(EIR)** प्रदत्ति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना-अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई (FVTOCI) पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखत दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज '' को एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह के एसपीपीआई के निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए एक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की जाती है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज़

एफवीटीपीएल ऋण पत्र/ दस्तावेज़ के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/ दस्तावेज़ जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/

मानदड को पूरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण - पत्र/दस्तावेज़ को नामित/ निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्याथा एफ वी टी पी एल के रुप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमित केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज़ को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानिम में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना) के अनुसार, संक्रमण की तिथि पर पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत (GAAP) के अनुसार इन निवेशों की अग्रणीत राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के मामले में, भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 के अनुसार, इक्विटी पद्धति का उपयोग करके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले अन्य सभी इक्विटी प्रतिभूतियों को लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है।

समूह यह निर्णय ले सकता है कि उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दिखाया जाए, और यह निर्णय बाद में बदला नहीं जा सकता। समूह द्वारा यह निर्णय प्रत्येक प्रतिभूति के लिए अलग से लिया जाता है। इस प्रकार का वर्गिकरण एक बार लेने के बाद बदला नहीं जा सकता।

एफ़वीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों के उचित मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में ही दिखाया जाता है। इन परिवर्तनों को बाद में लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, समूह इक्विटी में संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में दिखाया जाता है जब समूह को यह भुगतान प्राप्त होने का अधिकार मिल जाता है।

लाभ और हानि विवरण में वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरण में ही दिखाया जाता है।

2.15.2.6 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया है (यानि तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब:

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गए है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-_थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अिधकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-_ थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व जोखिमों और पुरस्कारों को अिधकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी

जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों कों प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रुप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखत वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज है तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण- पत्र/दस्तावेज है एवं एफवीटीओसीआई के रुप में मापा जाता है,

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत प्राप्य पट्टा, और

घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण भत्ता की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।

सरलीकत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

15.3.2 परिवर्ती मापन/मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

2.15.3.3 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रुप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देशय के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशियल इन्स्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिवस को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान

वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये एक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां एक्विटी इन्स्ट्रुमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज़ होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखत सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नयी सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित लाभ या हानि पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

2.15.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य, वर्तमान बाजार परिस्थितियों में, माप तिथि को बाजार-प्रतिभागी के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति के विक्रय या देयता के हस्तांतरण के लिए प्राप्त या भुगतान की जाने वाली कीमत है।

समूह, उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत, अवलोकन योग्य इनपुट की उपलब्धता के आधार पर, उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

(क) **स्तर 1 :** इनपुट जो समरूप परिसंपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्‌त मूल्य (असमायोजित) हैं।

(ख) **स्तर 2 :** स्तर 1 में शामिल उद्‌त मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

(ग) **स्तर 3 :** परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अनवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित हैं (अनवलोकनीय आंकड़े) ।

समूह के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.7 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध, क्योंकि उन्हें समूह के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16. उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रुप से प्रायप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं । इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है "आयकर पूर्व लाभ" से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव

अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा होता है।

2. 18 कर्मचारियों को लाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (समापन लाभों के अलावा) हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

2.18.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित-अंशदायी योजना एक नियोजन पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी अथवा संरचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन

भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों, नियोजन पश्चात लाभों और सेवांत लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल होती हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले नहीं होती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि के विवरण में मान्य किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनर्मापन

2. 19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागतों का अलग-अलग खदानों के लिए अलग से हिसाब लगाया जाता है।

समूह स्ट्रिपिंग गतिविधियों का लेखा-जोखा इस प्रकार रखता है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत :

कोयले तक पहुंचने के लिए ओवरबर्डेन हटाने की यह प्रारंभिक लागत होती है। इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में इस परियोजना से आर्थिक लाभ होगा और लागतों का सटीक आकलन किया जा सकता है। एक बार उत्पादन शुरू होने पर, यह पूंजीकृत लागत खदान के जीवनकाल में बराबर भागों में विभाजित की जाती है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत :

उक्त लागतें ओवरबर्डन हटाने की लागत हैं जो समूह की नीति अनुरूप खदान को राजस्वीकृत करने के बाद लगती हैं। उत्पादन चरण में उक्त लागतें दो प्रकार के लाभ प्रदान कर सकतीं हैं: वर्तमान उत्पादन के लिए कोयला निकालना और भविष्य में कोयला निकालने के लिए बेहतर पहुंच। इन लागतों को उत्पादित कोयले और ओवरबर्डन हटाने गतिविधि संपत्ति के बीच बांटा जाता है। यह बंटवारा ओवरबर्डन-कोयला अनुपात के आधार पर किया जाता है, जो खदान के पूरे जीवनकाल में हटाए जाने वाले ओवरबर्डन और निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा का अनुपात है। यदि वास्तविक ओवरबर्डन हटाने की मात्रा अनुमान से अधिक हो, तो अतिरिक्त लागत को ओवरबर्डन हटाने गतिविधि संपत्ति में जोड़ा जाता है। यह संपत्ति खदान के जीवनकाल में परिशोधित की जाती है। भू-खनन स्थितियों में बदलाव से ओवरबर्डन-कोयला अनुपात प्रभावित हो सकता है, जिसका प्रभाव भविष्य के लेखा पर पड़ेगा। ओवरबर्डन हटाने गतिविधि संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है।

समूह एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देता है।

2.21 इन्वेंटरी

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- **5%** तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- **5%** से अधिक होता है**,** मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो**,** पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग)**,** वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी

भंडार और अतिरिक्त सामान के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किया जाता है।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.23 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

2.24 अनुपात विचलन

अनुपात भिन्नता रिजर्व की मान्यता सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से स्थापित नीति का लगातार पालन करती रही है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के उलटने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। ऐसा उलटना उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

किसी खदान के मामले में, जहां अनुपात विचरण रिजर्व में क्रेडिट शेष है, निकाले गए ओवरबर्डन की अतिरिक्त मात्रा, अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से गुणा की गई स्ट्रिपिंग गतिविधि की प्रारंभिक औसत दर को अनुपात विचरण रिजर्व में संगत डेबिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

किसी खदान के मामले में, जहां अनुपात विचरण रिजर्व में डेबिट शेष है, निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा पर अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा के आधिक्य को स्ट्रिपिंग गतिविधि की प्रारंभिक औसत दर से गुणा करने पर, अनुपात विचरण रिजर्व में संगत क्रेडिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा निकाले गए कोयले की मात्रा को मानक स्ट्रिप अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाती है, जहां मानक स्ट्रिप अनुपात खान जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन को खान जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।

2.25 निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों

में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (**Ongoing basis)** की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.25.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

(क) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

(ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना; (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क) समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख) ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

2.25.1.2 सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को वस्तु के प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह होता है कि क्या किसी सूचना को एकल

रूप से या अन्य सूचना के संयोजन में हटाने या गलत बताने अथवा अस्पष्ट करने से वे निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

2.25.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और लेखांकन अनुमान की आवश्यकता होती है, जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और इन एकल वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग नीचे बताया गया है:

2.25.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

2.25.2.2 कर (Taxes)

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की

राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ लाभ योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और दायित्वों का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है।

2.25.2.4 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

2.25.2.5 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

2.25 प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

i)	सीजीयू	नकद उत्पन्न इकाई	xii)	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ii)	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	xiii)	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
iii)	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य	xiv)	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
iv)	एफवीटीपीएल	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य	xv)	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
v)	जीएएपी	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	xvi)	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
vi)	इंड एएस	भारतीय लेखा मानक	xvii)	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
vii)	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	xviii)	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
viii)	पी एंड एल	लाभ व हानि	xix)	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
ix)	पीपीई	संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण	xx)	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
x)	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान	xxi)	आईआईसीएम	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
xi)	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	xxii)	कोल इंडिया	कोल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.1: परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि पुनर्लाभ/ स्थल बहाली लागत	निर्माण (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूर-संचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति	परिसंपत्ति का सर्वेक्षण किया गया	रेल कॉरिडॉर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल, 2022 तक	17.49	1,732.46	489.89	553.75	1,924.66	23.35	28.96	74.89	5.63	643.58	385.57	128.51	86.59	2,635.98	-	8,731.31
अतिरिक्त	-	329.15	72.42	54.42	178.21	6.75	5.86	17.92	1.04	92.88	62.61	268.25	11.93	346.25	-	1,447.69
विलोपन/समायोजन	(0.08)	0.08	(102.31)	(5.26)	(137.69)	0.08	(0.01)	(14.15)	0.10	(63.00)	-	-	(2.64)	-	-	(324.88)
31 मार्च, 2023 तक	**17.41**	**2,061.69**	**460.00**	**602.91**	**1,965.18**	**30.18**	**34.81**	**78.66**	**6.77**	**673.46**	**448.18**	**396.76**	**95.88**	**2,982.23**	**-**	**9,854.12**
1 अप्रैल, 2023 तक	17.41	2,061.69	460.00	602.91	1,965.18	30.18	34.81	78.66	6.77	673.46	448.18	396.76	95.88	2,982.23	-	9,854.12
अतिरिक्त	-	286.70	13.89	419.48	286.96	7.01	5.61	18.15	3.07	0.77	113.25	161.39	8.11	295.26	-	1,619.65
विलोपन/समायोजन	-	(10.54)	(14.13)	0.17	(122.23)	(0.06)	(0.49)	(4.70)	-	(220.61)	(0.20)	-	(17.78)	- -		(390.57)
31 मार्च 2024 तक	**17.41**	**2,337.85**	**459.76**	**1,022.56**	**2,129.91**	**37.13**	**39.93**	**92.11**	**9.84**	**453.62**	**561.23**	**558.15**	**86.21**	**3,277.49**	**-**	**11,083.20**
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि [3.1.7]																
1 अप्रैल, 2022 तक	-	502.76	270.91	92.60	1,055.36	12.36	10.91	46.41	2.72	130.10	273.41	-	23.96	443.69	-	2,865.19
वर्ष के लिए शुल्क	-	132.35	49.97	36.71	158.52	1.87	3.45	12.14	0.75	44.88	48.47	22.69	(0.99)	188.97	-	**699.78**
विलोपन/समायोजन	-	-	-	(0.80)	(114.10)	(0.46)	-	(6.63)	0.04	(12.58)	4.10	-	(0.29)	-	-	**(130.72)**
31 मार्च, 2023 तक	-	**635.11**	**320.88**	**128.51**	**1,099.78**	**13.77**	**14.36**	**51.92**	**3.51**	**162.40**	**325.98**	**22.69**	**22.68**	**632.66**	**-**	**3,434.25**
1 अप्रैल, 2023 तक	-	635.11	320.88	128.51	1,099.78	13.77	14.36	51.92	3.51	162.40	325.98	22.69	22.68	632.66	-	**3,434.25**
वर्ष के लिए शुल्क	-	138.56	27.82	63.39	147.63	2.55	3.28	10.25	0.72	22.74	63.95	51.23	(2.41)	221.04	-	**750.75**
विलोपन/समायोजन	-	(0.91)	(0.99)	3.93	(106.36)	0.05	(0.20)	(3.44)	-	(54.97)	4.09		0.14	-	-	**(158.66)**
31 मार्च 2024 तक	-	**772.76**	**347.71**	**195.83**	**1,141.05**	**16.37**	**17.44**	**58.73**	**4.23**	**130.17**	**394.02**	**73.92**	**20.41**	**853.70**	**-**	**4,026.34**
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2024 तक	17.41	1,565.09	112.05	826.73	988.86	20.76	22.49	33.38	5.61	323.45	167.21	484.23	65.80	2,423.79	-	7,056.86
31 मार्च, 2023 तक	17.41	1,426.58	139.12	474.40	865.40	16.41	20.45	26.74	3.26	511.06	122.20	374.07	73.20	2,349.57	-	6,419.87

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.1: परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

3.1.1 अचल परिसंपत्ति यों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति मद का ब्योरा	कुल लेखा मूल्य	के नाम पर आयोजित स्वामित्व विलेख	क्या विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति कब धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने की वजह
अन्य भूमि	2,337.85	लागू नहीं	लागू नहीं	-	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए स्वामित्व विलेख अलग से आवश्यक नहीं है। भूमि अधिग्रहण के लिए अन्य सभी स्वामित्व विलेख कंपनी के पास हैं और उनका म्यूटेशन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों में फ्रीहोल्ड भूमि के, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित है। कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

3.1.2 अन्य भूमि में कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि शामिल है।

3.1.3 मूल्यह्रास की गणना अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर की जाती है। इसकी समीक्षा प्रतिवर्ष सशक्त समिति द्वारा की जाती है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति पैरा 2.8 में उल्लेखित है। चूंकि कोई भी संपत्ति का हिस्सा अलग-अलग उपयोगी जीवन वाला नहीं है, इसलिए घटक आधारित मूल्यह्रास की गणना नहीं की गई है।

3.1.4 सीआईएल बोर्ड ने अपनी 491वीं बैठक में टोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के लिए संशोधित परियोजना लागत ₹3587.37 करोड़ को मंजूरी दी। यह परियोजना कोयले के परिवहन के लिए बनाई जा रही है। इस परियोजना के लिए ₹3489.55 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा कराए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने ₹3277.49 करोड़ खर्च किए हैं, जिसे रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी को इस परियोजना के लिए कोयला कंट्रोल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम (CCDAC) से ₹595.82 करोड़ का अनुदान मिला है।

3.1.5 ₹778.62 करोड़ का भूमि अधिग्रहण मुआवजा अन्य भूमि के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस मुआवजे का मिलान किया जा रहा है (वित्तीय विवरण पर नोट 16.3.2 में विवरण देखें)।

3.1.6 चालू वर्ष में मूल्यह्रास में विकास चरण में खानों के लिए कोई मूल्यह्रास शामिल नहीं किया गया है (पिछले वर्ष ₹4.07 का मूल्यह्रास शामिल किया गया था)।

3.1.7 8 नोट 9.1 में खनन गतिविधि समायोजन के पुनर्वर्गीकरण और पुन: मापन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव के लिए नोट 16(7) देखें। यह भारतीय लेखा मानक 8 (लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां) और भारतीय लेखा मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के अनुसार किया गया है।

3.1.8 संचित हानि में परिवर्तन

1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.46	-	23.96	-	-	**95.42**
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93	-	(0.99)	-	-	**2.94**
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.29)	-	-	**(0.29)**
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.39**	**-**	**22.68**	**-**	**-**	**98.07**
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.39	-	22.68	-	-	**98.07**
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	0.26	1.93	0.01	0.02	0.02	-	-	22.64	-	(2.41)	-	-	**22.47**
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	**0.14**
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**-**	**0.26**	**1.93**	**0.01**	**0.02**	**0.02**	**-**	**-**	**98.03**	**-**	**20.41**	**-**	**-**	**120.68**

वित्तीय विवरण एकल

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास सौर परियोजना	सौर परियोजना	अन्य	कुल
कुल लेखा मूल्य:							
1 अप्रैल, 2022 तक	76.10	219.61	278.14	343.91	1.35	-	919.11
वृद्धि	121.92	185.00	198.65	88.68	0.34	-	594.59
पूंजीकरण/विलोपन	(36.22)	(41.24)	(72.11)	(35.17)	-	-	(184.74)
31 मार्च, 2023 तक	**161.80**	**363.37**	**404.68**	**397.42**	**1.69**	**-**	**1,328.96**
1 अप्रैल, 2023 तक	161.80	363.37	404.68	397.42	1.69	-	1,328.96
वृद्धि	178.79	71.36	142.49	190.47	152.24	-	735.35
पूंजीकरण/विलोपन	(46.42)	(50.18)	218.78	(325.00)	-	-	(202.82)
31 मार्च 2024 तक	**294.17**	**384.55**	**765.95**	**262.89**	**153.93**	**-**	**1,861.49**
संचित हानि1 अप्रैल, 2022 तक	1.30	1.40	-	15.58	-	-	18.28
वर्ष के लिए शुल्क	0.19	0.02	-	3.71	-	-	3.92
विलोपन/समायोजन	(1.43)	(1.36)	-	(3.96)	-	-	(6.75)
31 मार्च, 2023 तक	**0.06**	**0.06**	**-**	**15.33**	**-**	**-**	**15.45**
1 अप्रैल, 2023 तक	0.06	0.06	-	15.33		-	15.45
वर्ष के लिए शुल्क	0.18	0.89	-	7.12	-	-	8.19
विलोपन/समायोजन	(0.06)	(0.04)	-	(7.60)	-	-	(7.70)
31 मार्च 2024 तक	**0.18**	**0.91**	**-**	**14.85**	**-**	**-**	**15.94**
निवल वहन राशि						-	
31 मार्च 2024 तक	**293.99**	**383.64**	**765.95**	**248.04**	**153.93**	**-**	**1,845.55**
31 मार्च, 2023 तक	**161.74**	**363.31**	**404.68**	**382.09**	**1.69**	**-**	**1,313.51**

नोट 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति

1. प्रगतिशील पंजीगत फार्म का कालक्रम :

31.03.2024 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक साल	कुल
चल रहीं परियोजनाएं :					
निर्माण (जलापूर्ति,सड़क और पुलिया सहित)	178.79	114.17	0.81	0.40	294.17
संयंत्र और उपकरण	71.36	142.76	158.84	11.59	384.55
रेलवे साइडिंग	142.49	149.26	19.05	455.15	765.95
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास	190.47	22.65	20.99	28.78	262.89
सौर परियोजना	152.24	0.35	0.67	0.67	153.93
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
संयंत्र और उपकरण	-		-		-
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास	-	-	-	-	-
कुल	**735.35**	**429.19**	**200.36**	**496.59**	**1861.49**

31.03.2023 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक साल	कुल
चल रहीं परियोजनाएं :					
निर्माण (जलापूर्ति,सड़क और पुलिया सहित)	129.28	27.16	2.58	2.78	161.80
संयंत्र और उपकरण	185.72	164.37	7.19	6.09	363.37
रेलवे साइडिंग	148.71	21.43	74.59	159.95	404.68
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास	89.10	279.43	12.20	16.69	397.42
सौर परियोजना	0.34	0.68	-	0.67	1.69
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**553.15**	**493.07**	**96.56**	**186.18**	**1328.96**

2. अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति पर

31.03.2024 को विलंबित पूंजीगत कार्य प्रगति की प्रस्थिति

(₹ करोड़ में)

चल रहीं परियोजनाएं :	कार्य पूरा किया जाना है			
	1 से कम साल	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक साल
निर्माण (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
स्वांग सी सीम के लिए सीढ़ियों का निर्माण	0.14	-	-	-
कुजू क्षेत्र में भवन	0.03	-	-	-
केंद्रीय अस्पताल ढोरी में पीएमई भवन का निर्माण	0.17	-	-	-
संयंत्र और उपकरण				
योजना, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग _ एल & टी लिमिटेड	264.59	-	-	-
सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई योजना और डिजाइनिंग सेवाएं	0.31	-	-	-
कोनार वाशरी स्थापित करने के लिए एकीकृत निविदा दस्तावेज़	0.12	-	-	-
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल 58 इंजीनियरिंग दिवस द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	0.24	-	-	-
अवधारणा रिपोर्ट और एकीकृत निविदा	2.32	-	-	-
140 टन आरडीएसओ अनुरूप, पिटलेस इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज	0.34	-	-	-
100 एमटी पिटलेस इलेक्ट्रॉनिक स्टेटिक रोड वेब्रिज	0.45	-	-	-
2X1.6 एमवीए, जारंगडीह ओसीपी के लिए 11/3.3 केवी सबस्टेशन	0.10	-	-	-
वेब्रिज - अशोक मेटालिक्स नंबर 9038 से 9040 द्वारा	1.12	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
सीसीएल-राइट्स लिमिटेड के उत्तर उरीमारी साइडिंग के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवं निर्माण प्रबंधन	265.66	-	-	-
अन्य खनन संरचना/**विकास**				
उच्च पुल के लिए एप्रोच रोड का निर्माण	6.54	-	-	-
आम्रपाली ओसी में बिंगलाट नाला का डायवर्जन	0.36	-	-	-
कुल	**542.49**	**-**	**-**	**-**

31.03.2023 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

चल रहीं परियोजनाएं :	कार्य पूरा किया जाना है			
	1 से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक साल
निर्माण (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
उत्तरी उरीमारी ओसी बिरसा परियोजना में 04 डी-टाइप क्वाटर और 12 सी-टाइप क्वाटर का निर्माण	3.64	-	-	-
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वार्टर एवं 16 बी टाइप क्वार्टर	1.24	-	-	-
बोकारो एवं करगली में भवन निर्माण	0.28			
संयंत्र और उपकरण				
डबल्यू/बी निर्माणाधीन मशीन नं 9038 से 9040	0.67	-	-	-
डबल्यू/बी निर्माणाधीन -अशोका मेटलिक्स	1.35	-	-	-
वाशरी के प्रकार	5.00	-	-	-
पानी का छिड़काव	0.11	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
रेलवे साइडिंग - राइट्स लिमिटेड-332/02.11.13332/02.11.13मे/एस राइट्स लिमिटेड	191.31	-	-	-
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास				
गोविंदपुर फेज-II में कोनार नदी पर ऊंचे पुल का निर्माण	-	2.34	-	-
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	-	1.90	-	-
बीआरओ रोड के पास टो वॉल और कच्चा नाला	-	0.13	-	-
विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण/मार्ग संरेखण सर्वेक्षण	-	0.10	-	-
कुल	**203.60**	**4.47**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 तक एकल फाइनेंशियलस्टेटमेंट के लिए नोट्स

नोट 3.3: गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	गवेषण और मूल्यांकन लागत
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2022 तक	574.15
वृद्धि	**123.19**
पूंजीगत कार्य प्रगति/विलोपन में स्थानांतरण	(11.38)
31 मार्च, 2023 तक	**685.96**
1 अप्रैल, 2023 तक	685.96
वृद्धि	58.94
पूंजीगत कार्य प्रगति/विलोपन में स्थानांतरण	(113.67)
31 मार्च 2024 तक	**631.23**
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2022 तक	0.46
वर्ष के लिए शुल्क	1.55
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 तक	**2.01**
1 अप्रैल, 2023 तक	2.01
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	(0.01)
31 मार्च 2024 तक	**2.00**
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2024 तक	629.23
31 मार्च, 2023 तक	**683.95**

1. (अ) 31.03.2024 तक गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए कालक्रम (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए गवेषण और मूल्यांकन राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रहीं ई&ई परियोजनाएं:	58.94	136.49	113.00	321.25	629.68
अस्थायी रूप से निलंबित ई&ई परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अशोक वाशरी	-	-	-	1.55	1.55
कुल	**58.94**	**136.49**	**113.00**	**322.80**	**631.23**

i. गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए कालक्रम (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए गवेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रहीं ई&ई परियोजनाएं:	123.19	240.08	72.3	248.84	684.41
अस्थायी रूप से निलंबित ई&ई परियोजनाएं	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम	-	-	0.76	0.79	1.55
कुल	**123.19**	**240.08**	**73.06**	**249.63**	**685.96**

ii. अतिदेय गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति

31.03.2024 को स्थिति (₹ करोड़ में)

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चल रहीं ई&ई परियोजनाएं				
कोनाआर, कारो के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	1.78	-	-	-
ईस्ट बोकारो सीबीएम	1.56	-	-	-
कुल	**3.34**	**-**	-	-

31.03.2023 को स्थिति (₹ करोड़ में)

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चल रहीं ई&ई परियोजनाएं :				
कारो वाशरी के लिए पूंजीगत व्यय	-	0.55	-	-
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	-	0.93	-	-
कोनार सब स्टेशन के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	-	0.26	-	-
सीएमपीडीआईएल द्वारा नई करगली वाशरी के लिए अप्रैल, 2018 के दौरान परियोजना नियोजन के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	-	0.05	-	-
कुल	**0**	**1.78**	-	-

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.4 : अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के लिए कोयला ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2022 तक	12.32	7.28		19.60
वृद्धि	22.61	-	-	22.61
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	34.93	7.28	-	42.21
1 अप्रैल, 2023 तक	34.93	7.28		42.21
वृद्धि	2.19	-	-	2.19
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	37.12	7.28	-	44.40
संचित परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल, 2022 तक	10.94	-	-	10.94
वर्ष के लिए शुल्क	4.47	-	-	4.47
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	15.41	-	-	15.41
1 अप्रैल, 2023 तक	15.41	-	-	15.41
वर्ष के लिए शुल्क	4.49	-	-	4.49
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	19.90	-	-	19.90
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2024 तक	17.22	7.28	-	24.50
31 मार्च, 2023 तक	19.52	7.28	-	26.80
विक्रय के लिए नियत कोयला ब्लॉक में खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय निहित होते हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा इन ब्लॉक के निस्तारण पर वसूल किया जाना है।				
3.4.1. संचित दुर्बलता में गति				
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.5: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विकासाधीन ईआरपी	कुल
वहन राशि:		
1 अप्रैल, 2022 तक	11.27	11.27
वृद्धि	-	-
विलोपन/समायोजन	(11.27)	(11.27)
31 मार्च, 2023 तक	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-
वृद्धि	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-
संचित प्रावधान और क्षति	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक		
वर्ष के लिए शुल्क	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-
निवल वहन राशि		
31 मार्च 2024 तक	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-

1. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए कालक्रम अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए विकासाधीन प्रारंभिक परिसंपत्तियों में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
चल रहीं परियोजनाएं :	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम					
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट - 4.1 : निवेश (₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सहकारी शेयरों में निवेश (गैर उद्‌त)	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्‌त)	-	-
शेयरों में निवेश		
सहायक कंपनी -जेसीआरएल में इक्विटी शेयर	64.63	64.63
₹ 10 प्रत्येक के 6,46,31,232 इक्विटी शेयर(गत वर्ष 6,46,31,232 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक के)		
अन्य निवेश		
शेयर एप्लीकेशन मनीजेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण (अर्ध इक्विटी)	280.90	280.90
कुल	**345.53**	**345.53**
उद्‌त निवेशों की सकल राशि:	-	-
उद्‌त निवेशों का बाजार मूल्य:	-	-
उद्‌त न किए गए निवेशों की सकल राशि:	345.53	345.53
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-

(₹ करोड़ में)

प्रवाह	एनएवी (₹)		के रूप में 31.03.2024	के रूप में 31.03.2023
	31.03.2024	31.03.2023		
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-	-	
एलआईसी म्यूचुअल फंड				
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	5,542.0577	5,158.4197	308.65	647.83
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	3,779.2823	3,523.3030	0.03	4.47
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	2,893.5275	2,696.7127	0.01	17.68
यूनियन म्यूचुअल फंड -लिक्विड	2,328.5165	2,169.4479	0.01	10.12
बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	2,784.7810	2,595.4687	0.02	38.49
अन्य निवेश				-
कुल			**308.72**	**718.59**
उद्‌त निवेश का योग:				-
उद्‌त निवेश का बाजार मूल्य:				-
उद्‌त न किए गए निवेशों का योग:			**308.72**	**718.59**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-
वर्ष के दौरान खरीदे गए और भुनाए गए म्यूचुअल फंड का विवरण				

विवरण	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान कुल खरीदा		वर्ष के दौरान न्यूनीकरण		जमा शेष	
	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	12,55,870.19	647.83	28,04,545.31	1,500.00	35,03,493.42	1,877.04	5,56,922.08	308.65
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	12,690.50	4.47	7,45,682.73	279.59	7,58,282.39	285.63	90.84	0.03
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	65,573.60	17.68	47,270.30	13.58	1,12,812.06	31.42	31.84	0.01
यूनियन म्यूचुअल फंड -लिक्विड	46,622.47	10.12	46,042.26	10.64	92,613.42	20.86	51.31	0.01
बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	1,48,278.61	38.49	1,30,933.36	36.19	2,79,145.69	75.05	66.28	0.02
कुल	**15,29,035.37**	**718.59**	**37,74,473.96**	**1,840.00**	**47,46,346.98**	**2,290.00**	**5,57,162.35**	**308.72**

कंपनी लिक्विड स्कीम (ग्रोथ ऑप्शन) और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड (ग्रोथ ऑप्शन) में निवेश करती है।

नोट - 4.2 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
निकाय कारपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	8.69	5.10
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	8.69	5.10
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**8.69**	**5.10**

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**-**	**-**
निकाय कारपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1.01	0.71
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
	1.01	0.71
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**1.01**	**0.71**

4.2.1 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16(2)(VII) देखें
4.2.2 कर्मचारियों को ऋण सेवा की शर्तों के विरुद्ध सुरक्षित हैं।

नोट - 4.3 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

व्यापार प्राप्य	31.03.2024 को	31.03.2023 को
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,716.73	3,001.17
क्षत क्रेडिट	261.80	380.39
	1,978.53	3,381.56
घटाएं : अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता[4.3.1]	261.80	380.39
कुल	**1,716.73**	**3,001.17**

4.3.1 कंपनी ने व्यापारिक देनदारों के ऋण हानियों के लिए प्रावधान निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ता की गणना करके व्यावहारिक उपाय का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय देनदारों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

ऋण हानि के लिए अपेक्षित प्रावधान में परिवर्तन का विवरण		
वर्ष के आरंभ में शेष	380.39	288.26
वर्ष के दौरान प्राप्त	49.58	92.13
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	168.17	-
वर्ष के अंत में शेष	261.80	380.39
कोयला गुणवत्ता विचरण/मुद्रा प्रावधान में परिवर्तन का विवरण		
वर्ष के आरंभ में शेष	177.52	531.99
वर्ष के दौरान प्राप्त	460.94	125.87
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	217.23	480.34
वर्ष के अंत में शेष	421.23	177.52

4.3.2 निदेशकों की देयताओं के लिए - नोट 16- (2) (VII) देखें

4.3.3 उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां ₹ 421.23 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 177.52 करोड़) के कोयला गुणवत्ता विचरण का निवल है।

4.3.4 कंपनी ने व्यापारिक देनदारों के ऋण हानियों के लिए प्रावधान निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ता की गणना करके व्यावहारिक उपाय का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय देनदारों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

4.3.5 व्यापारिक प्राप्यों की आयु

31.03.2024 को स्थिति

विवरण	बिना बिल वाली देय राशि	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 से कम महीने	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31.77	1,235.31	430.91	334.40	55.27	(370.93)	1,716.73
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बाधित		-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां- अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड		-	-	-	-	261.80	261.80
कुल	**31.77**	**1,235.31**	**430.91**	**334.40**	**55.27**	**(109.13)**	**1,978.53**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	261.80	261.80
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि भत्ता प्रावधान) - %	-	-	-	-	-	(239.90%)	13.23%

31.03.2023

विवरण	बिना बिल वाली देय राशि	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 से कम महीने	6 महीने 1 सालों	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		1,844.84	236.64	832.95	3.27	83.47	3,001.17
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बाधित		-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां- अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड		-	-	-	-	380.39	380.39
कुल	**-**	**1,844.84**	**236.64**	**832.95**	**3.27**	**463.86**	**3,381.56**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	380.39	380.39
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि भत्ता प्रावधान) - %	-	-	-	-	-	82.01%	11.25%

नोट - 4.4 : नकद और नकदी समकक्ष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बैंकों में शेष		
जमा खातों में	15.25	12.31
चालू खातों में	389.76	738.15
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी [4.4.1]	-	100.00
चेक, ड्राफ्ट और टिकट	-	0.01
नकद	-	-
भारत के बाहर में नकदी	-	-
अन्य [4.4.2]	0.14	0.17
कुल	405.15	850.64

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के पास अंतर-कारपोरेट जमा (आईसीद) प्राथमिक डीलरों द्वारा जमा प्राप्त करने की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच मूल परिपक्वता के साथ स्वीकार की जाने वाली जमाराशियां हैं।

4.4.2 अन्य में ई-प्रोक्योरमेंट खाता, जीईएम खाता, अग्र शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में और बैंक में नकदी, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाराशियां शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वताओं की तीन महीने या उससे कम।

4.4.4 जमा खाते में कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के अंतर्गत सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर अव्ययित खाते के अंतर्गत ₹ 15.25 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 11.92 करोड़) जमा शामिल हैं।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बैंकों के साथ शेष राशि		
जमा खाते	1,996.16	2,493.81
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिअ)[4.5.1]	42.32	40.06
खान बंदीकरण योजना	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद के लिए एस्क्रो खाता	-	-
अवैतनिक लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता	-	-
कुल	**2,038.48**	**2,533.87**

अन्य बैंक शेष में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा और बैंक जमा शामिल होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशियां ग्रहणाधिकार के अंतर्गत धारित/न्यायालय के आदेश के अनुसार तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित बैंक जमाराशियां हैं।

i) ग्राहक से दावे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के खिलाफ ₹ 7.92 करोड़ जमा किया गया जिसमें ₹ 3.50 करोड़ का ब्याज शामिल है
अन्य वित्तीय दायित्व में तदनुरूपी देयता के साथ (टिप्पणी-8.4)।

(ii) नवम्बर, 2006 से 2006 की अवधि के दौरान पक्षकारों से प्रभारित 20% अतिरिक्त मूल्य की तुलना में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के अनुसार 34.40 करोड़ रुपए जमा किए गए।

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपतियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सुरक्षा जमा राशि	117.34	116.24
घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता4.6.3	0.08	0.08
	117.26	116.16
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के पास जमा	-	-
खान बंदीकरण योजना के तहत बैंक के पास जमाराशियां4.6.1	1,721.53	1,526.83
वित्त पट्टा प्राप्य	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमा और प्राप्तियों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**1,838.79**	**1,642.99**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)	-	-
अर्जित ब्याज	41.92	28.61
सुरक्षा जमा राशि	0.01	-
घटाएं: संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	-	-
	0.01	-
दावे और अन्य प्राप्तियां4.6.2	99.31	144.55
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता4.6.3	14.32	14.29
	84.99	130.26
कुल	**126.92**	**158.87**
4.6.1 खान बंदीकरण योजना अंतर्गत बैंक में जमाराशि		
एस्क्रो खाते में प्रारम्भिक शेष	1,526.83	1,365.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	100.55	105.06
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस का निवल)	94.15	62.27
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	-	5.50
वर्ष के अंत में एस्क्रो खाते में शेष	**1,721.53**	**1,526.83**

4.6.2 चूंकि 01.03.2011 से कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था, इसलिए रॉयल्टी और विशेष आर्थिक शुल्क को "अन्य कर" के रूप में माना गया तथा लेनदेन राशि से अलग रखा गया। निदेशालय जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस (DGCEI), नई दिल्ली द्वारा जारी समन और इस पर हुई चर्चा के बाद, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया है, ने लेनदेन राशि में रॉयल्टी और एसईडी शामिल करने और माननीय उच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ में लंबित मामले का निपटारा होने तक विरोध के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी है। तदनुसार, मार्च' 2011 से फरवरी'2013 की अवधि के दौरान कोयला प्रेषित करने और वॉशरी में कच्चे कोयले के उपभोग के सापेक्ष विरोध के तहत ₹ 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के ₹ 79.95 करोड़ के पूरक बिल प्राप्त हुए हैं। ₹ 79.95 करोड़ में से, नकद विक्रय ग्राहकों से ₹ 3.94 करोड़ की शेष प्राप्त राशि को "अन्य प्राप्तियों" मद के अंतर्गत दिखाया गया है। ₹ 3.94 करोड़ में से, ग्राहकों ने माननीय उच्च न्यायालयों, कोलकाता और झारखंड से ₹ 2.55 करोड़ के लिए स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है और ₹ 1.39 करोड़ के शेष के लिए ₹ 1.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4.6.3 खराब और संदिग्ध अग्रिमों और जमाराशियों (चालू और अन्य चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष के आरंभ में शेष	14.37	14.37
वर्ष के दौरान प्राप्त	0.03	-
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष	14.40	14.37
4.6.4 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16 - (2)(VII) देखें		

4.6.5 पट्टा

संचालन पट्टा

(i) पट्टा प्राप्तियों के संबंध में लाभ और हानि खाते में प्राप्त राशियां:		
पट्टा से आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	**-**	**-**
(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर बिना छूट के पट्टा भुगतान प्राप्त किया जाना और		
विवरण	-	-
एक वर्ष से कम	0.21	0.21
एक से पांच वर्ष के बीच	0.86	0.86
पांच वर्ष से अधिक	1.30	1.51
कुल	**2.37**	**2.58**

(iii) परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

क) ईआईपीएल को लीज समझौते के तहत कंपनी की भूमि पर कब्जा करने और उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि ₹ 4968 (गत वर्ष ₹ 4968) है और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास ₹ 4968 (गत वर्ष ₹ 4968) और डबल्यूडीवी ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल भविष्य की न्यूनतम लीज भुगतान प्राप्तियां ₹ 0.90 लाख हैं। मामला माननीय मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

ख) पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड को लीज़ समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी की 1550 एकड़ भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत ₹ 7.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.90 करोड़) है और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास ₹ 7.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.90 करोड़) है और डबल्यूडीवी शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) है। पट्टे की शेष अवधि के लिए भावी न्यूनतम लीज़ भुगतान ₹ 2.37 करोड़ (पूर्णयोग) है।

4.6.6 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16 - (2)(VII) देखें

नोट - 5.1 : इन्वेंटरी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
कोयला (तैयार उत्पाद)	1,147.85	966.28
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाएं : मूल्य में कमी के लिए प्रावधान 5.1.1	1.10	1.04
	1,146.75	965.24
स्टोर, पुर्जों और अन्य सूची 5.1.2 और 5.1.3	221.39	227.47
घटाएं: धीमी गति से चलने वाले, गैर-गतिशील और अप्रचलित आविष्कारों के लिए प्रावधान	51.17	48.41
	170.22	179.06
कुल	**1,316.97**	**1,144.30**

5.1.1 ऋण मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में परिवर्तन का विवरण

वर्ष के आरंभ में शेष	1.04	1.04
वर्ष के दौरान प्राप्त	0.06	-
वर्ष के दौरान रद्द	-	-
वर्ष के अंत में शेष	1.10	1.04

5.1.2 दुकानों और पुर्जों की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए हानि भत्ते को मान्यता दी जाती है।

वर्ष के आरंभ में शेष	48.41	50.56
वर्ष के दौरान प्राप्त	2.76	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	2.15
वर्ष के अंत में शेष	51.17	48.41

5.1.3 उपरोक्त अन्य उत्पाद-सूची में कार्यशाला नौकरियां, स्टेशनरी, चिकित्सा, प्रेस नौकरियां आदि का स्टॉक शामिल है।

नोट – करने के लिए अनुलग्नक -5.1

तालिका : क

वर्ष के अंत में बुक स्टॉक के साथ वित्तीय विवरणों में अपनाए गए कच्चे कोयले के अंतिम स्टॉक का सामंजस्य:

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

	कुल स्टॉक		गैर-विक्रय योग्य स्टॉक/ मिश्रित स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (अ) 01.04.2023 को प्रारंभिक स्टॉक	87.06	758.80	1.21	-	85.85	758.80
(ब) आरंभिक स्टॉक में समायोजन			-	-		
2. वर्ष के लिए उत्पादन	860.54	-	-	-	860.54	-
3. उप-योग (1+2)	947.60	758.80	1.21	-	946.39	758.80
4. वर्ष के लिए कुल व्यापार						
(अ) बाहरी प्रेषण	768.62	20,245.24	-	-	768.62	20,245.24
(ब) वाशरीज को कोयला आपूर्ति	60.48	-	-	-	60.48	-
(स) स्वयं का उपभोग	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	**829.10**	**20,245.24**	**-**	**-**	**829.10**	**20,245.24**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	118.50	925.82	1.21	-	117.29	925.82
6. मापा गया स्टॉक	118.74	924.26	1.19	-	117.55	924.26
7. अंतर (5-6)	(0.24)	1.56	0.02	-	(0.26)	1.56
8. अंतर का ब्यौरा:						
(अ) 5% के भीतर आधिक्य	1.34	8.70	-	-	1.34	8.70
(ब) 5% के भीतर कमी	1.10	10.26	0.02	-	1.08	10.26
(स) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(द) 5% से अधिक की कमी	-	-	-	-	-	-
9. खाते में अंतिम भंडार अपनाया गया	118.50	925.82	1.21	-	117.29	925.82
(6-8 क + 8 ख)						

तालिका : ख

कोयला/कोक आदि के अंतिम भंडार का सारांश

	कच्चा कोयला		धुला हुआ/ढला हुआ कोयला				अन्य उत्पादों		कुल	
			कोकिंग		नॉन-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	87.06	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	99.12	965.24
घटाएं: गैर-विक्रय योग्य कोयला/ मिश्रित स्टॉक	1.21	-	-	-	-	-	-	-	1.21	-
समायोजित ओपनिंग स्टॉक (विक्रय योग्य)	85.85	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	97.91	965.24
उत्पादन	860.54	-	7.96	-	37.48	-	13.22	-	919.20	-
उठाव										
(अ) बाहरी प्रेषण	768.62	20,245.24	7.47	866.27	37.54	1,522.73	14.21	951.29	827.84	23,585.53
(ब) वाशरियों को कोयला चारा	60.48	-	-	-	-	-		-	60.48	-
(स) स्वयं का उपभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम भंडार	117.29	925.82	0.79	19.49	0.23	3.53	10.48	199.01	128.79	1,147.85
घटाएं: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम भंडार(अपनाया गया)	117.29	925.82	0.79	19.49	0.23	3.53	10.48	199.01	128.79	1,147.85

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में नॉन कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है, लेकिन डिस्पैच की मात्रा में नॉन कोकिंग स्लरी 11779 एमटी (गत वर्ष 36271 एमटी) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों) 716997 एमटी (गत वर्ष 145127 एमटी) का प्रेषण शामिल नहीं है।
2. 31.03.2024 को नॉन कोकिंग स्लरी और कोकिंग और नॉन कोकिंग रिजेक्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक 185507 एमटी (गत वर्ष 195868 एमटी) और 6033321 एमटी (गत वर्ष 6541688 एमटी) है, जिसका मूल्यांकन तैयार बाजार की उपलब्धता के अभाव में शून्य है। विक्रय वसूली योग्य आधार पर प्राप्त होती है ।
3. कोयले के अंतिम स्टॉक को मात्रात्मक रूप से मापा जाता है और अभिज्ञात परिवर्तन घटक का प्रयोग करके वजन (टन) में परिवतत किया जाता है। मात्रात्मक माप की अंतनहित सन्निकटन त्रुटि और बाद में गणितीय रूप से निर्धारित परिवर्तन कारक लागू करके वजन में इसके रूपांतरण का ध्यान रखने के लिए, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (+/-) 5% के अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसका वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और 0.26 लाख टन मूल्य वाले बुक स्टॉक (वेन्डेबल) की निवल कमी को नजरअंदाज कर दिया गया है।

   3.54 करोड़ रुपए की राशि लेखा बहियों में समायोजित नहीं की गई है।
4. कच्चे कोयले के स्टाक में वर्ष 2010 से उरीमारी ओसीपी में पड़े 4.32 करोड़ रु की राशि का 21014 टन शामिल है, जो न्यायाधीन है और इसका मूल्य पुराने सीपीटी पर है।

नोट - 6.1 : अन्य और चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अग्रिम पूंजी	3,366.23	2,065.10
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	3,366.23	2,065.10
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्यय 6.1.1	1,353.00	991.15
संबंधित पक्षों को अग्रिम	-	-
कुल	**4,719.23**	**3,056.25**

6.1.1 उपरोक्त खान बंद योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त समवर्ती व्यय का प्रतिनिधित्व करता है।

6.1.2 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16 देखें - (2)(VII)

नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक देय राशियों का अग्रिम भुगतान	446.26	540.65
घटाएं: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता	-	-
	446.26	540.65
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.1, 6.2.2 & 6.2.3	948.54	1,344.58
घटाएं : संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता6.2.4	18.64	19.45
	929.90	1,325.13
प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्यय	-	87.05
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य 6.2.5	1,575.57	1,455.57
कुल	**2,951.73**	**3,408.40**

6.2.1 विरोध के तहत जमा राशि और आयकर ₹ 705.48 करोड़ के लिए वापसी प्राप्त की जानी है, विक्रय कर ₹ 11.62 करोड़ और सेवा कर मामलों ₹ 1.54 करोड़ आदि के लिए वापसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

6.2.2 अतिरिक्त सीएसआर ₹ 8.95 करोड़ (वि. वर्ष ₹ शून्य करोड़) शामिल हैं

6.2.3. अन्य जमा और प्राप्य में देनदारियों के शुद्ध ग्रेच्युटी फंड के लिए ₹ 29.10 करोड़ (वि. वर्ष शून्य) शामिल हैं।

6.2.4 ऋणात्मक और संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं (चालू और अन्य चालू) के लिए प्रावधान में परिवर्तन का विवरण

वर्ष का आरंभिक शेष	19.45	21.24
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	0.81	1.79
वर्ष के अंत में शेष	**18.64**	**19.45**

6.2.5. इनपुट टैक्स क्रेडिट (अर्थात उत्पाद और सेवा कर – इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे आईटीसी/जीएसटी आईटीस) प्राप्य मुख्य रूप से आईटीसी के संचय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कारण हैं :

(अ) उल्टा शुल्क संरचना यानी कोयले पर जीएसटी @ 5% कर लगाया जा रहा है, जबकि इनपुट वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर 12% से 28% के टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत आती है और (ब) रॉयल्टी पर लागू आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) (जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और राष्ट्रीय खनिज गवेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को 18% की दर सहित)। संचित जीएसटी आईटीसी का उपयोग भविष्य में बिना किसी समय सीमा के किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो भविष्य में जीएसटी आईटीसी के उपयोग को प्रतिबंधित/प्रतिबंधित करता हो।

आंतरिक और बाहरी कई कारक जैसे मूल्य संशोधन, मात्रा वृद्धि, व्यापार संचालन मॉडल (जैसे आउटसोर्सिंग के बजाय विभागीय क्षमताएं), उत्पाद जीएसटी दर में परिवर्तन, रॉयल्टी के कर तत्व के पहलू पर निर्णय, व्यापार गतिशीलता, व्यापार का विविधीकरण आदि भविष्य में जीएसटी आईटीसी के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जीएसटी आईटीसी के संचय के पैमाने और परिमाण में हाल के समय में कमी आई है। इसलिए, वर्तमान में जीएसटी आईटीसी के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी समायोजन क्षमता या गैर-वसूली की संभावना केवल उचित समय (यानी व्यापार विस्तार परिदृश्य को देखते हुए 10 से 15 वर्ष की अवधि) के बीतने के बाद ही स्थापित की जा सकती है। जीएसटी कराधान कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है और यह उचित समय अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी आईटीसी जमा किया जा रहा है और लेखा पुस्तकों में अग्रेनीत किया जा रहा है।

6.2.6 निदेशकों की देयताओं के लिए - नोट 16 - (2)(VII) देखें

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्राधिकृत		
₹ 1000/- प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	1,100.00
(₹ 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर पूंजी		
₹1000/- के 1,88,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्ण भुगतान किए गए [7.1.4] (निर्धारण वर्ष 94,00,000) ₹1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पूर्ण भुगतान किए गए	1,880.00	940.00
कुल	**1,880.00**	**940.00**

7.1.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

शेयरधारकों का नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% बदलाव वर्ष के दौरान
कोल इंडिया लिमिटेड	31.03.2024 को स्थिति	18799997	100.00	100.00%
	31.03.2023 को स्थिति	9399997	100.00	

7.1.2 समीक्षाधीन अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का निपटानः-

विशेष	शेयर की संख्या	कुल धनराशि
शेष दिनांक 01.04.2021	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बदलाव	-	-
शेष तिथि 31.03.2022	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बदलाव	-	-
शेष तिथि 31.03.2023	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बदलाव	94,00,000	940.00
शेष तिथि 31.03.2024	1,88,00,000	1,880.00

7.1.3 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानित राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

7.1.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य आरक्षित निधि में से 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं। बोनस इश्यू को कंपनी के सदस्यों द्वारा 20.03.2024 को आयोजित अपनी 01/2024वीं एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) में अप्रूव किया गया था.

नोट - 7.2 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.202 को
(क) पूंजी मोचन आरक्षित	-	-
(ख) पूंजी आरक्षित		
(ग) सामान्य आरक्षित	1,589.58	2,529.58
(घ) प्रतिधारित आय	10,172.30	7,537.43
(ङ) अन्य व्यापक आय जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(56.73)	(47.88)
कुल	**11,705.15**	**10,019.13**
(क) पूँजी मोचन आरक्षितवर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष के अंत में शेष		

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्यूरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी सोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 69 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(ii) होल्डिंग कंपनी के मामले में :

	31.03.2024 को	31.03.202 को
(ख) पूँजी आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
(ग) सामान्य आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष	2,529.58	2,392.00
वर्ष के दौरान वृद्दि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (बोनस शेयरों का निर्गम)	(940.00)	-
सामान्य वर्ष से /	-	137.58
वर्ष के अंत में शेष	1,589.58	2,529.58
सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित निधि है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोग प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ अंतरित करने के लिए किया जाता है ।		
(घ) (i) प्रतिधारित आय		
वर्ष के आरंभ में शेष	7,537.43	5,305.45
वर्ष के लिए लाभ	3,658.53	3,393.30
अंतरिम लाभांश	(600.66)	(600.66)
अंतिम लाभांश	(423.00)	(423.00)
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(0.08)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	(137.58)
वर्ष के अंत में शेष	10,172.30	7,537.43
(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)		
वर्ष के आरंभ में शेष	(47.88)	(225.47)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(8.85)	177.59
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	(56.73)	(47.88)
कुल (घ (i) + (ii))	**10,115.57**	**7,489.55**
(i) परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का निवल) पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानियां) शामिल हैं।		
(ii) प्रतिधारित आय समूह का संचित लाभ और हानि है जो अब तक विनियोगों का शुद्ध रूप से अजत किया गया है।		
(iii) संदर्भ नोट 16 (7) भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार नोट 9.1 में गतिविधि समायोजन अलग करने के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के परिणामी प्रभाव के लिए, 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति'.		
(ङ) अन्य व्यापक आय जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
(i) वित्तीय अनुवाद पर मतभेदों का आदान-प्रदान		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-

	31.03.2024 को	31.03.202 को
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
(ii) इक्विटी पद्धति (कर का निवल) का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
कुल [(i)+(ii)]	-	-
नोट - 7.3 : गैर-नियंत्रित हित		
वर्ष के आरंभ में शेष		
वर्ष के लिए लाभ का हिस्सा	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
ब्याज के अधिग्रहण/निपटान और अन्य समायोजनों पर उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज को भुगतान किया गया लाभांश	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

नोट - 8.1 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता	-	-

8.1.1 निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा गारंटीकृत ऋण :

(₹ करोड़ में)

ऋण का विवरण	में राशि ₹ करोड़	गारंटी की प्रकृति
अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध

नोट - 8.2: पट्टा देयताएं

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
गैर - चालू		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित वित्त लागत	-	-
लीज देनदारियों का भुगतान	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
चालू		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित वित्त लागत	-	-
लीज देनदारियों का भुगतान	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

नोट - 8.3 : व्यापार देय

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	11.78	9.88
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,023.63	1,305.23
कुल	**1,035.41**	**1,315.11**

8.3.1 व्यापार देय कालक्रम अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 से कम वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
i) एमएसएमई	11.78	-	-	-	11.78
ii) अन्य	829.65	123.49	19.04	45.58	1,017.76
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय राशि -अन्य	-	-	-	5.87	5.87
v) बिल न की गई देय राशियां	-	-	-	-	-
कुल	**841.43**	**123.49**	**19.04**	**51.45**	**1,035.41**

31.03.2023 को स्थिति

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 से कम सालों	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
i) एमएसएमई	9.88	-	-	-	9.88
ii) अन्य	1,043.68	103.98	32.06	49.80	1,229.52
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय राशि -अन्य	-	-	-	75.71	75.71
v) बिल न की गई देय राशियां	-	-	-	-	-
कुल	**1,053.56**	**103.98**	**32.06**	**125.51**	**1,315.11**

नोट - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सुरक्षा जमा	148.02	232.21
अन्य	-	-
कुल	**148.02**	**232.21**
चालू	-	-
चालू खाता के साथ-		
होल्डिंग कंपनी	45.46	12.47
आईआईसीएम	0.21	0.21
भुगतान न किए गए लाभांश 8.4.1	–	–
प्रतिभूति जमा	173.06	147.91
बयाना पैसा	51.72	266.37
पूंजीगत व्यय के लिए देय	138.20	197.02
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	610.00	500.49
अन्य	844.11	531.61
कुल	**1,862.76**	**1,656.08**

8.4.1 ₹ शून्य (वि. वर्ष ₹ शून्य) की एक राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी गई है क्योंकि वह भुगतान न किए गए लाभांश खाते में ऐसे लाभांश के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त और दावा नहीं की गई थी।

नोट - 9.1 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	64.80
अवकाश नकदीकरण	717.71	467.86
सेवानिवृति के बाद के मेडिकल लाभ	163.51	192.89
अन्य कर्मचारी लाभ	**40.05**	**40.69**
	921.27	766.24
अन्य प्रावधान साइट बहाली/खदान बंद करना 9.1.3	1,008.57	929.15
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन 9.1.2	3,405.55	3,156.22
अन्य	-	-
कुल	**5,335.39**	**4,851.61**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	207.82
अवकाश नकदीकरण	62.92	49.77
सेवानिवृति के बाद के मेडिकल लाभ	28.49	28.27
अन्य कर्मचारी लाभ9.1.4	699.54	1,888.60
	790.95	2,174.46
साइट बहाली/खदान बंद करना	-	
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	**790.95**	**2,174.46**

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालूऔर अन्य चालू)

बीमांकिक मूल्यांकन सहित भारतीय लेखा मानक -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और परिवर्तन।

	वर्ष के आरंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान चार्ज किया गया	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	वर्ष के अंत में शेष राशि
अन्य कर्मचारी लाभ	1929.29	232.50	1422.20	739.59
साइट बहाली/खदान बंद करना	929.15	76.33	(3.09)	1,008.57

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में परिवर्तन का विवरण (चालू और अन्य चालू परिसंपत्ति)

(i) अनुपात विचरण भंडार		
वर्ष के आरंभ में शेष	3,156.22	3,115.91
वर्ष के दौरान उलट	249.33	40.31
वर्ष के अंत में शेष	3,405.55	3,156.22

(ii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों और त्रुटियों में परिवर्तन' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' के अनुसार, कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के प्रभाव को दर्शाने के लिए कुछ मदों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्लेखन के लिए नोट 16(7) देखें।

9.1.3 साइट बहाली/खान बंदीकरण के प्रावधानकोयला मंत्रालय**,** भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, समूह को सतही और भूमिगत खानों में किए गए व्यय का कुल योग भूमि पुनर्बहाली और संरचनाओं के परिसमापन के लिए व्यय करना होगा। खान बंदीकरण, साइट बहाली और परिसमापन के लिए आवश्यक व्यय का अनुमान भविष्य की नकदी व्यय की राशि और कालमापन के विस्तृत प्राक्कलन तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया गया है। खान बंदीकरण व्यय को स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। भविष्य में होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए**,** व्यय के अनुमान को मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के लिए बढ़ाया जाता है। भविष्य के खर्चों के वर्तमान मूल्य का आकलन करने के लिए**,** व्यय के अनुमान पर **8%** की छूट दर लागू की जाती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप**,** कंपनी को हर वर्ष कुछ राशि वित्तीय व्यय के रूप में दिखानी होती है। खान बंद योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में**,** एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - **4.6** देखें)

9.1.4 कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि का प्रावधान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान के लिए अनुमोदित राशि अर्थात ₹ 85,000/- प्रति कर्मचारी के आधार पर किया गया है।

वित्तीय विवरण एकल

नोट - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	372.33	412.46
अन्य	0.49	0.39
कुल	**372.82**	**412.85**

नोट - 10.2 : अन्य चालू देयताएं

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वैधानिक देय राशि	947.26	961.92
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम	1,978.39	3,063.62
उपकर समकारी खाता	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	40.13	40.13
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**2,965.78**	**4,065.67**

नोट - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आयकर परिसंपत्तियाँ		
वर्ष के आरंभ में शेष	67.41	154.36
वर्ष के दौरान प्राप्त	459.46	(86.95)
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/वापसी		
वर्ष के समापन पर शेष	526.87	67.41
आयकर देयताएं वर्ष के आरंभ में शेष		
वर्ष के दौरान प्राप्त		
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन		
वर्ष के समापन पर शेष	-	-
वर्ष के अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	526.87	67.41
के रूप में खुलासा :		
चालू		
आयकर आस्तियां (निवल)	526.87	67.41
आयकर देयता (निवल)		-

नोट - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में प्राप्त/(विपरीत)	वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में प्राप्त	31.03.2024 तक शेष
आस्थगित कर परिसंपत्ति :				
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	148.93	(74.72)	-	74.21
कर्मचारी लाभ	431.26	(23.51)	-	407.75
अन्य	145.35	(16.07)	-	129.28
(क) का योग	725.54	(114.30)	-	611.24
आस्थगित कर देयताएं:				
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति से संबंधित	220.58	155.34	-	375.92
अन्य	215.80	(215.80)	-	-
(ख) का योग	436.38	(60.46)	-	375.92
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (सी= ए –ब)	289.16	(53.84)	-	235.32
डी. परिभाषित लाभ योजना जीडीटीएल (+)/ डीटीए(-) का पुनर्मापन	-	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति (ई = सी + द)	289.16	(53.84)	-	235.32

11.2.1 भारतीय लेखा मानक 8 के अनुरूप नोट 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन पर विलंबित कर प्रभाव के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्लेखन, और भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों और त्रुटियों में परिवर्तन' के लिए नोट 16(7) देखें, 'वित्तीय विवरणों का प्रदर्शन '

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट - 12.1 : परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
विक्रय	23,341.82	22,720.19
घटाएं : वैधानिक लेवी और अन्य वसूलियां	8,050.30	7,493.98
विक्रय (निवल) (अ) 12.1.1 & 12.1.2	15,291.52	15,226.21
अन्य परिचालन राजस्व		
लोडिंग और परिवहन शुल्क	811.81	735.04
घटाएं : वैधानिक लेवी	38.66	35.00
	773.15	700.04
निकासी सुविधा शुल्क	526.10	475.60
घटाएं : वैधानिक लेवी	25.05	22.65
	501.05	452.95
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ब)	**1,274.20**	**1,152.99**
संचालन से राजस्व [अ+ब]	**16,565.72**	**16,379.20**

12.1.1 विक्रय को कोयले की गुणवत्ता और नमी में अंतर के लिए अनुमानित प्रावधान (वापसी का निवल) से घटाया गया है, जो कि ₹ 243.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 354.47 करोड़ वापस ले लिया गया था) के बराबर है। इस प्रावधान का आकलन तटस्थ/तीसरे पक्ष के नमूना परीक्षक से मिलने वाले परिणामों के आधार पर किया गया है।

12.1.2 विक्रय में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रदर्शन प्रोत्साहन (पीआई) और मुआवजे की राशि ₹ 139.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.09 करोड़) शामिल है।

नोट - 12.2 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय[12.2.1]	314.41	226.59
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (इस प्रकार के ये से प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय का निवल)		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	2.64	0.02
विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की विक्रय पर लाभ	40.17	19.90
लीज रेंट[12.2.2]	0.73	0.38
वापस लिखा प्रावधान[12.2.3]	0.81	2.07
देनदारियों को वापस लिखा गया[12.2.4]	204.38	350.25
उचित मूल्य परिवर्तन (नेट)	(0.03)	8.41
विविध आय[12.2.5]	528.92	310.61
कुल	**1,092.03**	**918.23**

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
12.2.1 आयकर वापसी पर ₹ 0.16 करोड़ (वि. वर्ष ₹ शून्य) ब्याज शामिल है		
12.2.2 नोट 4.6.5 देखें		
12.2.3 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण-		
निकाय कारपोरेट और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंट्री के लिए (5.1 और 5.1)	-	1.99
अन्य अन्य चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.1)	-	0.08
अन्य चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.2)	0.81	-
वर्ष के दौरान कुल प्रावधान लिखा गया	0.81	2.07
12.2.4 अपलिखित देयताओं में निम्न अधिशेष अपलिखित देयताएं शामिल है-		
प्रदर्शन आधारित वेतन	9.26	5.80
खदान बंदीकरण प्रावधान	0.68	90.57
वेतन और मजदूरी	13.12	3.48
संवेदकीय व भंडार देयताऐं	102.80	208.44
वैधानिक लेवी सहित व अन्य	78.52	41.96
कुल	**204.38**	**350.25**
12.2.5 विविध आय में शामिल हैं-		
टोरी-शिवपुर रेल कॉरिडोर की वर्धित माइलेज	100.53	70.20
साइडिंग उपयोगकर्ता शुल्क	30.10	26.57
आस्थगित राजस्व आय (सरकारी अनुदान)	40.13	40.13
एसडी/ईएमडी और बैंक गारंटी की जब्ती भुनाई	126.84	96.67
स्क्रैप विक्रय	11.09	16.50
आपूर्तिकर्ताओं से जुर्माना/एलडी वसूल	25.54	14.02
ई-नीलामी के लिए प्रक्रिया शुल्क	25.85	-
अन्य	168.84	46.52
कुल	**528.92**	**310.61**

नोट - 13.1 : उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटकों	308.85	441.13
लकड़ी	0.28	0.09
तेल और ल्यूब	475.06	543.21
एचईएमएम पुर्जे	143.05	141.44
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	44.61	44.96
कुल	**971.85**	**1,170.83**

नोट - 13.2 : तैयार उत्पाद की इनवेंटरी में परिवर्तन, प्रगति पर कार्य और स्टॉक इन ट्रेड

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023 (पुनर्लिखित)
कोयले की इनवेंटरी में परिवर्तन		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	966.28	882.25
ओपनिंग स्टॉक राजस्व में लाया गया	-	-
वर्ष की समाप्ति पर स्टॉक	1,147.85	966.28
	(181.57)	(84.03)
कार्यशाला और प्रेस कार्यों की सूची में परिवर्तन		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	2.70	4.92
वर्ष की समाप्ति पर स्टॉक	2.63	2.70
	0.07	2.22
कुल	**(181.50)**	**(81.81)**

नोट - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
वेतन और मजदूरी [13.3.1 & 13.3.2]	5,240.02	5,557.91
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,337.87	1,370.31
कर्मचारी कल्याण व्यय	284.91	294.48
कुल	**6,862.80**	**7,222.70**

13.3.1 जिसमें भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन से संबंधित वेतन, समयोपरि वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस आदि शामिल हैं।

13.3.2 कर्मचारियों का राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA-XI) जून 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत, कर्मचारियों को संशोधित वेतन मिल रहा है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान भी किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बकाया वेतन भुगतान के लिए ₹ 145.16 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जबकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि ₹ 1221.28 करोड़ थी।

13.3.3 विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान (जो बीमांकिक मूल्यांकन के दायरे से बाहर हैं) के संबंध में इंड AS 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार आवश्यक सभी विवरण नोट 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.4 परिभाषित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं (जो बीमांकिक मूल्यांकन के दायरे में आती हैं) के संबंध में इंड एएस 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार आवश्यक सभी विवरण नोट 16 (6) में दिए गए हैं।

नोट - 13.4 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट का क्रमिक समायोजन	76.33	75.44
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	76.33	75.44

नोट - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	750.75	699.78
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (नोट 3.2)	8.19	3.92
गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति (नोट 3.3)	(0.01)	1.55
अमूर्त परिसंपत्ति (नोट 3.4)	4.49	4.47
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति (नोट 3.5)	-	-
	763.42	709.72
घटाएं : कोयला खानों के विकास के दौरान व्यय हेतु स्थानांतरित		4.07
कुल	**763.42**	**705.65**

नोट - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	-	-
अनुपात विचरण रिज़र्व	249.32	40.31
कोयले तक बेहतर पहुंच	(161.39)	(268.25)
कुल	**87.93**	**(227.94)**

13.6.1 **अनुपात विचलन रिज़र्व :** जब भी कंपनी की मुख्य लेखांकन नीति के अनुसार किसी प्रावधान या परिसंपत्ति को वापस लेने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात विचलन रिज़र्व की अग्रेनीत राशि को व्यवस्थित रूप से वापस ले लिया जाता है।

13.6.2 **कोयले तक सुगम पहुँच :** जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अतिरिक्त ओवरबर्डन को हटाने की स्ट्रिपिंग लागत को ओवरबर्डन हटाने की परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

13.6.3 ओवरबर्डन हटाने के समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नोट 16 (7) देखें, जिसमें इंड एएस 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन' और इंड AS 1 'वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति' के अनुसार किए गए समायोजन का विवरण दिया गया है। अतिरिक्त जानकारी के लिए नोट 9.1 भी देखें।

नोट - 13.7 : संवेदकीय व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
परिवहन शुल्क	522.38	467.02
वैगन लदान	40.95	40.66
संयंत्र और उपकरणों का किराया	1,462.95	1,319.51
अन्य संवेदकीय कार्य	133.22	117.68
अन्य संवेदकीय कार्य (सीएमपीडीआईएल विशिष्ट)	-	-
कुल	**2,159.50**	**1,944.87**

नोट - 13.8: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
ऊर्जा व्यय	277.07	265.88
मरम्मती व रखरखाव		
- बिल्डिंग	153.62	146.06
- संयंत्र और उपकरण	129.16	95.98
- अन्य	1.22	1.06
यात्रा व्यय	20.39	57.18
प्रशिक्षण व्यय	4.84	9.03
टेलीफोन और इंटरनेट	62.78	16.72
विज्ञापन और प्रचार	5.28	2.20
उत्पाद ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब शुल्क	12.63	31.85
लोडिंग शुल्क के तहत	61.52	81.84
कोयला सैंपलिंग शुल्क	18.22	48.32
सुरक्षा व्यय	260.29	278.48
कानूनी व्यय	3.86	2.16
परामर्श प्रभार	2.52	0.53
सेवा प्रभार (सीआईएल)	172.10	152.07
सेवा प्रभार (सीएमपीडीआई)	65.47	76.45
परिसंपत्ति की विक्रय/त्याग/सर्वेक्षण पर नुकसान	6.77	0.04
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस	0.30	0.29
कराधान मामले	0.02	-
अन्य सेवाएं	0.22	0.30
प्रतिपूर्ति व्यय	0.26	0.09
आंतरिक व अन्य लेखा परीक्षा व्यय	3.47	3.27
पुनर्वास शुल्क	49.73	44.99
लीज़ किराया और किराये का शुल्क	77.71	72.08
दरें और कर13.8.2	458.67	21.42
बीमा	0.86	0.80
विनिमय दर विचरण पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	3.06	1.14
साइडिंग रखरखाव शुल्क	23.77	25.09
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	32.58	19.38
शेयरों का पुनः क्रय	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	52.03	43.39
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.16	0.07
प्रावधान13.8.1	52.43	92.13
बट्टा (अशोध्य ऋण)	249.73	191.90
बट्टे खाते में जाने के पूर्व प्रावधान को वापस लेने की प्रविष्टि करें. (अशोध्य ऋण)	(168.17)	-
विविध व्यय	96.43	104.46
कुल	**2,191.00**	**1,886.65**

13.8.1 प्रावधानों का विवरण

कारपोरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी-4.2)	-	-
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी-4.3)	49.58	92.13
वित्तीय जमाराशि एवं प्राप्तियाँ (टिप्पणी-4.6)	0.03	-
कोयला और स्टोर इनवेंटरी (टिप्पणी-5.1)	2.82	-
अन्य अन्य चालू जमाराशि व अग्रिम (टिप्पणी-6.1)	-	-
अन्य चालू जमाराशि और अग्रिम (टिप्पणी-6.2)	-	-
वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	52.43	92.13

13.8.2 झारखंड सरकार की विधानसभा द्वारा "झारखंड कराधान अधिनियमो की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022" (संक्षेप में कर समाधान योजना 2022) विधेयक पास किया गया है, जिसे अधिसूचना दिनांक 06.03.2023 द्वारा नियम के साथ पठित दिनांक 27.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से झारखंड सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह योजना पुराने बकायों और जेवैट अधिनियम 2005, सीएसटी अधिनियम 1956 और विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 आदि के तहत कार्यवाही से उत्पन्न विवादों के निपटान के लिए लाई गई है।

तदनुसार, सीसीएल ने इस योजना के तहत कुल ₹252.73 करोड़ के विवादित कर वाले 185 मामलों को शामिल किया है। कंपनी ने विरोध के तहत पहले से भुगतान किए गए ₹38.96 करोड़ के अलावा अतिरिक्त ₹68.57 करोड़ का भुगतान किया। कुल मिलाकर, कंपनी के लाभ एवं हानि ब्योरे में ₹107.53 करोड़ के भुगतान भारित किया गया और ₹114.81 करोड़ की राहत पाने के लिए आवश्यक फॉर्म जमा किए।

कर समाधान योजना (झारखंड सरकार) के तहत अप्रत्यक्ष करों (जैसे विक्रय कर, प्रवेश कर और विद्युत शुल्क) के विवादित मामलों के निपटारे के बाद, कंपनी ने लंबित पुराने मामलों की समीक्षा की। इन मामलों में या तो समय सीमा समाप्त हो चुकी थी या दोनों पक्षों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे अथवा लंबी अवधि तक दबे हुए थे। इन सभी मामलों को संभावित देनदारियों की सूची से हटा दिया गया है और विरोध करते हुए पहले से भुगतान की गई ₹286.12 की राशि को वित्तीय विवरणों में समायोजित किया गया है।

नोट 13.8 के अनुलग्नक : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

1. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अधिक व्यय सहित):

(₹ करोड़ में)

गतिविधियों	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	0.86	0.31
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	11.82	8.09
पर्यावरणीय स्थिरता	3.20	0.60
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	0.08	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	0.23	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	7.99	5.11
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इनक्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	0.12	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	7.81	2.56
स्लम क्षेत्र विकास	-	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	-	-

गतिविधियों	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
पीने का पानी	9.75	4.75
स्वास्थ्य देखभाल	12.17	9.20
स्वच्छता	3.61	0.74
दिव्यांगों का कल्याण	0.98	0.10
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.15	0.14
अन्य	3.13	1.63
कुल	**61.91**	**33.23**
जोड़ें:- चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर राशि	-	-
महायोग	**61.91**	**33.23**

व्यय किए गए सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा के साथ प्राप्त सीएसआर व्यय का मिलान

विवरण	वर्ष के लिए समाप्त 31.03.2024	वर्ष के लिए समाप्त 31.03.2023
गतिविधि वार व्यय की गई सीएसआर राशि	61.91	33.23
घटाएं: वर्ष के दौरान आगे बढ़ाई गई अधिक/(उपयोग)	8.95	-
जोड़ें: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर राशि	-	-
जोड़ें: चालू परियोजना पर व्यय न की गई सीएसआर राशि		10.16
वर्ष के दौरान प्राप्त सीएसआर व्यय*	52.96	43.39

*इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में अव्ययित खाते से उत्पन्न अधिशेष के कारण ₹ 0.93 लाख करोड़ का व्यय भी शामिल है और तदनुसार निवल सीएसआर व्यय ₹ 52.03 करोड़ आता है जैसा कि नोट-13.8 अन्य खर्चों में गिना गया है।

2. सीएसआर व्यय का विवरण

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
(क) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि (धारा 1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135)	51.68	43.39
(ब) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	97.52	43.39
(ग) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	35.71	6.51
(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	26.20	26.72
कुल	**61.91**	**33.23**

3. चल रही परियोजना के अलावा अन्य बकाया राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक जमा	6 के भीतर धारा VII की निर्दिष्ट निधि में जमा राशि महीने	के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि वर्ष	के दौरान व्यय की गई राशि सालों	अंतिम शेष
असीमित राशि चल रहे प्रोजेक्ट के अलावा अन्य	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरण एकल

4. व्यय की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक जमा	के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि सालों	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष
2021-22				
2022-23				
2023-24	-	52.61	61.91	9.30

* कंपनी का ₹ 9.30 करोड़ के कुल क्लोजिंग बैलेंस में से केवल 8.95 करोड़ रुपये आगे ले जाने का प्रस्ताव है।

5. व्यय न की गई चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित खाता		कंपनी के बैंक खाते से	सेपरेट सीआरएस अव्ययित खाता	कंपनी के साथ	सीएसआर को अलग करने में अव्ययित खाता
2021-22	-	11.55	11.55	-	2.80		8.75
2022-23	-	12.15	12.15	-	6.92		5.23
2023-24							

6. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक जमा	के दौरान जोड़ वर्ष	वर्ष के दौरान समायोजन	अंतिम शेष
सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान (अन्य वित्तीय देयता चालू(अन्य) में शामिल - नोट 8.4)	26.49	13.58	6.21	33.86

नोट - 14.1 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
चालू वर्ष	1,208.98	817.43
पहले के वर्ष	(194.93)	-
कुल चालू कर	1,014.05	817.43
आस्थगित कर	53.84	390.31
मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
कुल	**1,067.89**	**1,207.74**

14.1.1 कर व्यय का सामंजस्य :

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
कर पूर्व लाभ/(हानि)	4726.42	4601.04
25.168% की आयकर दर पर (31.03.2022: 25.168%)	1,189.55	1,157.99
घटाएं: छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
घटाएं: पिछले वर्ष की आय के संबंध में समायोजन	215.80	(215.80)
योग: गैर-कटौती योग्य खर्चों पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	(196.37)	(124.76)
मैट प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	(194.93)	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	1,014.05	817.43
प्रभावी आयकर दर :	21.45%	17.77%

14.1.2 आस्थगित कर आस्तियों/(देयताओं) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

14.1.3 नोट में गतिविधि समायोजन को अलग करने के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के परिणामी प्रभाव के लिए नोट 16 (7) देखें 9.1 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन और भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार,' वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति.

नोट - 15.1 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन 15.1.1	(11.82)	237.32
	(11.82)	237.32
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(2.97)	59.73
	(2.97)	59.73
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
के वित्तीय विवरणों का अनुवाद करने में अंतर का आदान-प्रदान करें विदेशी ऑपरेशन	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
कुल	**(8.85)**	**177.59**

15.1.1 ग्रेच्युटी ₹ शून्य करोड़ (वि. वर्ष ₹ शून्य करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ₹ शून्य करोड़ वि. वर्ष ₹ शून्य करोड़) के संबंध में आंकड़े का प्रदर्शित करता है।

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. क) **आकस्मिक देयताएं**

I. समूह के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रदान नहीं किया गया है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.2023	2,219.58	4,181.52	-	537.60	6,938.70
वर्ष के दौरान वृद्धि	209.85	223.72	-	3.96	437.53
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावा*:					
अ. ओपनिंग बैलेंस से	1,099.27	1,709.06	-	1.25	2,809.58
ब. वर्ष के दौरान वृद्धि से बाहर	21.28	33.92	-	-	55.20
31.03.2024 को अंतिम तिथि	1,308.88	2,662.26	-	540.31	4,511.45

(₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.2022	2,149.01	17,976.32	-	542.07	20,667.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	73.03	318.32	-	0.34	391.69
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे:					
अ. ओपनिंग बैलेंस से	2.46	14,112.85	-	4.81	14,120.12
ब. वर्ष के दौरान वृद्धि से बाहर	-	0.27	-	-	0.27
31.03.2023 को अंतिम तिथि	2,219.58	4,181.52	-	537.60	6,938.70

आकस्मिक दायित्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1	केंद्र सरकार		
	आयकर	613.34	1,113.14
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	146.01	154.28
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	470.83	941.66
	सेवा कर	29.35	10.50
	उत्पाद & सेवा कर	49.35	-
	उप-कुल	**1,308.88**	**2,219.58**
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टि	2,093.73	2,363.24
	विक्रय कर/वैट	172.59	1,282.91
	प्रवेश कर	-	25.00
	विद्युत शुल्क	2.07	58.54
	माडा	364.53	416.78
	पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित अन्य	29.34	35.05

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	उप-कुल	2,662.26	4,181.52
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-
	अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
	उप-योग	-	-
4	अन्य: (यदि कोई हो)	540.31	537.60
	विविध - भूमि और अन्य		
	उप-योग	540.31	537.60
	महायोग	4,511.45	6,938.70

* कृपया वित्तीय विवरण में नोट 13.8.2 देखें

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

कंपनी के लंबित मुकदमों में कंपनी के विरुद्ध दावा और लंबित कर/राज्य/सरकारी प्राधिकरणों की कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं, और अपने वित्तीय विवरणों में, जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का उसकी वित्तीय स्थिति पर भौतिक प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त के संबंध में भावी नकदी बहिर्वाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर करता है।

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य (2014 की डब्ल्यूपी (स) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 42 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए, जिसमें इन परियोजनाओं में उत्पादन उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक होने का आरोप लगाया गया।

कंपनी ने उपर्युक्त मांगों के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष विधिवत पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया है और अगले आदेश तक ₹13568.50 (₹13568.50 करोड़) के मांग आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

सीसीएल ने मुआवजे की मांग सूचना का मूल्यांकन किया है, निपटान में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार इसे रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए आकस्मिक दायित्व नहीं माना गया है।

आकस्मिक परि**संपत्ति:** एक आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है। व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे चालूमें बकाया हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभों के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों को घेरने वाली अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. **गारंटी**

31.03.2024 तक जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 483.76 करोड़ (वि. वर्ष ₹ 476.36 करोड़) है।

III. **साख पत्र**

31.03.2024 को बकाया साख पत्र ₹ शून्य (वि. वर्ष ₹ शून्य) है।

ख) प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है: ₹ 4538.82 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 2110.76 करोड़)।

अन्य प्रतिबद्धताएं : 8404.39 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 8728.84 करोड़ रुपये)।

2. संबंधित पार्टी की जानकारी

a) समूह की जानकारी

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	मुख्य गतिविधियां	निगमित देश	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2024	31.03.2023
1	कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
2	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (सहायक कंपनी)	रेल अवसंरचना	भारत	64%	64%

I. बहन कंपनियां

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	मुख्य गतिविधियां	निगमन का देश
1	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	कोयला खनन	भारत
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	कोयला खनन	भारत
3	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	कोयला खनन	भारत
4	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL)	कोयला खनन	भारत
5	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	कोयला खनन	भारत
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला खनन	भारत
7	सीएमपीडीआई लिमिटेड (सीएमपीडीआई)	कोयला खनन	भारत

II. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाभ मद और अन्य

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	प्रकृति	निगमन का देश
1	सीसीएल कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड	न्यास	भारत
2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में सांविधिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट	न्यास	भारत
4	गैर-कार्यपालकों के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम	न्यास	भारत
5	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित योगदान पेंशन ट्रस्ट	न्यास	भारत
6	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम)	पंजीकृत सोसायटी	भारत
7	कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीअ)	पंजीकृत सोसायटी	भारत

III. संबंधित पक्षों के साथ ट्रांसेक्शन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	अधिकतम शुल्क	पुनर्वास शुल्क	आईआईसीएम प्रभार	अन्य/ निवेश	चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य	बक़ाया शेष (देय)/प्राप्य
1	कोल इंडिया लिमिटेड	172.10	49.73	-	315.98	(45.46)	-
2	सीएमपीडीआई लिमिटेड (सीएमपीडीआई)	-	-	-	202.32	-	(126.21)
3	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान	-	-	0.88	-	-	(0.60)
4	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	0.03	-	-

IV. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरपु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020 से 30.06.2023
डॉ. बी. वीरा रेड्डी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.07.2023
श्री राम बाबू प्रसाद	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	14.05.2022 से 29.02.2024
श्री हरीश दूहन	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	01.03.2024
श्री पवन कुमार मिश्रा	निदेशक (वित्त)	10.06.2022
श्री हर्ष नाथ मिश्रा	निदेशक (कार्मिक)	24.08.2022
श्री बी. साइराम	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	26.10.2022 से 13.03.2024
श्री सतीश झा	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	18.03.2024
श्री अजितेश कुमार	सरकारी नामित निदेशक	22.02.2023 से 27.12.2023
सुश्री रुपिंदर बराड़	सरकारी नामित निदेशक	27.12.2023
श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री विनय रंजन	सरकारी नामित निदेशक	05.08.2021
श्री अमरेश प्रधान	कंपनी सचिव	31.08.2022

V. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
क.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों, सीएफओ और कंपनी सचिव को भुगतान	3.23	2.63
ख.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	0.06	0.09
ii)	रोजगार के बाद के लाभ	1.76	2.13
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
iv)	समाप्ति लाभ	-	-
v)	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुल	**5.05**	**4.85**

नोट : (i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार 2000/- रु प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

VI. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
i)	देय राशि	0.45	-
ii)	प्राप्य राशि	0.04	-

VII. कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय हैं जिसमें कोई निदेशक एक भागीदार, एक निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा, संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3. सामान्य

3.1 ईआईपीएल द्वारा निर्मित स्वामित्व और संचालन (बीओओ) आधार पर चालू रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव पावर प्लांट की पूंजीकरण लागत पर लंबे समय से लंबित विवाद है और यह विवाद 2009 की सिविल अपील संख्या 7403 में लंबित है, जिसे कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिनांक 31.07.2009 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसकी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भी विधिवत पुष्टि की गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 और 23.11.12 के उक्त अपील में पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में कंपनी ने 2012-13 में मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए ₹ 94.33 करोड़ की देयता का हिसाब लगाया था। इसमें से ₹ 83.03 करोड़ का भुगतान पात्र कटौती करने के बाद ईआईपीएल को किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, क्रमशः 20.11.13 और 10.01.14 को ₹ 75 करोड़ और ₹ 25 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक देय संशोधित राशि की गणना जेएसईआरसी द्वारा मार्च, 08 तक की अवधि तक संशोधित प्रशुल्क का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति के आधार पर की गई थी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 94.33 करोड़ के अतिरिक्त ₹ 23.25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था, जो पहले ही 2012-13 के वित्तीय विवरणों में प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 3.26 करोड़ की अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 0.26 करोड़ की अतिरिक्त देयता भी प्रदान की गई है।

ईआईपीएल से प्राप्य शेष का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	
क) मार्च, 08 तक की अवधि के लिए विभेदक टैरिफ - जिसके संबंध में देयता है (ख) वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरणों में 1000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।	94.33
ख) अप्रैल'08 से मार्च'14 की अवधि के लिए विभेदक टैरिफ जिसके संबंध में देयता वर्ष 2013-14 में 10000 करोड़ रु की राशि प्रदान की गई है।	23.25
(ग) डीम्ड ऊर्जा प्रभारों के संबंध में पुरानी रख-रखाव राशि	31.36
घ) वर्ष 2014-15 के लिए विभेदक टैरिफ	3.26
ई) वर्ष 2015-16 के लिए विभेदक टैरिफ (रजरप्पा क्षेत्र)	0.26
कुल	**152.46**
घटाएं: तदर्थ भुगतान (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार)	183.03
निवल शेष (नोट-**4.6 में शीर्ष** दावे एवं अन्य **के अंतर्गत दर्शाई गई है प्राप्य)**	30.57

हालांकि, ईआईपीएल ने 17.09.2012 को ₹ 302.63 करोड़ की अपनी मांग प्रस्तुत की है जिसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज ₹ 134.20 करोड़ शामिल है, जो उक्त पीपीए में कभी सहमत नहीं हुआ था। विलंबित भुगतान को छोड़कर ईआईपीएल की कुल मांग ₹168.43 करोड़ है, जबकि कंपनी ने पहले ही उपरोक्त के अनुसार ₹183.03 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी कर दिया है। मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ईआईपीएल के साथ विद्युत खरीद समझौते के अनुच्छेद 1.18.3 के अनुसार, संबंधित बिजली संयंत्र के चालू होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से ईंधन लागत में भिन्नता के कारण प्रशुल्क के ईंधन घटकों में वृद्धि/कमी निर्धारित की जाएगी। पीपीए के खंड 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक मूल्य ₹ 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के खंड 1.18.3 के अनुसार गणना की गई है और ईंधन लागत में वृद्धि के कारण संशोधित प्रशुल्क के कारण देय अतिरिक्त प्रशुल्क के साथ अपशिष्टों के मूल्य में संशोधन के कारण प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को वित्तीय विवरणों में माना गया है। वर्ष 2013-14 और ईआईपीएल को पूरक बिल भी उठाया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विक्रय और विपणन विभाग की सीसीएल स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजेक्ट्स की कीमत को फिर से संशोधित किया गया था और डीएलएफ लिमिटेड के निदेशक (संचालन) को पत्र संदर्भ संख्या जीएम (ई एंड एम)/डीएलएफ/14/3530-36 दिनांक 17.11.2014 के तहत सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार, जी ग्रेड स्लेक कोयला जो 01.01.2012 से पूर्व लागू मूल्य निर्धारण की यूएचवी प्रणाली के अंतर्गत निम्नतम ग्रेड था, ईआईपीएल से जुलाई, 2000 से दिसंबर, 2011 तक की अवधि के लिए प्रभार्य हो गया। उपर्युक्त पत्र जारी करने के परिणामस्वरूप विक्रय बिल और विद्युत टैरिफ में संशोधन किया गया था।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बढ़े हुए टैरिफ को समायोजित करने के बाद रिजेक्ट्स की आपूर्ति के कारण ईआईपीएल से प्राप्य राशि ₹ 38.69 करोड़ थी। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में ₹ 1.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिससे कुल प्रावधान ₹ 40.33 करोड़ हो गया।

विद्युत क्रय करार के दिनांक 8 फरवरी, 1993 के खंड 2.6 के अनुसार, समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीआईएल और ईआईपीएल को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उभरती हुई स्थिति यह है कि चूंकि समझौते के पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहे हैं, याचिकाकर्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। 1996. इस प्रकार, मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर किया गया है। 2017-18 के दौरान झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने विवाद को निपटाने के लिए समझौते के अनुसार विद्वान मध्यस्थ नियुक्त किया है। विद्वान आर्बिट्रेटर के समक्ष सुनवाई अभी भी लंबित है।

3.2 सचिव, राजस्व,पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांक 07/02/2020 के अपने पत्र सं. 5/सा.भू. (सीसीएल) रामगढ़- 303/2012-519 (5)/रा. द्वारा जो अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड को संबोधित है, में सीसीएल के कमान क्षेत्र के अंतर्गत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के एवज में ₹ 26218.15 करोड़ की मांग की है। मांग-पत्र में लीज अवधि के लिए भूमि के लीज बंदोबस्त के रूप में किराया, कर और सलामी शामिल है।

सीसीएल ने सीबीए (ए&द) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया है और सीबीए (ए&द) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत दख़लकार है जो सभी भारों से मुक्त है। तदनुसार, सीसीएल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग से सहमत नहीं हुआ। हालांकि, कंपनी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार झारखंड सरकार को सरकारी भूमि के लिए वर्तमान ग्रामीण कृषि सर्कल दर पर भूमि मुआवजा देने के लिए सहमत है। वर्तमान ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे की प्रारंभिक देयता 5392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए ₹778.62 करोड़ है जो जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन है और सीसीएल ने ₹ 2582.07 करोड़ का एक अग्रिम भुगतान किया है। ₹ 778.62 करोड़ की प्रारंभिक देयता को पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है। (वित्तीय विवरण देखें - नोट -3.1)।

झारखंड के माननीय कोयला मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के बीच 13.11.2021 को रांची में एक बैठक सम्पन्न हुई। आगे दिनांक 24.02.2022 के का.ज्ञा. में उपरोक्त मामले पर हुई चर्चा नीचे दी गई है: "मुख्य सचिव, झा.सरकार ने सूचित किया कि संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और सरकारी भूमि के खिलाफ मांग भूमि की ग्रामीण कृषि दर लेते हुए की जाएगी और प्रति एकड़ भूमि मुआवजा भूमि की दर का 1.52 गुना होगा अंतिम निपटान के रूप में पूरा। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार देय राशि का भुगतान करने के लिए सिद्धांत रूप में प्रतिबद्ध किया और प्रतिबद्ध किया कि जैसे ही सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होगी, कोयला मंत्रालय के अधिकारी और मुख्य सचिव, झारखंड एक साथ बैठकर भुगतान का कार्यक्रम तय करेंगे और भूमि का भौतिक कब्जा सौंप देंगे।

इसके अलावा, राजकीय विद्युत उत्पादन कंपनी टीवीएनएल (तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड) ने दिनांक 6 जून, 2022 को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, झारखंड सरकार को पत्र संख्या 253/22-23 के माध्यम से राज्य सरकार को सीसीएल द्वारा देय भूमि मुआवजे के मुकाबले टीवीएनएल द्वारा सीसीएल को बकाया राशि का बुक समायोजन करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, सीसीएल ने दिनांक 04/12/2023 को पत्र संख्या CMD/CCL/TVNL-Dues/C-29/2023/717 के माध्यम से झारखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव को सूचित किया है कि टीवीएनएल के ₹ 1036.27 करोड़ के बकाये को भविष्य में सीसीएल द्वारा झारखंड सरकार को भुगतेय सरकारी भूमि मुआवजे के विरुद्ध अग्रिम के रूप में विरोध के अधीन संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट और कुल अग्रिम भुगतान सहित टीवीएनएल के बकायों का बुक समायोजन ₹ 3618.34 करोड़ है।

3.3 मेसर्स सेल और आरआईएनएल को धुले हुए मध्यम कोकिंग कोयले (डब्ल्यूएमसीस) की आपूर्ति सीसीएल, सेल/आरआईएनएल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है) के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) के अनुरूप में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर किया जाता था। इस प्रकार का पिछला समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अर्थात 31.03.2017 तक वैध था और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू सहमत मूल्य 5,780/- रुपये प्रति टन था। सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निदेश के अनुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा यथा परिकल्पित आयात समता के सिद्धांत पर विचार करते हुए डब्ल्यूएमसीसी के मूल्य को अधिसूचित किया है। तथापि, सेल और आरआईएनएल दोनों ने उक्त मामले अर्थात् सहमत मूल्य तंत्र के विरुद्ध एकपक्षीय मूल्य संशोधन में अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। तत्पश्चात्, इन पाटयों (सीसीएल, सेल और आरआईएनएल) के बीच विचार-विमर्श सहित कई पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है लेकिन उक्त मामले में किसी सर्वसम्मति पर सहमति नहीं बनी है। हालांकि, पारस्परिक रूप से सहमत तदर्थ मूल्य @ 6,500/- रुपये प्रति टन 28/07/2018 से लागू किया गया था। उक्त मामले में कई दौर के अनुनय के बाद, सेल के साथ विवाद को पारस्परिक रूप से सहमत बातचीत की शर्तों के माध्यम से सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। इस मामले में आरआईएनएल को भी एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इसी तर्ज पर इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कहा गया है।

3.4 झारखंड राज्य में रेलवे अवसंरचना कार्यों के विकास, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और झारखंड सरकार के बीच 07.05.2015 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम के तहत 31.08.2015 को 5.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड" (जेसीआरएल) नामक एक सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 500.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के एमओए के अनुसार प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्रमशः 64%, 26% और 10% है। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार, जेसीआरएल ने कंपनी को ₹64.63 करोड़, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ₹ 26.26 करोड़ और झारखंड सरकार को ₹10.10 करोड़ के मूल्य के शेयर आवंटित किए हैं और इस प्रकार 31.03.2024 को जेसीआरएल की चुकता पूंजी ₹100.99 करोड़ रुपये है।

सीसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुपालन के लिए अपने एकल वित्तीय विवरणी के अलावा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

जेसीआरएल ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 3.48 करोड़ (गत वर्ष ₹ 8.13 करोड़) का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

3.5 दिनांक 26/10/2021 को राजपत्र में अधिसूचित झारखंड राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2021 में अधिसूचित किया गया है कि राज्य ऐसे सभी यांत्रिक वाहनों द्वारा देय संरचना उपयोगकर्ता शुल्क (सीयूएफ़) भुगतान के लिए एक योजना बनायी जा सकती है, जो राज्य के मार्ग अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करते हों या खनन क्षेत्रों में आने-जाने के लिए प्रयोग किए जाते हों। संरचना उपयोगकर्ता शुल्क "आने-जाने" के आधार पर लगाया जा सकता सकता है। उपयोगकर्ता शुल्क प्रत्येक आवागमन के लिए 600/- रुपये होगा। अभी तक राजपत्र में ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। हालांकि, निदेशक खान ने अपने पत्र संख्या 2089 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से जेआईएमएस पोर्टल के माध्यम से सीयूएफ़ के भुगतान की सूचना दी है।

उक्त सीयूएफ़ के भुगतान की प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पर है। सीसीएल में नीलामी, आरसीआर, रेल और सड़क मोड के माध्यम से विक्रय प्रभावित हो रही है। रेल तक, किराए के वाहनों द्वारा रेलवे साइडिंग तक कोयले की ढुलाई की जा रही है और लागू संविदा के अनुसार सीयूएफ़ के एक प्रकार के कर होने के कारण इसके दावा करने पर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर याचिका के कारण सीयूएफ़ लगाने का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है और इसके अतिरिक्त किसी ट्रांसपोर्टर से इसके लिए कोई दावा नहीं किया गया है। सीसीएल ग्राहकों से दावों को एकत्र कर रहा है और इसे अन्य वित्तीय दायित्व (चालू) के रूप में दर्शाया जा रहा है। 31.03.2024 तक एकत्र की गई कुल राशि ₹ 765.37 करोड़ (31.03.2023 तक ₹ 441.45 करोड़) है।

3.6 रेलीगढ़ा ओसी, लाइयो-झारखंड ओसी के संबंध में सीटीओ तथा सीटीई की लंबित स्वीकृति और केदला ओसी परियोजना में उत्पादन शून्य होने के कारण उपर्युक्त तीन परियोजनाओं में ओबीआर लेखांकन नहीं किया गया है।

3.7 स्टोर और कलपुर्जों की इनवेंटरी का उचित अंतराल पर स्टोर लेखा परीक्षकों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया जा रहा है। 31.03.2024 तक सत्यापन प्रगति पर है।

3.8 कर प्राधिकारियों से कर की वापसी/समायोजन का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, उपकर, विक्रय कर, वैट/प्रवेश कर आदि की अतिरिक्त मांग अंतिम आदेश की प्राप्ति के बाद की जाती है, सिवाय इसके कि अन्यथा आईएनडी एएस -37 के तहत प्राप्त नहीं है।

4. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024		31.03.2023	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश*:				
सुरक्षित बांड		-		-
सहकारी शेयर		-		-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	308.72		718.59	
ऋण		9.70		5.81
जमा और प्राप्य		1,965.71		1,801.86
व्यापार प्राप्य **		1,716.73		3,001.17
नकद और नकदी समकक्ष		405.15		850.64
अन्य बैंक शेष		2,038.48		2,533.87
वित्तीय देयताएं				
उधार और लीज देयता		-		-
व्यापार देय		1,035.41		1,315.11
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		372.80		646.49
अन्य देयता		1,637.98		1,241.80

* सहायक कंपनी में इक्विटी जाता है जो ₹ 345.53 करोड़ शेयरों में निवेश जो ऊपर नहीं (प्रति वर्ष ₹ 345.53 करोड़) है। माना जाता है, लागत पर मापा

** कोयला गुणवत्ता प्रच्युत व्यापार से काटे गए विचरण के लिए भत्ता।

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और प्राक्कलनों को दर्शाती है जो (अ) मान्यता प्राप्त हैं और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (ब) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति एवं देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों को उचित रूप से मापा जाता है मूल्य	31.03.2024		31.03.2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ़वीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश:				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	308.72		718.59	

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपातियां एवं देयताएं जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है	31.03.2024		31.03.2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश:				
सुरक्षित बांड		-		-
सहकारी शेयर		-		-
ऋण		9.70		5.81
जमा और प्राप्य		1,965.71		1,801.86
व्यापार प्राप्य		1,716.73		3,001.17
नकद और नकदी समकक्ष		405.15		850.64
अन्य बैंक शेष		2,038.48		2,533.87
वित्तीय देयताएं				
उधार		-		-
व्यापार देय		1,035.41		1,315.11
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		372.80		646.49
अन्य देयताएं		1,637.98		1,241.80

स्तर 1: स्तर 1 में ऐसे वित्तीय साधन शामिल होते हैं जिनका मूल्यांकन बाजार में उद्त कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, जिनका मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अंत में उनके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

स्तर 2: ऐसे वित्तीय साधन जिनका व्यापार किसी सक्रिय बाजार में नहीं होता है, उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन तकनीकों में, प्रमाणित बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग किया जाता है और कंपनी-विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर किया जाता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, तो उस साधन को स्तर 2 में रखा जाता है।

स्तर 3: यदि किसी साधन के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवश्यक एक या अधिक महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो उस साधन को स्तर 3 में रखा जाता है। निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देनदारियां आमतौर पर स्तर 3 में आते हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्त बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग किया गया है।

(घ) महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(ङ) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियों, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समतुल्य, तथा व्यापार देयों का वहन मूल्य, इनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के बराबर माना जाता है।

समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाहित नहीं है। सुरक्षा जमा, कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वित्तपोषण के अलावा अन्य कारणों से राशि को रोका जाता है। प्रत्येक किशत भुगतान का एक निश्चित प्रतिशत रोककर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ठेकेदार अनुबंध के सभी दायित्वों को पूरी तरह से निभाए। इसलिए, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है, और बाद में इसे अवमूल्यनित लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण प्राक्कलन : ऐसे वित्तीय साधन जिनका व्यापार किसी सक्रिय बाजार में नहीं होता है, उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह इन तकनीकों का चयन करने के लिए अपनी व्यावसायिक समझ का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताएं बनाता है।

5. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापारिक देनदारियां और अन्य देय शामिल हैं। इन देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के व्यापारिक कार्यों के लिए धन जुटाना और इन कार्यों को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्ति यों में ऋण, व्यापारिक प्राप्य, अन्य प्राप्य और नकद तथा नकद समतुल्य शामिल हैं, जो सीधे इसके व्यापारिक कार्यों से उत्पन्न होते हैं।

समूह बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय जोखिमों और समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रबंधन ढांचे के बारे में सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों और प्रक्रियाओं के तहत संचालित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन समूह की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा और स्वीकृति देता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

इस नोट में उन जोखिम स्रोतों का ब्योरा है जिनका संगठन से वास्ता है तथा संगठन जोखिम प्रबंधन किस प्रकार करती है व वित्तीय विवरणों में हेज लेखा का प्रभाव।

जोखिम	जिनसे जोखिम हो सकता है	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधन लागत पर मापा जाता है	एजिंग एनालिसिस/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमाओं का विविधीकरण क्रेडिट सीमा और अन्य
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं भारतीय मुद्रा में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

समूह का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत तथा अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियाँ निर्धारित करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन:

समूह का मुख्य ऋण जोखिम कोयले की विक्रय से उत्पन्न होता है। कोयले की विक्रय को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसअ) और ई-नीलामी।

ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसअ) और ई-नीलामी शर्तों में मैक्रो-आर्थिक कारक, जैसे कि नियामक परिवर्तन, शामिल किए जाते हैं।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसअ)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार, समूह ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसअ) करती है। ये एजेंसियां अंततः ग्राहकों को कोयला पहुंचाती हैं। एफएसए को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- राजकीय विद्युत कंपनियां, निजी विद्युत कंपनियां (पीपीयू) और स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनियां (आईपीपी)
- कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) सहित अन्य गैर- विद्युत उद्योग; तथा
- राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियां

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एनसीडीपी) के तहत उपलब्ध पारंपरिक तरीकों से अपनी कोयले की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते। इन कारणों में एनसीडीपी के तहत आवंटित कोटे में कमी, कोयले की मौसमी मांग और कम मात्रा में कोयले की आवश्यकता शामिल है, जिसके लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते की जरूरत नहीं होती। ई-नीलामी में पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा का निर्धारण कोयला मंत्रालय समय-समय पर करता है।

क्रेडिट जोखिम तब पैदा होता है जब कोई ग्राहक अपने अनुबंधित दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: यह समूह संदिग्ध/ऋण क्षीण आस्तियों के लिए आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रत्याशित ऋण जोखिम हानि का प्रावधान करता है। संदर्भ नोट - 4.3, प्राप्य व्यापार

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर प्रकट वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान, चूक के जोखिम और अपेक्षित हानि दर के संबंध में अवधारणा पर आधारित है। ये धारणाएं संगठन के पिछले अनुभवों, वर्तमान बाजार परिस्थितियों और भविष्य के पूर्वानुमानों पर आधारित होती हैं। संगठन इन धारणाओं और मूल्यांकन गणना में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों का चयन करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लेता है।

तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और व्यापार योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। कार्यशील पूंजी की लगातार बदलती आवश्यकताओं के कारण, समूह ट्रेजरी प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति (जिसमें अनुपयोगित ऋण सुविधाएं शामिल हैं) और नकदी तथा नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आम तौर पर स्थानीय स्तर पर अभ्यास और समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड के बैंक ऋणों को बैंक सिंडिकेट के माध्यम से सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कोयला, भंडार और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक तथा बुक ऋणों के खिलाफ प्रभार बनाकर सुरक्षित किया गया है। सीआईएल के लिए उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा 430.00 करोड़ रुपये है, जिसमें से निधि आधारित सीमा 140.00 करोड़ रुपये और गैर-निधि आधारित सीमा 290.00 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, एचईएमएम के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए कंसोर्टियम के बाहर गैर-निधि आधारित सीमा के रूप में ₹5190.00 करोड़ (गत वर्ष ₹5000.00 करोड़) की स्थापना की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड अनुबंधित रूप से उस सीमा तक उत्तरदायी है जहां तक सहायक कंपनियों द्वारा ऐसी सुविधा का वास्तव में उपयोग किया जाता है।

बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में अंकित है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। समूह नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा आयात और जोखिम का प्रबंधन भी करता है। समूह की एक नीति तब लागू की जाती है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

समूह का प्रमुख ब्याज दर जोखिम बैंक जमाओं से उत्पन्न होता है। ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से समूह की नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए समूह अधिकांश जमाओं को निश्चित ब्याज दर पर रखने की नीति अपनाता है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, समूह विभिन्न बैंकों में जमा, क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों में विविधता लाकर इस जोखिम का प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी निकाय होने के नाते निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (वित्त मंत्रालय के अधीन) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024	31.03.2023
इक्विटी शेयर पूंजी	1,880.00	940.00
दीर्घकालिक ऋण	-	-

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भा.ले.मानक -19) परिभाषित लाभ योजनाएं :

क) ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली एक पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी स्कीम") है। ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी विलगाव होने की तिथि तक संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम ₹ 20 लाख तक सीमित है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों के निष्पक्ष मूल्य को घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुअरी द्वारा अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि उसी वर्ष में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में प्रत्यक्ष मान्यता दी जाती है।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड - "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, ताकि अंतिम वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुमानित देय ग्रेच्युटी राशि में किसी भी कमी की भरपाई की जा सके, जो अधिकतम ₹ 20 लाख तक सीमित है।

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ – अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी ने अपने अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना शुरू की है, जिसे 'कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्ज़िक्यूटिव्स ऑफ़ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडियरीज़' (सीपीआरएमएसई) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत, अधिकारी, उनके पति/पत्नी और 40% से अधिक विकलांगता वाले उनके आश्रित दिव्यांग बच्चे कंपनी के अस्पताल या पैनलबद्ध अस्पतालों में या घर पर इलाज करा सकते हैं। यह योजना उन अधिकारियों के लिए उपलब्ध है जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त किए गए हैं। जो अधिकारी कंपनी से इस्तीफा देते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त अधिकारी, उनके पति/पत्नी और आश्रित दिव्यांग बच्चे जीवन भर कुल 25 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय दावा कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए देयता की गणना हर साल एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – कर्मचारी (सीपीआरएमएस –एनई)

कंपनी ने अपने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना शुरू की है, जिसे 'कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर नॉन-एग्जीक्यूटिव्स' (सीपीआरएमएसई-एनई) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत, गैर-कार्यकारी कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और 40% से अधिक विकलांगता वाले उनके आश्रित दिव्यांग बच्चे कंपनी के अस्पताल या पैनलबद्ध अस्पतालों में या घर पर इलाज करा सकते हैं।यह योजना उन गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त किए गए हैं। साथ ही, 57 साल या उससे अधिक उम्र में कंपनी से इस्तीफा देने वाले गैर-कार्यकारी कर्मचारी और उनके परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त गैर-कार्यकारी कर्मचारी और उनके पति/पत्नी जीवन भर कुल 8 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय दावा कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। दिव्यांग बच्चे के लिए जीवन भर कुल 2.5 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय दावा किया जा सकता है।इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए देयता की गणना हर साल एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन फंड में नियमित रूप से योगदान देती है। यह योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर तय होता है। भविष्य निधि में 12% और पेंशन फंड में 7% का योगदान दिया जाता है। इन फंडों का प्रबंधन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वतंत्र निकाय, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा दिए गए इस योगदान को कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को एक रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुरक्षित समूह के लिए न्यास के माध्यम से किया जाता है। कंपनी का दायित्व मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक ट्रस्ट में योगदान करना है, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नियोक्ता के योगदान को कम करना। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% का चालूनियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण के लिए लिया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नकदीकरण

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की आधी भुगतान वाली छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन छमाही आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 75% ईएल जमा शेष अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की उच्चतम सीमा के अधीन एक बार नकदनीय है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन नकदीकरण के लिए एक साथ माना जाता है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूअ) द्वारा शासित होता है और चालूमें कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने के हकदार हैं तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवषता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण सेवा समाप्त होने पर शेष छुट्टी अथवा 150 दिन, जो भी कम हो, प्राप्त करने के हकदार हैं। नकदीकरण के लिए अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाए जाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के चालूमूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के बारे में शर्तें होती हैं। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम से योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ख) लाइफ कवर स्कीम (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह की एक जीवन बीमा योजना है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड (एलसीएस) की जीवन बीमा योजना के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभों की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

ग) निपटान भत्ते

वेतन करार के भाग के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के अंतर्गत अभिशासित सभी गैर-कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों को 31-10-2010 को अथवा उसके बाद उनकी अधिवषता पर निपटान भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लि (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के कार्यपालकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए सीआईएल समूह के कार्यपालकों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है जिसे कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (जीपीएआईएस) के रूप में जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना का प्रीमियम सीआईएल द्वारा वहन किया जाता है।

ङ) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीस)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी अपने गृह नगर जाने के लिए और 4 साल के ब्लॉक में एक बार "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" जाने के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

च) खदान दुर्घटना कामगार मुआवजा लाभ

कंपनी, वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। 07.11.2019 से, संघातक खदान दुर्घटना के मामलों में एक कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से, मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में 90,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभों की अपेक्षित लागत को तब जोड़ा जाता है जब कोई इस प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्त पोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ– कार्यकारी (सीपीआरएसएमई)
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ– गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस – एनई)

(ii) **अवित्तपोषित**

- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट अलाउंस
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ पर निर्भर लोगों को मुआवजा

कंपनी ने बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2024 तक ₹ 4458.04 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीमांकिक दायित्व खोलना 01.04.2022	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयताएं	बीमांकिक दायित्व खोलना 01.04.2023	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयताएं	बीमांकिक दायित्व को समाप्त करना 31.03.2024
ग्रेच्युटी	2,796.73	(81.48)	2,715.25	122.66	2,837.91
अवकाश	527.83	257.69	785.52	162.42	947.94
सेटलमेंट भत्ता	24.06	(1.70)	22.36	(0.12)	22.24
छुट्टी यात्रा रियायत	34.42	1.22	35.64	2.79	38.43
सेवानिवृत्त होने के बाद के चिकित्सा लाभ	597.57	(0.16)	597.41	14.11	611.52
कुल	**3,980.61**	**175.57**	**4,156.18**	**301.86**	**4,458.04**

31.03.2024 को ग्रेच्युटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन 19 के रूप में आईएनडी के अनुसार प्रमाण पत्र

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क.	लाभ और हानि (पी&एल)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	44.19	64.03
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	98.04	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	142.23	64.03
6	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	1.61	39.97
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	पी&एल में प्राप्त लागत	143.84	104.00

ख.	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.65	(75.04)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	60.43	(99.82)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	65.08	(174.86)
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(9.62)	(23.85)
5	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	55.46	(198.71)

ग.	परिभाषित लाभ लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	142.23	64.03
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /	1.61	39.97
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	55.46	(198.71)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	199.30	(94.71)

घ.	मान्यताओं	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.00%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम

स्पेसिमेन मृत्यु दर

उम्र	दर	उम्र	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

निवल तुलन-पत्र की स्थिति 31.03.2024

क.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का विकास	31.03.2024	31.03.2023
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(2,837.91)	(2,715.25)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ़वीअ)	2,867.01	2,442.63
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	29.10	(272.62)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	29.10	(272.62)

ख.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान	31.03.2024	31.03.2023
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(272.62)	(808.12)
2	सेवा लागत	(142.23)	(64.03)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	(1.61)	(39.97)
4	ओसीआई में प्राप्त राशि	(55.46)	198.71
5	नियोक्ता योगदान	501.02	440.79
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	विभाजन	-	-
9	समाप्ति लाभों की लागत	-	-
10	चालू अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	29.10	(272.62)

31-03-2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	2,715.25	2,796.73
2	चालू सेवा लागत	44.19	64.03
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	188.25	184.89
4	कटौती (ऋण)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	98.04	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	4.65	(75.04)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	60.43	(99.82)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(272.90)	(155.54)
13	**चालूअवधि के अंत में डीबीओ**	**2,837.91**	**2,715.25**

ख.	परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2,442.63	1,988.60
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	186.64	144.92
4	नियोक्ता योगदान	501.02	440.80
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	9.62	23.85
6	भुगतान किए गए लाभ	(272.90)	(155.54)
7	**चालूअवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य**	**2,867.01**	**2,442.63**

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

क.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च, 2025	220.50
2	31 मार्च, 2026	256.92
3	31 मार्च, 2027	301.90
4	31 मार्च, 2028	296.24
5	31 मार्च, 2029	347.51
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	1,429.35
7	10 साल से अधिक	2,722.03
ख.	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	44.59
ग.	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	8 वर्ष
घ.	अर्जित लाभ दायित्व 31-03-2024	2,368.62

ङ.	31-03-2024 तक परिसंपत्ति की जानकारी की योजना	प्रतिशतता
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%
	जायदाद	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	**100%**

च.	चालूऔर अन्य चालूदेयता ब्रेकअप	31-03-2024
1	चालूदायित्व	213.16
2	अन्य चालूदायित्व	2,624.75
3	31-03-2024 तक देयता	2,837.91

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं परडीबीओ	2,837.91
क.	**छूट की दर**	
	छूट दर 31-03-2024 के अनुसार	7.00%
1	डिस्काउंट रेट में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(99.36)
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
2	डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	106.50
	प्रतिशत प्रभाव	4%

ख.	वेतन वृद्धि दर	
	वेतन वृद्धि दर 31-03-2024	कार्यकारी: 9%; गैर कार्यकारी: 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	28.44
	प्रतिशत प्रभाव	1%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(31.05)
	प्रतिशत प्रभाव	-1%

31-03-2024 को आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र के रूप में छुट्टी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क.	लाभ और हानि (पी&एल)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	156.77	139.19
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	83.35	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	240.12	139.19
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	37.79	17.18
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	(14.92)	168.69
8	पी&एल में प्राप्त लागत	262.99	325.06

ख.	परिभाषित लाभ लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	240.12	139.19
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	37.79	17.18
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	(14.92)	168.69
5	परिभाषित लाभ लागत	262.99	325.06

ग.	धारणाएँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.00%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम	भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम

स्पेसिमेन मृत्यु दर

उम्र	दर	उम्र	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31.03.2024 को निवल तुलन-पत्र की स्थिति

क.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का विकास	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(947.93)	(785.52)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	167.31	267.88
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(780.62)	(517.64)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(780.62)	(517.64)

ख.	निवल शेष शीट की स्थिति का समाधान	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(517.64)	(312.58)
2	सेवा लागत	(240.12)	(139.19)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	(37.78)	(17.18)
4	बीमांकिक (हानि)/लाभ	14.92	(168.69)
5	नियोक्ता योगदान	-	120.00
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	टर्मिनेशन लाभ	-	-
10	चालू अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(780.62)	(517.64)

31-03-2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	785.52	527.83
2	चालू सेवा लागत	156.77	139.19
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	53.09	32.94
4	कटौती (ऋण)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	83.35	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(41.41)	211.74
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	27.10	(39.26)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(116.49)	(86.92)
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	947.93	785.52

ख.	परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य	267.88	215.25
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	15.30	15.76
4	नियोक्ता योगदान	-	120.00
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	0.61	3.79
6	भुगतान किए गए लाभ	(116.49)	(86.92)
7	**चालू अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य**	167.30	267.88

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

क.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च, 2025	65.08
2	31 मार्च, 2026	71.57
3	31 मार्च, 2027	80.66
4	31 मार्च, 2028	78.06
5	31 मार्च, 2029	93.29
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	405.77
7	10 साल से अधिक	160.00

ख.	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	169.49
ग.	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	10 वर्ष
घ.	अर्जित लाभ दायित्व 31-03-2024	544.92

ङ.	योजना परिसंपत्ति की जानकारी 31-03-2024 तक	प्रतिशतता
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%
	परिसंपत्ति	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	100%

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

च.	चालू और अन्य चालू देयता ब्रेकअप	31-03-2024
1	चालू दायित्व	62.92
2	अन्य चालू दायित्व	885.02
3	31-03-2024 तक देयता	947.94

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	947.94
क.	**छूट की दर**	
	छूट दर 31-03-2024 के अनुसार	7.00%
1	डिस्काउंट रेट में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(44.40)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	48.49
	प्रतिशत प्रभाव	5%

ख.	वेतन वृद्धि दर	
	वेतन वृद्धि दर 31-03-2024	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	48.19
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(44.55)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

31-03-2024 को आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क.	लाभ और हानि (पी&एल)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	13.32	14.41
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	13.32	14.41
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	15.62	15.94
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	पी&एल में प्राप्त लागत	28.94	30.35

ख.	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(63.99)	(0.13)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	21.15	(36.91)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(42.84)	(37.04)
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(0.80)	(1.58)
5	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	(43.64)	(38.62)

ग.	परिभाषित लाभ लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	13.32	14.41
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज / (परिसंपति)	15.62	15.94
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	(43.64)	(38.62)
4	(लाभ)/हानि की तात्कालिक मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	(14.70)	(8.27)

घ.	धारणाएँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.00%	7.30%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर – (सेवा काल में)	बीमाकृत भारतीयों की जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम	बीमाकृत भारतीयों की जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम
4	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	वार्षिकी-प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति की मृत्यु दर तालिका (2012-15)	वार्षिकी-प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति की मृत्यु दर तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (भारतीय रुपये में)	अधिकारी : अधिवास लाभ - 36,000 भारतीय रुपये प्रतिवर्ष, अस्पताल भर्ती लाभ- 35,000 भारतीय रुपये प्रति वर्ष, कर्मचारी : संयुक्त (अधिवास लाभ + अस्पताल लाभ) - 18,000 भारतीय रुपये प्रति वर्ष	अधिकारी : अधिवास लाभ - 36,000 भारतीय रुपये प्रतिवर्ष,अस्पताल भर्ती लाभ - 35,000 भारतीय रुपये प्रति वर्ष, कर्मचारी : संयुक्त (अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ) - 18,000 भारतीय रुपये प्रति वर्ष
5	जीवनसाथी की आयु का अंतर	पति या पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	पति या पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है

स्पेसिमेन मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

उम्र	दर	उम्र	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

स्पेसिमेन मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकी-प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु दर तालिका (2012-15)

उम्र	दर
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

निवल तुलन-पत्र की स्थिति 31.03.2024

क.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का विकास	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(611.52)	(597.42)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ़वीअ)	419.52	376.27
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(192.00)	(221.15)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(192.00)	(221.15)

ख.	निवल तुलन-पत्र की परिस्थिति का समायोजन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(221.15)	(239.44)
2	सेवा लागत	(13.32)	(14.41)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	(15.62)	(15.94)
4	ओसीआई में प्राप्त राशि	43.64	38.62
5	नियोक्ता योगदान	14.45	10.02
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभों की लागत	-	-
10	चालू अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(192.00)	(221.15)

31-03-2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	597.42	597.57
2	चालू सेवा लागत	13.32	14.41
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	43.61	40.04
4	कटौती (ऋण)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(63.99)	(0.13)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	21.16	(36.91)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-	(17.56)
13	चालू अवधि के अंत में डीबीओ	611.52	597.42

ख.	परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य	376.27	358.13
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	28.00	24.10
4	नियोक्ता योगदान	14.45	10.02
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	0.80	1.58
6	भुगतान किए गए लाभ	-	(17.56)
7	**चालू अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य**	419.52	376.27

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

क.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च, 2025	29.47
2	31 मार्च, 2026	32.27
3	31 मार्च, 2027	35.13
4	31 मार्च, 2028	37.98
5	31 मार्च, 2029	40.60
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	236.21
7	10 साल से अधिक	1,293.36

ख.	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 वर्ष
ग.	अर्जित लाभ दायित्व 31-03-2024	611.52

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर DBO	611.52
क.	छूट की दर	
	छूट दर 31-03-2024 के अनुसार	7.00%
1	डिस्काउंट रेट में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(34.58)
	प्रतिशत प्रभाव	-6%
2	डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	38.18
	प्रतिशत प्रभाव	6%

7. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष और 1 अप्रैल 2022 तक का पुनर्कथन

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन' तथा भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुरूप, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती कालखंड की प्रारंभिक तिथि) से 31 मार्च 2023 तक अपनी बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण को भूतलक्षी प्रभाव से निम्न कारणों से पुनर्स्थापित किया है :

ओपनकास्ट खनन के मामले में, स्थापना के बाद से ही सीआईएल ने अपनी स्ट्रिपिंग गतिविधि (ओवरबर्डन रिमूवल) लेखा नीति का अनुपालन किया है। मौजूदा नीति के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि लागत में दो घटक शामिल हैं अर्थात एडवांस स्ट्रिपिंग और अनुपात विचलन। अग्रिम स्ट्रिपिंग को भौतिक माप के आधार पर चालूपरिसंपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। अनुपात विचलन को अन्य चालू प्रावधानों के रूप में चिन्हित किया गया था ताकि मानक अनुपात के आधार पर परियोजना के जीवनकाल में ओवरबर्डन हटाने की लागत का प्रसरण एकसमान हो सके।

वर्ष के दौरान, कंपनी/समूह की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के लेखा मानक बोर्ड (एएसब) की राय के आधार पर, इंड एएस 16 के परिशिष्ट बी, 'सतही खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत' के अनुरूप, स्ट्रिपिंग गतिविधि के लिए एक संशोधित नीति लागू की गई है जो कंपनी/समूह की परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण पर लागू की गयी है।

वित्तीय विवरण लाइन मदों का समायोजन जो पूर्व व्यापी रूप से पुन: स्थापित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक तुलन-पत्र की पुनर्गठित वस्तुओं का समायोजन:

विवरण	नोट	31.03.2023 को स्थिति			01.04.2022 को स्थिति		
		जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3.1	6,045.80	374.07	6,419.87	5,737.61	128.51	5,866.12
आस्थगित कर परिसंपत्ति	11.2	504.96	(215.80)	289.16	679.47		679.47
कुल परिसंपत्ति		25,508.85	158.27	25,667.12	20,711.35	128.51	20,839.86
अन्य चालूप्रावधान	9.1	5,334.98	(483.37)	4,851.61	5,118.65	128.51	5,247.16
अन्य इक्विटी	7.2	9,377.49	641.63	10,019.12	7,471.98	-	7,471.98
आस्थगित कर देयता	11.2	-	-	-	-	-	-
कुल इक्विटी और देयता		**25,508.85**	**158.26**	**25,667.11**	**20,711.35**	**128.51**	**20,839.86**

वित्तीय विवरण एकल

(ii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण की पुन: बताई गई मदों का समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(268.25)	(268.25)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		633.96	(593.65)	40.31
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		18.21	(18.21)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	652.17	(880.11)	(227.94)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	682.96	22.69	705.65
कर पूर्व लाभ			3,743.61	857.43	4,601.04
कर व्यय		14.1	991.94	215.80	1,207.74
वर्ष के लिए लाभ			2,751.67	641.63	3,393.30
कुल व्यापक आय			**2,929.26**	**641.63**	**3,570.89**

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(155.69)	(155.69)
अनुपात विचलण आरक्षित	(ख)		153.21	(204.11)	(50.90)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		20.45	(20.45)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	173.66	(380.25)	(206.59)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	148.63	5.67	154.30
कर पूर्व लाभ			1,291.37	374.58	1,665.95
कर व्यय		14.1	368.11	94.28	462.39
अवधि के लिए लाभ			923.26	280.30	1,203.56
कुल व्यापक आय			**1,056.42**	**280.30**	**1,336.72**

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(119.14)	(119.14)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		197.94	(265.12)	(67.18)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		(32.28)	32.28	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	165.66	(351.98)	(186.32)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	150.29	5.67	155.96
कर पूर्व लाभ			496.20	346.31	842.51
कर व्यय		14.1	79.05	87.16	166.21
अवधि के लिए लाभ			417.15	259.15	676.30
कुल व्यापक आय			**342.60**	**259.15**	**601.75**

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः बताई गई मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(62.44)	(62.44)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		343.43	(136.39)	207.04
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		(23.21)	23.21	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	320.22	(175.62)	144.60
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	170.06	5.67	175.73
कर पूर्व लाभ			942.76	169.95	1,112.71
कर व्यय		14.1	254.96	42.77	297.73
अवधि के लिए लाभ			687.80	127.18	814.98
कुल व्यापक आय			**722.70**	**127.18**	**849.88**

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)			69.02	69.02
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		(60.61)	11.97	(48.64)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		53.25	(53.25)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	(7.36)	27.74	20.38
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	213.98	5.68	219.66
कर पूर्व लाभ			1,013.28	(33.41)	979.87
कर व्यय		14.1	289.82	(8.41)	281.41
अवधि के लिए लाभ			723.46	(25.00)	698.46
कुल व्यापक आय			**807.54**	**(25.00)**	**782.54**

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(78.27)	(78.27)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		159.06	(122.22)	36.84
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		12.54	(12.54)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	171.60	(213.03)	(41.43)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	158.82	12.81	171.63
कर पूर्व लाभ			1,309.41	200.22	1,509.63
कर व्यय		14.1	272.82	50.39	323.21
अवधि के लिए लाभ			1,036.59	149.83	1,186.42
कुल व्यापक आय			**1,031.04**	**149.83**	**1,180.87**

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(75.73)	(75.73)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		95.01	(80.43)	14.58
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		13.21	(13.21)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	108.22	(169.37)	(61.15)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	155.63	12.81	168.44
कर पूर्व लाभ			938.96	156.56	1,095.52
कर व्यय		14.1	263.45	39.40	302.85
अवधि के लिए लाभ			675.51	117.16	792.67
कुल व्यापक आय			**683.93**	**117.16**	**801.09**

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(23.27)	(23.27)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		290.84	(231.95)	58.89
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		54.09	(54.09)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	344.93	(309.31)	35.62
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	166.10	12.81	178.91
कर पूर्व लाभ			959.10	296.50	1,255.60
कर व्यय		14.1	305.74	74.62	380.36
अवधि के लिए लाभ			653.36	221.88	875.24
कुल व्यापक आय			**696.78**	**221.88**	**918.66**

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित वस्तुओं का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(177.27)	(177.27)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		544.91	(434.60)	110.31
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		79.84	(79.84)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	624.75	(691.71)	(66.96)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	480.55	38.43	518.98
कर पूर्व लाभ			3,207.47	653.28	3,860.75
कर व्यय		14.1	842.01	164.42	1,006.43
अवधि के लिए लाभ			2,365.46	488.86	2,854.32
कुल व्यापक आय			**2,411.75**	**488.86**	**2,900.61**

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभाव

विवरण		नोट	कुल धनराशि
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		15.88
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		139.01
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	[क+ख]	13.6	154.89
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	244.44
कर पूर्व लाभ			865.67
कर व्यय		14.1	61.46
अवधि के लिए लाभ			804.21
कुल व्यापक आय			**749.07**

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभाव

विवरण		नोट	कुल धनराशि
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		(161.39)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		249.32
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	[क+ख]	13.6	87.93
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	763.42
कर पूर्व लाभ			4,726.42
कर व्यय		14.1	1,067.89
अवधि के लिए लाभ			3,658.53
कुल व्यापक आय			**3,649.68**

(iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जैसा पहले सूचित किया गया हैं	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कर पूर्व लाभ	3,743.61	857.43	4,601.04
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	682.96	22.69	705.65
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	652.18	(880.12)	(227.94)
निम्नलिखित परिसंपत्तियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह और दायित्व	4,646.48	-	4,646.48
प्रावधानों	1,064.66	268.24	1,332.90
संचालन से प्राप्त नकदी	5,711.14	268.24	5,979.38
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि /	185.73	-	185.73
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष	664.91	-	664.91
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समकक्ष	850.64	-	850.64

(iv) प्रति शेयर आय का सामंजस्य :

उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर मूल और मंद आय नीचे दी गई है:

विवरण	जैसा पहले सूचित किया गया हैं *	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस	1,463.66	341.29	1,804.95

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1:1 में बोनस शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, 31.03.2023 को बकाया शेयरों में से कोई भी ईपीएस की गणना के लिए भारतीय लेखा मानक एएस 33 के पैरा 28 के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार आनुपातिक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

8. अन्य जानकारी

क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

समूह मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और विक्रय के एकल खंड व्यवसाय में लगा हुआ है।

ख) अनुपात

अनुपात	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
चालूअनुपात	1.41	1.29
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	10.09	11.51
प्राप्य टर्नओवर अनुपात	5.81	5.32
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	2.62	2.19
निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	5.59	4.10
निवल लाभ अनुपात (%)	23.93	22.29
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	0.23	0.27
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	0.30	0.35
निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)		
(क) गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर ब्याज ब्याज	-	-
(ख) म्यूचुअल फंड पर आरओआई	0.08	0.07
(ग) जमाराशि पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के साथ, आईसीडीएस सहित)	1.13	0.70

चालू अनुपात: चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपनी अल्पकालिक देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता को मापता है। इसकी गणना चालू परिसंपत्ति यों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात यह दर्शाता है कि एक कंपनी किसी निश्चित अवधि में अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार बेचती है। इसे विक्रय की गई वस्तुओं की लागत को औसत इन्वेंट्री के मूल्य से विभाजित करके गणना किया जाता है। यहां, विक्रय की गई वस्तुओं की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बट्टे खाता - प्रावधान- कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय - स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन)।

प्राप्य टर्नओवर अनुपात: प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक कंपनी की अपनी प्राप्य राशि, यानी ग्राहकों से बकाया राशि, को एकत्र करने की दक्षता को मापता है। इसे कुल क्रेडिट विक्रय/औसत व्यापार प्राप्य द्वारा मापा जाता है।

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात : व्यापार देय टर्नओवर अनुपात यह दर्शाता है कि एक अवधि के दौरान कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं को कितनी बार भुगतान करती है। इसे कुल खरीद को औसत व्यापार देय से विभाजित करके गणना किया जाता है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद / औसत व्यापार देय।

शुद्ध पूंजी कारोबार : शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात यह मापता है कि एक कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। इसकी गणना कुल विक्रय को कार्यशील पूंजी से विभाजित करके की जाती है।

शुद्ध लाभ अनुपात : शुद्ध लाभ अनुपात यह दर्शाता है कि एक कंपनी की कुल विक्रय में से कितना हिस्सा शुद्ध लाभ के रूप में रह जाता है

वित्तीय विवरण एकल

नियोजित पूंजी पर वापसी : ब्याज व कर पूर्व आय (ईबीआईटी)/नियोजित पूंजी , जहां नियोजित पूंजी = कुल परिसंपत्ति है – चालू देयता होगी ।

इक्विटी अनुपात पर वापसी : इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) औसत शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की गई वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। जहां निवल आय अवधि के लिए टैक्स के बाद लाभ है, औसत शेयरधारकों की इक्विटी = (ओपनिंग इक्विटी + क्लोजिंग इक्विटी)/2।

निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग किसी निवेश से प्राप्त लाभ को मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि किसी कंपनी ने अपने निवेश पर कितना पैसा कमाया है। जितना अधिक आरओआई होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा।

(i) गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई : लाभांश/सहायक कंपनियों में औसत निवेश

(ii) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश + पूंजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि)/औसत निवेश

(iii) जमाराशि पर आरओआई (बैंकों, एफ़डी व आईसीएडी सहित) = ब्याज से आय/औसत निवेश

ग) विखंडित राजस्व जानकारी:

अनुबंध के साथ ग्राहकों से प्राप्त विखंडित राजस्व की जानकारी, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115, राजस्व की आवश्यकता है, के अनुसार तालिका में दर्शाई गई है :

(₹ करोड़ में)

अलग-अलग आय की जानकारी :	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पाद या सेवा का प्रकार		
- कोयला	15,291.52	15,226.21
- अन्य	-	-
कोयला एवं अन्य विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व	15,291.52	15,226.21
ग्राहकों के प्रकार		
- विद्युत क्षेत्र	11,063.46	9,658.51
- गैर-विद्युत क्षेत्र	4,228.06	5,567.70
- अन्य या सेवाएं	-	-
कोयला एवं अन्य विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व	15,291.52	15,226.21
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	12,274.08	11,522.80
- ई नीलामी	3,017.44	3,703.41
- अन्य	-	-
कोयले और अन्य की विक्रय से कुल राजस्व	15,291.52	15,226.21
उत्पाद या सेवा का समय		
- एक समय पर स्थानांतरित उत्पाद	15,291.52	15,226.21
- समय के साथ स्थानांतरित उत्पाद	-	-
- एक समय पर स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की विक्रय से कुल राजस्व	15,291.52	15,226.21

घ) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	3,658.53	3,393.30
ii)	भारित औसत संख्या बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या (शेयरों की संख्या करोड़ में)	1.88	1.88
iii)	रुपये में प्रति शेयर मूल और क्षीण आय (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	₹ 1,946.03	₹ 1,804.95

ईपीएस के पुनर्कथन के लिए नोट 16 (7) (v) देखें

ङ) नवीन लेखा घोषणाएं :

कारपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अंगीकरण की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 या अनंतर वार्षिक अवधि है। संशोधनों को नीचे दिया गया है:

(i) **भारतीय लेखा मानक 1 -** वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति - इस संशोधन में संस्थाओं को उनके महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बजाय उनकी सामग्री लेखा नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। कंपनी को यह उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(ii) **भारतीय लेखा मानक 8 -** लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन - इस संशोधन ने 'लेखांकन अनुमान' की परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किए हैं। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) **भारतीय लेखा मानक 12 -** आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को संकुचित कर दिया है ताकि यह लेनदेन पर लागू न हो जो समान और ऑफसेट अस्थायी मतभेदों को जन्म देता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

च) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, शेष राशि का मिलान किया जाता है और शेष पुष्टिकरण पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियां पुष्टि/मिलान के अध्यधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, की पुष्टि/मिलान पर हिसाब दिया जाएगा, और परिणामों को सामग्री रूप से प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है।

छ) हेराफेरी, धोखाधड़ी, अधिक भुगतान, चोरी आदि के मामले

इस अवधि के दौरान 0.27 करोड़ रुपये के उत्पाद की चोरी हुई है (पिछले वर्ष 0.25 करोड़ रुपये) है, जिसका विधिवत हिसाब दिया गया है।

ज) वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले

i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206(ग) के अंतर्गत रोड सेल ग्राहकों से टीसीएस के संबंध में आयकर विभाग की 10656 करोड़ रुपए की मांग के विरुद्ध विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को कुर्क करके 71.79 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा 34.77 करोड़ रुपए की शेष राशि जमा कर दी गई है। बदले में कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार ग्राहकों से 77.53 करोड़ रुपये वसूल किए हैं और शेष 27.99 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

इसके बाद, सीआईटी (अ) द्वारा मामले का निपटारा किया गया और उक्त आदेश के खिलाफ सीसीएल ने आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की क्योंकि सीआईटी (अ) द्वारा

जारी आदेश स्पष्ट नहीं था। आईटीएटी ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2023 में सीसीएल के पक्ष में आदेश दिया और सीसीएल द्वारा उठाए गए सभी आधारों की अनुमति दी।

ii) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के लिए तुलन-पत्र की तारीख पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित है।

iii) कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ था।

झ) त्रुटियों को सुधारने और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए सामग्री लेखांकन नीति को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

ञ) सीसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में ₹600.66 करोड़ का भुगतान किया है (पिछले वर्ष 2022-23 में अंतरिम लाभांश ₹600.66 करोड़ और अंतिम लाभांश ₹423.00 करोड़ का भुगतान किया गया)। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹498.20 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित/अनुमोदित किया है जिसे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में मालिकों को वितरित किया जाएगा।

विविध जानकारी

(i) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक था, पुन: वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

(ii) वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की स्पष्टता के लिए सामग्री लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट– 1 और 2 क्रमशः कारपोरेट जानकारी और सामग्री लेखांकन नीतियों को दर्शाता है, नोट 3 से 11 उस तिथि को समाप्त तिमाही के लिए बैलेंस शीट का भाग है तथा 12 से 15 उस तिथि को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण का भाग हैं। नोट- 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ को दर्शाता है।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में | **निदेशक मंडल की ओर से**

	ह./-	ह./-
कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स	**(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)**	**(पवन कुमार मिश्रा)**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)	**डीआईएन- 08679590**	**डीआईएन- 0009665365**
ह./-	ह./-	ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)	**(अनिल कु. गुप्ता)**	**(अमरेश प्रधान)**
सहयोगी	महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या 015363)		**सदस्यता संख्या.-F11264**

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण, समेकित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के
लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

राय

हमने **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** ("कंपनी") एवं समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), विवेच्य वर्ष के अंत तक नगदी-प्रवाह विवरणी और इक्विटी परिवर्तन विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक के समेकित विवरणी पर नोट सम्मिलित है (आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)। इस वित्तीय विवरण में उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक रिटर्न भी शामिल है, जिसका लेखा परीक्षण कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, मगध एवं संघमित्रा, आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त, रजहरा, चरही क्षेत्रों के लिए कंपनी के शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है तथा शेष पांच (5) क्षेत्रों के लिए हमारे द्वारा किया गया है।

हमारी राय में, तथा हमारे द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, एवं अन्य लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विचार करने के उपरांत, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, समेकित लाभ/हानि सहित अन्य व्यापक आय, समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, जिसमें भारतीय लेखा मानक भी शामिल हैं, के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमारी जिम्मेदारियां हमारे प्रतिवेदन के 'समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके नियमों के अंतर्गत समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामलों पर बल :

1. **नोट 6.2.5 द्रष्टव्य:** अन्य चालू संपत्तियों के तहत 1575.57 करोड़ रुपये की संचित जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उल्टे शुल्क संरचना के एक मामले से संबंधित है। 13 सितंबर, 2021 को उल्टे शुल्क संरचना के तहत रिफंड के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस राशि की वसूली या समायोजन अनिश्चित है।
2. **क. नोट 3.1 और नोट 16(7) द्रष्टव्य:** कंपनी की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के लेखा मानक बोर्ड (ASB) की राय के आधार पर, कंपनी ने इंड एएस 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट-ख (खुली खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत) के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति लागू की है। 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को नोट 3.1 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत 1 अप्रैल, 2022 से स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियों के रूप में माना गया है, जैसा कि पुनर्स्थापित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 1 अप्रैल, 2022 को अपनी बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर आय के समाधान को पूर्वव्यापी रूप से पुनर्स्थापित किया है।

ख. आय पर करों के कारण कटौती की स्वीकार्यता अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकों में वर्ष के लिए वास्तविक प्रभार से जुड़ी होनी चाहिए। हालांकि, प्राप्त विशेषज्ञ की राय के अनुसार, सीसीएल ने वित्त वर्ष 23-24 के दौरान स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट (एसएए) के तहत पूंजीकृत राशि के पूर्ण मूल्य यानी 558.15 करोड़ रुपये की कटौती की है, जबकि कर योग्य आय की गणना और वित्त वर्ष 23-24 के लिए कर व्यय का प्रावधान किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मुख्य लेखा परीक्षण मामले

हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले मुख्य लेखा परीक्षण मामले हैं। इन मामलों पर समग्र रूप से हमारे लेखा परीक्षण के संदर्भ में विचार किया गया है, और इस आधार पर हमने अपना राय तैयार किया है। हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए मुख्य लेखा परीक्षण मामले के रूप में निर्धारित किया है:

मुख्य लेखा परीक्षण मामले	लेखा परीक्षक का प्रत्युत्तर
भारतीय लेखा मानक 115: ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में, राजस्व की मान्यता की सटीकता और कोयले की गुणवत्ता में अंतर के कारण होने वाले समायोजन महत्वपूर्ण अनुमानों पर निर्भर करते हैं। कंपनी द्वारा किसी विशेष अनुबंध में मान्यता दिया गया राजस्व संबंधित ग्राहक के लिए ई-नीलामी में विक्रय समझौते/आवंटन पर निर्भर करता है। हस्तांतरित कोयले की ग्रेड में असमानता/कमी के कारण लेनदेन मूल्य में बाद में समायोजन किए जाते हैं। यदि अनुबंध के पक्षकारों के बीच अनुबंध मूल्य में अंतर को आपसी रूप से निपटाया नहीं जाता है, तो इसे तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के निपटान के लंबित रहते हुए राजस्व मान्यता के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में ऐसे समायोजन ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट 12.1 देखें।	**मुख्य लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं:** हमने कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान करने और इस प्रक्रिया में किए गए अनुमानित समायोजनों की उचितता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया है। हमने लेनदेन का चयन यादृच्छिक आधार पर किया और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड में असमानता या कमी से संबंधित विवादों वाले अनुबंधों की पहचान की। इसके अलावा, हमने प्रदर्शन दायित्व की पूर्ति का मूल्यांकन किया और लेनदेन मूल्य में परिवर्तन के कारण राजस्व में किए गए समायोजनों की जाँच की। हमने यह भी जांचा कि कंपनी द्वारा किए गए अनुमानों का आधार क्या है और क्या ये अनुमान कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। **लेखा परीक्षण का निष्कर्ष:** हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद नहीं पाया गया।

अन्य सूचनाएँ जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के दायरे में नहीं आती हैं

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इन अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (परिशिष्ट सहित), व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक सूचना शामिल हैं। हालांकि, इनमें समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करता है और हम इन पर कोई और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और यह जांचना है कि क्या ये सूचनाएं समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में दी गयी आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ये विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, समग्र आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा सिद्धांतों और धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) तथा संबंधित नियमों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, समुपयुक्त लेखा नीतियों का चयन, कार्यान्वयन और रखरखाव, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है। ये नियंत्रण लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हैं। इसका उद्देश्य समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जो एक सत्य व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण गलती से रहित हों।

समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन यह आकलन करने के लिए उत्तरदायी होता है कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न के रूप में आगे बढ़ सकती है अथवा नहीं और यदि कंपनी के पास लेखाकरण के आधार पर गोइंग कंसर्न के समापन या परिचालन बंद करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तो प्रबंधन को इस से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, प्रकट करना चाहिए। साथ ही, निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किए गए संपूर्ण वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी महत्वपूर्ण गलती से रहित हों तथा इसके लिए एक लेखा परीक्षण रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा राय भी शामिल होता है। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं होगी कि लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण से हमेशा मटेरियल गलतियों का पता चलेगा, यदि हो तो। वित्तीय विवरणों में गलतियाँ धोखाधड़ी या मानवीय त्रुटि के कारण हो सकती हैं तथा ये गलतियाँ तब महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जब वे उन लोगों के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं जो इन वित्तीय विवरणों पर निर्भर करते हैं।

लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किए जाने वाले लेखा परीक्षण में, हम अपनी पेशेवर समझ का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा और संदेहपूर्णता के साथ कार्य करते हैं। हम:

- समेकित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जोखिमों की पहचान व आकलन, उन जोखिमों की प्रतिक्रिया में लेखा प्रक्रियाओं की योजना बनाना तथा क्रियान्वयन करते हैं तथा वैसे लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और सही हो। धोखाधड़ी के कारण हुई मटेरियल गलतियों होने का जोखिम त्रुटिजनित उत्पन्न अशुद्धियों से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गयी गलती, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है।
- लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखाकरण के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना राय व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या यह प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
- प्रयोग में लायी गई लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा परीक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन।
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था धारणा के आधार पर किए गए लेखा परीक्षण की उचितता का मूल्यांकन करते हैं। साथ ही, प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसी कोई घटना या परिस्थिति है जिससे कंपनी के भविष्य के अस्तित्व पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो। यदि

ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में संबंधित जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा। यदि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो हमें अपनी राय में बदलाव करना होगा

हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर है।

समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना है, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है। साथ ही, यह भी जांचना है कि क्या उक्त वित्तीय विवरण कंपनी के लेन-देन और घटनाओं को उचित रूप से दर्शा रहे हैं। महत्वपूर्णता (मटेरियलिटी) का अर्थ है वित्तीय विवरणों में ऐसी त्रुटियां जो व्यक्तिगत रूप से या सम्मिलित रूप से वित्तीय विवरणों का उपयोग करने वाले किसी जानकार व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षण की सीमा की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में चिन्हित अशुद्धियों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी के प्रशासन-प्रभारी व्यक्तियों के साथ लेखा परीक्षण की योजना, समय सीमा, महत्वपूर्ण निष्कर्षों और आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन-प्रभारी व्यक्तियों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक सभी नैतिक मानकों का पालन किया है। इसमें उन सभी संबंधों और स्थितियों को शामिल किया जाता है जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं। हमने इन सभी मामलों के बारे में प्रशासन-प्रभारी व्यक्तियों को सूचित किया है और जहां आवश्यक हो, हमने इन संभावित प्रभावों को कम करने के लिए उपाय किए हैं

प्रशासन-प्रभारी के साथ हुए संवाद के आधार पर, हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करते हैं और इसलिए वह मुख्य लेखा परीक्षण मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां विधि अथवा विनियम इसके सार्वजनिक प्रकटन पर निषेध करता हो अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के सार्वजनिक संसूचन का नुकसान जनहित से अधिक होगा।

अन्य मामले :

1. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मगध एवं संघमित्रा क्षेत्र की रेलवे साइडिंग के पूंजीकृत मूल्य के एक भाग की वापसी के कारण रु. 220.61 करोड़ मूल्यह्रास की राशि पर लगने वाले कर का निर्धारण शेष है।
2. कंपनी में सभी व्यावसायिक लेन-देनों को रिकॉर्ड करने के लिए कोल नेट से सैप-ईआरपी प्रणाली में अंतरण किया जा रहा है। इस बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से एक लेखाकरण के माध्यम से जांचा जाना चाहिए। इस लेखाकरण में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नई प्रणाली में सभी डेटा सही तरीके से स्थानांतरित हो गया है।

उपरोक्त "अन्य मामलों" के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्कताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश अनुसार लेखा परीक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं समुह की लेखा एवं वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हमनें "परिशिष्ट-क" में दिया गया है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ) के अनुच्छेद 3 और 4 में बताए गए सभी विषयों पर हमारा बयान परिशिष्ट-ख में दिया गया है।
3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि:

(क) हमने सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त "मामलों की प्रमुखता" के साथ पढ़ा जाए।

(ख) हमारी राय में, समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही-खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही-खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है।

(ग) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नियंत्रक कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर, जो अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा/क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों या अनुषंगी कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किए गए थे, प्राप्त प्रतिवेदन हमारे पास भेजे गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इन प्रतिवेदनों का उचित रूप से अध्ययन किया है।

(घ) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण सहित शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखाकरण की गई शाखाओं/क्षेत्रों के विवरण लेखा पुस्तको के अनुरूप हैं।

(ङ) हमारी राय में, हमारे पास ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(च) हमारी राय में, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों एवं साथ जारी प्रासंगिक नियमों का अनुपालन करते हैं।

(छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ज) हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के संदर्भ में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "परिशिष्ट-ग" में हमारे अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अशोधित राय व्यक्त करती है।

(ञ) कंपनी (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर:

i. कंपनी ने अपने समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट 16.1(a) में लंबित मुकदमों के बारे में जानकारी दी है। इन मुकदमों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो इनके अंतिम निर्णय के बाद ही वित्तीय विवरणों में समाहित किया जाएगा।

ii. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी संभावित पूर्वभासी भौतिक नुकसान के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए हैं तथा कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं थे।

iii. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्था "मध्यस्थ" शामिल है) को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की है, चाहे वह ऋण प्राप्त धनराशि से हो, शेयर प्रीमियम से हो या किसी अन्य स्रोत से। यह समझ के साथ किया गया हो या नहीं कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह का कोई अन्य लाभ प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम

जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति, निकाय अथवा विदेशी निकाय ("फंडिंग पार्टियां"), से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या नहीं ,कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी ।

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(सी) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में वर्णित है, में कोई भौतिक गलत बयान है।

v. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई है।

vi. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान में दिए गए अपवाद के अनुसार, लेखाकरण ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा वाले एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बही रखने का नियम 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू हुआ है। कंपनी अपने लेखा कार्य सैप (SAP) सॉफ्टवेयर पर करती है। सैप के लेखा मॉड्यूल में लेखाकरण ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा है जिसे पूरे साल सैप में दर्ज सभी लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेखाकरण ट्रेल को किसी भी तरह से बदला नहीं गया है और कंपनी ने इसे कानून के अनुसार सुरक्षित रखा है।

कृते **एसपीएएन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 302192E

सीए के. चक्रवर्ती
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर: 015363
यू डी आई एन: 24015363BKFJNB3683

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित परिशिष्ट 'क' के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि;

मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों पर वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट

भाग-I

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
i.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें।	सैप प्रणाली के माध्यम से लेखा संबंधी समस्त लेनदेन को संसाधित करने हेतु प्रणाली स्थापित है। प्रदर्शन इन्सेंटिव, अंतिम स्टॉक मूल्यांकन तथा ओबीआर का लेखांकन दूसरे आईटी प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा अंतिम परिणाम को मुख्य लेखांकन प्रणाली में डाला जाता है।
ii.	क्या कंपनी की ऋण अदायगी में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ब्याज/या अन्य देनदारियों पर छूट दी गई है? यदि हां, तो इसका वित्तीय प्रभाव क्या रहा है? क्या ऐसे मामलों का लेखाकरण सही ढंग से किया गया है? (विशेषकर यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लेनदेनों का लेखाकरण नियमों के अनुसार किया गया है।	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई भी मामला नहीं है।
iii.	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं ? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें।	हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विचलन सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला नहीं है।

वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट।

भाग-II

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया गया था? क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है?	हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया जाता है। भौतिक स्टॉक का मापन सीआईएल की वार्षिक कोयला स्टॉक मापन के दिशानिर्देशानुसार, माप रिपोर्ट के साथ संलग्न समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी नए हीप के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।
2.	क्या कम्पनी ने किसी भी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनः संरचना के समय परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था? यदि ऐसा है तो, क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र का विलय/विभाजन नहीं हुआ है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखा आंकड़ों का पुनर्गठन किया गया है क्योंकि केवल रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए 1 अप्रैल 2023 से गिरिडीह क्षेत्र को ढोरी क्षेत्र से अलग किया गया है। जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, संपत्तियों और परिसंपत्तियों का कोई भौतिक पुनर्गठन नहीं हुआ है। गिरिडीह क्षेत्र की संपत्तियां, उसके क्षेत्र और लेखा अलग है तथा ढोरी क्षेत्र की संपत्तियां, उसके क्षेत्र और लेखा अलग हैं। केवल लाभ केंद्र को पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए लेखा पुस्तकों में जोड़ दिया गया है।
3.	यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख-रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 67 खदानों का एस्क्रो खाता बनाया गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खदान बंद करने की गतिविधियों के लिए कोई राशि (विगत वर्ष 5.50 करोड़ रुपये) प्राप्त नहीं हुई है।

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
		पिंडरा खुली खान तथा दक्षिणी तापिन खुली खदान के संबंध में, स्वीकृत पीआर एंड एमसीपी के अभाव में एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है।
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार तथा लेखांकित किया गया है?	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखण्ड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 13568.50 करोड़ की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के खिलाफ, सीसीएल ने माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मांग के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के मांग नोटिस में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अपने दिनांक 21/12/2021 के आदेश के तहत, उक्त मांग को न तो ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और न ही इसे समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। नोट 16 के तहत उक्त मामले का प्रकट किया गया है।
5.	क्या कोलनेट पोर्टल से सैप में डाटा अंतरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कोल नेट पोर्टल से सैप में डाटा अंतरण की प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन अभी किया जाना शेष है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित परिशिष्ट 'ख' के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि;

(i) (क) अ. हमारे लेखाकरण के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ब. क्षेत्रों ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखा है।

(ख) हमें प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने सर्वेयेड ऑफ परिसम्पत्तियों के अलावे अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है जिनका मूल्य 1.00 लाख रूपये एवं अधिक है, और विगत तीन वर्षों के दौरान किये गए परिवर्धन के मामले में मूल्य के बावजूद प्रत्येक परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल पर किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई है।

(ग) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में कोयला खदानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत पूर्ववर्ती कोयला कंपनियों से हस्तांतरित भूमि को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड में सांविधिक आदेश संख्या जीएसआर/345 ई, दिनांक 9 जुलाई, 1973, नई दिल्ली द्वारा निहित की गई थी। इन भूमियों के संबंधित दस्तावेज़ भूमि एवं राजस्व विभाग में सुरक्षित रखे गए हैं और सीसीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 1)9) के तहत अधिग्रहित भूमियों के संबंध में सांविधिक आदेश सहित सभी दस्तावेज़ सीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। भूमि के विस्थापित व्यक्तियों को अंतिम मुआवज़ा भुगतान किए जाने के बाद, मूल भूमि दस्तावेज़ सीसीएल के भूमि एवं राजस्व विभाग में सुरक्षित रखे जाते हैं। शेष सभी मामलों में, भूमि के स्वामित्व विलेख सीसीएल के संबंधित विभागों में सुरक्षित रखे जाते हैं।

पिपरवार, आम्रपाली चंद्रगुप्त, कुजू, मगध-संघमित्रा, रजहरा , उत्तरी कर्णपुरा, बरका सयाल और बरकाकाना सीआरएस की क्षेत्रों के शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया कि आगे के सत्यापन के लिए उन्हें भूमि के स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या दोनों की अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) 1988 के 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा या लंबित है।

(ii) (क) कंपनी की नीतियों के अनुसार, अंतर-क्षेत्र माप दल द्वारा प्रत्येक खदानों में विभिन्न स्थानों के समोच्च मानचित्र के संदर्भ में वॉल्यूमेट्रिक माप के माध्यम से कोयला, कोक आदि का भौतिक सत्यापन किया गया है। अंतर-क्षेत्र माप दल ने उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। कंपनी इस संबंध में लेखा परीक्षण नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है यदि बुक स्टॉक और मापा स्टॉक के बीच +/- %5 तक भिन्नता है, तो बुक स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन के लिए माना जाता है, यदि कोई निर्धारित सीमा के भीतर विचलन, यदि कोई हो, तो उसे नजरअंदाज किया जाता है।

भंडार एवं पुर्जों के भौतिक सत्यापन के संबंध में, हमें यह सूचित किया गया है कि लेखाकरण प्रक्रियाधीन है।

(ख) वर्ष के दौरान, किसी भी समय, किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थानों से कंपनी को कोई नई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य

पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, निम्नलिखित के अलावा प्रदान नहीं किया है :

(क) होल्डिंग कंपनी के साथ एक चालू खाता ।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त ऋण/अग्रिम आदि कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने द्वारा प्रदान किए गए ऋण और निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का विचार है कि व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त राशि जैसे बकाया राशि, जमा राशि, सुरक्षा जमा और ग्राहकों / अन्य से अग्रिम जमा के रूप में, ये जमा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के दायरे में नहीं आते हैं ।

(vi) हमने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते एवं रिकॉर्ड बनाए एवं रखे गए हैं। हालांकि, हमने सटीकता या पूर्णता निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है।

जैसा कि हमें सूचित किया गया है, हमारे लेखाकरण की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखाकरण प्रक्रियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख के हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष निर्विवाद वैधानिक देयताएं सहित बही खाते में वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं से सम्बद्ध देयताएँ कंपनी द्वारा नियमित रूप से जमा की गई है।

हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया राशि 31 मार्च 2024 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) उप-खंड (ए) में संदर्भित वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इसमें शामिल राशि और जिस फोरम में यह विवाद लंबित है, उसका उल्लेख "**अनुबंध-1**" है।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण के तहत कर अधिकारियों द्वारा किसी भी लेन-देन की पहचान या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में जमा या प्रकट करने की आवश्यकता है।

(ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त किया गया था, उसके लिए सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया गया था।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं

जुटाया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक आधार में किया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनी में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बही-खातों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अगला सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3 (x) अनुछेद (ए) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बहि एवं अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (x) पैरा (बी) लागू नहीं होता है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) व्हिसल ब्लोअर नीति (18.10.2019 को आयोजित अपने 478वें बोर्ड में सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) के अनुसार, सीसीएल के पास व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को उचित और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एक प्रणाली है, हालांकि, हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जहां लागू है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन के विवरण का प्रकट लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है;

(ख) हाँ, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया था;

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-I ए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(घ) कंपनी एक बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है और न ही इसमें एक से अधिक सीआईसी हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में, तथा वित्तीय अनुपात के आधार पर,वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान,वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है;

(xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे नियम के साथ; में निर्दिष्ट निधि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अनुपालन में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक अव्ययित राशि का कोई शेष नहीं था।

(ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में अव्ययित सीएसआर राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है।वित्त वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने अतिरिक्त सीएसआर व्यय किया है और इसे 8.95 करोड़ रुपये के लिए सीएसआर अतिरिक्त व्यय के तहत एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(xxi) हम समेकित वित्तीय विवरणों के तहत रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

कृते **एसपीएएन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 302192E

सीए के. चक्रवर्ती
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर: 015363
यू डी आई एन: 24015363BKFJNC9436

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 3(g) में उल्लिखित परिशिष्ट 'ग' के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि;

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च, 2024 तक **'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड'** ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण के साथ उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदेय है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक, इन जिम्मेदारियों के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा चिन्हित करने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के ससमय निर्माण सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनानी और निष्पादित करनी होती है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा क्या ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हुए हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, भौतिक कमजोरियों के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। हमने जो प्रक्रियाएं चुनी हैं, वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक गलतियों के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षण साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो

(1) अभिलेख के रख-रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसम्पत्तियों के सटीक एवं उचित लेन-देन और निपटान को दर्शाते है,

(2) उचित आश्वासन देते है कि लेन-देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और

(3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं के कारण, मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का उल्लंघन होने की संभावना रहती है। इससे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वित्तीय विवरणों में गंभीर गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता भी नहीं चल पाता है। इसके अलावा, भविष्य में आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में कोई भी अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण ये नियंत्रण कमजोर हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और 31 मार्च, 2024 को यह प्रणाली सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी। यह राय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों पर आधारित है।

कृते **एसपीएएन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 302192E

सीए के. चक्रवर्ती
पार्टनर
मेम्बरशिप नंबर: 015363
यू डी आई एन: 24015363BKFJNC9436

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

अनुबंध – 1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" पैराग्राफ 2 के उल्लिखित परिशिष्ट 'ख' के अनुच्छेद (vii) के संदर्भ में

31.03.2024 तक विवादित वैधानिक देयताओं का विवरण

(करोड़ रुपए में)

कर का प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान
रॉयल्टी मामले	60	प्रमाणपत्र कार्यालय - धनबाद, रांची, बोकारो, हज़ारीबाग़/ डीएमओ / डीडी (एम)	84-85, 86-87, 90-91 से 95-96, 98-99 से 20-21	936.55	17.47
रॉयल्टी मामले	3	उप. आयुक्त-हजारीबाग,रामगढ़	96-97, 08-09 एवं 14-15	1.92	0.91
रॉयल्टी मामले	4	आयुक्त-हजारीबाग	05-06, 08-09	4.72	1.26
रॉयल्टी मामले	32	उच्च न्यायालय, झारखंड	87-88,90-91 से 96-97, 98-99, 02-03, 04-05, 05-06 से 20-21	1,103.14	18.73
रॉयल्टी मामले	4	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	91-92, 99-00 और 08-09	47.40	14.12
	103			**2,093.73**	**52.49**
बिक्री कर मामले	0	वाणिज्य कर अधिकारी - रांची, रामगढ़, हाज, तेनुघाट		-	-
बिक्री कर मामले	13	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	15-16 से 17-18	161.15	1.23
बिक्री कर मामले	2	जेसीसीटी (ए), रांची	15-16, 16-17	0.29	1.52
बिक्री कर मामले	1	सीसीटी/डीसीसीटी, रांची	14-15	-	0.92
बिक्री कर मामले	16	सीसीटी/डीसीसीटी- हजारीबाग, रामगढ़, तेनुघाट (फुसरो)	06-07, 13-14 से 17-18	11.15	8.37
बिक्री कर मामले	0	न्यायाधिकरण, रांची		-	-
बिक्री कर मामले	0	उच्च न्यायालय, झारखंड		-	-
माडा	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	05-06 से 22-23	364.53	0.01
	33			**537.12**	**12.05**

कर का प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान
बिजली शुल्क मामले	0	डीसीसीटी		-	-
बिजली शुल्क मामले	8	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	13-14 से 17-18	1.73	0.20
बिजली शुल्क मामले	0	सीसीटी, रांची		-	-
बिजली शुल्क मामले	1	न्यायाधिकरण, रांची	14-15	0.34	-
बिजली शुल्क मामले	0	उच्च न्यायालय, झारखंड		-	-
	9			**2.07**	**0.20**
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	7	आयुक्त, रांची	14-15 से 17-18	18.89	0.68
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	26	सीईएसटीएटी, कोलकाता	10-11 से 17-18	156.47	3.33
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	0	उच्च न्यायालय, झारखंड		-	-
सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क मामले	0	अन्य		-	-
	33			**175.36**	**4.01**
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	17-18	470.83	-
	1			470.83	-
वस्तु एवं सेवा कर	1	अपीलीय प्राधिकरण	17-18 से 19-20	49.35	4.49
	1			**49.35**	**4.49**
आयकर मामले	1	डीसीआईटी, रांची	04-05	1.94	1.94
आयकर मामले	1	सीआईटी (ए), रांची	22-23	104.13	189.01
आयकर मामले	12	आईटीएटी	06-07 से 16-17 और 20-21	507.27	463.65
आयकर मामले	0	अन्य		-	-
	14			**613.34**	**654.60**
आयकर मामले-जेसीआरएल	1			0.78	0.00
			कुल	**3,942.58**	**727.84**

दिनांक 31.03.2024 को परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2024 को (लेखा परीक्षित)	31.03.2023 को (लेखा परीक्षित एवं पुनर्लिखित)
क.	**इक्विटी एवं देयताएं**		
1	शेयरधारक निधि		
	क. इक्विटी शेयर पूंजी	1,880.00	940.00
	ख. अन्य इक्विटी	11,713.42	10,025.79
	ग. शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	-	-
	उप - कुल - शेयरधारक का निधि	13,593.42	10,965.79
2	शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन	-	-
3	**गैर-नियंत्रण ब्याज**	**198.78**	**192.87**
4	**अन्य चालू देयताएं**		
	क) वित्तीय देयताएं	626.70	357.33
	ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-
	ग) अन्य अन्य चालू देयता	372.82	412.85
	घ) प्रावधान	5,335.39	4,851.61
	उप - कुल - अन्य चालू देयताएं	**6334.61**	**5,621.79**
5	**चालू देयताएं**		
	क) वित्तीय देयताएं	2,898.17	2,971.19
	ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-
	ग) अन्य चालू देयताएं	2,966.45	4,066.34
	घ) प्रावधान	790.95	2,174.46
	उप - कुल - चालू देयताएं	6,657.10	9,212.41
	कुल-इक्विटी एवं देयताएं	**26,783.91**	**25,992.86**
ख.	**परिसंपत्तियां**		
1	**अन्य चालू परिसंपतियां**		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	10,343.58	8,873.81
	(ख) विलय पर सद्भावना	-	-
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	235.32	289.15
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	1,905.85	1,702.11
	(ड.) अन्य अन्य चालू परिसंपत्तियां	4,747.27	3,084.73
	उप-कुल- अन्य चालू परिसंपतियां	**17,232.02**	**13,949.80**

	विवरण	31.03.2024 को (लेखा परीक्षित)	31.03.2023 को (लेखा परीक्षित एवं पुनर्लिखित)
2	चालू परिसंपत्ति		
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	4,669.75	7,396.42
	(ख) इन्वेन्टरी	1,316.97	1,144.30
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	3,037.60	3,434.70
	(घ) चालू कर परिसंपतियां (निवल)	527.57	67.64
	उप - कुल- चालू परिसंपति	**9,551.89**	**12,043.06**
	कुल – परिसंपत्ति	**26,783.91**	**25,992.86**

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह./-
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

ह./-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./-
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या.-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

दिनांक 31.03.2024 को परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में, शेयर और ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.		विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
			31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2023
				(पुनर्लिखित)	(पुनर्लिखित)		(पुनर्लिखित)
			लेखा परीक्षित		जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है	लेखा परीक्षित	
1	**संचालन से आय**						
		सकल विक्रय	6,168.81	6,401.67	5,482.77	23,341.82	22,720.19
		कमी: अन्य लेवी	2,213.20	2,136.06	1,891.51	8,050.30	7,493.98
	(क)	निवल विक्रय /संचालन से आय (लेवी का निवल)	3,955.61	4,265.61	3,591.26	15,291.52	15,226.21
	(ख)	अन्य संचालित आय	348.94	316.77	297.31	1,274.20	1,152.99
	संचालन से कुल आय (निवल) (क+ख)		4,304.55	4,582.38	3,888.57	16,565.72	16,379.20
2	**व्यय**						
	(क)	उपभोग किए गए सामान का लागत	269.39	335.78	230.99	971.85	1,170.83
	(ख)	तैयार वस्तुओं की इन्वेन्टरी में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	**(555.36)**	**(470.53)**	**(105.73)**	**(181.50)**	**(81.81)**
	(ग)	कर्मचारी लाभ व्यय	1,862.38	2,557.75	1,673.40	6,862.80	7,222.70
	(घ)	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	244.44	219.66	178.91	763.42	705.65
	(ई)	ठेका व्यय	644.85	477.64	503.73	2,159.50	1,944.87
	(च)	अन्य व्यय	1,065.77	801.84	391.42	2,191.22	1,886.73
	(छ)	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	154.89	20.37	35.62	87.93	(227.94)
	कुल व्यय (क से छ तक)		3,686.36	3,942.40	2,908.35	12,855.55	12,621.05
3	**अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ /हानि (1-2)**		**618.19**	**639.98**	**980.22**	**3,710.47**	**3,758.25**
4	**अन्य आय**		**267.30**	**358.55**	**295.57**	**1,095.76**	**926..46**
5	**वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ / (हानि) (3+4)**		**885.49**	**998.53**	**1,275.79**	**4,806.23**	**4,684.61**
6	**वित्तीय व्यय**		**18.60**	**16.09**	**19.27**	**76.33**	**75.44**
7	**वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ /हानि (5-6)**		**866.89**	**982.44**	**1,256.52**	**4,729.90**	**4,609.17**
8	**असाधारण मद**		-	-	-	-	-
9	**कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ / (हानि) (7-8)**		**866.89**	**982.44**	**1,256.52**	**4,729.90**	**4,609.17**

क्र. सं.	विवरण		समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
			31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2023
				(पुनर्लिखित)	(पुनर्लिखित)		(पुनर्लिखित)
			लेखा परीक्षित		जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है	लेखा परीक्षित	
10	कर व्यय		61.68	282.28	380.66	1,068.85	1,210.46
11	वर्ष में निवल लाभ / (हानि) (9-10) [अ]		805.21	700.16	875.86	3,661.05	3,398.71
12	असाधारण मद (कर व्यय का निवल)		-	-	-	-	-
13	**सहयोगियों एवं अल्प हितों का निवल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परंतु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11 + 12)**		**805.21**	**700.16**	**875.86**	**3,661.05**	**3,398.71**
14	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-	-	-	-
15	अल्प हित		-	-	-	-	-
16	**वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (13 + 14 + 15)**		**805.21**	**700.16**	**875.86**	**3,661.05**	**3,398.71**
17	**अन्य विस्तृत आय/(हानि)(निवल कर) [ब]**		(55.14)	84.08	43.42	(8.85)	177.59
18	**कुल विस्तृत आय/(हानि) [अ + ब]**		**750.07**	**784.24**	**919.28**	**3,652.20**	**3,576.30**
19	प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति)		1,800.00	940.00	940.00	1,800.00	940.00
20	प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येकशेयर का फेस वैल्यू ₹ 1000 /-प्रत्येक) (वार्षिक नहीं किया गया)						
	(क)	**447.14**	**447.14**	**388.64**	**486.47**	**1,946.88**	**1,806.79**
	(ख)	**447.14**	**447.14**	**388.64**	**486.47**	**1,946.88**	**1,806.79**

वर्ष के दौरान कंपनी ने मार्च 2024 में 1:1 में बोनस शेयर जारी किया है

ईपीएस की गणना के लिए इंड एएस 33 के पैरा 28 की आवश्यकता के अनुसार पहले की अवधि में बकाया शेयरों की संख्या को समायोजित किया गया है

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

ह./-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./-
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या.-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

वित्तीय विवरण समेकित

31 मार्च 2024 को समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	नोट नं.	के रूप में 31.03.2024	के रूप में 31.03.2023 (पुनर्लिखित)	के रूप में 01.04.2022 (पुनर्लिखित)
परिसंपत्तियां				
अन्य चालू परिसंपत्तियां				
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3.1	7,056.97	6,420.00	5,866.15
कार्यशील पूंजी	3.2	1,845.55	1,743.05	1,161.74
गन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	3.3	629.23	683.95	573.69
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	3.4	24.51	26.81	8.66
विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	3.5	787.32	-	11.27
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	4.1	-	-	-
(ii) ऋण	4.2	8.69	5.10	2.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	1,897.16	1,697.01	1,371.51
आस्थगित कर संपति (निवल)	11.2	235.32	289.15	679.47
अन्य चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	11.1	-	-	-
अन्य अन्य चालू परिसंपत्तियां	6.1	4,747.27	3,084.73	2,293.31
कुल अन्य चालू परिसंपत्ति		**17,232.02**	**13,949.80**	**11,967.86**
चालू परिसंपत्ति				
इन्वेन्टरी	5.1	1,316.97	1,144.30	1,031.34
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	4.1	308.72	718.59	64.72
(ii) व्यापार प्राप्य	4.3	1,716.73	3,001.17	2,149.65
(iii) नकद और नकदी समकक्ष	4.4	475.29	980.44	747.32
(iv) अन्य बैंक शेष	4.5	2,040.43	2,533.87	1,513.04
(v) ऋण	4.2	1.01	0.71	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.6	127.57	161.64	99.25
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11.1	527.57	67.64	154.16
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6.2	3,037.60	3,434.70	3,218.27
कुल चालू परिसंपत्तियां		**9,551.89**	**12,043.06**	**8,977.75**
कुल परिसंपत्तियां		**26,783.91**	**25,992.86**	**20,945.61**

31 मार्च 2024 को समेकित तुलन-पत्र (जारी....)

(₹ करोड़ में)

				31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
					(पुनर्लिखित)	(पुनर्लिखित)
	इक्विटी एवं देयताएं					
	इक्विटी					
	इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	1,880.00	940.00	940.00
	अन्य इक्विटी		7.2	11,713.00	10,025.79	7,475.78
	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी			**13,593**	**10,965.79**	**8,415.78**
	गैर-अनियंत्रित ब्याज		7.3	198.78	192.87	99.45
	कुल इक्विटी			13,792.20	11,158.66	8,515.23
	देयताएं					
	अन्य चालू देयताएं					
	वित्तीय देयताएं					
	(i) ऋण		8.1	478.38	125.12	-
	(ii) पट्टा देयताएं		8.2	-	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		8.4	148.02	232.21	124.13
	प्रावधान		9.1	5,335.39	4,851.61	5,247.16
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)		11.2	-	-	-
	अन्य अन्य चालू देयताएं		10.1	372.82	412.85	497.13
	कुल अन्य चालू देयताएं			**6,334.61**	**5,621.79**	**5,868.42**
	चालू देयताएं					
(क)	वित्तीय देयताएं					
	(i)	ऋण	8.1	-	0.03	-
	(ii)	पट्टा देयताएं	8.2	-	-	-
	(iii)	व्यापार देयताएं	8.3			
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय			11.78	9.88	6.98
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय			1,024.95	1,305.24	1,556.66

वित्तीय विवरण समेकित

			31.03.2024 को		31.03.2023 को	01.04.2022 को
					(पुनर्लिखित)	(पुनर्लिखित)
	(iv)	अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	1,862.76	1,656.46	1,048.38
(ख)	अन्य अन्य चालू देयताएं		10.2	2,966.45	4,066.34	3,116.14
(ग)	प्रावधान		9.1	790.95	2,174.46	833.75
(घ)	चालू कर देयताएं (निवल)		11.1	-	-	-
	कुल चालू देयताएँ			**6,657.10**	**9,212.41**	**6,561.96**
	कुल इक्विटी और देयताएँ			**26,783.91**	**25,992.86**	**20,945.61**
संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।						

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह./-
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

ह./-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./-
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या.-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणियां	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
				(पुनर्लिखित)
	संचालन से राजस्व	**12.1**		
क.	विक्रय (लेवियों का निवल)		15,291.52	15,226.21
ख.	अन्य संचालन से राजस्व (लेवियों का निवल)		1,274.20	1,152.99
(I)	**संचालन से राजस्व** (ए+बी)		16,565.72	16,379.20
(II)	**अन्य आय**	**12.2**	**1,095.76**	**926.46**
(III)	**कुल आय (I+II)**		**17,661.48**	**17,305.66**
(IV)	**व्यय**			
	उपभोगित सामग्री लागत	13.1	971.85	1,170.83
	तैयार उत्पाद की इनवेंटरी/प्रगतिधीन कार्य तथा स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	13.2	(181.50)	(81.81)
	कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	6,862.80	7,222.70
	वित्तीय लागतें	13.4	76.33	75.44
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	13.5	763.45	705.67
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	87.93	(227.94)
	संवेदकीय व्यय	13.7	2,159.50	1,944.87
	अन्य व्यय	13.8	2,191.22	1,886.73
	कुल व्यय (IV)		12,931.58	12,696.49
(V)	असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (III-IV)		4,729.90	4,609.17
(VI)	संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) भाग		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**4,729.90**	**4,609.17**
(VIII)	कर व्यय	14.1		
	चालू कर		1,015.02	820.14
	आस्थगित कर		53.83	390.32
(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**		**3,661.05**	**3,398.71**
	अन्य व्यापक आय	15.1		
	मदें जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		(11.82)	237.32
	घटाएँ : मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		(2.97)	59.73
	मदें जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएंगी		-	-
	घटाएँ : मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जाएंगी		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		(8.85)	177.59
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)**		**3,652.20**	**3,576.30**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

		नोट्स	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
	आरोपित लाभ :			
	कंपनी के मालिक को		3,660.14	3,396.77
	गैर-नियंत्रित ब्याज को		0.91	1.94
			3,661.05	3,398.71
अन्य आरोपित व्यापक आय :				
	कंपनी के मालिक को		(8.85)	177.59
	गैर-नियंत्रित ब्याज को		-	-
			(8.85)	177.59
कुल आरोपित व्यापक आय :				
	कंपनी के मालिक को		3,651.29	3,574.36
	गैर-नियंत्रित ब्याज को		0.91	1.94
(XVII)	प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक):			
	(1) बेसिक (₹)		**1,946.88**	**1,806.79**
	(2) डाइल्यूटेड (₹)		**1,946.88**	**1,806.79**

उपरोक्त टिप्पणियां संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में | **निदेशक मंडल की ओर से**

कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह./-
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

ह./-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./-
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या.-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		4,729.90	4,609.17
कर पूर्व लाभ **समायोजन :**			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		-	-
ब्याज और लाभांश आय		763.45	705.67
वित्तीय लागत		(358.31)	(263.16)
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण की विक्रय पर (लाभ)/हानि		76.33	75.44
भत्ते और प्रावधान		4.13	0.02
बट्टा		52.43	92.13
प्रावधान वापसी		(168.17)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		0.81	2.07
विदेशी विनिमय दर भिन्नता		87.93	(227.94)
संचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह (चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले)		**5,188.50**	**4,993.40**
व्यापार प्राप्य		1,403.03	(943.65)
इन्वेन्टरी		(344.47)	(120.21)
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		40.24	(174.44)
अन्य चालू/अन्य चालू परिसंपत्ति		204.23	(454.48)
व्यापार देय		(278.39)	(248.52)
अन्य वित्तीय देयतायें		181.36	696.55
अन्य चालू एवं अन्य चालू देयतायें		(1,139.92)	865.87
प्रावधानों		(1,071.62)	1,428.26
संचालन गतिविधियों से प्राप्त **नकदी**		4,182.96	6,042.78
आयकर भुगतान/वापसी		(1,471.98)	(793.35)
संचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(अ)**	2,710.98	5,249.43
निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह			
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(3,551.79)	(2,368.49)
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरणों की विक्रय से आय		13.65	2.62
गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान		(58.94)	(123.19)
बैंक जमा की प्राप्ति/बैंक जमा		294.39	(1,236.66)
म्यूचुअल फंड, शेयर्स आदि से प्राप्ति		450.01	(625.56)
सहायक कंपनी में निवेश		-	-
निवेश से ब्याज		306.98	233.48
ब्याज एवं लाभांश आय		-	-
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निवल राशि	**(ब)**	(2,545.70)	(4,117.80)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

			31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्लिखित)
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
	अन्य चालू ऋणों से प्राप्तियां/(वापसी)		353.26	125.12
	चालू ऋण से प्राप्तियां /(वापसी)		(0.03)	0.03
	लीज देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		-	-
	ब्याज भुगतान		-	-
	इक्विटी शेयरों पर दिया गया लाभांश		(1,023.66)	(1,023.66)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर		-	-
	इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
	इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी	**(स)**	**(670.43)**	**(898.51)**
	नकदी एवं बैंक बैलेंस में कुल वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)		(505.15)	233.12
	अवधि के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष		**980.44**	**747.32**
	अवधि के अंत में नकद और नकदी समकक्ष		**475.29**	**980.44**
	नकद और नकद समकक्षों के घटक			
	बैंकों के साथ शेष			
	जमा खातों में		17.15	12.31
	चालू खातों में		458.00	867.95
	भारत के बाहर बैंक में जमा		-	-
	प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी		-	100.00
	चेक, ड्राफ्ट और टिकट		-	0.01
	नकद		-	-
	भारत के बाहर नकद		-	-
	अन्य		**0.14**	**0.17**
	कुल (नकद एवं नकद इक्विटि के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें।		**475.29**	**980.44**
2.	नकदी प्रवाह के उपरोक्त बयान के रूप में भा.ले.मा. 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है - 'नकदी प्रवाह का विवरण।			
3.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर पैसे का बहिर्गमन ₹ 47.27 करोड़ (गत वर्ष ₹ 27.86 करोड़) है।			
संलग्ननोट संख्या 1 से 16 एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।				

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह./-
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

ह./-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./-
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या.-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2024 को (₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 को पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 को शेष
₹1000/- प्रत्येक के 18800000 इक्विटी शेयर	940.00	-	940.00	940.00	1,880.00

31.03.2023 को स्थिति (₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2022 को पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को शेष
9400000 प्रत्येक ₹1000/- के इक्विटी शेयर	940.00	-	940.00	-	940.00

ख. अन्य इक्विटी

31.03.2024 को (₹ करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि की लंबित आवंटन	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	शेयरधारकों को आवंटनीय इक्विटि	गैर-नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2023 को शेष	-	2,529.58	6,686.66	(47.88)	9,168.36	192.87	9,361.23
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	857.43	-	857.43	-	857.43
01.04.2023 को पुनर्लिखित शेष	-	2,529.58	7,544.09	(47.88)	10,025.79	192.87	10,218.66
कुल व्यापक लाभ	-	-	3,660.14	(8.85)	3,651.29	0.91	3,652.20
अंतरिम लाभांश	-	-	(600.66)	-	(600.66)	-	(600.66)
अंतिम लाभांश	-	-	(423.00)	-	(423.00)	-	(423.00)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	-	-	-	-	-	5.00	5.00
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	(940.00)	-	-	(940.00)	-	(940.00)
कारपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-	-	-	-
वापसी पर टैक्स	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2024 तक शेष	**-**	**1,589.58**	**10,180.57**	**(56.73)**	**11,713.42**	**198.78**	**11,912.20**

31.03.2023 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन लंबित पैसा आवंटन	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर का निवल) - (ओसीआई)	शेयरधारकों को आवंटनीय इक्विटि	गैर-नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2022 को शेष	**-**	**2,392.00**	**5,309.26**	**(225.47)**	**7,475.79**	**99.45**	**7,575.24**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01.04.2022 को पुनः उल्लिखित शेष	**-**	**2,392.00**	**5,309.26**	**(225.47)**	**7,475.79**	**99.45**	**7,575.24**
वर्ष के लिए लाभ **(पुनर्स्थापित)**	-	-	3,396.76	177.59	3,574.35	1.94	3,576.29
अंतरिम लाभांश	-	-	(600.66)	-	(600.66)	-	(600.66)
अंतिम लाभांश	-	-	(423.00)	-	(423.00)	-	(423.00)
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-	-	90.87	90.87
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.69)	-	(0.69)	0.61	(0.08)
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	137.58	(137.58)	-	-	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-	-	-	-
वापसी पर टैक्स	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 तक शेष (पुनर्लिखित)	**-**	**2,529.58**	**7,544.09**	**(47.88)**	**10,025.79**	**192.87**	**10,218.66**

लाभांश तथा आरक्षित निधि और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।
संलग्न नोट संख्या 1 से 16 एकल वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह./-
(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

ह./-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 0009665365

ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)
सहयोगी
(सदस्यता संख्या 015363)

ह./-
(अनिल कु. गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या.-F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

वित्तीय विवरण के लिए नोट्स (समेकित)

नोट 1 (क): कॉर्पोरेट जानकारी

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), एक मिनीरत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की %100 स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड - 834029 में स्थित है।

कंपनी मुख्यतः कोयले का खनन और उत्पादन करती है, साथ ही कोयला वाशरी का भी परिचालन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे आदि शामिल हैं।

सीसीएल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार भी शामिल हैं। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण माने गए रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। इसका उपयोग माल ढुलाई और यात्री सेवाओं दोनों के लिए किया जाएगा, और इसमें रेलवे लाइनों के निर्माण सहित सभी आवश्यक रेल बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है।

नोट 1 (ख): अनुपालन का विवरण

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (जिसे आगे "इंड एएस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किया गया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, उन इंड एएस पर विचार किया गया है जो निर्गत, अधिसूचित और वित्तीय विवरणों को अधिकृत किए जाने तक प्रभावी हैं।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां किसी नए लेखांकन मानक को आरंभिक रूप से अंगीकार किया गया हो अथवा किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के कारण अब तक अपनाई जा रहीं लेखांकन नीति में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

नोट 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में मापा जाता है।

मूल लागत आधार आम तौर पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया गया है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 सहायक कंपनियां

i. सहायक कंपनियां वह निकाय हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है और नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह को निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न प्राप्त होता है या उसके पास अधिकार होते हैं और उसके पास निम्नलिखित के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है:

क. निवेशिती पर अधिकार;

ख. निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का जोखिम या अधिकार;

ग. निवेशक पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता।

सहायक कंपनियों का समेकन उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि को उन पर नियंत्रण प्राप्त होता है, और यह समेकन उस तिथि को समाप्त होता है जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है।

ii. समूह, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-बाय-लाइन समेकन के आधार

पर जोड़ता है, जिसमें संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की समान मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़ा जाता है। समूह के भीतर के आंतरिक बैलेंस, लेनदेन, और आंतरिक लेनदेन से उत्पन्न स्टॉक पर अवास्तविक लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान भौतिक लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा कहीं और निर्दिष्ट न हो।

iv. सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में मामले के अनुसार, सद्भावना (गुडविल) या पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। इस सद्भावना का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इसका ह्रास (इम्पेयरमेंट) परीक्षण किया जाता है, और यदि कोई हानि होती है, तो उसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

v. सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रक हित का हिस्सा वर्ष के लिए पहचाना जाता है और समूह के राजस्व से समायोजित किया जाता है ताकि होल्डिंग कंपनी के मालिकों को देय शुद्ध राजस्व प्राप्त हो सके। वर्ष के दौरान गैर-नियंत्रक हित पर हानि की अधिकता को मालिकों के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रक हित का हिस्सा पहचाना जाता है और इसे समेकित बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

vii. यदि किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन होता है और इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है, तो इसे इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।

viii यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो वह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रक हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अनुवाद अंतर को मान्यता नहीं देता है। पूर्व सहायक कंपनी में बनाए गए किसी भी हित को नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

व्यापार संयोजन और सद्भावना

समूह, सामान्य नियंत्रण वाली समूह इकाइयों के संयोजन को छोड़कर, व्यवसाय संयोजनों के लिए अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा दिया गया प्रतिफल, हस्तांतरित परिसंपत्तियों, वहन की गई देनदारियों और समूह द्वारा जारी किए गए स्वामित्व हिस्सों के अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों के योग के बराबर होता है। इसमें आकस्मिक भुगतान व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य भी शामिल होता है। अधिग्रहण लागतों को व्यय के रूप में दिखाया जाता है। अधिग्रहित परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को आम तौर पर उनके अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रण वाली इकाइयों के संयोजन में, व्यवसाय संयोजन को ब्याज पूलिंग पद्धति के तहत लेखाकृत किया जाता है। इस पद्धति में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके कैरीइंग वैल्यू पर संयोजित किया जाता है और उनके उचित मूल्यों को दर्शाने या किसी नई परिसंपत्ति या देयता को मान्यता देने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, अधिग्रहण मूल्य अधिकता को लागत में से किसी भी संचित हानि को घटाकर मापा जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित अधिग्रहण मूल्य अधिकता को संयोजन तिथि से, समूह की प्रत्येक नकद प्रवाह उत्पन्न करने वाली इकाई को आवंटित किया जाता है, जिसके संयोजन से लाभ मिलने की उम्मीद है, भले ही अधिग्रहण की अन्य परिसंपत्तियाँ या देयताएँ उन इकाइयों को सौंपी गई हों या नहीं।

2.2.2 सहयोगी

सहयोगी/संबद्ध कंपनियां वे सभी तत्व हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उसका कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। आमतौर पर, कंपनी के पास संबद्ध कंपनियों में 20% से 50% तक मतदान अधिकार होते हैं।

संबद्ध कंपनियों में निवेश को, प्रारंभ में लागत पर मान्यता दिए जाने के बाद, इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखाकृत किया जाता है। हालाँकि, यदि निवेश या उसका कोई भाग बिक्री के लिए रखा गया है, तो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार उसका लेखांकन किया जाता है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संबद्ध कंपनियों में अपने निवेश में परिवर्तन करता है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएं वे व्यवस्थाएं हैं जहां समूह का एक या एक से अधिक अन्य पक्षों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत बंटवारा है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त अभियान

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों पर अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है ।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या व्यय की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय में अपने हिस्से को मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर या अन्यथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके उनका लेखा-जोखा किया जाता है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेशों को, प्रारम्भ में लागत पर मान्यता दिए जाने के पश्चात, इक्विटी लेखांकन पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखांकित किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, ऐसी स्थिति में उसका लेखांकण भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

iii) समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को कम कर देता है, जब संयुक्त उद्यम में समूह की हानि का हिस्सा इकाई में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल हैं, तो समूह तब तक और अधिक हानि को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन न किया हो या भुगतान न किया हो।

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक नुकसान भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि लेन-देन में हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का सबूत न हो। जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह की नीतियों से भिन्न हैं, वहां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी कम होने, किन्तु संयुक्त नियंत्रण अभी भी बरकरार रहने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति बन जाता है, तो समूह प्रतिधारित हित को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य प्रतिधारित हित को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी राशि लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के परिवर्तनों के लिए समायोजित किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के मुनाफे में समूह का हिस्सा निवेशिती के लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय को समूह के लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय विवरण में शामिल किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की अग्रणीत राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब इक्विटी-लेखा निवेश में समूह का घाटा हिस्सा इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हैं, तो समूह तब तक आगे घाटे को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से दायित्व नहीं लिया हो या भुगतान नहीं किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रक हितों के साथ लेनदेन को समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में मानता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है। स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाने के लिए नियंत्रण और गैर-नियंत्रक हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रक हितों के लिए समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त किए गए प्रतिफल के किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर इक्विटी के भीतर मान्यता प्राप्त है।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या इक्विटी खाता बंद कर देता है, तो इकाई में किसी भी बरकरार हित को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में बरकरार हित के लिए बाद में लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का लेखा इस तरह किया जाता है मानो समूह ने संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किया हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हित कम हो जाता है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों का केवल आनुपातिक हिस्सा, जहां उपयुक्त हो, लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन –पत्र में वर्तमान /गैर-वर्तमान वर्गीकरण केआधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है । कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब -

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बचेने या इनका उपयोग करने की इक्षा रखती हो,

(ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रुप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने केअंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

(घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला- बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर- वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो

(ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

(ग) निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना; अथवा

(घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती है, इक्विटी लिखित जारी कर के इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समूह द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समूह ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने परिचालन चक्र को बारह महीने का निर्धारित किया है।

2.4 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसका समूह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करता है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं।

समूह के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई लंबी अवधि के अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग प्रदर्शन दायित्व है। इसलिए, ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रत्यक्षतः हमारे द्वारा अभी तक किए गए कार्य के अनुरूप होता है।

2.5 सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक प्रायप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा प्रायप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/ सहायता स्वीकार कि जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है, जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान) यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान (को ' अन्य आय' शीष के अंतगत लाभ-हानि विवरण के एक हिस्सा के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल व्यय में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही व्यय हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहंचाने के लिए दिये जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त है जिसके लिए वे प्राप्य होते है ।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे "कैपिटल रिजर्व" में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

2.6 पट्टे

एक अनुबंध तब एक पट्टा है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयावधि के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रितण का अधिकार प्रदान करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में समूह

समूह यह आकलन करता है कि अनुबंध के आरंभ में अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, समूह यह आकलन करता है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) समूह के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) समूह के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा पट्टा देयता को पट्टा भुगतानों के वर्तमान

मूल्य पर मान्यता देनी होगी, जो उस तिथि को सभी पट्टों के लिए नहीं चुकाए गए हैं, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके मापा जाता है, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम किया जाता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतान पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके। यदि समूह अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करता है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और ROU परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में शामिल किया जाता है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

वित्त पट्टे: एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन – पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में समूह के शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, पत्ता अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो ।

परिचालन पट्टे: परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतानों को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जबतक कि कोई अन्य सुव्यवस्थित आधार उस ढंग (पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतनिर्हित परिसंपत्तिय के प्रयोग से लाभ कम होता है ।

2.7 बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियाँ

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रुप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवयक कार्यवाईयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसक संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गिकरण के तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रुप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर- वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेत एक कारगर कार्यक्रम की पहल कीगई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री

हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,

- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष केअंदर संपूरित बिक्री के रुप में मान्यता हेत बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतर पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है। भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्येक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल है –

(क) इसकी खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

(ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेत सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

(ग) सामानों के पुर्जे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अविध के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अविध के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

(घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

'मरमत और रख-रखाव' के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उस पर व्यय किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति केअनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पुर्जों का प्रतिस्थापन

जब किसी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी महत्वपूर्ण पुर्जे को बदला जाता है, और यदि यह उम्मीद की जाती है कि यह संपत्ति कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ देगी तथा इसकी लागत का सही आकलन किया जा सकता है, तो प्रतिस्थापन की लागत को संपत्ति के कैरीइंग वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। बदले गए पुर्जे के कैरीइंग वैल्यू को अवमूल्यन नीति के अनुसार कम कर दिया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का बड़ा निरीक्षण किया जाता है, तो निरीक्षण की लागत को संपत्ति के प्रतिस्थापन लागत के रूप में माना जाता है, यदि यह संभावना है कि संपत्ति से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ होगा तथा इसकी लागत का सही आकलन किया जा सकता है। पिछले निरीक्षण की शेष कैरीइंग वैल्यू को कम कर दिया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का उपयोग समाप्त कर दिया जाता है या जब इससे भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती है, तो इसे अवमूल्यित कर दिया जाता है। इस तरह के अवमूल्यन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के आकलन प्राक्कलित जीवन अवधि के आधार पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। मूल्यह्रास की अवधि प्रत्येक संपत्ति के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है:

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो।
भवन (सड़कें सहित)	:	3 से 60 वर्ष
दूरसंचार उपकरण	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	:	1 से 40 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 5 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसिलए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अिधनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग "ग" में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अपशिष्ट मूल्य सम्पत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, वैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेजरस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रुप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास के योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि'के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एंड डेवलपमेंट) (सीबीए) अिधनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे

परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिरशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियाँ, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सेर्वे-ऑफ परिसंपत्तियों के रुप में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है।

समूह द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या समूह की किसी भी मौजूदा परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों) के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए)।

2.9 खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं बंदीकरण दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान

बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद व्यय के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए व्यय के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरुप परिसंपत्ति का रिकॉर्ड रखती है। दायित्व एवं समरुप परिसंपत्ति की पहचान उसी अविध में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई में एक अलग मद के रुप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उपरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट मे कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप मे मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष -दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगितशील खदान बंद करने के व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेन्सी की सहमित के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.10 गवेषण और मूल्यांकक परिसंपत्तियाँ

गवेषण और मूल्यांकक परिसंपतियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-

- गवेषण करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति
- शोध और ऐतिहासिक गवेषण डाटा का विश्लेषण;
- स्थालाकृतिक , भू-रासायिनक एव भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए गवेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईधंन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष लागतों का कुल अनुमानित मूल्य भविष्य में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष लागतों की तुलना में अनुपातहीन होता है, इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ मिलाकर गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होने की पुष्टि होने तक परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दिखाया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है और खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों को "विकास" के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/ परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रुप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चों को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्य आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

(1) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(2) कोयला तक पहुँचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(3) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रुप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षो या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

2.12 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहित की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। अधिग्रहण की तिथि पर अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति की लागत उसका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी लागत में से संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान सीधी रेखा पद्धति से परिकलित) और संचित हानिकरण क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

अगर यह संभावना है कि भविष्य में इस व्यय से कंपनी को लाभ होगा और इस लागत का सटीक आकलन किया जा सकता है, तो इस व्यय को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आंतरिक रूप से विकसित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों (विकास लागत को छोड़कर) को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है। इसके बजाय, इस व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है जिसमें यह व्यय हुआ है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन सीमित या असीमित हो सकता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित किया जाता है और जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है, लेकिन हर रिपोर्टिंग अवधि में यह जांचा जाता है कि इसका मूल्य कम हुआ है या नहीं।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

शोध पर किए गए व्यय को उस वित्तीय वर्ष के व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें यह व्यय हुआ है। विकास पर किए गए व्यय को तभी पूंजीगत संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है जब इस व्यय का सटीक आकलन किया जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में इस परियोजना से संगठन को लाभ होगा, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और

इसे बाजार में बेचने की संभावना है तथा संगठन के पास इस परियोजना को पूरा करने और उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

2.13 परिसंपत्तियों का ह्रास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोटिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासिनक उद्देश्य , अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

2.15 वित्तीय दस्तावेज

एक वित्तीय दस्तावेज कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार है, के जरीए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकॉर्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्याकता पड़ती है, को ट्रेडकी तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.15.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज़।
- अन्य सधन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई) के जरिए
- लाभ या हानि के जरिए से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज़, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज़ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई)

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज़

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण दस्तावेज़ ' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(1) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ्ने देती हैं जो बकाये मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तिय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) प्रदत्ति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना-अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी

छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई (FVTOCI) पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज '' को एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह के एसपीपीआई के निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए एक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की जाती है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज़

एफवीटीपीएल ऋण पत्र/ दस्तावेज़ के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/ दस्तावेज़ जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/ मानदड को पूरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण - पत्र/दस्तावेज़ को नामित/ निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्याथा एफ वी टी पी एल के रुप में परिशोधित लागत या फवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमित केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज़ को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानिम में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना) के अनुसार, संक्रमण की तिथि पर पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत (GAAP) के अनुसार इन निवेशों की अग्रणीत राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के मामले में, भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 के अनुसार, इक्विटी पद्धति का उपयोग करके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले अन्य सभी इक्विटी प्रतिभूतियों को लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है।

समूह यह निर्णय ले सकता है कि उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दिखाया जाए, और यह निर्णय बाद में बदला नहीं जा सकता। समूह द्वारा यह निर्णय प्रत्येक प्रतिभूति के लिए अलग से लिया जाता है। इस प्रकार का वर्गिकरण एक बार लेने के बाद बदला नहीं जा सकता।

एफ़वीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों के उचित मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में ही दिखाया जाता है। इन परिवर्तनों को बाद में लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, समूह इक्विटी में

संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में दिखाया जाता है जब समूह को यह भुगतान प्राप्त होने का अधिकार मिल जाता है।

लाभ और हानि विवरण में वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरण में ही दिखाया जाता है।

2.15.2.6 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया है (यानि तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब:

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गए है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-_थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-_ थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों कों प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रुप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखत वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज है तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण- पत्र/दस्तावेज है एवं एफवीटीओसीआई के रुप में मापा जाता है,

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत प्राप्य पट्टा, और

घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण भत्ता की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।

सरलीकत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.15.3.2 परिवर्ती मापन/मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

2.15.3.3 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रुप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देशय के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशियल इन्स्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिवस को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तो पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

समूह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये एक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां एक्विटी इन्स्टुमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज़ होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकिरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखत सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नयी सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित लाभ या हानि पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

2.15.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य, वर्तमान बाजार परिस्थितियों में, माप तिथि को बाजार-प्रतिभागी के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति के विक्रय या देयता के हस्तांतरण के लिए प्राप्त या भुगतान की जाने वाली कीमत है।

समूह, उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत, अवलोकन योग्य इनपुट की उपलब्धता के आधार पर, उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

(क) **स्तर 1:** इनपुट जो समरूप परिसंपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(ख) **स्तर 2:** स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

(ग) **स्तर 3:** परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अनवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित हैं (अनवलोकनीय आंकड़े) ।

समूह के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.7 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध, क्योंकि उन्हें समूह के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16. उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रुप से प्रायप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं । इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है "आयकर पूर्व लाभ" से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते

हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा होता है।

2.18 कर्मचारियों को लाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (समापन लाभों के अलावा) हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

2.18.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित-अंशदायी योजना एक नियोजन पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी अथवा संरचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों, नियोजन पश्चात लाभों और सेवांत लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल होती हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा

संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले नहीं होती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि के विवरण में मान्य किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनर्मापन

2.19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागतों का अलग-अलग खदानों के लिए अलग से हिसाब लगाया जाता है।

समूह स्ट्रिपिंग गतिविधियों का लेखा-जोखा इस प्रकार रखता है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:

कोयले तक पहुंचने के लिए ओवरबर्डन हटाने की यह प्रारंभिक लागत होती है। इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में इस परियोजना से आर्थिक लाभ होगा और लागतों का सटीक आकलन किया जा सकता है। एक बार उत्पादन शुरू होने पर, यह पूंजीकृत लागत खदान के जीवनकाल में बराबर भागों में विभाजित की जाती है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:

उक्त लागतें ओवरबर्डन हटाने की लागत हैं जो समूह की नीति अनुरूप खदान को राजस्वीकृत करने के बाद लगती हैं। उत्पादन चरण में उक्त लागतें दो प्रकार के लाभ प्रदान कर सकतीं हैं: वर्तमान उत्पादन के लिए कोयला निकालना और भविष्य में कोयला निकालने के लिए बेहतर पहुंच। इन लागतों को उत्पादित कोयले और ओवरबर्डन हटाने गतिविधि संपत्ति के बीच बांटा जाता है। यह बंटवारा ओवरबर्डन-कोयला अनुपात के आधार पर किया जाता है, जो खदान के पूरे जीवनकाल में हटाए जाने वाले ओवरबर्डन और निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा का अनुपात है। यदि वास्तविक ओवरबर्डन हटाने की मात्रा अनुमान से अधिक हो, तो अतिरिक्त लागत को ओवरबर्डन हटाने गतिविधि संपत्ति में जोड़ा जाता है। यह संपत्ति खदान के जीवनकाल में परिशोधित की जाती है। भू-खनन स्थितियों में बदलाव से ओवरबर्डन-कोयला अनुपात प्रभावित हो सकता है, जिसका प्रभाव भविष्य के लेखा पर पड़ेगा। ओवरबर्डन हटाने गतिविधि संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है।

समूह एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देता है।

2.21 इन्वेंटरी

2.21.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- **5%** तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- **5%** से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी

भंडार और अतिरिक्त सामान के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए %100 की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए %50 की दर से प्रावधान किया जाता है।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.23 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

2.24 अनुपात विचरण

अनुपात भिन्नता रिजर्व की मान्यता सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से स्थापित नीति का लगातार पालन करती रही है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के उलटने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। ऐसा उलटना उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

किसी खदान के मामले में, जहां अनुपात विचरण रिजर्व में क्रेडिट शेष है, निकाले गए ओवरबर्डन की अतिरिक्त मात्रा, अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से गुणा की गई स्ट्रिपिंग गतिविधि की प्रारंभिक औसत दर को अनुपात विचरण रिजर्व में संगत डेबिट के

साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

किसी खदान के मामले में, जहां अनुपात विचरण रिजर्व में डेबिट शेष है, निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा पर अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा के आधिक्य को स्ट्रिपिंग गतिविधि की प्रारंभिक औसत दर से गुणा करने पर, अनुपात विचरण रिजर्व में संगत क्रेडिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा निकाले गए कोयले की मात्रा को मानक स्ट्रिप अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाती है, जहां मानक स्ट्रिप अनुपात खान जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन को खान जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।

2.25 निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (**Ongoing basis)** की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.25.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

1) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

2) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना; (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(1) समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(2) ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत

अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/ विकास को भारतीय लेखा मानक **8** में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

2.25.1.2 सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/ सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को वस्तु के प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह होता है कि क्या किसी सूचना को एकल रूप से या अन्य सूचना के संयोजन में हटाने या गलत बताने अथवा अस्पष्ट करने से वे निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

2.25.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और लेखांकन अनुमान की आवश्यकता होती है, जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग नीचे बताया गया है:

2.25.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि

दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

2.25.2.2 कर (Taxes)

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ लाभ योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और दायित्वों का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है।

2.25.2.4 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

2.25.2.5 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

2.25 प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

i)	सीजीयू	नकद उत्पन्न इकाई	xii)	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ii)	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	xiii)	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
iii)	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य	xiv)	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
iv)	एफवीटीपीएल	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य	xv)	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
v)	जीएएपी	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	xvi)	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
vi)	इंड एएस	भारतीय लेखा मानक	xvii)	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
vii)	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	xviii)	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
viii)	पी एंड एल	लाभ व हानि	xix)	सीएमपीडीआ-ईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
ix)	पीपीई	संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण	xx)	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
x)	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान	xxi)	आईआईसीएम	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
xi)	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	xxii)	कोल इंडिया	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण समेकित

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.1: परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि अन्य भूमि	भूमि पुनर्लाभ/ स्थल बहाली लागत	निर्माण (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूर-संचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति	परिसंपत्ति का सर्वेक्षण किया गया	रेल कॉरिडॉर	अन्य	कुल	
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल, 2022 तक	17.49	1,732.46	489.89	553.75	1,924.66	23.39	28.96	74.89	5.63	643.58	385.57	128.51	86.59	2,635.98	-	8,731.35
अतिरिक्त	-	329.15	72.42	54.42	178.21	6.79	5.86	18.00	1.04	92.88	62.61	268.25	11.93	346.25	-	1,447.81
विलोपन/समायोजन	(0.08)	0.08	(102.31)	(5.26)	(137.69)	0.08	(0.01)	(14.15)	0.10	(63.00)	-	-	(2.64)	-	-	(324.88)
31 मार्च, 2023 तक	**17.41**	**2,061.69**	**460.00**	**602.91**	**1,965.18**	**30.26**	**34.81**	**78.74**	**6.77**	**673.46**	**448.18**	**396.76**	**95.88**	**2,982.23**	**-**	**9,854.28**
1 अप्रैल, 2023 तक	17.41	2,061.69	460.00	602.91	1,965.18	30.26	34.81	78.74	6.77	673.46	448.18	396.76	95.88	2,982.23	-	9,854.28
अतिरिक्त	-	286.70	13.89	419.48	286.96	7.01	5.61	18.16	3.07	0.77	113.25	161.39	8.11	295.26	-	1,619.66
विलोपन/समायोजन	-	(10.54)	(14.13)	0.17	(122.23)	(0.06)	(0.49)	(4.70)	-	(220.61)	(0.20)	-	(17.78)	-	-	(390.57)
31 मार्च 2024 तक	**17.41**	**2,337.85**	**459.76**	**1,022.56**	**2,129.91**	**37.21**	**39.93**	**92.20**	**9.84**	**453.62**	**561.23**	**558.15**	**86.21**	**3,277.49**	**-**	**11,083.37**
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि 3.1.7																
1 अप्रैल, 2022 तक	-	502.76	270.91	92.60	1,055.36	12.37	10.91	46.41	2.72	130.10	273.41	-	23.96	443.69	-	2,865.20
वर्ष के लिए शुल्क	-	132.35	49.97	36.71	158.52	1.88	3.45	12.15	0.75	44.88	48.47	22.69	(0.99)	188.97	-	699.80
विलोपन/समायोजन	-	-	-	(0.80)	(114.10)	(0.46)	-	(6.63)	0.04	(12.58)	4.10	-	(0.29)	-	-	(130.72)
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**635.11**	**320.88**	**128.51**	**1,099.78**	**13.79**	**14.36**	**51.93**	**3.51**	**162.40**	**325.98**	**22.69**	**22.68**	**632.66**	**-**	**3,434.28**
1 अप्रैल, 2023 तक	-	635.11	320.88	128.51	1,099.78	13.79	14.36	51.93	3.51	162.40	325.98	22.69	22.68	632.66	-	3,434.28
वर्ष के लिए शुल्क	-	138.56	27.82	63.39	147.63	2.56	3.28	10.27	0.72	22.74	63.95	51.23	(2.41)	221.04	-	750.78
विलोपन/समायोजन	-	(0.91)	(0.99)	3.93	(106.36)	0.05	(0.20)	(3.44)	-	(54.97)	4.09		0.14	-	-	(158.66)
31 मार्च 2024 तक	**-**	**772.76**	**347.71**	**195.83**	**1,141.05**	**16.40**	**17.44**	**58.76**	**4.23**	**130.17**	**394.02**	**73.92**	**20.41**	**853.70**	**-**	**4,026.40**
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2024 तक	**17.41**	**1,565.09**	**112.05**	**826.73**	**988.86**	**20.81**	**22.49**	**33.44**	**5.61**	**323.45**	**167.21**	**484.23**	**65.80**	**2,423.79**	**-**	**7,056.97**
31 मार्च, 2023 तक	**17.41**	**1,426.58**	**139.12**	**474.40**	**865.40**	**16.47**	**20.45**	**26.81**	**3.26**	**511.06**	**122.20**	**374.07**	**73.20**	**2,349.57**	**-**	**6,420.00**

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.1: परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

3.1.1 अचल परिसंपत्ति यों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

(₹ करोड़ में)

संपत्ति मद का ब्योरा	कुल लेखा मूल्य	के नाम पर आयोजित स्वामित्व विलेख	क्या विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/ निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति कब धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने की वजह
अन्य भूमि	2,337.85	लागू नहीं	लागू नहीं	-	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए स्वामित्व विलेख अलग से आवश्यक नहीं है। भूमि अधिग्रहण के लिए अन्य सभी स्वामित्व विलेख कंपनी के पास हैं और उनका म्यूटेशन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों में फ्रीहोल्ड भूमि के, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित है। कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

3.1.2 अन्य भूमि में कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि शामिल है।

3.1.3 मूल्यह्रास की गणना अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर की जाती है। इसकी समीक्षा प्रतिवर्ष सशक्त समिति द्वारा की जाती है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति पैरा 2.8 में उल्लेखित है। चूंकि कोई भी संपत्ति का हिस्सा अलग-अलग उपयोगी जीवन वाला नहीं है, इसलिए घटक आधारित मूल्यह्रास की गणना नहीं की गई है।

3.1.4 सीआईएल बोर्ड ने अपनी 491वीं बैठक में टोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के लिए संशोधित परियोजना लागत ₹3587.37 करोड़ को मंजूरी दी। यह परियोजना कोयले के परिवहन के लिए बनाई जा रही है। इस परियोजना के लिए ₹3489.55 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा कराए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने ₹3277.49 करोड़ खर्च किए हैं, जिसे रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी को इस परियोजना के लिए कोयला कंट्रोल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम (CCDAC) से ₹595.82 करोड़ का अनुदान मिला है।

3.1.5 ₹778.62 करोड़ का भूमि अधिग्रहण मुआवजा अन्य भूमि के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस मुआवजे का मिलान किया जा रहा है (वित्तीय विवरण पर नोट 16.3.2 में विवरण देखें) ।

3.1.6 चालू वर्ष में मूल्यह्रास में विकास चरण में खानों के लिए कोई मूल्यह्रास शामिल नहीं किया गया है (पिछले वर्ष ₹4.07 का मूल्यह्रास शामिल किया गया था) ।

3.1.7 8 नोट 9.1 में खनन गतिविधि समायोजन के पुनर्वर्गीकरण और पुन: मापन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव के लिए नोट 16(7) देखें। यह भारतीय लेखा मानक 8 (लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां) और भारतीय लेखा मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के अनुसार किया गया है।

3.1.8 संचित हानि में परिवर्तन

1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.46	-	23.96	-	-	95.42
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93	-	(0.99)	-	-	2.94
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.29)	-	-	(0.29)
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.39**	**-**	**22.68**	**-**	**-**	**98.07**
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.39	-	22.68	-	-	98.07
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	0.26	1.93	0.01	0.02	0.02	-	-	22.64	-	(2.41)	-	-	22.47
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	0.14
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**-**	**0.26**	**1.93**	**0.01**	**0.02**	**0.02**	**-**	**-**	**98.03**	**-**	**20.41**	**-**	**-**	**120.68**

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.2: पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवेसाइडिंग	विकास	सौर परियोजना	अन्य	कुल
कुल लेखा मूल्य:							
1 अप्रैल, 2022 तक	76.10	219.61	539.05	343.91	1.35	-	1,180.02
वृद्धि	121.92	185.00	367.28	88.68	0.34	-	763.22
पूंजीकरण/विलोपन	(36.22)	(41.24)	(72.11)	(35.17)	-	-	(184.74)
31 मार्च, 2023 तक	**161.80**	**363.37**	**834.22**	**397.42**	**1.69**	-	**1,758.50**
1 अप्रैल, 2023 तक	161.80	363.37	834.22	397.42	1.69	-	1,758.50
वृद्धि	178.79	71.36	142.49	190.47	152.24	-	735.35
पूंजीकरण/विलोपन	(46.42)	(50.18)	(210.76)	(325.00)	-	-	(632.36)
31 मार्च 2024 तक	**294.17**	**384.55**	**765.95**	**262.89**	**153.93**	-	**1,861.49**
संचित हानि							
1 अप्रैल, 2022 तक	1.30	1.40	-	15.58	-	-	18.28
वर्ष के लिए शुल्क	0.19	0.02	-	3.71	-	-	3.92
विलोपन/समायोजन	(1.43)	(1.36)	-	(3.96)	-	-	(6.75)
31 मार्च, 2023 तक	**0.06**	**0.06**	**-**	**15.33**	**-**	-	**15.45**
1 अप्रैल, 2023 तक	0.06	0.06	-	15.33		-	15.45
वर्ष के लिए शुल्क	0.18	0.89	-	7.12	-	-	8.19
विलोपन/समायोजन	(0.06)	(0.04)	-	(7.60)	-	-	(7.70)
31 मार्च 2024 तक	**0.18**	**0.91**	**-**	**14.85**	**-**	-	**15.94**
निवल वहन राशि							
31 मार्च 2024 तक	**293.99**	**383.64**	**765.95**	**248.04**	**153.93**	-	**1,845.55**
31 मार्च, 2023 तक	**161.74**	**363.31**	**834.22**	**382.09**	**1.69**	-	**1,743.05**

नोट 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति(जारी....)

1. पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए कालप्रभावन सूची :

31.03.2024 को स्थिति (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक साल	कुल
चल रहीं परियोजनाएं :					
निर्माण (जलापूर्ति,सड़क और पुलिया सहित)	178.79	114.17	0.81	0.40	294.17
संयंत्र और उपकरण	71.36	142.76	158.84	11.59	384.55
रेलवे साइडिंग	142.49	149.26	19.05	455.15	765.95
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास	190.47	22.65	20.99	28.78	262.89
सौर परियोजना	152.24	0.35	0.67	0.67	153.93
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
संयंत्र और उपकरण	-		-		-
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास	-	-	-	-	-
कुल	**735.35**	**429.19**	**200.36**	**496.59**	**1861.49**

31.03.2023 को स्थिति (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिकसाल	कुल
चल रहीं परियोजनाएं :					
निर्माण (जलापूर्ति,सड़क और पुलिया सहित)	129.28	27.16	2.58	2.78	161.80
संयंत्र और उपकरण	185.72	164.37	7.19	6.09	363.37
रेलवे साइडिंग	317.34	105.13	87.95	323.80	834.22
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास	89.10	279.43	12.20	16.69	397.42
सौर परियोजना	0.34	0.68	-	0.67	1.69
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**721.78**	**576.77**	**109.92**	**350.03**	**1758.50**

नोट 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति

31.03.2024 को विलंबित पूंजीगत कार्य प्रगति की प्रस्थिति

(₹ करोड़ में)

चल रहीं परियोजनाएं :	कार्य पूरा किया जाना है			
	1 से कम साल	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक साल
निर्माण (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
स्वांग सी सीम के लिए सीढ़ियों का निर्माण	0.14	-	-	-
कुजू क्षेत्र में भवन	0.03	-	-	-
केंद्रीय अस्पताल ढोरी में पीएमई भवन का निर्माण	0.17	-	-	-
संयंत्र और उपकरण				
योजना, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग _ एल & टी लिमिटेड	264.59	-	-	-
सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई योजना और डिजाइनिंग सेवाएं	0.31	-	-	-
कोनार वाशरी स्थापित करने के लिए एकीकृत निविदा दस्तावेज़	0.12	-	-	-
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल 58 इंजीनियरिंग दिवस द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास सेवाएं	0.24	-	-	-
अवधारणा रिपोर्ट और एकीकृत निविदा	2.32	-	-	-
140 टन आरडीएसओ अनुरूप, पिटलेस इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज	0.34	-	-	-
100 एमटी पिटलेस इलेक्ट्रॉनिक स्टेटिक रोड वेब्रिज	0.45	-	-	-
2X1.6 एमवीए, जारंगडीह ओसीपी के लिए 11/3.3 केवी सबस्टेशन	0.10	-	-	-
वेब्रिज - अशोक मेटालिक्स नंबर 9038 से 9040 द्वारा	1.12	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
सीसीएल-राइट्स लिमिटेड के उत्तर उरीमारी साइडिंग के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवं निर्माण प्रबंधन	265.66	-	-	-
अन्य खनन संरचना/विकास				
उच्च पुल के लिए एप्रोच रोड का निर्माण	6.54	-	-	-
आम्रपाली ओसी में बिंगलाट नाला का डायवर्जन	0.36	-	-	-
कुल	**542.49**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरण समेकित

31.03.2023 को स्थिति

(₹ करोड़ में)

चल रहीं परियोजनाएं :	कार्य पूरा किया जाना है			
	1 से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिकसाल
निर्माण (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
उत्तर रीमारी ओसी बिरसा परियोजना में 04 डी-टाइप क्वाटर और 12 सी-टाइप क्वाटर का निर्माण	3.64	-	-	-
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वार्टर एवं 16 बी टाइप क्वार्टर	1.24	-	-	-
बोकारो एवं करगली में भवन निर्माण	0.28			
संयंत्र और उपकरण				
डबल्यू/बी निर्माणाधीन मशीन नं 9038 से 9040	0.67	-	-	-
डबल्यू/बी निर्माणाधीन -अशोका मेटलिक्स	1.35	-	-	-
वाशरी के प्रकार	5.00	-	-	-
पानी का छिड़काव	0.11	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
रेलवे साइडिंग - राइट्स लिमिटेड - 332/02.11.13332/02.11.13 मे/एस राइट्स लिमिटेड	191.31	-	-	-
अन्य खनन बुनियादी ढांचे/विकास				
गोविंदपुर फेज-II में कोनार नदी पर ऊंचे पुल का निर्माण	-	2.34	-	-
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	-	1.90	-	-
बीआरओ रोड के पास टो वॉल और कच्चा नाला	-	0.13	-	-
विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण/मार्ग संरेखण सर्वेक्षण	-	0.10	-	-
कुल	**203.60**	**4.47**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट 3.3: गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	गवेषण और मूल्यांकन लागत
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2022 तक	574.15
वृद्धि	123.19
पूंजीगत कार्य प्रगति/विलोपन में स्थानांतरण	(11.38)
31 मार्च, 2023 तक	685.96
1 अप्रैल, 2023 तक	685.96
वृद्धि	58.94
पूंजीगत कार्य प्रगति/विलोपन में स्थानांतरण	(113.67)
31 मार्च 2024 तक	631.23
संचित हानि	
1 अप्रैल, 2022 तक	0.46
वर्ष के लिए शुल्क	1.55
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 तक	2.01
1 अप्रैल, 2023 तक	2.01
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	(0.01)
31 मार्च 2024 तक	2.00
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2024 तक	**629.23**
31 मार्च, 2023 तक	**683.95**

1. क.(अ) 31.03.2024 तक गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए गवेषण और मूल्यांकन राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रहीं ई&ई परियोजनाएं:	58.94	136.49	113.00	321.25	629.68
अस्थायी रूप से निलंबित ई&ई परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अशोक वाशरी	-	-	0.76	0.79	1.55
कुल	58.94	136.49	113.76	322.04	631.23

i. गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए गवेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रहीं ई&ई परियोजनाएं:	214.26	149.01	72.3	248.84	684.41
अस्थायी रूप से निलंबित ई&ई परियोजनाएं	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम	-	-	0.76	0.79	1.55
कुल	**214.26**	**149.01**	**73.06**	**249.63**	**685.96**

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.4 : अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के लिए कोयला ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2022 तक	12.32	7.28		19.60
वृद्धि	22.62	-	-	22.62
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	34.94	7.28	-	42.22
1 अप्रैल, 2023 तक	34.94	7.28		42.22
वृद्धि	2.19	-	-	2.19
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	37.13	7.28	-	44.41
संचित परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल, 2022 तक	10.94	-	-	10.94
वर्ष के लिए शुल्क	4.47	-	-	4.47
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	15.41	-	-	15.41
1 अप्रैल, 2023 तक	15.41	-	-	15.41
वर्ष के लिए शुल्क	4.49	-	-	4.49
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	19.90	-	-	19.90
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2024 तक	**17.23**	**7.28**	**-**	**24.51**
31 मार्च, 2023 तक	**19.53**	**7.28**	**-**	**26.81**

विक्रय के लिए नियत कोयला ब्लॉक में खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय निहित होते हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा इन ब्लॉक के निस्तारण पर वसूल किया जाना है।

3.4.1. संचित दुर्बलता में गति

1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट 3.5: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	विकासाधीन ईआरपी	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2022 तक	-	11.27	11.27
वृद्धि	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	(11.27)	(11.27)
31 मार्च, 2023 तक	-	**-**	**-**
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
वृद्धि	357.78	-	357.78
विलोपन/समायोजन	429.54	-	429.54
31 मार्च 2024 तक	787.32	-	787.32
संचित प्रावधान और 1 अप्रैल, 2022 तक			
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक			
1 अप्रैल, 2023 तक	**-**	**-**	**-**
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2024 तक	**787.32**	**-**	**787.32**
31 मार्च, 2023 तक	-	**-**	**-**

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सहकारी शेयरों में निवेश (अन उद्धृत**)**	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत**)**	-	-
शेयरों में निवेश		
सहायक कंपनी -जेसीआरएल में इक्विटी शेयर		
₹ 10 प्रत्येक के 6,46,31,232 इक्विटी शेयर(गत वर्ष 6,46,31,232 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक के)		
अन्य निवेश		
शेयर एप्लीकेशन मनीजेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण (अर्ध इक्विटी)		-
कुल		
उद्धृत निवेशों की सकल राशि:	-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:	-	-
उद्धृत न किए गए निवेशों की सकल राशि:निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

(₹ करोड़ में)

	एनएवी (₹)		के रूप में	(₹ करोड़ में) के रूप में
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
प्रवाह	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड निवेश	**-**	**-**	**-**	**-**
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-	-	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड	-	-	-	-
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	5,542.0577	5,158.4197	308.65	647.83
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	3,779.2823	3,523.3030	0.03	4.47
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	2,893.5275	2,696.7127	0.01	17.68
यूनियन म्यूचुअल फंड -लिक्विड	2,328.5165	2,169.4479	0.01	10.12
बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	2,784.7810	2,595.4687	0.02	38.49
अन्य निवेश				-
कुल			308.72	718.59
उद्धृत निवेश का योग:			-	
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	
उद्धृत न किए गए निवेशों का योग:			308.72	718.59
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	

वर्ष के दौरान खरीदे गए और भुनाए गए म्यूचुअल फंड का विवरण

विवरण	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान न्यूनीकरण		जमा शेष	
	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि	इकाइयों की संख्या	कुल धनराशि
यूटीआई म्यूचुअल फंड								
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	12,55,870.19	647.83	28,04,545.31	1,500.00	35,03,493.42	1,877.04	5,56,922.08	308.65
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	12,690.50	4.47	7,45,682.73	279.59	7,58,282.39	285.63	90.84	0.03
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	65,573.60	17.68	47,270.30	13.58	1,12,812.06	31.42	31.84	0.01
यूनियन म्यूचुअल फंड -लिक्विड	46,622.47	10.12	46,042.26	10.64	92,613.42	20.86	51.31	0.01
बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	1,48,278.61	38.49	1,30,933.36	36.19	2,79,145.69	75.05	66.28	0.02
कुल	**15,29,035.37**	**718.59**	**37,74,473.96**	**1,840.00**	**47,46,346.98**	**2,290.00**	**5,57,162.35**	**308.72**

कंपनी लिक्विड स्कीम (ग्रोथ ऑप्शन) और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड (ग्रोथ ऑप्शन) में निवेश करती है।

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

नोट - 4.2 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
निकाय कारपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	8.69	5.10
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
	8.69	5.10
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	8.69	5.10
चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
निकाय कारपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1.01	0.71
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- क्षत क्रेडिट	-	-
	1.01	0.71
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	1.01	0.71

4.2.1 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16(2)(VII) देखें

4.2.2 कर्मचारियों को ऋण सेवा की शर्तों के विरुद्ध सुरक्षित हैं।

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

नोट - 4.3 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

व्यापार प्राप्य	31.03.2024 को	31.03.2023 को
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,716.73	3,001.17
क्षत क्रेडिट	261.80	380.39
	1,978.53	3,381.56
घटाएं : अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता[4.3.1]	261.80	380.39
कुल	**1,716.73**	**3,001.17**

4.3.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

ऋण हानि के लिए अपेक्षित प्रावधान में परिवर्तन का विवरण		
वर्ष के आरंभ में शेष	380.39	288.26
वर्ष के दौरान प्राप्त	49.58	92.13
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	168.17	-
वर्ष के अंत में शेष	**261.80**	**380.39**
कोयला गुणवत्ता विचरण/मुद्रा प्रावधान में परिवर्तन का विवरण		
वर्ष के आरंभ में शेष	177.52	531.99
वर्ष के दौरान प्राप्त	460.94	125.87
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	217.23	480.34
वर्ष के अंत में शेष	**421.23**	**177.52**

4.3.2 निदेशकों की देयताओं के लिए - नोट 16- (2) (VII) देखें

4.3.3 उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां ₹ 421.23 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 177.52 करोड़) के कोयला गुणवत्ता विचरण का निवल है।

4.3.4 कंपनी ने व्यापारिक देनदारों के ऋण हानियों के लिए प्रावधान निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ता की गणना करके व्यावहारिक उपाय का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और अग्रगामी जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय देनदारों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

4.3.5 31.03.2024 व्यापारिक प्राप्यों की आयु

विवरण	बिना बिल वाली देय राशि	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 से कम महीने	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31.77	1,235.31	430.91	334.40	55.27	(370.93)	1,716.73
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बाधित		-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां- अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड		-	-	-	-	261.80	261.80
कुल	**31.77**	**1,235.31**	**430.91**	**334.40**	**55.27**	**(109.13)**	**1,978.53**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	261.80	261.80
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि भत्ता प्रावधान) - %	-	-	-	-	-	(239.90%)	13.23%

31.03.2023 को स्थिति

विवरण	बिना बिल वाली देय राशि	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 से कम महीने	6 महीने 1 सालों	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		1,844.84	236.64	832.95	3.27	83.47	3,001.17
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बाधित		-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां- अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड		-	-	-	-	380.39	380.39
कुल	**-**	**1,844.84**	**236.64**	**832.95**	**3.27**	**463.86**	**3,381.56**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	380.39	380.39
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि भत्ता प्रावधान) - %	-	-	-	-	-	82.01%	11.25%

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

नोट - 4.4 : नकद और नकदी समकक्ष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बैंकों में शेष		
जमा खातों में	17.15	12.31
चालू खातों में	458.00	867.95
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी4.4.1	-	100.00
चेक, ड्राफ्ट और टिकट	-	0.01
नकद	-	-
भारत के बाहर में नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	**0.14**	**0.17**
कुल	**475.29**	**980.44**

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के पास अंतर-कारपोरेट जमा (आईसीडी) प्राथमिक डीलरों द्वारा जमा प्राप्त करने की तारीख से 7 से 31 दिनों के बीच मूल परिपक्वता के साथ स्वीकार की जाने वाली जमाराशियां हैं।

4.4.2 अन्य में ई-प्रोक्योरमेंट खाता, जीईएम खाता, अग्र शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में और बैंक में नकदी, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाराशियां शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वताओं की तीन महीने या उससे कम।

4.4.4 जमा खाते में कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के अंतर्गत सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर अव्ययित खाते के अंतर्गत ₹ 15.25 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 11.92 करोड़) जमा शामिल हैं।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बैंकों के साथ शेष राशि		
जमा खाते	1,998.11	2,493.81
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए)4.5.1	42.32	40.06
खान बंदीकरण योजना	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद के लिए एस्क्रो खाता	-	-
अवैतनिक लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता	-	-
कुल	**2,040.43**	**2,533.87**

अन्य बैंक शेष में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा और बैंक जमा शामिल होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशियां ग्रहणाधिकार के अंतर्गत धारित/न्यायालय के आदेश के अनुसार तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित बैंक जमाराशियां हैं।

i) ग्राहक से दावे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के खिलाफ ₹ 7.79 करोड़ जमा किया गया जिसमें ₹ 3.37 करोड़ का ब्याज शामिल है अन्य वित्तीय दायित्व में तदनुरूपी देयता के साथ (टिप्पणी-8.4)।

(ii) नवम्बर, 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पक्षकारों से प्रभारित 20% अतिरिक्त मूल्य की तुलना में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के अनुसार 34.04 करोड़ रुपए जमा किए गए।

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपतियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सुरक्षा जमा राशि	117.36	116.26
घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता4.6.3	0.08	0.08
	117.28	116.18
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	58.35	54.00
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के पास जमा	-	-
खान बंदीकरण योजना के तहत बैंक के पास जमाराशियां4.6.1	1,721.53	1,526.83
वित्त पट्टा प्राप्य	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	
घटाएंः संदिग्ध जमा और प्राप्तियों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**1,897.16**	**1,697.01**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)	-	-
अर्जित ब्याज	42.57	31.38
सुरक्षा जमा राशि	0.01	
घटाएंः संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	-	-
	0.01	-
दावे और अन्य प्राप्तियां4.6.2	99.31	144.55
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता4.6.3	14.32	14.29
	84.99	130.26
कुल	**127.57**	**161.64**

4.6.1 खान बंदीकरण योजना अंतर्गत बैंक में जमाराशि

(₹ करोड़ में)

एस्क्रो खाते में प्रारम्भिक शेष	1,526.83	1,365.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	100.55	105.06
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस का निवल)	94.15	62.27
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	-	5.50
वर्ष के अंत में एस्क्रो खाते में शेष	1,721.53	1,526.83

4.6.2 चूंकि 01.03.2011 से कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था, इसलिए रॉयल्टी और विशेष आर्थिक शुल्क को "अन्य कर" के रुप में माना गया तथा लेनदेन राशि से अलग रखा गया। निदेशालय जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस (DGCEI), नई दिल्ली द्वारा जारी समन और इस पर हुई चर्चा के बाद, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया है, ने लेनदेन राशि में रॉयल्टी और एसईडी शामिल करने और माननीय उच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ में लंबित मामले का निपटारा होने तक विरोध के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी है। तदनुसार, मार्च' 2011 से फरवरी'2013 की अवधि के दौरान कोयला प्रेषित करने और वॉशरी में कच्चे कोयले के उपभोग के सापेक्ष विरोध के तहत ₹ 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के ₹ 79.95 करोड़ के पूरक बिल प्राप्त हुए हैं। ₹ 79.95 करोड़ में से, नकद विक्रय ग्राहकों से ₹ 3.94 करोड़ की शेष प्राप्त राशि को "अन्य प्राप्तियों" मद के अंतर्गत दिखाया गया है। ₹ 3.94 करोड़ में से, ग्राहकों ने माननीय उच्च न्यायालयों, कोलकाता और झारखंड से ₹ 2.55 करोड़ के लिए स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है और ₹ 1.39 करोड़ के शेष के लिए ₹ 1.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ जारी....

4.6.3 खराब और संदिग्ध अग्रिमों और जमाराशियों (चालू और अन्य चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन **का विवरण**

वर्ष के आरंभ में शेष	14.37	14.37
वर्ष के दौरान प्राप्त	0.03	-
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष	14.40	14.37

4.6.4 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16 - (2)(VII) देखें

4.6.5 पट्टा

संचालन पट्टा

(i) पट्टा प्राप्तियों के संबंध में लाभ और हानि खाते में प्राप्त राशियां:

पट्टा से आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	**-**	**-**

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर बिना छूट के पट्टा भुगतान प्राप्त किया जाना और

विवरण	-	-
एक वर्ष से कम	0.21	0.21
एक से पांच वर्ष के बीच	0.86	0.86
पांच वर्ष से अधिक	1.30	1.51
कुल	**2.37**	**2.58**

(iii) परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

क) ईआईपीएल को लीज समझौते के तहत कंपनी की भूमि पर कब्जा करने और उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि ₹ 4968 (गत वर्ष ₹ 4968) है और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास ₹ 4968 (गत वर्ष ₹ 4968) और डबल्यूडीवी ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल भविष्य की न्यूनतम लीज भुगतान प्राप्तियां ₹ 0.90 लाख हैं। मामला माननीय मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

ख) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को लीज़ समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी की 1550 एकड़ भूमि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत ₹ 7.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.90 करोड़) है और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास ₹ 7.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.90 करोड़) है और डबल्यूडीवी शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) है। पट्टे की शेष अवधि के लिए भावी न्यूनतम लीज़ भुगतान ₹ 2.37 करोड़ (पूर्णयोग) है।

4.6.6 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16 - (2)(VII) देखें

नोट - 5.1 : इन्वेंटरी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
कोयला (तैयार उत्पाद)	1,147.85	966.28
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाएं: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान[5.1.1]	1.10	1.04
	1,146.75	965.24
स्टोर, पुर्जों और अन्य सूची[5.1.2 और 5.1.3]	221.39	227.47
घटाएं: धीमी गति से चलने वाले, गैर-गतिशील और अप्रचलित आविष्कारों के लिए प्रावधान	51.17	48.41
	170.22	179.06
कुल	**1,316.97**	**1,144.30**

5.1.1 ऋण मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में परिवर्तन का विवरण

वर्ष के आरंभ में शेष	1.04	1.04
वर्ष के दौरान प्राप्त	0.06	-
वर्ष के दौरान रद्द	-	-
वर्ष के अंत में शेष	1.10	1.04

5.1.2 दुकानों और पुर्जों की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए हानि भत्ते को मान्यता दी जाती है।

धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित सामान, पुर्जों और अन्य इन्वेंटरी के लिए हानि भत्ते में बदलाव का ब्यौरा:

वर्ष के आरंभ में शेष	48.41	50.56
वर्ष के दौरान प्राप्त	2.76	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	2.15
वर्ष के अंत में शेष	51.17	48.41

5.1.3 उपरोक्त अन्य उत्पाद-सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, चिकित्सा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

31 मार्च 2024 तक एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट करने के लिए परिशिष्ट - 5.1 (मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

तालिका : क

वर्ष के अंत में बुक स्टॉक के साथ वित्तीय विवरणों में अपनाए गए कच्चे कोयले के अंतिम स्टॉक का सामंजस्य:

	कुल स्टॉक		गैर-विक्रय योग्य स्टॉक/ मिश्रित स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (ए) 01.04.2023 को प्रारंभिक स्टॉक	87.06	758.80	1.21	-	85.85	758.80
(बी) आरंभिक स्टॉक में समायोजन			-	-		
2. वर्ष के लिए उत्पादन	860.54	-	-	-	860.54	-
3. उप-योग (1+2)	947.60	758.80	1.21	-	946.39	758.80
4. वर्ष के लिए कुल व्यापार						
(ए) बाहरी प्रेषण	768.62	20,245.24	-	-	768.62	20,245.24
(बी) वाशरीज को कोयला आपूर्ति	60.48	-	-	-	60.48	-
(सी) स्वयं का उपभोग	-	-	-	-	-	-
कुल (ए)	**829.10**	**20,245.24**	**-**	**-**	**829.10**	**20,245.24**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	118.50	925.82	1.21	-	117.29	925.82
6. मापा गया स्टॉक	118.74	924.26	1.19	-	117.55	924.26
7. अंतर (5-6)	(0.24)	1.56	0.02	-	(0.26)	1.56
8. अंतर का ब्यौरा:						
(ए) 5% के भीतर आधिक्य	1.34	8.70	-	-	1.34	8.70
(बी) 5% के भीतर कमी	1.10	10.26	0.02	-	1.08	10.26
(सी) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(डी) 5% से अधिक की कमी	-	-	-	-	-	-
9. खाते में अंतिम भंडार अपनाया गया	118.50	925.82	1.21	-	117.29	925.82
(6-8ए+8बी)						

तालिका : ख

कोयला/कोक आदि के अंतिम भंडार का सारांश

	कच्चा कोयला		धुला हुआ/ढला हुआ कोयला				अन्य उत्पादों		कुल	
			कोकिंग		नॉन-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	87.06	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	99.12	965.24
घटाएं: गैर-विक्रय योग्य कोयला/ मिश्रित स्टॉक	1.21	-	-	-	-	-	-	-	1.21	-
समायोजित ओपनिंग स्टॉक (विक्रय योग्य)	85.85	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	97.91	965.24
उत्पादन	860.54	-	7.96	-	37.48	-	13.22	-	919.20	-
उठाव										
(ए) बाहरी प्रेषण	768.62	20,245.24	7.47	866.27	37.54	1,522.73	14.21	951.29	827.84	23,585.53
(बी) वाशरियों को कोयला चारा	60.48	-	-	-	-	-		-	60.48	-
(सी) स्वयं का उपभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम भंडार	117.29	925.82	0.79	19.49	0.23	3.53	10.48	199.01	128.79	1,147.85
घटाएं: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम भंडार(अपनाया गया)	117.29	925.82	0.79	19.49	0.23	3.53	10.48	199.01	128.79	1,147.85

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में नॉन कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है, लेकिन डिस्पैच की मात्रा में नॉन कोकिंग स्लरी 11779 एमटी (गत वर्ष 36271 एमटी) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों) 716997 एमटी (गत वर्ष 145127 एमटी) का प्रेषण शामिल नहीं है।
2. 31.03.2024 को नॉन कोकिंग स्लरी और कोकिंग और नॉन कोकिंग रिजेक्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक 185507 एमटी (गत वर्ष 195868 एमटी) और 6033321 एमटी (गत वर्ष 6541688 एमटी) है, जिसका मूल्यांकन तैयार बाजार की उपलब्धता के अभाव में शून्य है। विक्रय वसूली योग्य आधार पर प्राप्त होती है ।
3. कोयले के अंतिम स्टॉक को मात्रात्मक रूप से मापा जाता है और अभिज्ञात परिवर्तन घटक का प्रयोग करके वजन (टन) में परिवतत किया जाता है। मात्रात्मक माप की अंतनहित सन्निकटन त्रुटि और बाद में गणितीय रूप से निर्धारित परिवर्तन कारक लागू करके वजन में इसके रूपांतरण का ध्यान रखने के लिए, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच (+/-) 5% के अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसका वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और 0.26 लाख टन मूल्य वाले बुक स्टॉक (वेन्डेबल) की निवल कमी को नजरअंदाज कर दिया गया है। 3.54 करोड़ रुपए की राशि लेखा बहियों में समायोजित नहीं की गई है।
4. कच्चे कोयले के स्टाक में वर्ष 2010 से उरीमारी ओसीपी में पड़े 4.32 करोड़ रु की राशि का 21014 टन शामिल है, जो न्यायाधीन है और इसका मूल्य पुराने सीपीटी पर है।

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट - 6.1 : अन्य अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अग्रिम पूंजी	3,394.27	2,093.58
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	3,394.27	2,093.58
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्यय 6.1.1	1,353.00	991.15
संबंधित पक्षों को अग्रिम	-	-
कुल	**4,747.27**	**3,084.73**

6.1.1 उपरोक्त खान बंद योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त समवर्ती व्यय का प्रतिनिधित्व करता है।

6.1.2 निदेशकों से देय राशि के लिए - नोट 16 देखें - (2)(VII)

नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक देय राशियों का अग्रिम भुगतान	446.26	540.65
घटाएं: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता	-	-
	446.26	540.65
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.1, 6.2.2 & 6.2.3	948.71	1,344.75
घटाएं : संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता6.2.4	18.64	19.45
	930.07	1,325.30
प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्यय	-	87.05
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य 6.2.5	1,661.27	1,481.70
कुल	**3,037.60**	**3,434.70**

6.2.1 विरोध के तहत जमा राशि और आयकर ₹ 705.48 करोड़ के लिए वापसी प्राप्त की जानी है, विक्रय कर ₹ 11.62 करोड़ और सेवा कर मामलों ₹ 1.54 करोड़ आदि के लिए वापसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

6.2.2 अतिरिक्त सीएसआर ₹ 8.95 करोड़ (वि. वर्ष ₹ शून्य करोड़) शामिल हैं

6.2.3. अन्य जमा और प्राप्य में देनदारियों के शुद्ध ग्रेच्युटी फंड के लिए ₹ 29.10 करोड़ (वि. वर्ष शून्य) शामिल हैं।

6.2.4 ऋणात्मक और संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं (चालू और अन्य चालू) के लिए प्रावधान में परिवर्तन का विवरण

वर्ष का आरंभिक शेष	19.45	21.24
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	0.81	1.79
वर्ष के अंत में शेष	**18.64**	**19.45**

6.2.5. इनपुट टैक्स क्रेडिट (अर्थात उत्पाद और सेवा कर – इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे आईटीसी/जीएसटी आईटीसी) प्राप्य मुख्य रूप से आईटीसी के संचय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कारण हैं : (ए) उल्टा शुल्क संरचना यानी कोयले पर जीएसटी @ 5% कर लगाया जा रहा है, जबकि इनपुट वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर 12% से 28% के टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत आती है और (बी) रॉयल्टी पर लागू आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) (जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और राष्ट्रीय खनिज गवेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को 18% की दर सहित)। संचित जीएसटी आईटीसी का उपयोग भविष्य में बिना किसी समय सीमा के किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो भविष्य में जीएसटी आईटीसी के उपयोग को प्रतिबंधित/प्रतिबंधित करता हो।आंतरिक और बाहरी कई कारक जैसे मूल्य संशोधन, मात्रा वृद्धि, व्यापार संचालन मॉडल (जैसे आउटसोर्सिंग के बजाय विभागीय क्षमताएं), उत्पाद जीएसटी दर में परिवर्तन, रॉयल्टी के कर तत्व के पहलू पर निर्णय, व्यापार गतिशीलता, व्यापार का विविधीकरण आदि भविष्य में जीएसटी आईटीसी के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जीएसटी आईटीसी के संचय के पैमाने और परिमाण में हाल के समय में कमी आई है। इसलिए, वर्तमान में जीएसटी आईटीसी के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी समायोजन क्षमता या गैर-वसूली की संभावना केवल उचित समय (यानी व्यापार विस्तार परिदृश्य को देखते हुए 10 से 15 वर्ष की अवधि) के बीतने के बाद ही स्थापित की जा सकती है। जीएसटी कराधान कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है और यह उचित समय अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी आईटीसी जमा किया जा रहा है और लेखा पुस्तकों में अग्रेनीत किया जा रहा है।

6.2.6 निदेशकों की देयताओं के लिए - नोट 16 - (2)(VII) देखें

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्राधिकृत		
₹ 1000/- प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	1,100.00
(₹ 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर पूंजी		
₹1000/- के 1,88,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्ण भुगतान किए गए [7.1.4](निर्धारण वर्ष 94,00,000) ₹1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पूर्ण भुगतान किए गए	1,880.00	940.00
कुल	**1,880.00**	**940.00**

7.1.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

शेयरधारकों का नाम		धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% बदलाववर्ष के दौरान
कोल इंडिया लिमिटेड	31.03.2024 को स्थिति	18799997	100.00	100.00%
	31.03.2023 को स्थिति	9399997	100.00	

7.1.2 समीक्षाधीन अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का निपटान:-

विशेष	शेयर की संख्या	कुल धनराशि
शेष दिनांक 01.04.2021	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बदलाव	-	-
शेष तिथि 31.03.2022	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बदलाव	-	-
शेष तिथि 31.03.2023	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बदलाव	94,00,000	940.00
शेष तिथि 31.03.2024	1,88,00,000	1,880.00

7.1.3 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानित राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

7.1.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य आरक्षित निधि में से 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं। बोनस इश्यू को कंपनी के सदस्यों द्वारा 20.03.2024 को आयोजित अपनी 01/2024वीं एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) में अप्रूव किया गया था।

नोट - 7.2 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.202 को
(क) पूंजी मोचन आरक्षित	-	-
(ख) पूंजी आरक्षित	-	-
(ग) सामान्य आरक्षित	1,589.58	2,529.58
(घ) प्रतिधारित आय	10,180.57	7,544.09
(ङ) अन्य व्यापक आय जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(56.73)	(47.88)
कुल	**11,713.42**	**10,025.79**
(क) पूँजी मोचन आरक्षित	-	-
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

(1) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिज़र्व या सिक्यूरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिज़र्व का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 69 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(2) होल्डिंग कंपनी के मामले में:

	31.03.2024 को	31.03.202 को
(ख) पूँजी आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
(ग) सामान्य आरक्षित		
वर्ष के आरंभ में शेष	2,529.58	2,392.00
वर्ष के दौरान वृद्दि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (बोनस शेयरों का निर्गम)	(940.00)	-
सामान्य वर्ष से /	-	137.58
वर्ष के अंत में शेष	**1,589.58**	**2,529.58**
सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित निधि है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोग प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ अंतरित करने के लिए किया जाता है ।		
(घ) (i) प्रतिधारित आय		
वर्ष के आरंभ में शेष	7,544.09	5,309.26
वर्ष के लिए लाभ	3,660.14	3,396.76
अंतरिम लाभांश	(600.66)	(600.66)
अंतिम लाभांश	(423.00)	(423.00)
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(0.69)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	(137.58)
वर्ष के अंत में शेष	**10,180.57**	**7,544.09**
(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)		
वर्ष के आरंभ में शेष	(47.88)	(225.47)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(8.85)	177.59
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**(56.73)**	**(47.88)**
कुल (घ (i) + (ii)	**10,123.84**	**7,496.21**
(i) परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का निवल) पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानियां) शामिल हैं।		
(ङ) अन्य व्यापक आय जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
(i) वित्तीय अनुवाद पर मतभेदों का आदान-प्रदान		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
(ii) इक्विटी पद्धति (कर का निवल) का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
कुल [(i)+(ii)]	**-**	**-**

नोट - 7.3 : गैर-नियंत्रित हित

वर्ष के आरंभ में शेष	192.87	99.45
वर्ष के लिए लाभ का हिस्सा	0.91	1.94
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
ब्याज के अधिग्रहण/निपटान और अन्य समायोजनों पर उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त गैर-नियंत्रित ब्याज	5.00	90.87
गैर-नियंत्रित ब्याज को भुगतान किया गया लाभांशशेयरधारिता में बदलाव के कारण समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	0.61
	198.78	**192.87**

नोट - 8.1 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित	478.38	125.12
असुरक्षित	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	478.38	125.12
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता	-	0.03
	-	0.03

वित्तीय विवरण समेकित

8.1.1 निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा गारंटीकृत ऋण :

ऋण का विवरण	(₹ करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध

नोट - 8.2: पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
गैर - चालू		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित वित्त लागत	-	-
लीज देनदारियों का भुगतान	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
चालू		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित वित्त लागत	-	-
लीज देनदारियों का भुगतान	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**-**

नोट - 8.3 : देय व्यापार

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	11.78	9.88
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,024.95	1,305.24
कुल	**1,036.73**	**1,315.12**

8.3.1 व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	1 से कम वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
i) एमएसएमई	11.78	-	-	-	11.78
ii) अन्य	830.97	123.49	19.04	45.58	1,019.08
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय राशि -अन्य	-	-	-	5.87	5.87
v) बिल न की गई देय राशियां	-	-	-	-	-
कुल	**842.75**	**123.49**	**19.04**	**51.45**	**1,036.73**

31.03.2023 को स्थिति

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 से कम सालों	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
i) एमएसएमई	9.88	-	-	-	9.88
ii) अन्य	1,043.68	103.98	32.06	49.80	1,229.53
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित देय राशि -अन्य	-	-	-	75.71	75.71
v) बिल न की गई देय राशियां	-	-	-	-	-
कुल	**1,053.56**	**103.98**	**32.06**	**125.51**	**1,315.12**

नोट - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य चालू		
सुरक्षा जमा	148.02	232.21
अन्य	-	-
कुल	148.02	232.21
चालू	**-**	**-**
चालू खाता के साथ-	-	-
होल्डिंग कंपनी	45.46	12.47
आईआईसीएम	0.21	0.21
भुगतान न किए गए लाभांश 8.4.1	-	-
प्रतिभूति जमा	173.07	147.91
बयाना पैसा	51.72	266.37
पूंजीगत व्यय के लिए देय	138.26	197.30
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	610.11	500.59
अन्य	844.14	531.61
कुल	**1,862.97**	**1,656.46**

8.4.1 ₹ शून्य (वि. वर्ष ₹ शून्य) की एक राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी गई है क्योंकि वह भुगतान न किए गए लाभांश खाते में ऐसे लाभांश के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त और दावा नहीं की गई थी।

9.1 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2024 को स्थिति
अन्य चालू		
कर्मचारी लाभ		
उचित	-	64.80
अवकाश नकदीकरण	717.71	467.86
सेवानिवृति के बाद के मेडिकल लाभ	163.51	192.89
अन्य कर्मचारी लाभ	40.05	40.69
	921.27	766.24
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना [9.1.3]	1,008.57	929.15
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन[9.1.2]	3,405.55	3,156.22
अन्य	-	-
कुल	**5,335.39**	**4,851.61**
प्रवाह		
कर्मचारी लाभ		
उचित	-	207.82
अवकाश नकदीकरण	62.92	49.77
सेवानिवृति के बाद के मेडिकल लाभ	28.49	28.27
अन्य कर्मचारी लाभ[9.1.4]	699.54	1,888.60
	790.95	2,174.46
साइट बहाली/खदान बंद करना	-	
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	**790.95**	**2,174.46**

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालूऔर अन्य चालू)

बीमांकिक मूल्यांकन सहित भारतीय लेखा मानक -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और परिवर्तन।

	वर्ष के आरंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान चार्ज किया गया	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	वर्ष के अंत में शेष राशि
अन्य कर्मचारी लाभ	1929.29	232.50	1422.20	739.59
साइटबहाली/खदानबंदकरना	929.15	76.33	(3.09)	1,008.57

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में परिवर्तन का विवरण (चालू और अन्य चालू परिसंपत्ति)

(i) अनुपात विचरण भंडारवर्ष के आरंभ में शेष	3,156.22	3,115.91
वर्ष के दौरान उलट	249.33	40.31
वर्ष के अंत में शेष	3,405.55	3,156.22

(ii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों और त्रुटियों में परिवर्तन' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' के अनुसार, कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के प्रभाव को दर्शाने के लिए कुछ मदों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्लेखन के लिए नोट 16(7) देखें।

9.1.3 साइट बहाली/खान बंदीकरण के प्रावधान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, समूह को सतही और भूमिगत खानों में किए गए व्यय का कुल योग भूमि पुनर्बहाली और संरचनाओं के परिसमापन के लिए व्यय करना होगा। खान बंदीकरण, साइट बहाली और परिसमापन के लिए आवश्यक व्यय का अनुमान भविष्य की नकदी व्यय की राशि और कालमापन के विस्तृत प्राक्कलन तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया गया है। खान बंदीकरण व्यय को स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। भविष्य में होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए, व्यय के अनुमान को मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के लिए बढ़ाया जाता है। भविष्य के खर्चों के वर्तमान मूल्य का आकलन करने के लिए, व्यय के अनुमान पर **8%** की छूट दर लागू की जाती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, कंपनी को हर वर्ष कुछ राशि वित्तीय व्यय के रूप में दिखानी होती है। खान बंद योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - **4.6** देखें)

9.1.4 कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि का प्रावधान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान के लिए अनुमोदित राशि अर्थात ₹ 85,000/- प्रति कर्मचारी के आधार पर किया गया है।

नोट - 10.1 : अन्य अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	372.33	412.46
अन्य	0.49	0.39
कुल	**372.82**	**412.85**

नोट - 10.2 : अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वैधानिक देय राशि	947.26	962.59
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम	1,978.39	3,063.62
उपकर समकारी खाता	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	40.13	40.13
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**2,965.78**	**4,066.34**

नोट - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आयकर परिसंपत्तियाँ		
वर्ष के आरंभ में शेष	67.64	154.36
वर्ष के दौरान प्राप्त	459.93	(86.52)
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/वापसी		
वर्ष के समापन पर शेष	527.57	67.41
आयकर देयताएं वर्ष के आरंभ में शेष		
वर्ष के दौरान प्राप्त		
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन		
वर्ष के समापन पर शेष	-	-
वर्ष के अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	527.57	67.64
के रूप में खुलासा:		
चालू		
आयकर आस्तियां (निवल)	527.57	67.64
आयकर देयता (निवल)		-

नोट - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

(₹ करोड़ में)

	01.04.2023 तक शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में प्राप्त/(विपरीत)	31.03.2024 तक शेष
आस्थगित कर परिसंपत्ति :			
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	148.93	(74.72)	74.21
कर्मचारी लाभ	431.26	(23.51)	407.75
अन्य	145.35	(16.07)	129.28
(क) का योग	**725.54**	**(114.30)**	**611.24**
आस्थगित कर देयताएं:			
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति से संबंधित	220.59	155.33	375.92
अन्य	215.80	(215.80)	-
(ख) का योग	**436.39**	**(60.47)**	**375.92**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (सी=अ–बी)	289.15	(53.83)	235.32
डी. परिभाषित लाभ योजना जीडीटीएल (+)/डीटीए(-) का पुनर्मापन	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति (ई = सी + डी)	289.15	(53.83)	235.32

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट - 12.1 : परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
विक्रय	23,341.82	22,720.19
घटाएं : वैधानिक लेवी और अन्य वसूलियां	8,050.30	7,493.98
विक्रय (निवल) (ए) [12.1.1 & 12.1.2]	**15,291.52**	**15,226.21**
अन्य परिचालन राजस्व		
लोडिंग और परिवहन शुल्क	811.81	735.04
घटाएं : वैधानिक लेवी	38.66	35.00
	773.15	**700.04**
निकासी सुविधा शुल्क	526.10	475.60
घटाएं : वैधानिक लेवी	25.05	22.65
	501.05	**452.95**
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (बी)	**1,274.20**	**1,152.99**
संचालन से राजस्व (ए+बी)	**16,565.72**	**16,379.20**

12.1.1 विक्रय को कोयले की गुणवत्ता और नमी में अंतर के लिए अनुमानित प्रावधान (वापसी का निवल) से घटाया गया है, जो कि ₹ 243.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 354.47 करोड़ वापस ले लिया गया था) के बराबर है। इस प्रावधान का आकलन तटस्थ/तीसरे पक्ष के नमूना परीक्षक से मिलने वाले परिणामों के आधार पर किया गया है।

12.1.2 विक्रय में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रदर्शन प्रोत्साहन (पीआई) और मुआवजे की राशि ₹ 139.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.09 करोड़) शामिल है।

नोट - 12.2 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय12.2.1	318.17	234.85
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (इस प्रकार के ये से प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय का निवल)		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	2.64	0.02
विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की विक्रय पर लाभ	40.17	19.90
लीज रेंट[12.2.2]	0.70	0.35
वापस लिखा प्रावधान[12.2.3]	0.81	2.07
देनदारियों को वापस लिखा गया [12.2.4]	204.38	350.25
उचित मूल्य परिवर्तन (नेट)	(0.03)	8.41
विविध आय12.2.5	528.92	310.61
कुल	**1,095.76**	**926.46**

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
12.2.1 आयकर वापसी पर ₹ 0.16 करोड़ (वि. वर्ष ₹ शून्य) ब्याज शामिल है		
12.2.2 नोट 4.6.5 देखें		
12.2.3 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण-		
निकाय कारपोरेट और कर्मचारियों को ऋण के लिए (4.2)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंट्री के लिए (5.1 और 5.1)	-	1.99
अन्य अन्य चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.1)	-	0.08
अन्य चालू जमाराशियों और अग्रिमों के लिए (6.2)	0.81	-
वर्ष के दौरान कुल प्रावधान लिखा गया	0.81	2.07
12.2.4 अपलिखित देयताओं में निम्न अधिशेष अपलिखित देयताएं शामिल है-		
प्रदर्शन आधारित वेतन	9.26	5.80
खदान बंदीकरण प्रावधान	0.68	90.57
वेतन और मजदूरी	13.12	3.48
संवेदकीय व भंडार देयताऐं	102.80	208.44
वैधानिक लेवी सहित व अन्य	78.52	41.96
कुल	**204.38**	**350.25**

12.2.5 विविध आय में शामिल हैं-

टोरी-शिवपुर रेल कॉरिडोर की वर्धित माइलेज	100.53	70.20
साइडिंग उपयोगकर्ता शुल्क	30.10	26.57
आस्थगित राजस्व आय (सरकारी अनुदान)	40.13	40.13
एसडी/ईएमडी और बैंक गारंटी की जब्ती भुनाई	126.84	96.67
स्क्रैप विक्रय	11.09	16.50
आपूतकर्ताओं से जुर्माना/एलडी वसूल	25.54	14.02
ई-नीलामी के लिए प्रक्रिया शुल्क	25.85	-
अन्य	**168.84**	**46.52**
कुल	**528.92**	**310.61**

नोट - 13.1 : उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
विस्फोटकों	308.85	441.13
लकड़ी	0.28	0.09
तेल और ल्यूब	475.06	543.21
एचईएमएम पुर्जे	143.05	141.44
अन्य उपभोज्य स्टोर और पुर्जे	44.61	44.96
कुल	**971.85**	**1,170.83**

टिप्पणी - 13.2 : तैयार उत्पाद की इनवेंटरी में परिवर्तन, प्रगति पर कार्य और स्टॉक इन ट्रेड

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023 (पुनर्लिखित)
कोयले की इनवेंटरी में परिवर्तन		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	966.28	882.25
ओपनिंग स्टॉक राजस्व में लाया गया	-	-
वर्ष की समाप्ति पर स्टॉक	1,147.85	966.28
	(181.57)	(84.03)
कार्यशाला और प्रेस कार्यों की सूची में परिवर्तन		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	2.70	4.92
वर्ष की समाप्ति पर स्टॉक	2.63	2.70
	0.07	2.22
कुल	**(181.50)**	**(81.81)**

नोट - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
वेतन और मजदूरी[13.3.1 & 13.3.2]	5,240.02	5,557.91
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,337.87	1,370.31
कर्मचारी कल्याण व्यय	284.91	294.48
कुल	**6,862.80**	**7,222.70**

13.3.1 जिसमें भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन से संबंधित वेतन, समयोपरि वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस आदि शामिल हैं।

13.3.2 कर्मचारियों का राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA-XI) जून 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत, कर्मचारियों को संशोधित वेतन मिल रहा है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान भी किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बकाया वेतन भुगतान के लिए ₹ 145.16 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जबकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि ₹ 1221.28 करोड़ थी।

13.3.3 विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान (जो बीमांकिक मूल्यांकन के दायरे से बाहर हैं) के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार आवश्यक सभी विवरण नोट 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.4 परिभाषित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं (जो बीमांकिक मूल्यांकन के दायरे में आती हैं) के संबंध में इंड एएस 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार आवश्यक सभी विवरण नोट 16 (7) में दिए गए हैं।

नोट - 13.4 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट का क्रमिक समायोजन	76.33	75.44
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	**76.33**	**75.44**

नोट - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	750.78	699.80
पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (नोट 3.2)	8.19	3.92
गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति (नोट 3.3)	(0.01)	1.55
अमूर्त परिसंपत्ति (नोट 3.4)	4.49	4.47
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति (नोट 3.5)	763.45	709.74
घटाएं: कोयला खानों के विकास के दौरान व्यय हेतु स्थानांतरित	-	4.07
कुल	**763.45**	**705.67**

नोट - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	-	-
अनुपात विचरण रिज़र्व	249.32	40.31
कोयले तक बेहतर पहुंच	(161.39)	(268.25)
कुल	**87.93**	**(227.94)**

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य वर्ष/अवधि के दौरान ओवर बर्डन हटाने से है जो वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँचने के लिए लाभ में सुधार होता है।

13.6.2 वर्ष के दौरान, औसत स्ट्रिपिंग अनुपात और चालू अनुपात के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए अनुपात भिन्नता चार्ज की गई है। औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (एआर) हटाए गए ओवर बर्डन (ओबी) की कुल मात्रा और परियोजना जीवन के दौरान खनन किए जाने वाले कुल कोयले के बीच का अनुपात है। चालू अनुपात (सीआर) हटाए गए ओबी और अवधि के दौरान उत्पादित कोयले के बीच का अनुपात है।

नोट - 13.7 : संवेदकीय व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
परिवहन शुल्क	522.38	467.02
वैगन लदान	40.95	40.66
संयंत्र और उपकरणों का किराया	1,462.95	1,319.51
अन्य संवेदकीय कार्य	133.22	117.68
अन्य संवेदकीय कार्य (सीएमपीडीआईएल विशिष्ट)	-	-
कुल	**2,159.50**	**1,944.87**

नोट - 13.8: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
ऊर्जा व्यय	277.07	265.88
मरम्मती व रखरखाव		
-बिल्डिंग	153.62	146.06
-संयंत्र और उपकरण	129.16	95.98
-अन्य	1.22	1.06
यात्रा व्यय	20.39	57.18
प्रशिक्षण व्यय	4.84	9.03
टेलीफोन और इंटरनेट	62.79	16.72
विज्ञापन और प्रचार	5.30	2.20
उत्पाद ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब शुल्क	12.63	31.85
लोडिंग शुल्क के तहत	61.52	81.84
कोयला सैंपलिंग शुल्क	18.22	48.32
सुरक्षा व्यय	260.29	278.48
कानूनी व्यय	3.86	2.16
परामर्श प्रभार	2.53	0.53
सेवा प्रभार (सीआईएल)	172.10	152.07
सेवा प्रभार (सीएमपीडीआई)	65.47	76.45
परिसंपत्ति की विक्रय/त्याग/सर्वेक्षण पर नुकसान	6.77	0.04
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस	0.30	0.30
कराधान मामले	0.02	-
अन्य सेवाएं	0.22	0.30
प्रतिपूर्ति व्यय	0.27	0.09

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
आंतरिक व अन्य लेखा परीक्षा व्यय	3.48	3.28
पुनर्वास शुल्क	49.73	44.99
लीज़ किराया और किराये का शुल्क	77.71	72.08
दरें और कर13.8.2	458.68	21.43
बीमा	0.86	0.80
विनिमय दर विचरण पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	3.06	1.14
साइडिंग रखरखाव शुल्क	23.77	25.09
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	32.58	19.38
शेयरों का पुनः क्रय	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	52.12	43.39
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.16	0.07
प्रावधान[13.8.1]	52.43	92.13
बट्टा (अशोध्य ऋण)	249.73	191.90
बट्टे खाते में जाने के पूर्व प्रावधान को वापस लेने की प्रविष्टि करें. (अशोध्य ऋण)	(168.17)	-
विविध व्यय	96.49	104.46
कुल	**2,191.22**	**1,886.63**

13.8.1 प्रावधानों का विवरण

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
कारपोरेट निकाय और कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी-4.2)	-	-
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी-4.3)	49.58	92.13
वित्तीय जमाराशि एवं प्राप्तियाँ (टिप्पणी-4.6)	0.03	-
कोयला और स्टोर इनवेंटरी (टिप्पणी-5.1)	2.82	-
अन्य अन्य चालू जमाराशि व अग्रिम (टिप्पणी-6.1)	-	-
अन्य चालू जमाराशि और अग्रिम (टिप्पणी-6.2)	-	-
वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	52.43	92.13

13.8.2 झारखंड सरकार की विधानसभा द्वारा "झारखंड कराधान अधिनियमो की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022" (संक्षेप में कर समाधान योजना 2022) विधेयक पास किया गया है, जिसे अधिसूचना दिनांक 06.03.2023 द्वारा नियम के साथ पठित दिनांक 27.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से झारखंड सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह योजना पुराने बकायों और जेवैट अधिनियम 2005, सीएसटी अधिनियम 1956 और विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 आदि के तहत कार्यवाही से उत्पन्न विवादों के निपटान के लिए लाई गई है।

तदनुसार, सीसीएल ने इस योजना के तहत कुल ₹252.73 करोड़ के विवादित कर वाले 185 मामलों को शामिल किया है। कंपनी ने विरोध के तहत पहले से भुगतान किए गए ₹38.96 करोड़ के अलावा अतिरिक्त ₹68.57 करोड़ का भुगतान किया। कुल मिलाकर, कंपनी के लाभ एवं हानि ब्योरे में ₹107.53 करोड़ के भुगतान भारित किया गया और ₹114.81 करोड़ की राहत पाने के लिए 30.39 करोड़ के आवश्यक फॉर्म जमा किए।

कर समाधान योजना (झारखंड सरकार) के तहत अप्रत्यक्ष करों (जैसे विक्रय कर, प्रवेश कर और विद्युत शुल्क) के विवादित मामलों के निपटारे के बाद, कंपनी ने लंबित पुराने मामलों की समीक्षा की। इन मामलों में या तो समय सीमा समाप्त हो चुकी थी या दोनों पक्षों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे अथवा लंबी अवधि तक दबे हुए थे। इन सभी मामलों को संभावित देनदारियों की सूची से हटा दिया गया है और विरोध करते हुए पहले से भुगतान की गई ₹286.12 की राशि को वित्तीय विवरणों में समायोजित किया गया है।

नोट 13.8 के परिशिष्ट : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

1. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अधिक व्यय सहित):

(₹ करोड़ में)

गतिविधियों	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	0.86	0.31
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	11.91	8.09
पर्यावरणीय स्थिरता	3.20	0.60
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	0.08	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	0.23	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	7.99	5.11
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इनक्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	0.12	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	7.81	2.56
स्लम क्षेत्र विकास	-	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	-	-
पीने का पानी	9.75	4.75
स्वास्थ्य देखभाल	12.17	9.20
स्वच्छता	3.61	0.74
दिव्यांगों का कल्याण	0.98	0.10
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.15	0.14
अन्य	3.13	1.63
कुल	**62.00**	**33.23**
जोड़ें:- चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर राशि	-	-
महायोग	**62.00**	**33.23**

व्यय किए गए सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा के साथ प्राप्त सीएसआर व्यय का मिलान

विवरण	वर्ष के लिए समाप्त 31.03.2024	वर्ष के लिए समाप्त 31.03.2023
गतिविधि वार व्यय की गई सीएसआर राशि	62.00	33.23
घटाएं: वर्ष के दौरान आगे बढ़ाई गई अधिक/(उपयोग)	8.95	-
जोड़ें: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर राशि	-	-
जोड़ें: चालू परियोजना पर व्यय न की गई सीएसआर राशि		10.16
वर्ष के दौरान प्राप्त सीएसआर व्यय*	*53.05	43.39

*इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में अव्ययित खाते से उत्पन्न अधिशेष के कारण ₹ 0.93 लाख करोड़ का व्यय भी शामिल है और तदनुसार निवल सीएसआर व्यय ₹ 52.12 करोड़ आता है जैसा कि नोट-13.8 अन्य खर्चों में गिना गया है।

ख. सीएसआर व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
(क) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि (धारा 1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135)	51.77	43.39
(बी) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	97.61	43.39
(ग) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	35.71	6.51
(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	26.29	26.72
कुल	**62.00**	**33.23**

नोट 13.8 के परिशिष्ट : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

ग. चल रही परियोजना के अलावा अन्य बकाया राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक जमा	6 के भीतर धारा VII की निर्दिष्ट निधि में जमा राशि महीने	के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि वर्ष	के दौरान व्यय की गई राशि सालों	अंतिम शेष
असीमित राशि चल रहे प्रोजेक्ट के अलावा अन्य	-	-	-	-	-

घ. व्यय की गई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक जमा	के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि सालों	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष
2021-22				
2022-23				
2023-24	-	52.70	62.00	9.30

* कंपनी का ₹ 9.30 करोड़ के कुल क्लोजिंग बैलेंस में से केवल 8.95 करोड़ रुपये आगे ले जाने का प्रस्ताव है।

ङ. व्यय न की गई चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित खाता		कंपनी के बैंक खाते से	सेपरेट सीआरएस अव्ययित खाता /	कंपनी के साथ	सीएसआर को अलग करने में अव्ययित खाता /
2021-22	-	11.55	11.55	-	2.80		8.75
2022-23	-	12.15	12.15	-	6.92		5.23
2023-24							

च. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक जमा	के दौरान जोड़ वर्ष	वर्ष के दौरान समायोजन	अंतिम शेष
सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान (अन्य वित्तीय देयता चालू(अन्य) में शामिल - नोट 8.4)	26.49	13.58	6.21	33.86

नोट - 14.1 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
चालू वर्ष	1,209.95	820.14
पहले के वर्ष	(194.93)	-
कुल चालू कर	1,015.02	820.14
आस्थगित कर	53.83	390.32
मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
कुल	**1,068.85**	**1,210.46**

14.1.1 कर व्यय का सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

कर पूर्व लाभ/(हानि)	4729.90	4609.17
25.168% की आयकर दर पर (31.03.2022: 25.168%)	1,190.52	1,160.70
घटाएं: छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
घटाएं: पिछले वर्ष की आय के संबंध में समायोजन	215.80	(215.80)
योग: गैर-कटौती योग्य खर्चों पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	(196.37)	(124.76)
मैट प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	(194.93)	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	1,015.02	820.14
प्रभावी आयकर दर :	**21.46%**	**17.79%**

14.1.2 आस्थगित कर आस्तियों/(देयताओं) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

नोट - 15.1 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन15.1.1	(11.82)	237.32
	(11.82)	**237.32**
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(2.97)	59.73
	(2.97)	**59.73**

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
के वित्तीय विवरणों का अनुवाद करने में अंतर का आदान-प्रदान करें		
विदेशी ऑपरेशन	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	**(8.85)**	**177.59**

15.1.1 ग्रेच्युटी ₹ शून्य करोड़ (वि. वर्ष ₹ शून्य करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ₹ शून्य करोड़ वि. वर्ष ₹ शून्य करोड़) के संबंध में आंकड़े का प्रदर्शित करता है।

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. क) **आकस्मिक देयताएं**

   I. समूह के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रदान नहीं किया गया है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.2023	2,220.36	4,181.52	-	537.60	6,939.48
वर्ष के दौरान वृद्धि	209.85	223.72	-	3.96	437.53
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावा*:					
ए. ओपनिंग बैलेंस से	1,099.27	1,709.06	-	1.25	2,809.58
बी. वर्ष के दौरान वृद्धि से बाहर	21.28	33.92	-	-	55.20
31.03.2024 को अंतिम तिथि	**1,309.66**	**2,662.26**	**-**	**540.31**	**4,512.23**

(₹ करोड़ में)

विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.2022	2,149.79	17,976.32	-	542.07	20,668.18
वर्ष के दौरान वृद्धि	73.03	318.32	-	0.34	391.69
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे:					
ए. ओपनिंग बैलेंस से	2.46	14,112.85	-	4.81	14,120.12
बी. वर्ष के दौरान वृद्धि से बाहर	-	0.27	-	-	0.27
31.03.2023 को अंतिम तिथि	**2,220.36**	**4,181.52**	**-**	**537.60**	**6,939.48**

(₹ करोड़ में)

आकस्मिक दायित्व			
क्र.सं	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1	**केंद्र सरकार**		
	आयकर	614.12	1,113.92
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	146.01	154.28
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	470.83	941.66
	सेवा कर	29.35	10.50
	उत्पाद & सेवा कर	49.35	-
	उप-कुल	1,309.66	2,220.36
2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टि	2,093.73	2,363.24
	विक्रय कर/वैट	172.59	1,282.91
	प्रवेश कर	-	25.00
	विद्युत शुल्क	2.07	58.54
	माडा	364.53	420.73
	पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित अन्य	29.34	31.10
	उप-कुल	2,662.26	4,181.52
3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-
	अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
	उप-योग	-	-
4	**अन्य: (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि और अन्य	**540.31**	**537.60**
	उप-योग	**540.31**	**537.60**
	महायोग	**4,512.23**	**6,939.48**

* कृपया वित्तीय विवरण में नोट 13.8.2 देखें

कंपनी के लंबित मुकदमों में कंपनी के विरुद्ध दावा और लंबित कर/राज्य/सरकारी प्राधिकरणों की कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं, और अपने वित्तीय विवरणों में, जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का उसकी वित्तीय स्थिति पर भौतिक प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त के संबंध में भावी नकदी बहिर्वाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर करता है।

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य (2014 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 114) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 42 परियोजनाओं में मांग नोटिस जारी किए, जिसमें इन परियोजनाओं में उत्पादन उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक होने का आरोप लगाया गया।

कंपनी ने उपर्युक्त मांगों के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष विधिवत पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश में पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया है और अगले आदेश तक ₹13568.50 (₹13568.50 करोड़) के मांग आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

सीसीएल ने मुआवजे की मांग सूचना का मूल्यांकन किया है, निपटान में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार इसे रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए आकस्मिक दायित्व नहीं माना गया है।

आकस्मिक परिसंपत्ति: एक आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है। व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे चालूमें बकाया हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभों के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों को घेरने वाली अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 तक जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 483.76 करोड़ (वि. वर्ष ₹ 476.36 करोड़) है।

III. साख पत्र

31.03.2024 को बकाया साख पत्र ₹ शून्य (वि. वर्ष ₹ शून्य) है।

ब) प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है: ₹ 4966.41 करोड़ (प्रति वर्ष ₹ 2110.76 करोड़)।

अन्य प्रतिबद्धताएं: 8404.39 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 8728.84 करोड़ रुपये)।

2. संबंधित पक्ष की जानकारी

क) समूह की जानकारी

क्र. सं.	निकाय का नाम	मुख्य गतिविधियां	निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2024	31.03.2023
1	कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयला खनन	भारत	100%	100%
2	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (सहायक कंपनी)	रेल अवसंरचना	भारत	64%	64%

I. सिस्टर कंपनियां

क्र.सं.	निकाय का नाम	मुख्य गतिविधियां	निगमन का देश
1	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	कोयला खनन	भारत
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	कोयला खनन	भारत
3	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	कोयला खनन	भारत
4	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL)	कोयला खनन	भारत
5	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	कोयला खनन	भारत
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला खनन	भारत
7	सीएमपीडीआई लिमिटेड (सीएमपीडीआई)	कोयला खनन	भारत

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

II. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाभ मद और अन्य

क्र. सं.	निकाय का नाम	प्रकृति	का देश समावेश
1	सीसीएल कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड	भरोसा	भारत
2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में सांविधिक निकाय	भारत
3	कोल इंडिया सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट	भरोसा	भारत
4	गैर-कार्यपालकों के लिए अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम	भरोसा	भारत
5	सीआईएल कार्यकारी परिभाषित योगदान पेंशन ट्रस्ट	भरोसा	भारत
6	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम)	पंजीकृत सोसायटी	भारत
7	कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए)	पंजीकृत सोसायटी	भारत

III. संबंधित पक्षों के साथ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम	अधिकतम शुल्क	पुनर्वास शुल्क	आईआईसीएम प्रभार	अन्य/ निवेश	चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य	बक़ाया शेष (देय)/ प्राप्य
1	कोल इंडिया लिमिटेड	172.10	49.73	-	315.98	(45.46)	-
2	सीएमपीडीआई लिमिटेड (सीएमपीडीआई)	-	-	-	202.32	-	(126.21)
3	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान	-	-	0.88	-	-	(0.60)
4	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	0.03	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड द्वारा

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम	अधिकतम शुल्क	पुनर्वास शुल्क	आईआईसीएम प्रभार	अन्य/ निवेश	चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य	बक़ाया शेष (देय)/ प्राप्य
1	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	0.03	-	-
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	-	-	394.1	-	-
3	झारखंड सरकार	-	-	-	5.00	-	-

IV. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरपु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020 से 30.06.2023
डॉ. बी.वीरा रेड्डी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.07.2023
श्री राम बाबू प्रसाद	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	14.05.2022 से 29.02.2024
श्री हरीश दुहान	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	01.03.2024
श्री पवन कुमार मिश्रा	निदेशक (वित्त)	10.06.2022
श्री हर्ष नाथ मिश्र	निदेशक (कार्मिक)	24.08.2022
श्री बी. साइराम	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	26.10.2022 से 13.03.2024
श्री सतीश झा	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	18.03.2024
श्री अजितेश कुमार	सरकारी नामित निदेशक	22.02.2023 से 27.12.2023
सुश्री रुपिंदर बरार	सरकारी नामित निदेशक	27.12.2023
श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री विनय रंजन	सरकारी नामित निदेशक	05.08.2021
श्री अमरेश प्रधान	कंपनी सचिव	31.08.2022

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	की तिथि से
श्री पवन कुमार मिश्रा	निदेशक/अध्यक्ष, जेसीआरएल	19.12.2022
श्री बी.साईराम	अध्यक्ष, जेसीआरएल	23.11.2022 to 13.03.2024
श्री शशांक शेखर झा	निदेशक	15.06.2018
श्री हरीश वीरसिंह दुहान	निदेशक	14.03.2024
सुश्री प्रिय रंजन पाढ़ी	निदेशक	09.05.2022
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश	निदेशक	18.03.2024
श्री पराग वर्मा	निदेशक	11.10.2022
सुश्री रागिनी आडवाणी	निदेशक	01.06.2022
श्री आर.के. मिश्रा	सीईओ	29.01.2022
श्री प्रदीप कुमार सिंह	सीएफ़ओ	29.01.2022
सुश्री श्रेया	कंपनी सचिव	29.04.2022

V. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, सीएफओ और कंपनी सचिव को भुगतान	3.42	2.82
	ख. स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	0.06	0.09
ii)	रोजगार के बाद के लाभ	1.76	2.13
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
iv)	समाप्ति लाभ	-	-
v)	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुल	**5.24**	**5.04**

नोट:

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार 2000/- रु प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

VI. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
i)	देय राशि	0.47	0.02
ii)	प्राप्य राशि	0.04	-

VII. कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय हैं जिसमें कोई निदेशक एक भागीदार, एक निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा, संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

VIII. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचना

उद्यम न नाम	निबल परिसंपत्ति = कुल परिसंपत्ति घटाव कुल देयताएँ		लाभ अथवा हानी में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा	
	% के रूप में	राशि (रु.)	% के रूप में	राशि (रु.)	% के रूप में	राशि (रु.)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	97.40	13,239.63	99.96	3,658.53	100.00	(8.85)
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	4.06	552.57	0.07	2.52	-	-
घटाव : सभी अनुषंगियों में अल्पसंख्यक हित	1.46	198.78	0.02	0.91	-	-
कुल	**100.00**	**13,593.42**	**100.00**	**3,660.14**	**100.00**	**(8.85)**

3. सामान्य

3.1 ईआईपीएल द्वारा निर्मित स्वामित्व और संचालन (बीओओ) आधार पर चालू रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव पावर प्लांट की पूंजीकरण लागत पर लंबे समय से लंबित विवाद है और यह विवाद 2009 की सिविल अपील संख्या 7403 में लंबित है, जिसे कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिनांक 31.07.2009 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसकी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा भी विधिवत पुष्टि की गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 और 23.11.12 के उक्त अपील में पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में कंपनी ने 2012-13 में मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए ₹ 94.33 करोड़ की देयता का हिसाब लगाया था। इसमें से ₹ 83.03 करोड़ का भुगतान पात्र कटौती करने के बाद ईआईपीएल को किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, क्रमशः 20.11.13 और 10.01.14 को ₹ 75 करोड़ और ₹ 25 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, अप्रैल, 08 से मार्च, 14 तक देय संशोधित राशि की गणना जेएसईआरसी द्वारा मार्च, 08 तक की अवधि तक संशोधित प्रशुल्क का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति के आधार पर की गई थी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 94.33 करोड़ के अतिरिक्त ₹ 23.25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था, जो पहले ही 2012-13 के वित्तीय विवरणों में प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 3.26 करोड़ की अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 0.26 करोड़ की अतिरिक्त देयता भी प्रदान की गई है।

ईआईपीएल से प्राप्य शेष का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	(₹ करोड़ में)
क) मार्च, 08 तक की अवधि के लिए विभेदक टैरिफ - जिसके संबंध में देयता है वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरणों में 1000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।	94.33
ख) अप्रैल'08 से मार्च'14 की अवधि के लिए विभेदक टैरिफ जिसके संबंध में देयता वर्ष 2013-14 में 10000 करोड़ रु की राशि प्रदान की गई है।	23.25
(ग) डीम्ड ऊर्जा प्रभारों के संबंध में पुरानी रख-रखाव राशि	31.36
घ) वर्ष 2014-15 के लिए विभेदक टैरिफ	3.26
ङ) वर्ष 2015-16 के लिए विभेदक टैरिफ (रजरप्पा क्षेत्र)	0.26
कुल	**152.46**
घटाएं: तदर्थ भुगतान (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार)	183.03
निवल शेष (नोट-4.6 में शीर्ष दावे एवं अन्य के अंतर्गत दर्शाई गई है प्राप्य)	30.57

हालांकि, ईआईपीएल ने 17.09.2012 को ₹ 302.63 करोड़ की अपनी मांग प्रस्तुत की है जिसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज ₹ 134.20 करोड़ शामिल है, जो उक्त पीपीए में कभी सहमत नहीं हुआ था। विलंबित भुगतान को छोड़कर ईआईपीएल की कुल मांग ₹168.43 करोड़ है, जबकि कंपनी ने पहले ही उपरोक्त के अनुसार ₹183.03 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी कर दिया है। मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ईआईपीएल के साथ विद्युत खरीद समझौते के अनुच्छेद 1.18.3 के अनुसार, संबंधित बिजली संयंत्र के चालू होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि से ईंधन लागत में भिन्नता के कारण प्रशुल्क के ईंधन घटकों में वृद्धि/कमी निर्धारित की जाएगी। पीपीए के खंड 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक मूल्य ₹ 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के खंड 1.18.3 के अनुसार गणना की गई है और ईंधन लागत में वृद्धि के कारण संशोधित प्रशुल्क के कारण देय अतिरिक्त प्रशुल्क के साथ अपशिष्टों के मूल्य में संशोधन के कारण प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को वित्तीय विवरणों में माना गया है। वर्ष 2013-14 और ईआईपीएल को पूरक बिल भी उठाया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विक्रय और विपणन विभाग की सीसीएल स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजेक्ट्स की कीमत को फिर से संशोधित किया गया था

और डीएलएफ लिमिटेड के निदेशक (संचालन) को पत्र संदर्भ संख्या जीएम (ई एंड एम)/डीएलएफ/14/3530-36 दिनांक 17.11.2014 के तहत सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार, जी ग्रेड स्लेक कोयला जो 01.01.2012 से पूर्व लागू मूल्य निर्धारण की यूएचवी प्रणाली के अंतर्गत निम्नतम ग्रेड था, ईआईपीएल से जुलाई, 2000 से दिसंबर, 2011 तक की अवधि के लिए प्रभार्य हो गया। उपर्युक्त पत्र जारी करने के परिणामस्वरूप विक्रय बिल और विद्युत टैरिफ में संशोधन किया गया था।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बढ़े हुए टैरिफ को समायोजित करने के बाद रिजेक्ट्स की आपूर्ति के कारण ईआईपीएल से प्राप्य राशि ₹ 38.69 करोड़ थी। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में ₹ 1.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिससे कुल प्रावधान ₹ 40.33 करोड़ हो गया।

विद्युत क्रय करार के दिनांक 8 फरवरी, 1993 के खंड 2.6 के अनुसार, समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीआईएल और ईआईपीएल को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मध्यस्थ की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उभरती हुई स्थिति यह है कि चूंकि समझौते के पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहे हैं, याचिकाकर्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। 1996. इस प्रकार, मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर किया गया है। 2017-18 के दौरान झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने विवाद को निपटाने के लिए समझौते के अनुसार विद्वान मध्यस्थ नियुक्त किया है। विद्वान आर्बिट्रेटर के समक्ष सुनवाई अभी भी लंबित है।

3.2 सचिव, राजस्व,पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार ने दिनांक 07/02/2020 के अपने पत्र सं. 5/सा.भू. (सीसीएल) रामगढ़- 303/2012-519 (5)/रा. द्वारा जो अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड को संबोधित है, में सीसीएल के कमान क्षेत्र के अंतर्गत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के एवज में ₹ 26218.15 करोड़ की मांग की है। मांग-पत्र में लीज अवधि के लिए भूमि के लीज बंदोबस्त के रूप में किराया, कर और सलामी शामिल है।

सीसीएल ने सीबीए (ए&डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया है और सीबीए (ए&डी) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत दख़लकार है जो सभी भारों से मुक्त है। तदनुसार, सीसीएल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग से सहमत नहीं हुआ। हालांकि, कंपनी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार झारखंड सरकार को सरकारी भूमि के लिए वर्तमान ग्रामीण कृषि सर्कल दर पर भूमि मुआवजा देने के लिए सहमत है। वर्तमान ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे की प्रारंभिक देयता 5392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए ₹778.62 करोड़ है जो जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन है और सीसीएल ने ₹ 2582.07 करोड़ का एक अग्रिम भुगतान किया है। ₹ 778.62 करोड़ की प्रारंभिक देयता को पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है। (वित्तीय विवरण देखें - नोट -3.1)।

झारखंड के माननीय कोयला मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के बीच 13.11.2021 को रांची में एक बैठक सम्पन्न हुई। आगे दिनांक 24.02.2022 के का.ज्ञा. में उपरोक्त मामले पर हुई चर्चा नीचे दी गई है: "मुख्य सचिव, झा.सरकार ने सूचित किया कि संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और सरकारी भूमि के खिलाफ मांग भूमि की ग्रामीण कृषि दर लेते हुए की जाएगी और प्रति एकड़ भूमि मुआवजा भूमि की दर का 1.52 गुना होगा अंतिम निपटान के रूप में पूरा। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार देय राशि का भुगतान करने के लिए सिद्धांत रूप में प्रतिबद्ध किया और प्रतिबद्ध किया कि जैसे ही सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होगी, कोयला मंत्रालय के अधिकारी और मुख्य सचिव, झारखंड एक साथ बैठकर भुगतान का कार्यक्रम तय करेंगे और भूमि का भौतिक कब्जा सौंप देंगे।

इसके अलावा, राजकीय विद्युत उत्पादन कंपनी टीवीएनएल (तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड) ने दिनांक 6 जून, 2022 को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, झारखंड सरकार को पत्र संख्या 253/22-23 के माध्यम से राज्य सरकार को सीसीएल द्वारा देय भूमि मुआवजे के मुकाबले टीवीएनएल द्वारा सीसीएल को बकाया

राशि का बुक समायोजन करने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, सीसीएल ने दिनांक 04/12/2023 को पत्र संख्या CMD/CCL/TVNL-Dues/C-29/2023/717 के माध्यम से झारखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव को सूचित किया है कि टीवीएनएल के ₹ 1036.27 करोड़ के बकाये को भविष्य में सीसीएल द्वारा झारखंड सरकार को भुगतेय सरकारी भूमि मुआवजे के विरुद्ध अग्रिम के रूप में विरोध के अधीन संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट और कुल अग्रिम भुगतान सहित टीवीएनएल के बकायों का बुक समायोजन ₹ 3618.34 करोड़ है।

3.3 मेसर्स सेल और आरआईएनएल को धुले हुए मध्यम कोकिंग कोयले (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति सीसीएल, सेल/आरआईएनएल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है) के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) के अनुरूप में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर किया जाता था। इस प्रकार का पिछला समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अर्थात 31.03.2017 तक वैध था और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू सहमत मूल्य 5,780/- रुपये प्रति टन था। सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निदेश के अनुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा यथा परिकल्पित आयात समता के सिद्धांत पर विचार करते हुए डब्ल्यूएमसीसी के मूल्य को अधिसूचित किया है। तथापि, सेल और आरआईएनएल दोनों ने उक्त मामले अर्थात् सहमत मूल्य तंत्र के विरुद्ध एकपक्षीय मूल्य संशोधन में अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। तत्पश्चात्, इन पार्टियों (सीसीएल, सेल और आरआईएनएल) के बीच विचार-विमर्श सहित कई पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है लेकिन उक्त मामले में किसी सर्वसम्मति पर सहमति नहीं बनी है। हालांकि, पारस्परिक रूप से सहमत तदर्थ मूल्य @ 6,500/- रुपये प्रति टन 28/07/2018 से लागू किया गया था। उक्त मामले में कई दौर के अनुनय के बाद, सेल के साथ विवाद को पारस्परिक रूप से सहमत बातचीत की शर्तों के माध्यम से सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। इस मामले में आरआईएनएल को भी एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इसी तर्ज पर इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कहा गया है।

3.4 झारखंड राज्य में रेलवे अवसंरचना कार्यों के विकास, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और झारखंड सरकार के बीच 07.05.2015 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम के तहत 31.08.2015 को 5.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड" (जेसीआरएल) नामक एक सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 500.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के एमओए के अनुसार प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्रमशः 64%, 26% और 10% है। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार, जेसीआरएल ने कंपनी को ₹64.63 करोड़, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ₹ 26.26 करोड़ और झारखंड सरकार को ₹10.10 करोड़ के मूल्य के शेयर आवंटित किए हैं और इस प्रकार 31.03.2024 को जेसीआरएल की चुकता पूंजी ₹100.99 करोड़ रुपये है।

सीसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुपालन के लिए अपने एकल वित्तीय विवरणी के अलावा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

जेसीआरएल ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 3.48 करोड़ (गत वर्ष ₹ 8.13 करोड़) का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

3.5 दिनांक 26/10/2021 को राजपत्र में अधिसूचित झारखंड राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2021 में अधिसूचित किया गया है कि राज्य ऐसे सभी यांत्रिक वाहनों द्वारा देय संरचना उपयोगकर्ता शुल्क (सीयूएफ़) भुगतान के लिए एक योजना बनायी जा सकती है, जो राज्य के मार्ग अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करते हों या खनन क्षेत्रों में आने-जाने के लिए प्रयोग किए जाते हों। संरचना उपयोगकर्ता शुल्क "आने-जाने" के आधार पर लगाया जा सकता सकता है। उपयोगकर्ता शुल्क प्रत्येक आवागमन के लिए 600/- रुपये होगा। अभी तक राजपत्र में ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। हालांकि, निदेशक खान ने अपने पत्र संख्या 2089 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से जेआईएमएस पोर्टल के माध्यम से सीयूएफ़ के भुगतान की सूचना दी है।

उक्त सीयूएफ़ के भुगतान की प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पर है। सीसीएल में नीलामी, आरसीआर, रेल और सड़क मोड के माध्यम से विक्रय प्रभावित हो रही है। रेल तक, किराए के वाहनों द्वारा रेलवे साइडिंग तक कोयले की ढुलाई की जा रही है और लागू संविदा के अनुसार सीयूएफ़ के एक प्रकार के कर होने के कारण इसके दावा करने पर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर याचिका के कारण सीयूएफ़ लगाने का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है और इसके अतिरिक्त किसी ट्रांसपोर्टर से इसके लिए कोई दावा नहीं किया गया है। सीसीएल ग्राहकों से दावों को एकत्र कर रहा है और इसे अन्य वित्तीय दायित्व (चालू) के रूप में दर्शाया जा रहा है। 31.03.2024 तक एकत्र की गई कुल राशि ₹ 765.37 करोड़ (31.03.2023 तक ₹ 441.45 करोड़) है।

3.6 रेलीगढ़ा ओसी, लाइयो-झारखंड ओसी के संबंध में सीटीओ तथा सीटीई की लंबित स्वीकृति और केदला ओसी परियोजना में उत्पादन शून्य होने के कारण उपर्युक्त तीन परियोजनाओं में ओबीआर लेखांकन नहीं किया गया है।

3.7 स्टोर और कलपुर्जों की इनवेंटरी का उचित अंतराल पर स्टोर लेखा परीक्षकों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया जा रहा है। 31.03.2024 तक सत्यापन प्रगति पर है।

3.8 कर प्राधिकारियों से कर की वापसी/समायोजन का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, उपकर, विक्रय कर, वैट/प्रवेश कर आदि की अतिरिक्त मांग अंतिम आदेश की प्राप्ति के बाद की जाती है, सिवाय इसके कि अन्यथा आईएनडी एएस -37 के तहत प्राप्त नहीं है।

3.9 लेखा नीति को त्रुटियों को सुधारने और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

3.10 झारखंड सरकार (झा.स.) ने जनवरी 2021 में जीएमजेजे भूमि के संबंध में जेसीआरएल को अनापत्ति जारी करने के लिए ₹ 216.55 करोड़ का दावा उठाया है। इस दावा की गणना करते समय, संबंधित अधिकारियों ने ग्रामीण कृषि दर के बजाय वाणिज्यिक दर पर विचार किया था। इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित सुधार के लिए रखा गया था। यह मुद्दा 13.11.2021 को कोयला मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में भी रखा गया था। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव, झा.स. ने सूचित किया कि भूमि की ग्रामीण कृषि दर के अनुसार मांग की जाएगी। 11.01.2023 को कोयला मंत्रालय के सचिव और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के बीच हुई नवीनतम बैठक में, इसी मुद्दे को फिर से इसके अंतिम समाधान के लिए उठाया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर, चतरा को इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया गया था।

3.11 i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 सी के तहत सड़क बिक्री ग्राहकों से टीसीएस के संबंध में आयकर विभाग की ₹ 106.56 करोड़ की मांग के खिलाफ, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को अटैच करके ₹ 71.79 करोड़ एकत्र किया है और शेष राशि ₹ 34.77 करोड़ समूह द्वारा जमा की गई है। कंपनी ने बदले में बैलेंस शीट तिथि तक ग्राहकों से ₹ 77.53 करोड़ वसूल किया है और शेष ₹ 27.99 करोड़ वसूली प्रक्रिया में है।

बाद में, सीआईटी(अ.) द्वारा मामला निपटा दिया गया और उक्त आदेश के खिलाफ सीसीएल ने आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की क्योंकि सीआईटी(अ.) द्वारा जारी आदेश गैर-बोलने वाला था। आईटीएटी ने अपने दिनांक 23.01.2023 के आदेश में सीसीएल के पक्ष में फैसला दिया और सीसीएल द्वारा उठाए गए सभी आधारों को स्वीकार किया।

ii) बैलेंस शीट की तिथि तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

iii) समूह के साथ उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत हटा दी गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

4. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024		31.03.2023	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश*:				
सुरक्षित बांड		-		-
सहकारी शेयर		-		-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	308.72		718.59	
ऋण		9.70		5.81
जमा और प्राप्य		2,024.73		1,858.65
व्यापार प्राप्य **		1,716.73		3,001.17
नकद और नकदी समकक्ष		475.29		980.44
अन्य बैंक शेष		2,040.43		2,533.87
वित्तीय देयताएं				
उधार और लीज देयता		478.38		125.15
व्यापार देय		1,036.73		1,315.12
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		372.81		646.49
अन्य देयता		1,638.18		1,242.18

** कोयला गुणवत्ता प्रच्युत व्यापार से काटे गए विचरण के लिए भत्ता।

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और प्राक्कलनों को दर्शाती है जो (ए) मान्यता प्राप्त हैं और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (बी) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों को उचित रूप से मापा जाता है मूल्य	31.03.2024		31.03.2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ़वीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश:				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	308.72		718.59	

वित्तीय विवरण समेकित

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपातियां एवं देयताएं जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है	31.03.2024		31.03.2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति				
निवेश:				
सुरक्षित बांड		-		-
सहकारी शेयर		-		-
ऋण		9.70		5.81
जमा और प्राप्य		2,024.73		1,858.65
व्यापार प्राप्य		1,716.73		3,001.17
नकद और नकदी समकक्ष		475.29		980.44
अन्य बैंक शेष		2,040.43		2,533.87
वित्तीय देयताएं				
उधार		478.38		125.15
व्यापार देय		1,036.73		1,315.12
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		372.81		646.49
अन्य देयताएं		1,638.18		1,242.18

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर 1: स्तर 1 में ऐसे वित्तीय साधन शामिल होते हैं जिनका मूल्यांकन बाजार में उद्धृत कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, जिनका मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अंत में उनके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

स्तर 2: ऐसे वित्तीय साधन जिनका व्यापार किसी सक्रिय बाजार में नहीं होता है, उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन तकनीकों में, प्रमाणित बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग किया जाता है और कंपनी-विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर किया जाता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, तो उस साधन को स्तर 2 में रखा जाता है।

स्तर 3: यदि किसी साधन के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवश्यक एक या अधिक महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो उस साधन को स्तर 3 में रखा जाता है। निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देनदारियां आमतौर पर स्तर 3 में आते हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग किया गया है।

(घ) महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(ङ) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का **उचित मूल्य**

व्यापार प्राप्तियों, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समतुल्य, तथा व्यापार देयों का वहन मूल्य, इनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के बराबर माना जाता है।

समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाहित नहीं है। सुरक्षा जमा, कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वित्तपोषण के अलावा अन्य कारणों से राशि को रोका जाता है। प्रत्येक किश्त भुगतान

का एक निश्चित प्रतिशत रोककर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ठेकेदार अनुबंध के सभी दायित्वों को पूरी तरह से निभाए। इसलिए, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है, और बाद में इसे अवमूल्यनित लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण प्राक्कलन: ऐसे वित्तीय साधन जिनका व्यापार किसी सक्रिय बाजार में नहीं होता है, उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह इन तकनीकों का चयन करने के लिए अपनी व्यावसायिक समझ का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त मान्यताएं बनाता है।

5. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापारिक देनदारियां और अन्य देय शामिल हैं। इन देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के व्यापारिक कार्यों के लिए धन जुटाना और इन कार्यों को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्ति यों में ऋण, व्यापारिक प्राप्य, अन्य प्राप्य और नकद तथा नकद समतुल्य शामिल हैं, जो सीधे इसके व्यापारिक कार्यों से उत्पन्न होते हैं।

समूह बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय जोखिमों और समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रबंधन ढांचे के बारे में सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों और प्रक्रियाओं के तहत संचालित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन समूह की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा और स्वीकृति देता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

इस नोट में उन जोखिम स्रोतों का ब्योरा है जिनका संगठन से वास्ता है तथा संगठन जोखिम प्रबंधन किस प्रकार करती है व वित्तीय विवरणों में हेज लेखा का प्रभाव।

जोखिम	जिनसे जोखिम हो सकता है	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधन लागत पर मापा जाता है	एजिंग एनालिसिस/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमाओं का विविधीकरण क्रेडिट सीमा और अन्य
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं भारतीय मुद्रा में अंकित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

समूह का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत तथा अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियाँ निर्धारित करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन:

समूह का मुख्य ऋण जोखिम कोयले की विक्रय से उत्पन्न होता है। कोयले की विक्रय को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) और ई-नीलामी।

ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों में मैक्रो-आर्थिक कारक, जैसे कि नियामक परिवर्तन, शामिल किए जाते हैं।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार, समूह ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) करती है। ये एजेंसियां अंततः ग्राहकों को कोयला पहुंचाती हैं। एफएसए को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- राजकीय विद्युत कंपनियां, निजी विद्युत कंपनियां (पीपीयू) और स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनियां (आईपीपी)
- कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) सहित अन्य गैर-विद्युत उद्योग; तथा
- राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियां

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एनसीडीपी) के तहत उपलब्ध पारंपरिक तरीकों से अपनी कोयले की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते। इन कारणों में एनसीडीपी के तहत आवंटित कोटे में कमी, कोयले की मौसमी मांग और कम मात्रा में कोयले की आवश्यकता शामिल है, जिसके लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझोते की जरूरत नहीं होती। ई-नीलामी में पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा का निर्धारण कोयला मंत्रालय समय-समय पर करता है।

क्रेडिट जोखिम तब पैदा होता है जब कोई ग्राहक अपने अनुबंधित दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: यह समूह संदिग्ध/ऋण क्षीण आस्तियों के लिए आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रत्याशित ऋण जोखिम हानि का प्रावधान करता है। संदर्भ नोट - 4.3, प्राप्य व्यापार

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर प्रकट वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान, चूक के जोखिम और अपेक्षित हानि दर के संबंध में अवधारणा पर आधारित है। ये धारणाएं संगठन के पिछले अनुभवों, वर्तमान बाजार परिस्थितियों और भविष्य के पूर्वानुमानों पर आधारित होती हैं। संगठन इन धारणाओं और मूल्यांकन गणना में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों का चयन करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लेता है।

तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और व्यापार योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। कार्यशील पूंजी की लगातार बदलती आवश्यकताओं के कारण, समूह ट्रेजरी प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति (जिसमें अनुपयोगित ऋण सुविधाएं शामिल हैं) और नकदी तथा नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आम तौर पर स्थानीय स्तर पर अभ्यास और समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड के बैंक ऋणों को बैंक सिंडिकेट के माध्यम से सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कोयला, भंडार और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक तथा बुक ऋणों के खिलाफ प्रभार बनाकर सुरक्षित किया गया है। सीआईएल के लिए उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा 430.00 करोड़ रुपये है, जिसमें से निधि आधारित सीमा 140.00 करोड़ रुपये और गैर-निधि आधारित सीमा 290.00 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, एचईएमएम के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए कंसोर्टियम के बाहर गैर-निधि आधारित सीमा के रूप में ₹5190.00 करोड़ (गत वर्ष ₹5000.00 करोड़) की स्थापना की गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड अनुबंधित रूप से उस सीमा तक उत्तरदायी है जहां तक सहायक कंपनियों द्वारा ऐसी सुविधा का वास्तव में उपयोग किया जाता है।

बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में

अंकित है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। समूह नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा आयात और जोखिम का प्रबंधन भी करता है। समूह की एक नीति तब लागू की जाती है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

समूह का प्रमुख ब्याज दर जोखिम बैंक जमाओं से उत्पन्न होता है। ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से समूह की नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए समूह अधिकांश जमाओं को निश्चित ब्याज दर पर रखने की नीति अपनाता है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, समूह विभिन्न बैंकों में जमा, क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों में विविधता लाकर इस जोखिम का प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी निकाय होने के नाते निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (वित्त मंत्रालय के अधीन) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2024	31.03.2023
इक्विटी शेयर पूंजी	1,880.00	940.00
दीर्घकालिक ऋण	478.38	125.12

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भा.ले.मानक -19)

परिभाषित लाभ योजनाएं :

क) ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली एक पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी स्कीम") है। ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी विलगाव होने की तिथि तक संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम ₹ 20 लाख तक सीमित है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों के निष्पक्ष मूल्य को घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुअरी द्वारा अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि उसी वर्ष में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में प्रत्यक्ष मान्यता दी जाती है।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड - "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, ताकि अंतिम वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुमानित देय ग्रेच्युटी राशि में किसी भी कमी की भरपाई की जा सके, जो अधिकतम ₹ 20 लाख तक सीमित है।

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ–अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी ने अपने अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना शुरू की है, जिसे 'कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्ज़िक्यूटिव्स ऑफ़ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडियरीज़' (सीपीआरएमएसई) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत, अधिकारी, उनके पति/पत्नी और 40% से अधिक विकलांगता वाले उनके आश्रित दिव्यांग बच्चे कंपनी के अस्पताल या पैनलबद्ध अस्पतालों में या घर पर इलाज करा सकते हैं। यह योजना उन अधिकारियों के लिए उपलब्ध है जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त

किए गए हैं। जो अधिकारी कंपनी से इस्तीफा देते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त अधिकारी, उनके पति/पत्नी और आश्रित दिव्यांग बच्चे जीवन भर कुल 25 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय दावा कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए देयता की गणना हर साल एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – कर्मचारी (सीपीआरएमएस –एनई)

कंपनी ने अपने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना शुरू की है, जिसे 'कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर नॉन-एग्जीक्यूटिव्स' (सीपीआरएमएसई-एनई) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत, गैर-कार्यकारी कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और 40% से अधिक विकलांगता वाले उनके आश्रित दिव्यांग बच्चे कंपनी के अस्पताल या पैनलबद्ध अस्पतालों में या घर पर इलाज करा सकते हैं।यह योजना उन गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त किए गए हैं। साथ ही, 57 साल या उससे अधिक उम्र में कंपनी से इस्तीफा देने वाले गैर-कार्यकारी कर्मचारी और उनके परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त गैर-कार्यकारी कर्मचारी और उनके पति/पत्नी जीवन भर कुल 8 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय दावा कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। दिव्यांग बच्चे के लिए जीवन भर कुल 2.5 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय दावा किया जा सकता है।इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए एक ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए देयता की गणना हर साल एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन फंड में नियमित रूप से योगदान देती है। यह योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर तय होता है। भविष्य निधि में 12% और पेंशन फंड में 7% का योगदान दिया जाता है। इन फंडों का प्रबंधन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वतंत्र निकाय, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा दिए गए इस योगदान को कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को एक रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुरक्षित समूह के लिए न्यास के माध्यम से किया जाता है। कंपनी का दायित्व मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक ट्रस्ट में योगदान करना है, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नियोक्ता के योगदान को कम करना। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% का चालूनियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण के लिए लिया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) अवकाश नकदीकरण

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की आधी भुगतान वाली छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन छमाही आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 75% ईएल जमा शेष अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की उच्चतम सीमा के अधीन एक बार नकदनीय है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन नकदीकरण के लिए एक साथ माना जाता है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और चालूमें कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने के हकदार हैं तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवषता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण

सेवा समाप्त होने पर शेष छुट्टी अथवा 150 दिन, जो भी कम हो, प्राप्त करने के हकदार हैं। नकदीकरण के लिए अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाए जाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के चालूमूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के बारे में शर्तें होती हैं। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम से योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ख) लाइफ कवर स्कीम (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह की एक जीवन बीमा योजना है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड (एलसीएस) की जीवन बीमा योजना के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभों की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

ग) निपटान भत्ते

वेतन करार के भाग के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के अंतर्गत अभिशासित सभी गैर-कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों को 31-10-2010 को अथवा उसके बाद उनकी अधिवषता पर निपटान भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लि (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के कार्यपालकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए सीआईएल समूह के कार्यपालकों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है जिसे कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (जीपीएआईएस) के रूप में जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना का प्रीमियम सीआईएल द्वारा वहन किया जाता है।

ङ) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी अपने गृह नगर जाने के लिए और 4 साल के ब्लॉक में एक बार "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" जाने के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

च) खदान दुर्घटना कामगार मुआवजा लाभ

कंपनी, वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। 07.11.2019 से, संघातक खदान दुर्घटना के मामलों में एक कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से, मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में 90,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभों की अपेक्षित लागत को तब जोड़ा जाता है जब कोई इस प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्त पोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित	(ii) अवित्तपोषित
o ग्रेच्युटी o अवकाश नकदीकरण o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ–कार्यकारी (सीपीआरएसएमई) o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ–गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस– एनई)	o लाइफ कवर योजना o सेटलमेंट अलाउंस o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा o छुट्टी यात्रा रियायत o खान दुर्घटना लाभ पर निर्भर लोगों को मुआवजा

वित्तीय विवरण समेकित

कंपनी ने बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2024 तक ₹ 4458.04 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीमांकिक दायित्व खोलना 01.04.2022	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयताएं	बीमांकिक दायित्व खोलना 01.04.2023	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयताएं	बीमांकिक दायित्व को समाप्त करना 31.03.2024
ग्रेच्युटी	2,796.73	(81.48)	2,715.25	122.66	2,837.91
अवकाश	527.83	257.69	785.52	162.42	947.94
सेटलमेंट भत्ता	24.06	(1.70)	22.36	(0.12)	22.24
छुट्टी यात्रा रियायत	34.42	1.22	35.64	2.79	38.43
सेवानिवृत्त होने के बाद के चिकित्सा लाभ	597.57	(0.16)	597.41	14.11	611.52
कुल	**3,980.61**	**175.57**	**4,156.18**	**301.86**	**4,458.04**

31.03.2024 को ग्रेच्युटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन 19 के रूप में आईएनडी के अनुसार प्रमाण पत्र
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क.	लाभ और हानि (पी&एल)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	44.19	64.03
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	98.04	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	142.23	64.03
6	निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	1.61	39.97
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	पी&एल में प्राप्त लागत	143.84	104.00

ख.	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.65	(75.04)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	60.43	(99.82)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	65.08	(174.86)
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(9.62)	(23.85)
5	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	55.46	(198.71)

ग.	परिभाषित लाभ लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	142.23	64.03
2	निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज /	1.61	39.97
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	55.46	(198.71)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	199.30	(94.71)

घ.	मान्यताओं	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.00%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

उम्र	दर	उम्र	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

निवल तुलन-पत्र की स्थिति 31.03.2024

क.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का विकास	31.03.2024	31.03.2023
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(2,837.91)	(2,715.25)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ़वीए)	2,867.01	2,442.63
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	29.10	(272.62)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	29.10	(272.62)

ख.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान	31.03.2024	31.03.2023
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(272.62)	(808.12)
2	सेवा लागत	(142.23)	(64.03)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	(1.61)	(39.97)
4	ओसीआई में प्राप्त राशि	(55.46)	198.71
5	नियोक्ता योगदान	501.02	440.79
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	विभाजन	-	-
9	समाप्ति लाभों की लागत	-	-
10	चालू अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**29.10**	**(272.62)**

31-03-2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	2,715.25	2,796.73
2	चालू सेवा लागत	44.19	64.03
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	188.25	184.89
4	कटौती (ऋण)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	98.04	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	4.65	(75.04)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	60.43	(99.82)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(272.90)	(155.54)
13	**चालूअवधि के अंत में डीबीओ**	**2,837.91**	**2,715.25**

ख.	परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2,442.63	1,988.60
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	186.64	144.92
4	नियोक्ता योगदान	501.02	440.80
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	9.62	23.85
6	भुगतान किए गए लाभ	(272.90)	(155.54)
7	**चालूअवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य**	**2,867.01**	**2,442.63**

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

क.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च, 2025	220.50
2	31 मार्च, 2026	256.92
3	31 मार्च, 2027	301.90
4	31 मार्च, 2028	296.24
5	31 मार्च, 2029	347.51
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	1,429.35
7	10 साल से अधिक	2,722.03
ख.	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	44.59
ग.	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	8 वर्ष
घ.	अर्जित लाभ दायित्व 31-03-2024	2,368.62

ङ	31-03-2024 तक परिसंपत्ति की जानकारी की योजना	प्रतिशतता
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%
	जायदाद	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	**100%**

च.	चालूऔर अन्य चालूदेयता ब्रेकअप	31-03-2024
1	चालूदायित्व	213.16
2	अन्य चालूदायित्व	2,624.75
3	31-03-2024 तक देयता	2,837.91

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं परडीबीओ	2,837.91
क.	**छूट की दर**	
	छूट दर 31-03-2024 के अनुसार	7.00%
1	डिस्काउंट रेट में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(99.36)
	प्रतिशत प्रभाव	-4%
2	डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	106.50
	प्रतिशत प्रभाव	4%

ख.	वेतन वृद्धि दर	
	वेतन वृद्धि दर 31-03-2024	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	28.44
	प्रतिशत प्रभाव	1%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(31.05)
	प्रतिशत प्रभाव	-1%

31-03-2024 को आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र के रूप में छुट्टी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क.	लाभ और हानि (पी&एल)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	156.77	139.19
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	83.35	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	240.12	139.19
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	37.79	17.18
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	(14.92)	168.69
8	पी&एल में प्राप्त लागत	262.99	325.06

ख.	परिभाषित लाभ लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	240.12	139.19
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	37.79	17.18
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	-	-
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	(14.92)	168.69
5	परिभाषित लाभ लागत	262.99	325.06

ग.	धारणाएँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.00%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%	अधिकारी : 9%; कर्मचारी : 6.25%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
4	मृत्यु दर	भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

उम्र	दरों	उम्र	दरों
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

31.03.2024 को निवल तुलन-पत्र की स्थिति

क.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का विकास	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(947.93)	(785.52)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ़वीए)	167.31	267.88
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(780.62)	(517.64)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(780.62)	(517.64)

ख.	निवल शेष शीट की स्थिति का समाधान	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(517.64)	(312.58)
2	सेवा लागत	(240.12)	(139.19)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	(37.78)	(17.18)
4	बीमांकिक (हानि)/लाभ	14.92	(168.69)
5	नियोक्ता योगदान	-	120.00
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	टर्मिनेशन लाभ	-	-
10	चालू अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(780.62)**	**(517.64)**

31-03-2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	785.52	527.83
2	चालू सेवा लागत	156.77	139.19
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	53.09	32.94
4	कटौती (ऋण)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	83.35	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(41.41)	211.74
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	27.10	(39.26)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(116.49)	(86.92)
13	**चालू अवधि के अंत में डीबीओ**	**947.93**	**785.52**

ख.	परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य	267.88	215.25
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	15.30	15.76
4	नियोक्ता योगदान	-	120.00
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	0.61	3.79
6	भुगतान किए गए लाभ	(116.49)	(86.92)
7	**चालू अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य**	**167.30**	**267.88**

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

क.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च, 2025	65.08
2	31 मार्च, 2026	71.57
3	31 मार्च, 2027	80.66
4	31 मार्च, 2028	78.06
5	31 मार्च, 2029	93.29
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	405.77
7	10 साल से अधिक	160.00

ख.	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	169.49
ग.	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	10 वर्ष
घ.	अर्जित लाभ दायित्व 31-03-2024	544.92

ङ	योजना परिसंपत्ति की जानकारी 31-03-2024 तक	प्रतिशतता
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0%
	उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0%
	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%
	परिसंपत्ति	0%
	नकद (विशेष जमा सहित)	0%
	बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100%
	बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0%
	अन्य	0%
	कुल	**100%**

च.	चालू और अन्य चालू देयता ब्रेकअप	31-03-2024
1	चालू दायित्व	62.92
2	अन्य चालू दायित्व	885.02
3	31-03-2024 तक देयता	947.94

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	947.94
क.	**छूट की दर**	
	छूट दर 31-03-2024 के अनुसार	7.00%
1	डिस्काउंट रेट में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(44.40)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	48.49
	प्रतिशत प्रभाव	5%

ख.	वेतन वृद्धि दर	
	वेतन वृद्धि दर 31-03-2024	अधिकारी: 9%; कर्मचारी : 6.25%
1	वेतन वृद्धि में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	48.19
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(44.55)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

31-03-2024 को आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण पत्र के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

क.	लाभ और हानि (पी&एल)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	चालू सेवा लागत	13.32	14.41
2	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
3	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
4	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
5	सेवा लागत	13.32	14.41
6	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	15.62	15.94
7	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
8	पी&एल में प्राप्त लागत	28.94	30.35

ख.	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(63.99)	(0.13)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	21.15	(36.91)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(42.84)	(37.04)
4	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	(0.80)	(1.58)
5	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	**(43.64)**	**(38.62)**

ग.	परिभाषित लाभ लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	13.32	14.41
2	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	15.62	15.94
3	बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में प्राप्त हानियां	(43.64)	(38.62)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-	-
5	परिभाषित लाभ लागत	(14.70)	(8.27)

घ.	धारणाएँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	छूट की दर	7.00%	7.30%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%
3	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर - इनसर्विस	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम
4	मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकी-प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु दर तालिका (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकी-प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु दर तालिका (2012-15)
	औसत चिकित्सा लागत (भारतीय रुपये में)	अधिकारी : घरेलू सुरक्षा लाभ - INR 36,000लाभ पर पी.ए. हॉस्पिटलिसाती - INR 35,000 प्रति वर्ष कर्मचारी : अधिवास लाभ + अस्पताल लाभ संयुक्त - INR 18,000 प्रति वर्ष	अधिकारी : घरेलू सुरक्षा लाभ- INR 36,000 लाभ पर पी.ए. हॉस्पिटलिसाती - INR 35,000 प्रति वर्ष कर्मचारी : अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त - INR 18,000 प्रति वर्ष
5	जीवनसाथी की आयु का अंतर	पति या पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	पति या पत्नी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है

स्पेसिमेन मृत्यु दर: भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

उम्र	दर	उम्र	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

नमूना मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकी-प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु दर तालिका (2012-15)

उम्र	दर
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

निवल तुलन-पत्र की स्थिति 31.03.2024

क.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का विकास	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(611.52)	(597.42)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ़वीए)	419.52	376.27
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(192.00)	(221.15)
4	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-	-
5	निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(192.00)	(221.15)

ख.	निवल तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(221.15)	(239.44)
2	सेवा लागत	(13.32)	(14.41)
3	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /	(15.62)	(15.94)
4	ओसीआई में प्राप्त राशि	43.64	38.62
5	नियोक्ता योगदान	14.45	10.02
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
7	अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभों की लागत	-	-
10	चालू अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(192.00)**	**(221.15)**

31-03-2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

क.	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	597.42	597.57
2	चालू सेवा लागत	13.32	14.41
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	43.61	40.04
4	कटौती (ऋण)/लागत	-	-
5	निपटान (क्रेडिट)/लागत	-	-
6	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
7	अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(63.99)	(0.13)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	-	-
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय धारणाएं	21.16	(36.91)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	-
12	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-	(17.56)
13	चालू अवधि के अंत में डीबीओ	**611.52**	**597.42**

ख.	परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य	376.27	358.13
2	अधिग्रहण समायोजन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	28.00	24.10
4	नियोक्ता योगदान	14.45	10.02
5	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	0.80	1.58
6	भुगतान किए गए लाभ	-	(17.56)
7	**चालू अवधि के अंत में परिसंपत्ति का उचित मूल्य**	**419.52**	**376.27**

अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

क.	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	31 मार्च, 2025	29.47
2	31 मार्च, 2026	32.27
3	31 मार्च, 2027	35.13
4	31 मार्च, 2028	37.98
5	31 मार्च, 2029	40.60
6	31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	236.21
7	10 साल से अधिक	1,293.36

ख.	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 वर्ष
ग.	अर्जित लाभ दायित्व 31-03-2024	611.52

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2024 तक आधार मान्यताओं पर DBO	611.52
क.	छूट की दर	
	छूट दर 31-03-2024 के अनुसार	7.00%
1	डिस्काउंट रेट में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(34.58)
	प्रतिशत प्रभाव	-6%
2	डिस्काउंट रेट में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	38.18
	प्रतिशत प्रभाव	6%

7. 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष और 1 अप्रैल 2022 तक का पुनर्कथन

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन' तथा भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुरूप, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती कालखंड की प्रारंभिक तिथि) से 31 मार्च 2023 तक अपनी बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण को भूतलक्षी प्रभाव से निम्न कारणों से पुनर्स्थापित किया है :

ओपनकास्ट खनन के मामले में, स्थापना के बाद से ही सीआईएल ने अपनी स्ट्रिपिंग गतिविधि (ओवरबर्डन रिमूवल) लेखा नीति का अनुपालन किया है। मौजूदा नीति के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि लागत में दो घटक शामिल हैं अर्थात एडवांस स्ट्रिपिंग और अनुपात विचलन। अग्रिम स्ट्रिपिंग को भौतिक माप के आधार पर चालूपरिसंपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। अनुपात विचलन को अन्य चालू प्रावधानों के रूप में चिन्हित किया गया था ताकि मानक अनुपात के आधार पर परियोजना के जीवनकाल में ओवरबर्डन हटाने की लागत का प्रसरण एकसमान हो सके।

वर्ष के दौरान, कंपनी/समूह की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) की राय के आधार पर, इंड एएस 16 के परिशिष्ट बी, 'सतही खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत' के अनुरूप, स्ट्रिपिंग गतिविधि के लिए एक संशोधित नीति लागू की गई है जो कंपनी/समूह की परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण पर लागू की गयी है।

वित्तीय विवरण लाइन मदों का सामंजस्य जो पूर्वव्यापी रूप से पुन: स्थापित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक तुलन-पत्र की पुनर्गठित वस्तुओं का सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	31.03.2023 को स्थिति			01.04.2022 को स्थिति		
		जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.1	6,045.93	374.07	6,420.00	5,737.64	128.51	5,866.15
आस्थगित कर परिसंपत्ति	11.2	504.95	(215.80)	289.15	679.47	-	679.47
कुल परिसंपत्ति		25,834.59	158.27	25,992.86	20,817.10	128.51	20,945.61
अन्य चालूप्रावधान	9.1	5,334.98	(483.37)	4,851.61	5,118.65	128.51	5,247.16
अन्य इक्विटी	7.2	9,384.15	641.63	10,025.78	7,475.78	-	7,475.78
आस्थगित कर देयता	11.2	-	-	-	-	-	-
कुल इक्विटी और देयता		**25,834.59**	**158.26**	**25,992.85**	**20,817.10**	**128.51**	**20,945.61**

(ii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण की पुन: बताई गई मदों का सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(268.25)	(268.25)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		633.96	(593.65)	40.31
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		18.21	(18.21)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	652.17	(880.11)	(227.94)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	682.98	22.69	705.65
कर पूर्व लाभ			3,751.74	857.43	4,609.17
कर व्यय		14.1	994.66	215.80	1,210.46
वर्ष के लिए लाभ			2,757.08	641.63	3,398.71
कुल व्यापक आय			2,934.67	641.63	3,576.30

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(155.69)	(155.69)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		153.21	(204.11)	(50.90)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		20.45	(20.45)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	173.66	(380.25)	(206.59)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	148.64	5.67	154.31
कर पूर्व लाभ			1,293.12	374.58	1,667.70
कर व्यय		14.1	368.69	94.28	462.97
अवधि के लिए लाभ			924.43	280.30	1,204.73
कुल व्यापक आय			1,057.59	280.30	1,337.89

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(119.14)	(119.14)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		197.94	(265.12)	(67.18)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		(32.28)	32.28	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	165.66	(351.98)	(186.32)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	150.28	5.67	155.95
कर पूर्व लाभ			497.75	346.31	844.06
कर व्यय		14.1	79.57	87.16	166.73
अवधि के लिए लाभ			418.18	259.15	677.33
कुल व्यापक आय			**343.63**	**259.15**	**602.78**

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः बताई गई मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(62.44)	(62.44)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		343.43	(136.39)	207.04
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		(23.21)	23.21	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	320.22	(175.62)	144.60
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	170.08	5.67	175.75
कर पूर्व लाभ			945.02	169.95	1,114.97
कर व्यय		14.1	255.71	42.77	298.48
अवधि के लिए लाभ			689.31	127.18	816.49
कुल व्यापक आय			**724.21**	**127.18**	**851.39**

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)			69.02	69.02
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		(60.62)	11.97	(48.65)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		53.25	(53.25)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	(7.37)	27.74	20.38
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	213.98	5.68	219.66
कर पूर्व लाभ			1,015.85	(33.41)	982.44
कर व्यय		14.1	290.69	(8.41)	282.28
अवधि के लिए लाभ			725.16	(25.00)	700.16
कुल व्यापक आय			**809.24**	**(25.00)**	**784.24**

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(78.27)	(78.27)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		159.06	(122.22)	36.84
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		12.54	(12.54)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	171.60	(213.03)	(41.43)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	158.82	12.81	171.63
कर पूर्व लाभ			1,309.83	200.22	1,510.05
कर व्यय		14.1	272.96	50.39	323.35
अवधि के लिए लाभ			1,036.87	149.83	1,186.70
कुल व्यापक आय			**1,031.32**	**149.83**	**1,181.15**

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(75.73)	(75.73)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		95.01	(80.43)	14.58
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		13.21	(13.21)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	108.22	(169.37)	(61.15)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	155.63	12.81	168.44
कर पूर्व लाभ			939.88	156.56	1,096.44
कर व्यय		14.1	263.75	39.40	303.15
अवधि के लिए लाभ			676.13	117.16	793.29
कुल व्यापक आय			**684.55**	**117.16**	**801.71**

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित मदों का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(23.27)	(23.27)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		290.84	(231.95)	58.89
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		54.09	(54.09)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	344.93	(309.31)	35.62
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	166.11	12.81	178.92
कर पूर्व लाभ			960.02	296.50	1,255.52
कर व्यय		14.1	306.04	74.62	380.36
अवधि के लिए लाभ			653.98	221.88	875.86
कुल व्यापक आय			**697.40**	**221.88**	**919.28**

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित वस्तुओं का समायोजन

विवरण		नोट	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		-	(177.27)	(177.27)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		544.91	(434.60)	110.31
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	(ग)		79.84	(79.84)	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख+ग)	13.6	624.75	(691.71)	(66.96)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	480.58	38.43	519.01
कर पूर्व लाभ			3,209.73	653.28	3,863.01
कर व्यय		14.1	842.75	164.42	1,007.17
अवधि के लिए लाभ			2,366.98	488.86	2,855.84
कुल व्यापक आय			**2,413.27**	**488.86**	**2,902.13**

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभाव

विवरण		नोट	कुल धनराशि
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		15.88
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		139.01
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख)	13.6	154.89
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	244.44
कर पूर्व लाभ			866.89
कर व्यय		14.1	61.68
अवधि के लिए लाभ			805.21
कुल व्यापक आय			**750.07**

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभाव

विवरण		नोट	कुल धनराशि
कोयले तक बेहतर पहुंच	(क)		(161.39)
अनुपात विचरण आरक्षित	(ख)		249.32
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(क+ख)	13.6	87.93
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		13.5	763.42
कर पूर्व लाभ			4,729.90
कर व्यय		14.1	1,068.85
अवधि के लिए लाभ			3,661.05
कुल व्यापक आय			**3,652.20**

(iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
कर पूर्व लाभ	3,751.74	857.43	4,609.17
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	682.98	22.69	705.67
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	652.18	(880.12)	(227.94)
निम्नलिखित परिसंपत्तियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह और दायित्व	4,614.52	-	4,614.52
प्रावधानों	1,160.02	268.24	1,428.26
संचालन से प्राप्त नकदी	5,774.54	268.24	6,042.78
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि /	233.12	-	233.12
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष	747.32	-	747.32
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समकक्ष	**980.44**	**-**	**980.44**

(iv) प्रति शेयर आय का सामंजस्य:

उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर मूल और मंद आय नीचे दी गई है:

विवरण	जैसा कि पहले सूचित किया गया था	समायोजन	जैसा कि दोहराया गया है
बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस	1,465.50	341.29	1,806.79

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1:1 में बोनस शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, 31.03.2023 को बकाया शेयरों में से कोई भी ईपीएस की गणना के लिए भारतीय लेखा मानक एएस 33 के पैरा 28 के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार आनुपातिक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

8. अन्य जानकारी

क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

समूह मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और विक्रय के एकल व्यवसाय में लगा हुआ है।

ख) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	कर के बाद इक्विटी शेयरधारकों को आबंटनीय शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	3,660.14	3,396.77
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या करोड़ में)	1.88	1.88
iii)	प्रति शेयर मूलभूत और पतला अर्जन रुपयों में (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	**₹ 1,946.88**	**₹ 1,806.79**

नोट 16 (7) (v) - ईपीएस का पुनर्लेखन

ग) बैलेंस पुष्टिकरण

समूह के पास बैंकों से शेष राशियों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, सुमेलन किए जाते हैं और शेष पुष्टिकरण पत्र/ईमेल भी समय-समय पर भेजे जाते हैं। ऐसे कुछ शेष पुष्टिकरण/सुमेलन के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होगा तो उसे पुष्टिकरण/सुमेलन के बाद लेखा किया जाएगा और परिणामों को भौतिक रूप से प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है।

घ) अपचलन, धोखाधड़ी, अतिरिक्त भुगतान, चोरी आदि मामले

अवधि के दौरान माल की चोरी ₹0.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.25 करोड़) है, जिसे विधिवत लेखा किया गया है।

ङ) हाल के लेखा प्रोद्भवन

कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत कारपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। संशोधन इस प्रकार हैं:

(i) **भारतीय लेखा मानक 1 -** वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण - यह संशोधन संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बजाय अपनी भौतिक लेखा नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। कंपनी को उम्मीद है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) **भारतीय लेखा मानक 8 -** लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमानों' की परिभाषा पेश की है और भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किया है ताकि संस्थाओं को लेखा नीतियों में परिवर्तन को लेखा अनुमानों में परिवर्तन से अलग करने में मदद मिल सके। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

(iii) **भारतीय लेखा मानक 12 -** आय कर - यह संशोधन प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेनों पर लागू न हो जो समान और ऑफसेटिंग अस्थायी अंतर उत्पन्न करते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

च) विखंडित राजस्व जानकारी:

अनुबंध के साथ ग्राहकों से प्राप्त विखंडित राजस्व की जानकारी, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115, राजस्व की आवश्यकता है, के अनुसार तालिका में दर्शाई गई है :

(₹ करोड़ में)

अलग-अलग आय की जानकारी:	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2023
उत्पाद या सेवा का **प्रकार**		
- कोयला	15,291.52	15,226.21
- अन्य	-	-
कोयला एवं अन्य विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व	**15,291.52**	**15,226.21**
ग्राहकों के प्रकार		
- विद्युत क्षेत्र	11,063.46	9,658.51
- गैर-विद्युत क्षेत्र	4,228.06	5,567.70
- अन्य या सेवाएं	-	-
कोयला एवं अन्य विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व	**15,291.52**	**15,226.21**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	12,274.08	11,522.80
- ई नीलामी	3,017.44	3,703.41
- अन्य	-	-
कोयले और अन्य की विक्रय से कुल राजस्व	**15,291.52**	**15,226.21**
उत्पाद या सेवा का समय		
- एक समय पर स्थानांतरित उत्पाद	15,291.52	15,226.21
- समय के साथ स्थानांतरित उत्पाद	-	-
- एक समय पर स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की विक्रय से कुल राजस्व	**15,291.52**	**15,226.21**

छ) वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले

i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206(ग) के अंतर्गत रोड सेल ग्राहकों से टीसीएस के संबंध में आयकर विभाग की 106.56 करोड़ रुपए की मांग के विरुद्ध विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को कुर्क करके 71.79 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा 34.77 करोड़ रुपए की शेष राशि जमा कर दी गई है। बदले में कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार ग्राहकों से

77.53 करोड़ रुपये वसूल किए हैं और शेष 27.99 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

इसके बाद, सीआईटी (ए) द्वारा मामले का निपटारा किया गया और उक्त आदेश के खिलाफ सीसीएल ने आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की क्योंकि सीआईटी (ए) द्वारा जारी आदेश स्पष्ट नहीं था। आईटीएटी ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2023 में सीसीएल के पक्ष में आदेश दिया और सीसीएल द्वारा उठाए गए सभी आधारों की अनुमति दी।

ii) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के लिए तुलन-पत्र की तारीख पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित है।

iii) कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ था।

ज) त्रुटियों को सुधारने और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए सामग्री लेखांकन नीति को अद्यतन किया गया है। इन अपडेट का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

जे) सीसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में ₹600.66 करोड़ का भुगतान किया है (पिछले वर्ष 2022-23 में अंतरिम लाभांश ₹600.66 करोड़ और अंतिम लाभांश ₹423.00 करोड़ का भुगतान किया गया)। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹498.20 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित/अनुमोदित किया है जिसे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में मालिकों को वितरित किया जाएगा।

विविध जानकारी

(i) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक था, पुन: वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

(ii) वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की स्पष्टता के लिए सामग्री लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

(iii) **नोट –** 1 और 2 क्रमशः कारपोरेट जानकारी और सामग्री लेखांकन नीतियों को दर्शाता है, नोट 3 से 11 उस तिथि को समाप्त तिमाही के लिए बैलेंस शीट का भाग है तथा 12 से 15 उस तिथि को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण का भाग हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ को दर्शाता है।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल की ओर से

	ह./-	ह./-
कृते एसपीएएन एंड असोसिएट्स	**(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)**	**(पवन कुमार मिश्रा)**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)	**डीआईएन- 08679590**	**डीआईएन- 0009665365**
ह./-	ह./-	ह./-
(सीए के. चक्रवर्ती)	**(अनिल कु. गुप्ता)**	**(अमरेश प्रधान)**
सहयोगी	महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या 015363)		**सदस्यता संख्या.-F11264**

स्थान : रांची
दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

प्रपत्र ए ओ सी - 1

(कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के संदर्भ में)

अनुषंगियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तिय विवरण की मुख्य विशेषताओ का विवरण

खण्ड "क": अनुषंगियों

(प्रत्येक अनुषंगी से सम्बद्ध राशि (करोड़ ₹ में) के साथ सूचनार्थ प्रस्तुत)

1.	क्रमांक	:	1
2.	अनुषंगी का नाम	:	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड
3.	अनुषंगी के अधिग्रहण की तारीख	:	31.08.2015
4.	अनुषंगी के अधिग्रहण के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	:	लागू नहीं
5.	विदेशी अनुषंगियों के केस में प्रासंगिक वित्तिय वर्ष के अंतिम तारीख पर रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	:	लागू नहीं
6.	शेयर पूंजी	:	₹ 100.99 करोड़
7.	इक्विटी स्वरुप में पूर्ण प्रपत्र	:	₹ 438.51 करोड़
8.	भंडार और अधिशेष	:	₹ 13.06 करोड़
9.	कुल सम्पत्ती	:	₹1033.14 करोड़
10.	कुल देनदारी	:	₹ 480.58 करोड़
11.	निवेश	:	-
12.	कारोबार	:	-
13.	कर से पहले लाभ	:	₹ 3.48 करोड़
14.	कर का प्रावधान	:	₹ 0.96 करोड़
15.	कर के बाद लाभ	:	₹ 2.52 करोड़
16.	प्रस्तावित लाभांश	:	-
17.	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	:	64.00%

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

बोर्ड की ओर से

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(अनिल कु. गुप्ता)	**(अमरेश प्रधान)**	**(डॉ. बी. वीरा रेड्डी)**	**(पवन कुमार मिश्रा)**
महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
	सदस्यता सं..-F11264	**डीआईएन - 08679590**	**डीआईएन- 0009665365**

स्थान : रांची

दिनांक : 25 अप्रैल, 2024

वित्तीय विवरण समेकित